लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 9 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 9 तीसरा सत्र, 1992/1913 (शक)

अंक 17, मंगलवार, 17 मार्च, 1992/27 फाल्गुन, 1913 (शक)

विषय	पृष्ठ
त्रीडाड तथा टोबैगो गणराज्य की हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—20
* तारांकित प्रश्न संख्या : 287, 288 और 290 से 292	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—353
तारांकित प्रश्न संख्या : 286, 289 और 293 से 305	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3243 से 3273, 3275 से 3392, 3394 से 3459 और 3461 से 3477	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	353—354
समिति के लिए निर्वाचन	354
पशु कल्याण बोर्ड	
नियम 377 के अधीन मामले	355—358
(एक) केरल के कोट्टायम में भारतीय प्रबन्ध संस्थान खोले जाने की आवश्यकता	
श्री रमेश चेन्नितला	355
(दो) केरल के पेरम्बवूर में कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता	
प्रो० सावित्री लक्ष्मणन	355

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए हिन्दी को अनिवार्य नहीं बनाया जाए ।	
श्री के० राममूर्ती टिंडिवनाम	355—356
(चार) संपर्क जल मार्ग के भाग का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए सरहिन्द नहर को 15 दिन के लिए बन्द करने हेतु पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	356
(पांच) महाराष्ट्र के कुर्ला रेलवे टर्मिनस पर पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम कापसे	356—357
(छः) प्रस्तावित कोंकण रेल लाइन पर पड़ने वाले स्टेशनों के नाम उन क्षेत्रों के देशभक्तों के नाम रखे जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	357
(सात) भोपाल गैस त्रासदी के प्रत्येक प्रभावित दावेदार को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री जार्ज फर्नान्डीज	357
(आठ) कर्नाटक में दंगा पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।	
डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम	357—358
(नौ) राजस्थान को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता	
प्रो० रासा सिंह रावत	358
रेल बजट, 1992-93 - सामान्य चर्चा	359—504
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प	
अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93	
और	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92	
श्री सी० के० जाफर शरीफ	359
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प — स्वीकृत	
अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93	

विषय	पृष्ठ
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92	
विनियोग (रेल) विधेयक, 1992	504—505
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी० जाफर शरीफ	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी० जाफर शरीफ	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी० के० जाफर शरीफ	
विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1992	505—507
पुर : स्थापित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी० के० जाफर शरीफ	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सीध के० जाफर शरीफ	
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सी० के० जाफर शरीफ	
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	507—509
(एक) थल सेनाध्यक्ष की प्रेस के साथ भेंटवार्ता	
श्री शरद पवार	
(दो) वर्ष 1992-93 के मौसम के दौरान विपणन की जाने वाली वर्ष 1991-92 की रबी फसलों के लिए मूल्य नीति	
श्री बलराम जाखड़	
प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प — वापस लिया गया	509—536
और	
प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल भार्गव	509—510
श्री अर्जुन सिंह	510—511
श्री विजय कृष्ण हाण्डिक	511—514
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य	514—517

प्रो॰ के॰ वी॰ थामस	517—518
श्री मोहन सिंह	518—519
प्रो॰ रासा सिंह रावत	519—523
श्रीमती गीता मुखर्जी	523—524
श्री कोडीकुन्नील सुरेश	524
श्री चित्त बसु	524—526
श्री राधिका रंजन प्रमाणिक	527—529
प्रो॰ प्रेम धूमल	529—530
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	530—531
श्री जार्ज फर्नान्डीज	531—533

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री अर्जुन सिंह	533—536

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प 536—556

और

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री गिरधारी लाल भार्गव	536—538
श्री के॰ विजय भास्कर रेड्डी	538—539
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	539—543
श्री भगवान शंकर रावत	543—546
श्री नीतीश कुमार	547—548
श्री रमेश चेन्नितला	548—550
श्री सुदर्शन राय चौधरी	550—551
श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव	551—552
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	552—553
श्री ओस्कार फर्नान्डीज	553—554
प्रो॰ रासा सिंह रावत	554—556

लोक-सभा

मंगलवार, 17 मार्च, 1992/27 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

ट्रिनीडाड तथा टोबैगो गणराज्य की हाऊस आफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है। इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से तथा अपनी ओर से उने ट्रिनीडाड तथा टोबैगो गणराज्य की हाऊस आफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष कुमारी ओका मीशोन, जो इस समय हमारे सम्मानीय अतिथि के रूप में भारत के दौरे पर हैं, का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है।

वह नई दिल्ली में 16 मार्च, 199 को प्रातः पधारीं। वह इस समय विशेष कक्ष में विराजमान हैं। हमारी कामना है कि भारत की उनकी यात्रा सुखदायी तथा लाभकारी हो। उनके माध्यम से हम ट्रिनीडाड तथा टोबैगो गणराज्य के राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, संसद, सरकार और वहां की मित्रवत जनता को बधाई तथा सद्भावना प्रेषित करते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सख्या 285 स्थगित कर दिया गया है।

अब प्रश्न संख्या 286, श्री श्रीनिवास प्रसाद श्री कोडाकनी गौडाना शिवप्पा। दोनों अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या 287, श्रीमती बासवा राजेश्वरी।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

महिलाओं से सम्बन्धित कानून

*287. **श्री बासवा राजेश्वरी** :

श्री राम नारायण बैरवा : क्या मानव संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में महिलाओं से संबंधित कानूनों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इनमें कुछ कमियां पाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन कानूनों में कमियों को दूर करने के लिए संशोधन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (घ) विषय-विशेष के आधार पर विभिन्न मन्त्रालय और विभाग महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों के बारे में कार्रवाई करते हैं। कानूनों का पुनरीक्षण सतत प्रक्रिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए अनिवार्य है कि वह महिलाओं सम्बन्धी उन विभिन्न कानूनों की विवेचना करे जो महिलाओं को सांविधिक और कानूनी संरक्षण प्रदान करते है।

महिला एवं बाल विकास विभाग, इस विभाग से सम्बन्धित चार कानूनों अर्थात् दहेज निषेध अधिनियम, 1961, सती निवारण अधिनियम, 1987, स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, 1986 और अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम, 1958 कानूनों का पुनरीक्षण करा रहा है। इन अधिनियमों पर जनवरी, 1991 में आयोजित एक कार्यशाला में विस्तार-पूर्वक विचार-विमर्श किया गया था। कार्यशाला की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : अध्यक्ष महोदय, दहेज निषेध अधिनियम सती (निवारण) अधिनियम स्त्री अशिष्ट निरूपण (निषेध) अधिनियम, अनैतिक पणन (दमन) अधिनियम जैसे बहुत से अधिनियम हैं। इन सभी अधिनियमों के बावजूद दहेज सम्बन्धी मौतों, बलात्कार के मामलों, नग्न जलूसों तथा लड़कियों को विभिन्न देशों को बेचने तथा उन्हें देवदासी के रूप में अर्पण करने की घटनायें बढ़ रही हैं। टेलिविजन और पत्रिकाओं में स्त्री के अशिष्ट निरूपण की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसलिए क्या माननीय मन्त्री महोदय, इस सदन में मुझे यह आश्वासन देंगे कि वे विभिन्न कानूनों में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए इसी सत्र में आवश्यक संशोधन प्रस्तुत करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी ममता बैनर्जी : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त भावनाओं का मैं सम्मान करती हूं। सरकार ने बहुत से कानून पारित किए हैं। परन्तु खराब क्रियान्वयन के कारण महिलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पा रहा है तथा उन पर अत्याचार की घटनायें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। यह एक सच्चाई है। इसीलिए, हमारे विभाग ने अधिनियमों की पूर्ण विवेचना का निर्णय लिया है। इस सब के दौरान हम दहेज निषेध अधिनियम तथा सती (निवारण) अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखते हैं ताकि इन अधिनियमों का और प्रभावकारी तथा कठोर बनाया जा सके।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : महोदय, हाल ही में श्रीमती जयन्ती पटनायक की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या इस आयोग के पास महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों की विवेचना का अधिकार होगा ताकि वे सरकार को सुधारात्मक उपाय बता सकें तथा ऐसे मामलों को निपटाने के लिए शिकायतें भी प्राप्त कर सकें तथा आयोग के समक्ष इस सम्बन्ध में आवश्यक दस्तावेज भी मंगवा सकें। खामियों को दूर करने के लिए यह आयोग कब अपने सुझाव देगा ? अगर इसने पहले ही सुझाव दे दिए हैं, तो वे क्या हैं। अगर सुझाव नहीं दिए हैं तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ? वैश्यावृत्ति तथा देवदासी जैसी समस्यों के निपटारे के लिए.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसे मत करिए। अगर प्रश्न बहुत बड़ा होगा तो आपको स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा।

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : उन्हें वैश्यावृत्ति, तथा देवदासी प्रथा और स्त्री के अभद्र निरूपण को समाप्त करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। सरकार को महिलाओं को आर्थिक स्वतन्त्रा प्रदान करने पर विचार करना चाहिए। क्या मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या राष्ट्रीय संवर्धी योजना में महिलाओं को धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान करने की नीति को स्थान दिया गया है।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अगर माननीय समस्य इस अधिनियम को पढ़ें, जिसके परिणामस्वरूप यह आयोग अस्तित्व में आया है, तो उन्हें इस आयोग के क्रियाकलापों, जोकि काफी व्यापक हैं तथा उन सभी मुद्दों की जानकारी मिल जायेगी, जिनका हवाला उन्होंने यहां पर दिया है। मैं संसद का समय बेकार में ही नष्ट नहीं करना चाहता क्योंकि यह अधिनियम इस सदन द्वारा ही परित किया गया है तथा कोई भी सदस्य इसे देख सकता है।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है जैसा कि मेरी माननीय सहयोगी महोदया ने कहा है कि यह सच है जितना कुछ किया जाना चाहिए था, उतना कुछ नहीं किया जा सका है। इस सन्दर्भ में, विभाग ने वर्तमान समय में लागू कानूनों का पुनर्विलोकन किया है। इनमें से कुछ कानूनों का कार्यान्वयन इस विभाग के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। परन्तु फिर भी हम दूसरे विभागों से समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून प्रभावी माध्यम बन सकें।

[हिन्दी]

श्री राम नारायण बेरवा : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय, ने यह बताया है कि डिपार्टमेंट आफ वूमेन ने अपनी रिकमन्डेशन जनवरी 1991 में दी हैं। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जनवरी 91 में जो रिकमन्डेशन दी है, क्या उनका स्टेच्युटरी इफेक्ट है और एक्ट का 1983 में ला कमीशन ने इसका रिव्यू किया था और ला कमीशन के एक मैम्बर ने कहा था कि जो संशोधन सुझाए गए हैं वे बहुत मामूली हैं और पर्याप्त रूप से कड़े नहीं है। इसको स्टेच्युटरी इफेक्ट देने के लिए ला कमीशन को कब तक आपका रेफर करने का विचार है।

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह कहना चाहता हूं कि जनवरी 1991 में वूमेन एण्ड चाइल्ड डिपार्टमेंट का वर्कशाप हुआ था और उसकी रिकमन्डेशन आई थी। लेकिन रिकमन्डेशन आने के बाद सरकार को उसको इक्जामिन करना पड़ता है। सरकार ने उसको इक्जामिन किया है और इक्जामिन करने के बाद डिसीजन लिया है कि हमें उसमें अमेंडमेंट लाने जा रहे हैं जिसमें डावरी प्रोहिबिशन एक्ट और सती प्रिवेन्शन एक्ट को अधिक मजबूत बनाना है।

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार नौकरियों, शैक्षणिक संस्थाओं और विधान सभाओं तथा संसद में 30 प्रतिशत सीटों का आरक्षण महिलाओं के लिए करने के लिए क्या कोई प्रस्ताव लायेगी।

अगर सरकार की वास्तव में महिला कल्याण और उनके उत्थान में रुचि है, तो यह आरक्षण प्रदान करना आवश्यक है। आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि वे इस मुद्दे को गम्भीरतापूर्वक लें तथा आवश्यक कानून प्रस्तुत करें?

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्या को ज्ञात ही होगा कि पंचायत तथा दूसरे स्तरों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की नीति पहले ही अनेक राज्यों में लागू की जा चुकी है। इस सम्बन्ध में एक आदर्श विधान का मसौदा पहले ही तैयार हो चुका है तथा एक सदन के समक्ष पारित करने के लिए लम्बित पड़ा है।

जहां तक संसद और राज्य विधान सभाओं का सम्बन्ध है यह एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है तथा व्यापक आकार पर ही इसे निपटाया जाना चाहिए।

श्री सुशील खन्ना : ये सभी अधिनियम एक सदन द्वारा पारित किए गए हैं। हमारे देश की महिलाओं के सम्बन्ध में ये एक बहुत ही सुन्दर चित्रण प्रस्तुत करते हैं। परन्तु फिर भी महिलाओं की स्थिति खराब है। दहेज निषेध अधिनियम तथा ऐसी निवारक कानूनों के बावजूद महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। वर्ष 1989 के दौरान दहेज सम्बन्धी मौतों के 4600 मामले सामने आए अधिनियमों में कुछ खामियां हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह पता लगाए कि इन कानूनों का उचित कार्यान्वयन क्यों नहीं हो रहा है। महिलाओं को उत्पीड़न झेलना पड़ रहा है। बच्चों का शोषण किया जाता है, उनसे वेश्यावृत्ति करवाई जाती है। महोदय यह सभी कानून बेकार है अगर इनका उचित कार्यान्वयन नहीं होता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या अपेक्षित है जिससे कि इन कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो सके।

श्री अर्जुन सिंह : माननीय सदस्य की महिलाओं और बच्चों की समस्याएं सुलझाने के क्षेत्र में सराहनीय उपलब्धियां हैं, जिसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करना चाहता हूं। मैं बड़ी विनम्रता से यह कहना चाहता हूं कि आज यह एक तथ्य है कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने वाले कानूनों को उस तरह से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा है, जैसाकि किया जाना चाहिए। यह मैं पहले भी कह चुका हूं। एक पहलू इन कानूनों को और कठोर बनाने के लिए संशोधन करने तथा गवाही सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने का है ताकि उन्हें तथ्यों को उजागर करने तथा अपराधी को सजा दिलाने के लिए प्रत्येक मामले में भटकना न पड़े। दूसरे केवल कानून बनाने से ही समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसमें हम सब की एक भूमिका होगी तथा जिसमें महिलाओं और बच्चों का शोषण कानून की नजरों में ही नहीं अपितु समाज की नजरों में भी एक अपराध हो।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : क्योंकि अब महिला आयोग का गठन हो चुका है, इसलिए अब विभिन्न कानूनों की विवेचना तथा कार्यान्वयन इस आयोग के कार्य क्षेत्र में होगा। परन्तु फिर भी कार्यकारी उत्तरदायित्व सरकार का ही है तथा मेरा प्रश्न इसी से सम्बन्धित है यह एक कठोर सत्य है कि जहां तक महिलाओं से सम्बन्धित कानूनों का प्रश्न है, चाहे यह श्रम कानून हों या सामाजिक अन्याय निवारण सम्बन्धी कानून हों, अब भी बहुत कम शिकायतें दर्ज की जाती हैं। और अगर शिकायतें दर्ज भी होती हैं तो सजा बहुत कम लोगों को मिलती है। इसलिए मैं सरकार तथा माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार राज्यों में कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने पर विचार कर रही है ताकि महिलाओं को, विशेषकर गरीब वर्ग की महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलवाया जा सके।

श्री अर्जुन सिंह : मुझे विश्वास है कि इन सभी मामलों में यह आयोग एक निर्णायक भूमिका निभाएगा तथा जहां तक महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित माननीय सदस्य की चिन्ता का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में मैंने पहले ही कहा है कि अभी बहुत कुछ अपेक्षित है। परन्तु हम इतना अवश्य ही सुनिश्चित करेंगे कि इन नियमों को और कठोर बनाया जाए। तथ्य यह है कि आज जागरूकता बढ़ी है। पहले लोग मामले दर्ज करवाने में अधिक रुचि नहीं लेते थे। अब मामले

दर्ज करवाए जाते हैं, उन पर अदालत में कार्यवाही चलती है तथा सजा भी मिलती है। परन्तु फिर भी मैं कहूंगा कि बहुत कुछ करना शेष है। मुझे विश्वास है कि समाज के संयुक्त प्रयत्नों से काफी अन्तर पड़ेगा। जिन कानूनों में संशोधन तथा नए कानून बनाने की आवश्यकता होगी, वह इस माननीय सदन की अनुमति से किया जाएगा।

[अनुवाद]

गंगोत्री बेसिन की सफाई

*288. श्री शंकर सिंह बघेला :

श्री अतल बिहारी वाजपेयी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो बड़े औद्योगिक घरानों ने गंगोत्री बेसिन की सफाई के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(घ) उक्त क्षेत्र में नदी पर अनियंत्रित प्रदूषण भार होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) गंगा नदी के जल को पुनः शुद्ध करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल बाबू) : (क) से (ग) गंगोत्री बेसिन की सफाई के लिए सरकार को किसी बड़े औद्योगिक घराने द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

(घ) गंगोत्री क्षेत्र में नदी में प्रदूषण भार, कैचमेंट क्षेत्र में मनुष्य एवं जानवरों के मल त्याग के कारण एवं तीर्थ यात्रियों, पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों द्वारा कचरा फेंके जाने के कारण हुआ है;

(ङ) गंगोत्री क्षेत्र में गंगा नदी के प्रदूषण नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

1. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है, जोकि गंगोत्री क्षेत्र के पर्यावरणीय ह्रास पर नियंत्रण रखेगा।
2. गंगोत्री क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है।
3. इस क्षेत्र में भवन निर्माण के कार्यों को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है।
4. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गंगोत्री के रास्ते के किनारे-किनारे सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह बघेला : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि बड़े औद्योगिक हाउसेज को कोई आफर नहीं की है। मेरे पास टाइम्स आफ इण्डिया की 06.06.91 की कटिंग है, उसमें कहा गया है.....

अध्यक्ष महोदय : न्यूज पेपर्स की क्वटेशन्स नहीं देते है।

श्री शंकर सिंह बघेला : सर इण्डियन मल्टीनेशनल फैडरेशन ने कहा है कि टाटा और बिरला

को बहुत बड़ी आफर है। आप नहीं कहते तो छोड़िए इस बात को। क्या हमारी सरकार पर्यावरण और गंगोत्री की शुद्धिकरण के लिए आप बड़े हाऊसेज के या जो लोग आफर नहीं करते हैं तो उनको कुछ धन देने के लिए उन्हें प्रेरणा देने के लिए सम्पर्क करेंगे ?

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ :महोदय, मैं समाचारपत्रों में छपे उस खबर से सम्बन्धित शंका का समाधान करूंगा, जो माननीय सदस्य के दिमाग को ग्रस्त किए हुए हैं। यह योजना सरकार को नहीं सौंपी गई है। यह हिमालयन इनवायरनमेंट ट्रस्ट और भारतीय पर्वतारोहण फेडरेशन का एक एन० जी० ओ० योजना है। दो या तीन व्यापारी घरानों से मिलकर उन्होंने यह योजना बनाई है, जिसकी लागत लगभग 25 लाख रुपये है। इसलिए यह एन० जी० ओ० और बड़े व्यापारी घराने की साझी योजना है। यह सरकार को किसी व्यक्ति द्वारा सौंपी गई योजना नहीं है। वास्तव में यदि कोई ऐसी योजना है तो हम इसका समर्थन करेंगे।

जहां तक दूसरे पक्ष का प्रश्न है अर्थात् सरकार क्या कर रही है तो मैं कहना चाहूंगा कि यह पट्टी जो गंगोत्री बेसिन तक है, उतनी प्रदूषित नहीं है। सभी तरह के प्रदूषण के बावजूद, अभी पानी पीने के लायक है उक्त योजना को छोड़कर केन्द्र द्वारा प्रस्तावित ऐसी कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शंकर सिंह वघेला : स्पीकर सर, भाग (ग) के जवाब में आपने कहा है जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का जिक्र किया है। तो क्या आप केन्द्रीय सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश को कोई खर्चा बांटने में आप भागीदार रहेंगे और क्या आपकी अपनी कोई योजना है जैसी राजीव गांधी के वक्त गंगा के शुद्धि करण की योजना रखी थी ? यदि रखी है तो इसके ऊपर आप कितना अमाऊंट खर्च करने जा रहे हैं और यू० पी० सरकार को कितना खर्च देंगे ?

श्री कमल नाथ : सर, इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी एक योजना बनायी है जिसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कोई योजना बनाएगी जो केन्द्र सरकार की सहायता चाहे, कोई राशि चाहे तो इस पर जरूर हम विचार करेंगे और उनकी मदद करेंगे। इसके अलावा आज केन्द्रीय सरकार की कोई योजना नहीं है फिर भी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार में बहुत नजदीकी से काम हो रहा है। तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि केन्द्रीय सरकार बनाए। अगर राज्य सरकार की कोई योजना हो तो केन्द्रीय सरकार को भेज सकती है, उनकी जरूर मदद करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहता हूं मुझे आने में देर हुई।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं आप बराबर वक्त पर आ गए। जब आपका टाइम हुआ ही था, मैं पूछने जा रहा था उसके पहले ही आ गए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : नहीं, मैंने सुना नहीं, आपने क्या उत्तर दिया ?

अध्यक्ष महोदय : हां, वह बात ठीक है···

श्री कमल नाथ : मैं दोबारा उत्तर दे देता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : बार-बार कष्ट करना ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है कि पर्यटकों को निरुत्साहित किया जा रहा है लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि वहां पर्यटक जा रहे हैं। उनके लिए अस्थायी विश्राम स्थल बनाए जा रहे

हैं। छोटी-मोटी दुकानें वहां लगा रहे हैं। जो पर्यटक वहां जाते हैं, वे वहां पर गन्दगी पैदा करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि पर्यटकों को आप किस तरह से रोक रहे हैं और दूसरी बात यह है कि अगर किसी उद्योगपति ने इसके लिए अपनी सेवायें या अपना धन प्रस्तुत नहीं किया है तो क्या मंत्री महोदय स्वयं जो स्वयं एक रिसोर्सफुल आदमी हैं, क्या इस काम में उद्योगपतियों का सहयोग लेंगे, उन्हें नियंत्रित करेंगे और उन्हें प्रेरित करेंगे धन खर्च करने के लिए ?

श्री कमल नाथ : सर, राज्य सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार ने चर्चा की है। माननीय सदस्य की बात सही है कि पर्यटक अभी भी वहां जा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं, इसमें हकीकत है। पर साथ साथ इनकी डिस्करेज करने के लिए कोई योजना या एनकरेज करने के लिए कोई योजना अभी तक नहीं बनाई है राज्य सरकार ने। समय-समय पर चर्चा हो रही है कि किस प्रकार वहां जो पर्यटक जायें भी, उनके लिए वहां पर टैंट्स या साईनबोर्डस लगा दिए जाएं ताकि पर्यटकों को जानकारी मिल सके और वे जागरूक रहें।

जहां तक प्रश्न है कि कोई बड़े बिजनैस हाउसेज इसमें अगर भाग लेना चाहें, उस बारे में अभी तक सरकार के पास ऐसा कोई प्रपोजल नहीं आया है, पर ऐसे मैं कह रहा था पिछले जवाब में "हिमालयन माउंटेनियरिंग ट्रस्ट', और 'इंडियन माउंटेनियरिंग फैडरेशन" ने बड़े बिजनेस हाउसेज से बात की है एक योजना बनाने के लिए। अगर उनको हमसे कोई मदद चाहिए ये जो एन० जी० ओ० (नान गवर्नमेंटल आर्गनाइजेशंस) हैं, हम जरूर बड़े बिजनैस हाउसेज से बात करके उनकी मदद करने का प्रयास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री कुप्पुस्वामी।···हम गंगोत्री की मदद के लिए कन्याकुमारी को अवसर दे रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार को तमिलनाडु सरकार की ओर से रंगने वाली फैक्टरी से प्रदूषित तीरूप्पुर में प्रदूषण को रोकने के लिए कोई बड़ी योजना चालू करने के लिए कोई प्रस्ताव पास हुआ है।

मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार को तमिलनाडु सरकार से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें ए० सी० सी० सिमेंट फैक्टरी कोयम्बटूर, से फैल रहे प्रदूषण, जिससे निकटवर्ती कृषि क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, को रोकने के लिए कोई योजना चालू करने की मांग की गई हो।

अध्यक्ष महोदय : यह गंगोत्री के विषय में है।

श्री सी० के० कुप्पुस्वामी : माननीय मंत्री महोदय को जवाब देना चाहिए। यह बहुत ही महत्त्व पूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : यह पूरी गंगा नदी के विषय में भी नहीं है। यह केवल गंगोत्री के विषय में है।

श्री कमल नाथ : माननीय सदस्य गंगोत्री से तमिलनाडु पर आ गए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोचा कि आप कन्याकुमारी से गंगोत्री पर आ रहे हैं।

श्री कमल नाथ : फिर भी राष्ट्रीय नदी कार्य-योजना जो प्रस्तावित है के अन्तर्गत केन्द्रीय नियंत्रण बोर्ड ने महत्त्वपूर्ण नदियों की पहचान पूरे देश में कर ली है। हम सभी जानते हैं कि गंगा कार्य-योजना सिर्फ गंगा के लिए थी और गंगा की बड़ी-बड़ी शाखाओं के लिए थीं। लेकिन जो नई योजना बन रही है, राष्ट्रीय नदी कार्य-योजना बड़ी-बड़ी प्रदूषित नदियों को कवर करेगी। क्या माननीय सदस्य मेरी जानकारी में कोई विशिष्ट प्रदूषित पट्टी लाना चाहेंगे। मैं बहुत ही प्रसन्नतापूर्वक उससे अवगत होना चाहूंगा और हम इस पर विचार करेंगे।

फाइलेरिया के मरीज

*290. डा० पी० बल्लभ रेड्डीगारु : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1991 में माइक्रो-फाइलेरिया के रोगियों तथा पुराने फाइलेरिया के मरीजों की संख्या राज्यवार क्या थी;

(ख) वर्ष 1992-93 के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) क्या इन रोगों के जीवाणुओं को फैला करने वाले स्थानों को, रसायनों एवं अन्य पर्यावरण सम्बन्धी तरीकों का इस्तेमाल करके, इस अभिशाप से मुक्त करने हेतु आवंटित धनराशि पर्याप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) कलेंडर वर्ष 1991 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा सूचित किए माइक्रो-फाइलेरिया और पुराने फाइलेरिया के रोगियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

(ख) और (ग) फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1992-93 की वार्षिक योजना में अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है । पहली अप्रैल, 1992 से फाइलेरिया नियंत्रण कार्यकलाप राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में चलाए जाएंगे ।

अनुबंध

वर्ष 1991 के परजीवी विज्ञान सम्बन्धी राज्यवार आंकड़े

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जांच किए रोगियों की संख्या	माइक्रोफाइलेरिया के पाजीटिव रोगियों की संख्या	पाजीटिव रेमी
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	31515	1847	3953
2.	असम	529	6	2
3.	बिहार	32897	234	704
4.	गोवा	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है		
5.	गुजरात	14376	77	11
6.	कर्नाटक	11981	185	144
7.	केरल	17214	318	269
8.	मध्य प्रदेश	38089	134	187
9.	महाराष्ट्र	47904	14039	3126

1	2	3	4	5
10.	उड़ीसा	1392	40	181
11.	तमिलनाडु	143571	1188	604
12.	उत्तर प्रदेश	51817	1002	1884
13.	पश्चिम बंगाल	2740	179	464
14.	पांडिचेरी	7730	112	48
15.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	12579	42	36
16.	दमण और दीव	आंकड़े नहीं		
17.	लक्षद्वीप	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है		
	कुल योग	4,14,334	19404	11643

*सूचना अनन्तिम है और इसमें परिवर्तन हो सकता है।

12-3-92 तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर।

डा० पी० वल्लल पेरुमाल : जैसाकि माननीय मंत्री जी द्वारा पहले ही बयान दिया जा चुका है, लगभग 8 प्रतिशत जांच किए गए मामले या तो माइक्रोफिलारिया कैरियर्स के हैं या क्लीनिक माइक्रोफिलेरिया मामले हैं। इन आंकड़ों से हमारे देश की भयंकर स्थिति का पता चलता है। इसलिए, इसे रोकने के लिए एक अलग मिशन की जरूरत है। लेकिन माननीय मंत्री जी कहते हैं अपने वार्षिक बजट योजना 1992-93 में कि अलग से धन का आवंटन नहीं किया गया है, और फिलेरिया नियन्त्रण प्रोग्राम राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण प्रोग्राम के रूप में लिया जाएगा। क्या माननीय मन्त्री स्पष्ट करेंगे कि फिलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए वह अलग से धनराशि के आवंटन की जरूरत क्यों नहीं महसूस करते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एम० फोतेदार) : माननीय सदस्य का यह कहना सही है कि हमने इसे मलेरिया विरोधी कार्यक्रम के रूप में लिया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमने इसे छोड़ दिया है। लेकिन इसका राष्ट्रीय चरित्र इस हद तक कम है कि अलग से फिलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का ही हिस्सा होना चाहिए। मेरे विचार में इसे मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए या अलग से एक संगठन बनाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

डा० पी० वल्लल पेरुमाल : मुख्य उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, फिलेरिया मामले भारी स्तर पर हैं। मैं इसका कारण जानना चाहूंगा और यह भी कि क्या इन राज्यों में सरकार इस बीमारी के निवारण के लिए विशेष प्रावधान करेगी।

श्री एम० एम० फोतेदार : जहां तक तमिलनाडु का मामला है। यह बीमारी तो अब बहुत ही कम हो चुकी है। और यह सब राज्य सरकार के सौजन्य से हुआ है। वहां राज्य सरकार ने पहल की है

कुछ रोकथाम के उपाय किए गए हैं। उसी प्रकार, अन्य राज्य सरकारों को भी इसी प्रकार की पहल करनी चाहिए जिससे कि बीमारी को नियंत्रित किया जा सके। यह, कुछ हद तक, रोकी जा सकती है, क्योंकि लार्विसाईड एक ऐसा रसायन है, जिसे स्प्रे सही समय पर किया जाता है। लोगों को भी उचित कदम उठाने चाहिए, जिससे कि बीमारी फैल नहीं सके।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा और उनसे निवेदन भी करूंगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में आज भी फाइलेरिया इतना अधिक फैला है कि शायद ही कोई गांव उससे वंचित हो। यह रोग वहां बहुत पहले से विराजमान है और अभी उसके प्रकोप में कोई कमी नहीं है। कालाजार, मलेरिया और फाइलेरिया जैसी बीमारियों की जड़ उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में काफी गहरी जम चुकी हैं। आपने वायदा भी किया था कि मैं उस इलाके में चलूंगा और दौरा करूंगा परन्तु आप अपने वायदे पर कायम नहीं रहे। मैं माननीय मंत्री जी से, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, उस क्षेत्र में इस बीमारी के प्रकोप को देखते हुए, क्या आप अपनी तरफ से, सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अधिक सहायता देकर, उस इलाके को फाइलेरिया जैसे रोगों से मुक्त कराने की कोशिश करेंगे।

श्री एम० एल० फोतेदार : माननीय मैम्बर को मैं आश्वासन दे सकता हूं इस बात का कि जब भी आप चाहेंगे, मैं उस इलाके का दौरा करने के लिए हाजिर हूं।

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, मैं बहुत पहले से निवेदन करता आया हूं लेकिन आप वायदा करके भी, आज तक वहां नहीं गये हैं।

श्री एम० एल० फोतेदार : जहां तक फाइलेरिया कन्ट्रोल का सम्बन्ध है, इसके लिए टोटल कमिटमेंट आफ पोलिटिकल विल, स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत है। मैं समझता हूं कि वहां की सरकार इस तरफ बहुत अच्छा ध्यान दे रही है। क्योंकि यह एक सैन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम है, इसलिए इसके अन्तर्गत 50-50 परसेंट बेसिस पर, जिस किसी चीज की जरूरत है, वह हम फाइलेरिया कन्ट्रोल के लिए करेंगे। मैं आपको इस बात का आश्वासन देता हूं कि 50-50 परसेंट बेसिस पर; एज ए सैन्ट्रली स्पौंसर्ड स्कीम, हम इसे जारी रखेंगे।

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, यह सब के लिए है। वहां पूर्वी जिलों में यह बीमारी बहुत अधिक भयंकर रूप से फैली है। उसे रोकने के लिए आप किस प्रकार सहायता देंगे। क्या 50 परसेंट से अधिक सहायता अनुदान देने की कोशिश करेंगे, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० कृपासिंधु भोई : माननीय मंत्री महोदय के बयान मुताबिक यह कहा गया है कि फिलेरिया नियंत्रण गतिविधियां राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में। अप्रैल, 1992 से शुरू की जाएगी। मैं समझता हूं कि यह नौकरशाही वाला जवाब है। मुद्दा यह है कि आई सी० एम० आर० ने देश में उन लोगों का, जो फिलेरिया से ग्रस्त हैं व्यापक सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण के मुताबिक, 25% लोग फिलेरिया के शिकार हैं और इन 25% लोगों में से, 10 प्रतिशत तो फिलेरिया के वाहक हैं। इसलिए, 2.5 करोड़ लोग आज फिलेरिया के वाहक हैं। सत्य बहुत ही भयंकर है। फिलेरिया मामले बढ़ते जा रहे हैं। फिर मच्छर हमारे देश में फैले हुए हैं। ब्वीलस मच्छर और इडीस मच्छर केरल में पाए जाते हैं। अतः क्रोनिक फिलेरिया बीमारी बढ़ती जा रही है। किस आधार पर मंत्री महोदय यह कह रहे है

कि राष्ट्रीय फिलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के बगैर वह राष्ट्र में मलेरिया और फिलेरिया का निवारण करने जा रहे हैं। वर्ष 1992-93 के बजट प्रस्ताव में, धन कम किया गया। वह इस समस्या का निवारण किस तरह करने जा रहे हैं। इन मच्छरों में रसायनों की प्रतिरोधक शक्ति पैदा हो गई है। अतः केवल आम किस्म के मच्छरों के लिए रसायनों के स्प्रे की आवश्यकता है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मलेरिया और फिलेरिया के बीच काफी भिन्नता है। तर्क-शास्त्र दोनों के भिन्न-भिन्न हैं। उन्होंने कहा है कि 2.5 करोड़ लोग आज मलेरिया से ग्रस्त हैं। यद्यपि कुछ आंकड़े मेरे पास हैं—मैंने इन आंकड़ों का अध्ययन किया है और मैं साफतौर पर और विश्वसनीय ढंग से यह कहूंगा कि मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूं कि यह सर्वेक्षण किस तरह किया गया है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है कि वे पता लगाएं कि देश में इस बीमारी की क्या स्थिति है। तब तक मैं इस सदन को अपनी सूचना नहीं दे सकता जब तक कि मैं स्वयं संतुष्ट न हो जाऊं कि जो आंकड़े मुझे दिए गए हैं वे विभाग के मूल्यांकन के मुताबिक सौ प्रतिशत सही हैं।

डा० रामचन्द्र डोम : महोदय, मंत्री जी के बयान के मुताबिक, फिलेरिया बीमारी आज जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा बन गई है। और मलेरिया व हाथी पांव रोग भी अब तक खतरनाक बीमारी रहे हैं। इन बीमारियों के फैलने की गति बहुत ही स्थिर है। और यह अनुभव किया जा रहा है कि अधिसंख्यक प्रभावित लोग समाज के गरीब तबके से हैं। एक मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम है, जो राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम है और फिलेरिया उन्मूलन के लिए एक वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम है। सरकार डी० डी० टी० को मूल ड्रग के रूप में इस्तेमाल कर रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए। आपका प्रश्न क्या है ?

डा० रामचन्द्र डोम : वेक्टर को नियंत्रित करने के लिए मच्छरों ने डी०डी०टी० के प्रति प्रतिरोधी क्षमता विकसित कर ली है। इससे वातावरण की भी समस्या पैदा होती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न कीजिए। यह जानकारी पहले से ही हमारे पास है।

(व्यवधान)

डा० रामचन्द्र डोम : प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि की वजह से मन्त्री जी के लिए मेरा पूरा प्रश्न यह है कि क्या सरकार बेहतर नियन्त्रण कार्यक्रम को परिवर्तित करने जा रही है। मेरा सुझाव यह है कि डी० डी० टी० की बजाय मेलेथियन का इस्तेमाल किया जाए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अवसर दिया है लेकिन आप इसे उचित रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं।

डा० रामचन्द्र डोम : मेरा पूरक प्रश्न का (ख) भाग यह है कि क्या सरकार समाज के पिछड़े तबके के लोगों को मच्छरदानी किफायती दर पर उपलब्ध कराने के लिए तैयार है और क्या सरकार इस गम्भीर स्वास्थ्य समस्या को सुलझाने के लिए धन के आवंटन में वृद्धि करने का विचार कर रही है। इस मलेरिया-प्रतिरोधी और फिलेरिया प्रतिरोधी कार्यक्रम में लगभग दो करोड़ रुपए की कटौती की गई है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार का आवंटन में वृद्धि करके इस समस्या को सुलझाने जा रही है। यह मेरा पूरक प्रश्न है।

श्री एम० एल० फोतेदार : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यह घटाने और बढ़ाने का प्रश्न नहीं है। हमने चालू वर्ष में 5 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए की

है। जहां तक फिलेरिया कार्यक्रम का प्रश्न है, इसके लिए, लोगों को पहल भी करनी होगी। यहां गरीब और अमीर का प्रश्न नहीं है। प्रश्न उन लोगों का है, जो उस वातावरण में रह रहे हैं। इसलिए वे पर्याप्त सावधानी बरतें कि यह मच्छर उन्हें काटे नहीं। कदाचित्, माननीय सदस्य स्वयं एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक हैं और वह जानते हैं कि यह मच्छर रात के समय काटता है और डाक्टरी जांच के उद्देश्य से रक्त रात्री के दौरान ही लेना होता है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि उन्हें राज्य सरकार से कहना चाहिए कि वह गरीब तथा जरूरतमन्द लोगों को मच्छरदानी प्रदान करे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, जो सरकार मच्छर तक नहीं मार सकती वह क्या कर सकती है

[अनुवाद]

श्री एम० एल० फोतेदार : आप माननीय सदस्य से पूछिए।

कोयला खानों के आसपास प्रदूषण

*291. श्री हरिकेवल राय : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों की कोयला खानों में तथा उनके आस-पास फैलने तथा पर्यावरण का विनाश होने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार को कोल इंडिया लिमिटेड की कोयला खानों में रेत की अपर्याप्त भराई, खनिज क्षेत्रों का पुनरुद्धार न किए जाने तथा कोयला खानों के आस-पास उद्योगों द्वारा प्रदूषण फैलाए जाने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) स्वीकृत पर्यावरणीय प्रबन्ध योजना के अंतर्गत कोयले की खुदाई के पश्चात् गड्ढों की भराई तथा खनिज-क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कदम उठाए गए हैं। कोयला खानों के आस-पास उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण के नियंत्रण के लिए सरकार ने विभिन्न कदम भी उठाए हैं और इसके ब्यौरे सदन के पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

कोयला खानों के आसपास उद्योगों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम :—

(1) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत वाहिस्राव और उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए है;

(2) उद्योगों के स्थान-निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(3) बहिस्रावों और उत्सर्जनों को निर्धारित मानकों के भीतर रखने के लिए उद्योगों से राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डों की स्वीकृति सम्बन्धी अपेक्षाओं का पालन करने को कहा गया है;

(4) प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने तथा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं;

(5) परिवेशी वायु गुणवत्ता तथा परिवेशी जल गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों की एक नेटवर्क स्थापित किया गया है;

(6) साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए लघु औद्योगिक इकाइयों के समूहों को सहायता प्रदान करने के लिए एक स्कीम शुरू की गई है।

(7) कोई भी ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 को अथवा इससे पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसने, संबंधित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संतुष्टि से एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु वास्तविक कार्य प्रारम्भ कर दिये जाने का पर्याप्त प्रमाण दिया है, वह इन मानकों का 31 दिसम्बर, 1993 तक अनुपालन करेगा।

(8) कोई भी ऐसा उद्योग, संचालन अथवा प्रक्रिया, जिसने 16 मई, 1981 के पश्चात् किन्तु 31 दिसम्बर, 1991 से पूर्व उत्पादन प्रारम्भ किया है और जिसने सम्बन्धित राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की संतुष्टि से एक समयबद्ध कार्यक्रम के भीतर विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए सुविधाओं की स्थापना हेतु, वास्तविक कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने का पर्याप्त प्रमाण दिया है, इन मानकों का 31 दिसम्बर, 1992 तक अनुपालन करेगा।

श्री हाराधन राय : महोदय, अवैज्ञानिक तौर से खानों से कोयला निकालने, गैस और उसके आग लगने तथा जमीन धंसने की घटनाएं प्रतिदिन कोयला खानों में तथा उनके आसपास हो रही हैं, जिससे प्रदूषण पैदा होता है तथा पर्यावरण का भारी विनाश होता है। परिणामस्वरूप, दस कस्बों से अधिक तथा लगभग 10:1 मौजास को, जहां पर लगभग तीन लाख की जनसंख्या निवास करती है, इंसानों के रहने तथा सम्पत्तियों के लिए असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। और वहां के लोगों को उन क्षेत्रों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। इन दुःखी लोगों के जोर दिए जाने पर ऊर्जा मंत्रालय, कोयला विभाग ने रानीगंज कोयला क्षेत्रों में 25-3-88 को उन्नत पर्यावरणीय योजना हेतु एक संस्था का गठन किया था जिसके अध्यक्ष डा० एच० बी० घोष हैं। डा० घोष ने 5-11-88 को एक प्रतिवेदन दिया था। मेरा प्रश्न है कि क्या पर्यावरण और वन मन्त्रालय को ऐसी समिति और इसकी सिफारिशों के बारे में जानकारी है। यदि नहीं, तो क्या पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, कोयला मन्त्रालय के परामर्श से उन सिफारिशों को क्रियान्वित करेगा।

श्री कमल नाथ : महोदय, एक प्रतिवेदन है। इस क्षेत्र में प्रदूषण समाप्त करने हेतु एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था और इस हवा प्रदूषण समस्या—न केवल हवा प्रदूषण अपितु उस क्षेत्र से गुजरने वाली दामोदर नदी के प्रदूषण—को भी बहुत गम्भीर माना गया है। वह प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है तथा आवश्यक उपाय भी किए जा रहे हैं। कोयला विभाग के साथ परामर्श भी किया गया है। अब सभी कोयला खदान सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए पर्यावरण प्रबन्ध योजना बनाई जा रही है और

इस इलाके के सम्पूर्ण कोयला क्षेत्र में तथा इस क्षेत्र से बहने वाली दामोदर नदी के होने वाले गम्भीर विनाश को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

श्री हाराधन राय : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने स्पष्ट भूमिकाओं तथा उद्देश्यों, जैसे पश्चिम बंगाल सरकार की सहायता से योजना, क्रियान्वयन तथा संचालन हेतु धनराशि स्रोतों के साथ कार्यवाही/पुनः संचालन हेतु एक वैधानिक संस्था की स्थापना के लिए ज्ञापन दिया है।

तथा, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या पर्यावरण और वन विभाग को सी० एम० पी० डी० आई० एल० द्वारा रानीगंज कोयला क्षेत्रों के अस्थायी क्षेत्रों की प्रारम्भिक स्तर की कोई रिपोर्ट मिली है।

श्री कमल नाथ : महोदय, एक नोडल एजेंसी की स्थापना की गई है और यह नोडल एजेंसी डी० बी० सी० हैं, तथा उसे तदनुरूप कार्य करने के लिए बनाया गया है। इस क्षेत्र की समस्याओं की जांच करने के लिए यह एजेंसी पश्चिम बंगाल सरकार, बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार के सहयोग से कार्य करेगी।

सी० एम० पी० डी० आई० एल० की विशिष्ट रिपोर्ट के सम्बन्ध में, मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज सिंह राव भोंसले : अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में खासकर रामटेक क्षेत्र में उमरेड तथा कामफल कालरे में कुछ कोयले की ओपन माईन्स हैं। यहां पर सबसे ज्यादा तकलीफ ओपन माईन्स की होती है इसलिए उससे पौलूशन बढ़ता है। जिन खानों से धुंआ और धूल ऊपर जाती है वह सब खानें बिल्कुल गांवों के नजदीक लगकर हैं। पर्यावरण की गन्दगी को रोकने के लिए कोल इंडिया की तरफ से खुली माईन्स के अड़ोस-पडोस में चारों तरफ से घेरकर क्या सरकार कुछ जंगल लगाने का प्रोग्राम करने वाली है?

श्री कमल नाथ : हमने वैस्टर्न कोल फील्डस से बातचीत की है कि उस ऐरिया के रेसटोरेशन के लिए जो खदानें समाप्त हो चुकी हैं उस खदानों के लिए एक ऐसी योजना बनाएं ताकि रीजनरेशन आफ दैट ऐरिया हो सके। जहां तक ओपन कास्ट कोल माईन्स का प्रश्न है, यह सच है कि कोयले की धूल बहुत फैलती है। एनवायरनमैंट मैनेजमेंट प्लान, जो हर कोल माईन को सैंक्शन करने से पहले दिया जाता है तभी कोल माईन की योजना स्वीकार की जाती है। इसमें एक कंडीशन, शर्त रखी गई है कि खदान के चलाने के समय और खदान के समाप्त होने के बाद क्या-क्या कार्यवाही की जाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद 12 मध्यान्ह से 1 बजे के बीच नहीं बोलेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह बेहतर होगा कि उन्हें अभी बोलने की अनुमति दें, शून्यकाल में बोलने की नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य : कोल इण्डिया यहां पर दिए गए निर्देशों में से किसी का भी पालन नहीं कर रही है। मेरा माननीय मन्त्री से निवेदन है कि वह किसी एक कोयला खदान, ई० सी० एल० अथवा बी० सी० सी० एल०, का दौरा करें। यदि वे सुदाम्दी धोवनशाला का दौरा करेंगे तो वे यह स्वयं देख

सकते हैं कि धोवनशाला में से निकलने वाले बहिस्राव किस प्रकार दामोदर नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। दामोदर नदी, गंगा नदी से कम प्रदूषित नहीं है। मैंने पहले भी दामोदर नदी के प्रदूषण के बारे में एक प्रश्न पूछा था।

क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि यदि कोल इण्डिया पर्यावरण विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करता है, केन्द्रीय सरकार इस कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव अथवा विचार कर रही है। क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अब आप प्रश्न को प्रदूषित कर रहे हैं।

श्री वसुदेव आचार्य : क्या मैं जान सकता हूं कि पर्यावरण मन्त्रालय उन कोयला कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखता है, जो उसके निर्देशों का अनुसरण नहीं करती।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अराष्ट्रीयकरण के अतिरिक्त।

श्री कमल नाथ : दामोदर नदी में औद्योगिक बहिस्राव के अलावा प्रदूषण का अन्य बड़ा स्रोत कोयला धोवनशालायें हैं। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण किन्तु सत्य है कि दामोदर नदी का भाग देश में अन्य नदी भागों की अपेक्षा शायद सबसे अधिक प्रदूषित है। यह इतना अधिक है कि तेल तथा ग्रीज के अत्यधिक जमाव से—कोयला धोवनशालाओं से भी तेल निकलता है, इनमें से टुकड़े बहकर आते हैं; उन टुकड़ों में तेल पहले गारे के रूप में होता है—नदी एक जैविक मरुस्थल बनकर रह गयी है। सिंचाई के लिए इस नदी के जिस पानी का प्रयोग किया जाता है, इसका प्रभाव कृषि पर भी पड़ने लगा है। इसमें कोई शंका नहीं है; औद्योगिक बहिस्राव के अतिरिक्त कोयला धोवनशालाओं ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जब कोल इण्डिया, बी० सी० सी० एल० अथवा ई० सी० एल० द्वारा शर्तों के उल्लंघन का कोई विशेष मामला मेरे ध्यान में लाया जायेगा, तो मैं अवश्य कार्रवाई करूंगा।

किन्तु मैं सदस्य को यह अतिरिक्त सूचना भी देना चाहता हूं कि इस क्षेत्र को गंगा कार्यवाही योजना चरण II में शामिल कर लिया है एवं इस क्षेत्र विशेष में नदी क्षेत्र को पुनः सही करने हेतु बहिस्राव उपचार संयंत्र, सामान्य उपचार संयंत्र इत्यादि पर कार्य आरम्भ करने के लिए 35 करोड़ रुपयों के खर्च का प्रयोगात्मक प्रावधान किया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती रीता वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री आचार्य जी के वक्तव्य को और आगे बढ़ा कर यह कहना चाहूंगी कि माननीय मन्त्री महोदय ने तो अपने कार्यों की लम्बी लिस्ट दे दी है जिसको देखकर लगता है कि जितने भी कोल बैल्टस हैं, वहां वह स्वयं गये होंगे। यह सच्चाई है कि रानीगंज, धनबाद और आसनसोल कहीं भी दिन भर घूम कर आयें तो चेहरा और बदन काला हो जाता है···(व्यवधान)··· कहीं पर भी घूमकर आयें तो हाथ और मुंह काला हो जाता है। मैं मन्त्री जी से रिकवैस्ट करूंगी कि वह एक बार वहां घूमकर आयें···(व्यवधान)···इन्होंने कहा है कि एयर पौल्यूशन के लिए यह काम किया गया, वाटर पौल्यूशन कंट्रोल के लिये यह काम किया गया। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहती हूं कि काम हो रहा है या हो रहा है ? क्या इसका रिव्यू करने के लिए कोई मशीनरी है जोकि पार्टिकुलर टाइम पर रिव्यू करती है ? यदि ऐसी मशीनरी है तो क्या उससे रिव्यू करके अपनी रिपोर्ट दी है ? क्योंकि मंत्री महोदय कहते हैं कि यदि ऐसी कोई चीज मेरे ध्यान में लायी जाये···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : इतने अच्छे वक्तव्य को आप बिगाड़िये मत । आगे जाने से वह बिगड़ जाता है। आप बैठ जाइये।

श्रीमती रीता बहुगुणा : इनके ध्यान में लाया जायेगा तभी वह ऐक्शन लेंगे···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रदूषित करना नहीं डायलूट करना कह रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई मशीनरी है ? क्या कोई रिपोर्ट है ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमल नाथ : अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई मशीनरी या ऐसी कोई एजेंसी नहीं है ।··· (व्यवधान)···मैं आपको हकीकत बता रहा हूं । आपका कोई सुझाव है, इनका कोई सुझाव है, तो मैं सुनने के लिए तैयार हूं । आज के दिन···(व्यवधान)···आप अगर सुनेंगे, तभी तो बताऊंगा । ऐसी कोई खास एजेंसी इस इलाके के लिए नहीं है । समय-समय पर जब जानकारी मिलती है, तो इलाके की जांच होती है । जानकारी मंगाई जाती है और अगर कोई खास प्रदूषण है, जैसा मैंने भी कहा और माननीय सदस्या ने भी कहा है, उसके बारे में जानकारी देना चाहें, तो हमारे सब जगहों पर रीजनल आफिसेज हैं । सब जगहों से रिपोर्ट मंगा कर समय-समय पर रीजनल आफिसेज से जानकारी लेते रहते हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ी

*292. कुमारी उमा भारती : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उचित प्रशिक्षण देने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को खोजने हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) और (ख) खेल प्रतिभा का पता लगाने और उपयुक्त प्रशिक्षण की निम्न योजनाएं हैं जिनके अन्तर्गत अत्यधिक प्रतिभा ग्रामीण क्षेत्रों से आती हैं :—

(1) राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना;

(2) विशेष क्षेत्र खेल योजना; और

(3) खेल परियोजना विकास क्षेत्र योजना ।

ग्रामीण स्कूलों को खेल मैदानों का विकास करने तथा गैर-उपभोज्य खेल उपस्करों को खरीद के

लिए भी बराबरी के अंशदान के लिए बाध्य किए बिना 1.00 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे यहां खेलों में अत्यधिक राजनीति आने के कारण, हमारे देश में भरपूर खेल-प्रतिभायें होने के बावजूद भी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हम खेलों के मामले में बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण यह है कि गांवों में जो खेल प्रतिभायें हैं, उनको उचित रूप से प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं, आपने खेल प्रतिभाओं को जानने के तीन माध्यम बताए हैं, तो ये माध्यम तो उन बच्चों के लिये हैं, जो बच्चे गांवों में और यहां स्कूलों में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जो बच्चे भैंस चराने के लिए जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, वे घुड़सवारी में निपुण है, तैराकी में निपुड हैं, तीर-अन्दाजी में निपुण हैं और कबड्डी में निपुण हैं, ऐसे बच्चे जो स्कूलों में नहीं जाते हैं, लेकिन खेल प्रतिभाओं में आगे कहे जा सकते हैं और देश का नाम बहुत ऊंचा कर सकते हैं, ऐसे बच्चों को खोजने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या सरकार के पास कोई एजेंसी है? दूसरा सवाल यह है, ऐसे खेल प्रतिभाओं को पोषक आहार मिले, इसके लिए क्या उनको मासिकवृत्ति विशेषरूप से दी जाएगी?

कुमारी ममता बनर्जी : अध्य महोदय, यह तो सच तो है कि हमारा कन्ट्री का स्पोर्ट परफार्मेंस बहुत ही खराब है। इसके लिए···(व्यवधान)···सच-सच बताना ठीक है। इसमें एक आदमी की गलती नहीं है, लेकिन हमारे कन्ट्री के स्पोर्ट को बहुत ही नेगलैक्ट किया गया। आजादी के बाद से भी नगलैक्टेड है। आज जो···(व्यवधान)···आप सुनिए, आपने बोलने का मौका दिया है। ···(व्यवधान)···बहुत थोड़ा कन्ट्री है, जो स्पोर्ट में आगे हैं, और अच्छा खेलते हैं। जैसे चाइना है, जापान है, कोरिया है, ताईवान है, लेकिन हमारे कन्ट्री में जो केवल खेलकूद करते हैं, उनको देने से कुछ नहीं होता है। हम लोग अभी से कोशिश कर रहे हैं, अगर अभी से कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन स्पोर्ट के लिए ज्यादा प्रायोरिटी देना आज सबसे बड़ा काम है। हमारा स्पोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है और यह एरिया नैगलैक्ट नहीं होना चाहिए। इसीलिए···(व्यवधान)···अरे, बाबा क्या करने जा रहा है, सुनिये न।···(व्यवधान)···उमा जी ने जो प्रश्न पूछा है, उनकी जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि गांवों में खेल कूद को इंपारटेंस देने के लिए हमारा डिपार्टमेंट क्या काम कर रहा है। 78 स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरिया सेंटर बनाना चाहते हैं और 100 कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ब्लाक बनाये जा रहे हैं। जो गरीब बच्चे हैं, जिनको खाने को नहीं मिलता है, एजूकेशन नहीं मिलती है, लेकिन प्रतिभा है, तो उनकी तरफ विशेष ध्यान दिया जाएगा। (व्यवधान)

यह कोई पालीटिक्स नहीं है, स्पोर्टस की बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह स्पोर्ट्स की बात है, कोई पालीटिक्स नहीं है।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एरिया सेंटर में स्पोर्टस टेलेंट को ट्रेनिंग देने के लिए, एजुकेशन देने के लिये और उनको प्रोत्साहन देने के लिये सरकार रुपया खर्च करने के लिए तैयार है और स्पोर्टस अथारिटी आफ इंडिया यह सब आर्गनाइज करने का काम करती है।

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरे सवाल का पहला भाग यह है, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदया का धन्यवाद देना चाहती हूं, हम विशेषरूप से उनका आदर करते हैं और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिये उनके मन में जो व्याकुलता है, वह स्पष्ट हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से एक छोटा सी आधे सेकण्ड में एक बात और कहना चाहती हूं कि जब भी दो महिलाओं के बीच सवाल जवाब होता है तो सदन में जो व्यवहार होता है, उससे दीमागी बीमारी के लक्षण कई लोगों में दिखाई देते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है, इसी तरह से गिरिजा जी से जब सवाल हो रहा था, तब भी यही बात थी, इसलिये मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि आप सदन में यह निर्देश दें कि जिन भाइयों को इस प्रकार की बीमारी है, उसको ठीक कर लें और 24 घण्टे दिमाग में आदमी औरत वाली भावना न रखा करें। (व्यवधान)

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग बीच में आना चाहते हैं, इसलिये आपके प्रश्न का उत्तर हमारी बहन ही दे रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा प्रश्न, अच्छा जवाब। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं।

[हिन्दी]

कुमारी उमा भारती : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा प्रश्न यह कि कुछ ग्रामीण खेल ऐसे हैं जो शताब्दियों से अभी तक खेले जा रहे हैं, लेकिन अंग्रेजियत की नकल में पड़ जाने के कारण उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जा सका है। जैसे कबड्डी है, खो-खो है, और भी कई आदिवासी खेल हैं, मैं सब का नाम नहीं गिनाना चाहती, इन खेलों को प्रोत्साहन देने के लिये, राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिये क्या कोई योजना बनाई गई है?

कुमारी ममता बनर्जी : ग्रामीण खेलों को जो रिकगनाइज्ड हैं और अन्य खेलों में इंप्रूवमेंट होना चाहिये तो हमको काफी खेलों को आइडिएंटीफाई करना पड़ेगा। हमें खेल की तरफ तो ध्यान नहीं दिया जा सकता, लेकिन जैसे कबड्डी है, खो-खो है, इन खेलों को रिकगनाइज करते हैं, लेकिन जब बाहर कम्पीटीशन होता है तो बाहर के देश जो खेलते हैं, उसी हिसाब से हमको ध्यान देना होता है।

ग्रामीण खेलों की ओर ध्यान देने के लिये पहले एक साल में एन० एस० टी० सी० एस० के तहत वर्ष में एक बार डिस्ट्रिक्ट, स्टेट लेवल पर चैम्पियनशिप होती थी, लेकिन अब गांवों में जो नोडल क्लब हैं, नोडल यूथ क्लबों के माध्यम से राउंड दी इयर कम्पीटीशन होंगे और इस तरह से बहुत सारे टेलेंट्स को आगे लाया जा सकेगा।

श्री बीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, उमा जी के सवाल का उत्तर माननीय मन्त्री महोदया ने दिया, लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे सवाल का उत्तर कुंवर साहब दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, खेल प्रतिभाओं का पता लगाने और उनको उपयुक्त प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रतिभा प्रतियोगिता योजना और विशेष क्षेत्र खेल योजना आदि के बारे में बताया, मैं जानना चाहता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के स्वाभाविक और परम्परागत खेल हैं, उनकी तरफ ध्यान देने की क्या योजना है। जैसे तीरंदाजी आदिवासियों का परम्परागत और स्वाभाविक खेल है, तैराकी मल्लाहों का स्वाभाविक और परम्परागत खेल है' घुड़सवारी किसान का जो घोड़े पर चढ़ कर

खेलों का काम देखता है, उसका स्वाभाविक और परम्परागत खेल है, निशानेबाजी भी कुछ विशेष जातियों का स्वाभाविक और परम्परागत खेल है ।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन विशेष जातियों के लिये विशेष सुविधा देकर, विशेष प्रशिक्षण केन्द्र देने की योजना क्या सरकार की है ? अगर इस तरह की योजना नहीं है तो जो व्यवस्था सरकार की खेल के सम्बन्ध में चल रही है, खेल से जिनका दूर का भी सम्बन्ध नहीं है, वे खेल के व्यवस्थापक बने हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के बारे में इन खेल व्यवस्थापकों की क्या भूमिका होती है ?

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, बैकवर्ड एरिया के लिए पंचवर्षीय योजना में स्पेशल एरिया स्कीम भी हमारे पास है, और स्कीमें भी बनाने जा रहे है, जैसे तीरन्दाजी के लिये तथा गांव की अच्छी प्रतिभाओं को उत्पादित करने के लिये योजना हम लोग बना रहे हैं ।

श्री रमेश चेन्नितला : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को प्रशिक्षण बहुत कम मिल रहे है । प्रशिक्षण का मौका देने के लिये गांवों में स्टेडियम बनाने की योजना के बारे में मन्त्री महोदया ने अभी बताया । मै पूछना चाहता हूं कि प्रदेशों से बहुत सारी एप्लीकेशन्ज यहां पैंडिंग हैं, उन एप्लीकेशन्ज पर जल्दी से जल्दी निर्णय करके स्टेडियम बनाने के लिए क्या मौका देंगे ?

कुमारी ममता बनर्जी : अध्यक्ष महोदय, जो भी प्रोजेक्ट हमारे डिपार्टमेंट में हैं, स्टेडियम के लिए 50 परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है । अगर कोई स्पीयर प्रोजैक्ट है तो हम उसे करते हैं ।

[अनुवाद]

श्री चेतन पी० एस० चौहान : महोदय, जब भी एशियाई खेल अथवा ओलम्पिक खेल होते हैं, हमारे परिणाम अच्छे नहीं आते । वापस आने पर हमारी कड़ी आलोचना होती है । अतः मैं केवल दो प्रश्न पूछना चाहता हूं । प्रथम, क्या सरकार खेलों को विद्यालय में अनिवार्य करने के बारे में सोच रही है ? दूसरे, क्या सरकार प्रतिभावान खिलाड़ियों को नौकरियों में कुछ आरक्षण देने पर विचार करेगी ?

श्री अर्जुन सिंह : मैं माननीय सदस्य का, जो स्वयं इस देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, इस देश में खेलों के सम्पूर्ण विकास की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए अनुग्रहीत हूं । महोदय, आपको याद होगा कि पिछले सत्र में मैंने आपसे सविनय निवेदन किया था कि यदि इस सम्माननीय संसद में खेलों पर चर्चा की जाए तो यह बहुत ठीक रहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने घोषणा की है कि दो विषयों, महिलाओं एवं खेल-कूद, पर चर्चा की जाएगी ।

श्री अर्जुन सिंह : महोदय, बहुत-बहुत शुक्रिया । मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि खेल-कूद के प्रश्न को मात्र एक ही दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता । जब भी कोई खेल समारोह होता है, चाहे वह राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हो, हमारा पूरा ध्यान इस ओर हो जाता है और उससे निकला परिणाम या तो विवाद अथवा कभी-कभी प्रशंसा का विषय भी बन जाता है । मेरे विचार में यह सही समय है जब यह देश एक निरन्तर चलने वाली नीति और एक कार्यवाई योजना अपनाए, जिससे इस देश में छिपी प्रतिभा को अपनी क्षमता को बनाने तथा दिखाने का तथा इस देश के लिए

सफलता प्राप्त करने के उचित अवसर मिलें, और जिसमें माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझावों को भी शामिल किया जाए।

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : मैं ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बच्चों की प्रतिभा पहचानने हेतु माननीय मंत्री का ध्यान 'छोटी उम्र में ही प्रशिक्षण देना शुरू करने' के नारे की ओर दिलाना चाहती हूं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहती हूं कि यह योजना किस सीमा तक सफल रही है; कितने बच्चों की प्रतिभा को पहचाना गया है तथा कितने बच्चों को वर्तमान में प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, हमने कई खेलों को मान्यता दी है। किन्तु हमने कुछ खेलों की ही पहचान की है जैसे एथेलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, हाकी, टेबल टेनिस···

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : महोदय, मेरा प्रश्न था कि 'छोटी उम्र में प्रशिक्षण देना शुरू करने के नारे के अधीन कितने बच्चों को चुना गया है।

कुमारी ममता बनर्जी : महोदय, चूंकि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है। आप एक अलग नोटिस दें।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखित में जवाब भेज सकती हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यदि माननीय सदस्य कहते हैं, तो मैं भेज दूंगी।

[हिन्दी]

श्री श्रवण कुमार पटेल : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय ममता जी को सर्वप्रथम बधाई देना चाहता हूं। उनकी तरफ से बहुत ही डायरेक्ट उत्तर आया है, राजनीति से प्रेरित नहीं आया। जैसा कि श्री चौहान साहब ने अपने प्रश्न में पूछा था कि वब एशिया या ओलिम्पिक गेम्स होते हैं·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : टाईम बहुत कम है, आपको उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मैं, एक मिनट में पूछ रहा हूं। पिछले एशियाड और ओलिम्पिक में हमारा परफारमेंस बहुत दयनीय थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि स्पोर्टस के विशेषज्ञों का यह कहना था कि हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा डिसीप्लीन्स हैं और हम लोगों के पास फण्ड्स बहुत कम हैं। मैं आदरणीय ममता जी से यह जानना चाहता हूं कि कुछ सिलेक्टिव डिसीप्लीन में हम लोग स्पेशलाइजेशन करेंगे ताकि हमारे खेल का स्तर ऊपर हो सके।

कुमारी ममता बनर्जी : हम लोगों ने 15 डिसीप्लीन आइडेन्टीफाइ किए हैं और उसमें हम ध्यान दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

वन भूमि को वनेत्तर प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करना

*286. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद** :

श्री कोडाकनी गोडाना शिवप्पा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान कुल कितने वन भूमि क्षेत्र को वनेतर प्रयोजन के लिए इस्तेमाल किया गया;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने वन भूमि का वनेतर प्रयोजन के लिए इस्तेमाल करने की शक्ति राज्य सरकारों को दे देने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस शक्ति को राज्य सरकारों को देने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कलेन्डर वर्ष 1991 के दौरान, देश में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि का 625.21 हैक्टेयर वनेतर प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी उपकर

*289. **श्री शशि प्रकाश** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों से चीनी उपकर के रूप में कुल कितनी धनराशि राज्यवार वसूल की गई;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यों को चीनी विकास निधि से राज्यवार कुल कितनी धनराशि का ऋण दिया गया;

(ग) उत्तर प्रदेश के उन कारखानों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए वर्ष 1991-92 के दौरान चीनी विकास निधि के अन्तर्गत ऋण मंजूर किया गया था;

(घ) लम्बित पड़े ऋण आवेदन पत्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है और वे किन-किन कारणों से लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) इन्हें स्वीकृति देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) एक विवरण-I के रूप में संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों से एकत्रित की गई चीनी उपकर की राशि का ब्यौरा दिया गया है।

(ख) एक विवरण-2 के रूप में संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी प्रतिष्ठानों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से दिए गए ऋण का राज्यवार ब्यौरा दिया गया है।

(ग) एक विवरण 3 के रूप में संलग्न है जिसमें उत्तर प्रदेश के जिन चीनी प्रतिष्ठानों को वर्ष 1991-92 के दौरान 15-2-1992 तक आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए और गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए है, उनके नाम और उन्हें मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा दिया गया है।

(घ) और (ङ) 15-2-1992 को स्थिति के अनुसार आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना

विकास योजनाओं के लिये चीनी विकास निधि से ऋण प्राप्त करने के लिए 97 चीनी प्रतिष्ठानों से प्राप्त हुए आवेदन पत्र लम्बित थे। एक सूची विवरण 4 के रूप में संलग्न है जिसमें इन प्रतिष्ठानों के नाम दिये गये हैं। अपेक्षित सूचना/दस्तावेज प्राप्त न होने, अतीत में प्राप्त किए गये गन्ना ऋणों के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र/परिणाम रिपोर्ट आदि प्राप्त न होने के कारण इन आवेदन पत्रों पर कार्रवाई नहीं की जा सकी। चीनी प्रतिष्ठानों से निर्धारित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा गया है।

विवरण-I

1988-89, 1989-90 और 1999-91 के दौरान विभिन्न राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों से एकत्रित किए गये चीनी उपकर की राशि को बताने वाला विवरण

(हजार रुपये में)

राज्य	1988-89	1989-90	1990-91
गुजरात	8,60,40	9,47,96	8,83,54
उत्तर प्रदेश	38,06,57	36,83,17	39,73,28
महाराष्ट्र	40,87,25	42,32,07	51,97,18
कर्नाटक	11,48,26	10,90,66	10,31,51
पश्चिम बंगाल	2,77	2,24	2,13
उड़ीसा	38,02	14,34	5,07
चण्डीगढ़	3,00,49	3,62,38	4,25,96
केरल	15,37	20,92	11,40
तमिलनाडु	12,24,00	15,91,81	14,74,53
नई दिल्ली	3,78,38	4,65,20	3,95,28
गोआ	13,05	11,29	13,52
आंध्र प्रदेश	8,37,32	7,05,63	7,97,15
मध्य प्रदेश	1,27,57	89,78	95,09
राजस्थान	9,21	17,94	22,45
बिहार	4,73,65	4,81,69	4,30,62
मेघालय	23,04	20,69	20,15
जोड़ :	1,35,51,35	1,37,37,77	1,47,78,85

विवरण-II

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन और गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से चीनी प्रतिष्ठानों को दिये गये ऋणों का राज्यवार ब्यौरा बताने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

राज्य का नाम	1988-89	1989-90	1990-91	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	267.71	759.87	633.98	1661.56
असम	29.89	20.79	26.99	77.67
बिहार	194.58	509.20	33.34	137.12
गुजरात	39.81	82.49	345.09	467.39
हरियाणा	378.55	526.49	104.51	1009.53
कर्नाटक	468.40	314.61	—	783.01
मध्य प्रदेश	—	94.22	310.74	404.96
महाराष्ट्र	1269.27	1908.94	3108.065	6286.275
उत्तर प्रदेश	2937.72	5876.19	3510.34	12324.25
तमिलनाडु	365.34	1362.83	1020.41	2748.58
पंजाब	531.73	800.57	524.27	1856.57
पांडिचेरी	—	—	49.13	40.13
जोड़	6484.00	12256.20	9657.865	28397.065

विवरण-III

उत्तर प्रदेश के उन चीनी प्रतिष्ठानों के नाम, जिन्हें वर्ष 1991-92 के दौरान 15-2-1992 तक चीनी विकास निधि ऋण मन्जूर किये गये हैं, और उन्हें मन्जूर की गई धनराशि

आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण

(लाख रुपयों में

1.	यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि० यूनिट सहारनपुर, जिला सहारनपुर	648.94
2.	यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेश लि०, यूनिट—रोहाना कलां, जिला मुजफ्फर नगर	663.28

3.	मै० सकरिया शुगर मिल्स लि०, जिला गोंडा	964.00
4.	मै० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, यूनिट—गजरौला	384.00
5.	मै० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, यूनिट—अनूपशहर	337.50
6.	मै० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, यूनिट—सिलहर, जिला शाहजहांपुर	400.80
7.	मै० किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, यूनिट—मोरना	392.80
8.	मै० अमर गणेज शुगर्स एण्ड इंडस्ट्रीज लि०, शिकोहाबाद	200.00
9.	मै० यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन, यूनिट—मोहिउद्दीनपुर जिला मेरठ गन्ना विकास के लिए ऋण	380.00
10.	मै० गंगेश्वर लि०, देवबन्द, सहारनपुर	159.75
11.	मै० अजुध्या शुगर मिल्स लि०, राजा का सहसपुर, जिला मुरादाबाद	54.58
	जोड़ :	4,585,65

विवरण-IV

आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिये और गन्ना विकास योजनाओं के लिये चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करने के लिये जिन चीनी प्रतिष्ठानों के आवेदन-पत्र 15 फरवरी, 1992 को स्थिति के अनुसार लम्बित थे, उनके नाम बताने वाला विवरण

क्रम सं०	चनी मिल का नाम
1	2
(क) गन्ना विकास	
बिहार	
1.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : बनमंखी पूर्णिया, बिहार
2.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : सुगौली, बिहार
3.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : मोतीपुर बिहार

1	2
4.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : गोरौल, बिहार
5.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : लोरिया, बिहार
6.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : न्यू सबान, बिहार
7.	मैसर्स बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : बरसालीगंज, बिहार
8.	मैसर्स कानपुर शुगर वर्क्स लि०, मढौरा, जिला सारन, बिहार
9.	मैसर्स हरिनगर शुगर मिल्स लि०, हरिनगर, जिला चम्पारन, बिहार
	हरियाणा
10.	मैसर्स सोनीपत को-आपरेटिव, शुगर मिल्स लि०, सोनीपत, हरियाणा
11.	मैसर्स पानीपत को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, पानीपत, हरियाणा
12.	मैसर्स दि करनाल को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, करनाल, हरियाणा
13.	मैसर्स महम को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, महम, हरियाणा
	कर्नाटक
14.	मैसर्स सिरगुप्पा शुगर्स एन्ड केमिकल लि०, देसानुर, बेल्लारी, कर्नाटक
15	मैसर्स सिरगुप्पा शुगर एण्ड केमिकल लि०, गौराबिदानुर, जिला कोलार, कर्नाटक
16.	मैसर्स रामबाग सहकारी शक्कर कारखाना निर्बमित रामबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक
	गोवा
17.	मैसर्स संजीवनी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, दयानन्द नगर, पोस्ट टिस्का, गोवा ।
	तमिलनाडु
18.	मैसर्स दि चेय्यार को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, अनक्काबूर-चेनथंडलम, तालुक चेय्यार, जिला चिरु वेन्नामलाई-शम्भुवरायार, तमिलनाडु
19.	मैसर्स राजश्री शुगर एण्ड केमिकल लि०, वरदराजनगर, पी० ओ० वैगई डैम, जिला मदुरै, तमिलनाडु
	गुजरात
20.	मैसर्स श्री तलाला सहकारी खांड उद्योग मंडली लि०, (गिर) तलाला, जिला जूनागढ़, गुजरात
	आंध्र प्रदेश
21.	मैसर्स निजामाबाद को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्री लि०, मारंगपुर, निजामाबाद मण्डल, जिला निजामाबाद, आंध्र प्रदेश

1	2
	उड़ीसा
22.	मैसर्स दि को-आपरेटिव शुगर इण्डस्ट्रीज लि०, पनीपोला, पी० ओ० बालूगांव, जिला पुरी, उड़ीसा
	पंजाब
23.	मैसर्स दि फरीदकोट को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, फरीदकोट, पंजाब
24.	मैसर्स दि जगरायां को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, लुधियाना, पंजाब
25.	मैसर्स बुधलाडा को-आपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बुधलाडा, भटिंडा, पंजाब
26.	मैसर्स ओसवाल शुगर लि०, जी० टी० रोड, मुकेरियां, जिला होशियारपुर, पंजाब
	उत्तर प्रदेश
27.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, जहांगीरपुर, जिला बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश
28.	मैसर्स यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट: बेतालपुर, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश
29.	मैसर्स यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : देवरिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश
30.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, सठियान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश
31.	मैसर्स भुरियापार किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, गाजीपुर, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
32	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश
33.	मैसर्स दि सरजू सहकारी चीनी मिल लि०, बिलरायां, खीरी, उत्तर प्रदेश
34.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सितारगंज, जिला नैनीताल उत्तर प्रदेश
35.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० गदरपुर, जिला नैनीताल, उत्तर प्रदेश
36.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सम्पूर्णानगर, खीरी, उत्तर प्रदेश
37.	मैसर्स दि सहकारी चीनी मिल्स लि०, नानपाड़ा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश
38.	मैसर्स दि सहकारी चीनी मिल्स लि०, मोरना, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
39.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, रमाला, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश
40.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि० ननौता, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
41.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सरसावा, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

1	2
42.	दि यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : शाहगंज, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश
43.	मैसर्स यू० पी० स्टेट शुगर कारपोरेशन लि०, यूनिट : नवाबगंज, जिला गोण्डा, उत्तर प्रदेश
44.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, घोसी, मऊ, उत्तर प्रदेश
45.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, तिलहर, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश
46.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि०, गजरौला, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश
47.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, साठा, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
48.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, शेखूपुर, बदायूं, उत्तर प्रदेश
49.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०,रसरा, बलिया, उत्तर प्रदेश
50.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, कायमगंज फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश
51.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश
52	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, बिलासपुर, रामपुर, उत्तर प्रदेश
53.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, पोयान, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश
54.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, मझोला, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश
55.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, महमूदाबाद, सीतापुर उत्तर प्रदेश
56.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, नादेही, नैनीताल, उत्तर प्रदेश
57.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, बाजपुर, नैनीताल, उत्तर प्रदेश
58.	मैसर्स बिसालपुर किसान सहकारी चीनी मिल लि० बिसालपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश
59	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश
60.	मैसर्स दि किसान सहकारी चीनी मिल लि०, सेमीखेदा, बरेली, उत्तर प्रदेश
61.	मैसर्स दि काशी सहकारी चीनी मिल लि०, औराई, वाराणसी, उत्तर प्रदेश
62.	मैसर्स कानपुर शुगर वर्क्स लि०, गौरा बाजार, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश
63.	मैसर्स दि बस्ती शुगर मिल को-आपरेटिव लि०, पी० ओ० शुगर फैक्ट्री, बस्ती, उत्तर प्रदेश
	महाराष्ट्र
64.	श्री पंचगंगा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गंगानगर, इचालकरंजी, जिला कोल्हापुर
65.	दि कोपरगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गौतमनगर, पी० ओ० कोलपीवाडी, तालुक कोपरगांव, जिला अहमदनगर

1	2
66.	संगमनेरभाग सरकारी शक्कर कारखाना लि०, अमरूतनगर, पी० ओ० संगमनेर, जिला अहमदनगर
67.	शिरपुर शेतकारी सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शिवाजीनगर (दहीवाड़) जिला धुले
68.	कर्मवीर काकासाहेब वाघ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पी० ओ० काकासाहेबनगर जिला नासिक
69.	वसंत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कसोडा, तालुक ईरानडोल, जिला जलगांव
70.	अशोक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अशोकनगर, पी० ओ० करेगांव फैक्ट्री, तालुक श्रीरामपुर, जिला अहमदनगर
71.	श्री वारना सहकारी शक्कर कारखाना लि०, वारना नगर, तालुक पनहाला, जिला कोल्हापुर
72.	राजगढ़ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, निगाड़े, ताशुक भोर, जिला पुणे
73.	शंकर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कुसुमनगर, वाघालवाडा, पी० ओ० गोलेगांव, तालुक भोकर, जिला नानदेड
74.	कृष्णा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पी० ओ० शिवनगर, जिला सतारा
75.	श्री कोन्डेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, बनारा, जिला अमरावती
76.	पारनेर सहकारी शक्कर कारखाना लि० तालुक पारनेर, जिला अहमदनगर
77.	नासिक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पालसे, जिला नासिक
78.	गंगापुर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, रघुनाथनगर, जिला औरंगाबाद
79.	श्रीराम सहकारी शक्कर कारखाना लि०, फाल्टन, जिला सतारा
80.	प्रवरा सहकारी शक्कर कारखाना लि०, प्रवरानगर, जिला अहमदनगर
81.	दि संजीवनी (तकली) सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पो० आ० शिगंगापुर, जिला अहमदनगर
82.	गांधीगलाज तालुक सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गांधींगलाज, जिला कोल्हापुर
83.	गोदावरी मनार सहकारी शक्कर कारखाना लि०, शंकरनगर, जिला नानदेड
84.	वसत सहकारी शक्कर कारखाना लि०, पुसाड, पी० ओ० पोफाली, जिला यवतमाल
85.	कन्नड सहकारी शक्कर कारखाना लि०, कन्नड, जिला औरंगाबाद
86.	दि मालेगांव सहकारी शक्कर कारखाना लि०, मालेगांव बी० के०, पो० आ० शिवनगर तालुक बारामती, जिला पुणे
87.	भोगावती सहकारी शक्कर कारखाना लि०, तुलसीदासनगर, तालुक बरसी, जिला शोलापुर
88.	कालाम्भर विभाग सहकारी शक्कर कारखाना लि०, गांधीनगर, जिला नानदेड

1	2
89.	श्री वृद्धेश्वर सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अदिनाथनगर, पी०ओ० वृद्धेश्वर फैक्ट्री, जिला अहमदनगर
90.	समरथ सहकारी शक्कर कारखाना लि०, अंकुशनगर, पी० ओ० वाडीगोदरी, तालुक अम्बाड, जिला जालना
91.	यशवन्त सहकारी शक्कर कारखाना लि०, जिला सांगली
92.	मुला एस० एस० के० सोमई, जिला अहमदनगर
93.	प्रवरा एस० एस० के० लिमिटेड, प्रवरानगर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र
	(ख) **आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन**
94.	मैसर्स किसान सहकारी चीनी मिल लिमिटेड, घोसी, उत्तर प्रदेश
95.	मैसर्स पांडवपुरा सहकारी शक्कर कारखाना, पांडवपुरा, कर्नाटक
96.	मैसर्स शारदा शुगर मिल्स, पलिया कलां, जिला खीरी, उत्तर प्रदेश
97.	मैसर्स आंध्र शुगर्स, टनुकु, आंध्र प्रदेश

[हिन्दी]

गरीब लोगों को चिकित्सा सुविधाएं

*293. **श्री राम कृष्ण कुसमरिया :**

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पताल गरीब लोगों को जीवनरक्षक औषधियां तथा अन्य दवायें मुफ्त देते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकारी अस्पतालों में गरीबों को अन्य कौनसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के जनरल वार्डों में अंतरग रोगियों को औषधें/दवाइयां, आहार और जांच सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं । इसके अतिरिक्त गरीब बहिरंग रोगियों को भी कुछ चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती है ।

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन से धन-राशि

*294. **श्री बलराज पासी :**

श्रीमती महेन्द्र कुमारी : क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार चीनी उद्योग का विकास करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन से धन-राशि प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह धन-राशि कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस धन-राशि का उपयोग किन-किन परियोजनाओं के लिए करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गंगोई) : (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन चीनी उद्योग के विकास के लिए धन-राशि सीधे उपलब्ध नहीं कराता है। "कामन फण्ड फार कमाडिटिज" के दूसरे खाते में धन-राशि उपलब्ध है, जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन से धन-राशि प्रदान करने के लिए प्रायोजित किए गये प्रस्तावों पर इस संबंध में बनाए गये नियमों और विनियमों के अनुसार विचार करता है।

(घ) राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, गन्ना प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर तथा भारतीय गन्ना अनुसंधान, लखनऊ से अनुरोध किया है कि वे धन-राशि प्राप्त करने के लिए अन्तराष्ट्रीय चीनी संगठन के माध्यम से "कामन फण्ड फार कमाडिटिज" को भेजने हेतु परियोजना तैयार करें।

[हिन्दी]

गाड़ियों को रद्द किया जाना

*295. श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री काशीराम राणा : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान रद्द की गई गाड़ियों की संख्या क्या है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन गाड़ियों को पुन: चालू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) से (घ) कुछ खण्डों पर सेवाओं के कम लोकप्रिय होने अथवा उन्हें युक्तियुक्त बनाने के लिए, पिछले 3 वर्षों के दौरान संबंधित खण्डों पर धीमी गति से चलने वाली 61 जोड़ी पैसेंजर गाड़ियां स्थाई रूप से सेवा से हटाई गई हैं। इन गाड़ियों को पुन: चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। दुर्घटना, दरार पड़ने, बन्द आदि के कारण, बहुत सी गाड़ियां रद्द की जाती हैं। लेकिन इन कारणों से गाड़ियां अस्थाई तौर पर रद्द की जाती हैं और स्थिति सामान्य हो जाने पर उन्हें पुन: चला दिया जाता है।

बहरहाल, जनवरी 1992 से 25 जोड़ी गाड़ियां अस्थाई रूप से रद्द की गई हैं ताकि व्यस्त मौसम के अतिरिक्त म ल यातायात की ढुलाई की जा सके। ये गाड़ियां अप्रैल 1992 में पुन. उत्तरोत्तर चलायी जायेंगी। पंजाब और असम में कानून और व्यवस्था की कठिन स्थिति के कारण, 23 जोड़ी अन्य गाड़ियां रद्द की गई हैं। इन गाड़ियों को पुन: तब चलाया जाएगा जब ऐसा करने के लिए राज्य सरकारों की स्वीकृति प्राप्त हो जायेगी।

[अनुवाद]

दक्षिण रेलवे के लिए माल डिब्बे

*296. श्री एच० वालर्स : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष रूप से दक्षिण रेलवे में माल डिब्बों की कमी है;

(ख) क्या माल डिब्बों की कमी के कारण केरल के लिए खाद्यान्न की ढुलाई पर दुष्प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री सी०के० जाफर शरीफ) : (क) व्यस्त अवधि के दौरान विशेषकर फुटकर लदान के लिए माल डिब्बों की अस्थायी कमी महसूस की जाती है।

(ख) जी नहीं। केरल के लिए खाद्यान की ढुलाई पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से की जाती है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जरूरतों की पूर्ति के लिए इनकी ढुलाई कार्यक्रम के अनुसार होती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल इंजनों का आयात

297. **श्री अमल दत्त :**

प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कई वर्षों पहले विद्युत चालित रेल इंजनों का आयात किया था;

(ख) यदि हां, तो ये कितने-कितने, किस-किस प्रकार के, किस-किस मूल्य पर किस-किस देश से मंगाये गये;

(ग) यदि नहीं, तो क्या विद्युत चालित रेल इंजनों का आयात करने संबंधी प्रस्ताव पर निर्णय लेने में काफी विलम्ब हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके परिणामस्वरूप कितनी वित्तीय हानि हुई हैं;

(ङ) विद्युत चालित रेल इंजनों को खरीदने के उद्देश्य क्या हैं और इन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(च) क्या इस संबंध में हाल ही में कोई नये अनुबन्ध किए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी-कितनी धनराशि किस-किस स्रोत से आवंटित की गई है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) 1988 में 18 रेल इंजन प्राप्त किए गए थे।

ए एस ई ए/स्वीडन से 6000 अश्व शक्ति वाले 25 के० वी० ए० सी० बो-बो-बो किस्म के 6 अदद थाइरिस्टर रेल इंजन (पुर्जों सहित) जिनका पोतपर्यन्त निःशुल्क कुल मूल्य 109,935,979 स्वीडिश क्रोनर था।

सुमितोमो/जापान से 12 अदद 6000 अश्व शक्ति वाले 25 के० बी० एस० सी०, जिसमें 6 अदद बो-बो-बो किस्म के और 6 अदद को-को किस्म के थाइरिस्टर रेल इंजन (पुर्जों सहित) शामिल थे। इनका पोतपर्यन्त निःशुल्क कुल मूल्य 5,278,370,600 येन था।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) तत्समय नवीनतम थाइरिस्टर प्रौद्योगिकी से युक्त उच्च अश्व-शक्ति वाले इन विद्युत रेल इंजनों, जिनमें उच्चतर रफ्तार क्षमता विद्यमान थी, का आयात भारतीय रेलों पर सेवा की वास्तविक स्थिति में कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने और तत्पश्चात स्वीकार्य अभिकल्प के उच्च अश्व-शक्ति वाले रेल इंजनों का भारत में शृंखलाबद्ध निर्माण शुरू करने के बारे में विचार करने के उद्देश्य से किया गया था। इन रेल इंजनों के कार्य-निष्पादन, जिसमें विभिन्न प्रारूप शामिल हैं, का मूल्यांकन करने के लिए इनका व्यापक सेवा परीक्षण किया जा रहा है।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

रुग्ण चीनी कारखाने

*298. श्री अम्बा जोशी :

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने चीनी के कारखाने हैं;

(ख) इनमें से कितने कारखाने रुग्ण हैं;

(ग) इसके परिणामस्वरूप हुई कुल राजस्व-हानि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन रुग्ण चीनी कारखानों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीतरुण गगोई) : (क) 15-2-92 को देश में 405 संस्थापित चीनी फैक्ट्रियां थीं।

(ख) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष अनुबन्ध) अधिनियम, 1985 के तहत जो कंपनियां रुग्ण हो जाती हैं उनके मामलों को इंडस्ट्रियल एण्ड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड (बी० आई० एफ० आर०) को भेज दिया जाता है। बी० आई० एफ० आर० ने सूचित किया है कि 1987 से अब तक चीनी फैक्ट्रियों से संबंधित 12 मामले प्राप्त हुए हैं जिन पर उक्त अधिनियम के उपबन्धों के तहत उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है। सहकारी व सार्वजनिक क्षेत्र की रुग्ण चीनी फैक्ट्रियों से सम्बन्धित सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) केन्द्र सरकार को सीधे राजस्व की कोई हानि नहीं होती है क्योंकि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित सारी चीनी पर उत्पाद शुल्क/उपकर लगाया जाता है तथा वसूल किया जाता है।

(घ) दिनांक 8-11-91 के प्रेस नोट के तहत घोषित लाइसेंस नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 2500 टी० सी० डी० से कम क्षमता की चीनी फैक्ट्रियां, यदि अपनी क्षमता में उक्त न्यूनतम आर्थिक क्षमता तक विस्तार करती हैं तो उन्हें लाइसेंस देने में वरीयता दी जाएगी।

इसके अतिरिक्त बी० आई० एफ० आर० के पास लम्बित 12 चीनी मिलों के मामलों में से 3 चीनी मिलों की पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण के लिए तथा 4 मिलों को गन्ना विकास योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर किए गए हैं। ऋण के लिए 3 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक से सहायता

*299. श्री हरीश नारायण प्रभु झाड्ये : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान विश्व बैंक ने तकनीकी शिक्षा के लिए कितनी सहायता राशि प्रदान की है;

(ख) इस राशि में से कितनी राशि अब तक खर्च की गई है; और

(ग) शेष राशि को उपयोग में न लाये जाने के क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विश्व बैंक 16 राज्यों और एक संघ-शासित प्रदेश में अ० भा० त० शि० प० द्वारा मान्यताप्राप्त पालिटेक्निकों सहित तकनीकी शिक्षा के आधुनिकीकरण और स्तरोन्नयन हेतु दो परियोजनाओं के तहत 1990-1999 की अवधि के दौरान 373.3 मिलियन विशेष आदान अधिकार (एस० डी० आर०) की ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है।

(ख) फरवरी, 1992 तक उपर्युक्त ऋण सहायता में से 6.08 मिलियन एस० डी० आर० का उपयोग किया जा चुका है।

(ग) प्रथम परियोजना 5-12-1990 से और दूसरी परियोजना 29-1-1992 से लागू हुई है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए व्यापक तैयारी के उपरांत राज्यों ने व्यय करना और ऋण में से प्रति-पूर्ति के लिए दावा करना शुरू किया है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा पूंजी निवेश

*300. श्री पी० जी० नारायणन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में रेल परिवहन संबंधी मूलभूत सुविधाओं के विकास विशेषरूप से कोंकण रेल परियोजना के लिए खाड़ी देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों से निजी पूंजी निवेश आमंत्रित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) सऊदी अरब, दुबई और शारजाह में रह रहे अप्रवासी भारतीयों के प्रतिनिधि दलों के साथ हाल ही में बैठकें की गई थीं। अप्रवासी भारतीयों का प्रत्युत्तर उत्साहवर्धक था।

[हिन्दी]

लम्बी दूरी की गाड़ियों में भोजन यान की व्यवस्था

*301. श्री मानकूराम सोडी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानदी और अमर कटक एक्सप्रेस रेल गाड़ियों में प्रदान की गई खान-पान सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) क्या बेहतर खान-पान सुविधाएं कराने हेतु महानदी तथा अमरकंटक एक्सप्रेस रेलगाड़ियों सहित सभी लम्बी दूरी की गाड़ियों में भोजन यान प्रदान करने के लिए कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : (क) इन गाड़ियों के यात्रियों के लिए खान-पान की सुविधाएं पर्याप्त समझी जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) पेंट्री कार सेवा की व्यवस्था ऐसी कुछ चुनिंदा गाड़ियों में ही की जाती है जहां ऐसा करना औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक समझा जाता है।

[अनुवाद]

किलों का परिरक्षण

*302. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पूर्ण परिरक्षण के लिए कौन-कौन से किलों का चयन किया गया है;

(ख) ऐतिहासिक किलों के नवीकरण के लिए क्या उपाय किए गए हैं/करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार नवीकरण कार्य के लिए प्राईवेट कम्पनियों को आमंत्रित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय संरक्षित उन किलों की राज्य-वार सूची सभा-पटल पर रखी है, जिन्हें 1991-92 के दौरान विशेष संरक्षण-कार्य के लिए समझा गया है।

(ख) संरक्षित किलों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

1. संरचनात्मक संरक्षण

2. रासायनिक परिरक्षण और

3. पर्यावरण-सम्बन्धी विकास।

(ग) और (घ) केन्द्रीय संरक्षित किलों के संरक्षण का कार्य साधारणतया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है। तथापि, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ऐसे कार्यों को प्राइवेट एजेंसियों को सौंपने के बारे में विचार कर सकता है, यदि ऐसे प्रस्ताव इन एजेंसियों से उसे प्राप्त होते हैं और इनके पास अपेक्षित विशेषज्ञता प्राप्त व्यक्ति हों।

विवरण

केन्द्रीय संरक्षित किलों की राज्य-वार सूची

आंध्र प्रदेश

1. हैदराबाद स्थित गोलकुंडा किला
2. वारंगल स्थित वारंगल किला
3. उदयगिरि स्थित किला
4. गंडीकोटा स्थित किला
5. चन्द्रगिरि स्थित किला

असम राज्य

1. दीमापुर स्थित किला

बिहार राज्य

1. पुराना किला जौनपुर
2. रोहतास किला

दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)

1. तुगलकाबाद किला
2. आदिलाबाद किला
3. कोटला फिरोजशाह
4. लाल किला
5. पुराना किला

गोवा राज्य

1. अगौडा का किला

गुजरात राज्य

1. चम्पानेर स्थित किला
2. दीव स्थित किला
3. दमन स्थित किला

हिमाचल प्रदेश

1. कांगड़ा किला कांगड़ा

जम्मू और कश्मीर राज्य

1. रामनगर स्थित किला

केरल राज्य

1. अंजेंगो स्थित किला

मध्य प्रदेश

1. ग्वालियर स्थित ग्वालियर किला
2. होशंगाबाद स्थित पुराना मुगल किला

महाराष्ट्र राज्य

1. औरंगाबाद स्थित दौलताबाद किला
2. अमरावती स्थित गाविलगढ़ किला
3. कोल्हापुर स्थित पन्हाला किला
4. जुनार स्थित शिविनेरी किला
5. ठाणे स्थित बस्सेइन किला
6. वन्दक स्थित किला
7. पौनी द्वार और किले की दीवार पावनी
8. रायगढ़ किला, रायगढ़
9. जंजारा किला, रायगढ़
10. सिन्धुदुर्ग किला, मालवान

कर्नाटक राज्य

1. देवनहल्ली स्थित किला
2. चित्रदुर्गा स्थित किला
3. बदामी स्थित किला
4. बीदर स्थित किला
5. गुलबर्गा स्थित किला

पंजाब राज्य

1. भटिण्डा स्थित भटिण्डा किला

राजस्थान राज्य

1. चितौड़गढ़ स्थित किला
2. जैसलमेर स्थित किला और प्राचीन मन्दिर
3. सवाई माधोपुर स्थित रणथम्भौर
4. भरतपुर स्थित प्राचीन किला और स्मारक
5. उदयपुर स्थित कुम्भलगढ़ का किला

तमिलनाडु

1. मद्रास स्थित सेंट जार्ज किला

2. जिंजी स्थित राजगिरि और कृष्णगिरि किला

3. वेल्लोर स्थित किला

उत्तर प्रदेश

1. आगरा स्थित आगरा किला

2. झांसी स्थित झांसी किला

3. तलबेहेट स्थित किले की दीवार और द्वार

4. बांदा स्थित कलिंगर किला

गंगोत्री क्षेत्र में पारिस्थितिक असंतुलन

*303. डा० राजागोपालन श्रीधरन : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने हिमालय के गंगोत्री क्षेत्रों में पारिस्थितिक असंतुलन के संबंध में हाल ही में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हिमालय के हिमनदों (ग्लेशियरों) में परिवर्तन की प्रवृत्ति दिखाई पड़ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा है और इसके क्या प्रभाव पड़े हैं; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1935 से समय-समय पर गंगोत्री ग्लेशियर पर अध्ययन किया जाता रहा है। इस ग्लेशियर में लगातार घटत के लक्षण दिखाई दिए हैं। वर्ष 1935 से 1990 तक, पिछले 55 वर्षों के दौरान इसने 0.243 वर्ग किलो मीटर का स्थान छोड़ा है, जिसमें से 0.196 वर्ग किलो मीटर वर्ष 1977 से 1990 तक, पिछले 13 वर्ष के दौरान छोड़ा गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इस ग्लेशियर की घटत का कारण, इस क्षेत्र का पारिस्थितिकी असंतुलन हो सकता है।

विवरण

(ङ) गंगोत्री क्षेत्र की पारिस्थितिकी को सुरक्षित रखने के लिए की गई कार्रवाई इस प्रकार है :

1. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत एक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है।

2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है जोकि गंगोत्री क्षेत्र के पर्यावरणीय-ह्रास पर नियंत्रण रखेगा।

3. गंगोत्री क्षेत्र के विकास के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के संरक्षण पर विशेष जोर देना है।

4. इस क्षेत्र में पर्यटन के बढ़ावा को प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा है ।

5. विभिन्न संगठनों एवं व्यक्तियों द्वारा गंगोत्री क्षेत्र में पर्वतारोहण को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है ।

6. इस क्षेत्र में भवन निर्माण के कार्यों पर प्रतिबन्ध लगाया जा रहा है ।

7. व्यावसायिक रूप से वृक्षों की कटाई पर प्रतिबन्ध जारी रखा गया है ।

8. इस क्षेत्र में ऊर्जा के वैकल्पिक प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग कम किया जा सके ।

नये आयुर्वेदिक कालेज

*304. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

श्री बी० एल० शर्मा प्रेम : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 1991-92 में नये आयुर्वेदिक कालेज खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कुष्ठ रोगी

*305. श्रीमती शीला गौतम :

प्रो० के० वी० थामस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितने कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया और कितने ठीक हुए;

(ग) उक्त अवधि में कितने मरीजों की मृत्यु हुई;

(घ) कितने प्रतिशत बच्चे कुष्ठ रोगों से ग्रस्त हैं; और

(ङ) 1989-90 और 1990-91 के दौरान कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री एम० एल० फोतेदार) : (क) अनुमान है कि इस समय देश में लगभग 25 लाख कुष्ठ रोगी हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1988-89, 1989-90 और 1990-91) के दौरान उपचाराधीन और इलाज के बाद छुट्टी दिए गए कुष्ठ रोगियों की राज्यवार संख्या विवरण में दी गई है ।

(ग) कुष्ठ से हुई मौतों के अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते क्योंकि कुष्ठ के कारण कदाचित ही कोई रोगी मरता है।

(घ) कुष्ठ रोगियों की कुल संख्या का 15-20 प्रतिशत रोगी 14 वर्ष से नीचे की आयु के बच्चे हैं।

(ङ) 1989-90 के दौरान राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया वास्तविक व्यय और 1990-91 दौरान किया गया अनुमानित व्यय इस प्रकार है :

वर्ष	व्यय (लाख रुपये में)
1989-90	2101.72
1990-91	2306.42

विवरण

1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान उपचाराधीन, तथा इलाज के बाद छुट्टी दिए गए कुष्ठ रोगियों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य	उपचाराधीन रोगी	इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगी	उपचाराधीन रोगी	इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगी	उपचाराधीन रोगी	इलाज के बाद छुट्टी दिए गए रोगी
1.	आंध्र प्रदेश	277423	122625	249791	150959	214235	141351
2.	अरुणाचल प्रदेश	1209	76	1249	70	1301	157
3.	असम	18069	1424	17984	1735	18446	1185
4.	बिहार	419548	15064	423219	19279	418689	29934
5.	गोवा	1724	655	1667	522	1245	937
6.	गुजरात	39791	21728	32617	18971	24864	13396
7.	हरियाणा	1225	196	1344	143	1282	325
8.	हिमाचल प्रदेश	4510	309	4318	378	3957	530
9.	जम्मू व कश्मीर	5380	131	5444	141	5456	253
10.	कर्नाटक	90910	37224	66264	45871	89470	76195

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	60853	8750	57431	9569	53544	10061
12.	महाराष्ट्र	232796	145469	180298	140573	1666.9	118323
13.	मध्य प्रदेश	93534	26504	93569	27755	124598	35491
14.	मणिपुर	1881	418	1377	628	1365	136
15.	मेघालय	1402	55	1401	64	1394	46
16.	मिजोरम	431	74	375	134	193	224
17.	नागालैंड	1922	19	2007	2	2030	11
18.	उड़ीसा	184327	51195	177842	42570	156966	68202
19.	पंजाब	2850	844	3177	390	2991	736
20.	राजस्थान	15395	236	15595	709	13961	2641
21.	सिक्किम	314	3	330	20	225	125
22.	तमिलनाडु	323905	94434	273696	140970	262897	249331
23.	त्रिपुरा	3088	227	2942	339	2706	591
24.	उत्तर प्रदेश	297953	44046	309408	47319	316939	42032
25.	पश्चिम बंगाल	214139	29926	211644	17883	92974	190683
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	1196	23	1237	80	1347	55
27.	चंडीगढ़	603	—	771	6	878	7

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	दादरा व नगर हवेली	277	—	327	—	368	64
29.	दमण व दीव	192	18	199	12	192	29
30.	दिल्ली	2938	609	3707	316	3945	136
31.	लक्षद्वीप	135	122	183	90	159	88
32.	पांडिचेरी	2193	2898	2152	1791	1963	1655
	कुल	2302910	605302	2143566	669289	1987199	984830

नेत्र शल्य चिकित्सा के लिए हाईल्यूरानिक एसिड को पृथक करने की प्रक्रिया

3243. श्री भेरू लाल मीणा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जैव-रासायनिक केन्द्र के वैज्ञानिकों ने नेत्र शल्यचिकित्सा के लिए उपयोगी हाईल्यूरानिक एसिड को पृथक करने की प्रक्रिया का मानकीकरण किया है;

(ख) क्या इससे मोतियाबिन्द की शल्यचिकित्सा पर आने वाली कुल लागत में कमी होगी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के जैव रासायनिक केन्द्र के वैज्ञानिकों ने हाइलोरोनिक अम्लों के पार्थक्य हेतु एक प्रक्रिया का मानकीकरण किया है । हाइलोरोनिक अम्ल का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है :

1. अन्तः नेत्र लैन्स शल्यचिकित्सा में
2. कार्नियल प्रत्योरोपण में
3. कार्निया सम्बन्धी घावों—उपचार के वेधन में ।

हाइलोरोनिक अम्ल का उपयोग प्राकृतिक नेत्र काचाभद्रव बदलने के लिए विकल्प के रूप में भी किया जाता है । इस प्रक्रिया के निष्कर्ष एकस्वकृत प्रयोग की वस्तु है और इस प्रक्रिया का पूर्ण विवरण देना लोकहित में नहीं होगा । तथापि, पृथक किया गया उत्पाद रसायनिक एवं भौतिक गुणों को पूरा करता है जो नेत्र शल्य क्रिया में प्रयुक्त ग्रेड के लिए आवश्यक है ।

हाइलोरोनिक अम्ल मोतियाबिंद शल्य क्रिया की कुल लागत में अन्तर्ग्रस्त घटकों में एक है । अन्य लागतों में अन्तः नेत्र लेन्स (यदि कोई आरोपण किया जाएगा) शल्य चिकित्सक का शुल्क आदि शामिल है । आशा है कि देशी उत्पाद की लागत अन्तर्राष्ट्रीय रूप से उपलब्ध उत्पाद की लागत की तुलना में काफी कम होगी ।

वाणिज्यकरण के लिए प्रक्रिया रिलीज करने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं ताकि यह उत्पाद भारत में मरीजों को उपलब्ध हो सके ।

[हिन्दी]

प्रबन्ध संस्थान

3244. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सहायता से चलाए जा रहे प्रबन्ध संस्थानों की संख्या और उनके नाम क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन पर कितनी धनराशि खर्च की गई और प्रत्येक संस्थान में कितने छात्रों को प्रशिक्षण दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला;

(ङ) क्या सरकार का कुछ और प्रबन्ध संस्थानों की स्थापना करने का विचार है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और संस्थान कहां-कहां स्थापित किए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अहमदाबाद, कलकत्ता, बंगलौर और लखनऊ स्थित चार भारतीय प्रबन्ध संस्थान केन्द्रीय सहायता से चलाए जा रहे हैं।

(ख) अनुबंध-I में दिए गए विवरण के अनुसार।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष डा० वी० कुरियन की अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति गठित की है। इस समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय सरकार का वित्तीय कठिनाइयों के कारण आठवीं योजना अवधि के दौरान कोई नया भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध-I

(रु० लाखों में)

संस्थान का नाम		1988-89		1989-90		1990-91	
		दिया गया अनुदान	छात्रों की संख्या	दिया गया अनुदान	छात्रों की संख्या	दिया गया अनुदान	छात्रों की संख्या
1.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद	289.78	417	345.68	437	400.13	426
2.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता	319.50	303	415.80	315	497.17	330
3.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर	299.17	310	308.13	338	348.36	378
4.	भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ	253.00	68	451.00	128	690.00	180

(टिप्पणी : छात्री की बताई गई संख्या में केवल स्नातकोत्तर और फेलोशिप कार्यक्रमों के लिए पंजीकृत पूर्णकालिक छात्र ही शामिल हैं ।)

[अनुवाद]

मथुरा तेलशोधक कारखाने द्वारा प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय

3245. **श्री आर्थ फर्नान्डीज** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेलशोधक ने दिसम्बर, 1991 में प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर कुल कितनी लागत आई; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रदूषण नियन्त्रण अधिनियम के अन्तर्गत कारखाने के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) जी, हां। मथुरा तेलशोधक कारखाने में लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से प्रदूषण नियन्त्रण उपाय किए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में डबलरोटी के मूल्यों में वृद्धि

3246. **प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा** :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

श्रीमती महेन्द्र कुमारी :

श्रीमती दीपिका एच० डोपीवाला : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दिल्ली में डबलरोटी के मूल्यों में वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ खुदरा व्यापारी निर्धारित मूल्यों से ज्यादा कीमत ले रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्रवाई की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तपन गोगोई) : (क) और (ख) दिल्ली के डबलरोटी निर्माताओं ने 23 दिसम्बर, 1991 से डबलरोटी के मूल्यों को प्रति 800 ग्राम की डबलरोटी के लिये 4.20 रु० से बढ़ाकर 5.50 रु० कर दिया गया बताया जाता है।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उनके खाद्य और आपूर्ति विभाग का तौल एवं माप विंग पैकशुदा वस्तुओं का व्यापार कर रहे व्यापारियों की गतिविधियों पर निगरानी रखता है। यह भी सूचित किया गया है कि दिसम्बर, 1991 से 11 मार्च, 1991 की अवधि के दौरान इस विंग ने 671 खुदरा डबलरोटी व्यापारियों के स्थानों का निरीक्षण किया था और 124 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमे चलाए गए थे।

वातानुकूलित रेल गाड़ियां

3247. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानक संख्या में डिब्बों वाली पूर्णतया वातानुकूलित रेलगाड़ी और पूर्णतया गैर-वातानुकूलित रेलगाड़ी में तुलनात्मक रूप से कितनी ऊर्जा खर्च होती है;

(ख) दोनों ओर से चलने वाली वातानुकूलित रेलगाड़ियों की औसतन कुल संख्या कितनी है;

(ग) इन रेलगाड़ियों में से पूर्णतया वातानुकूलित रेलगाड़ियों की संख्या कितनी है; और

(घ) रेलवे की कुल दैनिक वातानुकूलित क्षमता कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बालंगीर-खुदरा रेलवे लाइन बिछाना

3248. श्री मृत्युन्जय नायक : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में बालंगीर-फूलबनी-खुदरा रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव बहुत दिनों से है;

(ख) यह परियोजना इस समय किस चरण में है; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत कितनी है और उस पर कब तक कार्य प्रारम्भ होने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 1985 में किये गये प्रारम्भिक अध्ययन में दो वैकल्पिक संरेखणों की जांच की गई थी । पहला संरेखण 292 कि० मी० लम्बा था जो फूलबनी को स्पर्श नहीं करता था और उस पर 274.9 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान लगाया गया था । दूसरा संरेखण फूलबनी के रास्ते 363 कि० मी० लम्बा था जिस पर तीव्र ढाल थे और इसकी लागत 477.6 करोड़ रुपये थी । राज्य सरकार ने पहले संरेखण को तरजीह दी थी जो काफी छोटा और सस्ता था ।

तदनुसार, फूलबनी को स्पर्श न करते हुए प्रस्तावित खोरधा रोड-बालंगीर नई बड़ी रेल लाइन के लिए 1986 में सर्वेक्षण किया गया था और उसे 1991 में अद्यतन किया गया था।

इस लाइन को शुरू करने से सम्बन्धित प्रस्ताव को फरवरी, 1991 में योजना आयोग के पास भेजा था लेकिन संसाधनों की अत्यधिक तंगी और परियोजना की अलाभप्रदता को ध्यान में रखते हुए, योजना आयोग ने इस परियोजना को अनुमोदित नहीं किया है ।.

विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परिवार कल्याण कार्यक्रम परियोजना

3249. श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना प्रारम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन खर्च हुआ है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी इस प्रकार की परियोजना आरम्भ करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी राज्यों में परिवार कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए राज्यवार कितने धन की मांग की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) भारत जनसंख्या परियोजना-VII, विश्व बैंक की सहायता से 1990-91 से 1994-95 तक के लिए हरियाणा में आरम्भ की गई है जिससे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जा सके। इसकी कुल लागत 42.42 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक सहायता प्राप्त ऐसी अन्य परियोजनाएं कई अन्य राज्यों में भी लागू की गई हैं जिनका ब्यौरा विवरण-I पर संलग्न है।

(ङ) वर्ष 1991-92 के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

विश्व बैंक सहायता प्राप्त क्षेत्रीय परियोजना

क्रम सं०	परियोजना का नाम	राज्य	जिले का नाम	क्रियान्वयन की अवधि	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	आई० पी० पी०-III	केरल	मल्लपुरम, वायनाड़, पालघार और इदुक्की	1984.92	50.33
		कर्नाटक	धारवाड़, बेलगाव बीजापुर, गुलबर्गा, बीदर और रायचूर	—तदेव—	71.31
2.	आई० पी० पी०-IV	पश्चिम बंगाल	बर्दवान, पुरूलिया, बीरभूम और बांकुरा	1985-93	107.47
3.	आई० पी० पी०-V	महाराष्ट्र	बम्बई शहर	1988-95	48.30
		तमिलनाडु	मद्रास शहर	1988-95	69.10

1	2	3	4	5	6	
4.	आई० पी० पी०-VI	उत्तर प्रदेश	सम्पूर्ण शहर	1990-91 1994-95	110.54	
		मध्य प्रदेश	—तदेव—	—तदेव—	42.57	199.77
		आंध्र प्रदेश	—तदेव—	—तदेव—	44.91	
		(एन० एच० आई० एफ० डब्ल्यू० और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)	—तदेव—	—तदेव—	1.75	
5	आई० पी० पी०-VII	बिहार	सम्पूर्ण राज्य	1990-91 1994-95	88.18	
		गुजरात	—तदेव—	—तदेव—	43.90	
		पंजाब	—तदेव—	—तदेव—	48.66	335.75
		हरियाणा	—तदेव—	—तदेव—	42.42	
		जम्मू व कश्मीर	—तदेव—	—तदेव—	51.54	
					274.70	
		राष्ट्रीय घटक (सामाजिक विपणन स्वैच्छिक संगठन, एन० एच० आई० एफ० डब्ल्यू०)		—तदेव—	61.02	

विवरण-II

1991-92 के दौरान विभिन्न राज्यों के लिये धन के आवंटन को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

1.	आंध्र प्रदेश	4285.99
2.	अरुणाचल प्रदेश	104.10
3.	असम	1654.87
4.	बिहार	4335.74
5.	गोवा	100.30
6.	गुजरात	2816.75
7.	हरियाणा	1196.96
8.	हिमाचल प्रदेश	964.08
9.	जम्मू व कश्मीर	939.06
10.	कर्नाटक	2652.74
11.	केरल	1557.98
12.	मध्य प्रदेश	4351.79
13.	महाराष्ट्र	4780.21
14.	मणिपुर	271.19
15.	मेघालय	186.80
16.	मिजोरम	118.84
17.	नागालैंड	132.40
18.	उड़ीसा	2380.70
19.	पंजाब	1417.44
20.	राजस्थान	2854.93
21.	सिक्किम	110.62
22.	तमिलनाडु	3602.36
23.	त्रिपुरा	231.25
24.	उत्तर प्रदेश	8187.70
25.	पश्चिम बंगाल	4790.35
	योग :	54035.15

अर्धचिकित्सा कर्मचारियों के संवर्ग की पुनरीक्षा

3250. **श्री महेश कनोडिया : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत आने वाले अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों की संवर्ग समीक्षा आरम्भ करने हेतु एक उच्चशक्ति प्राप्त समिति गठित करने का विचार है ताकि उनके वेतनमान में वृद्धि हो सके और पदोन्नति के अवसर उपलब्ध किए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के कारण प्रदूषण

3251. **श्री भाग्ये गोवर्धन** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना द्वारा कितनी वन भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ख) क्या प्रभावित लोग मुख्यत: आदिवासी हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं;

(घ) क्या परियोजना के कारण अनुमत सीमा क्षेत्र से बाहर चारों ओर प्रदूषण फैल रहा है; और

(ङ) यदि हां तो सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए क्या कदम उठाए है और उसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) 744 हेक्टेयर ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विस्थापितों के पुनर्वास का कार्य सरकार के मापदण्डों तथा बनवासी आश्रम बनाया उत्तर प्रदेश राज्य की रिट याचिका सं० 1061/82 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

परिवार कल्याण क्षेत्र में अध्ययन के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को भुगतान

3252. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण के क्षेत्र में सांख्यकीय और सामाजिक शोध सम्बन्धी अध्ययनों के संचालन के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों को 1990-91 और 1991-92 के दौरान बहुत बड़ी राशि दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वैच्छिक अभिकरणों को इस प्रकार के अध्ययन कराने का कार्य सौंपने के लिए निर्धारित मार्ग-निर्देशों और प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और उन्हें देय भुगतान का निर्धारण किस प्रकार होता है; और

(घ) प्रत्येक अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ): (क) से (घ) 1990-91 और 1991-92 के वर्षों के दौरान परिवार कल्याण के क्षेत्र में लगभग 19.66 लाख रुपये की लागत के 2 तदर्थ अध्ययनों को स्वीकृत/कमीशन किया गया था। इसके अलावा देश में जनसंख्या केन्द्रों को सुदृढ़ीकरण के लिए यू० एस० एड से 24 लाख अमेरिकी डालर की सहायता प्राप्त परियोजना के एक भाग के रूप में एक राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई है, जिसमें क्रमिक रूप से 19 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र को कवर किया जाएगा । इस सर्वेक्षण में चुनिन्दा परामर्शी संगठन भी शामिल हैं। ये अध्ययन उन विशिष्ट समितियों की सिफारिश को छोड़कर, जो इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की जा सकती हैं, अध्ययन, आधारभूत ढांचे और संस्थागत योग्यता के क्षेत्र में अपेक्षित अनुभव के आधार पर एजेंसियों/संगठनों को सौंपे जाते है। इन एजेंसियों के लिए भुगतान की जाने वाली रकम भिन्न-भिन्न अध्ययनों के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं, जो नमूने के आकार, प्रश्नावली के डिजाइन, सर्वेक्षण के प्रविधि-विज्ञपान प्रतिवादियों के प्रकार, कवर किए जाने वाले क्षेत्र और अन्य संबद्ध मापदण्डों पर निर्भर करती हैं। इस अध्ययन के ब्यौरे और प्रमुख निष्कर्ष विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अध्ययन का नाम	अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष
1. देश में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की मांग और आपूर्ति का मूल्यांकन।	1. ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की मौजूदा मांग अनुमानत: 610 लाख पैकेट है जिसमें से 70% का 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
	2. ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की वर्तमान आपूर्ति और उत्पादन क्षमता क्रमश: 670 लाख और 1010 पैकेट होने का अनुमान है।
	3. ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के उत्पादन में प्रमुख कठिनाइयां मांग स्वाद/सुगन्ध और पैकेटों की कमी पाई गई है।
	4. 61-62 प्रतिशत अतिसार के रोगी प्राइवेट चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ उठाते हैं। 15-18 प्रतिशत सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाते हैं जबकि 14-17 प्रतिशत रोगियों को

1	2
	अतिसार की घटनाओं का घर ही उपचार करते पाया गया है।
	5. प्राइवेट चिकित्सकों द्वारा केवल 14-18 प्रतिशत रोगियों के लिए ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का नुस्खा लिखा जाता है जबकि सरकारी सुविधाओं में यह प्रतिशत 22-23 है जोकि विशेष रूप से सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में अत्यधिक कम है जहां काफी संख्या में उन अधिकारियों को जिन्होंने ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की सिफारिश नहीं की, वास्तव में इसके बारे में अनभिज्ञ पाया गया।
	6. अतिसार की घटना में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट की सिफारिश करना और ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी उपलब्धता दो प्रमुख घटक हैं जो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं। केवल ओ० आर० एस० की जानकारी होने से इसके इस्तेमाल पर कोई प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता, जबकि इसके बारे में जानकारी होना और जानकारी के साथ-साथ प्रेरित करने का ओ० आर० एस० के इस्तेमाल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
	7. यह पाया गया है कि ओ० आर० एस० की मुफ्त अथवा सस्ते मूल्य पर आपूर्ति का ओ० आर० एस० के इस्तेमाल पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।
	8. इस अध्ययन में 1996 के लिए 860-1210 लाख पैकेट की मांग होने का अनुमान लगाया गया है। 860 लाख पैकेटों का अनुमान इस परिकल्पना पर आधारित है कि वर्तमान मांग में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा जबकि 1210 लाख पैकेटों का अनुमान इस परिकल्पना पर आधारित है कि ओ० आर० एस० की जानकारी घर में उपलब्ध घोल जो आर एस की उपलब्धता और निर्धारण में वृद्धि करने के लिए नीति में स्पष्ट परिवर्तन होगा।

1	2
2. तमिलनाडु के किशोर आयु के लड़कों और लड़कियों के सम्बन्ध में परिवार नियोजन के प्रति रवैया।	2. प्रारूप रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।
3. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य (24 लाख अमरीकी डालर की लागत से जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र सुदृढ़ीकरण परियोजना)	3. फील्ड वर्क शुरू करने के लिए प्रारंभिक कार्य कलाप चल रहे हैं।

न्यू अलीपुरद्वार से कंचनजंगा एक्सप्रेस चलाना

3253. **श्री पीयूष तीरकी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर सीमांत रेलवे में कूच बिहार के बजाय न्यू अलीपुरद्वार से कंचनजंगा एक्सप्रेस चलाने पर विचार कर रही है ताकि निकटवर्ती क्षेत्रों के दैनिक यात्रियों को सुविधा हो सके;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) न्यू अलीपुरद्वार तथा न्यू बिहार के रास्ते गुवाहाटी और सियालदह के बीच चलने वाली 2557/2558 कंचनजंगा एक्सप्रेस को असम सरकार द्वारा लगाए गये सुरक्षा प्रतिबन्धों के कारण फिलहाल न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच रद्द कर दिया गया है।

प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित यात्री कोचों का किराया

3254. **श्री शंकरराव वे० काले** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रथम श्रेणी तथा वातानुकूलित यात्री कोचों के प्रचालन पर रेलवे को जितनी लागत वहन करनी पड़ती है, वह यात्रियों से वसूले गए किराये से कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1990-91 के दौरान रेलवे को इस कारण में कितनी हानि हुई; और

(ग) क्या इस पर आने वाली लागत के बराबर किराया प्रभारित करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1990-91 के लिए हानि का ब्यौरा जुलाई, 1992 में उपलब्ध हो पाएगा। बहरहाल वर्ष 1989-90 के दौरान पहले दर्जे के और वातानुकूल सवारी डिब्बों के परिचालन पर हुई हानि क्रमश: 151.97 करोड़ रुपये और 6.58 करोड़ रुपये हैं।

(ग) फिलहाल, ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बिना टिकट यात्रा

3255. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1991 से उत्तर रेलवे के गोरखपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) और मुगलसराय (पूर्व रेलवे) में बिना टिकट यात्रा करने वालों के विरुद्ध आकस्मिक निरीक्षण किए गये हैं;

(ख) इन निरीक्षणों में कितने यात्री गिरफ्तार किए गए; और

(ग) उन से जुर्माने के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अक्टूबर, 1991 से फरवरी, 1992 के दौरान कुल 460 जांच की गयीं थीं।

(ख) 2,695 व्यक्ति पकड़े गये थे।

(ग) न्यायिक जुर्माने के रूप में 1.10 लाख रुपये वसूल किए गए थे।

[हिन्दी]

आय में वृद्धि करने के लिए विपणन नीतियां

3256. **श्री राम लखन सिंह यादव :**

श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने संचालनात्मक लागत और अन्य व्ययों में कमी करने के लिए कोई कार्य-योजना बनायी है ताकि आय में वृद्धि करने और राजस्व की चोरी रोकने के लिए विपणन नीतियां तैयार की जा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी परामर्शदात्री संगठन के माध्यम से कोई सर्वेक्षण भी कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) कार्य योजना का लक्ष्य लागत पर नियंत्रण रखना, लागत में कमी करना, विभिन्न किफायती उपाय करना तथा आय में वृद्धि करने तथा राजस्व की चोरी रोकने के लिए विपणन नीतियां तैयार करना है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, आय में वृद्धि हुई है और व्यय कम हुआ है। परिचालन अनुपात 1990-91 के 92.0 प्रतिशत से सुधरकर 1991-92 में 90.3 प्रतिशत हो जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गुवाहाटी और श्रमजीवी एक्सप्रेस गाड़ियों को अमरोहा स्टेशन पर रोकना

3257. **श्री पी० एम० सईद** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों और अन्य संगठनों द्वारा गुवाहाटी और श्रमजीवी एक्सप्रेस गाड़ियों को अमरोहा स्टेशन पर रोकने की मांग की गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) इसकी जांच की गई है लेकिन 5609/5610 अवध असम एक्सप्रेस और 2401/2402 श्रमजीवी एक्सप्रेस का अमरोहा में ठहराव फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा स्कूलों को मान्यता देने के लिए मानदण्ड

3258. श्री नवल किशोर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्कूलों को मान्यता देने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड स्कूलों को मान्यता प्रदान नहीं करता । यह बोर्ड के संबंधन उपनियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा किये जाने पर केवल उन्हीं स्कूलों को सम्बन्धन प्रदान करता है जिन्हें या तो संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र के शिक्षा निदेशालय द्वारा मान्यता मिल चुकी हो या जिन्होंने उनसे अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

3259. श्री भगवान शंकर रावत : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान रेल गाड़ियों में खाद्य पदार्थों एवं शीतल पेयों के मूल्यों में की गई वृद्धि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सेवाओं से आय एवं इनपर व्यय का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान सभी गाड़ियों में एक समान रूप से लागू विभिन्न खाद्य पदार्थों और पेयों की दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं । शीतल पेयों सहित अन्य मदों की दरें क्षेत्रीय रेलों द्वारा बाजार मूल्यों, आदि जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं और ये दरें एक रेलवे से दूसरे रेलवे के बीच भिन्न-भिन्न हैं ।

(ख) गाड़ियों में खाद्य पदार्थों, शीतल पेयों, आदि की सेवाओं से प्राप्त आय और उन पर व्यय का ब्यौरा अलग-अलग नहीं रखा जाता है ।

विवरण

मद	1990-91 (1-10-1990 से प्रभावी (रु० पै०)	1991-92 (1-1-1992 से प्रभावी (रु० पै०)
जनता खाना	2.50	3.00
सस्ता खाना (कैसरोल पैकेट में)		
(क) पूरी भाजी	5.00	6.00
(ख) वेजीटेबल पुलाव	5.00	6.00
(ग) दही भात अचार	5.00	6.00
(घ) सांभर भात कुट्टु	5.00	6.00
मानक नाश्ता (कैसरोल पैकेट में)		
(क) निरामिष	6.00	8.00
(ख) सामिष	7.00	9.00
मानक भोजन (निरामिष) (केवल गाड़ियों में 3 कैसरोलों में)	10.00	12.00
मानक भोजन (सामिष) (केवल गाड़ियों में 3 कैसरोलों में)	12.00	15.00
मानक भोजन निरामिष (थाली में)	8.00 (9.00 रु० गाड़ियों में)	10.00 (11.00 रु० गाड़ियों में)
मानक भोजन सामिष (थाली में)	11.00 (12.00 रु० गाड़ियों में)	14.00 15.00 रु० गाड़ियों में)
चाय, कप में (150 मि०ली०)	1.00	1.50
पाट में चाय (फ्लास्क) 285 मि० ली०	2.00	3.00
काफी, कप में (150 मि० ली०)	1.25	2.00
पाट में काफी (फ्लास्क) 285मि० ली०)	2.50	3.50

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में सुधार

3260. **श्री प्रकाश वी० पाडिल :** क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण में कुछ सुधार करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) प्रमुख सिफारिशों में बेहतर परिचालन सम्बन्धी कार्यकुशलता प्राप्त करने के लिए लागत को कम करने और उपभोक्ता की संतुष्टि करने, क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक शक्तियां देने और उन्हें उत्तरदायी बनाने, स्टाफ और प्रशासन में किफायत करने भण्डारण सुविधाओं और उनके उपयोग में सुधार लाने और इसी प्रकार के कार्य करने से सम्बन्धित सुझाव शामिल हैं। इनमें भण्डारण और मार्ग में खाद्यान्नों की हानि होने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को काबू में करने और श्रमिकों के कार्यों को युक्तियुक्त बनाने के लिए उपाय करना भी शामिल है। इनमें भारतीय खाद्य निगम की वास्तविक लागत से सम्बन्धित निष्कर्षों और बाजार में संगत पैरामीटरों की तुलना में इसके परिचालनों की सक्षमता को भी प्रस्तुत किया गया है। इन सिफारिशों का उद्देश्य परिचालन कार्य-क्षमता में सुधार लाना और लागत में कमी करना है।

(ग) सरकार ने इस रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक शक्तिप्राप्त समिति गठन किया है। इस शक्तिप्राप्त समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और सरकार द्वारा इन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

पार्सल-सामान की लदाई-ढुलाई का आबंटन

3261. **डा० साक्षी जी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे के पार्सल-सामान की लदाई-ढुलाई के कार्य को ठेकेदारों और सहकारी समितियों को आबंटन हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं;

(ख) क्या उक्त ठेके को श्रमिक सहकारी समितियों के लिए आरक्षित करने का कोई प्रावधान नहीं है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पश्चिमी और मध्य रेलवे में पार्सल सामान की लदाई-ढुलाई के लिए कितनी श्रमिक सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों पर किसी श्रमिक सहकारी समिति को कार्य आबंटन का मानदण्ड यह है कि वह एक पंजीकृत, प्रामाणिक और वास्तविक सहकारी समिती हो। रेलों पर श्रमिक सहकारी अभियान को बढ़ावा देने की सरकार की नीति के अनुसार, सामान्यत: निविदाएं आमन्त्रित किए बगैर/वास्तविक कामगारों की प्रमाणिक सहकारी श्रमिक ठेका समितियों जिनका कार्य-निष्पादन संतोषजनक हो और दरें उचित हों, को माल/पार्सल सम्हलाई ठेके देने के बारे में विचार किया जाता है, भले ही ठेके का मूल्य कितना हो।

(ग) पश्चिम रेलवे—छः

मध्य रेलवे—एक

दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावासों में छात्रों को प्रवेश दिया जाना

3262. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रावासों में प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने छात्रों ने प्रवेश हेतु आवेदन किया तथा कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया;

(ग) क्या विश्वविद्यालय में और अधिक छात्रावासों का निर्माण करने के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) व (ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इसके छात्रावासों में कुल 988 छात्र रह सकते हैं। पिछले तीन वर्षों में इन छात्रावासों में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या तथा छात्रावासों में प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या निम्न है :—

वर्ष	आवेदकों की संख्या	प्रवेश पाने वाले छात्रों की संख्या
1989-90	1517	700
1990-91	1721	769
1991-92	1728	790

(ग) व (घ) आशा है कि आठवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अपने छात्रावास में 399 सीटों की वृद्धि करेगा।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ग्रामीण स्कूलों को पर्याप्त प्रशिक्षण साधन उपलब्ध न होना

3263. **श्री सुधीर सावन्त :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्कूलों के पास प्रशिक्षण साधान पर्याप्त नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सभी स्कूलों को प्रशिक्षण साधन प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ महाराष्ट्र को कितनी अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्य बातों के साथ-साथ आपरेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित योजना देश के सभी प्राइमरी स्कूलों में कुछ अनिवार्य अध्यापन-शिक्षण सामग्री प्रदान करती है जिसमें ब्लैक बोर्ड, नक्शे चार्ट छोटे-छोटे पुस्तकालय, खिलौने और खेल-कूद के सामान आदि भी शामिल हैं । इस योजना के अन्तर्गत अब तक देश के कुल प्राइमरी स्कूलों के तीन-चौथाई के बराबर 4.05 लाख प्राइमरी स्कूलों को शामिल कर लिया गया है। यह योजना, आठवीं योजना के दौरान पूरे होने तक चलती रहेगी ।

(ग) योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक महाराष्ट्र सरकार को संस्वीकृत की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है :

	(लाख रुपए)
1987-88	545.03
1988-89	—
1989-90	788.33
1990-91	612.22
1991-92	1984.81

[हिन्दी]

कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय

3264. डा० सी० सिलवेरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे किन-किन स्थानों पर खोले गए हैं और प्रत्येक कार्यालय के कार्य-समय क्या क्या हैं तथा प्रत्येक कार्यालय में बाहर जाने, आगे जाने तथा वापसी यात्रा के लिए कितने-कितने काउंटर खोले गए हैं;

(ग) क्या सरकार का उत्तरी दिल्ली में, उस क्षेत्र की जनता की सुविधा हेतु एक कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) उत्तरी दिल्ली क्षेत्र के नया आजादपुर स्टेशन पर कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालय खोलने का प्रस्ताव है ।

विवरण

1. दिल्ली क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों के स्थान सूची जहां बाहर जाने की यात्रा सम्बन्धी आवेदन स्वीकार किए जाते हैं :

स्थान का नाम	समय	काउंटर सं० (व्यस्त अवधि के दौरान)
आई आर सी ए बिल्डिंग	0745 बजे से 2100 बजे (रविवार 0745 बजे से 1400 बजे)	55
दिल्ली मेन	—वही—	14
सरोजिनी नगर	—वही—	11
निजामुद्दीन	0745 बजे से 2000 बजे (रविवार 0745 बजे से 1400 बजे)	6
कीर्ति नगर	—वही—	6
विकास मार्ग एक्टेंशन	—वही—	4
नोएडा	10.00 बजे से 16.00 बजे (रविवार 0745 बजे से 1400 बजे)	2
आई टी बी नई दिल्ली स्टेशन (केवल विदेशी पर्यटकों के लिए)	0730 बजे से 1300 बजे (रविवार बन्द)	
दिल्ली शाहदरा	0745 बजे से 20.00 बजे (रविवार 0745 बजे से 14.00 बजे)	6

2. दिल्ली क्षेत्र में कंप्यूटरीकृत आरक्षण कार्यालयों के स्थान की सूची जहां जाने/वापसी यात्रा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

सरोजिनी नगर	0900 बजे से 21.00 बजे (हवड़ा के लिए)	1
पुरानी दिल्ली	0800 बजे से 20.00	3
आई आर सी ए	बम्बई और मद्रास के लिए	6

राजस्थान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अस्पताल/औषधालय

3265. श्री कुन्जी लाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत कार्यरत अस्पतालों/औषधालयों के स्थान व जिलेवार संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्थानों पर अस्पताल/औषधालय खोलने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना केवल जयपुर में कार्य कर रही है उस राज्य में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का कोई अस्पताल नहीं है। जयपुर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय निम्नलिखित स्थानों में हैं :

1. चौड़ा रास्ता नं० 1
2. जनता कालोनी
3. बजाज नगर
4. स्टेशन
5. ज्योति नगर

(ख) आठवीं योजना के दौरान राजस्थान में नए औषधालय/अस्पताल खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों की खरीद

3266. श्री जे० चोक्का राव : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 में और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों (गेहूं और चावल) की राज्यवार कुल कितनी मात्रा में खरीद की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान गेहूं और चावल की खरीद किस दर से की गई और प्रत्येक राज्य को किस दर पर सप्लाई की गई और यदि कोई राजसहायता प्रदान की गई, तो उसकी मात्रा कितनी थी ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री लक्ष्म गोगोई) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय पूल के लिए वसूली करने हेतु 1990-91 और 1991-92 के रबी विपणन मौसमों के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः 215/-रुपये और 225/-रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया था। एक विवरण उपाबन्ध-2 के रूप में संलग्न है जिनमें 1990-91 और 1991-92 के खरीफ विपणन मौसमों के लिए लेवी चावल के वसूली मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

देश भर में एक समान रूप से लागू गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) नीचे दिए गए हैं :

(रुपये प्रति क्विंटल)

गेहूं			
निम्न तारीख से प्रभावी		केन्द्रीय निर्गम मूल्य	
1-5-1990		234/-रुपये	
28-12-1991		280/-रुपये	
चावल			
	साधारण	बढ़िया	उत्तम
25-6-1990	289/-रु०	349/-रु	370/-रु०
28-12-1991	377/-रु०	437/-रु०	458/-रु०

सरकार ने वित्तीय वर्ष 1990-91 के लिए 2450/-करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 1991-92 (अद्यतन तारीख तक) के लिए 2597 करोड़ रुपये की राजसहायता की व्यवस्था की है।

विवरण-I

लोक सभा में 17-3-1992 को पूछे जाने वाले आतारांकित प्रश्न संख्या 3266 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित विवरण

1990-91 और 1991-92 के विपणन मौसमों के दौरान चावल और गेहूं की राज्यवार वसूली

(हजार मीटरी टन)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चावल				गेहूं			
	1990-91		1991-92*		1990-91		1991-92	
	कुल वसूली	भा०खा०नि० द्वारा सीधे की गई वसूली	कुल वसूली	भा०खा०नि० द्वारा सीधे की गई वसूली	कुल वसूली	भा०खा०नि० द्वारा सीधे की गई वसूली	कुल वसूली	भा०खा०नि द्वारा सीधे की गई वसूली
1	2	3	4	5	6	7	8	9
आन्ध्र प्रदेश	3335	3335	1365	1365	—	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	नग०	नग०	नग०	नग०	—	—	—	—
असम	7	7	4	4	—	—	—	—
गुजरात	17	—	6	—	—	—	—	—
हरियाणा	1062	1041	895	895	2595	465	1834	145
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	1	1	—	—
जम्मू और कश्मीर	7	—	3	—	नग०	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
कर्नाटक	146	146	96	96	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	631	585	331	322	नग०	नग०	—	—
महाराष्ट्र	23	8	34	33	—	—	—	—
उड़ीसा	214	213	206	205	—	—	—	—
पंजाब	4821	3831	4167	3089	6749	2512	5542	1980
राजस्थान	28	28	19	19	135	135	8	8
तमिलनाडु	899	—	836	—	—	—	—	—
उत्तर प्रदेश	1347	नग०	795	—	1583	123	368	6
पश्चिम बंगाल	103	103	48	48	—	—	—	—
चण्डीगढ़	21	21	22	22	2	2	—	—
दिल्ली	5	5	5	5	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	5	4	3	3	—	—	—	—
अखिल भारत	12671	9327	8855	6106	11065	3238	7752	2139

नग० = 500 मीटरी टन से कम

भा०खा०नि० = भारतीय खाद्य निगम

(*) 12-3-1992 को स्थिति के अनुसार

विवरण-II

लोक सभा में 17-3-92 को पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 3266 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

1990-91 और 1991-92 के विपणन मौसमों के लिए लेवी चावल का वसूली मूल्य

(रुपये प्रति क्विंटल)

	राज्य	साधारण		बढ़िया		उत्तम	
		1990-91	1991-92	1990-91	1991-92	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	338.55	387.55	354.30	403.30	370.05	419.05
2.	असम	335.75	384.45	356.75	406 25	372.60	422.10
3.	बिहार	326.20	368.20	344.80	392.80	360.10	408.10
4.	गुजरात	313.00	358.55	327.50	373.05	342.00	387.55
5.	हरियाणा/दिल्ली	347.50	396.65	374.55	425.20	394.10	445.10
6.	कर्नाटक	322.20	369.10	337.15	384.05	352.10	399.05
7.	मध्य प्रदेश	334.55	383.10	350.10	389.65	365.65	414.20
8.	उड़ीसा	345.05	394.90	361.10	411.00	377.15	427.05
9.	पंजाब	347.25	396.40	374.30	424.90	393.80	444.80
10.	राजस्थान	341.25	389.45	365.00	414.50	386.95	437.15
11.	उत्तर प्रदेश	330.70	377.80	345.90	393.00	369.25	417.45
12.	पश्चिम बंगाल	323.15	370.25	341.55	389.15	356.70	404.30
13.	महाराष्ट्र	330.05	377.90	345.35	393.15	360.60	408.45
14.	पांडिचेरी	313.90	356.70	328.20	371.50	343.00	386.30
15.	चण्डीगढ़	338.20	393.00	364.55	421.25	383.50	341.00

समुद्री जीव जन्तुओं पर कीटनाशकों का प्रभाव

3267. डा० आर० सेल्वू : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान के निष्कर्षों के अनुसार कीटनाशक समुद्री जीव-जन्तुओं के लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण गत तीन वर्षों के दौरान हुई क्षति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) समुद्री जलीय पर्यावरण में नाशीजीव मारक समुद्री जीवों के लिए हानिकारक है।

(ख) समुद्री जलीय पर्यावरण में नाशीजीव मारकों की उपस्थिति के कारण हुई समुद्री जीवों की क्षति के सम्बन्ध में कोई परिमाणात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए हानिकारक नाशीजीव मारकों के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) देश में उपयोग के लिए केवल उन्हीं नाशीजीव मारकों के पंजीकरण की अनुमति दी जाती है जो मनुष्य, पशुओं तथा पर्यावरण के लिए सुरक्षित हैं।

(2) नाशीजीव मारकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है।

(3) बहुत से अत्यधिक विषैले नाशीजीव मारकों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है अथवा उनका पंजीकरण नहीं किया गया है।

(4) नाशीजीव मारकों पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए समेकित नाशीजीव प्रबंध दृष्टिकोण पर बल दिया जा रहा है।

मुम्बई में रेलवे की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

3268. श्री मोहन रावले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुम्बई में मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे की भूमि पर कितने अनधिकृत निर्माण हुए हैं;

(ख) इन अनधिकृत निर्माणों को हटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ग) अब तक कुल कितने अनधिकृत निर्माणों को हटाया गया है और कितनों को हटाया जाना है; और

(घ) इन सभी अनधिकृत निर्माणों को कब तक हटाया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मध्य तथा पश्चिम रेलवे की भूमि अनधिकृत निर्माणों की संख्या क्रमश: 14015 तथा 7495 है।

(ख) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन इन निर्माणों को हटाने के प्रयास किए गए हैं।

(य) मध्य तथा पश्चिम रेलवे पर अभी तक क्रमशः 1042 तथा 865 अनधिकृत निर्माण हटाए गए हैं, मध्य रेलवे पर 14015 तथा पश्चिम रेलवे पर 7495 अनधिकृत निर्माण अभी हटाए जाने बाकी हैं।

(च) मुकदमेबाजी में बहुत अधिक समय लगने के कारण इनको हटाने में लगने वाला विशिष्ट समय नहीं बताया जा सकता।

महिलाओं का शोषण

3269. श्री पवन कुमार बंसल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि महिलाओं का विभिन्न क्षेत्रों में शोषण हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस शोषण को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी : (क) और (ख) भारत में, विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के शोषण के प्रति सरकार को गहरी चिन्ता है और इसे रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं का दर्जा उन्नत करने के लिए विधि-निर्माण, शिक्षा, जागृति विकास, आर्थिक आत्मनिर्भरता, कानूनी साक्षरता, परामर्श कानूनी सहायता, प्रवर्तन स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता, प्रचार अभियान इत्यादि जैसे क्षेत्रों में कई उपाय किए गए हैं जिससे महिलाओं के शोषण और उनके सामाजिक सांस्कृति और आर्थिक उत्पीड़न के खतरे कम हो सकेंगे। यह एक सतत प्रक्रिया है।

महिलाओं के प्रति भेदभाव रोकने और उनकी शिकायतों के निवारण के लिए सरकार ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी की है। इस आयोग का मुख्य कार्य, महिलाओं के लिए उपलब्ध सांविधिक और कानूनी संरक्षणों सम्बन्धी सभी मामलों का अध्ययन करना और उनका प्रबोधन करना, महिलाओं सम्बन्धी मौजूदा कानूनों का पुनरीक्षण करना तथा जहां आवश्यक हो, संशोधनों का सुझाव देना है। आयोग महिलाओं की शिकायतों की जांच भी करेगा तथा महिलाओं के अधिकारों की वंचना से सम्बन्धित मामलों में स्वतः ध्यान देगा और कार्रवाई करेगा।

[हिन्दी]

दूषित भोजन खाने तथा जहरीली शराब के सेवन के कारण मौत

3270. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991, में राज्य-वार दूषित भोजन एव जहरीली शराब के सेवन के कारण कितने लोगों की मौत हुई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 का संचालन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है जो खाद्य अपमिश्रण और उससे होने वाली मौतों, यदि कोई हों, के मामलों को देखते हैं।

इस मंत्रालय को उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और सिक्किम राज्यों में वर्ष 1991 के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों और जहरीली शराब के उपयोग के कारण कोई मौत नहीं हुई है।

[अनुवाद]

गेहूं की जमाखोरी

3271. *श्री बापू हरि चौरे :*

श्री जीवन शर्मा :

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री राम लखन :

श्री प्रकाश वी० पाटिल : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बड़े किसान और व्यापारी मुनाफा कमाने के प्रयोजन से गेहूं की जमाखोरी कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो जमा किए गए खाद्यान्नों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) सरकार ने स्टाक रखने के बारे में किसानों के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की है। गेहूं की उपलब्धता में वृद्धि करने तथा मूल्यों में स्थिरता लाने के उद्देश्य से केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय किया है कि गेहूं का स्टाक रखने की अधिकतम सीमा थोक व्यापारियों के मामले में 250 क्विंटल से अधिक और खुदरा व्यापारियों के संबंध में यह 50 क्विंटल से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को 7 फरवरी, 1992 को इस निर्णय से अवगत करा दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वे इस निर्णय को तत्काल प्रभाव से और सख्ती के साथ लागू करें। राज्य सरकारें/संघ शासित प्रदेश इस सम्बन्ध में निरीक्षण करते हैं।

मेडिकल कालेजों में प्रवेश

3272. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी मेडिकल कालेजों में प्रवेश के लिए रखे गए मानदंड क्या हैं; और

(ख) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित स्थानों को प्रवेश के समय भर लिया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने स्नातक आयुर्विज्ञान शिक्षा सम्बन्धी अपनी सिफारिश में मेडिकल कालेजों में दाखिले हेतु उम्र, न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं, मेरिट का निर्धारण करने की प्रक्रिया से सम्बन्धित मानदंड निर्धारित किए हैं।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार देश के मान्यता प्राप्त मेडिकल/डेंटल कालेजों में 15 प्रतिशत एम बी बी एस/बी डी एस सीटें तथा 25 प्रतिशत स्नातकोत्तर सीटें अर्थात् स्नातकपूर्व पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्रमशः सी बी एस ई द्वारा तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर पूर्णतया निर्धारित मेरिट के आधार पर भरी जाती हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताओं आदि से सम्बन्धित मानदंडों के अनुरूप प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की अपने नियंत्रणाधीन मेडिकल कालेज दाखिल हेतु अपनी क्रियाविधि है। केन्द्र पूल से आवंटित सीटों पर उम्मीदवारों का चयन लाभार्थी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा अपने-अपने मानदण्डों और क्रियाविधि के अनुसार किया जाता है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन विभिन्न चिकित्सा कालेजों में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए क्रमशः 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत की आरक्षण प्रतिशतता निर्धारित की है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों के लिए आरक्षण कोटा ज्यादातर इन श्रेणियों से सम्बधित छात्रों के माध्यम से भरा जाता है।

[हिन्दी]

चीनी मिलों के लिए लाइसेंस

3273. **श्री देवी बक्स सिंह**

श्री मुकुल वासनिक :

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

डा० रमेश चन्द तोमर :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री अरविन्द तुलसीराम कावले : क्या मन्त्री खाद्य यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीनी मिलों की स्थापना के लिए वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर जारी किये गये लाइसेंसों की कुल संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्सम्बन्धी जिलेवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों के लिए लाइसेंस देने में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित बेरोजगार युवकों, कुशल बेरोजगार युवकों और विकलांगों को वरीयता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)। (क) व (ख) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर जारी किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या का राज्यवार तथा जिलेवार विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) ऐसी कोई वरीयता नहीं दी जाती है। उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर दिनांक 8-11-91 के प्रैस नोट के तहत घोषित लाइसेंस नीति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता है।

विवरण

वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान नई चीनी मिलों की स्थापना के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर जारी किए गए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंसों की कुल संख्या का राज्यवार तथा जिलेवार विवरण

क्रम सं०	फैक्टरी का नाम	आशय पत्र जारी करने की तारीख
1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	मै० तितावी सुगर वर्क्स लि०, तितावी, जिला मुजफ्फर नगर	7-8-90
2.	मै० धामपुर चीनी मिल्स लि०, स्थान रोजागांव तह० रामस्नेही घाट, जि० बाराबंकी	12-4-90
3.	मै० विवेक गन्ना प्रा० लि०, रामगढ़, तह० मिसरीख, जिला सीतापुर	12-4-90
4.	मै० के० के० बाजोरिया, अगोता, जिला बुलन्दशहर	7-8-90
5.	मै० मुकेश जसनानी, माडर्न सिल्क हाऊस, स्थान-गदौरा, जिला महाराजगंज	26-10-90
6.	मै० जगतजीत चीनी मिल्स कं० लि०, धनौरा, जिला मुरादाबाद	7-8-90
7.	मै० धामपुर चीनी मिल्स लि०, असमोली, जिला मुरादाबाद	26-10-90
8.	मै० विन मेडिकेयर लि०, मलकपुर, जिला मेरठ	7-8-90
9.	मै० श्री हरीश चन्द्र सिंह, जसवन्त नगर, जिला इटावा	1-2-91
पंजाब		
10.	मै० ओमकाल एग्रो सुगर्स लि०, मुकेरियां, जिला होशियारपुर	23-3-90
11.	मै० पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, दसुया, जिला होशियारपुर	26-10-90

1	2	3
12.	मै० पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, कपूरथला, जि० कपूरथला	5-3-91
13.	मै० पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, पावडा, जिला पटियाला	7-3-91
14.	मै० पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, अमलोह, जिला पटियाला	7-3-91
15.	मै० पंजाब एग्रो इन्डस्ट्रीज कारपो० लि०, लोपोके के आस पास, जिला अमृतसर	9-10-90
16.	मै० पंजाब राज्य सहकारी चीनी मिल्स परिसंघ लि०, बाबा—बकाला, जिला अमृतसर	7-3-91
आन्ध्र प्रदेश		
17.	मै० श्री कैलाश सुगर्स एण्ड कैमीकल्स लि०, पेरूवुन्चा, जिला खमाम	12-10-89
18.	मै० सुगन्धम सुगर्स लि०, स्थान निन्द्रा गांव, निन्द्रा मण्डल, जिला चित्तूर	7-11-90
कर्नाटक		
19.	मै० बल्लारी अमाल सुगर्स लि०, स्थान-अलगांची गांव, ता० नन्जनगुड, जिला मैसूर	25-7-90
महाराष्ट्र		
20.	मै० घोडगंगा एस० एस० के० लि०, न्हामारे, जिला पूना	12-4-90
मध्य प्रदेश		
21.	मै० भोपाल सुगर इन्डस्ट्रीज लि०, अम्बई, जिला होशंगाबाद	3-5-90
उड़ीसा		
22.	मै० इन्डस्ट्रीयल प्रोमोसन एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन आफ उडीसा लि०, बौध, जिला फुलबानी	26-10-90

1	2	3
23.	मै० इन्डस्ट्रीयल प्रोमोशन एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०, भंजनगर, जिला गंजम	26-10-90
हरियाणा		
24.	मै० यूनाईटिड वनस्पति लि०, नारायणगढ़, जिला अम्बाला	13-2-91
तमिलनाडु		
25.	मै० तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ लि०, गुम्मुडीपून्डी, जिला चेन्गाई अन्ना	27-7-90
26.	मै० तमिलनाडु सहकारी चीनी परिसंघ, चिन्नेसलेम, जिला दक्षिण आरकोट	12-4-90

[अनुवाद]

बिहार जल और मल व्ययन बोर्ड द्वारा गंगा परियोजना निदेशालय के मार्गनिर्देशों का उल्लंघन

3275. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही :**

डा० ए० के० पटेल :

डा० लक्ष्मी नारायण पान्डेय :

श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार जल और मल व्ययन बोर्ड ने गंगा परियोजना निदेशालय द्वारा जारी किये गये मार्गनिर्देशों का उल्लंघन किया है और गंगा सफाई योजना के अन्तर्गत परियोजनाओं पर अत्यधिक राशि खर्च की है जबकि इसके मुख्य उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमलनाथ) : (क) से (ग) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत बिहार में, बिहार जल परिषद (पहले बिहार राज्य जल एवं वाहित मल परिषद) द्वारा हाथ में ली गई तीन स्कीमों को छोड़कर सभी 45 स्कीमों में व्यय कुल संस्वीकृत धनराशि के 10 प्रतिशत के भीतर ही रहा है, इसमें पूरी की गई और चल रही स्कीमों का कुल व्यय मिला दिया गया है । इन तीन स्कीमों में धनराशि संस्वीकृत लागत से 10% अधिक हो गई थी जिसके औचित्य के बारे में राज्य सरकार से ब्यौरा मांगा गया है ।

बिहार में हाथ में ली गई कुल 45 स्कीमों में से 32 स्कीमें अब तक पूरी की जा चुकी हैं। सीवेज उपचार की सभी स्कीमें तथा अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की कुछ स्कीमें पूरा होने के विभिन्न चरणों में है। कार्य योजना के लक्ष्य दिसम्बर, 1993 तक इन स्कीमों के पूरी होने के पश्चात् ही पूरे हो सकेंगे।

इस संदर्भ में गंगा परियोजना निदेशालय के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन का कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता है।

कथित गेहूं घोटाला

3276. **श्री जीवन शर्मा** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1992 के दैनिक समाचार पत्र "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "व्हीट स्कैंडल" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार से भुगतान शेष की कठिन स्थिति का मुकाबला करने के लिए विदेशी मुद्रा के साधन जुटाने के उद्देश्य से अगस्त, 1990 और अप्रैल, 1991 में गेहूं का निर्यात करने के लिए निर्णय किया था। तदुपरान्त, यह देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल-जून, 1991 में गेहूं की वसूली में लगभग 35 लाख मीटरी टन तक की भारी गिरावट आ गयी थी। सावधानी के तौर पर सरकार ने सितम्बर, 1991 में यह निर्णय किया कि 1991-92 के दौरान गेहूं के निर्यात को 8 लाख मीटरीटन तक सीमित रखा जाए। गेहूं की आपूर्ति स्थिति की निरन्तर समीक्षा की जाती रही और जनवरी, 1992 में यह निर्णय किया गया कि राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा पहले से किए गए पक्के ठेकों से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वाह करने के अलावा गेहूं का आगे कोई निर्यात न किया जाए। 1991-92 के दौरान (29-2-92 तक), राज्य व्यापार निगम/खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 6.72 लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात किया जिसमें से खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने 4.19 लाख मीटरी टन और राज्य व्यापार निगम ने 2.53 लाख मीटरी टन गेहूं का निर्यात किया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अधिकांशतः लागत और भाड़ा आधार पर लगभग 13 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन के भाड़े सहित लगभग 116 अमरीकी डालर प्रति मीटरी टन की दर पर गेहूं का निर्यात किया। राज्य व्यापार निगम द्वारा अधिकांशतः जहाज तक निष्प्रभार आधार पर लगभग 95 अमरीकी डालर की दर पर गेहूं का निर्यात किया गया। गेहूं के निर्यात के कोटे को कम करने के निर्णय के साथ-साथ खाद्यान्नों की उपलब्धता में वृद्धि करने और मूल्य वृद्धि पर काबू पाने की दृष्टि में सरकार ने 15 जनवरी, 1991 को 10 लाख माटरी टन गेहूं के आयात का भी निर्णय किया। गेहूं का आयात करने से सम्बन्धित किसी भी ठेके पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

अक्तूबर, 1991 में इस बात को देखा गया कि खुले बाजार में गेहूं के मूल्यों में अनुचित वृद्धि हो रही है। मूल्यों पर बने दबाव को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने गेहूं की खुले बाजार में बिक्री करने का फैसला किया। यह न केवल रोलर फ्लोर मिलों के लिए खुली थी बल्कि होल मील आटा चक्कियों,

आटा चक्कियों, डबल रोटी के निर्माताओं जैसे अन्य खरीदारों और सुपर बाजार, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, उपभोक्ता सहकारी समितियों आदि जैसे सरकार के नियन्त्रणाधीन संगठनों के लिए भी खुली थी।

फिलहाल गेहूं के पदार्थों के मूल्यों पर कोई नियन्त्रण नहीं है।

[हिन्दी]

गाड़ियों को पुन: चालू करना

3277. **श्री उपेन्द्रनाथ वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विचार के छोटा नागपुर संथाल परगना में पिछले एक वर्ष के दौरान स्थगित की गई गाड़ियों को पुन: चालू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

औरंगाबाद-मनमाड़-दौंड़-पुणे-मुम्बई खण्ड पर यात्री गाड़ी

3278. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का औरंगाबाद-मनमाड़-दौंड़-पुणे-मुम्बई खण्ड पर एक नई यात्री गाड़ी चलाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मनमाड-औरंगाबाद मीटर लाइन खण्ड के बड़ी लाइन में बदलने के परिणामस्वरूप फरवरी, 1992 से औरंगाबाद-मनमाड-बम्बई और औरंगाबाद-मनमाड-दौंड-पुणे खण्डों पर निम्नलिखित बड़ी लाइन सेवाएं चालू की गई हैं/बढ़ाया गया है :—

(i) **औरंगाबाद-मनमाड-बम्बई खंड**

1351/1352 बम्बई-औरंगाबाद-पैसेंजर/एक्सप्रेस

(ii) **औरंगाबाद-मनमाड-दौंड-पुणे खंड**

(क) 1321/1322 पुणे-मनमाड पैसेंजन गाड़ी को औरंगाबाद तक बढ़ाया गया है।

(ख) 1603/1604 दौंड-मनमाड पैसेंजर गाड़ी को औरंगाबाद तक बढ़ाया गया है।

पीलीभीत क्षेत्र में रेलवे स्टेशन

3279. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत क्षेत्र में भारी रेल यातायात को देखते हुए वहां नए रेलवे प्लेटफार्म बनाने तथा वर्तमान प्लेटफार्मों का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पीलीभीत तथा आसपास के स्थानों में विभिन्न रेलवे स्टेशनों का विकास करने तथा उन्हें सुन्दर बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन स्टेशनों के रख-रखाव पर स्टेशनवार कितनी-कितनी धन-राशि खर्च की गई; और

(ङ) 1992-93 के दौरान इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि खर्च करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं । पीलीभीत स्टेशन पर संभाले जाने वाले यातायात की वर्तमान मात्रा को देखते हुए मौजूदा प्लेटफार्म पर्याप्त हैं ।

(ख) प्रश्न नही उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) रेलें अनुरक्षण पर होने वाले व्यय का स्टेशनवार ब्यौरा नहीं रखती हैं ।

जयपुर-टोडा राय सिंह मार्ग पर रेल सेवा

3280. **श्री राम नारायण डूंडवा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जयपुर-टोडा राय सिंह मार्ग पर कितनी रेलगाड़ियां चलाने का विचार है;

(ख) क्या इस मार्ग पर रेलगाड़ियों की संख्या में कटौती की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोई नई गाड़ी चलाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) कम लोकप्रिय होने के कारण एक जोड़ी गाड़ी रद्द कर दी गई है ।

[अनुवाद]

प्रोत्साहन पर आधारित परिवार नियोजन योजना का विकेन्द्रीकरण

3281. **श्री मोरेश्वर सावे** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार परिवार नियोजन मानदण्ड अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने हेतु प्रोत्साहन पर आधारित योजना का विकेन्द्रीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणाम स्वरूप कितनी धनराशि बचाये जाने की संभावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) परिवार नियोजन मानदण्डों को अपनाने के लिए लोगों के प्रोत्साहनार्थ कोई प्रोत्साहन आधारित योजना नहीं है । तथापि, नसबन्दी/आई० यू० डी० निवेशन के स्वीकारकर्ताओं को हुई हानि का मुआवजा देने सम्बन्धी योजना के तहत, केन्द्रीय सरकार ट्यूबेक्टोमी/वेसेक्टोमी/आई० यू० डी० निवेशन के प्रत्येक मामले के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को रु० 200/180/12 की राशि प्रदान करती है । प्रत्येक मामले के लिए आबंटित राशि में से स्वीकार कर्ता के मेहनताने में हुई स्त्री के मुआवजे के रूप में प्रत्येक वेसेक्टोमी/ट्यूबेक्टोमी के मामले में 100/-रु० आई० यू० डी० निवेशन के मामले में 9/-रु०

प्रदान किए जाते हैं तथा शेष राशि को दवाइयों, ड्रेसिंग खुराक और परिवहन आदि पर खर्च किया जाता है । इस योजना को निम्नलिखित कारणों से सुधारने का प्रस्ताव है;—

(1) इस योजना के अधीन उपलब्ध धन को राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में वर्षानुवर्ष नसबन्दियों और अन्त: गर्भ निवेशनों की संख्या की अपेक्षाकृत वास्तविक जन्म दर में कमी करने सम्बन्धी प्रयासों के आधार पर किया जाना चाहिए ।

(2) अकेले नसबन्दी और आई० यू० डी० निवेशनों जैसी कुछेक विशेष विधियों पर बल देने के बजाय गर्भ निरोधक व्याप्तता दरों में वृद्धि करने के लिए एक उपयुक्त के फेटेरिया आधारित नीति का प्रचार-प्रसार करना आवश्यक है ।

(3) उच्च प्रजनन क्षमता वाले युवा आयु के दम्पतियों को अधिक से अधिक संख्या में कवर करने के लिए जन्म में अन्तर रखने की गर्भ निरोधक विधियों के इस्तेमाल का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है ।

(4) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जनसंख्या नियंत्रण प्रयासों के अधिक से अधिक परिणाम हासिल करने के लिए उपलब्ध संसाधनों के समुपयोजन को सुनियोजित करने के लिए और अधिक लचीला दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है ।

(ग) कोई बचत होने की संभावना नहीं है ।

जनजातीय जिला बस्तर में मैनिन्जाइटिस से हुई मौतें

3282. **श्री परशराम भारद्वाज :**
श्री अवध कुमार पटेल :
श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 फरवरी, 1992 के "नेशनल हैराल्ड" में "725 मैनिंजाइटिस डैथ्स इन बस्तर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) जनजातीय उप-योजना के अंतर्गत इस क्षेत्र के लिए कितना आबंटन किया गया है; और

(घ) इस क्षेत्रों में जनजातियों के कल्याण के लिए धनराशि के उचित उपयोग के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1-1-1992 से 20-2-1992 की अवधि में मैनिंजाइटिस तथा अतिसार रोग के रोगियों और इनसे हुई मौतों की संख्या इस प्रकार थी :—

	रोगी	मौतें
मेनिन्जाइटिस	68	12
अतिसार रोग	758	53

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की प्रमुख स्वास्थ्य स्कीमों के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को 1991-92 में आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत 300.21 लाख रुपये आवंटित किए गए थे।

(घ) धनराशि उचित उपयोग के लिए राज्य सरकार को प्रदान कर दी जाती है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में कुष्ठ रोग निवारण यूनिट

3283. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कुष्ठ रोगियों का उपचार, पुनर्वास और उत्थान करने वाली यूनिटों की जिला-वार तथा कुल संख्या कितनी है; और

(ख) राज्य में इस कार्य में लगे स्वयं सेवी संगठनों की जिला-वार संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) महाराष्ट्र राज्य में सम्बद्ध कार्यकलापों में लगे कुष्ठ उपचार, पुनर्वास और उत्थान एककों की जिले वार कुल संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में कुष्ठ कार्य में लगे हुए स्वयं सेवी संगठनों की जिलेवार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

विवरण-I

क्र० सं०	जिला	एककों का नाम
1.	रायगढ़	1
2.	रत्नागिरि	—
3.	सिन्धु दुर्ग	—
4.	थाने	—
5.	धुले	1
6.	जलगांव	1
7.	नासिक	1
8.	अहमद नगर	1
9.	पुणे	2
10.	शोलापुर	1
11.	कोल्हापुर	—
12.	सांगली	2

(1)	(2)	(3)
13.	सतारा	1
14.	औरंगाबाद	1
15.	बीड	1
16.	जलना	—
17.	नांदेड	2
18.	लटूर	—
19.	उसमानबाद	1
20.	परभणी	1
21.	अकोला	1
22.	अमरावती	1
23.	बुलढाना	1
24.	यौतमल	1
25.	भंडारा	1
26.	चन्द्रपुर	2
27.	गाडचिरोली	—
28.	नागपुर	1
29.	वर्धा	2
30.	ग्रेटर बम्बई	2
	योग	29

विवरण-II

क्र० सं०	जिला	स्वयं सेवी संगठनों की संख्या
1.	रायगढ़	3
2.	सिन्धुदुर्ग	—
3.	रत्नागिरी	—
4.	थाने	4

1	2	3
5.	धुले	1
6.	जलगांव	—
7.	नासिक	2
8.	अहमदनगर	5
9.	पुणे	10
10.	शोलापुर	3
11.	कोल्हापुर	1
12.	सांगली	1
13.	सतारा	1
14.	औरंगाबाद	—
15.	बीड़	—
16.	जलना	1
17.	नांदेड	1
18.	लटूर	—
19.	उस्मानाबाद	—
20.	परभणी	—
21.	अकोला	—
22.	अमरावती	5
23.	बुलढाना	—
24.	योतमल	2
25.	भंडारा	—
26.	चन्द्रपुर	1
27.	गाडचिरोली	1
28.	नागपुर	1
29.	वर्धा	2
30.	ग्रेटर बम्बई	10
	कुल	55

ओजोन परत का क्षीण हो जाना

3284. **श्री विलास राव नागनाथ बहाद्दर गूडेवा :**

श्री नारायण सिंह चौधरी :

श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ओजोन का परस के क्षीण हो जाने का भारत की पर्यावरणीय सुरक्षा का पड़ने वाले प्रभावों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) ओजोन सतह को तक रूप से प्रभावित करने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार ओजोन की परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के प्रयोग को धीरे-धीरे समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में अब तक कितनी क्रांति हुई ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) भारत में और अन्य देशों में विभिन्न संस्थानों में कई वर्षों तक किए गए वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि समताप-मंडल में ओजोन के क्षीण हो जाने का मानव और पशु स्वास्थ्य, पादपों, घास और जलजीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) ओजोन परत क्लोराफ्लूरोकार्बनों और हेलोन के कारण क्षीण होती है, जिनका प्रयोग मुख्य रूप से वातानुकूल और रेफिजरेशन उद्योग में प्रेरकों के रूप में, एरोसील स्प्रे के लिए, प्लास्टिक फोम बनाने, आधुनिक अग्नि शमन के लिए तथा इलेक्ट्रोनिक्स और धातु सफाई उद्योगों द्वारा विलायकों के रूप में किया जाता है।

(घ) और (ङ) ओजोन को क्षीण करने वाले क्लोरोफ्लूरो कार्बनों, हेलोन जैसे पदार्थों और अन्य रसायनों को धीरे-धीरे समाप्त करने और वैकल्पिक पदार्थ/प्रौद्योगिकियों अपनाने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने में अपनाया जाने वाला आधारभूत दृष्टि कोण बनाने की दृष्टि से उद्योग मंत्रालय ने एक कृत्यक बल बनाया है।

[अनुवाद]

भद्रक स्टेशन का विकास

3285. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के खुदरा रोड डिवीजन में भद्रक रेलवे स्टेशन के विकास के लिए किन सुधारों का प्रस्ताव है;

(ख) स्थानीय जनता विशेषकर जन प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुधार/सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सुधार सम्बन्धी उपाय के रूप में, 21.19

लाख रुपये की लागत से मौजूदा एक पुल के बदले एक नये ऊंची पैदल पुल की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य को 1992-93 के दौरान पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

(ख) सुझाए गए सुधारों में भद्रक स्टेशन पर आरक्षण कोटे में वृद्धि करना, प्लेटफार्म को ऊंचा करना, जन-उद्घोषणा प्रणाली के कार्य संचालन में सुधार करना और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है।

आरक्षण कोटा

(ग) मौजूदा आरक्षण कोटा, यातायात की वर्तमान मांग को पर्याप्त रूप से पूरा करता है और फिलहाल इसमें वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्लेटफार्म ऊंचा करना

प्लेटफार्म को ऊंचा करने से सम्बन्धित कार्य को रेलवे के भावी निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव किया जाएगा जो धन की उपलब्धता और विभिन्न स्टेशनों की तुलनात्मक आवश्यकताओं पर निर्भर करेगा।

जन उद्घोषण प्रणाली

स्टेशन कर्मचारियों को जन-उद्घोषणा प्रणाली पर घोषणा करने के अनुदेश दिए गए हैं।

बुनियादी यात्री सुविधाएं

भद्रक स्टेशन पर सम्हाले जा रहे यातायात की मात्रा के आधार पर बुनियादी यात्री सुविधाओं की मानदंडों के अनुसार पहले से व्यवस्था की गई है।

[हिन्दी]

सरिस्का अभयारण्य में बाघ परियोजना

3286. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

श्री राम बदन : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरिस्का अभ्यारण्य में स्थापित की जाने वाली बाघ परियोजना की लागत क्या है और इस परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या सरकार को इस परियोजना की स्थापना को लेकर स्थानीय लोगों में व्याप्त असंतोष और विस्थापितों के लिए भूमि के आवंटन में अनियमितताएं बरते जाने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचारात्मक कदम उठा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

अल्पसंख्यक संस्थानों में आरक्षण

3287. **श्री राम विलास पासवान** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों के कालेजों और विश्व विद्यालयों में 50 प्रतिशत सीटें अल्पसंख्यक लोगों के लिए आरक्षित हैं और शेष प्रतिशत सीटों पर दाखिला खुली प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है;

(ख) इन कालेजों और विश्व विद्यालयों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान अल्पसंख्यकों के कालेजों और विश्वविद्यालयों में दाखिल किए गए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों का प्रतिशत और उनकी संख्या क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) तथा (ख) विद्यमान निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों व इसके कालेजों में सभी पाठ्यक्रमों में 115% सीटें अनुसूचित जाति के लिए तथा 78 % सीटें अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए आरक्षित हैं। ये निर्देश अल्पसंख्यक कालेजों पर भी लागू होते हैं। इस विभाग ने अल्पसंख्यक कालेजों में 50 प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। राज्य सरकारों ने अपने राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता के अनुसार आरक्षण की विभिन्न प्रतिशतता निर्धारित की है।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड चरण चार

3288. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चरण-चार के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार से 156 म्युनिसीपल क्षेत्रों में 4695 स्कूलों को शामिल करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। तथापि पूर्व-संस्वीकृत किए गए चरणों के मंद गति से कार्यान्वय के कारण इसे वर्ष 1991-92 में संस्वीकृत नहीं किया गया।

[अनुवाद]

मंगलौर-हुसन लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3289. श्री धनंजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर-हुसन मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां।

(ख) देश में एक ही आमान वाली रेल प्रणाली की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से रेलों द्वारा चुनींदा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए शुरू की गई कार्य योजना प्रस्ताव शामिल कर लिया गया है।

[हिन्दी]

रेल यात्री निवास

3290. डा० लाल बहादुर रावल :

डा० सी सिलवेरा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में यात्री निवास बनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कहां-कहां स्थित हैं और विभिन्न श्रेणी के आवासों के लिए कितना-कितना किराया निर्धारित किया गया है और पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक यात्री निवास के लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी यात्री, यात्री निवास की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में ऐसे और यात्री निवासों के निर्माण का है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेल यात्री निवास का निर्माण केवल नई दिल्ली और हवड़ा स्टेशनों पर ही किया गया है। एक विवरण संलग्न है जिसमें निर्धारित प्रभारों तथा लाभ/हानि के आंकड़े दिए गए हैं।

(ग) और (घ) चूंकि यात्री निवास विश्राम कक्षों की सुविधाओं का विस्तार है, जहां निर्धारित प्रभारों का भुगतान करके सभी दर्जों के सवाशयी यात्री इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

(ङ) और (च) 29.09 लाख रुपये और 43.85 लाख रुपये की लागत पर क्रमशः गोरखपुर और उज्जैन में रेल यात्री निवास का निर्माण कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

विवरण

नई दिल्ली पर

कमरों की किस्म	टैरिफ
दो बिस्तर वाला (संलग्न बाथरूम सहित)	175/-रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन
दो बिस्तर वाला (संयुक्त बाथरूम सहित)	150/-रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन
चार बिस्तर वाले (डारमिटरीज)	50/-रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन
पांच और छः बिस्तर वाले (डारमिटरीज)	45/-रुपये प्रति बिस्तर प्रतिदिन

1	2

हावड़ा

वातानुकूल दो बिस्तर वाले कमरे	300/-रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन
गैर वातानुकूल-दो बिस्तर वाले	200/-रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन
गैर वातानुकूल-तीन बिस्तर वाले	225/-रुपये प्रति कमरा प्रतिदिन
पांच और सात बिस्तर वाले (डारमिटरीज)	50/-रुपये प्रतिबिस्तर प्रतिदिन
1990-91 के दौरान अर्जित लाभ	
नई दिल्ली यात्री निवास	12.70 लाख रुपये
हवड़ा यात्री निवास	1.57 लाख रुपये

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी सेवाएं

3291. श्री राम टहल चौधरी :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्री काशीराम राणा :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री श्रीकांत जेना : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आंगनवाड़ी सेवाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा योजना का 1975 से इसके स्थापना काल से ही चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जा रहा है । अब तक 2506 केन्द्रीय प्रयोजित और 188 राज्यों द्वारा प्रायोजित परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । इस योजना का विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है जिससे कि सभी समुदाय विकास ब्लाकों और शहरी गन्दी बस्तियों को चरणबद्ध ढंग से कवर किया जा सके । परन्तु विस्तार की गति धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी । अतः इस स्तर पर राज्यवार ब्यौरा तैयार नहीं किया जा सकता ।

मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंपों का प्रयोग

3292. श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों द्वारा रात्रि में रेल सम्पत्ति का निरीक्षण करने के लिए मिट्टी के तेल से जलने वाले पुराने लैंपों के स्थान पर उच्च तकनीक से बने लैंपों का प्रयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी हां। मिट्टी के तेल से जलाने वाले हैण्ड सिगनल लैम्पों के स्थान पर बैटरी से जलाने वाले लैम्पों का उत्तरोत्तर प्रयोग शुरू किया जा रहा है। पहले चरण में गार्डों तथा ड्राइवरों को शामिल किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मितव्ययता अभियान

3293. श्री पंकज चौधरी :

श्री भाग्ये गोवर्धन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल द्वारा मितव्ययता अभियान चलाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ख) इनके परिणामस्वरूप कितनी बचत होगी;

(ग) इनसे खर्चे में कितने प्रतिशत कमी होगी;

(घ) क्या फिजूल खर्ची रोकना भी मितव्ययता अभियान का हिस्सा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) लागत पर नियंत्रण रखकर, लागत में कमी करके और किफायत के उपाय अपनाकर व्यय पर अंकुश रखने के लिए एक कार्य-योजना शुरू की गई है। इसके अलावा, दूर-संचार विभाग की 10 प्रतिशत टेलीफोन लाइनें अभ्यर्पित कर दी गई हैं और ताप्रा व्यय हेतु बजट आबंटन में 20 प्रतिशत की कटौती की गई है।

(ख) और (ग) बजटोपरान्त कारकों, जैसे महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि, रुपये के अवमूल्यन, कोयले, बिजली आदि के मूल्यों एवं मूल लक्ष्य की तुलना में अतिरिक्त यातायात की ढुलाई के लिए अपेक्षित साधन-सामग्रियों की लागत में वृद्धि, आदि के प्रभाव को किफायत के उपायों के जरिए काफी हद तक आत्मसात किया गया है।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालय, मास्को में विद्यार्थी

3294. श्री मुहीराम सैकिया :

डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय, मास्को (रूस) में प्रत्येक सत्र में 11 वीं तथा 12 वीं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी थी;

(ख) क्या इस विद्यालय में मानविकी विषयों में शिक्षण बन्द करने का प्रस्ताव है और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क)

	1988-89	1989-90	1990-91
(xi)	10	8	11
(xii)	14	8	11

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में नीलकंठेश्वर की पुरातन कला-कृतियों का संरक्षण

3295. श्री राम बदन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजगढ़ (राजस्थान) में नीलकंठेश्वर से अधिकांश पुरातन कलाकृतियों की चोरी हो गई; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पुरातन कलाकृतियों के संरक्षण और परिरक्षण के लिए उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) नीलकंठेश्वर मन्दिर, राजगढ़, जिला अलवर, राजस्थान से 28-6-1988 को केवल 5 मूर्तियां चुराई गई थीं। इनमें से दो मूर्तियां पुलिस की सहायता से प्राप्त कर ली गई हैं। शेष मूर्तियों को फिर से प्राप्त कर ली गई हैं। शेष मूर्तियों को फिर से प्राप्त करने के लिए आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

(ख) इस स्थान के स्मारकों और मूर्ति शेड के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सशस्त्र पुलिस गार्डों की व्यवस्था की है। इसके अलावा, सुरक्षा अधिकारी, पहरा और निगरानी की तैनाती को सुदृढ़ किया गया है। इस स्थल की पुरावस्तुओं को सुरक्षित और परिरक्षित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं।

उड़ीसा और बिहार में रेल पटरियों का नवीकरण

3296. श्री भीकांत जेना :

श्री सुखदेव पासवान :

श्री रामटहल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा तथा बिहार में सातवीं योजना के दौरान किन-किन रेल लाइनों के नवीकरण की स्वीकृति दी गयी तथा किन-किन रेल लाइनों का नवीकरण कार्य शुरू किया गया;

(ख) प्रत्येक लाइन पर अब तक कितना कार्य पूरा किया गया है; और

(ग) इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सातवीं योजना में नवीकरण के लिए रेलपथों की कि० मी० में अनुमोदित लम्बाई तथा जिनका नवीकरण पूरा हो चुका है उनकी लम्बाई नीचे दी गई हैं :—

	बिहार	उड़ीसा
स्वीकृति	1264	547
पूरी की गई	1135	481

(ग) शेष अनुमोदित नवीकरण कार्य 1992-93 में पूरे किए जाने का कार्यक्रम है।

अनुवाद]

महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग

3297. श्री भुवनचन्द्र खंडूरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में महिलाओं के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसका क्षेत्राधिकार क्या है;

(ग) क्या गठन के बाद आयोग की कोई बैठक हुई है;

(घ) क्या विभिन्न परिस्थितियों में महिला विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है;

(च) यदि नहीं, तो क्या महिला विकास के कार्य में रत विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों की आमनी बैठकों में अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाएगा;

(छ) क्या आयोग का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जाएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (च) और (छ) सरकार ने 31-1-92 को राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया है। आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव हैं। इसका अधिकार क्षेत्र जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत है।

आयोग ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है और गठन के पश्चात इसकी एक बैठक हो चुकी है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे महिला विकास के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार भेजें। आयोग ने महिला कल्याण कार्यों में संलग्न स्वयंसेवी संगठनों तथा व्यक्तियों के साथ सम्पर्क करने का कार्य शुरू कर दिया है ताकि उनके विचार प्राप्त किए जा सकें। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 में यह प्रावधान है कि आयोग द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णयों के अनुसार महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं और मुद्दों का अध्ययन करने के लिए ऐसी समितियां गठित की जाएं, जिसमें आयोग के सदस्यों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भी सदस्यों के रूप में सहयोजित किया जा सकता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 में यह भी प्रावधान है कि रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद आयोग को वार्षिक रिपोर्ट और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। साथ में जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उनमें दी गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन भी प्रस्तुत किया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और बिहार में मस्तिष्क शोथ और काला-आर

3298. **श्री मोहन सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में अगस्त से अक्तूबर, 91 के बीच मस्तिष्क शोथ और काला आर से कितने व्यक्ति मरे हैं; और

(ख) इन रोगों के फैलने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाए किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) राज्य सरकारों की रिपोर्टों के अनुसार बिहार राज्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश, में जापानी मस्तिष्क शोथ तथा कालाजार के कारण मरे व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

जापानी मस्तिष्क शोथ

क्रम सं०	राज्यों का नाम	के दौरान हुई मौतें			मौतों की कुल संख्या
		अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर	
1.	बिहार	शून्य	3	1	14
2.	उत्तर प्रदेश	शून्य	26	510	542
कालाजार					
1.	बिहार	99	216	73	388
2.	उत्तर प्रदेश	शून्य	10	04	02

(ख) कालाजार मरुमक्षिका नामक रोगाणु से फैलता है मरु मक्षिकाएं छायादार, नमी वाले तथा गरम स्थानों में पैदा होती हैं जिन्हें डी० डी० टी० के छिड़काव से खत्म किया जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के एक अंग के रूप में, डी० डी० टी० का छिड़काव देश के सभी स्थानिक मारी वाले जिलों में किया गया। छिड़काव के स्पिन आफ के रूप में मरु मक्षिकाओं को भी समाप्त किया गया।

छठे दशक के दौरान, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत कीटनाशी छिड़काव के समानान्तर फायदों के कारण कालाजार देश से प्रायः गायब ही हो गया था। इन क्षेत्रों में छिड़काव कार्य समाप्त कर दिए थे क्योंकि ये कार्य उन्मूलन के अनुरक्षण चरण में आ गए थे इसके परिणामस्वरूप मरु मक्षिकाओं की संख्या में क्रमिक रूप से वृद्धि हुई। जिसके कारण बिहार तथा पश्चिम बंगाल में कालाजार फैला।

जापानी मस्तिष्क शोथ

जापानी मस्तिष्क शोथ एक विषाणुज रोग है जो संक्रमित मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर अधिकतर धान की खेती की सिंचाई वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। यह समस्या सुअरों की मौजूदगी से बढ़ जाती है जो सहज ही एम्पलिफायर होस्ट्स का काम करते हैं। यह रोग सामान्यतः महामारी वाले क्षेत्रों में सूचित किया गया है।

(ग) बिहार में कालाजार को नियन्त्रित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं।

—रोगियों का व्यवस्थित ढंग से पता लगाना तथा सोडियम स्टिबो ग्लूकोनेट, पेंटामिडीन आदि जैसी औषधों से सभी रोगियों का उपचार।

—प्रभावित क्षेत्रों में डी० डी० टी० के दो बार छिड़काव तथा अवशिष्ट कीटनाशी छिड़काव करके रोगाणु नियन्त्रण के द्वारा इसके संचरण की रोकथाम।

—मच्छरांकका जो कालाजार का वैक्टर है, के पैदा होने वाले स्थान को समाप्त करने के लिए घरों अथवा इसके आस-पास के स्थानों में सामान्य सफाई में सुधार।

—स्वास्थ्य शिक्षा और रोग की रोकथाम सम्बन्धी कार्य कलापों को तेज करना।

—केन्द्रीय सरकार कीटनाशक डी० डी० टी० 50 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० बी० और पेंटामिडीन आइसोथियोनेट, एक आयातित औषध और सोडियम एन्टीमानी ग्लुकोनेट जो देश में फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में उपलब्ध है, की अपेक्षित मात्राएं भी बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप प्रदान कर रही है।

—कालाजार रोगियों के निदान और उपचार में चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा कार्मिकों का प्रशिक्षण।

—उत्तर प्रदेश में जापानी मस्तिष्क शोथ की रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे थे :—

—जिला स्वास्थ्य प्राधिकारियों को जापानी मस्तिष्क शोथ की रोकथाम और नियन्त्रण के लिए दिशा निर्देश जारी करना।

—वैक्टर नियन्त्रण के लिए कीटनाशक और जापानी मस्तिष्क शोथ के रोगियों के उपचार के लिए औषधों की पर्याप्त मात्रा का भण्डारण।

—प्रभावित क्षेत्रों में गहन फार्मिंग आपरेशन।

—रोगियों को उपचार-केन्द्रों में समय पर लाने ले जाने के लिए व्यवस्था करना।

—जापानी मस्तिष्क शोथ के नियन्त्रण में जिला स्वास्थ्य कर्मचारियों की सहायता करने के प्रबन्धों की निगरानी के लिए गश्ती दल नियुक्त करना। भारत सरकार नियन्त्रण सम्बन्धी उपायों के लिए राज्य सरकार को कीटनाशकों के रूप में सहायता प्रदान कर रहा है।

[अनुवाद]

राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक

3299. श्रीमती वासवा राजेश्वरी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1992 को राज्यों के खाद्य मन्त्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में कितने राज्यों ने भाग लिया;

(ग) किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए;

(घ) क्या सभी सम्बन्धित राज्यों में खाद्यान्नों की जमाखोरी को एक साथ खत्म करने के लिए कोई ठोस विचार बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सुझावों को कब तक कार्य रूप दिए जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय को बन्द किया जाना

3300. श्री के० रामामूर्ति दिंडीवनम : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तुलसी-सदन में क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय गत दो वर्षों से भी अधिक समय से बन्द पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह पुस्तकालय पुनः कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) (क) जी हां।

(ख) जिस भवन में क्षेत्रीय भाषा पुस्तकालय कार्य कर रहा था, उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा खतरनाक घोषित कर दिया गया था। इससे भवन की मरम्मत करवाना अत्यन्त आवश्यक हो गया था। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य दिसम्बर 1989 में प्रारम्भ किया गया था।

(ग) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह बताया है कि कार्य मई, 1992 तक पूरा हो जाएगा।

विदेशों में केन्द्रीय विद्यालय खोलना

3301. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में केन्द्रीय विद्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों/शहरों का विवरण क्या है जहां ये विद्यालय खोले जाएंगे;

(ग) इन पर कितनी धनराशि खर्च होने की सम्भावना है; और

(घ) इस खर्च को किन-किन एजेंसियों/मन्त्रालयों द्वारा वहन किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विदेशों में और केन्द्रीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में इस समय कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख), (ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मेडिकल कालिजों में आंकोलोजी यूनिटों का उन्नयन करना

3302. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ चुने हुए मेडिकल कालेजों के आंकोलोजी विभागों के उन्नयन का कार्य शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उन मेडिकल कालिजों के नाम क्या है जिनमें यह उन्नयन कार्य किए जाने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक कालिज/अस्पताल को कितनी धनराशि दी जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैंसर नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान उन क्षेत्रों के चुनिन्दा मेडिकल कालेजों/अस्पतालों में जहां इस समय कैंसर उपचार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है आन्कोलाजी स्कंधों के विकास की एक नई योजना शुरू की गई थी । इस योजना में संस्थाओं को उपकरणों की खरीद के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों के माध्यम से उपयुक्त किस्तों में 1.00 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता दी जाती है । सिविल कार्यों और स्टाफ आदि से सम्बन्धित खर्च सम्बन्धित राज्य सरकार/संगठन द्वारा वहन किया जाता है । इस योजना के अन्तर्गत 1990-91 के दौरान दरभंगा मेडिकल कालेज बिहार और रीजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल को वित्तीय सहायता दी गयी थी । चालू वर्ष 1991-92 के दौरान प्रत्येक सम्बन्धित राज्य सरकार को निम्नलिखित संस्थाओं में आनकोलाजी स्कंधों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता दी गई है :—

1. निजाम इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साईसिज, हैदराबाद ।
2. सिलचर मेडिकल कालेज और अस्पताल, सिलचर ।
3. जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज, अजमेर ।
4. बाबा राघब दास मेडिकल कालेज, गोरखपुर ।
5. नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुडी ।
6. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, जम्मू ।
7. लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज, मेरठ ।

केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर में सुविधाएं

3303. **प्रो० प्रेम धूमल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मन्त्री 2 फरवरी, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 852 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) में भौतिक सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) स्थायी स्कूल भवन का निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को सौंप दिया गया है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर-मिराज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3304. श्री बी० कृष्णा राव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बंगलौर-मिराज मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी हां ।

(ख) बेंगलूरु से मिरज तक की मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य आमान परिवर्तन की बेंगलूरु-हुबली, होसपेट-हुबली-गोवा (सम्बद्ध फिंगरो सहित) और मिरज-लोंडा नामक तीन परियोजनाओं के अन्तर्गत ले लिया गया है जिन्हें 1992-93 के बजट प्रस्तावों में शामिल किया गया है, इसका पूरा होना आगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

खेलों के विकास हेतु प्रस्ताव

3305. श्री डी० डी० खनोरिया ।

श्री पी० एम० सईद :

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :

श्री दिलीप भाई संघानी :

श्री के० मुरलीधरन :

श्रीमती कुलेन्द्र कौर :

श्री अन्ना जोशी :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री चेतन पी० एस० चौहान : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेलों के विकास, स्टेडियमों तथा खेल प्रशिक्षण केन्द्रों के निर्माण के लिए राज्य सरकारों द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान, भेजे गये प्रस्तावों को राज्य वार संख्या कितनी है;

(ख) स्वायत्तशासी खेल संगठनों तथा स्वयंसेवी संगठनों द्वारा भेजी गई ऐसी योजनाओं को राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) ऐसी कितनी योजनाएं मंजूर की गई हैं अथवा विचाराधीन है; और

(घ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, राज्य-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (घ) 1990-91 के दौरान स्वायत्त खेल और स्वैच्छिक संगठनों के प्रस्तावों सहित, राज्य-वार प्राप्त प्रस्तावों की संख्या, स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या तथा स्वीकृत धनराशि, संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

इसमें ग्रामीण स्कूलों से प्राप्त प्रस्ताव भी शामिल हैं।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेशों	1990-91 में प्राप्त प्रस्ताव ग्रामीण स्कूलों सहित)	स्वैच्छिक संगठनों तथा स्वायत्त खेल संगठनों से प्राप्त प्रस्ताव कालम-3 में से	स्वीकृत प्रस्तावों को सं०	स्वीकृत धनराशि (रुपये लाखों में)	सिद्धांत रूप में स्वीकृत प्रस्तावों की सं० जिनको सहायता अंत में स्वीकृत की जायेगी
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	45	6	28	26.35	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	165	164	—	—	—
4.	बिहार	—	—	—	—	—
5.	गोवा	1	—	—	—	—
6.	गुजरात	9	5	—	—	—
7.	हरियाणा	33	1	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
9.	जम्मू और काश्मीर	—	—	—	—	—
10.	कर्नाटक	13	10	2	31.97	1
11.	केरल	41	11	2	0.55	—
12.	मध्य प्रदेश	107	5	3	133.25	—
13.	महाराष्ट्र	47	36	—	—	—
14.	मणिपुर	24	11	—	—	—
15.	मेघालय	—	—	—	—	—
16.	मिजोरम	8	6	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7
17.	नागालैंड	1	—	1	1.00	—
18.	उड़ीसा	89	58	4	—	10
19.	पंजाब	—	—	—	—	—
20.	राजस्थान	17	6	1	90.00	1
21.	सिक्किम	9	—	—	—	9
22.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	13	12	—	59.00	1
25.	पश्चिम बंगाल	—	—	—	—	—
संघ शासित प्रदेश						
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
27.	चंडीगढ़	—	—	—	—	—
28.	दादरा और नागर हवेली	—	—	—	—	—
29.	दमन और द्वीव	1	1	—	—	—
30.	दिल्ली	1	—	—	—	—
31.	पांडिचेरी	—	—	—	—	—
32.	लक्ष्यद्वीप	—	—	—	—	—

गन्ने का मूल्य

3306. श्री अंकुशराव राव साहब टोपे : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान गन्ने के तय किए गए सांविधिक न्यूनतम मूल्यों तथा किसानों को दिए गए वास्तविक मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस समय गन्ने का उत्पादन करने वाली सहकारी समितियां कितना कमीशन ले रही हैं ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) 1989-90 तथा 1990-91 मौसमों के दौरान अधिसूचित न्यूनतम गन्ना कीमत तथा विभिन्न राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को भुगतान की जाने वाली वास्तविक गन्ना कीमत का विवरण-I संलग्न हैं ।

(ख) जनवरी, 1992 को विभिन्न राज्यों में गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय कमीशन का विवरण-II संलग्न है ।

विवरण-I

1989-90 तथा 1990-91 मौसमों के दौरान अधिसूचित न्यूनतम गन्ना कीमत तथा विभिन्न राज्यों में चीनी फैक्ट्रियों द्वारा किसानों को भुगतान की जाने वाली वास्तविक गन्ना कीमत का विवरण

(रुपये प्रति क्विंटल)

क्रम सं०	राज्य	1989-90 मौसम		1990-91 मौसम (अनन्तिम)	
		अधिसूचित न्यूनतम कीमत	भुगतान की गई कीमत	अधिसूचित न्यूनतम कीमत	भुगतान की गई कीमत
1.	उत्तर प्रदेश	22.00 से 28.99	38.00 से 41.00	23.00 से 34.62	41.00 से 44.00
2.	बिहार	22.00 से 27.44	35.00 से 42.00	23.00 से 27.00	41.50 से 44.50
3.	पंजाब	23.55 से 27.18	36.00 से 40.00	23.00 से 27.60	42.00 से 46.00
4.	हरियाणा	23.55 से 26.92	36.00 से 40.00	24.89 से 28.68	41.00 से 46.00
5.	असाम	22.00	28.50 से 29.00	23.00	29.50 से 32.75
6.	पश्चिमी बंगाल	22.00	36.00	23.00	4500
7.	उड़ीसा	22.00 से 24.85	30.00 से 39.90	23.00 से 26.25	30.00 से 40.00
8.	मध्य प्रदेश	22.00 से 26.14	39.00 से 41.00	23.00 से 27.87	40.00 से 42.00

1 2	3	4	5	6
9. राजस्थान	22.00 से 23.81	30.00 से 32.00	25.71 से 25.90	40.00 से 42.00
10. महाराष्ट्र	23.02 से 32.09	25.00* से 48.50	23.00 से 34.36	26.00* से 39.50
11. गुजरात	25.88 से 32.09	34.85 से 56.00	24.00 से 33.01	22.00* से 33.00
12. आंध्र प्रदेश	23.04 से 27.95	23.55 से 36.80	23.00 से 30.85	27.50 से 36.53
13. तमिलनाडु	22.00 से 30.02	28.82 से 38.82	23.00 से 28.95	30.10 से 36.25
14. कर्नाटक	22.00 से 29.76	31.50 से 50.50	24.08 से 30.85	36.00 से 39.00
15. केरल	22.00 से 23.81	21.00 से 24.00	23.00 से 25.44	33.50 से 34.00
16. पांडिचेरी	26.14 से 36.92	29.71 से 23.59	24.89 से 26.79	26.79 से 31.60
17. नागालैण्ड	22.00	एन-आर.	23.00	एन.आर.
18. गोवा	24.07	38.00	23.81	40.50

*भुगतान की गई एक्स फील्ड कीमत।

एन० आर० अधिसूचित नहीं किया गया।

31-12-91 को समाप्त अवधि के लिए गन्ना कीमत बकाया विवरणों के संकलन के आधार पर

विवरण-II

जनवरी, 1992 को विभिन्न राज्यों में गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को चीनी फैक्ट्रियों द्वारा देय कमीशन का विवरण

1. बिहार	:	प्रति क्विंटल गन्ने पर 15 पैसे
2. हरियाणा	:	प्रति क्विंटल गन्ने पर 50 पैसे
3. मध्य प्रदेश	:	प्रति क्विंटल गन्ने पर 8 पैसे
4. पंजाब	:	प्रति क्विंटल गन्ने पर 50 पैसे
5. उत्तर प्रदेश	:	गन्ने की न्यूनतम सांविधिक कीमत पर 5 प्रतिशत ।

(राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर ।

अन्य राज्यों के मामले में उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त कमीशन नहीं लिया जा रहा है)

डेरी और कृषि उत्पादों में कीटनाशक

3307. श्री लोकनाथ चौधरी :

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में डेरी और कृषि उत्पादों में कीटनाशकों व अन्य घातक पदार्थों की मात्रा को नियन्त्रित करने के लिए कोई कदम उठाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 तथा उसके अन्तर्गत बने नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत डेरी और कृषि उत्पादों में कीटनाशी अवशिष्टों तथा अन्य हानिकारक पदार्थों की सह्य सीमाएं निर्धारित की गई हैं ।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से बाजारों में बेचे जा रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर कड़ी नजर रखने के लिए समय-समय पर अनुरोध किया जाता है ।

क्लोरो फ्लुरोकार्बन्स पर मांट्रियल समझौता

3308. श्री मुकुल वासनिक : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मांट्रियल समझौते का ब्यौरा क्या है और ओजोन के लिए विनाशकारी समझ जाने वाले क्लोरो फ्लुरोकार्बन्स के निर्माण को बन्द करने के लिए इस अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि पर किन-किन देशों ने हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) इस सम्बन्ध में भारत की क्या स्थिति है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ): (क) मांट्रिअल प्रोटोकाल तथा जून, 1990 में लंदन में हुई प्रोटोकाल के सदस्य देशों की बैठक में अपनाए गए संशोधनों की प्रतियां माननीय संसद सदस्यों के संसर्भ के लिये संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है। जिन देशों ने मांट्रिअल प्रोटोकाल (1987) तथा प्रोटोकाल में हुए संशोधनों पर हस्ताक्षर किए हैं/अनुसमर्थन/ग्रहमति/मंजूरी/स्वीकृति दी है, उनके ब्यौरे क्रमश: विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख) भारत सरकार ने प्रोटोकाल की जून, 1990 में लंदन में हुई बैठक में अपनाए गए संसाधनों के लागू होने के बाद मांट्रिअल प्रोटोकाल में शामिल होने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

क्रम सं०	देशों की सूची	क्रम सं०	देशों की सूची
	1987		
1.	अर्जेन्टीना	24.	फ्रांस
2.	आस्टेलिया	25.	जाम्बिया
3.	आस्ट्रिया	26.	जर्मनी
4.	बाहरेन	27.	घाना
5.	बंगलादेश	28.	यूनान
6.	बेलारस	29.	ग्वाटेमाला
7.	बेल्जियम	30.	हंगेरी
8.	बोत्स्वाना	31.	आइसलैंड
9.	ब्राजील	32.	इंडोनेशिया
10.	बल्गेरिया	33.	ईरान
11.	बर्किनो फासो	34.	आयरलैंड
12.	कामरून	35.	इस्राइल
13.	कनाडा	36.	इटली
14.	चिली	37.	जापान
15.	चीन	38.	जार्डन
16.	कांगो	39.	केन्या
17.	कोस्टा रिका	40.	लीबियन अरब जम्हूरिया
18.	चेकोस्लोवाकिया	41.	लाइस्टेंस्टाइन
19.	डेनमार्क	42.	लक्जम्बर्ग
20.	इक्वाडोर	43.	मलावी
21.	मिस्र	44.	मलेशिया
22.	फिजी	45.	मालद्वीव
23.	फिनलैंड	46.	माल्टा

क्रम सं०	देश की सूची	क्रम सं०	देशों की सूची
47.	मेक्सिको	64.	स्विट्जरलैंड
48.	मोरक्को	65.	सीरियाई अरब गणराज्य
49.	नीदर लैंड	66.	थाईलैंड
50.	न्यूजीलैंड	67.	टोगो
51.	नाइजीरिया	68.	ट्रिनिदाद एवं टोबैगो
52.	नार्वे	69.	ट्यूनीशिया
53.	पनामा	70.	तुर्की
54.	फिलीपाइन्स	71.	युगांडा
55.	पोलैंड	72.	यूक्रेन
56.	पुर्तगाल	73.	संयुक्त अरब अमीरात
57.	रूसी संघ	74.	ब्रिटेन
58.	सेनेगल	75.	उरूग्वे
59.	सिंगापुर	76.	संयुक्त राज्य अमरीका
60.	दक्षिण अफ्रीका	77.	वेनेजुएला
61.	स्पेन	78.	यूगोस्लाविया
62.	श्री लंका	79.	जाम्बिया
63.	स्वीडन	80.	यूरोपीय आर्थिक समुदाय

विवरणII

कनाडा

चीन

डेनमार्क

फिनलैंड

जर्मनी

आयरलैंड

जापान

मालद्वीव

मेक्सिको

नीदरलैंड

न्यूजीलैंड

नार्वे

रूसी संघ

स्वीडन

ब्रिटेन

संयुक्त राज्य अमरीका

यूरोपीय आर्थिक समुदाय

चामराजनगर-मैटुपालैयम लाइन और मैसूर चामराजनगर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3309. श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साथ्यामंगला होकर चामराजनगर से मैटुपालैयम तक बड़ी लाइन बिछाने और मैसूर से चामराजनगर मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

यात्रियों के लिए कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा

3310. श्री स्वामी सुरेशानन्द :

डा० साक्षीजी :

श्री गिरधारी लाल भार्गव :

श्रीमती चन्द्र प्रभा सतं :

श्री के० मुरलीधरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से रेलवे स्टेशनों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं;

(ख) किन-किन रेलवे स्टेशनों पर कम्प्यूटरीकृत आरक्षण से सम्बन्धित कार्य पूरा हो गया है और ये चालू कर दिए गए हैं;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान किन-किन स्टेशनों को यह सुविधा प्रदान करने हेतु चुना गया है; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक स्टेशन के लिए 1991-92 के दौरान कितनी धनराशि आवंटित की गई थी और वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा की व्यवस्था स्टेशनों पर कार्यभार के आधार पर की जाती है और इस सम्बन्ध में राज्यों की राजधानियों, क्षेत्रीय रेलों के मुख्यालयों आदि जैसे महत्त्वपूर्ण स्टेशनों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ख) वे स्टेशनों जहां पूर्णत: कंप्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा शुरु की जा चुकी है, वे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद, बैंगलूर, अहमदाबाद, लखनऊ, भोपाल, पटना, गुवाहाटी, इलाहाबाद, जम्मू तवी, जयपुर, कानपुर, जोधपुर, भुवनेश्वर, कटक तिरूवनन्तपुरम, पुरी, मदुरै, त्रिची, कोयम्बतूर, अमृतसर, आसनसोल, तथा धनबाद।

(ग) कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली के लिए 1991-92 के निर्माण कार्यक्रम में पहले से शामिल स्टेशनों सहित उन स्टेशनों के नाम जिन्हें 1992-93 के दौरान कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण की प्रणाली की व्यवस्था करने के लिए चुना गया है, वे हैं : आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, वाल्तेरू, एर्णाकुलम बड़ोदरा, सूरत, नागपुर, पुणे, ग्वालियर, लुधियाना, शिमला, चण्डीगढ़, टाटानगर, बिलासपुर, रांची, मेंगलोर, इन्दौर, जबलपुर, विजयवाड़ा तथा तिरूपति।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्य का नाम	1991-92 में आवंटित की गई तथा उपयोग की गई राशि (लगभग लाख रु०)	1992-93 के लिए प्रस्तावित आवंटन (लगभग लाख रुपए)
आगरा में यात्री आरक्षण प्रणाली का कंप्यूटरीकरण	नाममात्र	60.0
पुणे —वही—	240.0	121.0
नागपुर —वही—	नाममात्र	80.0
वाराणसी —वही—	नाममात्र	70.0
गोरखपुर —वही—	175.0	45.0
वाल्तेरू —वही—	11.0	4.0
एर्णाकुलम —वही—	10.0	8.0
बड़ोदरा —वही—	5.0	90.0
सूरत —वही—	5.0	60.0
ग्वालियर —वही—	92-93 में नया कार्य	30.0

1	2		3
जबलपुर	—वही—	—वही—	30.0
लुधियाना	—वही—	—वही—	40.0
शिमला	—वही—	—वही—	40.0
चण्डीगढ़	—वही—	—वही—	40.0
तिरूपति	—वही—	—वही—	75.0
बिजयवाडा	—वही—	—वही—	75.0
मेंगलोर	—वही—	—वही—	40.0
इन्दौर	—वही—	—वही—	40.0
टाटानगर	—वही—	—वही—	25.0
बिलासपुर	—वही—	—वही—	25.0
रांची	—वही—	—वही—	25.0

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभभोगियों के इलाज हेतु प्राइवेट नर्सिंग होम

3311. **श्री जी० चाडेगोडा :**

श्री सो० पो० मुदालगिरियप्पा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत बंगलौर नगर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के उपचार के लिए मान्यताप्राप्त अस्पतालों और प्राइवेट नर्सिंग होमों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत सरकार के कर्मचारियों के उपचार के लिए बंगलौर नगर में कुछ और प्राइवेट नर्सिंग होमों को मान्यता देने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डा० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (ग) बंगलौर शहर में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार/नगर निगम के सभी अस्पतालों और निम्नलिखित चार स्वायत्त संस्थानों को उपचार के लिए मान्यता प्रदान की गई है :

(1) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान

(2) किदवाई मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ आनकालोजी

(3) श्री जयदेव इंस्टीट्यूट आफ कार्डियालाजी

(4) संजय गांधी एक्सीडेंट एण्ड रिहेबलिटैशन सैंटर ।

वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों के उपचार के लिए मान्यता नहीं दी गई है ।

विकरोली-तुर्भे तथा मुम्बई-कल्याण राहुरे रेल लाइनें

3312. **प्रो० राम कापसे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकरोली से तुर्भे तथा मुम्बई-कल्याण-राहुरे सेक्शनों की रेल लाइनें बिछाने के प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और इस समय यह प्रस्ताव किस चरण में हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) (i) बम्बई-कल्याण रेल लाइन पहले से ही विद्यमान है और इस पर पैसेंजर गाड़ियां चल रही हैं ।

(ii) विकरोली-तुर्भे और कल्याण-मुर्बाद-राहूरे नई रेल लाइनों के निर्माण का फिलहाल कोई अनुमोदित प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

संथाल और पहाड़िया साहित्य का संरक्षण

3313. **श्री सूरज मंडल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है जो संथाल और पहाड़िया के प्राचीन साहित्य के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन संस्थाओं को पर्याप्त सहायता प्रदान की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) बिहार में केन्द्रीय सरकार की ऐसी कोई संस्था नहीं है, जो संथाल और पहाड़िया के प्राचीन साहित्य के संरक्षण के लिए कार्य कर रही हो ।

(ख) और (ग) प्रश्न हीं उठते ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद को सांविधिक दर्जा देना

3314. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद को सांविधिक दर्जा देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है, और इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी हां, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और रा० शि० नी० 1986 के कार्यान्वयन के लिए तैयार की गई कार्यवाई योजना में उल्लिखित प्रावधानों को ध्यान रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बताया गया है कि "राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा

परिषद को, शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक संसाधन तथा क्षमता प्रदान की जाएगी तथा पाठ्यक्रम और कार्य-प्रणाली सम्बन्धी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाएगा। रा० शि० नी० के कार्यान्वयन हेतु तैयार की गई कार्रवाई योजना में बताया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षण शिक्षा परिषद, शिक्षक शिक्षा प्रणाली के मार्गदर्शन के लिए सक्षम नहीं हुआ है। इसके गठन मे कुछ कठिनाइयां शुरू से ही रहीं, जिन्हें दूर करने के लिए, परिषद को एक स्वायत्त एवं संवैधानिक स्तर प्रदान किया जाएगा।"

अत: अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर प्रदान करने का प्रस्ताव किया गया है :—

(क) शिक्षक शिक्षा के स्तरों के निर्धारण एवं रख-रखाव के लिए तन्त्र तैयार करना।

(ख) घटिया दर्जे के कदाचार में लिप्त संस्थानों को क्रमिक रूप से बन्द करने की दृष्टि से शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को नियमित करना।

(ग) शिक्षकों के लिए सतत शिक्षा पर महत्त्व देना।

(घ) प्रशिक्षित शिक्षकों के संभरण तथा मांग के बीच अन्तर को कम करना।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा

3315. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसे गैर-सरकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी शर्तें क्या हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) केन्द्रीय विद्यालयों में क्लास (स्कूलों के कंप्यूटर साक्षरता जानकारी योजना) को छोड़कर कोई अन्य कंप्यूटर पाठ्यक्रम नहीं हैं। तथापि कुछ कंप्यूटर फर्में केन्द्रीय विद्यालय के छात्रों को स्वैच्छिक आधार पर कंप्यूटर साक्षरता की योजना प्रदान कर चुकी हैं।

योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय विद्यालयों के परिसर में ही कक्षा समय के पश्चात फर्म द्वारा केवल उन्हीं छात्रों को कंप्यूटर साक्षरता की शिक्षा दी जा सकती है जो फर्म को स्वेच्छा से कुछ फीस का भुगतान करते हैं। यह योजना दिल्ली के कुछ चुनिन्दा केन्द्रीय विद्यालयों के लिए प्रायोगिक आधार पर प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए कुछ फर्मों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सम्बन्धित छात्रों का मूल्यांकन किया जा रहा है। कक्षा I से V तक के लिए प्रति छात्र 400/-रुपये प्रतिवर्ष, कक्षा VI से VIII तक के लिए 450/-रुपये और कक्षा IX से XII तक के लिए 500/-रुपए की फीस का प्रस्ताव रखा गया है।

[अनुवाद]

स्कूलों और कालेजों को धन प्रदान करना

3316. डा० **असीम बाला** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और इंजीनियरिंग कालेजों को पृथक-पृथक वर्षवार कितनी धनराशि आवंटित की गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : विवरण संलग्न है ।

विवरण

1989-90 और 1990-91 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन नवोदय विद्यालय समिति, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों को दिया गया अनुदान ।

(लाखों में रुपये)

	1989-90		1990-91	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	—	12,020.00		13,885.00
नवोदय विद्यालय समिति	8,078.00	—	5,500.00	4,538.00
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान				
आई० आई० टी० बम्बई	483.00	1818.00	300.00	2080.50
आई० आई० टी० दिल्ली	505.00	1461.00	335.00	1821.00
आई० आई० टी० कानपुर	525.00	1513.00	309.00	1701.40
आई० आई० टी० खड़कपुर	514.98	1611.97	300.00	1898.60
आई० आई० टी० मद्रास	477.00	1406.00	30 .00	1 01.00
आई० आई० टी० असम	8.57			
संत लोंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल	300.00	—	800.00	—

(लाखों में रुपये)

	आर०ई०सी०	1989-90		1990-91	
		योजनेतर	योजनागत	योजनेतर	योजनागत
1.	इलाहाबाद	138.00	74.32	167.00	92.50
2.	भोपाल	126.20	44.75	139.00	79.00
3.	कलकत्ता	128.00	67.96	132.50	94.42
4.	दुर्गापुर	122.00	37.73	115.50	54.33
5.	हमीरपुर	—	152.06	52.00	187.00
6.	जयपुर	103.00	67.47	111.00	99.00
7.	जालंधर	—	190.00	45.00	313.00
8.	जमशेदपुर	109.09	74.91	114.50	105.72
9.	कुरुक्षेत्र	110.50	68.13	136.00	94.57
10.	नागपुर	159.50	74.46	165.00	86.20
11.	राउरकेला	132.00	48.54	133.00	87.10
12.	सिल्चर	74.00	54.50	64.00	93.99
13.	श्रीनगर	123.00	46.52	118.00	44.50
14.	सूरत	95.00	42.12	103.00	88.17
15.	सुरथकल	166.00	65.16	173.00	89.60
16.	तिरुचिरापल्ली	123.00	10.85	118.30	81.98
17.	वारंगल	170.71	60.52	194.00	97.42
18.	एस० पी०ए०, नई दिल्ली	116.80	190.00	161.00	250.00
19.	एन० आई० एफ० एफ० टी०, रांची	70.26	95.00	105.00	100.00

होस्टलों के निर्माण के लिए ऋण का आवंटन

3317. **श्री रतिलाल कालिदास वर्मा :**

श्री अन्ना जोशी :

श्रीमती कुसुमलता कौर :

डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :

प्रो० मालिनी भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टलों के निर्माण हेतु धन के आवंटन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों, से राज्य-वार, कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) अब तक मंजूर किए गए प्रस्तावों की, राज्य-वार, संख्या कितनी है;

(ग) इनमें से कितने अभी विचाराधीन हैं; और

(घ) मंजूर किए गए प्रस्तावों हेतु स्वीकृत धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (घ) वर्ष 1988-89, 1989-90 और 1990-91 के दौरान बच्चों के लिए क्रेच सहित कामकाजी महिला होस्टल भवनों के निर्माण के लिए राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार प्राप्त, अनुमोदित विचाराधीन प्रस्तावों की संख्या और अनुमोदित प्रस्तावों के लिए स्वीकृत धनराशि दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०		1988-89				
		प्राप्त प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत प्रस्तावों की सं०	विचाराधीन प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० में)	प्राप्त प्रस्तावों की सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	9	9	—	91.21	1
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	—	8.82	3
3.	असम	—	—	—	—	—
4.	बिहार	3	3	—	21.00	1
5.	गोआ	—	—	—	—	—
6.	गुजरात	2	2	—	7.80	2
7.	हरियाणा	—	—	—	—	—
8.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
9.	जम्मू और कश्मीर	—	—	—	—	2
10.	कर्नाटक	1	1	—	2.35	6
11.	केरल	9	6	3	71.62	8

1	2	3	4	5	6	7
12.	मध्य प्रदेश	8	8	—	103.36	7
13.	महाराष्ट्र	15	10	3	104.13	14
14.	मणिपुर	—	—	—	—	1
15.	मेघालय	—	—	—	—	1
16.	मिजोरम	1	—	1	—	—
17.	नागालैण्ड	2	2	—	25.72	1
18.	उड़ीसा	2	2	—	29.73	—
19.	पंजाब	1	1	—	12.32	—
20.	राजस्थान	2	2	—	24.48	4
21.	सिक्किम	—	—	—	—	—
22.	तमिलनाडु	3	2	1	38.13	2
23.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	—	—	—	—	—
25.	पश्चिम बंगाल	6	6	—	84.77	6

1	2	3	4	5	6	7
केन्द्र शासित प्रदेश						
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	—	—
2.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—
3.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	—
4.	दमन और द्वीप	—	—	—	—	—
5.	दिल्ली	—	—	—	—	—
6.	लक्ष्य द्वीप	—	—	—	—	—
7	पांडचेरी	—	—	—	—	—
	योग	—	—	—	—	—
	कुल योग	65	55	10	625.64	66

1989-90			1990-91			
स्वीकृत प्रस्तावों की सं०	विचाराधीन प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत धन राशि (लाख रु० में)	प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	स्वीकृत प्रस्तावों की संख्या	विचाराधीन प्रस्तावों की सं०	स्वीकृत धनराशि (लाख रु० से)
8	9	10	11	12	13	14
—	1	—	5	4	1	57.25
3	—	35.63	—	—	—	—
—	—	—	2	1	1	3.45
1	—	24.39	3	2	1	18.78
—	—	—	—	—	—	—
1	1	3.41	1	1	—	4.31
—	—	—	—	—	—	—
—	—	34.20	—	—	—	—
1	1	70.57	3	2	1	43.25
5	1	111.86	5	1	4	25.72
9	2	51.33	2	2	—	11.79
9	5	140.83	2	8	—	117.68
1	—	17.96	1	1	—	9.80
—	1	—	—	1	—	23.87

8	9	10	11	12	13	14
1	—	6.99	—	—	—	—
1	—	21.78	1	1	—	7.19
6	1	74.76	1	—	1	—
—	—	—	—	—	—	—
2	2	27.99	—	5	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	2	—	2	5	—	72.20
—	—	—	1	1	—	16.51
—	—	—	3	3	—	64.20
5	1	24.92	4	4	—	21.61
50	18	646.62	38	37	11	497.61

8	9	10	11	12	13	14
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	--	—	—
50	18	646.62	38	37	11	497.61

कृपया ध्यान दें : 1. इन प्रस्तावों में पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त प्रस्ताव शामिल हैं।

2. प्राप्त प्रस्ताव अधूरे हैं इसलिए आवेदन अनिर्णित पड़े हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पत्रिकाओं को अनुदान राशि दिया जाना

3318. श्रीमती गीता मुखर्जी :

श्री नानी भट्टाचार्य : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी पत्रिकाओं को अनुदान राशि देने के लिए कुछ मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कालेज अध्यापकों ने इन मानदण्डों के प्रति असन्तोष व्यक्त किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इनकी पुनरीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योग्य कालेजों को पुस्तकों व पत्रिकाओं की खरीद के लिए प्रस्तावित नियम शर्तों के अनुसार अनुदान प्रदान करता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अनुदान से अवर-स्नातक विभागों हेतु खरीदी जाने वाली पुस्तकों व पत्रिकाओं का चयन करने की कालेज को स्वतन्त्रता है। स्नातकोत्तर विभाग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता के लिए तभी पात्र है यदि वह कम से कम तीन अच्छी स्तर की शैक्षिक पत्रिकाएं मंगाता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कालेजों द्वारा मंगाई जाने वाली शैक्षिक पत्रिकाओं का स्तर निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।

(ग) से (च) आगरा विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित की जाने वाली पत्रिका को विशेषज्ञ समिति द्वारा स्तरीय शैक्षिक पत्रिका का दर्जा न देने के निर्णय के सम्बन्ध में आगरा विश्वविद्यालय के कुछ अध्यापकों के असन्तोष के बारे में समाचारपत्र में रिपोर्ट आई है। वि० अनु० आ० द्वारा दी गई सूचनानुसार विकास सहायता प्राप्त करने के लिए स्नातकोत्तर विभागों की उपयुक्तता निर्धारित करते समय आयोग विशेषज्ञ समिति के दृष्टिकोण को ध्यान में रखता है।

कोरापुट-रायगड़ा लाइन

3319. श्री के० प्रधानी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरापुट-रायगडा रेल लाइन बिछाने के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या यह परियोजना निर्धारित समय से पीछे चल रही है जिससे लाइन बिछाने की लागत बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्रता से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जनवरी, 1992 तक 86 प्रतिशत।

(ख) और (ग) 348.85 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से इस परियोजना को जून, 1992 तक पूरा करने का लक्ष्य है। परियोजना का कार्य मुख्यतः राज्य सरकार द्वारा वन भूमि के अधिग्रहण

तथा उसकी स्वीकृति में विलम्ब, मई, 1990 में अभूतपूर्व भारी चक्रवात, 1990-91 में भारी वर्षा और मानसून के अधिक समय तक रहने तथा उड़ीसा सरकार द्वारा श्रमिकों की मजूरी और सामग्री की दरों में असाधारण वृद्धि के कारण पिछड़ गया है।

(घ) कार्यक्रम के अनुसार इस कार्य को पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा यथा अपेक्षित धनराशि तथा अन्य सहायता की व्यवस्था की गई है।

केन्द्रीय विद्यालयों के क्षेत्रीय कार्यालय

3320. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्यालयों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने वाले क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है और ये कार्यालय कहां-कहां स्थित है तथा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय कितने विद्यालयों का पर्यवेक्षण करता है;

(ख) क्या ऐसे कुछ और क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये विद्यालय कहां-कहां खोले जायेंगे और इनके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन के शासी बोर्ड ने 12-1-92 को सम्पन्न अपनी 55वी बैठक में तीन अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय खोलने को संस्वीकृति दी थी बशर्ते कि संस्वीकृत बजट से ही खर्च पूरा हो जाए।

(ग) इन कार्यालयों के खोले जाने के स्थान सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विवरण

10-3-92 को क्षेत्रीय कार्यालयों के अन्तर्गत कार्य कर रहे केन्द्रीय विद्यालयों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	क्षेत्रीय कार्यालय का नाम	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या*			
1	2		3		
1.	अहमदाबाद	41	+	04	=45
2.	भोपाल	56	+	04	=60
3.	बम्बई	49	+	02	=51
4.	भुवनेश्वर	54	+	01	=55
5.	कलकत्ता	43	1		=43
6.	चंडीगढ़	55			=55

1	2	3			
7.	दिल्ली	49	+	01	=50
8.	गोहाटी	42	+	01	=43
9.	हैदराबाद	48	+	02	=50
10.	जम्मू	48	+	02	=50
11.	जयपुर	51	+	01	=52
12.	लखनऊ	60	+	03	=63
13.	मद्रास	31	+	02	=53
14.	पटना	50	+	03	=53
15.	सिल्चर	41	+	02	=43
16.	मुख्यालय का चार्ज	05			=05
	कुल :	743	+	28	=771

टिप्पणी : (*) शैक्षिक वर्ष 1991-92 के दौरान संस्वीकृत।

[हिन्दी]

सतना-रीवा-ब्योहारी लाइन

3321. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतना-रीवा-बधावर-ब्योहारी रेल लाइन पर सर्वेक्षण कब कराया गया था और उसे बिछाने पर कितनी लागत आने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने इस मार्ग के रीवा-ब्योहारी सेक्शन के लिए स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस वर्ष के बजट में उक्त लाइन के लिए क्या प्रावधान किया गया है और इसके निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(घ) उक्त रेल लाइन के कब तक पूरा होने की सम्भावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 1989-90 में सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। 1989-90 की कीमतों के आधार पर इस नई लाइन की लागत 101.6 करोड़ रुपये थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) संसाधनों की तंगी।

गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों का निरीक्षण

3322. श्री दिलीप भाई संघानी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को स्थिति के अनुसार गुजरात में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में संचित खाद्य वस्तुओं के स्टाक की स्थिति क्या है;

(ख) क्या इन गोदामों के निरीक्षण के बाद स्टाक रजिस्टर और स्टाक की स्थिति में कोई अंतर पाया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तपन गगोई) : (क) भारतीय खाद्य निगम के पास 31-12-1991 की स्थिति के अनुसार गुजरात में खाद्यान्नों की स्टाक स्थिति निम्नानुसार थी :—

मद	हजार मीटरी टन में
गेहूं	260.8
चावल	189.8

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को अनुदान

3323. श्री ब्रह्मानन्द मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली को औषध अनुसंधान के लिए दी गयी अनुदान राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान रोगियों को मुफ्त दवाइयां वितरित करने के लिए उक्त संस्थान, द्वारा, प्रतिवर्ष कितनी धनराशि नियत की गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) :

(क)

वर्ष	आवंटन (लाख रुपये में)
1988-89	14.00
1989-90	14 40
1990-91	18.07

(ख) प्रतिवर्ष दवाइयां खरीदने के लिए 1.00 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी। आवंटित राशि से खरीदी गई सभी दवाइयों को सामान्य वार्ड में भर्ती किए गए रोगियों को नि:शुल्क वितरित किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में अस्पतालों का निर्माण

3324. **श्री लखन लाल खुराना** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिल्ली में पांच सौ बिस्तरों वाले दो अस्पतालों और सौ बिस्तरों वाले सात अस्पतालों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की थी;

(ख) यदि हां, तो उस समय इन अस्पतालों की अनुमानित लागत कितनी थी; और

(ग) इन अस्पतालों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और इन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान योजना आयोग ने दो 500 बिस्तरों वाले और पांच 100 बिस्तरों वाले अस्पतालों के निर्माण की अनुमति दी थी ।

(ख) और (ग) अनुमोदित परिव्यय, निर्माण की प्रगति और उसकी अनुमानित लागत संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(लाख रुपये)

क्रम सं०	अस्पताल का नाम	अनुमोदित परिव्यय	निर्माण की प्रगति	अनुमानित लागत
1.	गुरु तेग बहादुर अस्पताल, शाहदरा (500 बिस्तर वाला)	1617.16	व्यय वित्त समिति ज्ञापन के अनुसार निर्माण आडीटोरियम और नर्सिंग स्कूल को छोड़कर पूरा हो गया है।	4457.00
2.	दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरि नगर (500 बिस्तर वाला)	548.00	परियोजना इस माह पूरी होगी।	4966.77
3.	संजय गांधी स्मारक अस्पताल, मंगोलपुरी (600 बिस्तर वाला)	—	निर्माण पूरा हो गया।	1100.00
4.	राव तुलाराम स्मारक अस्पताल, जफ्फरपुर (100 बिस्तर वाला)	245.00	कुछ आवासीय क्वार्टरों और अनुषंगी भवनों को छोड़कर निर्माण कार्य पूरा हो गया है।	1300.00
5.	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल खिचड़ीपुर (190 बिस्तर वाला)		इंडोर ब्लाक 90 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है, ओ० पी० डी०, कैजुअल्टी, प्रशासन और एक्सरे ब्लाक का कार्य 60 प्रतिशत से अधिक पूरा हो गया है। अन्य कार्य चल रहे हैं।	1500.00

1	2	3	4	5
	6. सिरसपुर और पूठ खुर्द में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल		मिट्टी की भराई और चहार दिवारी का कार्य पूरा हो गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने और भारत सरकार से और व्यय वित्त समिति ज्ञापन को स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् मुख्य निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।	वास्तुविद की नियुक्ति होने के पश्चात अनुमानित लागत निकाली जाएगी।

साहिबगंज में वैगन बनाने वाला कारखाना

3325. **श्री साईमान मरान्डी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार साहिबगंज से कोयले और बहुमूल्य पत्थरों के परिवहन में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने हेतु वहां एक वैगन कारखाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) साहिबगंज में माल डिब्बा निर्माण कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) साहिबगंज में माल डिब्बों की मांग पूरा करने में प्रायः कोई कठिनाई नहीं है । प्रसंगवश, किसी क्षेत्र विशेष में माल डिब्बा निर्माण कारखाने के स्थान का उक्त क्षेत्र में माल डिब्बों की कमी यदि हो, से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पटना-गया लाइन को दोहरा करना

3326. **श्री राजेश कुमार :**

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना-गया रेलवे लाइन को दोहरा करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) मौजूदा इकहरी लाइन खंड की खंड क्षमता संतृप्त हो जाने पर ही दोहरी लाइन बिछाई जाती है । यह खंड अभी इस स्थिति में नहीं पहुंचा है ।

शिक्षा के लिए परिव्यय में कमी

3327. **श्री नीतीश कुमार** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा के लिए आबंटित कुल धनराशि मे से प्राथमिक शिक्षा पर किए गये औसत व्यय में पिछले कुछ वर्षों में कमी आयी है;

(ख) शिक्षा शीर्ष के अन्तर्गत आबंटित की गयी कुल धनराशि में से प्राथमिक और उच्च शिक्षा पर औसत व्यय कितना हुआ;

(ग) प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में अब तक शिक्षा पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) शिक्षा के लिए परिव्यय में कमी के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं। यह देखा जा सकता है कि प्राइमरी शिक्षा पर केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा बजट व्यय का अनुपात छठी योजना में 30 प्रतिशत से सातवीं योजना में 37.7 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण को एक नया बल दिया गया है। प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की उपसमिति के लिए कुछेक कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(I) 300 की जनसंख्या वाली सभी बस्तियों में 1 किलोमीटर की पैदल दूरी के बीच प्राथमिक स्कूलों का प्रावधान। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की बस्तियों के मामले में, 200 की जनसंख्या वाली बस्तियों को शामिल करने के लिए मानदण्ड में छूट दी गई है।

(II) आपरेशन ब्लैक बोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्कूलों में भौतिक सुविधाओं में सुधार।

(III) शिक्षक की कारगरता को सुधारने के लिए, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।

(IV) स्कूल बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों, लड़कियों और कार्यरत बच्चों के लिए अंशकालिक गैर औपचारिक शिक्षा का प्रावधान।

(V) अ०जा०/अ०ज०जा० के बच्चों और लड़कियों के लिए निशुल्क वर्दी, निशुल्क पाठ्य-पुस्तकें उपस्थिति छात्रवृत्तियां और मध्याह्न् भोजन जैसे प्रोत्साहनों का प्रावधान।

विवरण

विभिन्न योजनाओं में प्रारम्भिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा पर योजनावार खर्च

योजना	प्रारम्भिक शिक्षा	उच्चतर शिक्षा (तकनीकी शिक्षा सहित)	कुल शिक्षा
I योजना	85.00(55.6)	34.00(22.2)	153.00
II योजना	95.00(34.8)	97.00(35.5)	273.00
III योजना	201.00(35.7)	212.00(36.0)	589.00
IV योजना	239.00(30.4)	301.00(38.3)	786.00
V योजना	317.00(34.8)	312.00(34.2)	912.00
VI योजना	870.00(29.6)	866.00(29.4)	2943.00
VII योजना	2871.00(37.7)	2293.00(30.0)	7631.00

टिप्पणी : कोष्ठक में दिए गए आंकड़े शिक्षा पर कुल व्यय की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

उत्तर रेलवे में रेडियो संचार प्रणाली

3328. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर रेलवे में दिल्ली और कुछ अन्य स्टेशनों के बीच सचल रेडियो संचार प्रणाली की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किन-किन स्टेशनों को सचल रेडियो संचार नेटवर्क से जोड़े जाने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां। नई दिल्ली-मुगलसराय खण्ड पर।

(ख) 15.37 करोड़ रुपये।

(ग) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

[अनुवाद]

खिलाड़ियों के लिए नौकरियों का आरक्षण

3329. श्री रमेश चेन्निथला : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में खिलाड़ियों के लिए आरक्षण है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो खिलाड़ियों को ऐसे विभागों और उपक्रमों में नौकरी देकर प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल-कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार में, जहां पद भर्ती नियमों के अन्तर्गत संघ लोक सेवा आयोग की बजाय सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने अपेक्षित अथवा अनुमस्य है, ग्रुप "ग" या ग्रुप "घ" में किसी भी पद के लिए, भर्ती नियमों में छूट देते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए प्रावधान यह है कि वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत किसी भी वर्ष में अन्य समस्त आरक्षणों सहित इनकी संख्या सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली प्रस्तावित कुल रिक्तियां 50 प्रतिशत से अधिक न हो। खिलाड़ियों को रोजगार में प्रोत्साहन देने के प्रश्न की जांच करने के लिए सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है और यह समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

"हाथी परियोजना" योजना के लिए सहायता

3330. श्री एम० बी० बी० एस० मूर्ति : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को गत दो वर्षों के दौरान हाथी परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) हाथी परियोजना स्कीम चालू वित्त वर्ष के दौरान ही स्वीकृत की गई है । इसके अंतर्गत विभिन्न राज्यों को स्वीकृत आवंटित की गई निधियों के बारे में सूचना विवरण में दी गई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्रम सं०	इस परियोजना के अंतर्गत शामिल राज्य का नाम	1991-92 के दौरान स्वीकृत/आवंटित निधियां
1.	आंध्र प्रदेश	08.00
2.	कर्नाटक	20.00
3.	केरल	20.00
4.	उड़ीसा	15.00
5.	तमिलनाडु	10.00
6.	पश्चिम बंगाल	10.00
7.	बिहार	10.00
8.	असम	15.00
9.	मेघालय	2.00
10.	उत्तर प्रदेश	11.00
11.	अरुणाचल प्रदेश	7.00
	कुल	128.26

रेलवे कार्यों का संचालन

3331. श्री जितेन्द्र नाथ दास : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सम्बन्धी सभी निर्माण कार्यों को विभाग के अन्दर ही सम्पन्न करने की प्रथा समाप्त कर दी गयी है तथा इन कामों के लिए निजी ठेकेदारों को नियुक्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) रेलों पर कतिपय निर्माणकार्य विभागीय तौर पर तथा अन्य कार्य ठेकेदारों द्वारा कराये जाने की प्रणाली है । यह प्रणाली जारी है ।

कोझीकोडे स्टेशन

3332. श्री के० मुरलीधरन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोझीकोडे स्टेशन के विस्तार के लिए शुरू किए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) कोझीकोडे रेलवे स्टेशन पर वर्ष 1992-93 के दौरान क्रमश: 9.73 लाख रुपये और 10.40 लाख रुपये की अनुमानित लागत से दूसरे दर्जे के प्रतीक्षालय और सवारी डिब्बों में पानी की व्यवस्था करने से सम्बन्धित कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है ।

(ख) 5.00 लाख रुपये ।

स्तन पान को बढ़ावा देने के लिए शिशु-स्नेही अस्पताल

3333. श्री राम नाइक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र अंतराष्ट्रीय बाल आपात कोष ने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए शिशु स्नेही अस्पतालों की धारणा को मूर्त रूप देना शुरू किया है;

(ख) क्या देश के शहरी क्षेत्रों में स्तनपान कराने की प्रवृत्ति घटी है और बोतल से दूध पिलाने को बढ़ावा देने सम्बन्धी विज्ञापनों में वृद्धि हुई है;

(ग) क्या देश में इस नई धारणा को देश में लागू करने की दृष्टि से इसका अध्ययन करने हेतु एक समिति अथवा अध्ययन-दल गठित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में समिति/अध्ययन दल के गठित किए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला कि 97 प्रतिशत माताएं अपने बच्चों को 6 सप्ताह तक स्तन्य पान कराती हैं ।

(ग) और (घ) इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो चिकित्सा व्यवसायियों का एक स्वयंसेवी संगठन है, ने अस्पतालों को शिशु-स्नेही अस्पतालों के रूप में मान्यता देने/पंजीकृत करने के सम्भावित मानदण्डों तथा दिशा-निर्देशों पर विचार-विमर्श करने के लिए 27 मार्च, 1992 को विभिन्न विशेषज्ञों की बैठक आयोजित की है ।

[हिन्दी]

ओकलेश्वर परियोजना को स्वीकृति

3334. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की ओकलेश्वर परियोजना के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव पिछले डेढ़ वर्ष से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) एवं (ग) मध्य प्रदेश की ओकलेश्वर परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी हेतु प्रस्ताव को अभी तक नहीं भेजा गया है ।

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास कांग्रेस का सत्र

3335. श्रीमती बिल कुमारी भण्डारी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में भारतीय इतिहास कांग्रेस का 52वां सत्र आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस कांग्रेस में किन-किन राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों ने प्रतिनिधित्व किया;

(ग) क्या इस कांग्रेस की सदस्यता के मामले पर कुछ विवाद हुए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) ऐसी कांग्रेस आयोजित करने का उद्देश्य क्या है;

(च) क्या सरकार का विचार भारतीय इतिहास कांग्रेस की सदस्यता के विवाद का समाधान करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ज) भारतीय इतिहास कांग्रेस द्वारा दी गई सूचनानुसार भारतीय इतिहास के वैज्ञानिक अध्ययन को प्रोन्नत व बढ़ावा देने के अपने लक्ष्य के अनुसरण में कांग्रेस ने 21-23 फरवरी, 1992 तक दिल्ली में अपना 52वां सत्र आयोजित किया । इसमें विदेश तथा देश के विभिन्न भागों से 1700 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । सभी राज्यों व संघशासित क्षेत्रों ने कांग्रेस में प्रतिनिधित्व किया ।

सरकार को सत्र की कार्यवाहियों पर समाचारपत्र की रिपोर्ट के बारे में जानकारी है । परन्तु, भारतीय इतिहास कांग्रेस इतिहासविज्ञों का एक स्वैच्छिक संगठन है, जो अपना कार्य स्वयं देखता है ।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर

3336. श्री राम सागर :

श्री अर्जुन सिंह यादव :

श्री राजनाथ लोनकर शास्त्री : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस मन्त्रालय में अगस्त, 1991 से दिसम्बर, 1991 के बीच संसद सदस्यों के कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) इनमें से कितने पत्रों की पावती हुई और कितने पत्रों का उत्तर दिया गया; और

(ग) शेष पत्रों पर विचार न करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) 7,935 ।

(ख) 4,686 ।

(ग) रेल मन्त्री को सम्बोधित सभी पत्रों पर विचार किया जाता है और यदि आवश्यक हो, तो क्षेत्रीय रेलों तथा अन्य फील्ड यूनिटों से सूचना प्राप्त होने पर उत्तर दे दिया जाता है ।

[अनुवाद]

निरोध (कन्डोम) को लोकप्रिय बनाना

3337. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश महिलाओं द्वारा निरोध का (कन्डोम) प्रयोग करने को लोकप्रिय बना रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में अनेक प्रकार के महिला गर्भनिरोधक विकसित किए जा रहे हैं।

(ख) विकसित किए जा रहे तीन प्रकार के महिला गर्भनिरोधकों में से दो प्रकार के गर्भनिरोधक ढीले आवरण वाले हैं जो योनि के अन्दर फिट बैठते हैं। और अन्य दूसरे प्रकार का गर्भनिरोधक अन्त: निर्मित गर्भनिरोधक वाला लेटेक्स पैंटी गर्भनिरोधक है । इन उत्पादों की इन देशों में जांच की जा रही है और इन्हें स्वीकृत किए जाने तथा इन कुछेक देशों में शीघ्र ही उपलब्ध होने की सम्भावना है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से अनुरोध किया गया है कि वे भारत में महिला गर्भनिरोधकों की जांच करें ।

स्कूलों में विद्यार्थियों का दाखिला

3338. श्री गुरुदास कामत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली के माडल/काम्पोजिट स्कूलों में लाटरी पद्धति द्वारा विद्यार्थियों को दाखिला देने का निर्णय किया है।

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या उक्त योजना को सहायताप्राप्त स्कूलों में भी प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली प्रशासन ने 1992-93 के शैक्षिक सत्र से मिश्रित माडल स्कूलों में पहले दर्जे के छात्रों को लाटरी पद्धति से प्रवेश देने का निर्णय किया है, क्योंकि दिल्ली प्रशासन ने यह महसूस किया कि इस स्तर पर छात्रों को परीक्षाओं के अधीन नहीं होना चाहिए।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निजी ट्रस्टों और सोसाइटियों द्वारा संचालित सहायता प्राप्त स्कूलों पर ऐसी प्रणाली थोपना उपयुक्त नहीं होगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में शिक्षकों की रिक्तियां

3339. **श्री हरिन पाठक** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च माध्यमिक स्कूलों में शिक्षनों की संख्या अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विषय वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ शिक्षकों को अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह स्थानांतरित किया गया है और उन्होंने अभी तक अपना पदभार नहीं संभाला है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में युवा छात्रावास

3340. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में कितने युवा-छात्रावास हैं और कहां-कहां पर;

(ख) क्या राजस्थान में और युवा-छात्रावासों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनके लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) राजस्थान में दो युवा छात्रावास, एक एक जयपुर में तथा एक जोधपुर में कार्य कर रहे हैं।

(ख) व (ग) भारत सरकार ने राजस्थान में उदयपुर, कोटा तथा अजमेर में तीन और युवा छात्रावासों के निर्माण की स्वीकृति पहले ही दे दी है। तथापि, अब तक इन छात्रावासों के निर्माण के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की गई है, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से इनके निर्माण के लिए पूर्ण रूप से विकसित भू-खण्ड उपलब्ध कराने अभी शेष हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका से सुपर कम्प्यूटर

3341. डा० वाई० एस० राजेश्वर रेड्डी : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य ने बंगलूर के भारतीय विज्ञान संस्थान को बहुचर्चित सुपर कम्प्यूटर का विक्रय रद्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) भारत सरकार को भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर की सुपर-कम्प्यूटर की बिक्री को संयुक्त राज्य द्वारा रद्द किए जाने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारत में संगणक-प्रौद्योगिकी के विकास को ध्यान में रखते हुए, संस्थान वैकल्पिक योजनाओं की सम्भावना का भी पता लगा रहा है।

[हिन्दी]

बड़ौदा और भड़ौच के बीच मैट्रो रेल

3342. श्री चन्दूभाई देसमुख : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा और भड़ौच के बीच यात्रियों की अत्यधिक आवाजाही को देखते हुए इन दोनों नगरों के बीच मेट्रो रेल लाइन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय

3343. डा० (श्रीमती) पद्मा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ङ) क्या सरकार का आठवीं योजना के दौरान दिल्ली में और आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक औषधालय खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन 84 एलोपैथिक औषधालय, 13 आयुर्वेदिक औषधालय/एकक कार्य कर रहे हैं। औषधालयों तथा उनके स्थानों के नामों की सूची विवरण में दी गई है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदे में दिल्ली सहित देश भर में 10 आयुर्वेदिक और 10 होमियोपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है। ये औषधालय खोले जाएंगे बशर्ते धन उपलब्ध हो। ये औषधालय किन-किन जगहों पर खोले जाने हैं, उनका निर्धारण नहीं किया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(84 औषधालय)

पूर्वी जोन	उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन	केन्द्रीय जोन
1. दरियागंज	1. अशोक विहार	1. एन्ड्रयूज गंज	1. केन्द्रीय सचिवालय
2. चांदनी चौक	2. दिल्ली कैंट	2. होजखास	2. चाणक्य पुरी
3. जी० के० जी० (गांधीनगर कृष्ण नगर और गीता कालोनी)	3. देव नगर	3. कश्मिन पुरी	3. चित्रगुप्त रोड
4. शाहदरा	4. हरी नगर	4. जंगपुरा	4. कांस्टीट्यूशन हाउस
5. सब्जी मण्डी	5. इन्द्रपुरी	5. कालकाजी-I	5. फरीदाबाद
6. लक्ष्मी नगर	6. जनकपुरी I	6. कालकाजी-II	6. गोल मार्केट-I
7. मयूर विहार	7. जनकपुरी-II	7. कस्तूरबा नगर-I	7. गोल मार्केट-II
8. विवेक विहार	8. करोलबाग	8. कस्तूरबा नगर-II	8. गाजियाबाद
9. किंग्सवे कैम्प	9. लाजपत राय	9. किदवई नगर	9. गुड़गांव
10. राजपुर रोड	10. नारायणा	10. लाजपत नगर	10. मोदी रोड-I
11. शुल बसश	11. राजेन्द्र नगर	11. लक्ष्मीबाई नगर	11. मोदी रोड-II
12. तिमारपुर	12. पटेल नगर-I	12. मालवीय नगर	12. मिंटो रोड

पूर्वी जोन	उत्तरी जोन	दक्षिणी जोन	केन्द्रीय जोन
13. यमुना विहार	13. पश्चिम विहार	13. मोती बाग	13. नार्थ ऐवेन्यू
	14. पूसा रोड	14. एम० बी० रोड	14. पहाड़गंज
	15. पटेल नगर-II	15. मुनीरका	15. पंडारा रोड
	16. पालम कालोनी	16 नानक पुरा	16. प्रेसीडेंट इस्टेट
	17. पीतम पुरा	17. नौरोजी सगर	17. प्रगति विहार
	18. राजौरी गार्डन	18. नेताजी नगर	18. टेलीग्राफ लेन
	19. सुन्दर विहार	19. आर० के० पुरम-I	19 साउथ एवेन्यू
	20. शकूरबस्ती	20. आर० के० पुरम-II	
	21. तिलक नगर	21. आर० के० पुरम-III	
	22. मोती बाग	22. आर० के० पुरम-IV	
	23. विनगर	23. आर० के० पुरम-V	
		24. आर० के० पुरम-VI	
		25. सरोजिनी नगर-I	
		26. सरोजिनी नगर-II	
		27. सरोजिनी नगर मार्केट	
		28. श्रीनिवास पुरी	
		29. सादिक नगर	

विवरण

होमियोपैथिक पद्धति	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना एलोपैथिक औषधालयों से संबद्ध क्षेत्र/इलाके
1. होमियोपैथिक डिस्पेंसरी, देव नगर	1. देवनगर
	2. करोल बाग
	3. पूसा रोड
	4. पुलबंगस
	5. पटेल नगर-I
	6. पटेल नगर-II
	7. बिनगर
	8. अशोक विहार
	9. सब्जी मंडी
2. होमियोपैथिक डिस्पेंसरी, गोल मार्केट	1. गोल मार्केट-I
	2. गोल मार्केट-II
	3. पहाड़ गंज
	4. चित्रगुप्त रोड
	5. न्यू राजेन्द्र नगर
3. होमियोपैथिक डिस्पेंसरी, आर० के० पुरम	1. आर० के० पुरम-IV
	2. आर० के० पुरम-V
	3. गुड़गांव
	4. मोतीबाग
	5. नानकपुरा
	6. नौरोजी नगर
	7. नेताजी नगर
	8. सरोजिनी नगर
	9. सरोजिनी नगर-II
	10. सरोजिनी नगर मार्केट
4. होमियोपैथिक यूनिट, दरियागंज	1. चांदनी चौक
	2. दरिया गंज
	3. मिन्टो रोड

1	2
5. होमियोपैथिक यूनिट, राजौरी गार्डन	1. मोती नगर
	2. राजौरी गार्डन
	3. जनकपुरी-I
	4. शकूरबस्ती
	5. नांगल राय
	6. इन्द्र पुरी/नारायणा
	7. पालम कालोनी
	8. पश्चिम विहार
6. होमियोपैथिक यूनिट, शाहबाद	1. शाहबाद
	2. जी० के० जी०
	3. लक्ष्मी नगर
	4. मयूर विहार
	5. विवेक विहार
	6. गाजियाबाद
7. होमियोपैथिक यूनिट, कस्तूरबा नगर	1. कस्तूरबा नगर-I
	2. लोदी रोड-I
	3. लोदी रोड-II
	4. लक्ष्मी बाई नगर
	5. किदवई नगर
	6. जंगपुरा
	7. लाजपत नगर
	8. पंडारा रोड
	9. कस्तूरबा नगर
8. होमियोपैथिक यूनिट, हरीनगर	1. तिलकनगर
	2. हरीनगर
	3. दिल्ली कैन्ट
	4. जनकपुरी-II

1	2
9. होमियोपैथिक यूनिट, कालका जी	1. कालकाजी-I
	2. एम्बूयूज मंच
	3. श्रीनिवासपुरी
	4. कालका जी-II
10. होमियोपैथिक यूनिट, तिमारपुर	1. [illegible]
	2. तिमारपुर
	3. राजपुर रोड
11. होमियोपैथिक यूनिट, [illegible]	1. नार्थ एवेन्यू
	2. [illegible]
	3. टेलीग्राफ लेन
	4. कान्स्टीट्यूशन हाऊस
	5. प्रेसिडेन्ट इस्टेट
	6. चाणक्यपुरी
12. होमियोपैथिक यूनिट, आर० के० पुरम-III	1. आर० के० पुरम-I
	2. आर० के० पुरम-II
	3. आर० के० पुरम०-III
	4. आर० के० पुरम-VI
	5. मुनिरका
13. होमियोपैथिक यूनिट, एम०-डी०	1. एम० डी० रोड
	2. फरीदाबाद
	3. पुष्प विहार
	4. मालवीय नगर
	5. [illegible]
	6. सादिक नगर
आयुर्वेदिक पद्धति	
1. आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, गोल मार्केट	1. गोल मार्केट I/II
	2. मिन्टो रोड
	3. पहाड़गंज

1	2
	4. चांदनी चौक
	5. दरियागंज
	6. चित्रगुप्त रोड
	7. राजिन्दर नगर
2. आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, किदवई नगर	1. किदवई नगर
	2. लक्ष्मी बाई नगर
	3. एम्प्रयूज गंज
	4. हौज खास
3. आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, आर० के० पुरम	1. आर० के० पुरम-I
	2. आर० के० पुरम-II
	3. आर० के० पुरम-III
	4. आर० के० पुरम-IV
	5. आर० के० पुरम-V
	6. आर० के० पुरम-VI
	7. मोती बाग
	8. नानकपुरा
	9. चाणक्यपुरी
	10. नौरोजी नगर
	11. नेताजी नगर
	12. सरोजिनी नगर-I
	13. सरोजिनी नगर-II
	14. सरोजिनी नगर मार्केट
	15. मुनिरका
4. आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, नार्थ एवेन्यू	1. नार्थ एवेन्यू
	2. साउथ एवेन्यू
	3. पंडारा रोड
	4. वेलेजली रोड
	5. टेलीग्राफ लेन
	6. कान्स्टीट्यूशन हाऊस
	7. प्रेसिडेन्ट स्टेट

1	2
5. आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी, देवनगर	1. देवनगर
	2. करोल बाग
	3. पूसा रोड
	4. पुल बंगश
	5. मजनू बस्ती
	6. पटेल नगर-I
	7. पटेल नगर-II
	8. अशोक विहार
	9. शि नगर
	10. इन्द्रपुरी/नराइना
	11. सब्जी मंडी
6 आयुर्वेदिक यूनिट, हरीनगर	1. मोती नगर
	2. राजौरी गार्डन
	3. तिलक नगर
	4. हरी नगर
	5. जनकपुरी-I
	6. जनकपुरी-II
7. आयुर्वेदिक यूनिट, बंगपुरा	1. बंगपुरा
	2. श्री निवासपुरी
	3. लाजपत नगर
8. आयुर्वेदिक यूनिट दिल्ली कैंट	1. नानल राय
	2. दिल्ली कैंट
	3. पालम कालोनी
9. आयुर्वेदिक यूनिट, किंग्जवे कैंप	1. किंग्जवे कैंप
	2. शिमारपुर
	3. राजपुरा रोड
10. आयुर्वेदिक यूनिट, गुडगांव	1. गुडगांव

1	2
11. आयुर्वेदिक यूनिट, लक्ष्मीनगर	1. लक्ष्मी नगर
	2. शाहदारा
	3. जी० के० जी०
	4. मयूर विहार
	5. विवेक विहार
12. आयुर्वेदिक यूनिट, एम० बी० रोड	1. मालवीय नगर
	2. कालकाजी-I
	3. एम० बी० रोड
	4. सादिक नगर
	5. कालकाजी-II
	6. फरीदाबाद
13. आयुर्वेदिक यूनिट, पश्चिम विहार	1. पश्चिम विहार

[हिन्दी]

गरीबों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं

3344. **श्री सुरजभानु सोलंकी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की सरकारी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकारी अस्पतालों में अंतरंग रोगियों को चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। गरीब बहिरंग रोगियों को भी चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्नों के जमाखोरों पर छापे

3345. **श्री गोपीनाथ गजपति** :

श्री गुरुदास कामत :

श्री साईमन मरान्डी : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान दिल्ली के अनेक व्यापारियों के यहां छापे मारे गये थे और उनके यहां से भारी मात्रा में जमा किया हुआ चावल बरामद किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कितना चावल बरामद किया गया और उसका अनुमानित मूल्य कितना है;

(ग) क्या देश के अन्य भागों के खाद्यान्न जमाखोरों के यहां इसी प्रकार के छापे भी मारे गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और कितना खाद्यान्न बरामद किया गया;

(ङ) ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली के 18 व्यापारियों के स्थानों पर मारे गए छापों/किए गए निरीक्षणों के दौरान 2,91,857 क्विंटल चावल की जखीराखोरी की गई पाई गई। चावल के अलावा, धान, दालें, तिलहन और मोटे अनाजों की कुछ मात्राएं पकड़ी गई। इस प्रकार पकड़े गए चावल और अन्य खाद्यान्नों का कुल मूल्य अनुमानतः 54 करोड़ रुपये से भी अधिक बैठता है। दो मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर कर दी गई हैं।

इसके अलावा, दिल्ली पुलिस ने भी खाद्यान्नों के व्यापारियों के स्थानों, उचित दर की दुकानों, मिट्टी के तेल के डिपुओं और खाद्यान्न ले जा रहे वाहनों से सम्बन्धित 46 मामलों की जांच की जिसके परिणामस्वरूप फरवरी, 1992 के पहले पखवाड़े में 8 मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्टें दायर की गई थीं।

(ग), (घ), (ङ) और (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

यूनिसेफ और राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए "ग्राम शिक्षा कार्यक्रम"

3346 **श्री लम्मित उरांव** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार, यूनिसेफ और राज्य सरकारों द्वारा चलाए गए "ग्राम शिक्षा" कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के नाम क्या है, जहां यह कार्यक्रम चलाया गया है और उपर्युक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) 31, जनवरी 1992 तक बिहार में इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने वाली महिलाओं की वर्षवार संख्या कितनी है; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान बिहार को इस प्रयोजनार्थ में दी जाने वाली राशि क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) यूनीसेफ ने सूचित किया है कि वे बिहार या किसी अन्य राज्य में 'ग्राम शिक्षा कार्यक्रम" के नाम से केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा यूनीसेफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जा रहे किसी भी कार्यक्रम की सहायता नहीं करता। तथापि बिहार शिक्षा परियोजना के पूर्व-परियोजना कार्यकलाप रोहतास, पश्चिम चम्पारन तथा रांची के तीन जिलों में आरम्भ किए गए थे। वर्ष 1991-92 में यूनीसेफ ने 1.81 करोड़ रु० की राशि दी थी। लाभ-ग्राहियों की संख्या बताने का अभी उपयुक्त समय नहीं है। परियोजना के लिए, 1992-93 के बजट में 12 करोड़ रु० की राशि का प्रस्ताव है।

विमान से बीज छिड़कने पर खर्च

3347. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत विमानों के बीज छिड़काव पर कुल कितना खर्च हुआ; और

(ख) वृक्षारोपण के अन्य उपायों की तुलना में विमान से बीज छिड़काव कार्यक्रमों की खर्च की की दृष्टि से कितनी सफलता मिली है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) राज्यों को वर्ष 1988-89 से 1990-91 तक की तीन वर्षीय अवधि के दौरान विमानों से बीज छिड़काव के लिए कुल 4.66 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता दी गई।

(ख) विमानों से बीज छिड़काव सम्बन्धी कार्यों की सफलता दर की तुलना सामान्य वृक्षारोपण कार्यों से नहीं की जा सकती; विमानों से बीज छिड़काव का कार्य सिल्वी कृषि, बागवानी, अथवा कृषि कार्यों जैसा नहीं है जिनका कि नियंत्रित परिस्थितियों में निष्पादन किया जाता है, जबकि विमानों से बीज छिड़काव सम्बन्धी कार्य इन्हीं परिस्थितियों के अन्तर्गत निष्पादित नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त वास्तविक रूप से लगाई गई पौध और उसमें जीवित रही पौध के आधार पर वृक्षारोपण कार्यक्रम की सफलता का मूल्यांकन करना सम्भव होता है किन्तु यही मानदण्ड विमानों से बीज छिड़काव, जिसमें कि बीजों को हवा में छोड़ दिया जाता है, पर लागू नहीं हो सकता। इन दोनों कार्यों के निष्पादन के लिए दी जाने वाली लागत में भी पर्याप्त अन्तर है। राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत विमानों से हवाई बीज छिड़काव के लिए दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता प्रति हैक्टेयर 650 रुपए तक सीमित होती है जबकि वनीकरण की लागत सामान्यतया प्रति हैक्टेयर 7000 रुपए से 10,000 रुपए तक अलग-अलग होती है।

[हिन्दी]

आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम की समीक्षा

3348. **श्री डाक्टर बचाल जोशी** :
श्रीमती वसुन्धरा राजे :
श्री ललित उरांव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपरेशन ब्लैकबोर्ड कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में राज्यवार अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(घ) क्या सरकार को किसी राज्य से इस प्रकार की शिकायत मिली है कि इस कार्यक्रम के लिए आवंटित की गई राशि का दुरुपयोग किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के निर्धारण के लिए गठित शिशु शिक्षा तथा प्रारम्भिक शिक्षा सम्बन्धी कार्य दल ने आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की समीक्षा की तथा यह सिफारिश की कि यह योजना आठवीं योजना के दौरान पूरे होने तक चलती रहनी चाहिए तथा जहां किसी स्कूलों में नामांकन की दृष्टि से औचित्य हो, वहां न्यूनतम मानदण्ड में 3 अध्यापक तथा तीन कक्षा-कक्षों का विस्तार किया जाना चाहिए।

इसने उच्च प्राथमिक स्कूलों के लिए भी एक आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की सिफारिश की है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बिहार, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों से निधि के दुरुपयोग की शिकायतें मिली हैं।

(च) सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इन शिकायतों की जांच के आदेश दे दिए हैं।

विवरण

अब तक शामिल स्कूल

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	30-9-86 को स्कूलों की संख्या	संख्या	प्रतिशतता
1. आंध्र प्रदेश	44299	43306	97.76
2. अरुणाचल प्रदेश	1039	597	57.46
3. असम	25970	14895	57.35
4. बिहार	50920	24754	48.61
5. गोआ	982	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
6. गुजरात	11950	5214	43.63
7. हरियाणा	5131	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
8 हिमाचल प्रदेश	6864	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
9. जम्मू व कश्मीर	8106	7769	95.83
10. कर्नाटक	24735	14080	56.92
10. केरल	6828	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
12. मध्य प्रदेश	65147	48830	74.95
13 महाराष्ट्र	38500	28552	95.34
14. मणिपुर	2678	2002	74.76

1	2	3	4
15. मेघालय	4155	766	18.44
16. मिजोरम	1000	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
17. नागालैंड	1270	1190	93.70
18. उड़ीसा	37993	30498	80.27
19. पंजाब	12922	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
20. राजस्थान	28139	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
21. सिक्किम	482	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
22. तमिलनाडु	29293	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
23. त्रिपुरा	1956	1440	73.62
24. उत्तर प्रदेश	74273	65388	88.04
25. पश्चिम बंगाल	50811	13867	27.29
26. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	184	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
27. चण्डीगढ़	23	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
28. दादरा व नगर हवेली	124	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
29. दमन व दीव	32	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
30. दिल्ली	1832	1688	92.14
31. लक्षद्वीप	19	सभी स्कूल शामिल किए गए हैं।	
32. पांडिचेरी	356	243	68.26

[अनुवाद]

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में सफाई कर्मचारी

3349. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 26 नवम्बर, 1901 के अतारांकित प्रश्न संख्या 759 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में वर्तमान आंकलनिक सफाई कर्मचारियों की परस्पर वरिष्ठता सूची क्या है और वे किन-किन स्कूलों में तैनात हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 12-6-1988 की स्थिति के अनुसार सफाई कर्मचारियों की उपलब्ध नवीनतम वरिष्ठता सूची में 1000 से अधिक सफाई कर्मचारियों के नाम हैं, जिनमें से क्रम सं० 320 तक के कर्मचारियों को नियमितता की पेशकश की जा चुकी है, और 190 ने नियमित सफाई कर्मचारियों के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। शेष अंशकालिक सफाई कर्मचारियों की अन्तर-वरिष्ठता सूची नीचे दी गई है

1.	श्रीमती प्रेमवती	पुलिस कालो०	15-7-76
2.	श्रीमती बालेश्वरी	गोकलपुरी-2	15-7-76
3.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	मंगोलपुरी	15-7-76
4.	माया देवी	उत्तरनगर-1	15-7-76
5.	निर्मला	पोचनपुर बापस	15-7-76
6.	कमलेश	ओंकार नगर-1	15-7-76
7.	सावित्री देवी	तान्यपुर कलां	21-7-76
8.	रामवती	द० पुरी सं०-1	22-7-76
9.	बहुतेरी	7-बी रघुवीर नगर	24-7-76
10.	श्रीमती परमेश्वरी	मदनगीर जय्यानूह	25-7-76
11.	शान्ति देवी	न्यू आनन्दनगर-1	25-7-76
12.	माला देवी	नगननगरी-बी-2	26-7-76
13.	धर्मवती	नन्दनगरी-सी-1	26-7-76
14.	रामा देवी	नन्दनगरी-डी-2	26-7-76
15.	श्रीमती कैलाश	तातारपुर	27-7-76
16.	कमला देवी	1212 पश्चिमपुरी	28-7-76
17.	सन्तरा देवी	मुबारकपुर	28-7-76
18.	शारीला देवी	मण्डोली बालिका	1-8-76
19.	किरण देवी	भोलानाथनगर-2	2-8-76
20.	भरपाई	पालम गांव	2-8-76
21.	श्रीमती हरचन्दी देवी	शाहदरा	4-8-76

22.	श्रीमती रजनी	ज्वाला नगर-2	7-8-76
23.	मनेर	पंजाबी बाग वि०	11-8-76
24.	कमला	आजपत नगर-3	16-8-76
25.	शान्ति	सुलतानपुरी-ए-2	16-8-76
26.	प्रेम	मंगोलपुरी-सी	20-8-76
27.	सरदारी	सुलतानपुरी-बी	25-8-76
28.	कमला	जनतावृह-1	25-8-76
29.	माया देवी	नन्दनगरी-बी-2	26-8-76
30.	श्रीमती अंगूरी देवी	भोरगढ़	28-8-76
31.	शांति देवी	कालकाजी के० ब्लाक	1-9-76
32.	शीला	सुभाष मोहल्ला	4-9-76
33.	बाला	हिमायुपुर	4-9-76
34.	श्रीमती शिला	नसीरपुर	13-9-76
35.	माया देवी	मुकर्जीनगर ब्लाक	19-9-76
36.	श्रीमती बालेश्वरी	सीलमपुर-बी	1-10-76
37.	श्रीमती माया देवी	शिवाजीकला कन्या	4-10-76
38.	श्री प्यारेलाल	मलकागंज-1	18-10-76
39.	श्री ब्रजलाल	कस्तूरबा नगर	1-11-76
40.	श्रीमती चन्द्रो देवी	शादीपुर-2	1-11-76
41.	प्रकाशी	प्रतापकुंज केशवपुरम	1-11-76
42.	फूलकुमारी	मसीहगढ़	15-11-76
43.	प्रकाशो	जनतानगर	20-11-76
44.	श्रीमती फूलवती	मंगोलपुरी-एल	27-11-76
45.	श्री हरस्वरूप	मजेलपुरा-1	1-12-76
46.	श्रीमती शांति देवी	ज्वालानगर-I	7-12-76
47.	पूनम	नसीरपुर खंड-2	22-12-76
48.	श्रीमती कला देवी	ज्वालापुरी	24-12-76

49.	श्रीमती सरोज	आर० के० पुरम-8	1-1-77
50.	धन्नी	प्रतापबाग	12-1-77
51.	चतेरी	अशोकाकला	12-1-77
52.	श्रीमती कृष्णा देवी	ताजपुर पहाड़ी	18-1-77
53.	सोना देवी	विजयवाड गार्डन	1-2-77
54.	श्रीमती सरोजबाला	अरविन्दनगर-I	1-2-77
55.	छोटन देवी	जहांगीरपुरी-ए-2	1-2-77
56.	श्रीमती कृष्णा देवी	सुलतानपुरी-बी-2	1-2-77
57.	श्री शिवनारायण	बे० बे० नांगलोई	17-2-77
58.	श्री दीनदयाल	अनारकली	1-3-77
59.	श्रीमती शकुन्तला	बे० एन्ड के० ब्लाक	11-3-77
60.	चन्द्रावती	सीलमपुर गांव	1-4-77
61.	श्रीमती रामकोर	राजौरी गार्डन	5-4-77
62.	कैलाश कुमारी	शाहपुर जट	18-4-77
63.	श्रीमती शारदी	इन्द्रलोक	18-4-77
64.	सन्तरा देवी	22 पश्चिमी पटेलनगर	1-5-77
65.	श्रीमती प्रेमवती	महरौली-2	2-5-77
66.	श्री प्रकाश	सुभाषनगर पार्क	2-5-77
67.	श्रीमती मनोहरी देवी	रामनगर नर्सरी	6-5-77
68.	श्री शिवलाल	बे० बे०-1-2	16-7-77
69.	श्रीमती शांति देवी	श्रीनिवासपुरी	20-7-77
70.	कमलेश	नरेला मंडी-1	20-7-77
71.	श्रीमती राजरानी	द० पुरी नं०-2	23-7-77
72.	शकुन्तला	गोविन्दपुरी	1-8-77
73.	श्री कमालसिंह	सुलतानाबाद गांव	1-8-77
74.	श्रीमती कमला	जहांगीरपुरी-ए	1-8-77
75.	श्रीमती कांता देवी	मोहल्ला पार्क-1	7-8-77

76.	श्रीमती सतरो	शिवाजी पार्क	25-8-77
77.	विमला	अंगपुरा मोगल	25-8-77
78.	श्रीमती कमलेश	तैमूरनगर-7	25-8-77
79.	श्री सुरेश	अशोक विहार-डी	1-9-77
80.	श्रीमती देवीरानी	हौजखास गांव	4-9-77
81.	सरवती	मंगोलपुरी-ई	7-977
82.	शकुन्तला देवी	जे० बे० शादीपुर	19-9-77
83.	सुम्मी देवी	नई सीमापुरी-2	24-9-77
84.	श्रीमती किशनदेई	दक्षिणपुरी-1	1-10-77
85.	सन्तोष कुमारी	भजनपुरा-बी	18-10-77
86.	श्रीमती मेमो देवी	मुसलानी डांडा-10	22-10-77
87.	राजबाला	शादीपुर-1	24-10-77
88.	श्रीमती प्रेमवती	प्रहलादपुर-बी	25-10-47
89.	श्री ओमप्रकाश	डांसा कल्या	26-10-77
90.	श्री प्रेम	दरियापुर खुर्द	11-11-77
91.	श्री दैन सिंह	डिप्टीगंज	1-11-77
92.	श्री ओमी	पूर्वी पटेलनगर	7-11-77
93.	श्री सन्तराम	हरिनगर एल ब्लाक	16-11-77
94.	श्रीमती भतेरी	कटेवडा	24-11-77
95.	ओमवती	सिद्धार्थ बस्ती	1-12-77
96.	श्री रमेशचन्द	मालम न्यू	1-12-77
97.	श्रीमती ईश्वरी	कटरा रेवडी-1	1-12-77
98.	सरदारी देवी	ताहरपुर	1-12-77
99.	सन्तोष	कूंचा घासीराम	5-12-77
100.	राजो देवी	गली कासिमजान	5-12-77
101.	सरला देवी	अशोकविहार पाकेट	24-12-77
102.	श्रीमती बाला देवी	नांगलोई सईदान	21-1-78
103.	श्री सुरेन्द्र	बावरपुर-1	7-2-78

104.	श्री सुरेन्द्र	आर० के० पुरम-6	8-2-78
105.	श्रीमती रामरती	जीवनगर-2	16-2-78
106.	कुन्तादेवी	नेहरू कुटिया-1	17-2-78
107.	माया देवी	रामनगर प्रसार-1	23-2-78
108.	श्रीमती सावित्री	कांगनहेड़ी खास	1-3-78
109.	द्रौपती	द० पुरी नं०-3	1-4-78
110.	जगवती	मन्डोली गांव	1-4-78
111.	श्रीमती कृष्णा	मुकन्दपुर	1-4-78
112.	श्रीमती शकुन्तला	छावला ब्लाक-2	10-4-78
113.	टिंना देवी	बापूपार्क	1-5-78
114.	अंगूरी देवी	कालकाजी के० ब्लाक	3-5-78
115.	श्रीमती चन्द्रो देवी	सतबड़ी	6-6-78
116.	सोनी देवी	महिला कौली०-2	11-7-78
117.	शांति देवी	द० पुरी नं० 3	20-7-78
118.	श्रीमती ओमवती	पंजाबीबाग रोड	21-7-78
119.	प्रेम	सागरपुर होल्ड	21-7-78
120.	श्रीमती सुरजो	मोतीबाग-2	31-7-78
121.	श्री दलीचन्द	मन्डावली-2	1-8-78
122.	श्रीमती विजय	विनोबापुरी	1-8-78
123.	शांति देवी	मंगलापुरी	1-8-78
124.	श्रीमती विमला	बसन्तगांव	1-8-78
125.	श्री अमीरचन्द	द० पुरी० वि०-2	1-8-78
126.	श्रीमती सनवीर	मदनगीर जनतागृह	1 8-78
127.	शांति देवी	हवेली आजमखां-2	4-8-78
128.	परमेश्वरी	सुलतानपुरी-3	7-8-78
129.	श्रीपाल	त्रिलोकपुरी-3-1	8-8-78
130.	श्रीमती विमला	सरस्वती भंडार	8-8-78
131.	श्री कृष्णलाल	भाटी माईन्स	10-8-78

132.	श्रीमती शांति देवी	नन्दनगरी-डी-4	11-8-78
133.	श्री जगवीरसिंह	कल्याणपुरी-16 1	19-8-78
134.	श्रीमती परमेश्वरी	म्यू जेलसिंह	22-8-78
135.	बरना देवी	विजय मौहल्ला	23-8-78
136.	शारदा	राजनगर-1	28-8-78
137.	श्रीमती रामो देवी	नन्दनगरी-डी-2	1-9-78
138.	श्री रमेश कुमार	शाहपुर	1-9-78
139.	श्रीमती माया देवी	कल्याणपुरी-3	1-9-78
140.	दया देवी	कल्याणपुरी-12	2-9-78
141.	श्रीमती बहमो देवी	कल्याणपुरी-5	2-9-78
142.	राजरती	शालीमार गांव-2	14-9-78
143.	श्रीमती माया देवी	खजूरी खास	10 9-78
144.	जयना देवी	आनन्दपर्वत-2	20-9-78
145.	नेपाली	नन्दनगरी-ए-4	21-9-78
146.	श्री प्रताप	सर्वप्रियविहार	26-9-78
147.	श्रीमती माया देवी	गांधीनगर नं.-1	26-9-78
148.	अतरो	गणेशनगर-2	27-9-76
149.	श्री बिशनसिंह	मपहाडी इमरी-1	27-9-78
150.	श्रीमती शारदा रानी	घंटाघर-2	3-10-78
151.	विमला देवी	अशोक पार्क मैन	3-10-78
152.	श्रीमती रानो	मौहल्ला वसां	12-10-78
153.	कमलेश	शालीमार-ए	14-10-78
154.	बेमा	बजीराबाद गांव-1	14-10-78
155.	कमलेश	यमुना विहार-सी-4	19-10-78
156.	रोशनी	जहांगीरपुरा-बी	21-10-78
157.	शकुन्तला	नरेला मन्डी	1-11-78
158.	कृष्णा देवी	22-बी देवनगर	4-11-78
159.	श्रीमती सुरेश	जहांगीरपुरी-ई	11-11-78

160.	श्रीमती/दर्शना देवी	मजलिसपार्क-1	16-11-78
161.	सुमित्रा देवी	त्रिलोकपुरी-27	18-11-78
162.	छजिया	द० पुरी नं०-2	18-11-78
163.	श्रीमती विधा	रंगपुरी पहाड़ी	10-11-78
164.	श्रीमती विद्यावती	समयपुर म्यूज-2	5-12-78
165.	शरबती	श्री निवासपुरी-1	13-12-78
166.	श्रीमती फूलो देवी	मंगोलपुरी एम	19-12-78
167.	श्रीमती ओमी	जे० जे० कालोनी	1-1-76
168.	जयन्ती	बी० जे०-2-11	1-1-79
169.	श्री हुकमसिंह	बाबरपुर-2	1-1-79
170.	श्रीमती बसन्ती	कैलाशनगर-12-2	8-1-79
171.	श्री होशयार सिंह	हरिनगर घन्टानगर-2	15-1-79
172.	श्रीमती शकुन्तला	कूंचा चेलान-2	16-1-79
173.	कांता देवी	गली पहिए वाली	1-2-79
174.	निर्मला देवी	कन्हावला	1-2-79
175.	कमला	अधचीनी	8-2-79
176.	श्रीमती वीरमती	मुकेशपुर	16-2-79
177.	तारावती	जहांगीरपुरी-बी०	19-2-79
178.	बल्लो	हस्तसारल गांव	1-3-79
179.	श्रीमती गीता	बृजपुरी-2	11-3-79
180.	शकुन्तला	बकरवाला नजफगढ़	20-3-79
181.	निर्मल	भावानपुर खेड़ा-1	23-3-79
182.	श्रीमती नर्वदा	बलवीर नगर-1	27-3-79
183.	सरोज	अंगपुरा	1-4-79
184.	श्रीमती फूलवती	इस्ट आफ कैलाश	1-4-79
185.	सन्तोष	मंगोलपुरी-एस०	1-4-79
186.	राजरानी	जहांगीरपुरी-एफ	2-4-79
187.	श्रीमती आशारानी	सरकुलर रोड-1	14-7-79

188.	श्री गुरदयाल	दमकल केन्द्र-1	16-7-79
189.	श्रीमती छोटी देवी	नत्थुपुरा गांव-1	16-7-79
190.	श्री श्यामलाल	नीमडी गांव-1	16-7-79
191.	श्रीमती विमला	द० पुरी-1	17-7-79
192.	मीना देवी	विश्वकर्मानगर-1	18-7-79
193.	रेशमा	जीवनपार्क-2	19-7-79
194.	मितरो	जहांगीरपुरी के० 2	10-7-79
195.	श्रीमती मेमवती	बा० सी० ओखला	10-7-79
196.	बाला	बसौला	20-7-79
197.	चमेली देवी	बलीपुर	21-7-79
198.	दयावती	ईस्ट लक्ष्मी मार्किट-1	1-8-79
199.	मुन्नी देवी	होजरानी	1-8-79
200.	श्रीमती कृष्णा	जियासराय	1-8-79
201.	श्री सुक्खी कालीचरण	शास्त्री पार्क-1	1-8-79
202.	श्री सुलतानसिंह	शालीमार	1-8-79
203.	श्रीमती परमेश्वरी	ज्वालाहेडी	1-8-79
204.	हुक्मी देवी	सुलतानपुरी-ए-1	1-8-79
205.	श्रीमती सुमित्रा	खेराबाल	1-8-79
206.	कांता	डी० डी० ए० नारायणा	1-8-79
207.	श्रीमती सावित्री	मंगोलपुरी-पी०	2-8-79
208.	बर्फी देवी	सावतपुर	3-8-79
209.	श्री रामकिशन	हुसनपुर	7-8-79
210.	केला देवी	कालाकाजी सैन्ट्रल	13-8-79
211.	कृपा देवी	बाली	13-8-79
212.	सन्तोष कुमारी	यमुना बिहार सी-10	16-8-79
213.	विमला	सुलतानपुरी-डी०	17-8-79
214.	श्रीमती विमला देवी	ए० ब्लाक शाह० नगर-1	18-8-79

215.	श्रीमती शकुन्तला		7-9-79
216.	बाला देवी	नानकहेडी	14-9-79
217.	कांति देवी	ज्योति कालोनी	15-9-79
218.	बिरमा देवी	मोदीमिल	1-8-79
219.	श्रीमती बजवीरी	नत्थूसिंह कालोनी	10-10-79
220.	कैलाश देवी	आर० के० पुरम से०-5	15-10-79
221.	श्री असराम	दक्षिणपुरी ब्लि०-3	17-10-79
222.	श्रीमती नन्दो	रानीबाग-1	20-10-79
223.	श्रीमती अतरोदेवी	त्रिलोकपुरी-27	2-11-79
224.	सेनेका	सेक्सराय	7-11-79
225.	श्री रामकिशन	तिगड़ी नं०2	17-11-79
226.	श्रीमती रत्नो	लोकोशेड-2	1-12-79
227.	अमर्फी	अमर कालोनी	23-1-79
228.	श्रीमती माया	डी० डी० ए०-2	1-1-80
229.	श्री छिद्दा	पूर्वी रोहतासनगर	16-1-80
230.	श्रीमती सन्तोष देवी	जी० बी० रोड	20-1-80
231.	शकुन्तला देवी	मजलिस पार्क-3	21-1-80
232.	श्रीमती मुन्नी देवी	अमरपुरी-1	22-1-80
233.	छोटी देवी	गांधीनगर-2	1-2-80
234.	राजरानी	बी मण्डी कल्या	5-2-80
235.	श्रीमती बबला	हेमिल्टन रोड	5-2-80
236.	श्री रमेश	शिवपुरी	8-2-80
237.	श्रीमती सरोज	गीताकालोनी 13-2	15-2-80
238.	सुरेश देवी	पपरावट कल्या	1-3-80
239.	विमला देवी	अयरानी बाग	1-3-80
240.	सरवती	मोहम्मदपुर	11-3-80
241.	श्रीमती चमुन्नीदेवी	कडकडडुमा-1	14-3-80
242.	श्री चन्द्रभान	मोरसराय-2	19-3-80

243.	श्री राजेन्द्रसिंह	सरायबीपलवाला-1	1-4-80
244.	श्रीमती सुमित्रा	गणेशनगर-1	1-5-80
245.	श्रीमती किशनी	मस्जिद मोठ-1	6-5-80
246.	विमला	मोरी गेट	31-5-80
247.	बाला	डी० डी० ए० फ्लैट	1-7-80
248.	श्री वीरपाल	पंचशील गार्डन	5-7-80
249.	श्रीमती रामरती	स्वतन्त्र नगर	15-7-80
250.	सुमित्रा	मालवीय नगर	15-7-80
251.	भतेरी	द० पुरी स०-4	15-7-80
252.	रामवती	तुगलकाबाद विस्तार	15-7-80
253.	श्रीमती कृष्णा कुमारी	सत्यवती	15-7-80
254.	श्री सुरेश चन्द	बुलवर्ड रोड	26-7-80
255.	श्रीमती कमला देवी	चांदीवालान	31-7-80
256	कांता देवी	छः टूटी-1	1-8-80
257.	श्री मखमूल सिंह	त्रिलोकपुरी-165	1-8-80
258.	श्रीमती कमलेश	खिचड़ीपुर-1	1-8-80
259.	कमलावती	मस्जिद मोठ-2	1-8-80
260.	फूलवती	मदनगीर कैम्प-1	1.8-80
261.	श्री सुखदेव	मदनगीर फ्लैट्स-2	1-8-80
262.	श्रीमती सरवती देवी	जनतपुरी-2	1-8-80
263.	दयावती	पांडवनगर-1	9-8-80
264.	सुरेश बाला	खिचराबाद	11-8-80
265.	सम्नो देवी	नन्दनगरी-बी-4	11-8-80
266.	श्रीमती केला देवी	जहांगीरपुरी आई-1	11-8-80
267.	श्री किशनचन्द	पीतम पुरा-सी-पी	16-8-80
268.	श्रीमती कुसुम लता	चना मंडी कम्पा	—
269.	श्रीमती विमला	खेड़ा जी० टी० रोड	19-8-80
270.	श्रीमती गीता	बोन्डा-1	21-8-80

271.	श्रीमतीशान्ति देवी	ए-5, पश्चिम विहार	23-8-80
272.	मुन्नी देवी	मंगोलपुरी-टी	25-8-80
273.	सुमित्रा	वसन्त गांव	25-8-80
274.	श्रीमती सुरेश देवी	जनतपुरी	1-9-80
275.	श्री रिछपाल सिंह	सरस्वती नगर	1-9-80
276.	श्रीमती विमला देवी	सीलमपुर कैंप-3	1-9-80
277.	शीला देवी	चौहान बांगर-2	1-9-80
278.	चन्दो देवी	जग जीवन नगर	1-9-80
279.	कमलेश	मुकर्जी नगर न्यू	1-9-80
280.	कान्ता	जहांगीर पुरी-ई० ई०	1-9-80
281.	श्रीमती प्रेमवती	सरकुलर रोड-2	4-9-80
282.	सोन्नी देवी	नन्द नगरी-एफ-1, 2,	8-9-80
283.	चांद कौर	मंगोलपुर कलां	8-9-80
284.	श्रीमती शान्ति	बी-2 रघुबीर नगर	17-9-80
285.	श्री ओम प्रकाश	उत्तम नगर न्यू	18-9-80
286.	श्रीमती ओमवती	हरिनगर बन्डावर	19-9-80
287.	माया देवी	तुलसी नगर-1	19-9-80
288.	रीना देवी	मौजपुर-1	23-9-80
289.	श्रीमती चन्नो देवी	मंगोलपुरी-ओ० ब्लाक	1-10-80
290.	चन्नो	मंगोलपुरी-के० ब्लाक	1-10-80
291.	श्रीमती फूलवती	चौखान्डी-1	1-10-80
292.	श्री राजवीर	कल्लावला कन्वा	1-10-80
293.	श्रीमती केला	पूठ खुर्द बोल्ड कन्वा	1-10-80
294.	श्रीमती मामत चन्द	डी० डी० ए० बन्तागृह-2	1-10-80
295.	माया देवी	जयमाता मार्किट	4-10-80
296.	माया देवी	द० पुरी वि०-5	20-10-80
297.	सत्या	जे० के० एस०	1-11-80
298.	श्रीमती चांदकौर	सलाहपुर	1-11-80

299.	श्रीमती बिद्या	हरकेश नगर	7-11-80
300.	इन्द्रो	पहाड़ी धीरज-2	14-11-80
301.	चमेली	बिशाल एन्क्लेव	15-11-80
302.	सुन्दरी देवी	ललिता ब्लाक ला० नगर	17-11-80
303.	सन्तरा देवी	लाजवन्ती गार्डन	18-11-80
304.	श्रीमती निर्मला देवी	राजीपुरी-1	1-12-80
305.	मीना कुमारी	मदनपुर खादर	1-12-80
306.	कृष्णा	रानी बाग-2	1-12-80
307.	बिनादी	गुड़मन्डी	1-12-80
308.	श्रीमती सत्यवती	अशोक नगर-1	1-1-81
309.	मीना बती	उस्मानपुर-2	1-1-81
310.	बीना रानी	नजफगढ़-1/2	5-1-81
311.	श्रीमती रामरती	ईसापुर बाल	21-1-81
312.	बीना देवी	प० रोहताश नगर-1	27-1-81
313.	बिरमा	सराय कालेखां	1-2-81
314.	श्रीमती छिदो देवी	रघुबीर नगर-बी-3	1-2-81
315.	श्रीमती बिमला देवी	अम्बा मुगल	1-3-81
316.	श्रीमती रामकली	बजीर नगर कोटला	2-3-81
317.	सोमवती	जंगपुरा बी-1	2-3-81
318.	प्रकाशो	मंगोलपुरी-जे० ब्लाक	19-3-81
319.	श्रीमती राम प्यारी	पीतम नगर-बी० पी०	1-4-81
320.	मीना	प्रेम नगर-बी	1-4-81
321.	श्रीमती बीना	मदनपुर खादर	1-4-81
322.	बसोदा	न्यू भोला नाथ नगर-2	2-4-81
323.	श्रीमती चन्द्रो देवी	मालवीय नगर	6-4-81
324.	श्री श्याम लाल	खानपुरगांव	14-4-81
325.	श्रीमती श्यामो देवी	देवली	14-4-81
326.	श्रीमती सोमकली	बलबीर नगर एक्सटेन्शन-2	26-4-81

327.	श्रीमती ब्रह्म वती	राजापुरी-2	22-4-81
328.	विमला	सिरसपुर-टी०	11-7-81
329.	श्रीमती सुखबीरी	बुद्ध विहार	15-8-81
330.	श्री सूरत सिंह	जैतपुर	15-7-81
331.	श्रीमती शान्ति देवी	त्रिलोक पुर-22-2	17-7-81
332.	राजवती	कम्याव वास-2	17-7-81
333.	अंगूरी देवी	त्रिकोलपुरी-22-1	17-7-81
334.	श्रीमती भगवती	पुष्प विहार से-3	22-7-81
335.	रामभूती	मंगोलपुरी-एक्स०	25-7-81
336.	विमला देवी	कदम शरीफ-2	28-7-81
337.	श्रीमती फल्लो देवी	बोम्डा उत्तरी	1-8-81
338.	रामो देवी	कटरा ईश्वरी भवन	1-8-81
339.	श्रीमती शारदा देवी	बेगमपुर	1-8-81
340.	श्री जयपाल	करावल नगर-I	1-8-81
341.	श्री मेरसिंह	सीलमपुर-एफ-3	1-8-81
342.	श्रीमती ओमवती	22 वैस्ट पटेल नगर	1-8-81
343.	महेन्द्र देवी	नन्द नगरी-ई-2	8-8-81
344.	श्रीमती राजो देवी	सरस्वती विहार	11-8-81
345.	श्री सन्तराम	यमुना विहार-वसी-4	13-8-81
346.	श्रीमती शांति देवी	मकूरपुर तमिल	16-8-81
347.	प्रेमवती	त्रिलोक पुरी-32-2	16-8-81
348.	श्रीमती छन्नो देवी	बुराडी-बी	18-8-81
349.	अतरकली	कीर्तिनगर मैन	21-8-81
350.	सन्तोष	आनन्दविहार	24-8-81
351.	श्रीमती शान्ति देवी	शिवनाद कालोनी	12-9-81
352.	आशारानी	मंगोलपुरी एच	12-10-81
353.	वीरमती	डेरा जी	14-10-81
354.	श्रीमती ममवानी	कुतुबगढ	4-11-81

355.	श्रीमती कैलाशो	कृषिविहार	27-11-81
356.	विमला	नई बस्ती सराय-2	6-12-81
357.	श्रीमती उषा देवी	विश्वकर्मा-2	1-1-82
358.	श्री बुद्ध सिंह	गुरुनानकपुरा	1-1-82
359.	श्रीमती किरणबाला	हरकेशनगर	1-1-82
360.	सन्तोष	सिन्धू कन्या	1-1-82
361.	कमला	तुर्कमान रोड नं०-1	19-2-82
362.	श्रीमती शकुन्तला देवी	जहांगीरपुरी जे-1	25-1-82
363.	महेन्द्री देवी	जहांगीरपुरी-2	26-1-82
364.	श्रीमती रोशनी देवी	सावदा	1-2-82
365.	श्री राजवीर	मंगोलपुरी एफ०	26-3-82
366.	श्रीमती विमला देवी	सागरपुर-2	1-4-82
367.	परमेश्वरी	हौजरानी हिन्दी	1-4-82
368.	श्रीमती सरस्वती	खेड़ाखुर्द	1-4-82
369.	निहालो	गढ़ी मैन्दू	15-4-82
370.	श्रीमती ब्रह्मवती	रामनगर-2	22-4-82
371.	आशा देवी	गली बब्बूखां-2	1-5-82
372.	श्रीमती माया	भजनपुरा-बी-1	1-5-82
373.	ज्ञानो देवी	डोरीवालान-2	1-7-82
374.	श्रीमती चमनकली	पं० विनोद नगर-2	5-7-82
375.	शान्ति देवी	त्रिलोकपुरी-7-2	5-7-82
376.	श्रीमती शान्ति देवी	वरिष्ठ पार्क	5-7-82
377.	सितारो देवी	मंगोलपुरी डब्लू०	5-7-82
378.	सुमरती	न्यू अशोक नगर-2	9-7-82
379.	श्रीमती कमलेश	गौतम विहार-1	13-7-82
380.	सुमित्रा	नन्दनगरी आई	13-7-82
381.	श्रीमती रामरती	पुष्प विहार 55	14-7-82
382.	श्रीमती विद्यावती	गोकलपुर हरिजन बस्ती	14-7-82

383.	श्रीमती तसवीरो	सुलतानपुरी ए/2	15-7-82
384.	प्रकाशो	लाडो सराय	20-7-82
385.	श्रीमती सुदेश	पूसा कैम्पस	1-8-82
386.	ओमी	नीमडी-1	1-8-82
387.	श्रीमती रूमाली	गोकलपुरी-न्यू-1	1-8-82
388.	कौशल्या	नवादा कन्या	1-8-82
389.	श्री फूल सिंह	गोन्डी	1-8-82
390.	श्रीमती कैलाशो	शकरपुर बाल	1-8-82
391.	विमला	कदम शरीफ बाई	2-8-82
392.	श्रीमती कमला	त्रिलोकपुरी-32-बाई	5-8-82
393.	राधो	शिवपुरी-1	3-8-82
394.	श्रीमती प्रेमवती	न्यू रोशनपुरा	18-8-82
395.	ओमवती	सिगडी नं० 2	21-8-82
396.	श्रीमती शीला देवी	गोकलपुरी-3	25-8-82
397.	प्रेमवती	यमुना विहार-बी	1-9-82
398.	महेन्द्री	गोकलपुरी-1	1-9-82
499.	श्रीमती शामकली	तुगलकाबाद वि०	1-9-82
400.	श्रीमती कलावती	आर० के पुरम-1 बी	7-9-82
401.	रुक्मिया	राधेश्याम पार्क-2	8-9-82
402.	लक्ष्मी	औद्योगिक क्षेत्र ए	20-9-82
403.	श्रीमती सुखबीरी	पाडव रोड-2	27-9-83
404.	गीता देवी	आजादपुर	16-10-82
405.	कमलेश	मयूर विहार-2	19-10-82
406.	श्रीमती श्यामो देवी	बस्ती रेगड टैंक	1-11-82
407.	ईश्वरी देवी	नेबसराय	1-11-82
408.	भल्लो देवी	मांगला ठाकरान	1-11-82
409.	रामकली	मंगोलपुरी-बी	5-11-82
410.	श्रीमती राजबाला	जालपुर	5-11-82

411.	श्रीमती जानकी देवी कुलीराम	मायापुरी	9-12-82
412.	सत्यावती	कटरा छज्जू पंडित	9-12-82
413.	राजी	आदेश नगर-1	16-12-82
414.	किरण कुमारी	दरियागंज नर्सरी	18-12-82
415.	श्रीमती कल्लो देवी	बाजीपुर	1-1-83
416.	शान्ति देवी	इण्डियन एयर लाईन्स	7-1-83
417.	पुष्पा	दक्षिणपुरी-4	14-1-83
418.	श्रीमती सावित्री	मान सरोवर गार्डन	19-1-83
419.	फूलवती	जाफराबाद-2	24-1-83
420.	संगीता	बाजीपुर ठाकुरान	1-2-83
421.	श्रीमती मीना देवी	केन्द्रीय रोहताश नगर	4-2-83
422.	बाला	मालवीयनगर बि०-1	10-2-83
423.	केला देवी	4, ई० जनकपुरी	12-2-83
424.	श्रीमती किरन	लालकुंआ	14-2-83
425.	श्री कैलाशचन्द्र	जी० टी० रोड	16-2-83
426.	श्रीमती शकुन्तला	दिल्ली मिल्क स्कीम	21-2-83
427.	सावित्री देवी	प्रहलादपुर-1	11-3-83
428.	कौशल्या	नरेला मन्डी-2	16-3-83
429.	श्रीमती रत्नी देवी	भीमनगर न्यू-1	1-4-83
430.	लोमवती	भिठारी	2-4-83
431.	श्रीमती चांदकौर	घोन्डा खासएम्कलेव	5-4-83
432.	सुलोचना	विजयनगर न्यू	9-4-83
433.	श्रीमती मीना	ललित ब्लाक शा०-2	6-5-83
434.	माया देवी	औद्योगिक	1-7-83
435.	श्रीमती मनोजकुमार	अजमेरी गेट	7-7-83
436.	कुसुमरानी	जी० टी० रागड-1	7-7-83
437.	पुष्पा	बस्ती पंजाबियान-2	8-7-83
438.	श्रीमती जीलवती	मानसरोवर पार्क ईस्ट	18-7-83

439.	श्रीमती रत्नी देवी	सुलतानपुरी-सी	20-7-83
440.	प्रेम	ए० जी० पश्चिमी विहार	29-7-83
441.	सन्तोष	चांद महोमोहल्ला 2	1-8-83
442.	वीना	पूर्वी रोहताश नगर-2	6-8-83
443.	जसवन्ती	नाहरपुर	11-8-83
444.	श्री रामकिशन	यमुना विहार-सी-10	13-8-83
445.	श्रीमती उषा रानी	आर० पी० एस०	13-8-83
446.	पूनम	मैगजीन रोड	22-8-83
447.	गीना	केन्द्रीय रोहताश नगर-2	5-9-83
448.	कमलेश	फतेह सिंह	19-9-83
449.	राजबाला	विकासपुरी बी० बी	1-10-83
450.	रामवती	खेड़ा कम्पा	1-10-83
451.	लाजवन्ती	कमलानगर-बी	5-10-83
452.	माया देवी	ईदगाह स्यू-1	6-10-83
453.	श्री अतर सिंह	गुलाबीबाग	8-10-83
454.	श्रीमती प्रकाश देवी	बकरवाला बाल	19-10-83
455.	सन्तोष	मारमराय	9-11-83
456.	प्रेमकुमारी	फर्श बाजार-1	15-11-83
457.	सोमवती	शालीमार यू० के०	17-11-83
458.	मिथलेश	शालीमार-ए० बी०	18-11-83
459.	शामो देवी	शालीमार बी० के०	1-12-84
460.	रत्नो	कल्याणवास सं०-2	12-12-83
461.	श्रीमती कान्ता देवी	कल्याणपुरी-7	2-1-84
462.	रोशनी देवी	खिडकी	2-1-84
463.	शान्ति देवी	पी० टी० एस०	4-1-84
464.	दर्शना	कमरुदीन नगर	7-1-84
465.	श्यामो देवी	जगतपुरी-बी	9-1-84
466.	वीना	सुन्दर नग्री	9-1-84
467.	शकुन्तला	जवीजीवननगर	11-1 84
468.	धर्मा देवी	प्रीतमपुरा यू० यू० यू०	13-1-84

469.	श्रीमती प्रकाशो	साउथ भोला नाथ नगर-2	20-1-84
470.	श्री जगदीश	लालकुंआ	21-1-84
471.	श्रीमती माया देवी	नन्दनगरी डी-4	1-2-84
472.	प्रेम	तिलकनगर-1	1-2-84
473.	बालेश्वरी	गुरु रामदास नगर	15-2-84
474.	जग्गो	जी० बी० नाथ	15-2-84
475.	राज	लाजपत नगर-4	
476.	वीना देवी	पूर्वी सीलमपुर-2	
477.	लक्ष्मी देवी	बी-2 जनकपुरी	
478.	रमेश	बत्तरपुर	
479.	रोशनी देवी	बिजवासन कन्या	
480.	कमला	सांवल नगर	
481.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	सिंह सेवा नगर एन-2	
482.	शीलवती	त्रिलोकपुरी-58-3	
483.	राजवती	संजय कालोनी-2	
484.	समयकौर	ओखला-2	
485.	सुमित्रा	बस्ती चमेलियान	
486.	चन्द्रवती	मोरगढ़	
487.	कैलाशवती	गौतम नगर	
488.	इन्द्रकली	रघुबरपुरा-2	
489.	सरोज	दल्लुपुरा	
490.	शीला		
491.	ज्ञानो देवी		
492.	श्रीमती मुकेश	जे० के० कैम्प नारायणा	10-6-87
493.	संतोष देवी	पंखा रोड-1/2	18-5-84
494.	श्री अशोक कुमार	मकूरपुर आई ब्लाक	16-7-84
495.	सीमा	कर्मपुरा ईस्ट-2	17-7-84
496.	सत्या देवी	न्यू भुलतान नगर	21-7-84
497.	शीला	तुगलकाबाद	1-8-84
498.	प्रेमवती	पुठखुर्द न्यू कैम्पा	1-8-84

499.	श्री कन्हैयालाल	कूचा पंडित-2	6-8-84
500.	श्रीमती शारदा रानी	श्रीनगर प्रथम	7-8-84
501.	श्री अशोक कुमार	गौतमपुरी	11-8-84
502.	सरस्वती	मंगोलपुरी-एम०	19-8-84
503.	श्री रघुबीर सिंह	श्री नगर विस्तार-2	1-9-84
504.	श्री सुरेश	नन्द विहार-2	1-9-84
505.	श्रीमती कश्मीरी	राजगढ़-1	1-9-84
506.	नीलम	जहांगीरपुरी-एच	1-9-84
507.	सरोज	ताजपुर पहाड़ी	6-9-84
508.	श्रीमती शकुन्तला देवी	डी० टी० सी० कालोनी	12-9-84
509.	शारदा	सुलतानपुरी बी०	13-9-84
510.	सावित्री	नन्दनगरी डी० ब्लाक	15-9-84
511.	श्रीमती अशरफी	खजूरी खास	17-9-84
512.	अनीता	सुभाष मोहल्ला	17-9-84
513	श्रीमती शकुन्तला	कोन्डली-1	17-9-84
514.	कृष्णा देवी	सुलतानपुरी-बी	21-9-84
515.	जीवनी	मंगलापुरी	24-9-84
516.	श्रीमती मामकौर	सागरपुर न्यू	8-10-84
517.	किशनलाल	नन्दनगरी-ई	8-10-84
518.	लक्ष्मी	विवेक विहार	12-10-84
519.	श्रीमती रामरती	4 ब्लाक रघुबीर नगर	12-10-84
520.	रिसालो	मलिकपुर-2	15-10-84
521.	श्रीमती रणवीरी	कल्याणवास-2	10-10-84
522.	कृष्णा देवी	जहांगीरपुरी-एच०-2	22-10-84
523.	श्रीमती रामवती	शंकरपुर नगर	29-10-84
524.	महेन्द्री	मयूर विहार-1	12-.1-84
525.	श्री रिसाल सिंह	बे० जे० नागलोई नं०-3	15-11-84
526.	श्रीमती भगवती	कोन्डली-2	21-11-84
527.	शीला देवी	कुरैनी	21-11-84
528.	श्रीमती विमला	कसाबपुरा कन्या	28-11-84

529.	श्रीमती मामचन्दी	प० विश्वासनगर	1-12-84
530.	बीरमती	जनता क्वार्टर पश्चिमपुर	11-12-84
531.	श्रीमती रोशनी देवी	त्रिलोकपुरी-28	1-12-84
532.	राज दुलारी	कृष्णानगर एक०-2	8-12-84
533.	कृष्णा देवी	बख्तावरपुर	31-12-84
534.	श्रीमती सरस्वती	आरामबाग नर्सरी	1-1-85
535.	श्री राजबीर	बहमपुरी ओल्ड	1-1-85
536.	श्रीमती बीरमती	घोण्डा	1-1-85
537.	रत्नी	प० आजादनगर-2	1-2-85
598.	श्री राजसिंह	शालीमारबाग	1-2-85
539.	श्री राजबीर सिंह	धूमनहेडा	1-2-85
540.	श्री राजकुमार	त्रिलोकपुरी-16	2-2-85
541.	श्रीमती दर्शन देवी	शाहपुर जट	1-3-85
542.	पुष्पा	मानसरोवर पार्क-2	1-3-85
543.	श्रीमती सुमरती देवी	पू० पुराना सीलमपुर-1	2-3-85
544.	श्री रामदास	मौहल्ला खारिया	6-3-85
545.	श्रीमती रेशमा	महेन्द्र पार्क-1	8-3-85
546.	श्री सतबीर	खोरा कल्या	15-3-85
547.	श्रीमती सन्तोष	नामूनराया-2	27-3-85
548.	कृष्णा देवी	शालीमार बी० बी०	25-4-85
549.	कमलेश	जहांगीरपुरी-सी	
550.	श्रीमती सब्बी देवी	किशनगंज-1	1-5-85
551.	इन्द्रावती	खडौली	1-5-85
552.	श्री फकीरा	जगतपुरी-जी	1-5-85
553.	श्रीमती माया देवी	शांतिवन	6-5-85
554.	फूलवती	जहांगीरपुरी-ई-2	15-5-85
555.	बहमो	रजापुर	16-5-85
556.	श्रीमती माया	अशोकनगर-ई	1-7-85
557.	श्री राजबीर	लाजपतनगर-2	13-7-85

558.	श्री प्रेम	मस्जिद तहबरखां	15-7-85
559.	श्री महिपाल	गोकलपुर	17-7-85
560.	श्री सिसराम	फतेहपुर बैरी	22-7-75
561.	श्री स्वरूपसिंह	डेसू कालोनी	1-8-85
562.	श्रीमती माला	यमुना विहार-सी० बी०-I	1-8-85
563.	राजवती	गोकुल हरिजनबस्ती	1-8-85
564.	श्री बनवारी लाल	सीलमपुर फैज-3	1-8-85
565.	श्रीमती सुमित्रा	हकीकतनगर	1-8-85
566.	शांति देवी	टटेसर बाग	1-8-85
567.	सुमित्रा	महावीर एन्कलैव	1-8-85
568.	श्रीमती बर्फी देवी	जगजीवनगर फैज-2	9-8-85
569.	श्री मांगेराम	सेवानगर वैस्ट-2	12-8-85
570.	श्रीमती निर्मला देवी	कापसहेडा बाल	22-8-85
571.	विमला देवी	मार्जिन बाध-2	1-9-85
572.	उर्मिला	इन्द्रपुरी-1	1-9-85
573.	श्रीमती माया देवी	बलजीत नगर-1	10-9-85
574.	वीना	पूर्वी विनोदनगर	1-10-85
575.	शान्ति	जे० जे० मादीपुर-2	5-10-85
576.	श्रीमती सन्तरा देवी	सुल्तानपुरी-ए०-I	25-10-85
277.	सन्तरा देवी	पीतमपुरा एस० पी०	2-11-85
578.	श्रीमती अनीता	सीमापुरी ओल्ड-2	15-11-85
579.	शान्ति	बुढ़ेला गांव	10-12-85
580.	शारदा देवी	तिलकनगर नं०-3	16-12-85
581.	शान्ती देवी	अंगरी खिड़की	26-12-85
582.	श्रीमती महेन्द्री	कल्याणपुरी-5-2	1-1-86
583.	सुमित्रादेवी	बिहारी पुर	4-1-86
584.	सरोज	गामडी-2	8-1-86
585.	मुकेश	अशोक नगर-1	13-1-86
586.	श्रीमती इमरतीदेवी	केशोपुर-1	13-1-86

587.	श्री विजय कुमार	आर० के० पुरम-3	15-1-85
588.	श्रीमती कमला देवी	गढी बख्तावरसिंह	20-1-86
589.	वीना देवी	बह्मपुरी ब्लाक-1	1-2-86
590.	बालेश्वरी	तेनिड बाल	1-2-86
591.	श्री जोगिन्द्र सिंह	शकरपुर-2	5-2-86
592.	श्री सुरेन्द्र कुमार	माडल टाऊन-2	27-2-86
593.	श्रीमती निर्मला	प्यारे लाल रोड-2	1-3-85
594.	श्री सुरेन्द्र कुमार	डी० टी० सी० कालो०	1-3-86
595.	श्री फूल कुमार	वाकनेर कम्पा	1-3-86
596.	श्रीमती शांति	पदाबाग नर्सरी	1-3-86
597.	रोसनी देवी	शक्ति नगर विस्तार	1-4-85
598.	कान्ता	विकासपुरी बी० ब्लाक	1-4-86
599.	श्रामती कमला	तिलक नगर नं० 3	1-4-86
600.	वाला	जगपुरा बी-2	1-3-86
601.	श्री कवल सिंह	शकरपुर विस्तार	1-4-86
602.	श्रीमती मीरा देवी	कोटला	1-4-86
603.	कमलेश	सुन्द नम्हीं	1-4-86
604.	श्रीमती भानगती	धारसीपुरा	15-7-86
605.	रूमाली	सुभाष पार्क-1	17-7-86
606.	रोसनी	रामनगर भवन-2	27-3-86
607.	श्रीमती कमला देवी	सा० डेरी कालोनी	29-7-86
608.	नफेसिंह	सल्तानपुरी/ए-1	1-8-86
609.	श्रीमती माया देवी	खिचडीपुर-2	1 8-86
610.	वर्शना	बाग कढ़ेखां सुदामानगर	1-8-86
611.	सरोज	यमुना विहार-बी-1	1-8-86
612.	शकुन्तला	वजीराबाद	1-8-86
613.	श्री तनसुख	चांद नगर डी ब्लाक	4-8-66
614.	श्रीमती संतोष	जहांगीर पुरी-डी०/2	8-8-60
615.	श्रीमती लक्ष्मी देवी	शालीमार-बी० टी० 7	11-8-66

616.	श्रीमती प्रेमवती	पुरानी सीमापुरी उद्धृ	1-9-86
617.	सुनीता	पीरागढ़ी/2	1-9-86
618.	बुद्धो देवी	चौहान वागर उद्धृ	1-9-86
619.	रुकमणी देवी	बिरला लाईन	5-9-86
620.	श्रीमती कान्ती देवी	चन्द नगरी/ए०/2	10-9-86
621.	निर्मला	बुद्ध विहार-I	13-9-86
622.	प्रेमवती	पानाउद्यान कन्या	19-9-86
623.	रानी देवी	पीतमपुरा	25-9-86
624.	श्रीमती कृष्णा	शालीमार बाग न्यू	1-10-86
625	श्री कालीचरण	बिलखाद गार्डन	14-10-86
626.	श्रीमती कमला देवी	रनहौला	15-10-86
627.	नवाबकौर	पीतमपुरा एल० यू०	15-10-86
628.	श्री जयकिशन	डी० टी० सी० कालोनी	13-11-86
629.	श्रीमती अंगूरीदेवी	मैदान गढ़ी	1-12-86
630.	ब्रह्मवती	किलोकड़ी बी 2	4-12-86
631.	तारो देवी	पहाड़गंज न्यू-2	3-12-87
632.	श्रीमती जगवती	तेलीवाड़ा-I	1-1-87
633.	नन्हा	रोशनारा रोड	1-1-87
634.	समय देवी	तिलक विहार पंजाबी	13-1-87
635.	श्रीमती कान्ता देवी	प्रताप बाग-II	23 1-87
636.	श्री संजय	सदर बाजार कन्या	1-12-87
637.	श्री विजय	बेगमपुर	18-2-87
638.	श्रीमती राजबाला	प्रशान्त विहार	9-3-87
639.	सोना देवी	अशोक नगर-59	11-3-87
640.	चन्द्रपाली	नेहरू विहार	17-3-87
641.	बीना	उत्तर नगर न्यू	1-4-87
642.	बिरमो देवी	नन्द नगरी-बी-2	1-4-87
643.	ओमवती	सा० दौलतपुर-बी	2-5-87
644.	श्रीमती बिमला देवी	अशोक विहार फेज-3	5-5-87
645.	श्री बाबूसिंह	कोठी कालेखां	6-5-87

646.	श्रीमती संतोष	गुरुअंगदनगर	7-5-87
647.	सुशीला	तिमारपुर	22-6-87
648.	सुमित्रा देवी	जाफरपुर कल्ला	27-6-87
649.	श्री राजेश कुमार	नेबसराय	1-7-87
650.	श्रीमती रत्नवती	त्रिलोकपुरी-31	5-7-87
651.	श्री हवासिंह	जे० जे० नागलोई	15-7-87
652.	श्री विजेन्द्र		25-7-87
653.	श्रीमती कान्ता	नन्दनगरी एल० आई० जी०	29-7-87
654.	निर्मला	भजनपुरा डी	1-8-87
655.	राजकुमारी	भीकसिंह कालो०	11-8-87
656.	शिक्षा देवी	नन्दनगरी-एफ-2	12-8-87
657.	कमल	नन्दनगरी-एफ 2-1	12-8-87
658.	श्रीमती शकुन्तला	नई सीमापुरी-1	14-8-87
659.	श्री विजेन्द्र सिंह	मोतीबाग-2	15-8-87
660.	श्रीमती सतवती	जे०जे० नागलोई	17-8-87
661.	श्री सुन्दरलाल	त्रिलोकपुरी-20	22-8-87
662.	श्रीमती राजेन्द्री	न्यू अशोकनगर 1	1-8-87
663.	अनिता	होल-बी खुर्द	1-9-87
664.	सन्तोष	जगतपुरी-1	5-9-87
665.	श्रीमती विमला	नेहरूनगर-1	9-9-87
666.	शकुन्तला	नन्दविहार-1	10-9-87
667.	सन्तोष	दिलशाद गार्डन	10-9-87
668.	श्रीमती मीना देवी	लाडो सराय द०	2-10-87
669.	माया देवी	आचार्य निकेतन	5-10-87
670.	शकुन्तला	हर्षविहार	8-10-87
671.	श्री अशोक कुमार	पुष्पविहार-4	9-10-87
672.	श्रीमती सुरेश	गुरु तेगबहादुर नगर	14-10-87
673.	राजवती	दमकल केन्द्र-2	17-10-87
674.	विमला	प० विनोलेट नगर	20-10-87
675.	श्रीमती सरोज	त्रिलोकपुरी	1-9-87

676.	श्रीमती कमला	मदनपुर डबास कम्पा	27-10-87
677.	निर्मल	आर० के० पुरम-12	1-11-87
678.	कमलेश	शकरपुर ब्लाक	1-11-87
679.	श्रीमती जगवती	जे० जे० ओल्ड-1	1-11-87
680.	श्री सतपाल	मोतीबाग-2	1-11-87
681.	श्रीमती कृष्णा	कडकडडूमा	2-11-87
682.	सरला देवी	चूनामण्डी	4-11-87
683	कमला	कुम्बकंज	12-11-87
684.	श्रीमती कमला देवी	हमीदपुर	13-11-87
685.	बसन्ती देवी	झंगोलपुरी जे०	19-11-87
686.	श्री जयबीर सिंह	अशोक विहार	1-12-87
687.	रामवती	पीतमपुरा एच	1-12-87
688.	सीमा देवी	मंगल सिंह	1-12-87
689.	श्री रामकिशन	सुल्तानपुर माजरा	1-1-88
690.	श्रीमती मिथलेश	मयूर विहार फेज-2	16 1-88
691.	रघीरी	कमरुद्दीननगर	1-2-88
692.	शान्ति देवी	पहाड़गंज न्यू	1-2-88
693.	नीलम	च०शे०आ० कालोनी	1-2-88
694.	लक्ष्मीचन्द	वाड़ा हिन्दुराव	12-2-88
695.	श्रीमती निर्मला देवी	गुन्डका-1	13-2-88
696.	श्री मुकेश	मन्टोला-I-II	10-4-88

[हिन्दी]

बोकारो के आसपास प्रदूषण

3350. श्री बारे लाल आढव : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 फरवरी, 1992 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित "विलुप्त हो चुका है बोकारो व इसके आसपास का पर्यावरण" समाचार शीर्षक की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चन्द्रपुर ताप बिजली संयंत्र और बोकारो इस्पात संयंत्र उपयुक्त नियंत्रण उपकरण लगाए बिना कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार सम्बन्धित क्षेत्रों में अत्यधिक प्रदूषण फैला रहे हैं। चन्द्रपुर ताप बिजली स्टेशन की छः जनरेटिंग यूनिटों को अपेक्षित प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। बोकारो इस्पात संयंत्र ने निर्धारित सीमा के अन्दर मानकों का अनुपालन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

[अनुवाद]

लम्बी दूरी की गाड़ियों में नए डिब्बे

3351. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बी दूरी की गाड़ियों में यात्रियों की सुविधा के लिए गद्देदार सीटों वाले डिब्बे लगाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस में ऐसे कितने डिब्बे लगाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जहां तक सम्भव होता है, लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाडियों में नए तथा गद्देदार शायिकाओं वाले सवारी डिब्बे और दिन के समय चलने वाली अन्तःनगरी एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बे लगाए जा रहे हैं।

(ग) ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस के रेकों में पहले ही ऐसे 19 सवारी डिब्बे हैं।

गुवाहाटी-तिनसुकिया सैक्शन को बड़ी लाइन में बदलना

3352. **श्री बोलिन कूली** :

श्री प्रवीन डेका : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी से तिनसुकिया तक की छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कोई प्रस्ताव हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) गुवाहटी-तिनसुकिया खंड का आमान परिवर्तन रेलों द्वारा आमान परिवर्तन की कार्य योजना में शामिल कर लिया गया है, गुवाहाटी-लमडिंग उप खंड (181 कि० मी०) का आमान परिवर्तन का कार्य 1992-93 के रेलवे बजट में शामिल कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुवाहाटी में टर्मिनल सेवाएं

3353. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुवाहाटी में बड़ी लाइन की गाड़ियों के लिए टर्मिनल सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां और अधिक टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) गुवाहाटी स्टेशन पर उपलब्ध टर्मिनल सुविधाएं मौजूदा गाड़ियों के अनुरक्षण के लिए पर्याप्त हैं ।

(ख) और (ग) 62.04 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर गुवाहटी-न्यू गुवाहाटी में टर्मिनल सुविधाओं की व्यवस्था---चरण-I को 1992-93 में पूरा किए जाने का लक्ष्य है । गुवाहाटी के निकट झालुकवाडी में आनुषंगिक मालभाड़ा टर्मिनल के निर्माण की भी योजना बनाई गई है और भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है ।

कुपोषण

3354. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991 में भारत में कुपोषण जनित बीमारियों से प्रभावित लोगों की, राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) इनसे मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने लोगों के बीच कुपोषण की वास्तविक प्रकृति का मूल्यांकन किया है; और

(घ) सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय पोषण मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार :

(i) लगभग 70 प्रतिशत ग्रामीण लोगों की खुराक में ऊर्जा की कमी होती है ।

(ii) बाडी मास इंडेक्स के आधार पर लगभग 50 प्रतिशत वयस्क ऊर्जा की अत्यधिक कमी से ग्रसित हैं (बी० एम० आई० वैल्यू) जो 18.5 से कम थी ।

(iii) स्कूल जाने की आयु से कम आयु (1-5 वर्ष के बीच) के लगभग 9 प्रतिशत बच्चे गम्भीर प्रकार के कुपोषण का सामना कर रहे हैं (एन० सी० एच० एस० मानकों के अनुसार 60 प्रतिशत से कम शारीरिक भार) अन्य 44 प्रतिशत बच्चे कम डिग्री वाले कुपोषण के शिकार हैं (60 से 75 प्रतिशत के मध्य शारीरिक भार) ।

(ख) जनसंख्या के निम्न सामाजिक-आर्थिक समूहों से सम्बन्धित लोग (शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में) कुपोषण की समस्या से पीड़ित हैं ।

(ग) लोगों में निम्नलिखित प्रकार के कुपोषण हैं :

(i) प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण;

(ii) विटामिन ए की कमी;

(iii) लौह की कमी से रक्ताल्पता; और

(iv) आयोडीन की कमी के विकार ।

(ब) असुरक्षित समूहों में पोषक तत्वों के औसत उपभोग में सुधार करने के लिए भारत सरकार ने कई कार्यक्रम शुरू किए हैं :

(i) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत पूरक आहार कार्यक्रम, स्कूल जाने के पूर्व की आयु के बच्चों तथा गर्भावस्था तथा दूध पिलाने के दौरान महिलाओं में कैलोरी के अन्तर को पूरा करने के लिए कार्यान्वित किया जाता है ।

(ii) स्कूल जाने के पूर्व के आयु के बच्चों (1-5 वर्ष) में विटामिन "ए" की कमी को रोकने के लिए विटामिन ए वितरण कार्यक्रम ।

(iii) लौह एवं फालिक एसिड टेबलेट्स का वितरण कार्यक्रम (रक्ताल्पता, रोधनिरोधक कार्यक्रम) गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं तथा 10 वर्ष तक के बच्चों और परिवार नियोजन के स्वीकारकर्ताओं को लौह एवं फालिक एसिड वितरण कार्यक्रम ।

(iv) आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों को रोकने के लिए आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति ।

(v) जन वितरण पद्धति के माध्यम से गरीबों को रियायती दरों पर अनाज की आपूर्ति ।

रेलवे प्रबन्ध पर रिपोर्ट

3355. श्री अवध कुमार पटेल : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की वित्तीय स्थितियों तथा संसाधन प्रबन्ध की जांच करने हेतु डी० वी० चड्ढा सलाहकार (योजना) रेल की अध्यक्षता में गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों तथा सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन टिप्पणियों तथा सिफारिशों के प्रकाश में क्या निर्णय लिए गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

विजयवाड़ा विशाखापट्टनम रेलमार्ग पर एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए नए "हाल्ट"

3356. डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा-विशाखापट्टनम रेलमार्ग पर एक्सप्रेस गाड़ियां रोकने के लिए नए हाल्ट बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

रेलवे सुरक्षा-कार्य कोष से पुलों के लिए धनराशि

3357. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे सुरक्षा कार्य कोष में से ऊपरि रेल पुलों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य सरकारों को रेलवे संरक्षा निर्माण कार्य निधि से प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त राशि नीचे दी गई है :

	(हजार रुपये में)
आंध्र प्रदेश	16,19
असम	5,69
बिहार	22 00
गुजरात	12,23
हरियाणा	4,56
हिमाचल प्रदेश	30
जम्मू और कश्मीर	1,71
कर्नाटक	7,43
केरल	6,05
मध्य प्रदेश	13,53
महाराष्ट्र	36,77
नागालैंड	60
उड़ीसा	4,01
पंजाब	8,82
राजस्थान	12,69
तमिलनाडु	15,87
त्रिपुरा	9
उत्तर प्रदेश	43,04
पश्चिम बंगाल	20,03
	2,31 61

[अनुवाद]

यू० एस० ए० आई० डी० द्वारा उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता

3358. श्री रवि राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एस० ए० आई० डी० ने उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन क्षमता दर में कमी लाने के लिए वित्तीय सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में कब से चलाया जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां।

(ख) *10 वर्षों की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश में परिवार कल्याण कार्यक्रम में सुधार के लिए संयुक्त राज्य अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने 32.5 करोड़ डालर (अर्थात 800 करोड़ रुपये से ज्यादा) की सहायता का एक काफी बड़ा पैकेज प्रदान किया है। आरम्भावस्था में, परियोजना को निराशाजनक कार्यनिष्पादन वाले ऐसे 32 जिलों में चलाया जाएगा जिनकी 1981 की जनगणना के अनुसार जन्म दर प्रति हजार जनसंख्या पर 39 या इससे अधिक थी।*

व्यापक दृष्टिकोण से परियोजना का उद्देश्य सन् 2000 तक उत्तर प्रदेश में कुल प्रजनन दर जो 5.4 (1988) में के स्तर पर है उसे घटाकर 4 से कम करना है तथा दम्पत्ति सुरक्षा दर जो लगभग 35.5% (मार्च, 1991 में) है को बढ़ाकर 50% तक लाना है परियोजना का उद्देश्य विभिन्न जिलों में सेवाओं की जरूरतों और वास्तविक उपलब्धताओं के बीच असमानता का पता लगाना है ताकि इस असमानता को दूर करने के लिए आवश्यकता पर आधारित कार्यनीतियां तैयार की जा सकें। निम्नलिखित पर विशेष ध्यान दिया जाएगा :—

(i) सेवाओं की गुणवत्ता तथा उन्हें दूर-दराज तक सुलभ कराने के काम में सुधार, (ii) परिवार नियोजन के जन्म में अन्तर रखने के तरीकों को बढ़ावा देना ताकि उच्च प्रजनन क्षमता वाले युवा आयु वर्ग के दम्पत्तियों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जा सके (iii) गहन तथा नवपरिवर्तनकारी कार्यक्रम को तैयार करना, जिनमें कार्यक्रम की प्रभावकारी मांग तैयार करने के लिए पति और पत्नी दोनों की आवश्यकताओं और उनसे सम्बन्धित विषयों पर बल दिया गया हो; (iv) गर्भनिरोधकों के लिए सामाजिक विपणन और समुदाय पर आधारित विपणन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना; (v) निजी क्षेत्र और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका और सह-भागिता को पर्याप्त रूप से बढ़ाना, (vi) व्यापक मानीटरिंग, मूल्यांकन और प्रचालन सम्बन्धी अन्य संविधान के लिए सुदृढ़ संस्थागत तंत्र तैयार करना, (vii) सेवा प्रदान करने वाले को प्रशिक्षण कार्यों में सहायता करना, (viii) नवपरिवर्तनकारी दृष्टिकोणों के प्रसार के लिए माडल तैयार करना जोकि भारत भर में विशेषतया बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में व्यापक रूप से अपनाया जा सके।

(ग) इस परियोजना को 1992 के उत्तरार्ध में आरम्भ किए जाने की आशा है।

समितियों का गठन

3359. श्री प्रतापराव जी० भोंसले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय स्तर पर कुछ समितियों का गठन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन समितियों के नाम क्या हैं और इनके सदस्यों के चयन की कसौटी क्या है; और

(ग) इन समितियों के सदस्यों का कार्यकाल कितना है और उनको क्या लाभ मिलते हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	समिति के नाम	इनके सदस्यों के चयन के लिए मानदंड	कार्यकाल तथा अनुमेय लाभ
1.	रेलवे हिन्दी सलाहकार समिति	यह समिति रेल मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है जिसमें सदस्य के रूप में छः संसद सदस्य और हिन्दी के प्रचार में रुचि रखने वाले कुछ गैर-सरकारी सदस्य होते हैं।	तीन वर्ष। समिति के सदस्यों के सदस्यों को तिमाही बैठकों में भाग लेने के लिए दिए जाने वाले यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते के अलावा कोई वित्तीय लाभ नहीं दिया जाता।
2.	मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति	जहां तक संभव हो व्यापक प्रतिनिधित्व	दो वर्ष। सदस्यों को बैठकों में भाग लेने के लिए
3.	क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति	देने के सिद्धांत के आधार पर विभिन्न	मुफ्त पास जारी किए जाते हैं, बैठक के स्थान
4.	राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति	जाने-माने और रेल उपयोगकर्ताओं के महत्वपूर्ण समूहों के व्यक्तियों का सदस्यों के रूप में नामांकन किया जाता है।	पर उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती है और समय-समय पर निर्धारित की गई दरों के अनुसार उन्हें यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाता है।
5.	स्वदेशीकरण और निजीकरण पर एक-सदस्यीय समिति	सम्बद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट रिकार्ड और अनुभव रखने वाला व्यक्ति प्रस्तावित समिति का अध्यक्ष हो सकता है।	अन्तिम रूप दिया जाना है।

आंध्र एक्सप्रेस का प्रस्थान का समय

3360. **श्री नन्दी येल्लैया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यात्रियों को सुविधा के लिए आन्ध्र एक्सप्रेस के हैदराबाद के लिए प्रस्थान के समय में परिवर्तन करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) जांच की गई है लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों के कारण फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया ।

[हिन्दी]

फर्रुखाबाद-कानपुर सैक्शन पर छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलना

3361. **श्री उदय प्रताप सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे में फर्रुखाबाद से कानपुर तक छोटी लाइन को बड़ी लाइन बदलने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) उत्तर रेलवे के रास्ते कानपुर से फर्रुखाबाद पहले ही बड़ी लाइन पर है । बहरहाल, पूर्वोत्तर रेलवे के रास्ते कानपुर से फर्रुखाबाद मीटर लाइन पर है ।

(ख) कानपुर-फर्रुखाबाद-कासगंज के आमान परिवर्तन का कार्य आमान परिवर्तन की कार्य-योजना में शामिल कर लिया गया है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने की योजना है।

समराहा स्टेशन का पुनर्नामकरण

3362. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समराहा (बिहार) रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर फणीश्वर नाथ रेणु के नाम पर रखने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वर्तमान नीति के अनुसार मौजूदा स्टेशनों के नामों में किसी प्रकार का परि-वर्तन सम्बन्धित राज्य सरकार की सिफारिश तथा गृह मंत्रालय की सहमति से ही किया जा सकता है । राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से संस्तुत तथा गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

अनुवाद]

एड्स रोग की रोकथाम के लिए कार्यक्रम

3363. **श्री के० वी० तंकाबालू** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एड्स रोग की रोकथाम के कार्यक्रम में लगे उन स्वयंसेवी संगठनों की संख्या क्या है जिन्हें वर्ष 1991-92 के दौरान केन्द्रीय सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) इन संगठनों तथा पापुलेशन सर्विसेज इण्टरनेशनल की गतिविधियों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान एड्स की रोकथाम के कार्यक्रम में लगे हुए स्वयंसेवी संगठनों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों में यात्रियों को प्राथमिक सुविधाएं

3364. **श्रीमती गिरिजा देवी** :

श्री साईमन मरांडी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा बिहार में चल रही रेलगाड़ियों में यात्रियों को प्रदत्त आवश्यक सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का, वर्ष-वार एवं राज्य-वार, ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) सवारी डिब्बों में यात्री सुविधाओं की व्यवस्था यात्री सुविधा समिति द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर की गई सिफारिशों के अनुसार की जाती है तथा उन सुविधाओं को प्रदान करने में किसी राज्य/क्षेत्र आदि के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।

[अनुवाद]

समस्तीपुर डिवीजन में गाड़ियों को फिर से चलाना शुरू करना

3365. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समस्तीपुर डिविजन में स्थगित की गई यात्री गाड़ियों को लोगों की मांग को देखते हुए पुनः चलाना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) समस्तीपुर मंडल में 1990 में रद्द

की गई 23 गाड़ियों में से निम्नलिखित दो जोड़ी गाड़ियों को पुनः चालू कर दिया गया है :

1. 01-12-91 से सहरसा-समस्तीपुर खंड पर 415/416 पैसेंजर गाड़ी ।

2. 25-1-92 से 321/322 दरभंगा-जयनगर पैसेंजर गाड़ी ।

अन्य गाड़ियों को पुनः चलाना फिलहाल न व्यावहारिक है और न ही औचित्यपूर्ण है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में वनरोपण कार्यक्रम

3366. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से सलेमपुर जिले में, आरम्भ किए गए विभिन्न वनरोपण कार्यक्रमों का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार और जिला-वार कितने पौधे लगाए गए तथा इनमें से कितने बचे रहे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) राज्य प्लान और केन्द्र द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं :

1. विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजना ।

2. विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त हिमालय जलाशय प्रबन्ध परियोजना ।

3. यूरोपियन इकानामिक कम्यूनिटी (ई ई सी) द्वारा सहायता प्राप्त दक्षिण भागीरथी चरण-II परियोजना ।

4. ईंधन लकड़ी/चारा परियोजनाओं की स्कीम ।

5. जन-पौधशालाओं की स्कीम ।

6. बीज विकास स्कीम ।

7. समेकित परती भूमि विकास परियोजना की स्कीम ।

8. स्वैच्छिक एजेंसियों लिए अनुदान सहायता स्कीम ।

9. सूखा प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रम ।

10. जवाहर रोजगार योजना ।

11. नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण ।

12. हिन्द-गांगेय बेसिन के बाढ़ प्रवण नदियों के आवाह क्षेत्रों में समेकित जलाशय प्रबन्ध ।

उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष के समग्र लक्ष्य और उपलब्धियां जिनमें लगाई गई पौधों की संख्या भी शामिल है, नीचे दी गई हैं :

(लाख पौध)
(हेक्टेयर क्षेत्र)

	1988-89	1989-90	1990-91*	
	पौध	पौध	पौध वितरण (निजी भूमि पर रोपण हेतु	क्षेत्र (वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि
लक्ष्य	5100	5500	4200	51150
उपलब्धि	5459	5499	3122	61083

*वर्ष 1990-91 से लक्ष्यों को, निजी भूमि पर रोपण हेतु "पौध वितरण और वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि का वृक्षारोपण हेतु "सम्मिलित क्षेत्र" के आधार पर निर्धारित किया जा रहा है।

वर्ष 1983-84 से 1987-88 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश के कतिपय जिलों में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों के एक स्वतन्त्र मूल्यांकन से पता चला है कि लगाई गई विभिन्न किस्मों की प्रजातियों की अवधि के दौरान समग्र जीवितता दर 60.57 प्रतिशत रही। पिछले तीन वर्षों के लिए जिलेवार जीवितता दर के अध्ययन नहीं किए गए हैं। तथापि, राज्य सरकार की एजेंसियां नियमित आधार पर क्षेत्र स्तरीय अनुवीक्षा करती हैं।

[अनुवाद]

यक्षगान कला

3367. **श्री सी० पी० मुदाल गिरियप्पा** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शास्त्रीय कला "यक्षगान" किन-किन राज्यों में लोकप्रिय है;

(ख) क्या इस कला को लोक कला के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है यद्यपि इस कला ने अपनी पहचान और अद्वितीयता बनाए रखी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस कला को एक शास्त्रीय कला के रूप में वर्गीकृत करने का विचार है; और

(घ) इस कला को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) यक्षगान कर्नाटक राज्य में लोकप्रिय है जिससे यह थियेटर रूप सम्बन्धित है।

(ख) जी नहीं, किन्तु विभिन्न राज्यों में अन्य लोकप्रिय थियेटर रूपों की तरह इसका उल्लेख आमतौर पर लोक अथवा पारम्परिक थियेटर के रूप में किया जाता है।

(ग) और (घ) संस्कृति विभाग और संगीत नाटक अकादमी कला आदि में प्रशिक्षण के लिए प्रमुख यक्षगान संस्थाओं को अनुदान देकर तथा विशिष्ट यक्षगान कलाकारों को पुरस्कृत करके यक्षगान कलाकारों को पुरस्कृत करके यक्षगान को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में चलते-फिरते अस्पताल

3368. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सरकारों के ग्रामीणों के क्षेत्रों में चलते-फिरते अस्पतालों से सम्बन्धित कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार ने अभी तक ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में चल अस्पताल चलाने के लिए कोई ठोस योजना तैयार नहीं की है।

सोनभद्र तथा मिर्जापुर में कंक्रीट स्लीपर संयंत्र

3369. **श्री रामविलास राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के सोनभद्र तथा मिर्जापुर जिलों में कंक्रीट स्लीपर संयंत्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है जहां पर आवश्यक सामान तथा अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

अभ्यावेदनों के उत्तर

3370. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1991 के दौरान क्षेत्रीय प्रबन्धक/डी० आर० एम० दिल्ली तथा रेल मंत्री को संसद सदस्यों से कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उनमें से कितने पत्रों का जवाब दिया गया; और

(ग) बचे हुए पत्रों का जवाब न देने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय वन्यप्राणी उद्यान प्राधिकरण की स्थापना

3371. **श्री राजवीर सिंह :**

डा० लाल बहादुर रावल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में राष्ट्रीय वन्य प्राणी उद्यान प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी क्या है; और

(ग) इसे कब तक पूरा करने की सम्भावना है और इस पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

क्विलोन-श्येनकोट्टा लाइन को छोटी से बड़ी लाइन में बदलना

3372. **श्री कोडोकुन्नील सुरेश :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्विलोन-श्येनकोट्टा-मद्रास लाइन को बड़ी लाईन में बदलने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) देश में एक ही आमान वाली प्रणाली की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से रेलों द्वारा चुनिंदा मीटर लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के लिए शुरू की गयी कार्य योजना के पहले चरण में मद्रास-दिण्डीगुल का आमान परिवर्तन कार्य शामिल किया गया है। दिण्डीगुल-मदुरै खंड पर समानान्तर बड़ी लाइन का निर्माण तथा मदुरै-विरुदुनगर का आमान परिवर्तन कार्य प्रगति पर है। कार्य योजना के दूसरे चरण को शुरू करते समय अन्य मीटर लाइनों के साथ-साथ विरुदुनगर-सेनगोट्टै-कोल्लम खंड के अमान परिवर्तन पर विचार किया जाएगा।

सरकारी अस्पतालों में दवाईयों की आपूर्ति

3373. **श्री एम० रमन्ना राय :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी अस्पतालों में दवाईयो की आपूर्ति रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

हावड़ा-दिल्ली रेलमार्ग पर और अधिक संख्या में रेलगाड़ियां चलाना

3374. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-दिल्ली रेलमार्ग पर चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों को चलाया जाना बन्द कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इन रेलगाड़ियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या इस रेलमार्ग पर राजधानी एक्सप्रेस के समान और अधिक रेलगाड़ियां चलाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ये रेलगाड़ियां कब तक शुरू हो जाएंगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) 3039/3040 हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस (हावड़ा और मुगलसराय के बीच), 3049/3050 हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस (झांसी और अमृतसर के बीच), 2403/2404 कानपुर-वाराणसी श्रमिक एक्सप्रेस, 4017/4018 इलाहाबाद-अम्बाला ऊंचाहार एक्सप्रेस, 3025/3026 हावड़ा-मुजफ्फरपुर नार्थ-बिहार सप्ताह में एक दिन चलने वाली एक्सप्रेस, 5049/5050 हावड़ा-गोरखपुर सप्ताह में एक दिन चलने वाली एक्सप्रेस, 2181/2182 हावड़ा-आगरा कैंट चम्बल सप्ताह में एक दिन चलने वाली एक्सप्रेस गाड़ियों को अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया गया है और अप्रैल, 1982 के दौरान पुन: चला दिया जाएगा।

(ग) जी, हां।

(घ) फिलहाल गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) परिचालनिक कठिनाइयों और संसाधनों की तंगी के कारण।

रेल इंडिया टेक्निकल एण्ड इकानोमिक सर्विसेज में आरक्षण

3375. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल इण्डिया टेक्निकल एण्ड इकानोमिक सर्विसेज को विदेशों में कितनी परियोजनाएं आवंटित की गई हैं;

(ख) क्या इस संगठन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में आरक्षण नीति को कार्यान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो विशेष रूप से कनिष्ठ इंजीनियर और सहायक प्रबंधकों की श्रेणियों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, विदेशों में 28 ठेके प्राप्त किए गए हैं।

(ख) और (घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के संबंध में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन एक सतत प्रक्रिया है और इसे राइट्स में कर्मचारियों के सभी ग्रुपों में कार्यान्वित किया जा रहा है। जूनियर इंजीनियरों की कोटि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमश: 13.4 प्रतिशत और 3.65 प्रतिशत है। सहायक इंजीनियरों की कोटि में यह क्रम: 7.4 प्रतिशत और

0.34 प्रतिशत है। आरक्षित उम्मीदवारों में से हाइड्रो ज्योलोजिस्ट, यांत्रिक इंजीनियर परिवहन योजनाकार जैसे विशिष्ट तकनीकी कोटियों के लिए अर्हता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध न हो पाने के कारण इनका प्रतिनिधित्व कम है जिसे विशेष भर्ती अभियानों के जरिए सामान्य किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

नई रेलगाड़ियां चलाना

3376. श्री जी० एम० सी० बाल योगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों से आंध्र प्रदेश तक लंबी दूरी वाली नई सुपर फास्ट रेल गाड़िया चलाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आंध्र-प्रदेश राज्य को सेवित करने वाली लंबी दूरी की निम्नलिखित सुपरफास्ट गाड़ियां 1-7-92 से चलाने का प्रस्ताव है :

1. तिरुवनन्तपुरम-गांधीधाम सप्ताह में एक दिन चलने वाली।

2. बेंगलूरु-कुर्ला (बम्बई) प्रतिदिन चलने वाली।

आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान नयी दिल्ली और सिकन्दराबाद/ बेंगलूरु के बीच सप्ताह में एक दिन चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस चलाने का भी प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बुकिंग एजेंट

3377. श्री अरविन्द तुलसीराम काम्बले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए रेल टिकट बुकिंग एजेंसी हेतु आरक्षण की कोई व्यवस्था की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवंटित की गई एजेंसियों की, जोन-वार, संख्या कितनी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरण प्रबन्धकों की नियुक्ति

3378. श्री शरत् चन्द्र पटनायक : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उद्योगों में पर्यावरण प्रबन्धकों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) मामला विचाराधीन है।

अनौपचारिक शिक्षा योजना

3379. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनौपचारिक शिक्षा योजना अब तक कितने जिलों में लागू की गई है;

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान उसके लिए कितने केन्द्र स्वीकृत किए गये हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं;

(घ) इसमें कितने गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं;

(ङ) क्या इन केन्द्रों के अस्तित्व और कार्य निष्पादन के बारे में कोई स्वतन्त्र जांच की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) (I) राज्य सरकारों तथा संघशासित प्रशासनों के माध्यम से शामिल किए गए जिलों की संख्या : 325

(II) स्वैच्छिक एजेंसियों के माध्यम से शमिल किए गए जिलों की संख्या : 166

कुछ जिलों को राज्यों, संघशासित प्रशासनों दोनों, तथा स्वैच्छिक एजेंसियों द्वारा साझे तौर पर शामिल किया जाता है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान 1755 केन्द्रों को मंजूरी दी गई थी।

(ग) वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान लाभप्राप्त करने वालों की संख्या क्रमशः 59,89,050, 63,98,375 तथा 67,18,000 थी।

(घ) 31-3-91 को शामिल गैर-सरकारी संगठनों की संख्या 383 थी।

(ङ) और (च) जी, हां। अपेक्षित विशेषज्ञों सहित संस्थाओं द्वारा इस समय अनौपचारिक शिक्षा का बाह्य मूल्यांकन किया जा रहा है। इसके अलावा एक संयुक्त मूल्यांकन दल जिसमें केन्द्र तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों से एक एक नामिक व्यक्ति तथा एक गैर-सरकारी सदस्य शामिल है, द्वारा मूल्यांकन का कार्य प्रगति पर है।

[हिन्दी]

भोपाल कोच मरम्मत फैक्टरी में नियुक्तियां

3380. श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल कोच फैक्टरी में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के कितने पद मंजूर किए गये और 31 दिसम्बर, 1991 तक इनमें से कितने पद भरे गए;

(ख) 31 दिसम्बर, 1991 तक इस फैक्टरी में भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए आरक्षण व्यवस्था के तहत कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया;

(ग) क्या गैस पीड़ित व्यक्तियों की नियुक्ति की तारीख और अधिक बढ़ाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

गेहूं का आयात

3381. **श्री समत कुमार मंडल** : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 19 फरवरी, 1992 के "इकानामिक टाइम्स" में "गेहूं आयात में रूकावटें" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या खाद्यान्न की खरीद के लिए हाल में जो शिष्टमण्डल अमरीका गया था, उसने वहां बात-चीत के दौरान इस मुद्दे को ठीक से स्पष्ट नहीं किया; और

(घ) यदि हां, तो अब इस सौदे को किस प्रकार तय करने का विचार है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ग) जी, हां ।

(ख) और (घ) गेहूं का आयात करने के लिए वैकल्पिक प्रबंधों का पता लगाया जा रहा है ।

चौकीदार रहित रेलवे फाटक

3382. **श्री हाराधन राय** :

श्रीमती गिरिजा देवी :

श्री टी० के० अंजलोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार चौकीदार रहित फाटकों की संख्या कितनी थी;

(ख) क्या निकट भविष्य में इन फाटकों पर चौकीदार नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) देश में मार्च, 1992 में बिना चौकीदार वाले समपारों की गणना 31-3-1992 के बाद की जाएगी । बहरहाल, 31-3-91 को रेलवे वार स्थिति इस प्रकार थी :—

मध्य रेलवे	1331
पूर्व रेलवे	762
उत्तर रेलवे	3051
पूर्वोत्तर रेलवे	2571
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1487
दक्षिण रेलवे	2520
दक्षिण मध्य रेलवे	2101

दक्षिण पूर्व रेलवे	3394
पश्चिम रेलवे	4168

(ख) और (ग) रेलवे का निकट भविष्य मे बड़ी संख्या में समपारों पर चौकीदार की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सामान्य तौर पर ऐसे समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की जाती है जिसके बारे में संबंधित राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार इसके लिए अपने हिस्से के खर्च को वहन करने की स्वीकृति देते हुए प्रायोजित किया जाता है। बहरहाल, केवल ऐसे समपारो के मामले में, जिन्हें सीमित दृश्यता अथवा भारी यातायात के कारण जोखिमपूर्ण समझा जाता है, रेलवे अपनी ओर से चौकीदारों की व्यवस्था कर देती है।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं

3383. **श्री शंकरराव काले :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या साहित्य अकादमी ने आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के अतिरिक्त भी कुछ अन्य भाषाओं को मान्यता दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस अकादमी को ऐसी भाषाओं को मान्यता देने का अधिकार है जिसका संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेख नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां तो इसके लिए क्या मानदण्ड निश्चित किए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) डोगरी, अंग्रेजी कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, नेपाली तथा राजस्थानी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

I. सामाजिक भाषायी पहलू

1. क्या भाषा संरचना की दृष्टि से स्वतन्त्र भाषा है अथवा किसी भाषा पद्धति का एक अंग है।

2. क्या भाषा का कोई ऐसा रूप है, जो इसे बोली से अलग करता हो।

3. क्या इसकी सतत् साहित्य परम्परा और इतिहास रहा है।

4. क्या काफी बड़ी संख्या में लोग इसका प्रयोग साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में करते हैं।

II. साहित्यिक पहलू

1. क्या भाषा साहित्यिक विकास की उस अवस्था को प्राप्त हो चुकी है जिसके आधार पर वह

मान्यता दिए जाने की पात्र बन गई हो। कथा-साहित्य, कविता, नाटक, जीवनी, साहित्यिक आलोचना, साहित्य का इतिहास, पत्रिकाएं आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में जिनकी स्वयं अपनी परम्परा विकसित हुई हैं और जिनमें आजकल पर्याप्त मात्रा में साहित्य रचना हो रही है, से भाषा के साहित्यिक विकास की अवस्था का परिचय मिल सकता है। उस भाषा में औसतन कितनी पुस्तकें पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रकाशित हुई हैं।

2. संबंधित भाषा के साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्यरत साहित्यिक संस्थाएं, यदि कोई हों।

III. शैक्षिक, प्रशासनिक तथा राजनैतिक पहलू

1. क्या इस भाषा को शिक्षा के माध्यम और अध्ययन के एक स्वतन्त्र विषय के रूप में संबंधित राज्य तथा विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यता दी गई है।

2. पर्याप्त संसाधनों की उपलब्धता सहित नई भाषा को मान्यता देने के प्रशासनिक पहलू।

केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की इच्छानुकूल स्थानों पर नियुक्ति

3384. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री 5-8-1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1679 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन के बोर्ड आफ गवर्नंस के द्वारा केन्द्रीय विद्यालयों के स्नातकोत्तर स्तर से नीचे के शिक्षकों को उनके द्वारा बताये गए स्थानों पर नियुक्ति करने की सुविधा न देने का निर्णय लिया गया है निर्णय को संस्वीकृति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में लिए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) वर्ष 1984 में यह निर्णय लिया गया था कि उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सेवा की अवधि पूरी हो जाने पर स्नातकोत्तर और इस श्रेणी के ऊपर आने वाले शिक्षकों की (अखिल भारतीय स्तर पर भर्ती किए गए) जहां तक संभव होगा, उनके द्वारा बताए गए स्टेशन पर तैनाती पर विचार किया जाएगा।

यह निर्णय शासी बोर्ड द्वारा नहीं लिया गया था बल्कि उत्तर-पूर्व के स्थानांतरणीय कर्मचारियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में भारत सरकार के इसी प्रकार के आदेश का पालन करते हुए ऐसा किया गया था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

होम्योपैथिक औषधालय

3385. **श्री नवल किशोर राय** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा चलाये जा रहे होम्योपैथिक औषधालयों में होम्योपैथिक डाक्टरों के कुल कितने पद रिक्त है; और

(ख) सरकार ने इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारावेची सिद्धार्थ) : (क) दिल्ली और दिल्ली से बाहर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में होमियोपैथिक डाक्टरों की छः रिक्तियां हैं।

(ख) इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

बालू खनन

3386. श्री सुधीर सावन्त : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण कार्यों हेतु सघुद्र तट बालू की खुदाई करने की अनुमति नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। तटीय विनियमन क्षेत्र में रेत की खुदाई, रेत के टीलों की कटाई अथवा परिवर्तन आदि इस मन्त्रालय द्वारा फरवरी 1991 में जारी अधिसूचना के तहत निषिद्ध गतिविधियां हैं।

(ग) यदि उल्लंघन का कोई मामला सामने आता है तो पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के उपबन्धों के तहत कार्यवाई की जाएगी।

पश्चिम रेलवे की भूमि को पट्टे पर देना

3387. श्री मोहन रावले क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न पार्टियों को पट्टे पर दी गई पश्चिम रेलवे की भूमि का विवरण क्या है;

(ख) सम्बन्धित पार्टियों की संख्या, रेलवे की भूमि पट्टे पर दिए जाने का प्रयोजन तथा उक्त पट्टे की शर्तें क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान गैर सरकारी पार्टियों को रेलवे की भूमि पट्टे पर देकर पश्चिम रेलवे ने कितना धन कमाया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पश्चिम रेलवे पर प्राइवेट पार्टियों को कोई रेलवे भूमि पट्टे पर नहीं दी गई है। बहरहाल, दो स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय संगठन और एक स्थान पर पश्चिम रेल कर्मचारी यूनियन को 99 वर्ष के लिए भूमि पट्टे पर दी गई है।

जनसंख्या घड़ियों को आरम्भ करना

3388. श्री सनत कुमार मंडल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए एक नई नीति बनाई है जिसके अन्तर्गत आयताकार जनसंख्या घड़ियों को कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और उसको कितनी सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी;

(ग) उसे अधिक से अधिक प्रभावोत्पादक बनाने के लिए शहरों, कस्बों और विशेष रूप से ग्रामीण

क्षेत्रों में घड़ी लगाने के स्थल का चयन करने का तरीका क्या है, एक घड़ी का मूल्य क्या है और उस पर कितनी पूंजी खर्च होने का अनुमान है; और

(घ) इस सम्बन्ध में "मीडिया ब्लिट्ज" विशेषकर दूरदर्शन पर तथा परिवार कल्याण के मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित कराने वाली फिल्मों का निर्माण आदि अन्य क्या-क्या उपाय करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० ताराबेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार भारत के नगरों एवं कस्बों में कुछेक उपयुक्त स्थानों पर कुछ जनसंख्या घड़ियां लगाने की योजना बना रही है। इस समय ये घड़ियां एच० एम० टी० द्वारा बनाई जा रही हैं, जो समय दर्शाने के अलावा प्रत्येक समय की कुल जनसंख्या तथा प्रत्येक मिनट तथा उसके भिन्नांश में जनसंख्या में होने वाली वृद्धि को दर्शाएंगी। ये घड़ियां परिवार कल्याण कार्यक्रम पर संदेश को भी दर्शाएंगी। इस पूरे तंत्र को प्रभावशाली बनाया जाएगा। आशा की जाती है कि इन घड़ियों की स्थापना से जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के बारे में जागरूपकता पैदा होगी।

(ग) परिवार कल्याण के मुद्दों पर चल संदेश दर्शाने वाली 23" × 11" के आकार की एक घड़ी की कीमत लगभग 14.00 लाख रुपये है तथा 20" × 8" के आकार की स्थायी संदेश दर्शाने वाली एक घड़ी की कीमत 6.30 लाख रुपये हैं। 3 बड़ी एवं 30 छोटी जनसंख्या घड़ियां खरीदने में होने वाला कुल पूंजीयत परिव्यय 23 लाख रुपये होने का अनुमान है जो यू० एन० एजेंसी द्वारा वहन किया जा रहा है। इन घड़ियों को लगाने के लिए स्थानों के चयन हेतु विचारित मानदण्ड इस प्रकार हैं :—

1. एच० एम० टी० द्वारा रख-रखाव की सम्भावना (जो इस समय बड़े शहरों तक सीमित है)
2. ये घड़ियां ऐसी जगहों पर लगाई जाएं जहां इन पर अधिक से अधिक लोगों की नजर पड़े।
3. घड़ियों को देखने वाले लोग भारतीय समाज के प्रतिनिधिक वर्गों के होने चाहिएं।
4. घड़ी लगाने का स्थान उपयुक्त होना चाहिए।
5. वहां बिजली की निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए।
6. पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।

(घ) कल्पनात्मक तथा मनोरंजक फिल्मों और वीडियो कार्यक्रमों के निर्माण को बढ़ावा देकर प्रसारण हेतु लक्षित दर्शकों के लिए परिवार कल्याण के संदेशों को दर्शाते हुए जन-प्रचार प्रयास तेज किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को ब्लाक स्तर पर विस्तार तंत्र, प्रखंड विस्तार शिक्षक तथा सहायक नर्सधात्रियों के अलावा निचले स्तर पर महिला स्वास्थ्य संघ नामक स्वयंसेवी महिला समूहों, सम्पर्क कार्यकर्ताओं/महिलाओं के माध्यम से पारस्परिक सम्प्रेषक द्वारा पूरक बनाया जा रहा है।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाना

3389. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाने के लिए कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) सरकार ने देश के पांच अंचलों में पांच मेडिकल कालेजों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें चिकित्सा परिचर्या में प्रतिष्ठित क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में उन्नत करने पर विचार करने तथा इस बारे में सिफारिशें करने के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तंत्रिका शल्य चिकित्सा के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डा० पी० एन० टंडन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी । इस समिति ने दिसम्बर, 1991 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा पांच मेडिकल कालेजों को उन्नत करने की सिफारिशें कीं । संसाधनों की उपलब्धता, ऐसी स्कीम के सम्भावित परिणाम और अन्य राज्यों से भी ऐसी ही मांग उठने की बात तथा इस बारे में केन्द्रीय सरकार के संवैधानिक दायित्व सहित इस मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने इस स्कीम को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल न करने का निर्णय लिया है ।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी क्षेत्र को गेहूं का कोटा

3390. **श्री आर्थर फर्नान्डीज** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1992 में गैर-सरकार क्षेत्र को गेहूं का कोटा कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप गेहूं की सप्लाई और इसके मूल्य किस सीमा तक प्रभावित हुए हैं; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) और (ख) जी, हां । जनवरी, 1992 के दौरान खुली बिक्री के रूप में 1.07 लाख मीटरी टन गेहूं बेची गई थी जबकि दिसम्बर, 1991 में 3.14 लाख मीटरी टन गेहूं की बिक्री की गई थी ।

(ग) और (घ) यद्यपि इसकी मात्रा नहीं बताई जा सकती है, लेकिन गेहूं की खुली बिक्री करने से बढ़ते हुए मूल्यों को संयत करने में मदद मिली है ।

चीनी मिलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि

3391. **श्री पी० जी० नारायणन** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना में चीनी मिलों की वर्तमान उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के समाप्ति वर्ष अर्थात् 1996-97 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए 198.67 लाख टन वार्षिक चीनी उत्पादन की चीनी मिलों की क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । राज्यवार लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है ।

मैसूर में डीजल इंजन कारखाना

3392. श्रीमती चन्द्र प्रभा असं : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में डीजल इंजन कारखाने ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 (दिसम्बर, 1991 के अन्त तक) के दौरान इकमें कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उक्त कारखाने में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या प्रतिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग कर लिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रतिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत उपयोग किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) मैसूर में कोई डीजल इंजन निर्माण इकाई नहीं है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

ग्रामीण शिक्षा के लिए धनराशि का आबंटन ।

3394. कुमारी उमा भारती :

श्री केशरी लाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण शिक्षा विकास कार्यक्रम के लिए राज्यवार आबंटित की गई राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह आबंटित राशि इस प्रयोजनार्थ नियत राशि से कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नियत राशि का आबंटन और इसका समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) ग्रामीण शिक्षा विकास कार्यक्रम नामक कोई कार्यक्रम नहीं है । तथापि केन्द्र, प्रारम्भिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों में राज्य सरकारों की मदद करता रहा है । आपरेशन ब्लैकबोर्ड, शिक्षक शिक्षा और प्रौढ़ साक्षरता योजना जैसी योजनाओं के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को प्रमुख रूप से लाभ प्राप्त हुए ।

विभिन्न राज्यों को प्रदान की गई सहायता, शिक्षा विभाग की 1990-91 की वार्षिक रिपोर्ट के भाग-I में दी गई है जो सभा-पटल पर रख दी गई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) व्यय की प्रगति की समय-समय पर जांच की जाती है ।

गंगा कार्य योजना

3395. कुमारी उमा भारती :

श्री एस० वी० सिलगाव :

श्री राम पूजन पटेल :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह :

श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा कार्य योजना के पूरा हो गए चरणों का राज्य-वार एवं परियोजना-वार, ब्यौरा क्या है, कौन-सी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा किन परियोजनाओं का पूरा होना बाकी है;

(ख) प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि तथा निर्माण की क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है तथा राज्य-वार, क्या परिणाम मिले हैं;

(ग) गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) गंगा के किनारे प्रमुख प्रदूषण क्षेत्र कौन-से हैं तथा पूरी हो गई परियोजनाओं का इन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ङ) गंगा कार्य योजना के लिए विभिन्न स्रोतों से प्राप्त द्विपक्षीय/तकनीकी/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत 261 स्कीमें संस्वीकृत की गई हैं, अब तक 175 स्कीमें पूरी की जा चुकी हैं और शेष 86 स्कीमों में कार्य प्रगति पर है। इन स्कीमों का राज्य-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पूरी की गई स्कीमों की सूची उनके पूरा होने के तिथि सहित तथा चल रही स्कीमों की सूची, उनके पूरा होने की निर्धारित तिथि के साथ विवरण-II में दी गई है। प्रत्येक स्कीम के लिए खर्च की गई/निर्धारित धनराशि भी दी गई है। पूरी की गई स्कीमों के परिणामस्वरूप 405 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज का अवरोधन किया गया है।

(ग) हालांकि अधिकांश स्कीमें निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं परन्तु सीवेज उपचार की गई कुछ स्कीमों में भूमि अधिग्रहण करने एवं न्यायालय में पड़े मामलों के कारण कुछ देरी हुई है।

(घ) गंगा में गिरने वाले म्युनिसिपल अपशेष अवरोधन, दिशा-परिवर्तन एवं उपचार, और प्रदूषित उद्योगों के औद्योगिक अपशेषों की निगरानी और उनके द्वारा नदी में छोड़े जाने वाले बहि:स्राव से रोकने के लिए कानूनी उपाय करना और सीवर उपचार संयंत्रों के प्रतिलाभ संसाधनों पर गंगा कार्य योजना में विशेष जोर दिया गया है। जहां पर सीवेज अवरोधन के कार्य पूरे कर लिए गए हैं वहां कानपुर से इलाहाबाद तक कुछ क्षेत्रों, जहां कम खनी के मौसम के दौरान नदी का बहाव अत्यधिक कम होता है, को छोड़कर घुलित आक्सीजन और जैव-आक्सीजन के सम्बन्ध में सुधार हुआ है।

(ङ) गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत द्विपक्षीय और विश्व बैंक सहायता का विवरण-III में दिया गया है।

विवरण-II

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत स्कीमों का राज्य-वार एवं स्कीम-वार विवरण

राज्य	उत्तर प्रदेश			बिहार			पश्चिम बंगाल			
स्कीमें	पूरी की गई	चल रही	कुल	पूरी की गई	चल रही	कुल	पूरी की गई	चल रही	योग	कुल योग
1. अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन	31	9	40	13	4	17	9	22	31	88
2. सीवेज उपचार संयंत्र	6	7	13	—	7	7	1	14	15	35
3. अल्प-लागत स्वच्छता	11	3	14	7	—	7	21	1	22	43
4. विद्युत शवदाह-गृह	1	2	3	6	2	8	13	4	17	28
5. नदी तटाग्र विकास	7	1	8	3	—	3	21	3	24	35
6. विविध	22	6	28	3	—	3	—	1	1	32
कुल योग	48	28	106	32	13	45	65	45	110	261

विवरण-II

पूरी की गई/चल रही स्कीमों का विवरण

राज्य : उत्तर प्रदेश (रुपए लाख में)

क्र० सं०	स्कीमों का नाम	संस्वीकृत लागत	पूरा होने की वास्तविक/अनुमानित तिथि	टिप्पणी
नगर : हरिद्वार				
1.	सीवेज पंपिंग स्टेशन का नवीकरण एवं निर्माण सीवरों का बिछाना आदि, हरिद्वार (तात्कालिक चरण-I)	62.43	1-1.87	पूरी की गई
2.	सीवेज पंपिंग स्टेशन का नवीकरण एवं निर्माण सीवरों का बिछाना आदि, ऋषिकेश (तात्कालिक चरण-I)	100.71	1-1-87	पूरी की गई
3.	सीवरेज आउटफाल, ग्रैविटी सीवर का नवीकरण, हरिद्वार	171.44	31-12-88	पूरी की गई
4.	सीवरेज प्रणाली पुर्नसंगठन, क्षेत्र ई-I हरिद्वार	61.52	30-11-88	पूरी की गई
5.	मुनि की रेती पर सीवर का अवरोधन-लक्ष्मण झूला, ऋषिकेश	14.84	30-5-87	पूरी की गई
6.	सीवरेज प्रणाली का पुर्नसंगठन क्षेत्र ग, हरिद्वार	51.05	30-6-91	पूरी की गई
7.	सीवरेज प्रणाली का पुर्नसगठन क्षेत्र क और ख हरिद्वार	28.71	31-05-88	पूरी की गई
8.	काशी नाले की टैपिंग, हरिद्वार	3.62	28-2-87	पूरी की गई
9.	कनखल में सीवेज उपचार संयंत्र	607.54	30-6-92	चल रही
10.	उपचार कार्य लक्कड़घाट, ऋषिकेश	74.29	30-6-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
11.	सीवेज उपचार कार्य स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश	19.10	31-3-91	पूरी की गई
12.	आवासीय स्थल से बहने वाले अपशेष जल का टैपिंग करना हरिद्वार	22.45	31-1-90	पूरी की गई
13.	सीवेज फार्म कार्य, कनखल हरिद्वार	38.03	28-2-90	पूरी की गई
14.	मंशादेवी पहाड़ियों पर वाटर रोड प्रबंध और नवीकरण	10.77	31-3-88	पूरी की गई
15.	ठोस संरक्षण स्कीम, बाग राव और सुख राव, हरिद्वार	31.64	31-8-89	पूरी की गई
16.	ठोस अपशेष प्रबंध, हरिद्वार	7.82	30-6-89	पूरी की गई
17.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, हरिद्वार	20.50	31-3-88	पूरी की गई
18.	विद्युत-शवदाहगृह का निर्माण हरिद्वार	40-40	31-3-92	चल रही
19.	सीवर में गाद भरने से रोकने के लिए चेक बांध का निर्माण	5.00	31-3-88	पूरी की गई
20.	गंगा नदी की सूक्ष्मस्तरीय गहन जल गुणवत्ता निगरानी, हरिद्वार	9.68	31-3-90	पूरी की गई
	नगर : फर्रुखाबाद और फतेहगढ़			
21.	गंगा नदी का प्रदूषण निवारण फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद चरण-I आगरा फतेहगढ़ पर	146.31	31-3-92	चल रही
22.	फर्रुखाबाद में सामुदायिक शौचालय सुविधाएं	20.10	31-3-90	पूरी की गई
23.	निम्न लागत स्वच्छता, फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद	10.86	31-1-90	पूरी की गई
24.	फर्रुखाबाद में घाटिया घाट का सुधार	11.69	31-3-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
	नगर : कानपुर			
25.	कानपुर सीवेरेज प्रणाली का पुर्नसंगठन मास्टर प्लान चरण-I, कानपुर	179.64	31-12-88	पूरी की गई
26.	नालों की टैपिंग, कानपुर	29.12	31-12-88	पूरी की गई
27.	ट्रंक और मुख्य सीवरों की सफाई, कानपुर	55.38	31-12-92	चल रही
28.	सीवर स्वच्छता, कानपुर (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम)	34.18	31-3-91	पूरी की गई
29.	कानपुर, सीवर की व्यवस्था विस्तार (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम)	271.19	31-3-92	चल रही
30.	जाजमऊ जल अपवहन प्रणाली में सुधार, कानपुर (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम)	215.48	31-3-93	चल रही
31.	कानपुर जिला नगर के लिए सीवेज उपचार संयंत्र	2023.00	31-12-93	चल रही
32.	एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत जाजमऊ में यू० ए० एस० बी० संयंत्र का निर्माण, कानपुर	942.81	31-12-93	चल रही
33.	कानपुर में चर्मशाला अपशेष जल उपचार के लिए यू० ए० एस० बी० (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम)	11.63	9-2-89	पूरी की गई
34.	कोमियम पुनः प्राप्ति प्रायोगिक संयंत्र, कानपुर (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम) नई : 4,500 लीटर प्रतिदिन	5.31	15-2-89	पूरी की गई
35.	शुक्लागंज में निम्न लागत स्वच्छता, कानपुर	11.28	31-12-92	चल रही
36.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, कानपुर	49.87	31-7-89	पूरी की गई

1	2	3	4	5
37.	अल्प-लागत स्वच्छता कानपुर	67.54	31-7-88	पूरी की गई
38.	अल्प-लागत स्वच्छता कानपुर (समन्वित स्वच्छता कार्यक्रम)	161.37	31-12-92	चल रही
39.	विद्युत शवदाहगृह और गृह-निर्माण शुक्लागंज और भगवत दास घाट, कानपुर	71.86	31-3-91	पूरी की गई
40.	जल आपूर्ति कार्यक्रम जाजमऊ क्षेत्र के लिए समन्वितस्व-स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत, कानपुर	205.81	31-3 93	चल रही
41.	सूक्ष्मस्तर गहन जल गुणवत्ता गंगा नदी के लिए कानपुर	9.00	31-3-90	पूरी की गई
42.	ठोस अपशेष कानपुर (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम)	57.12	30-6-93	चल रही
43.	सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक विकास, कानपुर (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम) कानपुर	27.67	31-3-92	चल रही
44.	चर्मशाला अपशेष जल के लिए सामान्य वहन प्रणाली (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम) कानपुर	228.77	30-9-92	चल रही
45.	गऊ घाट पंपिंग स्टेशन का नवीकरण, इलाहाबाद	313.64	30-9-88	पूरी की गई
46.	कीटगंज क्षेत्र में रिलीविंग सीवर बिछाना इलाहाबाद	22.17	31-5-88	पूरी की गई
47.	मध्यवर्ती सीवेज पंपिंग स्टेशनों का नवीकरण, इलाहाबाद	41.45	29-2-88	पूरी की गई
48.	दारागंज घाट सीवर और सीवेज पंपिंग स्टेशन इलाहाबाद	86.63	30-9-88	पूरी की गई
49.	नाला टैपिंग और अवरोधन, सीवर इलाहाबाद	35.12	31-12-88	पूरी की गई

1	2	3	4	5
50.	दारागंज में रिलीविंग सीवर, इलाहाबाद	132.06	31-12-92	चल रही
51.	चाचर नाला की टैपिंग, इलाहाबाद	119.31	31-8-88	पूरी की गई
52.	चाचर नाला की टैपिंग, इलाहाबाद	31.29	31-8-88	पूरी की गई
53.	नैनी में सीवेज उपचार संयंत्र, इलाहाबाद	872.21	31-12-93	चल रही
54.	नैनी गौर बांडी पर सीवेज फार्म का नवीकरण और नैनी में बाई पास चैनल, इलाहाबाद	99.45	31-3-87	पूरी की गई
55.	अल्प लागत स्वच्छता इलाहाबाद नगर की झाड़ू बरदार करना इलाहाबाद	95.72	31-3-90	पूरी की गई
56.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, इलाहाबाद	55.28	31-3-89	पूरी की गई
57.	विद्युत शवदाहगृह शंकर घाट इलाहाबाद	36.66	21-12-92	चल रही
58.	सरस्वती घाट और संगम के समीप के क्षेत्रों में एकीकृत विकास, इलाहाबाद	92.57	31-3-92	चल रही
59.	सीवर लाइनों की सफाई, इलाहाबाद	68.06	31-3-91	पूरी की गई
60.	गंगा नदी में सूक्ष्मस्तरीय गहन जल गुणवत्ता निगरानी, इलाहाबाद	8.43	31-3-90	पूरी की गई
61.	चाचर नाला की टैपिंग (ए और बी)	3.07	31-3-89	पूरी की गई
62.	रसूलाबाद घाट पर सार्वजनिक सुविधाएं, इलाहाबाद	65.31	31-3-90	पूरी की गई
	नगर : मिर्जापुर			
63.	जल आपूर्ति कार्यक्रम समग्र स्वच्छता कार्यक्रम मिर्जापुर (उ० प्र० शासन द्वारा वित्त प्रोवित)	0.00	30-9-93	चल रही

1	2	3	4	5
64.	मिर्जापुर में एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत सीवरेज और झांझा जल नाला शेष कार्यक्रम	30.24	31-3-90	पूरी की गई
65.	नदी तटीय विकास, मिर्जापुर,	43.88	31-3-90	पूरी की गई
66.	अल्प लागत स्वच्छता कार्यक्रम मिर्जापुर एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम	224.40	31-3-93	चल रही
67.	यू० ए० एस० बी० अपशेष जल उपचार संयंत्र मिर्जापुर (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम)	262.04	30-6-93	चल रही
68.	ठोस अपशेष प्रबंध, मिर्जापुर (एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम)	44.00	30-9-93	चल रही
69.	सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक विकास, मिर्जापुर	31.24	30-6-92	चल रही
70.	वाईड मेश सीवरेज प्रणाली (कोर क्षेत्र) मिर्जापुर एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम	253.65	31-3-93	चल रही
71.	गैर-कोर क्षेत्रों में सीवरेज प्रणाली का विस्तार मिर्जापुर (एकीकृत स्वच्छता)	254.77	30-9-93	चल रही
72.	अवरोधन सीवर और पंपिंग स्टेशन मिर्जापुर एकीकृत स्वच्छता कार्यक्रम	256.00	31-3-93	चल रही
नगर : वाराणसी				
73.	रामनगर, वाराणसी में सीवेज पंपिंग स्टेशन की मरंमत और नवीकरण और सीवेज फार्म	9.75	31-3-86	पूरी की गई
74.	वाराणसी में घाटों में सीवेज पंपिंग स्टेशनों का नवीकरण (उ० प्र० सरकार द्वारा वित्त पोषित)	0.00	31-3-86	पूरी की गई

1	2	3	4	5
75.	डी० एल० डब्ल्यू० सीवेज के निपटान के लिए सीवर लाइनों को बिछाना, वाराणसी	88.00	30-4-88	पूरी की गई
76.	मानसरोवर नाले का अवरोधन, वाराणसी	99.76	31-1-90	पूरी की गई
77.	राजघाट और तेलिया नाले का अवरोधन, वाराणसी	74.23	30-6-88	पूरी की गई
78.	राजेन्द्र प्रसाद घाट पंपिंग स्टेशन पर परियोजना कार्य, वाराणसी	75.35	31-12-90	पूरी की गई
79.	रामनगर सीवर प्रणाली, वाराणसी	47.74	31-3-91	पूरी की गई
80.	अर्दली बाजार सीवर में इन-सीटू पुनर्वास वाराणसी	100.00	31-3-93	चल रही
81.	वाराणसी में नालों और सीवरों को विच्छेद करना	12.13	31-3-91	पूरी की गई
82.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में सीवेज उपचार (नवीकरण और विस्तार)	313.62	31-1-90	पूरी की गई
83.	कोनिया में पूर्व उपचार कार्य और दीनापुर वाराणसी में सीवेज उपचार संयंत्र	2169.90	31-3-92	चल रही
84.	दीनापुर सीवेज फार्म, वाराणसी	94.86	31-12-90	पूरी की गई
85.	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण (17 घाटों में) वाराणसी	52.89	28-2-89	पूरी की गई
86.	सामुदायिक शौचालयो का निर्माण और अन्य अल्प लागत स्वच्छता स्कीमें (नगर क्षेत्र), वाराणसी	109.25	31-3-90	पूरी की गई
87.	पक्का महल क्षेत्र में अल्प लागत स्वच्छता, वाराणसी	27.03	30-6-88	पूरी की गई

1	2	3	4	5
88.	राजेन्द्र प्रसाद घाट का नवीकरण, वाराणसी	5.20	30-3-88	पूरी की गई
89.	मार्ग खंडों के ट्रैफिक परिचालन में सुधार, वाराणसी	37.01	31-3-88	पूरी की गई
90.	घाट की तरफ जाने वाले मार्गों/उपमार्गों में सुधार, वाराणसी	18.00	21-3-88	पूरी की गई
91.	घाट की तरफ जाने वाले मार्गों/पर स्ट्रीट लाइट का विद्युतीकरण	18.78	31-3-88	पूरी की गई
92.	ठोस अपशेष प्रबन्ध, वाराणसी	50.47	31-8-88	पूरी की गई
93.	घाट की ओर जाने वाले मार्ग उपमार्गों पर ट्रैफिक परिचालन में सुधार और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं, वाराणसी	16.70	31-3-88	पूरी की गई
94.	कुण्डों/तालाबों का नवीकरण, वाराणसी	24.02	30-6-88	पूरी की गई
95.	धोबी घाट के स्थानांतरण (प्रायोगिक स्कीम) वाराणसी	46.08	24-11-87	पूरी की गई
96.	घाटों का विद्युतीकरण, वाराणसी	49.37	31-3-90	पूरी की गई
97.	नागवा नाले का निर्माण, वाराणसी	13.84	31-3-88	पूरी की गई
98.	स्लोप और घाटों का संरक्षण, वाराणसी	43.94	30-11-89	पूरी की गई
99.	वाराणसी त्रिलोचन घाट से राजघाट तक मुख्य घाटों का एकीकृत विकास, वाराणसी	296.98	31-1-92	पूरी की गई
100.	विभिन्न घाटों पर सीढ़ियों में विस्तार और निर्माण, वाराणसी	52.96	31-12-89	पूरी की गई
101	वाराणसी में दिखने वाले जलचर के लिए अलवण जल प्रजनन और छोड़ना	34.52	31-1-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
102.	गंगा नदी में सूक्ष्मस्तरीय गहन निगरानी, वाराणसी	8.78	31-3-90	पूरी की गई
103	नदी उपयोग में जन सुरक्षा में सुधार, वाराणसी	27.0	31-3-91	पूरी की गई
104.	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स पर सीवेज उपचार संयंत्र, वाराणसी	75.00	31-1-89	पूरी की गई
105.	सीवर लाइनों की स्वच्छता, वाराणसी	10.00	31-1-90	पूरी की गई
106	प्रवाह मानदण्ड उपकरणों की प्राप्ति और अन्य उपकरण, वाराणसी	7.55	31-12-90	पूरी की गई

पूरी की गई/चल रही स्कीमें

राज्य : बिहार

क्रम सं०	स्कीम का नाम	सस्वीकृत लागत	पूरा होने की वास्तविक/अनुमानित तिथि	टिप्पणी
	नगर : छपरा			
1.	अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन स्कीम (भाग-1) छपरा	117.20	31-3-90	पूरी की गई
2.	एस० टी० पी० छपरा	97.30	30-6-93	चल रही
3.	अल्प-लागत स्वच्छता, छपरा	42.79	31-8-89	पूरी की गई
	नगर : पटना			
4.	कुम्हरार घाट पर नया सीवेज पंपिंग स्टेशन तथा गैर-प्रेशर और गैर-मैनों को बिछाना पटना	12.31	31-12-88	पूरी की गई
5.	अंतघाट पर नया सीवेज पंपिंग स्टेशन प्रेशर और गैर-प्रेशर मैनों को बिछाना, पटना	8.39	31-10-88	पूरी की गई

1	2	3	4	5
6.	इक्जिबिशन रोड और पंपिंग स्टेशन को फिर से चालू करना (भाग-I एवं II), पटना	20.70	31-12-88	पूरी की गई
7.	पीरमुहानी में नए पंपिंग स्टेशन का बिछाना और प्रेशर और गैर-प्रेशर मैनों का बिछाना, पटना	13.78	31-10-88	पूरी की गई
8.	पश्चिमी क्षेत्र में सीवरों की सफाई, पटना	12.46	31-3-88	पूरी की गई
9.	केन्द्रीय क्षेत्र, पटना में सीवरों को साफ करना	20.06	30-4-88	पूरी की गई
10.	मीठापुर पंपिंग स्टेशन से बेयूर सीवेज उपचार संयंत्र, पटना में अपशेष जल का दिशा-परिवर्तन	133.73	30-6-89	पूरी की गई
11.	शहर मोट नाले, पटना की दिशा बदलना	7.83	31-10-88	पूरी की गई
12.	कंकड़बाग आउटफाल, पटना का नवीकरण	5.33	31-7-88	पूरी की गई
13.	सैदपुर आउटफाल, पटना का नवीकरण	38.50	31-10-88	पूरी की गई
14.	पटना मेडिकल कालेज, पटना से सीवेज का अवरोधन और दिशा-परिवर्तन	9.10	31-11-88	पूरी की गई
15.	पटना के पश्चिमी क्षेत्र के लिए अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की स्कीम, पटना	973.11	30-6-92	चल रही
16.	दक्षिणी क्षेत्र पटना से अपशेष जल बहाव का दिशा-परिवर्तन	321.91	31-3-93	चल रही
17.	पूर्वी क्षेत्र से अपशिष्ट जल का सीवेज उपचार, पटना	105.77	30-6-92	चल रही
18.	केन्द्रीय और पश्चिमी क्षेत्रों के जाम और अतिग्रस्त सीवरों की मरम्मत और पुनर्स्थापना, पटना	9.57	31-3-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
19.	केन्द्रीय क्षेत्र में ट्रंक सीवरों की क्षमता में वृद्धि करना, पटना	133.82	30-6-92	चल रही
20.	सैदपुर उपचार संयंत्र का नवीकरण और प्रयोगशाला की स्थापना, पटना	154.32	31-3-94	चल रही
21.	बेऊर सीवेज उपचार संयंत्र की पुनर्स्थापना और अभिवृद्धि, पटना	348.66	31-10-92	चल रही
22.	अल्प-लागत स्वच्छता (भाग-I एवं II) पटना	206.00	31-3-90	पूरी की गई
23.	हाजीपुर क्षेत्र के लिए अल्प-लागत स्वच्छता स्कीम, पटना	33.49	31-3-90	पूरी की गई
24.	सोनपुर के लिए अल्प-लागत स्वच्छता, पटना	31.12	31-3-90	पूरी की गई
25.	बांसघाट पर शवदाहगृह, पटना	25.72	31-10-89	पूरी की गई
26.	पहलेजा घाट पर शवदाहगृह, पटना	42.02	31-3-90	पूरी की गई
27.	खाजेकला पर शवदाहगृह, पटना	45.42	31-3-90	पूरी की गई
28.	गुलबी घाट पर शवदाहगृह, पटना	36.58	31/3-90	पूरी गई की
29.	हाजीपुर क्षेत्र के लिए विद्युत शवदाहगृह पटना	48.14	31-3-90	पूरी की गई
30.	नदी तटाग्र विकास, पटना (8 घाट)	59.50	31-3-90	पूरी की गई
31.	सैदपुर सीवेज उपचार संयंत्र का रख-रखाव, पटना	79.35	31-3-90	पूरी की गई
32.	बेऊर सीवेज उपचार संयंत्र का रख-रखाव, पटना	23.26	31-3-90	पूरी की गई
33.	ठोस अपशेष प्रबन्ध, पटना	61.10	31-3-90	पूरी की गई
	नगर : मोकामेह-बरौनी			
34.	मोकामेह में अल्प-लागत स्वच्छता, बरौनी	32.03	31-3-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
35.	मोकामेह-बरौनी में विद्युत शवदाहगृह	82.55	30-6-92	चल रही
	नगर : मुंगेर			
36.	अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन स्कीम, मुंगेर	243.95	30-6-92	चल रही
37.	सीवेज उपचार संयंत्र, मुंगेर (एन: 13.5 एम० एल० डी०)	178.10	31-3-93	चल रही
38.	अल्प-लागत स्वच्छता, मुंगेर	61.31	31-12-88	पूरी की गई
39.	विद्युत शवदाहगृह मुंगेर	44.12	31-3-92	चल रही
40.	सोझी घाट पर नदी तटाग्र विकास, मुंगेर	15.02	31-3-90	पूरी की गई
	नगर : भागलपुर			
41.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन स्कीम भागलपुर	199.65	31-3-92	चल रही
42.	सीवेज उपचार संयंत्र, भागलपुर	169.26	30-9-92	चल रही
43.	अल्प-लागत स्वच्छता, भागलपुर	143.60	31-3-90	पूरी की गई
44.	विद्युत शवदाहगृह, भागलपुर	38.37	30-11-91	पूरी की गई
45.	नदी तटाग्र विकास, खिरनीघाट, भागलपुर	13.00	31-3-90	पूरी की गई

पूरी की गई/चल रही स्कीमें

राज्य : पश्चिम बंगाल

क्रम सं०	स्कीम का नाम	संस्वीकृत लागत	पूरा होने की वास्तविक/ अनुमानित तिथि	टिप्पणी
	नगर : बहरामपुर			
1.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीम बहरामपुर	153.27	30-6-92	चल रही

1	2	3	4	5
2.	सीवेज उपचार संयंत्र, बहरामपुर	58.09	30-6-92	चल रही
3.	अल्प-लागत स्वच्छता, बहरामपुर	89.88	31-3-92	चल रही
4.	विद्युत शवदाहगृह, खागड़ा और गोरा बाजार, बहरामपुर	80.45	31-12-92	चल रही
5.	नदी तटाग्र सुविधाएं, (फेज-I) बहरामपुर	53.08	28-2-87	पूरी की गई
6.	नदी तटाग्र सुविधाएं, भागीरथी फेज-II बहरामपुर	49.92	30-4-88	पूरी की गई
7.	5 घाटों पर नदी तटाग्र विकास बहरामपुर	17.14	31-3-92	चल रही
	नगर : नवद्वीप			
8.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीम, नवद्वीप	187.25	31-3-92	चल रही
9.	सीवेज उपचार संयंत्र, नवद्वीप	29.16	30-6-92	चल रही
10.	अल्प-लागत स्वच्छता, नवद्वीप	59.62	31-7-90	पूरी की गई
11.	विद्युत शवदाहगृह, नवद्वीप	57.49	31-3-92	चल रही
12.	नदी तटाग्र विकास 7 घाटों के लिए, नवद्वीप	65.50	31-3-92	चल रही
	नगर : शेष पश्चिमी तट			
13.	नदी तटाग्र विकास, बांसबेरिय	16.13	28-2 90	पूरी की गई
14.	विद्युत शवदाहगृह, हुगली, चिंसुरा	33.39	31-3-92	चल रही
15.	अल्प लागत स्वच्छता, हुगली-चिंसुरा	26.71	31-3-89	पूरी की गई
16.	नदी तटाग्र विकास (3 घाट) हुगली-चिंसुरा	18.40	31-12-90	पूरी की गई
17.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीम, (4 क्षेत्र), हुगली-चिंसुरा	448.94	30-6-93	चल रही
18.	अवरोधन सीवर बिछाना और मैन-होलों का कनेक्शन इत्यादि, क्षेत्र-1, चंदन नगर	93.45	31-3-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
19.	अवरोधन सीवर बिछाना और मैन होलों का कनेक्शन इत्यादि क्षेत्र-II, चंदन नगर	94.72	31-3-90	पूरी की गई
20.	अवरोधन सीवर बिछाना और मैन होलों का कनेक्शन इत्यादि क्षेत्र-III, चंदन नगर	99.99	31-3-90	पूरी की गई
21.	सीवेज उपचार संयंत्र का नवीकरण और विस्तार क्षेत्र IV, चंदन नगर	254.78	30-6-92	चल रही
22.	नदी तटाग्र विकास, चंदन नगर	11.15	28-2-90	पूरी की गई
23.	नदी तटाग्र सुविधाएं, गांडालपारा, चंदन नगर	13.34	31-13-89	पूरी की गई
24.	अल्प-लागत स्वच्छता, भद्रेश्वर (कलकत्ता महानगर विकास, नगर)	14.15	30-6-88	पूरी की गई
25.	विद्युत शवदाहगृह, भद्रेश्वर (कलकत्ता महानगर विकास, नगर)	27.56	31-3-90	पूरी की गई
26.	अल्प-लागत स्वच्छता, चम्पदानी कलकत्ता महानगर विकास, नगर	16.64	31-7-88	पूरी की गई
27.	अल्प-लागत स्वाच्छता, वैद्यावती (कलकत्ता महानगर विकास नगर)	9.36	28-2-90	पूरी की गई
28.	विद्युत शवदाहगृह वैद्यावती (कलकत्ता महानगर विकास, नगर)	35.74	31-3-91	पूरी की गई
29.	नदी तटाग्र विकास, वैद्यावती	12.59	30-11-90	पूरी की गई
30.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीम, क्षेत्र-I, सेरामपुर	89.55	31-3-90	पूरी की गई
31.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीम, क्षेत्र-II, सेरामपुर	108.17	31-3-92	चल रही
32.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन की स्कीम, क्षेत्र-III, सेरामपुर	109.05	30.6-92	चल रही

1	2	3	4	5
33.	अल्प-लागत स्वच्छता, सेरामपुर	4.98	31-3-89	पूरी की गई
34.	नदी तटाग्र विकास, (1 घाट) भद्रेश्वर	3.38	31-7-90	पूरी की गई
35.	नदी तटाग्र विकास, ग्रुप-सी, फेज-I, सेरामपुर	63.51	31-12-89	पूरी की गई
36.	सीवेज उपचार संयंत्र का नवीकरण, क्षेत्र-IV सेरामपुर	163.28	31-12-92	चल रही
37.	अल्प-लागत स्वच्छता, रिसरा	19.56	31-3-89	पूरी की गई
38.	अल्प-लागत स्वच्छता, कोन्नार	13.65	31-3-88	पूरी की गई
39.	अल्प-लागत स्वच्छता, उत्तर-पाड़ा-कोटरंग	16.39	31-3-88	पूरी की गई
40.	विद्युत-शवदाहगृह, उत्तरपाड़ा कोटरंग	26.95	28-2-90	पूरी की गई
41.	नदी तटाग्र विकास, बेल्लूर मठ के समीप बाली	34.89	31-3-90	पूरी की गई
42.	अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन की स्कीम, बाली	240.21	31-3-92	चल रही
43.	विद्युत शवदाहगृह, बाली	26.02	28-2-90	पूरी की गई
44.	नदी तटाग्र विकास (2 घाट) बाली	6.03	31-3-92	पूरी की गई
45.	सीवर अवरोधन और पंपिंग स्टेशन तथा उत्तरी हावड़ा और बाली के लिए राइजिंग मेन	399.62	31-12-92	चल रही
46.	नदी तटाग्र विकास, उलुबेरिया.	14.24	31-3-90	पूरी की गई
दक्षिण पूर्वी तट :				
47.	सीवेज उपचार संयंत्रों का नवीकरण एवं विस्तार, कल्याणी	131.80	30-6-92	चल रही
48.	अल्प-लागत स्वच्छता, कंचनपाड़ा	23.50	28-2-90	पूरी की गई
49.	अल्प-लागत स्वच्छता, हालीशहर	33.77	31-5-88	पूरी की गई
50.	विद्युत शवदाहगृह, हालीशहर	29-93	31-3-91	पूरी की गई

1	2	3	4	5
51.	अल्प-लागत स्वच्छता, नईहाटी	5.42	28-2-90	पूरी की गई
52.	नदी तटाग्र विकास, नईहाटी	11.67	31-12-89	पूरी की गई
53.	सीवर का नवीकरण एवं सीवर अवरोधन भाटपाड़ा	33.30	31-3-89	पूरी की गई
54	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन स्कीम, क्षेत्र-II, ग्रुप-डी, भाटपाड़ा	81-29	30-6-93	पूरी की गई
55.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन स्कीम क्षेत्र-II, ग्रुप-सी में, भाटपाड़ा	127.85	30-6-93	पूरी की गई
56.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन, क्षेत्र-I, ग्रुप-ख, भाटपाड़ा	4.46	31-12-89	पूरी की गई
57.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन स्कीम, -क्षेत्र-I, के लिए ग्रुप-ई और एफ, भाटपाड़ा	82.50	31-3-90	पूरी की गई
58.	अवरोधन और दिशा-परिवर्तन स्कीम, ग्रुप-ए, भाटपाड़ा	404.04	31-12-93	चल रही
59.	नवीकर और बड़ोतरी, उपचार संयंत्रों में क्षेत्र-I, ग्रुप-बी, भाटपाड़ा	317.84	30-6-93	चल रही
60.	सीवेज उपचार संयंत्र, क्षेत्र-I, ग्रुप-ई, भाटपाड़ा	169.35	31-3-93	चल रही
61.	विद्युत शवदाहगृह, भाटपाड़ा	25.71	31-3-91	पूरी की गई
62.	नदी तटाग्र विकास, भाटपाड़ा	22.60	31-3-90	पूरी की गई
63.	विद्युत शवदाहगृह, गरूलिया	29.65	31-1-91	पूरी की गई
64.	अल्प-लागत स्वच्छता गरूलिया	14.73	31-1-88	पूरी की गई
65.	अल्प-लागत स्वच्छता, उत्तर बैरकपुर	35.22	31-7-88	पूरी की गई
66.	विद्युत शवदाहगृह, बैरकपुर	35.53	31-3-91	पूरी की गई
67.	अल्प-लागत स्वच्छता, बैरकपुप	21-88	30-11-89	पूरी की गई
68.	नदी तटाग्र विकास, हालीसहर और गरूलिया	4.77	30-9-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
69.	वर्तमान सीवरेज प्रणाली का नवीकरण टीटागढ़	50.57	31-3-99	पूरी की गई
70.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन क्षेत्र-I, टीटागढ़	79.19	31-3-92	चल रही
71.	अवरोधन एवं दिश परिवर्तन स्कीम, क्षेत्र-II, टीटागढ़	89.24	31-3-92	चल रही
72.	अवरोधन औरदिशा परिवर्तन स्कीम क्षेत्र-III टीटागढ़	113.92	31-12-92	चली रही
73.	नदी तटाग्र विकास, (घाट) टीटागढ़	8.33	28-2-90	पूरी की गई
74.	सीवेज उपचार संयंत्र का नवीकरण एवं विस्तार, क्षेत्र-4, टीटागढ़	243.01	31-12-92	चल रही
75.	अल्प-लागत स्वच्छता, खरदा	11.15	31-3-89	पूरी की गई
76.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम, क्षेत्र-I और II पानीहाटी	236.88	31-12-92	चल रही
77.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम, पानीहाटी, क्षेत्र-III	182.37	31-8-90	पूरी की गई
78.	नदी तटाग्र विकास, पानीहाटी	16.25	28-2-90	पूरी की गई
79.	सीवेज उपचार संयंत्र, पानी-हाटी	171.87	31-12-92	चल रही
80.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम, कामरहाटी, बड़ानगर	406.26	30-6-92	चल रही
81.	सीवेज उपचार संयंत्र, एवं पंपिंग स्कीम कामरहाटी, बड़ानगर	1153.61	31-3-93	चल रही
82.	विद्युत शववाहगृह, बड़ानगर	31.11	31-3-90	पूरी की गई
83.	नदी तटाग्र विकास, कामर-हाटी, बड़ा नगर	55.90	31-3-90	पूरी की गई
84.	अल्प-लागत स्वच्छता, बज-बज	18.02	30-6-88	पूरी की गई

1	2	3	4	5
नगर हावड़ा				
85.	उत्तरी हावड़ा के लिए अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम	156.81	30-9-92	चल रही
86.	हावड़ा के लिए अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम	592.52	31-12-92	चल रही
87.	हावड़ा स्थित वर्तमान सीवेज उपचार संयंत्र को फिर से चालू करना	74.80	31-3-90	पूरी की गई
88.	विद्युत शवदाहगृह, हावड़ा	84.46	30-6-92	चल रही
89.	नदी तटीय सुविधा- हावड़ा में	26.13	31-3-92	चल रही
	नगर : कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र			
90.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम, कोशीपुर-चितपुर, कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	416.23	30-6-93	चल रही
91.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम, दक्षिणी, सरबबन (पश्चिम) एवं गार्डन रीच, कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	916.77	30-6-93	चल रही
92.	अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन स्कीम टालीगंज जादवपुर, कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	555.33	30-9-92	चल रही
93.	अवरोधन एवं दिशा-परिवर्तन स्कीम बेलियाघाट और सकुर्लर कैनाल (भाग-Iमानिक टोला कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र)	243.59	31 3-92	चल रही
94.	अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन स्कीम बेलियाघाट और सकुर्लर कैनाल (भाग-II कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	66.97	31-3-92	चल रही
95.	अवरो4न एवं दिशा-परिवर्तन स्कीम दक्षिण अर्द्ध शहरी (पूर्व) कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	839.29	30-6-93	चल रही

1	2	3	4	5
96.	मेन पंपिंग स्टेशन, राइजिंग मेन और उपचार स्कीम, दक्षिणी अर्द्ध शहरी एवं गार्डेन रीच कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	1297.05	30-6-93	चल रही
97.	सीवेज उपचार संयंत्र, कोसीपुर-चितपुर- कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	663.40	31-12-93	चल रही
98.	सीवेज उपचार संयंत्र, दक्षिण अर्दशहरी, पूर्व कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	717.00	30-6-93	चल रही
99.	अल्प लागत स्वच्छता, भाग-I कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	106.54	31-12-89	पूरी की गई
100.	अल्प लागत स्वच्छता, भाग-II कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र	106.53	28-2-90	पूरी की गई
101.	अल्प लागत स्वच्छता, दक्षिणी अर्द्ध शहरी, कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	15.57	28-2-90	पूरी की गई
102.	अल्प लागत स्वच्छता, गार्डन रीच, कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	12.46	31-12-89	पूरी की गई
103.	विद्युत शवदाहगृह, क्षेत्र-I कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	61.89	31-12-89	पूरी की गई
104.	विद्युत शवदाहगृह, क्षेत्र-II कार्पोरेशन क्षेत्र	43.88	31-3-90	पूरी की गई
105.	विद्युत शवदाहगृह, क्षेत्र-III, कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	69.65	31-3-90	पूरी की गई
106.	विद्युत शवदाहगृह, क्षेत्र-iV, कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	60.48	30-3-90	पूरी की गई
107.	नदी तटाग्र विकास (6 घाट), क्षेत्र-I कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	32.53	30-9-90	पूरी की गई

1	2	3	4	5
108.	नदी तटाग्र विकास (11 घाट) क्षेत्र-II कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	89.86	31-7-90	पूरी की गई
109.	नदी तटाग्र विकास (4 घाट) क्षेत्र-IV कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	31.24	31-3-90	पूरी की गई
110.	नदी यातायात पुलिस, कलकत्ता कार्पोरेशन क्षेत्र	30.47	31-3-92	चल रही

विवरण-III

गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत द्विपक्षीय/विश्व बैंक से प्राप्त सहायता का विवरण

क्रमांक	अनुदानकर्ता एजेंसी का नाम	सहायता राशि		टिप्पणी
		विदेशी मुद्रा में	भारतीय रुपए में	
1.	विश्व बैंक	स्पेशल ड्राइंग राइटस 25 मिलियन	86.26 करोड़ रुपए	विनिमय दरों के आधार पर
2.	द्विपक्षीय नीदर लैंड सरकार	डच गिल्डर्स 50 मिलियन	60.00 करोड़ रुपए	विनिमय दरों के आधार पर
3.	द्विपक्षीय विदेश विकास एजेंसी	0 382 मिलियन पौंड स्टर्लिंग	1.15 करोड़ रुपए	केवल तकनीकी सहायता के लिए

मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

3396. कुमारी उमा भारती : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार मीटर गेज के इन्जनों और इन्जन कार्यशालाओं का उपयोग किस रूप में करने का है; और

(ग) सरकार इन कार्यशालाओं में कार्यरत श्रमिकों को अन्यत्र काम दिलाने के लिए क्या योजनायें बना रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अल्लिकाजुर्न) : (क) आठवीं योजना में 2360० कि० मी० मीटर लाइन रेलपथ में से 6000 कि० मी० रेलपथ को बड़ी लाइन में बदलने का प्रस्ताव है ।

(ख) मीटर लाइन के भाप रेल इन्जनों को चरणबद्ध आधार पर उत्तरोत्तर समाप्त किया जाएगा । बकाया मी० ला० प्रणाली पर गाड़ियों को चलाने के लिए डीजल रेल इन्जनों का उपयोग किया जाएगा । कारखानों के कार्यभार की समीक्षा की जाएगी ।

(ग) यदि आवश्यक हुआ तो कर्मचारियों को पुन: तैनात किया जाएगा ।

गेहूं का आयात

3397. श्री बलराज पासी

श्री देवी बक्स सिंह :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गेहूं के आयात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए एक दल विदेश भेजा था;

(ख) यदि हां, तो उक्त दल में कितने सदस्य थे तथा उसने किन-किन देशों का दौरा किया और वह दल विदेशों में कितने दिन रहा; और

(ग) उक्त यात्रा पर कितना व्यय हुआ तथा कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक उपाबन्ध संलग्न है जिसमें अपेक्षित रचना दी गई है ।

विवरण

गेहूं का आयात करने के लिए भेजे गए प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों, विभिन्न देशों में उनके ठहरने और अनुमानित खर्च के बारे में सूचना बताने वाला विवरण।

अधिकारी का नाम	पदनाम	जितने दिन निम्न देशों में ठहरे, उनकी संख्या			अनुमानित खर्च (होटल प्रभारों को छोड़कर)
		बैल्जियम	कनाडा	संयुक्त राज्य अमेरिका	
खाद्य मंत्रालय					
1. श्री पी० त्रिपाठी	सचिव	3	2	12	
2 श्री एम० सीताराम	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार	3	2	27	3.51 लाख रुपए
3. डा० जी० के० गिरीश	संयुक्त आयुक्त (भंडारण तथा अनुसंधान)	3	2	12	
जल भूतल परिवहन मंत्रालय					
1. श्री एन० पी० चौहान	चार्टरिंग अधिकारी	—	—	12	रु० 86,200

"महाराष्ट्र में हवाई अड्डों का निर्माण"

3398. **श्री यशवन्त राव पाटिल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने अहमदनगर और शिरडी में हवाई अड्डों के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र देने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र कब तक दिए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय को अहमद नगर और शिरडी में हवाई अड्डे बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राज्यों में भांडागार

3399. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :**
श्रीमती रीता वर्मा :
श्री चेतन पी० एस० चौहान :
श्रीमती दीपिका एच० डोषीवाला :
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री के० प्रधानी :
श्री कोडीकुन्नील सुरेश :
श्री धर्मलिंगम : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्नों के भंडारण के लिए राज्यवार प्रत्येक जिले में कितने भांडागार/गोदाम हैं;

(ख) क्या सरकार और अधिक भांडागार/गोदाम निर्माण करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्यान्नों के लिए भण्डारण क्षमता का निर्माण करने में मुख्य रूप से कार्यरत केन्द्रीय एजेंसियां हैं :—भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम। दो विवरण 1 और 2 के रूप में संलग्न हैं जिनमें इन एजेंसियों द्वारा देश के विभिन्न जिलों में चलाए जा रहे भाण्डागारों/गोदामों की संख्या दी गई है। यद्यपि भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगभग सभी भाण्डागारों/गोदामों का इस्तेमाल केवल खाद्यान्नों का भण्डारण करने के लिए किया जाता है लेकिन केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा इनका इस्तेमाल खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं, औद्योगिक सामान आदि का भण्डारण करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां, राज्य भांडागार निगम सहकारी समितियां, आदि भी खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं के लिए भंडारण क्षमताओं का निर्माण करती हैं।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम का 8वीं योजनावधि (1992-97) के दौरान भंडारण क्षमता में क्रमशः 10 लाख मीटरी टन और 12.5 लाख मीटरी टन का विस्तार करने का प्रस्ताव है। इन दोनों निगमों द्वारा अनन्तिम रूप से बनाई गई अतिरिक्त क्षमता का राज्यवार वितरण विवरण 3 में दिया गया है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध ढके हुए भाण्डागारों/गोदामों की राज्यवार/जिलावार संख्या बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राजस्व जिले का नाम	गोदामों की संख्या
1	2	3
	बिहार	
1.	भागलपुर	2
2.	देवघर	1

1	2	3
3.	मुंगेर	4
4.	साहिबगंज	1
5.	दरभंगा	2
6.	मधुबनी	2
7.	गया	2
8.	नवादा	1
9.	रोहतास	1
10.	चम्पारण	2
11.	मुजफ्फरपुर	2
12.	सीतामढ़ी	1
13.	कटिहार	3
14.	माधोपुरा	1
15.	पूर्णिया	4
16.	भोगपुर	2
17.	नालंदा	1
18.	पटना	5
19.	रांची	3
20.	पलामऊ	1
21.	सिंहभूप	3
22.	धनबाद	1
23.	गिरीडीह	1
24.	हजारीबाग	3
25.	छपरा	1
26.	गोपालगंज	1
27.	सीवान	1
28.	वैशाली	1
29.	किशनगंज	1

1	2	3
30.	सहरसा	2
31.	बेगसराय	2
32.	समस्तीपुर	3
	जोड़—बिहार	61
	उड़ीसा	
1.	बालासौर	4
2.	क्योंझर	2
3.	गंजम	3
4.	फूलबनी	1
5	पुरी	2
6.	कटक	4
7.	धेनकनाल	2
8.	कोरापुट	5
9.	सम्बलपुर	10
10.	सुन्दरगढ़	1
11.	बोलंगीर	4
12.	कालाडांडी	3
	जोड़—उड़ीसा	41
	पश्चिम बंगाल	
1.	बांकुरा	7
2.	बीरभूम	6
3.	बर्दवान	12
4.	कलकत्ता	6
5.	कलकत्ता (उत्तरी)	2
6.	कलकत्ता (पश्चिमी)	4

1	2	3
7.	कलकत्ता (दक्षिणी)	2
8.	कूच बिहार	9
9.	हावड़ा	6
10.	हुगली	13
11.	दार्जिलिंग	6
12.	जलपाईगुड़ी	14
13.	मालदा	1
14.	मिदनापुर	4
15.	मुर्शिदाबाद	2
16.	नादिया	3
17.	सोनपुर	1
18.	पुलिया	2
19.	24-परगना	11
20.	पश्चिमी दिनाजपुर	7
21.	गोपालपुर	1
	जोड़—पश्चिमी बंगाल	119
	सिक्किम	
	असम	
1.	बारपेटा	1
2.	दारंग	1
3.	कामरूप	2
4.	नालबाड़ी	3
5.	सोनितपुर	1
6.	गोलाघाट	3
7.	जोरहाट	1
8.	शिवसागर	1
9.	धुबरी	2

1	2	3	4	5
10	कोकराझार			3
11.	उत्तरी लखीमपुर			3
12.	कारबी अंगलांग			2
13.	नौगोंग			3
14.	कछार			2
15.	करीमगंज			3
16.	कछार (उत्तरी)			2
17.	गोपालपाड़ा			5
18.	डिबरूगढ़			6
			जोड़—असम	44
	अरुणाचल प्रदेश			
1.	सुभानसिरी			3
	एन० ई० एफ० क्षेत्र			
1.	मेघालय			6
2.	मणिपुर			2
3.	मिजोरम			3
4.	नागालैण्ड			5
5.	त्रिपुरा			7
			जोड़—एन० ई० एफ०	23
	दिल्ली			9*
	हरियाणा			
1.	फरीदाबाद			8
2.	भिवानी			2

* राजस्व जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में साहिबाबाद में 4800 मीटरी टन का एक गोदाम संघ शासित प्रदेश दिल्ली की आवश्यकता के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

1	2	3
3.	हिसार	8
4.	सिरसा	5
5.	अम्बाला	8
6.	करनाल	19
7.	कुरुक्षेत्र	23
8.	जीन्द	7
9.	रोहतक	2
10.	सोनीपत	3
	जोड़—हरियाणा	85
	हिमाचल प्रदेश	
1.	किन्नानौर	1
2.	शिमला	1
3.	सिरमौर	1
4.	सोलन	3
5.	ऊना	2
6.	चम्बा	1
7.	हमीरपुर	1
8.	कांगड़ा	4
9.	बिलासपुर	1
10.	कुल्लू	1
11.	मण्डी	2
	जोड़—हिमाचल प्रदेश	18

1	2		3
	जम्मू और कश्मीर		
1.	जम्मू		7
2.	अनन्तनाग		1
3.	श्रीनगर		4
		जोड़—जम्मू और कश्मीर	12
	राजस्थान		
1.	अलवर		2
2.	भरतपुर		1
3.	धौलपुर		1
4.	बीकानेर		3
5.	चुरू		3
6.	झुनझुनू		1
7.	जयपुर		3
8.	सीकर		1
9.	टोंक		2
10.	बाड़मेर		2
11.	जैसलमेर		1
12.	जालोर		2
13.	जोधपुर		2
14.	बुन्दी		3
15.	झालावाड़		1
16.	कोटा		3
17.	सवाई माधोपुर		2
18.	श्रीगंगा नगर		20
19.	बांसवाड़ा		1
20.	चित्तौड़गढ़		1
21.	डूंगरपुर		2

1	2		3
22.	सिरोही		2
23.	उदयपुर		1
24.	अजमेर		2
25.	भीलवाड़ा		1
26.	नागपुर		1
27.	पाली		3
		जोड़—राजस्थान	66
	पंजाब		
1.	अमृतसर		32
2.	भटिंडा		16
3.	फिरोजपुर		26
4.	फरीदकोट		28
5.	गुरदासपुर		14
6.	होशियारपुर		8
7.	जालन्धर		22
8.	लुधियाना		34
9.	पाटियाला		25
10.	संगरूर		35
11.	कपूरथला		9
		जोड़—पंजाब	249
	चण्डीगढ़		
1.	चंडीगढ़		2
2.	रोपड़		6
		जोड़—चण्डीगढ़	8

1	2	3
	उत्तर प्रदेश	
1.	आगरा	1
2.	अलीगढ़	4
3.	एटा	2
4.	मैनपुरी	3
5.	मथुरा	3
6.	बरेली	6
7.	पीलीभीत	6
8.	बुलन्दशहर	1
9.	बाराबंकी	1
10.	फैजाबाद	1
11.	सुलतानपुर	2
12.	बस्ती	2
13.	देवरिया	1
14.	गोरखपुर	2
15.	मेरठ	3
16.	हल्द्वानी	17
17.	नैनीताल	1
18.	पिथौरागढ़	3
19.	गाजियाबाद	3
20.	रामपुर	3
21.	जालौन	2
22.	झांसी	2
23.	इटावा	2
24.	फरूखाबाद	3
25.	कानपुर	2
26.	लखनऊ	3
27.	राय बरेली	1

1	2	3
28.	उन्नाव	1
29.	बदायूं	6
30.	बिजनौर	3
31.	मुरादाबाद	9
32.	मुजफ्फरनगर	1
33.	जौनपुर	1
34.	सहारनपुर	1
35.	मिर्जापुर	3
36.	वाराणसी	2
37.	देहरादून	5
38.	इलाहाबाद	3
39.	फतेहपुर	2
40.	प्रतापगढ़	1
41.	आजमगढ़	1
42.	सिद्धार्थनगर	1
43.	बांदा	5
44.	हमीरपुर	1
45.	बलिया	1
46.	गाजीपुर	1
47.	बहराइच	1
48.	गोंडा	1
49.	शाहजहांपुर	6
50.	हरदोई	4
51.	लखीमपुर	7
52.	सीतापुर	2
53.	हरिद्वार	4
54.	पौड़ी गढ़वाल	1
	जोड़—उत्तर प्रदेश	154

1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	गंटूर	23
2.	प्रकाशम	4
3.	ईस्ट गोदावरी	35
4.	वेस्ट गोदावरी	19
5.	कृष्णा केनाल	15
6.	अनन्तपुर	2
7.	कुड्डप्पा	1
8.	कुरनूल	3
9.	नालगोंडा	19
10.	चित्तूर	2
11.	नेल्लोर	7
12.	निजामाबाद	4
13.	श्रीकाकुलम	6
14.	मेढक	2
15.	रंगारेड्डी	3
16.	महबूबनगर	4
17.	विजाग	3
18.	विजयनगरम	3
19.	वारांगल	7
20.	खम्माम	4
21.	करीमनगर	8
	जोड़—आन्ध्र प्रदेश	174
	केरल	
1.	अल्लेपी	3
2.	मवेलीकारा	1

1	2	3
3.	कालीकट	3
4.	मालापुरम	1
5.	एरनाकुलम	5
6.	इडुकी	1
7.	कोट्टायम	4
8.	कन्नानौर	1
9.	कासरगोड	1
10.	पालाघाट	2
11.	क्विलोन	6
12.	त्रिचूर	3
13.	त्रिवेन्द्रम	4
	जोड़—केरल	35
	कर्नाटक	
1.	बंगलौर	3
2.	कोलार	1
3.	बेलगाम	1
4.	बीजापुर	1
5.	धारवाड़	3
6.	दक्षिण कन्नड	4
7.	मांडया	2
8.	मैसूर	5
9.	तुमकर	2
10.	बेल्लारी	1
11.	गुलबर्गा	1
12.	रायचुर	3
13.	चिकमगलूर	1

1	2	3
14.	चित्रदुर्ग	3
15.	हस्सन	1
16.	शिमोगा	5
	जोड़—कर्नाटक	37
	तमिलनाडु	
1.	कोयम्बतूर	2
2.	पेरियार	1
3.	सेलम	1
4.	चिंगलेपेट	1
5.	मद्रास	2
6.	कन्याकुमारी	1
7.	मदुरै	1
8.	मुल्लेट	1
9.	तिरूनेवेली	1
10.	तुतीकोरिन	2
11.	साउथ अरकाट	2
12.	तैंजावूर	8
13.	त्रिची	2
14.	नार्थ अरकाट	2
15.	हार्बर	2
	जोड़—तमिलनाडु	29
	पांडिचेरी	3
	मध्य प्रदेश	
1.	भोपाल	2
2.	बेतूल	2

1	2	3
3.	होशंगाबाद	1
4.	बिलासपुर	8
5.	रायगढ़	4
6.	शहडोल	1
7.	सरगुजा	2
8.	भिंड	1
9.	दतिया	3
10.	गुना	3
11.	ग्वालियर	3
12.	मुरैना	2
13.	धार	1
14.	इन्दौर	3
15.	झाबुआ	2
16.	खंडवा	2
17.	खरगोन	1
18.	बालाघाट	4
19.	छिंदवाड़ा	2
20.	जबलपुर	5
21.	मांडला	2
22.	सिवनी	1
23.	रायपुर	30
24.	बस्तर	6
25.	दुर्ग	4
26.	राज नन्द गांव	2
27.	छतरपुर	1
28.	सतना	3
29.	टीकमगढ	2
30.	नरसिंघपुरा	3

1	2		3
31.	सागर		2
32.	विदिशा		1
33.	देवास		1
34.	रतलाम		2
35.	उज्जैन		3
		जोड़-मध्य प्रदेश	115
		जोड़ (अखिल भारत)	1355
	गुजरात		
1.	बडोदरा (बड़ौदा)		3
2.	खेडा		4
3.	पंचमहल		2
4.	भावनगर		2
5.	जामनगर		3
6.	जूनागढ़		1
7.	राजकोट		3
8.	सुरेन्द्र नगर		2
9.	अहमदाबाद		4
10.	बनासकंठा		1
11.	गांधी नगर		2
12.	मेहसाना		1
13.	कच्छ		2
		जोड़—गुजरात	29
	महाराष्ट्र		
1.	बम्बई सिटी		9
2	रायगढ़		1

1	2		3
3	जलगांव		2
4.	मनमाड		5
5.	नासिक		1
6.	श्री रामपुर		1
7.	अकोला		2
8.	अमरावती		2
9.	भंडारा		2
10.	नागपुर		3
11.	वर्धा		1
12.	अहमदनगर		2
13.	कोल्हापुर		1
14.	चिराज		1
15.	पुणे		2
16.	सांगली		1
17.	शोलापुर		1
		जोड़—महाराष्ट्र	37
	गोवा		
1.	गोवा		2

विवरण-2

केन्द्रीय भंडारण निगम के पास राज्यवार/जिलावार उपलब्ध गोदामों/भांडागारों की संख्या बताने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राजस्व जिले का नाम	गोदामों/भांडागारों की संख्या
1	2	3
	गुजरात	
1.	नाडियाड	2
2.	सूरत	3
3.	बड़ौदा	4

1	2		3
4.	राजकोट		2
5.	जामनगर		1
6.	भावनगर		1
7.	कैरा		2
8.	अहमदाबाद		5
9.	जूनागढ़		1
10.	कच्छ		2
11.	वलसाड		1
12.	भड़ौंच		1
13.	पंचमहल		1
		जोड़—गुजरात	26
	कर्नाटक		
1.	चित्रदुर्ग		1
2.	धानवाड़		1
3.	मंगलौर		2
4.	बेलगाम		4
5.	बंगलौर		13
6.	गुलबर्गा		1
7.	शिमोगो		1
8.	मैसूर		1
9.	टुमकेर		1
		जोड़—कर्नाटक	27
	केरल		
1.	कोझीकोडे		1
2.	एर्णाकुलम		3
3.	त्रिचुर		1
		जोड़—केरल	5

1	2	3
	मध्य प्रदेश	
1.	इन्दौर	6
2.	रायपुर	5
3.	मुरैना	3
4.	भोपाल	2
5.	ग्वालियर	2
6.	होशंगाबाद	2
7.	भिंड	1
8.	जबलपुर	1
9.	बालाघाट	1
10.	बीना	1
11.	रायगढ़	2
12.	खांडवा	3
13.	नरसिंहपुर	1
14.	सुहागपुर	1
15.	उज्जैन	1
16.	मंदसौर	1
17.	धार	3
18.	बिलासपुर	2
	जोड़—मध्य प्रदेश	38
	महाराष्ट्र	
1.	बम्बई	24
2.	ठाणे	11
3.	अमरावती	1
4.	वांन्रा	1
5.	रायगढ़	6
6.	सांगली	3

1	2	3
7	कोल्हापुर	4
8.	अकोला	2
9.	नागपुर	3
10.	नासिक	3
11.	रत्नागिरि	1
12.	यवतमाल	2
13.	औरंगाबाद	3
14.	अहमदनगर	1
15.	जलगांव	2
16.	पुणे	12
	जोड़—महाराष्ट्र	79
	गोवा	2
	पश्चिमी बंगाल	
1.	मिदनापुर	5
2.	हावड़ा	6
3.	कलकत्ता	7
4.	24-परगना (उत्तरी)	6
5.	24-परगना (दक्षिणी)	4
6.	हुगली	7
7.	कूचबिहार	1
8.	बर्दवान	4
9.	मुर्शिदाबाद	2
10.	बीरभूम	2
11.	बांकुरा	1
12.	नादिया	1
13.	दार्जिलिंग	1
	जोड़—पश्चिम बंगाल	47

1	2		3
	असम		
1.	बारपेटा		1
2.	कामरूप		2
3.	गोलपाड़ा		1
4.	शिवसागर		2
		जोड़—असम	6
	नागालैंड		
1.	दीमापुर		1
		जोड़—नागालैंड	1
	त्रिपुरा		
1.	पश्चिमी त्रिपुरा		2
		जोड़—त्रिपुरा	2
	मिजोरम		
	आईजोल		1
		जोड़—मिजोरम	1
	मणिपुर		
1.	इम्फाल		1
		जोड़—मणिपुर	1
	हरियाणा		
1.	करनाल		5
2.	सोनीपत		1

1	2	3
3.	जीन्द	1
4.	हिसार	3
5.	भिवानी	1
6.	गुड़गाव	2
7.	पानीपत	2
8.	यमुनानगर	1
9.	फरीदाबाद	3
10	अम्बाला	1
11.	रोहतक	2
	जोड़—हरियाणा	22
	हिमाचल प्रदेश	
1.	सोलन	1
2.	मंडी	1
	जोड़—हिमाचल प्रदेश	2
	पंजाब	
1.	फरीदकोट	6
2.	फिरोजपुर	5
3.	भटिण्डा	2
4.	अमृतसर	6
5.	गुरदासपुर	3
6.	रोपड़	2
7.	लुधियाना	2
8.	होशियारपुर	4
9.	पटियाला	3
10.	जालन्धर	1
	जोड़—पंजाब	34
	चण्डीगढ़	1

1	2		3
	राजस्थान		
1.	कोटा		2
2.	श्रीगंगानगर		2
3.	जयपुर		1
4.	उदयपुर		1
5.	अलवर		1
6.	भीलवाड़ा		1
7.	चित्तौड़गढ़		1
8.	झालावाड		1
		जोड़—राजस्थान	10
	दिल्ली		13
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	वारंगल		2
2.	गुंटूर		8
3.	निजामाबाद		4
4.	कुरनूल		3
5.	हैदराबाद		9
6.	कृष्णा		8
7.	चित्तूर		1
8.	राजामुन्दरी		1
9.	नालगोडा		2
10.	नेल्लोर		1
11.	वैस्ट गोदावरी		1
12.	ईस्ट गोदावरी		1
13.	करीमनगर		1
14.	महबूबनगर		1
15.	मेडक		4

1	2	3
16.	कुड़प्पा	1
17.	ओनगोले	1
18.	विशाखापत्तनम	3
19.	अदिलाबाद	1
20.	प्रकाशम	1
21.	खम्माम	1
	जोड़—आंध्र प्रदेश	55
	उत्तर प्रदेश	
1.	मुरादाबाद	1
2.	बांदा	1
3.	रामपुर	1
4.	मुजफ्फर नगर	4
5.	गाजियाबाद	8
6.	बुलन्दशहर	1
7.	इटावा	1
8.	शाहजहांपुर	2
9.	नैनीताल	4
10.	लखनऊ	4
11.	झांसी	3
12.	बहराइच	1
13.	बलिया	1
14.	जौनपुर	1
15.	हरिद्वार	2
16.	लखीमपुर खीरी	1
17.	मिर्जापुर	1
18.	गोरखपुर	2
19.	फैजाबाद	1
20.	हरदोई	1

1	2		3
21.	कानपुर		2
22.	इलाहाबाद		1
23.	बस्ती		3
24.	रायबरेली		3
25.	मेरठ		1
26.	बिजनौर		1
27.	पीलीभीत		1
28.	सहारनपुर		4
		जोड़—उत्तर प्रदेश	57
	तमिलनाडु		
1.	मद्रास		7
2.	कामराज		2
3.	तंजावूर		3
4.	कोयम्बेतूर		3
5.	चेंगलापेट		6
6.	त्रिचिरापल्ली		3
7.	मदुरै		2
8.	इरोडे		2
9.	साउथ आरकाट		1
10.	नार्थ अरकाट		2
11.	कन्याकुमारी		1
12.	सेलम		1
13.	धर्मपुरी		1
14.	चिदम्बरम		1
		जोड़—तमिलनाडु	35
	पाण्डिचेरी		1

1	2	3
	बिहार	
1.	पटना	3
2.	पूर्णिया	1
3.	रांची	2
4.	हजारीबाग	1
5.	गिरिडीह	1
6.	समस्तीपर	1
7.	कटिहार	1
8.	रोहतास	3
9.	संथाल परगना	1
10.	मुंगेर	1
11.	दरभंगा	1
12.	सिंह भूम (जमशेदपुर)	1
13.	धनबाद	1
	जोड़—बिहार .	18
	उड़ीसा	
1.	सम्बलपुर	2
2.	गंजम	3
3.	कोरापुट	1
4.	कटक	3
5.	भुवनेश्वर	1
	जोड़—उड़ीसा	10
	जोड़ (अखिल भारत)	495

विवरण-III

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम द्वारा आठवीं योजना (1992-97) के दौरान अनन्तिम रूप से प्रस्तावित भण्डारण निर्माण कार्यक्रम

(हजार मीटरी टन में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रस्तावित क्षमता	केन्द्रीय भंडारण निगम द्वारा प्रस्तावित क्षमता
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	5.00	—
2.	असम	5.00	54.60
3.	आंध्र प्रदेश	195.00	20.00
4.	अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह	—	3.00
5.	बिहार	40.00	5.00
6.	दिल्ली	55.00	30.00
7.	गुजरात	50.00	75.00
8.	हिमाचल प्रदेश	13.34	15.00
9.	हरियाणा	—	35.00
10.	जम्मू तथा कश्मीर	20.00	5.00
11.	केरल	60.00	10.00
12.	कर्नाटक	115.00	67.70
13.	मणिपुर	10.00	5.00
14.	मेघालय	20.00	—
15.	मिजोरम	15.00	—
16.	मध्य प्रदेश	23.40	74.10
17.	महाराष्ट्र	60.00	153.00
18.	नागालैंड	10.00	5.00
19.	उड़ीसा	45.00	100.00

1	2	3	4
30.	पंजाब	—	20.00
21.	सिक्किम	—	3.00
22.	तमिलनाडु	40.00	33.00
23.	त्रिपुरा	17.92	10.00
24.	राजस्थान	57.91	35.00
25.	उत्तर प्रदेश	94.31	58.00
26.	पश्चिम बंगाल	78.34	180.00
	जोड़	1030.22**	996.40
			253.60*
			1250.00

* केन्द्रों का पता लगाया जाना है।

** [इसमें पिछला बचा कार्य और आठवीं योजना के दौरान कार्यक्रम को 10.00 लाख मीटरी टन सीमित किया जाना शामिल है]।

स्कूलों को असम्बद्ध घोषित किया जाना

3400. **श्री अम्मा जोशी :**

श्रीमती रीता वर्मा :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा राज्यवार कितने स्कूलों को असम्बद्ध घोषित किया गया;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप छात्रों को नुकसान न होने देने की दृष्टि से क्या उपाय किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) वांछित सूचना इस प्रकार है :—

वर्ष	स्कूलों की संख्या	राज्य/संघशासित क्षेत्र (प्रति राज्य अथवा संघशासित क्षेत्र स्कूलों की सं० कोष्ठकों में दी गई है)	
1989-90	01	तमिलनाडु	(1)
1990-91	07	आंध्र प्रदेश	(1)
		अंडमान और निकोबार	(1)
		चंडीगढ़	(5)
1991-92	01	चंडीगढ़	(1)

इन स्कूलों को अलग कर दिया गया क्योंकि उन्होंने केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी० बी० एस० ई०) के सम्बन्धन के उपनियमों की कुछ आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं किया गया था।

(ग) बोर्ड द्वारा अलग किए गए इन स्कूलों में पढ़ रहे छात्र अन्य स्कूलों में प्रवेश ले सकते हैं ताकि उनकी शिक्षा पर प्रभाव न पड़े। किन्तु यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कुछ छात्रों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाए इस अनुरोध पर सी० बी० एस० ई० ने उन्हें अलग किए गए वर्षों में बोर्ड की परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी।

कोठारी आयोग की सिफारिशें

3401. **श्री अन्ना जोशी :**

श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यावसायिक पाठ्यक्रम सम्बन्धी कोठारी आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन सिफारिशों को शीघ्र लागू करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 को अंतिम रूप देते समय व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोठारी आयोग की मुख्य सिफारिशों पर विचार किया गया था। तदनुसार, स्कूल प्रणाली के +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम फरवरी, 1988 से प्रारम्भ की गई। इस स्कीम के अन्तर्गत, इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजना के दौरान निचले माध्यमिक स्तर पर भी व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

पालीटेक्निकों के लिए विश्व बैंक से सहायता

3402. **श्री हरीश नारायण प्रभु लाड्ये :**

श्री छेदी पासवान :

श्री ललित उराँव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में किसी पोलिटेकनिक को विश्व बैंक से सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार प्रत्येक पोलिटेकनिक को गत तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ और पोलिटेकनिक खोलने के लिए विश्व बैंक से सहायता लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन स्थानों में ऐसे पालीटेकनिक खोले जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) विश्व बैंक 16 राज्यों और एक संघ शासित प्रदेश में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित/मान्यताप्राप्त पालिटेक्निकों

सहित तकनीकी (पालिटेक्निक) शिक्षा के स्तरोन्नयन हेतु दो परियोजनाओं के तहत 1990-1999 की अवधि के दौरान 373.3 मिलियन विशेष आदान अधिकार (एस० डी० आर०) की ऋण सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गया है। प्रत्येक राज्य को दी जाने वाली सहायता की राशि अनुमोदित परियोजना से सम्बन्धित गतिविधियों पर किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार होगी। परियोजना घटकों का राज्यवार ब्यौरा विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) और (घ) अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजनाओं में सम्बन्धित राज्यों द्वारा नए पालिटेक्निकों खोलना भी शामिल है। इन पालिटेक्निकों के अस्थाई स्थानों का उल्लेख विवरण III में किया गया है।

विवरण-I

प्रथम तकनीकी शिक्षा परियोजना

राज्यों द्वारा प्रस्तावित परियोजना घटक

घटक	बिहार	गुजरात	कर्नाटक	केरल	म० प्र०	उड़ीसा	राज०	उ०प्र०
क्षमता विस्तार								
डिप्लोमा और उत्तर-डिप्लोमा संबंधी नए पाठ्यक्रम (भिन्न प्रकार के)	12	25	8	6	4	26	13	30
नए सहशिक्षा पालिटेक्निक	3	1	2	1	8	—	3	3
हाल ही में स्थापित पालिटेक्निकों का सुदृढ़ीकरण	3	5	—	9	—	1 (म)	1 (म)	16
सामुदायिक पालिटेक्निक	3	—	4	6	5	3	—	—
आवासीय पालिटेक्निक और महिलाओं के लिए खंड	1	4	1	1	6	2	2	4
लड़कों/महिलाओं के लिए छात्रावास	1500	1330	940	1180	490	770	500	3480
संकाय/स्टाफ भवन	335	276	80	146	1036	91	105	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
गुणवत्ता सुधार								
प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण (पालिटेक्निकों की सं०)	20	15	27	28	26	9	17	80
अध्ययन संसाधन प्रयोक्ता और विकास केन्द्र	16	18	2	31	11	11	1	72
संगणक केन्द्र	17	16	12	24	17	7	4	50
लचीलायन (बहु-सूत्रीय प्रविष्टि और जमा) शुरू करना	3	4	1	2	5	1	1	2
अतिरिक्त सकाय सदस्य	392	170	324	183	302	240	177	1051
सकाय विकास (प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या	610	1590	200	1000	806	550	94	294
क्षमता सुधार								
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त मुख्य स्टाफ								
—राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई	8	20	2	3	5	5	1	7
—राज्य निदेशालय और राज्य तकनीकी शिक्षा परिषद	19	6	5	3	5	12	7	18
(ख) उद्योग संस्थान अन्योन्यक्रिया सेल	9	14	1	30	43	13	9	7
(ग) स्वायत्त पालिटेक्निक	12	2	1	—	5	1	1	2
(घ) अनुरक्षण सेल	25	27	30	33	45	14	23	8

म०—महिला पालिटेक्निक

विवरण-II

द्वितीय तकनीकी शिक्षा परियोजना

राज्य द्वारा व्यापक परियोजना घटक

घटक	ए०पी०	असम	हरियाणा	हि०प्र०	महा०	पंजाब	तमि०	पं०बं	वि
क्षमता विस्तार									
नए डिप्लोमा पाठ्यक्रम और उत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (भिन्न प्रकार के)	16	2	17	7	62	12	53	19	17
नए सहशिक्षा पालि०	1	—	3	1	1	—	—	2	1
सायंकालिक पालि०	6	5	—	—	26	7	—	7	3
आवासीय पालि और महिलाओं के लिए खंड लड़कों	2	1	1	—	7	3	—	2	—
महिलाओं के लिए छात्रावास	3183	240	1555	510	1800	570	1200	2515	60
संकाय/स्टाफ भवन	279	—	366	138	200	175	80	562	40
गुणवत्ता सुधार									
प्रयोगशालाओं और कार्यालयों का आधुनिकीकरण (पालिटेक्निकों की संख्या)	36	8	12	4	43	14	36	30	8
संगणक केन्द्र	56	9	16	5	52	12	25	10	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
लचीलायन (बहु-सूत्रीय प्रविष्टि और जमा प्रणाली) शुरू करना	5	7	1	1	7	1	10	1	2
अध्ययन संसाधन प्रयोक्ता और विकास केन्द्र	3	10	16	6	63	—	56	35	1
अतिरिक्त संकाय सदस्य	290	46	296	47	282	357	359	249	1
संकाय विकास (प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या)	330	253	392	120	1200	517	1955	789	789
क्षमता सुधार									
(क) राज्य पी० आई० यू०/ निदेशालय/रा०त० शि०परि०/ली०पी० सी० के लिए मुख्य अतिरिक्त स्टाफ	27	10	44	18	59	25	67	25	14
(ख) उद्योग-संस्थान अन्योन्यक्रिया सेल	57	9	17	6	28	20	56	35	10
(ग) स्वायत्त पालि०	5	—	—	1	7	1	10	2	—
(घ) अनुरक्षण सेल	12	9	17	5	55	13	55	36	6

विवरण-III

तकनीकी शिक्षा से संबंधित विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत खोले जाने वाले नए पालिटेक्निकों का अस्थाई स्थान

प्रथम परियोजना

1. बिहार (4 पालिटेकनिक)	:	रफीगंज/औरंगाबाद, सिवान/बिहियान (भोजपुर), लाटेहर/मनोहरपुर, बोकारो।
2. गुजरात (1 पालिटेकनिक)	:	गांधीनगर।
3. कर्नाटक (3 पालिटेकनिक)	:	बंगलौर, मैसूर, शिमागो।
4. केरल (2 पालिटेकनिक)	:	नेय्याट्टिनकारा, पैय्यान्नूर।
5. मध्यप्रदेश (14 पालिटेक्निक)	:	बेतुल, पचौरी, कोर्बा, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, मंडला, छैरागढ़, जगदलपुर, जबलपुर, छरमांव, रायपुर, सागर, बरहानपुर।
6. उड़ीसा (2 पालिटेकनिक)	:	बेरहामपुर, भुवनेश्वर।
7. राजस्थान (5 पालिटेकनिक)	:	श्रीगंगानगर, बांसवाडा, चुरू, जोधपुर, कोटा।
8. उत्तर प्रदेश (6 पालिटेकनिक)	:	लोएडा (गाजियाबाद), नैनीताल, झांसी, मुरादाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी।

द्वितीय परियोजना

1. आंध्र प्रदेश (2 पालिटेकनिक)		बेल्लामथाल्लि, करीमनगर, श्रीकाकुलम।
2. असम (1 पालिटेकनिक)	:	गोलाघाट।
3. हरियाणा (4 पालिटेकनिक)	:	हिसार, नारनौल (मोहिन्दरगढ़),। उट्टावाड़, (फरीदाबाद), फरीदाबाद
4. हिमाचल प्रदेश (1 पालिटेकनिक)		कांगड़ा।
5. महाराष्ट्र (3 पालिटेकनिक)	:	पनवेल, लातूर, यवतमाल।

6. पंजाब (3 पालिटेकनिक) : अमृतसर, लुधियाना, रोपड़।

7. पश्चिम बंगाल (4 पालिटेकनिक) : हल्दिया, रूपनारायनपुर, चंदेर नागौर (हुगली), सिलीगुड़ी।

8. ~~संघशासित प्रदेश-दिल्ली~~ (1 पालिटेकनिक) : पपनकला (द्वारकापुरी)।

घाटे पर चल रहे रेल मार्ग

3403. श्री हरीश नारायण प्रभु-शांद्ये : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य-पूर्व, उत्तर, दक्षिण तथा दक्षिण-मध्य रेलवे के ऐसे रेल मार्गों के नाम क्या हैं जिन पर अपर्याप्त यातायात के कारण वित्तीय घाटा हो रहा है; और

(ख) गत वर्ष के दौरान इनसे अर्जित राजस्व तथा इन पर किए गए व्यय का मार्गवार ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

मध्य, पूर्व, उत्तर, दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलों पर अलाभप्रद शाखा लाइनों से 1990-91 में प्राप्ता एकल आमदनी तथा इन पर किया गया व्यय

(आंकड़े हजार रुपयों में)

शाखा लाइनों का नाम	सकल आमदनी	व्यय
1	2	3
	मध्य रेलवे	
धोंड—बारामती	23,84	95,62
ऐट—कोंच	11,20	83,38
ग्वालियर—भिंड	40,91	2,19,88
ग्वालियर—शिवपुर कलां	1,29,57	6,96,99
धौलपुर—तांतपुर—सिरमथुरा	13,19	1,79,33
नरेल—माथेरान	59,78	2,45,32
पचोरा—जामनेर	17,79	60,95
मिरज—कुर्डुवाडा—लातूर	4,68,85	7,56,10

1	2	3
	पूर्व रेलवे	
बख्तियारपुर—राजगीर	1,22,54	1,55,96
भीमगढ़—पलास्थली	7,25	31,91
बारासात—हसनाबाद	75,67	3,10,72
शान्तिपुर—नवद्वीपघाट	1,98	19,25
तीनपहाड़—राजमहल	59,45	73,35
वर्द्धमान—कटवा	8,99	75,66
भागलपुर—मन्दारहिल	21,64	91,11
बरुईपुर—लक्ष्मीकान्तपुर	2,73,01	3,70,24
सोनारपुर—कैनिंग	2,61,16	3,08,18
जमालपुर-मुंगेर	34,13	53,55
	उत्तर रेलवे	
रोहतक—गोहाना	34,78	58,00
बटाला—कादियां	5,66	62,39
गढ़ी हरसरु—फर्रुखनगर	8,50	18,35
बको—डेरा बाबा नानक	18,63	2,66,59
पीपर रोड—बिलाड़ा	21,86	70,12
समखड़ी—मुनाबाव	3,87,64	6,29,77
बलोतरा—पचपदरा	3,80	56,42
राई का बाग—पोखरन	5,32,61	5,82,43
कालका—शिमला	2,67,68	5,94,20
पठानकोट—जोगिन्दर नगर	1,87,87	4,27,74
फगवाड़ा—जैजों दोआबा	65,49	1,79,18
बरहन—एटा	1,03,79	1,06,68
रामा—का—साहसपुर—संभल—हातिम सराय	33,98	61,05
अकराला—पर्वतसर	21,82	41,66
रानीवाड़ा—भिलड़ी	2,07,86	3,09,23

1	2	3
माधोपुर—पठानकोट	2,89,43	3,21,72
	दक्षिण रेलवे	
शेरुवण्णूर—नीलांबर	74,20	97,92
तिरुम्तुरपुंडि—पीटी कलामेरे	39,38	60,62
मेट्टूपालयम—उटकमंड	26,44	1,63,74
मदुरै—बोदिनायक्कनूर	41,59	93,30
मयूरम—ट्रानक्बार	—	14
चिकजाजूर—चित्रदुर्ग	36,10	69,23
नंजनगुड—चामराजनगर	26,33	79,94
येलहंका—बांगरापेट	6,41	1,18,25
पेरलम—कराईकल	—	27
तिरुनेलवेलि—तिरुच्चेंदूर	45,09	1,15,80
सगरा—तालगुप्पा	11,47	39,48
विल्लुपुरम—पण्डिचेरी	1,69,82	1,97,27
	द० मध्य रेलवे	
हासपेट—कोट्टुरु	2,99,93	4,16,24
जनकमपेट—बोधन	6,77	18,41
बेल्लारी—रायदुर्ग	2,48	46,10
गुडिवाडा—मछलीपत्तनम	89,60	1,57,43
गुण्डा रोड—स्वामीहल्ली	3,54,51	4,18,01
मुद्खेड—आदिलाबाद	3,03,65	3,66,10
आसनावर—डांडेली	1,49,50	1,74,96

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेलवे हाल्ट

3404. डा० परशुराम गंगवार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उत्तर प्रदेश में बरेली-लखनऊ और पीलीभीत शाहजहांपुर रेल मार्गों पर विद्यमान कितने रेलवे हाल्टों को बन्द कर दिया गया है और कितने नये रेलवे हाल्ट बनाये गये हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उत्सर्जन मानदण्डों संबंधी रिपोर्ट

3405. **श्रीमती रीता वर्मा :**

श्री नरेश कुमार गालियान :

श्री चेतन पी० एस० चौहान :

श्रीमती दीपिका एच० ठोपीवाला :

प्रो० राम कापसे :

श्रीमती विमलकुमारी भण्डारी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनिवार्य उत्सर्जन सम्बन्धी मानदण्डों का अनुपालन कर रहे उद्योगों के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिसमें ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हो गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य के कार्य-निष्पादन का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाली बड़ी और मंझौली जिन यूनिटों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यवाई कर दी है उनकी संख्या नीचे दी गई है :—

अंक संख्या	राज्य	जिन यूनिटों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्रवाई कर दी है, उनकी संख्या
1.	मध्य प्रदेश	94
2.	गुजरात	193
3.	पश्चिम बंगाल	58
4.	चण्डीगढ़	1
5.	उत्तर प्रदेश	701
6.	मेघालय	4
7.	तमिलनाडु	914
8.	केरल	28
9.	कर्नाटक	114
10.	हिमाचल प्रदेश	34
11.	उड़ीसा	76
12.	महाराष्ट्र	461
13.	राजस्थान	27

1	2	3
14.	पंजाब	48
15.	दमन और दीव	1
16.	दिल्ली	5
17.	आंध्र प्रदेश	185

गंगा को प्रदूषित करने वाले उद्योग

3406. श्री एस० बी० सिदनाल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है जिनकी गंगा कार्य योजना के अन्तर्गत प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के रूप में पहचान कर ली गई है;

(ख) ऐसे उद्योगों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्होंने प्रदूषण नियंत्रण उपाय किये हैं; और

(ग) ऐसे उद्योगों की संख्या कितनी है जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए और अधिक समय दिया गया है और इन उद्योगों द्वारा कितना प्रदूषण हुआ है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) गंगा कार्य योजना के अंतर्गत 68 घोर प्रदूषण उत्पन्न करने वाले उद्योगों का अभिनिर्धारित किया गया है । इन उद्योगों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

उत्तर प्रदेश	34
बिहार	5
पश्चिम बंगाल	29

(ख) एवं (ग) 43 इकाइयों में दिसम्बर, 91 तक प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए गए हैं :—

उत्तर प्रदेश	24
बिहार	4
पश्चिम बंगाल	15

शेष इकाइयों की स्थिति नीचे दी गई है :—

निर्माणाधीन बहिःस्राव उपचार संयंत्र	— 7
दोषी इकाइयों, जिनके विरुद्ध अभियोजन की कार्रवाई की गई	— 8
इकाइयां, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का अनुपालन न करने के कारण बन्द कर दिया गया	— 10

[हिन्दी]

दिल्ली में स्कूल

3497. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका के अन्तर्गत कुल कितने मान्यताप्राप्त प्राइमरी मिडिल स्कूल, सैकेन्डरी और सीनियर सैकेन्डरी स्कूल चल रहे हैं और ये स्कूल कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या सरकार का दिल्ली में शिक्षा के प्रसार के लिए नए स्कूल खोलने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो ये स्कूल कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा भेजी गई सूचना नीचे दी गई है :—

दिल्ली प्रशासन

दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में श्रेणीवार अवस्थित सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सहायता, मान्यता-प्राप्त स्कूलों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

	उत्तरी जिला			पूर्वी जिला			मध्य जिला		
	मिडिल स्कूल	सैकेण्डरी स्कूल	सीनियर सैके० स्कूल	मिडिल स्कूल	सैकेण्डरी स्कूल	सीनियर सैके०स्कूल	मिडिल स्कूल	सैकेण्डरी स्कूल	सीनियर सैकेण्डरी स्कूल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सरकारी	61	54	144	42	31	101	35	14	45
सरकारी सहायता प्राप्त	05	05	20	06	05	11	07	10	75
गैर-सहायता प्राप्त	50	20	21	106	20	20	10	11	16

	दक्षिणी जिला			पश्चिमी जिला					कुल स्कूल
	मिडिल स्कूल	सैकेण्डरी स्कूल	सीनियर सैके० स्कूल	मिडिल स्कूल	सैकेण्डरी स्कूल	सीनियर सैके० स्कूल	मिडिल स्कूल	सैकेण्डरी स्कूल	सीनियर सैकेण्डरी स्कूल
	10	11	12	13	14	15	16	17	18
सरकारी सरकारी	35	26	112	33	46	134	206	171	536
सहायता प्राप्त	07	07	23	04	08	14	29	25	143
गैर-सहायता प्राप्त	19	17	51	71	27	38	256	95	146

जहां तक नए स्कूलों को खोलने का सम्बन्ध है, नए स्कूल खुले हैं और मौजूदा स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है तथा दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष विभाजित किया जाता है। दिल्ली प्रशासन द्वारा विचार किए गए नए स्कूल नीचे दिए गए हैं :—

पूर्वी जिला	5
पश्चिम जिला	2
उत्तर जिला	2
दक्षिण जिला	1

नए स्कूलों के स्थान को प्रति वर्ष मांग, जनता की आवश्यकता और औचित्य के आधार पर अन्तिम रूप दिया जाता है।

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक स्कूलों के क्षेत्र और संख्या के विवरण उपलब्ध सूचना के अनुसार नीचे दिए गए हैं :—

क्रम सं०	जोन	प्राथमिक स्कूल
1.	शाहदरा उत्तर	178
2.	सिविल लाइंस	144
3.	करोलबाग	78
4.	पश्चिम	142
5.	सदर पहाड़गंज	91
6.	सिटी	96
7.	नई दिल्ली	91
8.	दक्षिण	173
9.	नजफगढ़	247
10.	नरेला	115
11.	शाहदरा दक्षिण	185
12.	रोहिणी	150
		1690

ऊपर के अतिरिक्त दिल्ली के विभिन्न भागों में 263 निजी गैर-सहायता मान्यता-प्राप्त और 50 सहायता-प्राप्त प्राथमिक स्कूल चलाए जा रहे हैं।

जहां तक दिल्ली नगर निगम द्वारा नए प्राथमिक स्कूल खोले जाने का सम्बन्ध है। स्थानीय मांग और औचित्य पर निर्भर करते हुए विभिन्न स्थानों पर लगभग 20, नए प्राथमिक स्कूल खोले जाने पर विचार किया गया है।

नई दिल्ली नगर पालिका

सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

देश में रेल उपरिपुलों का निर्माण

3408. **श्री देवी बक्स सिंह :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री शरत चन्द्र पटनायक :
श्री के० वी० आर० चौधरी :
श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :
श्री राम पाल सिंह :
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री छेदी पासवान :
श्री बादल जान अंसलोज :
डा० पी० वल्लल पेद्दनाम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल फाटकों और रेलवे स्टेशनों पर रेल उपरिपुलों के निर्माण के लिए मज्बूरी देने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए है;

(ख) देश में किन-किन स्थानों पर उपरिपुलों का निर्माण कार्य चल रहा है और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां 1992-93 के लिये ऐसे उपरिपुलों के निर्माण हेतु स्वीकृति दी गई है; और

(ग) निर्माण की कुल लागत, आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना में हुई प्रगति तथा प्रत्येक के पूरा होने की निर्धारित तिथि तथा वर्ष 1992-93 के लिये आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) रेलवे उन्हीं समपारों के बदले ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण का अनुमोदन करती है जिनके लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा नियमानुसार ऐसे निर्माण कार्यों के लिये अपने हिस्से की लागत वहन करने की स्वीकृति देते हुए प्रस्ताव प्रायोजित किये जाते हैं।

(ख) और (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आदर्श स्टेशन

3409. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री रामधन :
श्री मृत्युंजय नायक :
श्री उद्धव वर्मन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने हेतु रेलवे स्टेशनों के चयन के लिये क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं;

(ख) इस उद्देश्य हेतु चयन किये गये स्टेशनों के जोनवार नाम क्या हैं;

(ग) प्रत्येक स्टेशन के लिये इस उद्देश्य हेतु वर्ष 1991-92 और 1992-93 से कितनी धन-राशि आवंटित की गई; और

(घ) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और वर्ष 1992-93 के दौरान प्रत्येक स्टेशन पर कौन-कौन से निर्माण कार्य शुरू किये जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

[अनुवाद]

प्राचीन भाषाओं को समृद्ध बनाना

3410. **डा० राजागोपालन वीथरन** : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्राचीन भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिये विभिन्न निजी एजेंसियों/संस्थानों को धन देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तमिलनाडु के ऐसे संस्थानों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वित्तीय सहायता दी गयी है; और

(घ) ऐसी सहायता देने के लिये संस्थानों की पहचान व चयन करने हेतु क्या मानदण्ड अपनाया गया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) वे स्वैच्छिक संगठन जो पंजीकृत सोसाइटियों के रूप में संस्कृत, अरबी फारसी पाली तथा प्राकृत आदि को समृद्ध करने के लिये कम से कम तीन वर्षों से कार्यरत हैं और जिन्होंने अपने पिछले तीन वर्षों के लेखा परीक्षित लेखे विवरण प्रस्तुत कर दिए हैं, वे वित्तीय अनुदान के लिये पात्र हैं, बशर्ते उनके अनुरोध राज्य सरकार द्वारा अनुसंशित और मंत्रालय की सहायता अनुदान समिति द्वारा अनुमोदित किये गये हों । अनुदान का प्रावधान, शिक्षकों के वेतन, छात्रों की छात्रवृत्ति, पुस्तकों, फर्नीचर आदि के अनुमोदित व्यय के 75 प्रतिशत तक सीमित है । तथापि भवन अनुदान की सीमा 50,008/रुपये अथवा अनुमोदित व्यय का 75 प्रतिशत इसमें जो कम हो, तक का प्रावधान है ।

(ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

तमिलनाडु

1. श्री विद्यालय मैट्रिकुलेशन हायर सैकेन्डरी स्कूल, 44-ए, पार्थसरथी स्ट्रीट, एस० एस० कालोनी, मदुराई, तमिलनाडु ।

2. सीताराम विद्या मन्दिर हायर सैकेण्डरी स्कूल, 122, अन्नामंडयम् रोड, श्रीरंगम्। तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु।

3. हयागरीवा विद्या पीठम्, 22, चिल्बैल्लूर स्ट्रीट, धारामणी, तमिलनाडु।

4. दी संस्कृत अकादमी संस्कृत कालेज, गाऊंड 84, रोयापीठ हाई रोड, तमिलनाडु।

5. मदुराई संस्कृत वेद पाठशाला कमेटी, 17-ए, साऊथ पेरूमल मैंजी स्ट्रीट मदुराई, तमिलनाडु।

6. श्री कामकोटि कामाक्षी चैरिटिज 7वां क्रास चिन्नाह रोड, नार्थ माराबालेरी, सालेम, तमिलनाडु।

7. दी संस्कृत एज्यूकेशन सोसायटी, प्रशासनिक कार्यालय संख्या 28, टी० टी० के० रोड, मद्रास।

8. पंजाब एसोसिएशन, लाजपत राय भवन, 170-172, पीटर रोड, रोयापीठ, मद्रास।

9. सरस्वती गिरिवेद संस्कृत पाठशाला, 86, बी० के० अय्यर रोड, राफ अन्नामलपुरम, मद्रास।

10. सत सम्प्रदाय संरक्षिणी सभा, 135, नार्थ चित्रा स्ट्रीट, श्री रंगम, त्रिचिरापल्ली, तमिलनाडु।

11. मंदालम् संस्कृत विद्यालय, 116, के० आर० कोयल स्ट्रीट, वैस्ट मंदालम्, मद्रास, तमिलनाडु।

12. विश्व हिन्दू विद्या केन्द्र, यजुर्वेद पायठशाला नं० 1, सन्निधि स्ट्रीट, कन्याकुमारी, तमिलनाडु।

13. स्कन्दाश्रम ट्रस्ट, वेद पाठशाला, उदयपेट्टी, सालेम, तमिलनाडु।

14. सिद्ध पीठम्, श्री परमानन्दपुरी, आश्रम, संगम 48, मदुरई, तमिलनाडु।

15. श्री विगनेश्वर वेंकटेश्वर, ग्रामीण विकास ट्रस्ट, तिरूविशमरूदर, जिला तंजौर।

16. श्री अहोबिला मठ ओरियेंटल हायर सैकेण्डरी स्कूल, वैस्ट मंदालम्, मद्रास, तमिलनाडु।

17. संस्कृत साहित्य परिषद, 18, सन्धि वीरापुर कोयल स्ट्रीट, तिरूचिरापल्ली, तमिलनाडु।

18. वेदान्त देशिका सिद्धान्त अभिवर्धनी श्रीरंगम, तमिलनाडु।

19. तिरूविसैल्लूर नीलकांत शास्त्र संस्कृत पाठशाला, तिरूविसैल्लूर, तंजावूर, तमिलनाडु।

20. श्री अलाका सुन्दर मूर्ति सभा वेद अग्मा पाठशाला, नं० 49, पंडेरमंगलम, अग्रहायन, बोरेस्पुर, तिरूचिरापल्ली तमिलनाडु।

21. पी० एस० संस्कृत पाठशाला, मार्फत पी० एस० सैकेण्डरी हायर स्कूल, 214, आर० के० मठरोड, मायलापेर, मद्रास।

22. अद्वैत सभा, 20, वथमी किड्डु तेप्पाकुलम्, डाकखानातिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु।

23. अहोबिला मठ संस्कृत विद्या अभिवर्धन सभा, वैस्ट मंबालम, मद्रास।

24. सर पी० एस० सिवासवम अय्यर हायर सैकेण्डरी स्कूल, तिरुकट्टापल्ली, तंजावूर, तमिलनाडु।

25. श्री कांची कामकोटी पीठम, कांचीपुरम, तमिलनाडु।

26. मुर्थनाविया दक्षिण भारतीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक फाउण्डेशन, 186, विंग स्ट्रीट, तमिलनाडु।

27. श्री वेद वेदार्थ स्त्रोत विद्यालय, 96, अम्नामंडपम रोड, श्रीरंगम।

28. शंकर अद्वैत अनुसंधान केन्द्र, 26 कालिज रोड, मंगमवक्कम, मद्रास।

29. राजा वेद काव्य पाठशाला, डी 76/111, क्रास स्ट्रीट, श्रीनगर कालोनी, कुम्बकोनम।

30. गोविन्दगुडी अप्पूकुटी अय्यर वेद पाठशाला, वेद भाष्यम, कालिज, कुम्बकोनम।

31. श्री रंगनाथ पादुका विद्यालय नं० 155, ईस्ट उत्तरा स्ट्रीट, श्रीरंगम।

32. श्री भुवनेश्वरी चैरिटीज ट्रस्ट, 7वीं गली, पुदुकोटई-1

33. जी० थपोवनम, धनन्दा ट्रस्ट, डाकखाना: तपोवनम्-605756

34. न्यायाशास्त्र चन्द्रशेखरेन्द्र, सरस्वती न्यायशास्त्र संस्कृत महाविद्यालय बंगारू अम्मन कालोनी, कांचीपुरम।

35. मद्रास संस्कृत कालेज एवं एस० एम० वी० पाठशाला, 84, थिरू-वी-का-रोड, मईलापोर, मद्रास।

36. कुप्पूस्वामी शास्त्री अनुसंधान संस्थान, 84, थिरू-वी-का रोड़, मईलापोर, मद्रास।

37. मुर्थ जाविया दक्षिण भारतीय शैक्षिक एवं सांस्कृतिक फाउण्डेशन, 186, विंग स्ट्रीट, त्रिपलीकेन, मद्रास।

38. श्री करपागम्बल वेदपाठसालाई, 17-सी, आर०आर० फ्लैटस, 8, वारेन रोड़, मईलापोर, मद्रास-60 034, तमिलनाडु।

39. ल डमल भण्डारी मेमोरियल ट्रस्ट, यूनिट जानना विकास केन्द्र, तमिलनाडु।

40. अल्लूर रामास्वामी-राजलक्ष्मी वेदार्थ विद्यालय, 140, नार्थ उत्तर स्ट्रीट, श्रीरंगम, तमिलनाडु।

स्कूल शिक्षा सम्बन्धी प्रारूप

3411. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

डा० ए० के० पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्कूल पूर्व और स्कूल शिक्षा के लिए प्रारूप तैयार करने हेतु गठित कार्यदल की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) योजना के प्रथम और द्वितीय वर्ष में राज्यवार इस पर अनुमानत: कितना खर्च आएगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आठवीं योजना (1992-97) के लिए किसी भी कार्य दल का गठन नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) 1 अप्रैल, 1992 से आरम्भ होगी और वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 का कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में अध्यापक

3412. श्री रामविलास पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं और इन विश्वविद्यालयों में कितने-कितने प्रोफेसर, रीडर और लेक्चरर हैं;

(ख) इन विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयवार अनुसूचित जाति और जनजाति के कितने प्रोफेसर रीडर और लेक्चरर हैं; और

(ग) विश्वविद्यालयों में (अध्यापन और गैर-अध्यापन) विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए कुल कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी रूप-रेखाओं के अनुसार 15 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों के लिए और 7·5 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। शिक्षण संकायों के मामले में, उपर्युक्त के आधार पर आरक्षण लेकचररों के स्तर तक है।

विवरण

(क) और (ख) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की कुल संख्या 10 है और प्रोफेसरों, रीडरों और लेक्चररों की संख्या, जिसमें अनु० जाति/अनु० जन० के व्यक्ति भी शामिल हैं, निम्नलिखित है ।

क्रम सं०	वि० का नाम	प्रोफेसर			रीडर			लेक्चरर		
		कुल सं०	अनु० जा०	अनु० जन० जा०	कुल सं०	अनु० जा०	अनु० ज० जा०	कुल सं०	अनु० जा०	अनु० जन० जा०
1.	*दिल्ली वि० का नाम									
2.	जवाहर लाल नेहरू वि०	134	—	—	151	3	1	100	3	2
3.	जामिया मिलिया इ०	32	—	—	80	—	—	224	—	—
4.	हैदराबाद विश्व०	72		—	68	1	1	72	5	—
5.	विश्व भारती	61	—	—	151	1	1	119	5	—
6.	उ० पूर्वी० पूर्व० वि०	39	—	4	62	—	10	76	—	30
7.	पांडिचेरी वि०	22	—	—	39	2	—	56	9	1
8.	*अलीगढ़ मुस्लिम वि०									
9.	*बनारस हिन्दु वि० इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त वि०	20	—	—	28	—	—	91	5	1

*सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

विकास परियोजनाओं को वन संबंधी स्वीकृति

3413. श्री बी० धनंजय कुमार :
श्री सोमजी भाई डामोर :
श्री मोहनलाल झिकराम :
श्री दिलीपभाई संघानी :
श्रीमती भावना चिखलिया :
श्री ललित उरांव :
श्री तेजसिंह राव भोंसले :
श्री माणिकराव होडल्या गावात :
श्री सुशील चन्द्र वर्मा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1990 के अन्तर्गत पिछले एक वर्ष के दौरान जिन विकास परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान अस्वीकृत की गयी परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार के पास वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति हेतु लंबित विकास परियोजनाओं का राज्य-वार ब्योरा क्या है;

(घ) ये कब से लंबित पड़ी हैं तथा उन्हें स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन परियोजनाओं को जल्दी स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही मामलों पर शीघ्र विचार किया जाता है।

विवरण-I

परियोजनाओं की किस्में

क्रम सं०	राज्य	सिंचाई	खनन	सड़कें और पुल	अन्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	—	2	—	1	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	1	1
3.	असम	—	—	—	1	1
4.	गोवा	—	—	1	2	3

1	2	3	4	5	6	7
5.	गुजरात	9	1	1	5	16
6.	हरियाणा	—	—	5	1	6
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	6	6
8.	कर्नाटक	—	1	—	1	2
9.	केरल	—	—	—	1	1
10.	मध्य प्रदेश	—	7	—	6	13
11.	महाराष्ट्र	11	1	—	21	33
12.	मेघालय	1	—	—	1	2
13.	उड़ीसा	—	3	2	2	7
14.	पंजाब	—	—	—	1	1
15.	राजस्थान	—	—	—	1	1
16.	सिक्किम	1	—	—	—	1
17.	तमिलनाडु	—	—	1	1	2
18.	उत्तर प्रदेश	4	—	4	24	32
19.	पश्चिमी बंगाल	—	—	1	—	1
20.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	—	—	—	1	1
		26	15	15	77	133

विवरण-II

परियोजनाओं की किस्में

क्रम सं०	राज्य	सिंचाई	खनन	सड़कें और पुल	अन्य	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	—	—	—	—	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—
3.	असम	—	—	—	—	—
4.	गोवा	1	—	—	—	1
5.	गुजरात	1	—	—	2	3

1	2	3	4	5	6	7
6.	हरियाणा	—	—	—	3	3
7.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—	4	4
8.	कर्नाटक	—	—	—	1	1
9.	केरल	—	—	—	2	2
10.	मध्य प्रदेश	1	—	—	1	2
11.	महाराष्ट्र	1	—	—	1	2
12.	मेघालय	—	—	—	—	—
13.	उड़ीसा	—	—	—	2	2
14.	पंजाब	—	—	—	1	1
15.	राजस्थान	—	—	—	1	1
16.	सिक्किम	—	—	—	—	—
17.	तमिलनाडु	—	—	—	—	—
18.	उत्तर प्रदेश	—	—	1	—	1
19.	पश्चिमी बंगाल	—	—	—	—	—
20.	अण्डमान और निकोबार दीपसमूह	—	—	—	—	—
		4	—	1	18	23

विवरण-III

आंध्र प्रदेश

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	समय से लम्बित	कारण
1.	चूना पत्थर का खनन पट्टा	फरवरी 1992	कार्रवाई की जा रही है
2.	विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	—वही—	—वही—
3.	ऐश पाइपलाइन बिछाना	—वही—	—वही—
4.	कृषि प्रयोजन के लिए सौंपना	—वही—	—वही—
5.	खनन पट्टों का नवीकरण	—वही—	—वही—

1	2	3	4
6.	लोअर सिलारू से बोमुरू तक 220 कि०वा० ट्रान्समिशन लाइन बिछाना	फरवरी, 1992	कार्रवाई की जा रही है।
7.	कोयला खनन	जनवरी, 1992	—वही—
8.	कोयला खनना	—वही—	—वही—
9.	जलाशय बनाना	—वही—	—वही—
10.	5वीं योजना विस्तार कार्यक्रम, खान प्रविष्टियां	—वही—	—वही—
11.	सौर ऊर्जा लाईटिंग का निर्माण	जनवरी, 1992	—वही—
अरुणाचल प्रदेश			
1.	अवैध कब्जों को नियमित करना	जनवरी, 1992	निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह			
1.	पुलिस पोस्ट का निर्माण	जनवरी, 1992	राज्य सरकार से प्रमाणन की प्रतीक्षा की जा रही है।
दादर एवं नगर हवेली			
1.	सड़क का निर्माण	जनवरी, 1992	राज्य सरकार से जरूरी ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।
गोवा			
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग का सुधार	दिसम्बर, 1991	कार्रवाई की जा रही है।
2.	कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण	जनवर, 1992	—वही—
गुजरात			
1.	पाइप लाइन बिछाना	दिसम्बर, 1992	राज्य सरकार से जरूरी ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।
2.	पत्थर संग्रहण	फरवरी, 92	कार्रवाई की जा रही है।
3.	पत्थर संग्रहण	फरवरी, 92	—वही—
4.	परकोलेशन टैंक का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—

1	2	3	4
5	जल पाइप लाइन बिछाना	फरवरी, 92	कार्रवाई की जा रही है
6.	भूमिगत पाइप लाइन बिछाना	फरवरी, 92	—वही—
7.	बांध नहर का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—
8.	राज्य राजमार्ग का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—
हिमाचल प्रदेश			
1.	धामवारी सुन्दर हाईडल परियोजना	फरवरी, 92	कार्रवाई की जा रही है।
2.	योल टांग परियोजना	जनवरी, 92	—वही—
3.	सेना द्वारा ट्रांजिट कैंप का निर्माण	दिसम्बर, 91	—वही—
4.	पोस्ट आफिस का निर्माण	जनवरी, 92	राज्य सरकारी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
5.	निरीक्षण का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—
6.	रोपवे की स्थापना	फरवरी, 92	—वही—
7.	रोपवे की स्थापना	फरवरी, 92	वही—
हरियाणा			
1.	पहुंच मार्ग	फरवरी, 92	कार्यवाही की जा रही है।
कर्नाटक			
1.	नहर की खुदाई	फरवरी, 92	—वही—
2.	डालिया सीमेंट के लिए लोह आयस्क के लिए खनन पट्टा	जनवरी, 92	—वही—
3.	एच आर गोरियप्पा के हक में खनन पट्टा	जनवरी, 92	—वही—
4	लक्ष्मीनारायण के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
5.	एन एम डी सी डोनीबाली के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
6.	आर पाम्पापाटी के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
7.	मुगीर उद्यमों के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
8.	एस बी खनिजों के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—

1	2	3	4
9.	करिसांगुर खनिजों के हक में खनन पट्टा	जनवरी, 92	—वही—
10.	रामगढ़ खनिजों के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
11.	खनिज बिक्री के हक में खनन खनन पट्टा	—वही—	—वही—
12.	गोला गुरू गंधसिंहा के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
13.	वीरभद्रपा के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
14.	भारत माइन्स और मिनरल के हक में खनन	—वही—	—वही—
15.	जीवन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
16.	होपुर ट्रेडर्स के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
17.	सुगालाम के हक में खनन पट्टा	—वही—	—वही—
18.	चिक्कीहोल जलाशय	दिसम्बर, 91	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
19.	के एम सरोजा के लिए खनन पट्टा	दिसम्बर, 91	कार्यवाही की जा रही है।
20.	सारावती तेल रेस	दिसम्बर, 91	पर्यावरणीय मंजूरी के लिए लम्बित
21.	पुल का निर्माण	—वही—	कार्रवाई की जा रही है
22.	सड़क का सुधार	जनवरी, 92	—वही—
23.	भवन-निर्माण	जनवरी, 92	—वही—

केरल

1.	इडुकी विकास प्राधिकरण के लिए भूमि	जनवरी, 92	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
2.	इडामलेयर सिंचाई परियोजना	जनवरी, 92	अन्तिम आदेश के लिए प्रस्तुत की गई
3.	राष्ट्रीय राजमार्ग के हक में	जनवरी, 92	कार्रवाई की जा रही है।

1	2	3	4
अन्य प्रश्न			
1.	डब्ल्यू० सी० एल० को खनन पट्टा	दिसम्बर, 91	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है ।
2.	मिक्सोरा टैंक	—वही—	—वही—
3.	नर्मदा खनिजों के लिए खनन पट्टा	—वही—	—वही—
4.	राजघाट नहर	—वही—	उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव की प्रतीक्षा है।
5.	बोदरा टैंक	—वही—	निर्माण के लिए कार्रवाई की जा रही है ।
6.	परसोरा टैंक	—वही—	कार्रवाई चल रही है ।
7.	सुलतानपुरा टैंक	दिसम्बर, 91	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
8.	ओंकारेश्वर परियोजना	दिसम्बर, 91	—वही—
9.	33 कि० वा० बरवानी चाटी ट्रांसमिशन लाइन	दिसम्बर, 91	अन्तिम आदेशों के लिए कार्रवाई की जा रही है
10.	रामपुर टैंक	दिसम्बर 91	—वही—
11.	नागेरी टैंक	दिसम्बर 91	—वही—
12.	पीपली टैंक	दिसम्बर, 91	—वही—
13.	स्पिल चैनल का निर्माण	दिसम्बर, 91	—वही—
14.	मकसूदन गढ़ सिंचाई परियोजना	जनवरी, 92	—वही—
15.	400 कि० वा० बीना मैलनपुर ट्रांसमिशन	जनवरी, 92	—वही—
16.	मुण्डी-सीमा टैंक	जनवरी, 92	—वही—
17.	महाराष्ट्र मिनरलों को खनन पट्टे	जनवरी, 92	—वही—
18.	लहसुना टैंक	जनवरी, 92	—वही—
19.	भिलाई इस्पात संयंत्र को खनन पट्टा	जनवरी, 92	—वही—
20.	—वही—	जनवरी, 92	—वही—

1	2	3	4
21.	पथाखरा में डब्ल्यू सी एल द्वारा भवन निर्माण	फरवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
22.	कोयला खनन के लिए दिशा-परिवर्तन	फरवरी, 92	—वही—
23.	बोधघाट पन बिजली परियोजना	फरवरी, 92	—वही—
24.	भिलाई इस्पात संयंत्र को खनन पट्टा	जनवरी, 92	अन्तिम आदेशों के लिए कार्रवाई चल रही है।
25.	—वही—	जनवरी, 92	—वही—
26.	तलवाडिया खिड़किया खाइगांव रेलवे लाइन	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
27.	सफेद मिट्टी का खनन	दिसम्बर, 91	राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरों की प्रतीक्षा।
28.	जगोती सिंचाई परियोजना	फरवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
महाराष्ट्र			
1.	दस्तूरी गढ़वाल रोड़	दिसम्बर, 91	अन्तिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है।
2.	मुखवासी एम० आई० टैंक का निर्माण	दिसम्बर, 91	बैंगली बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।
3.	दिम्भे एल०बी० नहर और बोद ब्रांच नहर का निर्माण	दिसम्बर, 91	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा करना।
4.	सानम टेम्ब एम० आई० टैंक का निर्माण	दिसम्बर, 91	कार्रवाई चल रही है।
5.	बेस्ट वेयर और टेल नहर का निर्माण	दिसम्बर, 91	अन्तिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है।
6.	बोराजन्ती गांव में पेरकोलेशन टैंक	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
7.	कनेरी गवादीवादी धनाड़वादी रोड़	जनवरी, 92	—वही—
8.	अधगांव सरक में पेरकोलेशन टैंक	जनवरी, 92	—वही—

1	2	3	4
9.	कार नदी मझौला सिंचाई परियोजना	जनवरी, 92	अगली बैठक में प्रस्तुत किया जा रहा है।
10.	अरुणावली एम० आई० टैंक	जनवरी, 92	स्वीकृति की सिफारिश की गई, आदेश जारी किए जा रहे हैं।
11.	देवकाली क्षेत्र चौकपारीरेंज का विस्तार	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
12.	चारगांव में पेरकोलेशन टैंक	जनवरी, 92	—वही—
13.	वर्धा में एम० आई० टैंक	जनवरी, 92	—वही—
14.	कुम्भी सिंचाई परियोजना	जनवरी, 92	—वही—
15.	बुलधाना जिले में लघु सिंचाई टैंक	जनवरी, 92	—वही—
16.	कुलवन्सा गांव में एम० आई० टैंक	जनवरी; 92	—वही—
17.	अदन सिंचाई टैंक	जनवरी, 92	स्वीकृति की सिफारिश की गई। आदेश जारी किए जा रहे हैं।
18.	नागपुर जिले में पेरकोलेशन टैंक	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
19.	हिन्दुस्तान लालपेठ ओपनकास्ट प्रोजेक्ट के पक्ष में कोयला निकालना	जनवरी, 92	—वही—
20.	स्टाल लगाना	जनवरी, 92	राज्य सरकार से जरूरी ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।
21.	अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाना	जनवरी, 92	—वही—
22.	टेल नहर का निर्माण	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
23.	पतगांव एम आई परियोजना	फरवरी, 92	—वही—
24.	कसारी एम आई परियोजना	फरवरी, 92	—वही—
25.	अमरावती जिले में लघु सिंचाई टैंक	फरवरी, 92	—वही—
26.	औरंगाबाद जिले में पेरकोलेशन टैंक का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—
मणिपुर			
1.	दोयांग टी० आर० परियोजना के अन्तर्गत 132 कि० मी० एम/सी धीमापुर इम्फाल लाइन	जनवरी, 92	राज्य सरकार से स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3	4
उड़ीसा			
1.	तलचर-रेंगाली से 400 के० वी० डी/सी पारालाइन	दिसम्बर, 91	कार्रवाई चल रही है।
2.	गंदामाला एम आई टैंक	दिसम्बर, 91	—वही—
3.	रूकुरा सिंचाई परियोजना	जनवरी, 92	स्वीकृति की सिफारिश की गई, आदेश जारी किए जा रहे हैं।
4	बेहरावुदुरी एम० आई० परियोजना	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
5.	चिकिश वाटर फिग्नरीज् परियोजना	जनवरी, 92	—वही—
6.	समभाया और कान्हुपुर गांवों के 395 परिवारों का पुनर्वास	फरवरी, 92	—वही—
7.	चिकिमा एम आई परियोजना	फरवरी, 92	—वही—
8.	श्री बालाराम साहू के पक्ष में पट्टे की मंजूरी	फरवरी, 92	—वही—
9.	इन्टैक ढांचे का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—
पंजाब			
1.	भाकड़ा-महलपुर 220 कि०वा० ट्रान्समिशन लाइन	दिसम्बर, 91	राज्य सरकार के स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा है।
2.	सड़कों का सुधार	जनवरी, 92	—वही—
3.	नग पुलों का निर्माण	जनवरी, 92	—वही—
4.	सुपर पासेज बिस्ट दोआब नहर	फरवरी, 92	—वही—
5.	220 कि० वा० गंगवाल मोहला लाइन	फरवरी, 92	—वही—
राजस्थान			
1.	झंझरकीपाल के समीप खनन पट्टे का लीजीकरण	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है
2.	वर्तमान ई एच वी लाइन के मार्ग परिवर्तन के बारे में बानिकी स्वीकृति	जनवरी, 92	—वही—
3.	झमरकोटरा समेकित परियोजना के लिए बांध व वाटर रिजरवियर का निर्माण	जनवरी, 92	—वही—

1	2	3	4
4.	कोटरी जधोली रोड़ का निर्माण	फरवरी, 92	कार्यवाही चल रही है
सिक्किम			
1.	1200 एम डब्ल्यू तिस्ता स्टेज-III एच ई पी	जनवरी, 92	—वही—
2.	रक्षा उपयोग	जनवरी, 92	स्वीकृति की सिफारिश की गई, आदेश जारी किए जा रहे हैं।
3.	तामले चोला रोड़	फरवरी, 92	स्वीकृति की सिफारिश की गई आदेश जारी किए जा रहे हैं।
त्रिपुरा			
1.	बरमपुरा देवतापुरा आरक्षित वन में बी आर एम-एक्स वाई में ड्रिलिंग कार्य	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
2.	बी आर एम एफ पर ड्रिल स्थल और संपर्क रोड़ का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—
3.	अम्बाला में 71 बटालियन बी एस एफ मुख्यालय की स्थापना	फरवरी, 92	—वही—
4.	रबर बागान बनाना	फरवरी, 92	—वही—
5.	सम्पर्क मार्ग का निर्माण	फरवरी, 92	—वही—
6.	हाइड्रोकार्बन की ड्रिलिंग के लिए ड्रिल स्थल सं० 2 और 3 अंडरग्राउण्ड पाइप लाइन बिछाना	फरवरी, 92	—वही—
तमिलनाडु			
1.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म के लिए 110 कि० वा० ट्रांसमिशन लाइन का विस्तार	दिसम्बर, 91	अन्तिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है
2.	टी एन पी सी बी की आवश्यकता	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
3.	वर्तमान धारा के लिए पट्टा	फरवरी, 92	—वही—
उत्तर प्रदेश			
1.	कबुपुरिया छिना शेरघाट मोटर मार्ग	दिसम्बर, 91	अन्तिम आदेश के लिए प्रस्तुत।

1	2	3	4
2.	400 कि० वा० अनपारा वाराणसी ट्रांसमिशन लाइन	दिसम्बर, 91	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।
3.	800 कि० वा० उन्ना अनपाट्रांसमिशन लाइन	दिसम्बर, 91	—वही—
4.	दुगड्डा नहर का निर्माण	दिसम्बर, 92	कार्रवाई चल रही है
5.	ग्रामीणों को बसाने के लिए निजी भूमि के साथ भूमि का परिवर्तन	जनवरी, 92	अंतिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है
6.	जैती-पीपली मोटर मार्ग	जनवरी, 92	—वही—
7.	तीखला-महीनदंदा मोटर मार्ग	जनवरी, 92	—वही—
8.	बालूकोट-पाइयां पौडी मोटर मार्ग	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है।
9.	बोसलीखान-चन्तोला जी आई सी सम्पर्क मार्ग	जनवरी, 92	अंतिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है
10.	गौरीकुण्ड मिनी हाइड्रो बिजली परियोजना	जनवरी, 92	अंतिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है
11.	कोसी-धौलघाट कोरी-छीना मोटर मार्ग	जनवरी, 92	—वही—
12.	पिपडारी-ग्लेशियार मोटर मार्ग	जनवरी, 92	कार्रवाई चल रही है
13.	धारकोट धापा मोटर मार्ग	जनवरी 92	अंतिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है।
14.	पत्थर खोला ड्रिंकिंग डब्ल्यू एस एस	जनवरी, 92	राज्य सरकार से आवश्यक ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है
15.	चन्द्रावत विष्ट गांव मोटर मार्ग	जनवरी, 92	—वही—
16.	दीदीहाट डी डब्ल्यू एस एस	फरवरी, 92	—वही—
17.	माली विदुली डी डब्ल्यू एस एस	फरवरी, 92	—वही—
18.	आमतोला टोक डी डब्ल्यू एस एम	फरवरी, 92	—वही—
19.	नवेलिया गौव डी डब्ल्यू एस एस	फरवरी, 92	—वही
20.	महारगणी डी डब्ल्यू एस एस	फरवरी, 92	—वही—
21.	मैरोली दासोली डी डब्ल्यू एस एस	फरवरी, 92	—वही—
22.	जौली ग्रांट रायपुर आई एम बी आर	फरवरी, 92	—वही—
23.	बस्ती डी डब्ल्यू एस एस	फरवरी, 92	—वही—
24.	बालगधी चौग्राखिया	फरवरी, 92	—वही—
25.	बेताता नहर	फरवरी, 92	—वही—

1	2	3	4
26.	रचना टोक डी डब्ल्यू एस एस	फरवरी, 92	कार्रवाई चल रही है
27.	तिकोची बुचोंग त्रिमल पाथ	फरवरी, 92	—वही—
28.	ब्यूरी नहर	फरवरी, 92	—वही—
29.	जालीखान-उत्तम-छिना नौबाड़ा मोटर मार्ग	फरवरी, 92	—वही—
30.	बन्दारीलीमा-अग्गांव-खावाकोटा छन्तोदेव मोटर मार्ग	फरवरी, 92	—वही—
31.	वैरवान-धुवा सिमल मोटर मार्ग	फरवरी, 92	अंतिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है
32.	सागर-छनगांव छसचिन्ना मोटर मार्ग	फरवरी, 92	—वही—
33.	एस एस बी मुख्यालय ग्रुप केन्द्र का निर्माण	फरवरी, 92	कार्रवाई चल रही है
34.	दागली-ग्योली खालिया हरिनागरी कलालोब मोटर मार्ग	फरवरी, 92	—वही—
35.	बालीघाट-चिढारापाली हेडवाल मलानी मोटर रोड	फरवरी, 92	—वही—
36.	टनकपुर-तवाघाट मोटर मार्ग	फरवरी, 92	—वही—
37.	भागीचौड़ा-बड़ीहाट मोटर मार्ग	फरवरी, 92	—वही—
38.	रामपुर-हल्द्वानी रेलवे लाइन	फरवरी, 92	अंतिम आदेश के लिए कार्रवाई चल रही है
39.	धौलीगंगा एच ई पी स्टेज-I के लिए 4।10 कि०वा० डी/सी ट्रांसमिशन लाइन	फरवरी, 92	—वही—
40.	घाट-सुनल-कन्मोल मोटर मार्ग	फरवरी, 92	—वही—
41.	टेहरी बांध, परियोजना को विस्थापितों को बसाना	फरवरी, 92	कार्रवाई की जा रही है

[हिन्दी]

भारतीय इतिहास से सम्बन्धित दस्तावेज

3414. डा० लाल बहादुर राजन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इतिहास के बहुत से बहुमूल्य मौलिक दस्तावेज विभिन्न विदेशी सरकारों के पास हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा यह दस्तावेज वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) ये दस्तावेज दूसरे देशों की सरकारों के साथ भारत के सम्पर्क के विभिन्न कालों की अभिलेखीय सामग्री से सम्बन्धित हैं। ये रिकार्ड ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, नीदरलैंड, स्वाधीन देशों का राष्ट्रमंडल, जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क और इटली के पास हैं।

(ग) मूल दस्तावेज पुन: प्राप्त करने के राजनयिक माध्यम से और सीधे ही किए गए प्रयास सफल नहीं हुए हैं। किन्तु, द्विपक्षीय आदान-प्रदान, फौरी खरीद और चार्ल्स वालेस ट्रस्ट फंड से प्राप्त अनुदानों के माध्यम से कुछ देशों से इन दस्तावेजों की माइक्रोफिल्मों का अधिग्रहण किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा अभी तक 6839 माइक्रोफिल्में अधिगृहीत की गई हैं ।

बिहार में रेलवे पुलों का निर्माण

3415. **श्री रामटहल चौधरी** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में जोनल रेलवे में जीर्णोद्धार के लिए चुने गए पुराने रेलवे पुलों के स्थानों और संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए मरम्मत कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) पुराने पुलों की जांच करने के लिए गठित समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसकी सिफारिशों को किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) पूर्व, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा तक दक्षिण पूर्व रेलवे विभिन्न खण्डों पर 1094 पुलों का चरणबद्ध आधार पर पुनर्स्थापन किया जाना है।

(ख) आवश्यकतानुसार 106 पुलों की पुनर्स्थापना/पुन: गर्डर लगाकर/पुनर्निर्माण कर दिया गया है ।

(ग) और (घ) समिति ने अपनी रिपोर्ट में पुरानी किस्म के पुलों का पता लगाया है जिनकी कार्यक्रम के आधार पर पुनर्स्थापना की जानी है तथा जिनके लिए अतिरिक्त निवेश किया जाना आवश्यक समझा गया है। रिपोर्ट को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया था।

केन्द्रीय प्राणि उद्यान प्राधिकरण

3416. **श्री पंकज चौधरी** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्राणि उद्यानों के विकास तथा उनका आधुनिकीकरण करने हेतु केन्द्रीय प्राणि-प्राधिकरण स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक होने की संभावना है और इस प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो प्राणी उद्यानों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण 3 फरवरी, 1992 को पहले ही स्थापित किया जा चुका है। यह प्राधिकरण जम्मू और कश्मीर को छोड़कर समूचे देश में चिड़ियाघरों के प्रबन्ध और विकास की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार होगा।

रेल इंजन तथा सवारी डिब्बे बनाने हेतु नए एकक

3417. **श्री पंकज चौधरी :**

श्री संजीपाम भगवान घोरात :

श्री अर्जुन चरण सेठी :

श्री धर्मभिक्षम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल इंजन तथा सवारी डिब्बे बनाने हेतु नए एकक स्थापित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत, स्थान तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3418. **श्री पंकज चौधरी :**

श्रीमती वसुन्धरा राजे :

प्रो० के० वी० थामस :

श्री वी० एस० विजयराघवन :

श्री सूर्यनारायण यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रेल लाइनों के नाम क्या हैं जिन पर सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युतीकरण हेतु कार्य प्रारम्भ किया गया था, तथा इनकी वर्ष-वार कुल लागत तथा आबंटित राशि क्या है और इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है और पृथक-पृथक प्रत्येक परियोजना को पूरा करने के लिए निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है; और

(ख) वर्ष 1992-93 हेतु किन-किन रेल लाइनों के विद्युतीकरण के लिए मंजूरी दी गई है तथा इनकी अनुमानित लागत, आबंटित राशि और पृथक-पृथक प्रत्येक परियोजना को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

भाग (क) : (I) सातवीं पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में चालू विद्युतीकरण परियोजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं :

क्रम सं०	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	पूरा किए जाने की तारीख	पूरा किए जाने के लिए निर्धारित लक्ष्य
1.	विजयवाडा-बल्हारशाह	159.83	मार्च, 89	—
2.	काजीपेट-सनतनगर	71.01		30-9-93
3.	अरकोणम-जोलारपेट्टै	30.90	मार्च, 86	—
4.	जोलारपेट्टै-बेंगलूरु	50.00	—	31-3-92
5.	दिल्ली-मथुरा-झांसी	114.23	मार्च, 87	—
6.	बडोदरा-रतलाम और गोधरा-आणन्द	83.42	जुलाई, 86	—
7.	मथुरा-गंगापुर सिटी	47.03	मार्च, 87	—
8.	चंद्रपुरा-काम्प्लेक्स	38.13	मार्च, 87	—
9.	झांसी-इटारसी	142.40	मार्च, 89	—
10.	भुसावल-नागपुर	181.27	मार्च, 91	—
11.	रतलाम-गंगापुरसिटी	142.84	दिस०, 87	—
12.	सीतारामपुर-मुगलसराय	240.40	—	31-3- 6
13.	भोपाल-नागदा	110.81	—	31-3-92
14.	इटारसी-नागपुर	113.32	मार्च, 91	—
15.	इटारसी-भुसावल	115.97	जनवरी, 92	—
16.	बल्हारशाह-वर्धा	55.24	मार्च, 89	—
17.	बीना-कटनी	86.37	—	30-9-93
18.	कटनी-बिलासपुर	130.14	—	31-5-94
19.	दुर्ग-नागपुर	130.51	दिस०, 9	—

1	2	3	4	5

(II) सातवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान शुरू की गई नई विद्युतीकरण परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1.	टूंडला-आगरा-बयाना	36.52	मार्च, 91	—
2.	चंपा-गेवरा रोड	12.72	दिस०, 88	—
3.	दिवा-पनवेल	14.86	दिस०, 91	—
4.	कृष्णा केनाल-गुंटूर-तेनाली	13.23	फरवरी, 89	—
5.	कोरापुट-दामनजोड़ी	2.48	मार्च, 89	—
6.	जोलारपेट्टै-इरोड और सेलम मेट्टूर डैम	71.85	—	31-3-92

(III) आवंटित राशि का वर्षवार ब्योरा (करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	85-86	86-87	87-88	88-89	89-90	प्रस्तावित परिव्यय 90-91	91-92	92-93
1.	विजयवाडा-बल्हारशाह	21.00	64.29	18.91	19.03	18.78	1.02	5.84	9.83
2.	काजीपेट-सनत-नगर	0.001	0.001	0.50	4.32	5.00	26.10	24.00	25.00
3.	अरकोनम-जोलारपेट्टै	9.00	1.25	0.38	—	—	—	—	—
4.	जोलारपेट्टै-बेंगलूरु	9.001	0.001	0.50	4.37	7.00	23.11	16.70	1.44
5.	दिल्ली-मथुरा-झांसी	15.72	5.90	1.00	1.15	—	—	—	—
6.	बडोदरा-रतलाम और मोधरा-आनंद	11.82	0.50	0.23	0.46	—	—	—	—
7.	मथुरा-गंगापुर सिटी	7.85	4.02	3.35	—	—	—	—	—
8.	चंद्रपुरा काम्प्लेक्स	7.65	3.36	5.11	1.48	0.92	—	—	—
9.	झांसी-इटारसी	5.35	42.44	12.24	6.27	10.00	8.72	3.06	—
10.	भुसावल-नागपुर	4.00	17.44	28.23	31.06	29.00	2.90	20.07	1.68
11.	रतलाम-गंगापुर सिटी	58.39	2.83	5.22	10.30	1.11	—	—	—
12.	सीतारामपुर-मुगलसराय	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	3.00	14.91
13.	भोपाल-नागदा	0.001	1.00	11.29	11.60	9.00	5.38	31.61	2.55
14.	इटारसी-नागपुर	4.02	3.03	17.23	10.20	12.51	9.10	3.40	1.99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15.	इटारसी-भुसावल	0.01	3.37	13.20	20.25	14.79	35.03	18.54	4.02
16.	बल्हारशाह-वर्धा	4.09	20.24	4.15	5.14	5.05	3.74	0.20	2.28
17.	बीना-कटनी	0.001	1.00	3.00	2.00	13.65	29.60	23.01	30.00
18.	कटनी-बिलासपुर	0.001	1.00	3.00	2.00	13.65	31.00	25.19	14.00
19.	दुर्ग-नागपुर	0.01	12.33	17.42	24.73	30.53	16.35	20.00	0.62
20.	दूंडला-आगरा-बयाना	0.01	2.00	10.00	8.09	9.00	4.72	4.55	3.13
21.	चंपा-गेवरा रोड	0.01	2.00	9.00	4.50	0.85	—	—	—
22.	बिवा-धनबेस	—	0.19	4.00	0.75	6.00	1.17	2.75	—
23.	कृष्णा कैनाल-गुंटूर तेनाली	—	0.50	5.00	2.63	7.14	—	—	—
24.	कोरापुट-धमनजोड़ी	—	—	0.51	1.50	0.05	0.07	—	—
25.	जोलारपेट्टै-इरोड और सेलम-मैट्टुर डैम	—	—	0.50	5.00	14.00	32.50	3.57	0.22

भाग (ख) नए विद्युतीकरण प्रस्ताव जिन्हें 1992-93 के रेल बजट में शामिल कि गया है।

क्रम सं०	खण्ड	लागत (करोड़ रुपयों में	92-93 के दौरान आबंटित धनराशि (करोड़ रु० में)	पूरा किए जाने की लक्ष्य तिथि
1.	अम्बाला-मुरादाबाद	147.40	4.00	1997-98
2.	समलकोट-काकीनाडा पोर्ट सहित विजयवाडा-विशाखापत्तनम	210.08	4.00	1996-97
3.	कोच्चिन हार्बर मिनस सहित इरोड-पालघाट-एर्णाकुलम	167.76	7.00	1996-97
4.	रेनिगुंटा-गुंतकल-हासपेट और तोरणमल्लू-रणजीतपुरा शाखा लाइन	177.02	7.00	1996-97
5.	चांडिल-मुरी-बरकाकाना	32.22	0.50	1996-97
6.	आमादोबा-मोहुदा	4.80	0.30	1996-77

*लक्ष्य तिथि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

कार्बेट नेशनल पार्क के आदमखोर बाघ

3419. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी मिली है कि कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के आदमखोर बाघों ने हाल ही में गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में फिर से अनेक लोगों और पशुओं की जान ले ली है;

(ख) यदि हां, तो मारे गए लोगों और पशुओं की संख्या कितनी है;

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के आश्रितों को क्षतिपूर्ति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने इन घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं। कार्बेट नेशनल पार्क में मई, 1990 के बाद मनुष्यों या पशुओं को मारे जाने की कोई घटना हुई।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) नेशनल पार्क में मानव-पशु झड़प को समाप्त करने के लिए प्रबन्ध पद्धतियों के जरिए हर सम्भव ऐतिहायात बरते जा रहे हैं, अर्थात :

(1) पार्क के भीतर-लोगों के आने जाने पर सख्त नियन्त्रण।

(2) पार्क के भीतर-पशुओं के प्रवेश पर रोक।

(3) पार्क में मानव-पशु झड़पों को कम करने के लिए पारि-विकास के अन्तर्गत अनेक उपाय किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कोटद्वार स्टेशन पर यात्री सुविधाएं

3420. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोटद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करने के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों अथवा उनके प्रतिनिधियों से आठ सूत्री ज्ञापन/अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदन में की गई मांगों में एक गाड़ी चलाना, आरक्षण कोटे की बहाली/आवंटन, आउट एजेंसी और राजकीय रेलवे पुलिस की चौकी खोलना, अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) अभ्यावेदन में की गई मांगों की जांच की गई है। कोटद्वार स्टेशन पर सम्भाले

जाने वाले यातायात के अनुरूप पर्याप्त आरक्षण कोटा, खान-पान सुविधाओं, एक जल शीतल और अन्य यात्री सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। परिचालनिक कठिनाइयों और यातायात की दृष्टि से औचित्य न होने के कारण एक नई गाड़ी चलाना और प्लेटफार्म पर कोटद्वार-दिल्ली सवारी डिब्बों का अनुरक्षण करना व्यावहारिक नहीं है। उपयुक्त ठेकेदार उपलब्ध न होने के कारण रेलवे आउट एजेंसियां नहीं खोली जा सकीं। राजकीय रेलवे पुलिस की चौकी खोलना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का मामला है।

वन रक्षकों/अधिकारियों को प्रशिक्षण देना

3421. **श्री भेरूलाल मीणा :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के वन विभाग में वन रक्षक और वन रेंज अधिकारियों को कोई प्रशिक्षण दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, नहीं। लेकिन बताया जाता है कि वन विभाग के निम्न स्तर के क्षेत्र कर्मचारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने और सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली प्रशासन के प्रशिक्षण निदेशालय के परामर्श से यह मामला विचाराधीन है। वन रेंजरों के प्रशिक्षण के लिए आशा है कि विभिन्न राज्यों में राज्य वन रेंजर प्रशिक्षण कालेजों में सीटें आबंटित की जाएगी।

दमा के रोगी

3422. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में दमा के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में दमा के रोगियों की ठीक-ठीक संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार का देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस रोग के फैलने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) से (घ) देश में दमे के रोगियों के बारे में अलग से कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि वर्ष 1987, 1988 और 1989 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में श्वसनीशोथ, चिरकारी और अनिर्दिष्ट वातस्फीति तथा दमे के रोगियों और इनसे हुए मौतों का एक विवरण संलग्न है।

इस रोग को फैलने से रोकने के लिए अलग से कोई कदम नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य	1987			1988			1989		
		ओपीडी	आईपीडी	मौतें	ओपीडी	आईपीडी	मौतें	ओपीडी	आईपीडी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	392229	3409	21	357153	2620	16	*	*	*
2.	अरुणाचल प्रदेश	*	*	*	*	*	*	*	*	*
3.	असम	100059	2814	106	117554	3279	87	118081	1927	66
4.	बिहार	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5.	गोवा	3369	687	10	20129	1122	21	26883	915	20
6.	गुजरात	177586	10226	488	180772	10906	576	*	*	*
7.	हरियाणा	273608	8656	306	288235	9597	386	266545	6786	307
8.	हिमाचल प्रदेश	95993	2252	54	58833	4620	38	*	*	*
9.	जम्मू व कश्मीर	*	*	*	*	*	*	*	*	*
10.	कर्नाटक	215426	10417	281	247662	7953	322	313786	9689	227
11.	केरल	1211770	63609	246	945862	52651	339	1037993	62970	378
12.	मध्य प्रदेश	130131	13269	946	170615	11703	184	131817	8866	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	महाराष्ट्र	9278	9875	627	70916	11480	613	34981	6320	30
14.	मणिपुर	3309	128	6	1639	143	2	*	*	*
15.	मेघालय	*	*	*	*	*	*	*	*	*
16.	मिजोरम	8613	541	5	9883	765	5	9449	262	0
17.	नागालैंड	11507	503	0	7184	504	8	5511	232	1
18.	उड़ीसा	146797	3341	156	136440	3262	135	*	*	*
19.	पंजाब	395447	7860	304	356102	6801	235	327385	7170	352
20.	राजस्थान	*	*	*	*	*	*	*	*	*
21.	सिक्किम	*	*	*	*	*	*	*	*	*
22.	तमिलनाडु	*	*	*	*	*	*	*	*	*
23.	त्रिपुरा	4156	285	4	8894	1996	19	3915	1129	21
24.	उत्तर प्रदेश	308845	9065	193	411059	11658	224	*	*	*
25.	पश्चिम बंगाल	*	*	*	*	*	*	*	*	*
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	*	*	*	*	*	*	*	*	*
27.	चण्डीगढ़	*	*	*	*	*	*	*	*	*
28.	दादरा व नगर हवेली	1	1	0	589	1	0	3042	107	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	दिल्ली	7878	214	0	6925	7249	34	34779	1279	0
30.	दमण व द्वीव	*	*	*	*	*	*	*	*	*
31.	लक्षद्वीप	*	*	*	*	*	*	*	*	*
32.	पांडिचेरी	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	कुल	3499002	147152	3753	3396446	148300	3244	2314158	107652	1404

नोट : * 1. सूचना प्राप्त नहीं हुई ।

2. आंकड़े चिकित्सा संस्थाओं में इलाज किए गए रोगियों के हैं।

3. अस्पष्ट कवरेज के कारण आंकड़े तुलनीय नहीं है।

4. गोवा में 1987-1988 के आंकड़े गोवा, दमण और द्वीव के हैं।

घटिया किस्म की औषधियां

3423. श्रीमती शीला गौतम :

श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों द्वारा रोगियों को घटिया किस्म की दवाओं की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

समुद्र तटों पर निर्माण कार्य

3424. श्रीमती वासवाराजेश्वरी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र तटों पर निर्माण गतिविधियों पर लगे प्रतिबन्ध को उठाने के निर्णय के अनुसरण में देश में कई समुद्री तटों पर होटलों तथा सैरगाहों के निर्माण की छूट दे दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने किन-किन समुद्र तटों पर निर्माण कार्यों हेतु स्वीकृति दी है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जल मुहानों के साथ-साथ होटलों और विश्रामगृहों के निर्माण के लिए अनुमति इस मंत्रालय द्वारा फरवरी, 1992 में जारी तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना के अनुसार दी जाती है।

इन गतिविधियों के लिए मापदण्ड राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा अभिनिर्धारित और इस मंत्रालय द्वारा स्वीकृत तटीय विनियमन क्षेत्रों की श्रेणी पर निर्भर करते हैं तटीय क्षेत्र प्रबन्ध के सम्बन्ध में अन्तिम योजनाएं इस मंत्रालय के विचारार्थ राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों से अभी प्राप्त नहीं हुई हैं ।

शिक्षकों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग-पुरस्कार

3425. श्रीमती वासवाराजेश्वरी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त युवा शिक्षकों को पुरस्कार देने का निर्णय लिया है;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान इस पुरस्कार के लिए विभिन्न संस्थाओं से चुने गए शिक्षकों तथा विश्वविद्यालय प्राध्यापकों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी शैक्षणिक संस्थाओं को ऐसे शिक्षकों के नाम भेजने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट युवा शिक्षकों को पुरस्कार देने की कोई योजना शुरू नहीं की है।

गेहूं तथा चावल के भंडार रखने की अधिकतम सीमा

3426. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

श्री गुरुदास कामत : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खुदरा तथा थोक व्यापारियों के लिए गेहूं तथा चावल के भंडार रखने की अधिकतम सीमा लागू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या राज्यों को इस सम्बन्ध में आवश्यक निदेश जारी कर दिए गए है; और

(घ) निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक खाद्यान्नों का भण्डार रखने वाले कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने 7 फरवरी, 1992 को फैसला किया था और सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को परामर्श दिया था कि गेहूं और चावल के लिए अलग-अलग स्टाक रखने की अधिकतम सीमा थोक व्यापारियों के सम्बन्ध में 250 क्विंटल और खुदरा व्यापारियों के मामले में 50 क्विंटल से अधिक नहीं होनी चाहिए। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निदेश दिए गए थे कि इन सीमाओं को तत्काल प्रभाव से निश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन आवश्यक आदेश जारी करें अथवा वर्तमान आदेशों में संशोधन करें तथा स्टाक रखने की संशोधित सीमा को सख्ती के साथ लागू करें।

(घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईंट भट्ठा उद्योग के लिए वैगन

3427. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** :

श्री मुमताज अंसारी :

श्री साईमन मरान्डी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1992 से ईंट भट्ठा उद्योग को कोयला पहुंचाने के लिए वैगनों का आबंटन स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में पुनर्विचार करने और उद्योग को पर्याप्त संख्या में वैगन आबंटित करने का विचार है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी इंजीनियरी कालेज

3428. श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेजों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन इंजीनियरिंग कालेजों में प्रवेश की कौन सी प्रणालियां अपनाई जाती हैं;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को महाराष्ट्र में नए गैर-सरकारी इंजीनियरिंग कालेज स्थापित करने के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है ।

मैसूर-अरासिकेर का खंड का विकास

3429. श्री एच० डी० देवगौडा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर और अरसिकेर के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए इस खंड को तेज गति की रेलगाड़ियों को चलाने के योग्य बनाने और इस पर चलने वाली रेलगाड़ियों का डीजलीकरण करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) मैसूर और अरसीकेरे के बीच तेज रफ्तार वाली गाड़ियां चलाने की कोई योजना नहीं है । बहरहाल, यह रेलपथ डीजल कर्षण सहित यातायात के मौजूदा स्तर और रफ्तार के लिए उपयुक्त है ।

पश्चिमी घाटों के विकास के लिए ब्रिटेन की सहायता

3430. श्री जी० भाडेगौड़ा : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ब्रिटेन की सहायता से पश्चिमी घाटों के विकास की योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो ब्रिटेन द्वारा कितनी धनराशि की सहायता दी जाएगी;

(ग) इस योजना में किन-किन स्थानों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) कर्नाटक राज्य सरकार से "पश्चिमी घाट वानिकी और पर्यावरणीय परियोजना" नामक एक परियोजना प्राप्त हुई है जिसका कि

ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ब्रिटेन) द्वारा मूल्यांकन किया गया है। अन्तिम समझौता नहीं किया गया है। तथापि, परियोजना से पहले के कार्यकलापों को मंजूरी दे दी गई है।

(ख) परियोजना की कुल अनुमानित लागत 105 करोड़ रुपए है जोकि ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ब्रिटेन) द्वारा अनुदान के रूप में दी जाएगी।

(ग) परियोजना के प्रथम चरण में कर्नाटक के उत्तरा कनारा वन परिमण्डल के पांच वानिकी प्रभागों को शामिल किया जाएगा। तीन वर्षों की समाप्ति पर परियोजना के कार्यान्वयन की समीक्षा किए जाने के बाद अतिरिक्त क्षेत्रों को शामिल किया जा सकता है।

(घ) ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ब्रिटेन) के साथ औपचारिक समझौता हो जाने के बाद परियोजना का व्यापक स्तर पर कार्यान्वयन किया जाएगा।

विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा

3431. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग बच्चों की समेकित शिक्षा के लिए अनुदान देती है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1991-92 के दौरान राज्यवार कितना-कितना आवंटन किया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) अपंग बच्चों की समेकित शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों और स्वैच्छिक संगठनों को इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ख) 1991-92 के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को जारी अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	आई० ई० डी० सी० स्कीम के अन्तर्गत 1991-92 के दौरान निर्मुक्त किया गया अनुदान
1.	गुजरात	34,50,180/-रु०
2.	हिमाचल प्रदेश	7,20,900/-रु०
3.	जम्मू और कश्मीर	16,22,400/-रु०
4.	कर्नाटक	45,27,850/-रु०
5.	मध्य प्रदेश	2,17,390/-रु०
6.	मिजोरम	31,72,305/-रु०
7.	नागालैंड	10,79,260/-रु०
8.	उड़ीसा	22,46,764/-रु०
9.	पंजाब	12,00,000/-रु०

1	2	3
10.	राजस्थान	71,13,450/-रु०
11.	तमिलनाडु	9,90,000/-रु०
12.	अण्डमान और निकोबार	16,07,500/-रु०
13.	दमन और दीव	52,750/-रु०
14.	दिल्ली	16,14,200/-रु०
15.	मणिपुर	3,97,500/-रु०

उड़ीसा में शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

3432. डा० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं; और

(ख) सरकार द्वारा उनके शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार, उड़ीसा राज्य में साक्षरता दर की राष्ट्रीय औसत दर से कम वाले, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जिले, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़, केन्द्रपुआर, मयूरभंज, कोरापुट, फुलबनी, बालांगीर, कालाहण्डी और गंजम हैं।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, आपरेशन-ब्लैक बोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों जैसी केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र/प्रशासनों को पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की सलाह दी गई है।

रामायण स्थलों का भूतत्व विज्ञान सम्बन्धी रिपोर्ट

3439. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामायण स्थलों, विषयक भूतत्व विज्ञान सम्बन्धी परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और सरकार को सौंप दी गई है;

(ख) इसे तैयार करने तक परियोजना पर कुल कितनी लागत आई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक प्रकाशित किए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) "रामायण के स्थलों का पुरातत्व विषयक अध्ययन" सम्बन्धी परियोजना पर प्रारम्भिक रिपोर्ट और शोध-पत्र पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं।

(ख) चूंकि इस परियोजना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के चल रहे कार्यक्रमों के एक अंग के रूप

में शुरू किया गया था, इसलिए इस परियोजना की लागत का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा गया है। इसके अलावा, यह भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की संयुक्त परियोजना थी।

(ग) और (घ) जी, हां। परियोजना के निष्कर्षों की प्रारम्भिक रिपोर्ट पहले ही प्रकाशित की जा चुकी हैं।

कालेजों के शासी निकायों में मनोनीत व्यक्ति

3434. श्री सैयद शाहाबुद्दीन : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में विभिन्न कालेजों के शासी निकायों में मनोनीत व्यक्तियों के नाम, शैक्षणिक योग्यता, व्यवसाय तथा पेशा क्या है;

(ख) इन मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल कितना है; और

(ग) इन सदस्यों के चयन में दिल्ली प्रशासन द्वारा क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यादेशों के अनुसार, विभिन्न कालेजों के शासी निकायों में नामित व्यक्तियों का कार्यकाल एक वर्ष है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि व्यावसायिकों और शिक्षा विदों को, जो कालेजों के उचित प्रबन्ध में योगदान दे सकते हैं, नामित व्यक्तियों के चयन में वरीयता दी गई है।

विवरण

दिल्ली प्रशासन कालेजों के शासी निकायों में नामजद व्यक्तियों के नाम और व्यवसाय

I. दीन दयाल उपाध्याय कालेज

1. श्री इन्द्र मल्होत्रा
   भूतपूर्व सम्पादक,
   टाइम्स और इण्डिया।
2. श्री आर० गोविन्दा,
   प्रोफेसर
   राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं
   प्रशासन संस्थान
3. न्यायमूर्ति आर० एस० सरकारिया
   अध्यक्ष
   भारतीय मुद्रणालय परिषद।
4. श्री ए० के० खोसला
   अध्यक्ष
   जनरल इलैक्ट्रिक कारपोरेशन

5. श्री के० एन० सिंघल
भूतपूर्व, पुलिस
महानिदेशक ।

6. प्रो० के० डी० गनग्रेड
भूतपूर्व सम-कुलपति
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

7. श्री दीपक गुप्ता
वरिष्ठ इंजीनियरिंग
सलाहकार ।

8. श्री आर० एन० बैंसल
भूतपूर्व संयुक्त सचिव
कम्पनी कार्य ।

9. श्री भीष्म साहनी.
हिन्दी लेखक ।

10. डा० बी० बी० शर्मा
निदेशक
एस० एस० पी० एल०
सुरक्षा प्रयोगशाला ।

II. कला और वाणिज्य दिल्ली कालेज

1. श्री के० आर० नारायणन
भूतपूर्व कुलपति और
संसद सदस्य ।

2. श्री मोहन प्रिमालाणी
प्रबन्ध निदेशक
ओक्सफोर्ड-आई० बी० एच०
प्रकाशन कम्पनी ।

3. डा० एच० के० दुआ
सम्पादक
हिन्दुस्तान टाइम्स ।

4. श्रीमती गीता सागर
रजिस्ट्रार
कापरेटिव सोसाइटी
दिल्ली प्रशासन ।

5. श्री श्याम खोसला
मुख्य ब्यूरो
ट्रिब्यून ।

6. श्री आर० वेंकटारमन
भूतपूर्व सचिव
भारत सरकार ।

7. प्रो० वी० रामालिंगा स्वामी,
प्रोफेसर
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ।

8. श्री अरुण वीरमणि
वास्तुकार

9. श्री डी० एस० नंदा
उद्योगपति ।

10. श्री बी० एम० अग्रवाल
उपाध्यक्ष
आर० डी० सोमानी उद्योग ग्रुप

III. स्वामी श्रद्धानन्द कालेज

1. प्रो० जया इन्दीरेसन
प्रोफेसर,
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं
प्रशासन संस्थान ।

2. श्री एस० आर० शर्मा
वित्त आयुक्त
दिल्ली प्रशासन ।

3. श्री के० के० शर्मा
आयुक्त (आवास)
दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

4. करुणा चड्ढा
प्रोफेसर
जाकिर हुसैन शैक्षिक अध्ययन केन्द्र

5. प्रो० अनिरुद्ध गुप्ता
अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ।

6. श्री एस० सहाय
भूतपूर्व संपादक
स्टेसमैन ।

7. प्रो० एन० के० रैना प्रोफेसर
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं
प्रशिक्षण परिषद ।

8. डा० जी० एन० पाठक
भूतपूर्व कोषाध्यक्ष
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

9. डा० जे० बिजेन्द्र
सचिव
राजा राम मोहन राय
राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र ।

10. प्रो० अनिल भट्टी
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ।

IV. मैत्रेयी कालेज

1. डा० अम्बा प्रसाद
भूततूर्व प्रोफेसर
दिल्ली विश्वयिद्यालय

2. श्री के० एस० सांखला
भूतपूर्व अध्यक्ष
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ।

3. श्री एम० वर्द्धराजन
सदस्य
अल्पसंख्यक आयोग ।

4. श्री बी०बी० सक्सेना
सचिव (प्रशासन एवं सेवा)
दिल्ली प्रशासन ।

5. श्रीमती शारदा नायक
निदेशक,
यू० एस० ई० एफ० एफ

6. प्रो० अब्दुल रहमान
भूतपूर्व निदेशक
राष्ट्रीय विज्ञान एवं तकनीकी विकास अध्ययन संस्थान

7. डा० सी० एच० हनुमंथा राव
भूतपूर्व सदस्य
योजना आयोग

8. सुश्री गुलशन नंदा,
भूतपूर्व महाप्रबन्धक
केन्द्रीय लघु उद्योग कारपोरेशन
आफ इण्डिया लिमिटेड।

9. श्री उदयन शर्मा
मुख्य संपादक
दि संडे आब्जरवर।

10. डा० कपिला वात्स्यायन
सचिव,
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र।

V सत्यवती सह-शिक्षा कालेज

1. डा० जी० सुन्दरम
अपर सचिव,
वाणिज्य मन्त्रालय।

2. प्रो० जे० एस० राजपूत
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

3. प्रो० जी० पी० दास पाण्डेय
पूर्वी एशियाई अध्ययन केन्द्र
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

4. श्री आर० पी० राय
आयुक्त, उद्योग
दिल्ली प्रशासन।

5. श्री जे० के० बादू
अपर आयुक्त
बिक्री कर
दिल्ली प्रशासन।

6. प्रो० ए० के० दामोदरन
नेहरू संग्रहालय

7. श्री ए० आर० विग
पत्रकार।

8. श्री एच० जे० सेकिरा
अध्यक्ष
ओरियन्टल इंशोरेन्स कम्पनी लिमिटेड

9. डा० जे० वी० जे०तिलक
राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना एवं प्रशासन संस्थान

10. प्रो० बृज मोहन
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ।

11. एफ० आर० इस्तुप,
प्रिंसिपल
सेंट जेवियर स्कूल

12. डा० पी० के० मिश्रा डी० डी० जी०
केन्द्र सरकार स्वास्थ्य सेवा ।

VI बी० आर० अम्बेडकर कालेज

1. श्री मूसा रजा
अध्यक्ष-व-प्रबन्ध निदेशक
भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ।

2. श्री एस० आर० शर्मा सचिव,
खाद्य एवं सिविल आपूर्ति
दिल्ली प्रशासन ।

3. प्रो० आर० एल० वर्षण्य,
भूतपूर्व निदेशक
भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ।

4. डा० एल० पी० सिहारे,
भूतपूर्व महानिदेशक,
राष्ट्रीय संग्रहालय

5. श्री हीराण्मय कार्लेकर पत्रकार

6. श्री जे० डी० सिंह
परामर्श संपादक
'दि डेली' ।

7. डा० बी० श्रीनाथ रेड्डी
कार्डिआलोजी विभाग
अखिल भारतीय चिकित्सा
विज्ञान संस्थान ।

8. श्री आनन्द स्वरूप
भूतपूर्व अध्यक्ष,
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास।

9. श्री डी० पी० सेठी
कार्यकारी निदेशक
राष्ट्रीय सार्वजनिक एवं बाल विकास संस्थान।

10. डा० (श्रीमती) एस० भादुडी
सीनियर स्त्री रोग विशेषज्ञ,
राम मनोहर लोहिया हस्पताल

VII व्यापार अध्ययन कालेज

1. प्रो० एम० सी० गुप्ता,
प्रोफेसर और विभाग, अध्यक्ष
राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण संस्थान।

2. श्री एस० वी० जोरी
महाप्रन्धक
साइमेंस लिमिटेड

3. प्रो० एस० एस० मूर्ति
इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
नई दिल्ली।

5. श्री रवी मलिक
आयुक्त,
दिल्ली विकास प्राधिकरण।

5. सुश्री अर्चना अरोड़ा
संयुक्त सचिव
दिल्ली प्रशासन।

6. श्री के० के० छाबड़ा,
उप महाप्रबन्धक
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन
लिमिटेड।

7. प्रो० जेड० एम० खान
जामिया मिलिया समाज कार्य स्कूल

8. सुश्री अनिता दिघे,
   निदेश
   प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र।
   जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

9. श्री बी० जार्ज वरगीज
   अध्यक्ष,
   मेडीकल फाउन्डेशन।

10. प्रो० बी० जी० गार्दे,
    भाषा स्कूल, जवाहर लाल
    नेहरू विश्वविद्यालय।

VIII कालिन्दी कालेज

1. सुश्री शीला उत्तम सिंह
   भूतपूर्व प्रिंसिपल,
   आई० पी० कालेज।

2. डा० जे० एस० बजाज
   सदस्य योजना आयोग।

3. श्री सुभाष सी कश्यप,
   भूतपूर्व महासचिव
   लोक सभा।

4. श्री ए० सी० खेर
   सचिव,
   श्रम और रोजगार
   दिल्ली प्रशासन।

5. सुश्री नीना व्यास
   विशेष संवाददाता
   स्टेट मैन।

6. सुश्री रजिया इस्माइल
   यूनीसेफ।

7. डा० जी० एल० भल्ला
   सीनियर वैज्ञानिक
   श्री राम औद्योगिक अनुसंधान न्यास।

8. श्री बी० के० थापर
   अवकाश प्राप्त आई० ए० एस०।

9. श्री के० विभावासु तिवारी,
मुख्य रिपोर्टर
नव भारत टाइम्स ।

10. श्री रविन्द्र सेठी,
एडवोकेट

IX भारतीय महिला कालेज

1. श्री आलोक तोमार
पत्रकार ।

2. प्रो० एस० मोहिनी
जामिया मिलिया समाज कार्य स्कूल

3. श्री बी० डी० शर्मा
भूतपूर्व आयुक्त अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति

4. श्रीमती मीनाक्षी दत्त घोष
सचिव,
शहरी सुधार
दिल्ली प्रशासन ।

5. श्री नाथू सिंह
संयुक्त निदेशक,
समाज कल्याण दिल्ली प्रशासन ।

6. डा० डी० स्वामीनाथन
सदस्य
योजना आयोग ।

7. टी० एन० चौधरी
सचिव
साहित्य कला अकादमी ।

8. श्री के० ई० राठी
एडवोकेट
सुप्रीम कोर्ट ।

9. श्री बी० एम० उपाध्याय
उपाध्यक्ष
भारतीय क्षेत्रीय अध्ययन संस्थान

10. श्री निखिल चक्रवर्ती
संपादक, मैनस्ट्रीम ।

X विवेकानन्द महिला कालेज

1. श्री एच० डी० टंडन
   भूतपूर्व निदेशक
   अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान ।
2. श्री डी० आर० खन्ना
   भूतपूर्व न्यायाधीश
   दिल्ली उच्च न्यायालय ।
3. सुश्री उर्वशी भठनिया
   संपादक, काली ।
4. श्री के० एस० वैद्यनाथन
   वित्त सचिव
   दिल्ली प्रशासन ।
5. श्री ए० के० माथुर
   उप आयुक्त
   दिल्ली ।
6. श्री ए० के० सिंह
   लेखक ।
7. सुश्री श्यामला पप्पू
   वरिष्ठ एडवोकेट
   सुप्रीम कोर्ट ।
8. प्रो० योगेश भटनागर
   भाषा स्कूल, जवाहर
   लाल नेहरू विश्वविद्यालय ।
9. श्री गणेश सेठ ।
   कार्यकारी निदेशक,
   मोडर्न स्कूल ।
10. प्रो० एलिस जैकब
    निदेशक,
    भारतीय विधि संस्थान ।

XI गार्गी कालेज

1. डा० टी० एन० धर
   भूतपूर्व, संयुक्त शिक्षा
   सलाहकार, शिक्षा मन्त्रालय
   भारत सरकार ।

2. श्री डी० आर० आहूजा
पत्रकार ।

3. श्री एस० रघुनाथन
सचिव (यातायात और पर्यटन)
दिल्ली प्रशासन ।

4. श्री के० सेठूरमन
महाप्रबन्धक
दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ।

5. श्रीमती नलिनी जायल
निदेशक,
इनटेक ।

6. डा० वी० आर० मल्हा
नेहरू संग्रहालय

7. डा० वीना सिंगल
पैथोलोटिस्ट ।

8. डा० के० एस० भटनागर
भूतपूर्व सचिव,
कम्पनी कार्य विभाग ।

9. सुश्री चांदनी खूबरा
उपाध्यक्ष (पी० आर०)
आई० टी० डी० सी० लिमिटेड ।

10. प्रो० पाण्डव नायक
समाज विज्ञान स्कूल
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त
विश्वविद्यालय

XII लक्ष्मी बाई कालेज

1. श्रीमती उषा नैयर
प्रो० महिला अध्ययन
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान
एवं प्रशिक्षण परिषद ।

2. श्री के० वी० शुक्ला
सचिव (तक० शिक्षा)
दिल्ली प्रशासन ।

3 श्री चमन लाल,
निदेशक,
कृषि मार्केटिंग
दिल्ली प्रशासन।

4. प्रो० टी० के० ओमन
डीन, समाज विज्ञान स्कूल
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

5. न्यायमूर्ति यू० एन० बछावत
भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश
मध्य प्रदेश, उच्च न्यायालय।

6. डा० आनन्द प्रकाश
वरिष्ठ एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट।

4. डा० (श्रीमती) ए० एस० धूपिया
सामाजिक कार्यकर्ता।

8. सुश्री रती बरथालोमेव
भूतपूर्व रीडर
दिल्ली विश्वविद्यालय।

9. डा० एस० डी० शर्मा
भारतीय राजस्व सेवा।

10. सुश्री नलिनी सिंह
पत्रकार।

XIII शिवाजी कालेज

I. प्रो० अर्जुन देव
प्रो० समाज विज्ञान
रा० शै० अ० प्र० परिषद।

2. डा० जे० एन० पाण्डेय
अखिल भारतीय चिकित्सा
विज्ञान संस्थान।

3. डा० आर० पी० ओलकिया
सचिव
अन्तराष्ट्रीय विधि संस्थान।

4. श्री एस० सी० बाजपेयी
भूतपूर्व, मुख्य सचिव
दिल्ली प्रशासन।

5. श्री सी० एस० कैरवाल
सचिव (एल० एस० सी०)
दिल्ली प्रशासन ।

6. श्रीमती विमला जिदगर
संयुक्त सचिव (वित्त)
दिल्ली प्रशासन

7. प्रो० मोहन लाल
मुख्य संपादक
साहित्य विश्व कोष
साहित्य अकादमी ।

8. श्रीमती विद्या बेहन शाह
अध्यक्ष, भारतीय बाल कल्याण
परिषद ।

9. डा० आर० सी० शर्मा
भूतपूर्व आयुक्त
केन्द्रीय विद्यालय संगठन ।

10. डा० एस० गोपाल,
प्रख्यात इतिहासकारक ।

XIV मोती लाल नेहरू कालेज

1. श्री जे० वीरराघवन
भूतपूर्व सचिव,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ।

2. डा० एस० आर० निगम
भूतपूर्व रीडर
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

3. डा० एस० के० कासकर,
निदेशक, अखिल भारतीय
चिकित्सा संस्थान ।

4. प्रो० ए० बागची
निदेशक, राष्ट्रीय सार्वजनिक
वित्त संस्थान ।

5. श्री डी० एस० मिश्रा
भूतपूर्व निदेशक (शिक्षा)
दिल्ली प्रशासन ।

6. श्री आर० एम० बट्स
भूतपूर्व सचिव (वित्त)
दिल्ली प्रशासन ।

7. प्रो० योगेन्द्र सिंह,
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ।

8. श्री अभिषेक सिंघवी
एडवोकेट ।

9. श्रीमती विभाभर्तासारथी
प्रिंसिपल,
सरदार पटेल स्कूल ।

10. सुश्री शोभना नारायण
भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखन सेवा ।

11. प्रो० बी० के० साहनी
प्रोफेसर, भारतीय प्रौद्योगिकी
संस्थान, नई दिल्ली ।

12. प्रो० एस० के० लाल
भूतपूर्व डीन,
मौलाना आजाद चिकित्सा कालेज ।

XV इन्दिरा गांधी शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान संस्थान

1. प्रो० मो० अमीन
कुलपति
जामिया हमदर्द ।

2. श्री जाफर इकबाल,
प्रख्यात खिलाड़ी ।

3. डा० एम० एम० एस० आहूजा
भूतपूर्व डीन,
अखिल भारतीय चिकित्सा
विज्ञान परिषद ।

4. श्री वीरेन्द्र सिंह
विकास आयुक्त ।
दिल्ली प्रशासन ।

5. श्री ए० के० पेटोल्डे
संयुक्त सचिव (योजना)
दिल्ली प्रशासन ।

6. श्री जी० बी० जी०
तिलक,
राष्ट्रीय शैक्षिक
आयोजना और
प्रशासन संस्थान

7. श्री के० पी० राय
ओलम्पिक विजेता

8. श्री एम० सी० भण्डारे
सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ।

9. डा० एस० एस० श्रीवास्तव
चिकित्सक

10. डा० एच० के० छुट्टानी,
भूतपूर्व प्रोफेसर,
दिल्ली प्रशासन विश्वविद्यालय

XVI राजधानी कालेज

1. डा० ए० एम० खुसरो
सम्पादक,
फाइनेनोंशीयल एक्सप्रेस ।

2. श्री के० बी० शर्मा
भूतपूर्व डीन
मौलाना आजाद चिकित्सा
कालेज ।

3. सुश्री ऊषा लूथरा
उप महानिदेशक
भारतीय चिकित्सा अनुसंधान
परिषद ।

4. सुश्री गीता बाली
सचिव (अनु० सूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति)
दिल्ली प्रशासन ।

5. श्री उमेश सहगल
अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक
दिल्ली राज्य औद्योगिक
विकास निगम

6. डा० अलोक खोसला,
अध्यक्ष, विकास विकल्प
सोसाइटी।

7. प्रो० के० एस० यादव
निदेशक, भारतीय जनसंचार
संस्थान।

8. श्री जो० पी० शर्मा
एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट।

9. प्रो० सी० पी० भामबरी,
समाज विज्ञान स्कूल
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय

10. डा० राजन मैथ्यू
चिकित्सक

XVII शहीद भगतसिंह कालेज

1. डा० ए० के झा
भूतपूर्व कुलपति
रांची विश्वविद्यालय।

2. श्री सी० आर० सुन्दर राजन
सचिव, औद्योगिक वित्त एवं
पुर्ननिर्माण बोर्ड।

3. श्री एस० एस० हरित,
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन।

4. श्री राज कुमार गुप्ता,
अध्यक्ष,
डाल्टन केबिल लिमिटेड।

5. डा० मदन मोहन,
नेत्र विशेषज्ञ।

6. डा० पंकज शाह
अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान।

7. श्री नरेन्द्र कुमार
विशेष संवाददाता,
हिन्दुस्तान टाइम्स (हिन्दी)

8. न्याय मूर्ति देश पाण्डेय
   भूतपूर्व मुख्य सचिव
   दिल्ली उच्च न्यायालय ।

9. डा० एस पदमावती
   कार्डोलाजिस्ट ।

10. प्रो० रविन्द्र कुमार
    निदेशक,
    नेहरू संग्रहालय और पुस्तकालय ।

11. डा० विजयेन्द्र स्नातक
    भूतपूर्व प्रोफेसर,
    दिल्ली प्रशासन

12. श्री एस० पी० सिंह,
    सम्पादक,
    नवभारत टाइम्स ।

XVIII श्री अरविन्द कालेज

1. श्री एम० एन० स्वामी
   भूतपूर्व निदेशक
   भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ।

2. प्रो० हरतीर्थ सिंह
   भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ।

3. श्रीमती शैलजा चन्द्र
   सचिव, स्वास्थ्य
   दिल्ली प्रशासन ।

4. श्री ए० के० गुहा,
   संयुक्त निदेशक,
   शहरी सुधार, दिल्ली प्रशासन ।

5. डा० अशोक जैन
   निदेशक, राष्ट्रीय विज्ञान एवं
   प्रौद्योगिकी विकास अध्ययन संस्थान ।

6. न्याय मूर्ति ए० एन० सेन ।

7. श्री आर० सी० निगम
   निदेशक,
   कम्पनी विधि बोर्ड ।

8. श्री डी० पी० सेठी
कार्यकारी निदेशक,
सार्वजनिक सहयोग एवं बाल
विकास संस्थान ।

9. डा० के० जी० कृष्णामूर्ति
संयुक्त सलाहकार (समाज)
योजना आयोग ।

10. डा० आर० एस० राणा
निदेशक, राष्ट्रीय आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो ।

11. प्रो० बी० एम० जोहरी
भूतपूर्व प्रोफेसर
दिल्ली विश्वविद्यालय ।

12. श्री रामेश्वर दत्त
एडवोकेट
दिल्ली उच्च न्यायालय ।

XIX. श्याम प्रसाद मुकर्जी कालेज

1. श्री जे० के० शर्मा
भूतपूर्व निदेशक
प्रशासनिक स्टाफ,
भारतीय कालेज ।

2. डा० डी० सी० जोशी
मुख्य एवं डीन
शिक्षा संकाय
जामिया मिलिया इस्लामिया ।

3. श्री टी० टी० जोसफ
सचिव,
लोक निर्माण विभाग,
दिल्ली प्रशासन ।

4. डा० श्रीमती सतबीर सिलास
संयुक्त सचिव (गृह)
दिल्ली प्रशासन ।

5. डा० ए० टी० हूवानी
परामर्शक, स्वैच्छिक
भारतीय स्वास्थ्य संघ ।

6. डा० अमिताभ कुण्डु
क्षेत्रीय विकास केन्द्र
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय।

7. श्रीमती शोभना भारतीय
प्रबन्ध निदेशक,
हिन्दुस्तान टाइम्स।

8. डा० ऊषा श्रीवास्तव
बाल विकास संस्थान।

9. डा० पी० बी० व्यास
चिकित्सा प्रैक्टिशनर।

10. श्री दुष्यन्त कुमार इस्सर
पत्रकार।

दो पालियों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय

3435. **श्री नारायण सिंह चौधरी :**

श्री राजाम्बर प्रसाद सिंह :

प्रो० प्रेम धूमल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में दो पालियों में चल रहे केन्द्रीय विद्यालय की संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को इसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में अन्य केन्द्रीय विद्यालयों में दो पाली प्रणाली शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) नौ।

(ख) और (ग) इस व्यवस्था में लाभ और हानियां दोनों ही स्वाभाविक रूप से हैं। अभिभावकों के आग्रह पर स्वास्थ्य, आवास, परिवहन अथवा भाई-बहिनों को एक ही पाली में रखने के सम्बन्ध में कठिनाइयों के आधार पर कुछ छात्रों के स्थानान्तरण के आदेश दिए गए थे।

(घ) और (ङ) केवल पायलट परियोजना के रूप में नौ स्कूलों में प्रायोगिक आधार पर दूसरी पाली प्रारम्भ की गई है।

रोगों के प्रति जनसमूह को शिक्षित करना

3436. **श्री आर्य कर्नाण्डीज :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनता को हृदय और कैंसर से सम्बन्धित घातक रोगों के रोकथाम के प्रति

शिक्षित करने हेतु स्वैच्छिक निकायों और स्वास्थ्य देख-रेख संगठनों को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरो स्वयंसेवी संगठनों द्वारा मांग करने पर उन्हें विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री वितरित करता है और ऐसे कार्यकलापों में उनकी मदद भी करता है। राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन पात्र गैर-सरकारी संगठनों को स्वास्थ्य शिक्षा और कैंसर का शुरू में पता लगाने सम्बन्धी कार्यकलापों के लिए 5.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

ईको पार्क लेबल

3437. **श्री कमल कुमार मण्डल** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अप्रैल, 1992 तक औद्योगिक उत्पादों को "ईको मार्क लेबल" जारी करने सम्बन्धी योजना को अन्तिम रूप दे दिया है जिसके अन्तर्गत इन्हें पर्यावरण अनुकूल समझा जाएगा या कम से कम प्रदूषण पैदा करने वाले अथवा प्रदूषण रहित समझा जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और ये उत्पाद कौन-कौन से हैं;

(ग) "ईको मार्क लेबल" जारी करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं और इसे जारी करने का अधिकार किस विभाग को होगा;

(घ) क्या कृत्रिम रंग और सुगन्ध वाले खाद्य योगज मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ते हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठा रही है;

(च) क्या सरकार ऐसी योजना खाद्य पदार्थों, खाद्य परिरक्षकों और खाद्य योगजों के लिए भी बनाने का विचार रखती है; और

(छ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों पर लेबल लगाने की स्कीम के प्रथम चरण में 16 श्रेणियों के उपभोक्ता उत्पादों का अभिनिर्धारण किया है और इसके लिए "डेनमार्क" के मानदण्ड पर निर्णय लिया जा रहा है। इन मानदण्डों से उन उत्पादों की शिनाख्त होने का अनुमान है जिनसे अन्यों की तुलना में पर्यावरणीय क्षति कम हो सकती है। इन उत्पादों के लिए मानदण्ड के प्रारूप को अप्रैल 1992 तक अंतिम रूप दिये जाने की सम्भावना है। शिनाख्त किये गये उत्पाद निम्न हैं :—

1. साबुन व डिटर्जेन्ट
2. प्लास्टिक
3. खाने का तेल, चाय, काफी, शिशु आहार, संसाधित खाद्य, मादक पेय जैसी खाद्य वस्तुएं
4. कागज (अच्छा कागज, सफाई का कागज, न्यूज प्रिण्ट आदि)

5. कपड़ा, शिशु वस्त्र आदि

6. संरक्षक एवं खाद्य संयोजी

7. प्रसाधन सामग्री अर्थात् शैम्पू, लिपस्टिक, फेस पाउडर

8. पेंट

9. बैटरी

10. स्नेहक तेल

11. पैकेजिंग

12. इरोसोल

13. नाशीजीव, कीटनाशक, जैव नाशक और खर-पतवार नाशक

14. दवाइयां

15. विद्युत सामग्री/इलेक्ट्रानिक सामान

16. लकड़ी के विकल्प ।

(ग) विभिन्न उत्पादों के लिए जारी किए जाने वाले इकोमार्क लेबल के लिए निर्धारित किये जाने वाले मानदण्डों को निर्धारित करने वाले पैरामीटर निम्न हैं :—

1. कच्चे माल के स्रोत सहित उत्पादन प्रक्रिया

2. प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति

3. पर्यावरण पर पड़ने वाला संभावित प्रभाव

4. उत्पाद के उत्पादन के समय ऊर्जा का संरक्षण

5 उत्पादन प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रभाव एवं मात्रा

6. उत्पाद एवं उसके डिब्बे का निपटान

7. अपशिष्ट एवं उससे पुनर्प्राप्त सामग्री का उपयोग

8. पुनर्चक्रण एवं पैकेजिंग की उपयुक्तता

9. जैव अवक्रमणीयता

भारतीय मानक ब्यूरो जारी करने वाला प्राधिकारी है ।

(घ) से (छ) कृत्रिम रंगों और महक की मौजूदगी जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, को पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल उत्पादों के लिए परिरक्षण एवं खाद्य संयोजनों के लिए मानक निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा ।

जंगली भैंसों का लुप्त होना

3438. डा० अतीक खान :

कुमारी कुप्पा देवी सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां जंगली भैंसें पाई जाती हैं;

(ख) क्या जंगली भैंसें लुप्त होने के कगार पर हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस लुप्त होती जा रही जाति को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ): (क) मध्य प्रदेश के इन्द्रावती राष्ट्रीय उद्यान (बाघ रिजर्व), पामेड, उडन्ती और भैरमगढ़ वन्यजीव अभयारण्यों तथा असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस बाघ रिजर्व और डिब्रू-सेखोआ और लाओखोआ वन्यजीव अभयारण्यों में जंगली भैंसें पाई जाने की सूचना मिली है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जंगली भैंसों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किये गये उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं—

(1) जंगली भैंसों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-1 में शामिल किया गया है, इस प्रकार इस प्रजाति को कानून के अन्तर्गत अधिकतम संगत सुरक्षा दी जा रही है।

(2) भारत में जंगली भैंस के वर्तमान वास स्थलों को सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क जिसमें बाघ रिजर्वों सहित राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य भी आते हैं, में शामिल किया गया है। जंगली भैंस वाले सुरक्षित क्षेत्रों "अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों के विकास के लिए सहायता", 'बाघ परियोजना" तथा "असम में गैंडों का संरक्षण" स्कीम के अन्तर्गत उनके विकास के लिए सहायता दी जा रही है।

(3) जंगली भैंसों और पालतू पशुओं के बीच संभावित परस्पर-प्रजनन न होने देने के उद्देश्य से असम के सभी सुरक्षित क्षेत्रों, जिनमें जंगली भैंसें होती हैं, में पशुओं की चराई पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। असम के सुरक्षित क्षेत्रों के आस-पास के पालतू पशुओं पर खुर की बीमारी के टीके लगाए गए हैं।

(4) भारत सरकार ने जंगली भैंस की स्थिति को स्थापित करने और इस प्रजाति की आनुवांशिक रूप से परिशुद्ध आबादी का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण और अनुसंधान किया है ताकि उनके संरक्षण के लिए उपाय किए जा सकें।

[हिन्दी]

गुजरात के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले

3439. श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले कौन-कौन से हैं; और

(ख) उनके शैक्षिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) 1981 की जनगणना के अनुसार गुजरात राज्य में साक्षरता की राष्ट्रीय औसत दर से कम वाले, शैक्षिक रूप से पिछड़े जिले कच्छ, बनास, पंचा, पंच-महल और डी डंग्स हैं।

(ख) प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्रों में अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपरेशन-ब्लैकबोर्ड, शिक्षक-शिक्षा, गैर-औपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों जैसी केन्द्रीय-प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकार को शैक्षिक विकास के लिए वित्तीय सहायता

प्रदान की जाती है। राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र के प्रशासनों को पिछड़े जिलों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है।

कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देना

3440. श्री राम लखन सिंह यादव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार ने नीति के रूप में, राज्य के विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के रूप में परिवर्तित करना उपयुक्त नहीं समझा। अतः केन्द्रीय सरकार बिहार के किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

[अनुवाद]

लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के उत्तर क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना

3441. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण का उत्तर क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह केन्द्र कब तक स्थापित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल कूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभागों) में राज्य मन्त्री (कुमारी ममता बनर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) साई निकाय ने 27-6-1989 को लखनऊ में केन्द्रीय खोन क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करने का सिद्धान्त रूप में निर्णय लिया है, बशर्ते कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में धन उपलब्ध कराया जाए।

निरक्षरता उन्मूलन

3442. डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरक्षरता उन्मूलन के लिए वर्ष 1991-92 के दौरान किए गए बजट आवंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सम्पूर्ण साक्षरता अभियान के लिए अपर्याप्त आवंटन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या अध्यापकों और विद्यार्थियों को सम्पूर्ण साक्षरता अभियान में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र में, साक्षरता कार्यक्रमों के लिए राज्यवार आवंटन नहीं किए जाते हैं। अनेक राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों को अनुदान उनकी आवश्यकताओं के अनुसार जारी किए जाते हैं। तथापि, वर्ष 1991-92 के दौरान प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकारों/संघशासित प्रशासनों और अन्य संगठनों को जारी राज्यवार अनुदान राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान प्रौढ़ शिक्षा के लिए किए गए 120.00 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से 53.75 करोड़ रुपये की राशि पूर्ण साक्षरता अभियानों के लिए निश्चित की गई है जोकि वर्ष के दौरान ऐसे अभियानों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	राशि (लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	733.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.43
3.	असम	261.36
4.	बिहार	232.35
5.	गोवा	—
6.	गुजरात	231.23
7.	हरियाणा	9.40
8.	हिमाचल प्रदेश	31.18
9.	जम्मू व कश्मीर	32.00
10.	कर्नाटक	575.97
11.	केरल	121.68
12.	मध्य प्रदेश	435.50
13.	महाराष्ट्र	503.28
14.	मेघालय	12.01
15.	मणिपुर	22.28
16.	मिजोरम	4.15
17.	नागालैंड	17.72
18.	उड़ीसा	681.35
19.	पंजाब	96.31

1	2	3
20.	राजस्थान	457.76
21.	सिक्किम	—
22.	तमिलनाडु	699.13
23.	त्रिपुरा	7.55
24.	उत्तर प्रदेश	492.01
25.	पश्चिम बंगाल	1171.11
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	8.43
27.	चण्डीगढ़	11.47
28.	दादरा व नगर हवेली	3.29
29.	दमन व दीव	0.27
30.	दिल्ली	55.16
31.	लक्षद्वीप	—
32.	पांडिचेरी	11.61
		6827.03

संस्कृत महाविद्यालय

3443. डा० सुधीर राय : क्या मानव संसाधन विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में कार्यरत आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों का वित्तपोषण और प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं में लागू सेवा नियमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन संस्थाओं में वेतन का भुगतान बहुत ही अनियमित है;

(घ) यदि, हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को स्वीकृत आवर्ती व्यय के 95% तथा स्वीकृत अनावर्ती व्यय के 75% तक की राशि; अनुदान सहायता के रूप में दी जाती है । इन महाविद्यालयों का प्रबन्ध कार्य उनकी अपनी प्रबन्ध समितियां ही करती हैं।

(ख) ये महाविद्यालय, अपने प्रथम श्रेणी डिग्री कालेजों के लिए सम्बद्ध राज्य द्वारा स्वीकृत सेवा नियमों का अनुसरण करते हैं ।

(ग) जी नहीं, लेकिन कुछ मामलों में वेतन भुगतान में देरी पाई गई है ।

(ख) गत वर्षों के अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रबन्ध समिति द्वारा स्वीकृत बजट-प्रस्ताव, सरकार को वास्तविक दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने या देरी से प्रस्तुत करने तथा अनुदान-सहायता समिति की बैठक में विलम्ब होने के कारण, अनुदान राशि जारी करने में देरी हो गई।

(ङ) सरकार ने प्रबन्ध समितियों को अपेक्षित दस्तावेज उचित समय पर भेजने की सलाह दी है।

[हिन्दी]

अतिक्रमित वन भूमि को नियमित करना

3444. श्री अरविन्द नेताम :

श्री चम्बूभाई देशमुख : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से दिनांक 24-10-1980 तक हुए वन भूमि अतिक्रमण के विनियमन के सम्बन्ध में नीतिगत निर्णय लेने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अब केन्द्रीय सरकार का अपने दिनांक 16-9-1990 के परिपत्र की उपेक्षा करते हुए आदिवासियों द्वारा अतिक्रमित वन भूमि के विनियमन को मन्जूरी न देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) जी, हां। नीति निर्णय 18-9-90 को लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खनन पट्टे देना

3445. श्रीमती वसुन्धरा राजे :

श्री विजय कृष्ण हार्डिकर : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरिस्का अभयारण्य में 31 दिसम्बर, 1991 से खनन कार्य पर रोक लगाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय के अन्तवर्ती आदेश को कार्यान्वित किया गया है;

(ख) क्या सरकार का सरिस्का अभयारण्य, विशेष रूप से अरावली पर्वतमाला की परिस्थितिकी तथा सामान्य रूप से राजस्थान के अन्य मात्रा में हुए नुकसान का अध्ययन करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का पर्यावरण को हो रहे नुकसान को देखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में खनन पट्टे मन्जूर करने सम्बन्धी अपनी नीति में संशोधन करने का भी विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) उच्चतम न्यायालय ने एक अन्तर्वर्ती आदेश जारी किया था कि सरिस्का बाघ रिजर्व में किसी भी प्रकार का खनन कार्य न किया जाए। उच्चतम न्यायालय ने एक समिति का भी गठन किया जिसे अन्य बातों के साथ-साथ न्यायालय के आदेशों को लागू करने का दायित्व सौंपा गया था। उपर्युक्त समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत स्थिति रिपोर्ट, उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

(ख) और (ग) (1) प्रश्न के भाग (क) में वर्णित उत्तर के बारे में उच्चतम न्यायालय ने समिति को सरिस्का बाघ रिजर्व में की गई खनन गतिविधियों द्वारा पर्यावरण, पारिस्थितिकी और वन्यजीवों को हुई क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है।

(2) भारत सरकार ने अनुपयुक्त विकासात्मक प्रक्रियाओं और खनन कार्य सहित दूसरे प्रचालनों के कारण अरावली के कतिपय क्षेत्रों को हुए काफी प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद पर्यावरण (संरक्षण), अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत एक प्राथमिक अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत जिन गतिविधियों के सम्बन्ध में पूर्व मन्जूरी ली गई है, उनके अतिरिक्त गतिविधियों पर रोक है।

(घ) व (ङ) भारत सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत एक दूसरी अधिसूचना जारी की है जिसके अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ सम्बंधित राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की पूर्व मन्जूरी ली गई गतिविधियों के अलावा किसी भी विद्यमान या नई परियोजनाओं का विस्तार या आधुनिकीकरण निषिद्ध है। लेकिन पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र में स्थापित किए जाने के लिए इस प्रकार की परियोजना के लिए भारत सरकार की मन्जूरी लेनी पड़ती है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मथुरा और आगरा में वन संरक्षण योजनाएं

3446. श्री भगवान शंकर रावत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा और आगरा में वनों का संरक्षण करके तथा वहां अधिक संख्या में पेड़ लगाकर ताजमहल को आंधी-धूल से बचाने के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में अन्य स्त्रोतों से भी सहायता की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश वन विभाग ने ताज के चारों ओर हरित क्षेत्र बनाने का कार्य शुरू किया है। सड़कों, नहरों के किनारों, रेल लाइनों के आस-पास तथा अन्य उपलब्ध सरकारी भूमि पर वृक्ष लगाए गए हैं। लगभग 1224 हैक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण कार्य पूरा कर लिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

नेत्र चिकित्सा अस्पताल

3447. **श्री मृत्युन्जय नायक** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का रूस के सहयोग से एक नेत्र चिकित्सा अस्पताल स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उसमें क्या-क्या विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों का अभ्यावेदन

3448. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के छात्रों अथवा कर्मचारियों का कोई अभ्यावेदन मिला है जिसमें विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरूप को बहाल करने तथा इसकी स्वायत्तता से सम्बन्धित अधिनियम में संशोधन की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, हां। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष, जामिया मिलिया इस्लामिया छात्र संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) इस मामले की जांच की गई है और जामिया मिलिया इस्लामिया अधिनियम, 1988 में कोई परिवर्तन न करने का निर्णय किया गया है।

उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन

3449. **श्री रमेश चेन्निथला** : क्या पर्यावरण और वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उष्ण कटिबन्धीय वर्षा वन किन क्षेत्रों में हैं;

(ख) क्या उक्त उष्ण कटिबन्धीय वनों के संरक्षण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री कमल नाथ) : (क) स्टेट फारेस्ट रिपोर्ट, 1987 के अनुसार, देश में उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन लगभग 5.12 मि० हे० क्षेत्र में फैले हैं और उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिमी घाटों (केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र), अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह तथा गोवा में पाए जाते हैं।

(ख) एवं (ग) ऐसे वनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

1. राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वन संरक्षण पर अधिक बल दिया गया है। इसमें चराई, आग और अतिक्रमण से वनों की सुरक्षा के लिए विशिष्ट उपबंध हैं।

2. वनेतर प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग में लाने को रोकने के लिए 1980 में वन (संरक्षण) अधिनियम लागू किया गया। 1988 के संशोधन से अधिनियम को अधिक कठोर बनाया गया है।

3. जैवीय हस्तक्षेप से वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने हेतु राज्यों की सहायता के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

4. वनों की सुरक्षा के लिए समय-समय पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारों को मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछ मार्ग-निर्देश इस प्रकार हैं :—

1. प्राकृतिक वनों की कटाई को रोकना और जहां फसलों को सुधारने अथवा अन्य वन वर्द्धनीय कार्यों के लिए इस प्रकार की कटाई अवश्यंभावी है, वहां वृक्षों की कटाई पहाड़ी क्षेत्रों में 10 हैक्टेयर तक सीमित होनी चाहिए।

2. कम से कम कुछ वर्षों के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कटाई पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करना।

3. 4% भौगोलिक क्षेत्र पर वन्यजीव अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, जैव मंडल रिजर्वों आदि जैसे संरक्षित क्षेत्र निर्धारित करना।

5. 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में समेकित जल संभर स्कीम सहित व्यापक वृक्षारोपण, सामाजिक एवं कृषि वानिकी स्कीम चलाई जा रही हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सवारी डिब्बों की मरम्मत

3450. श्री रामदुलाल चौधरी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने समय के बाद रेल डिब्बों की मरम्मत की जाती है;

(ख) उन केन्द्रों के क्या नाम हैं, जहां रेल डिब्बों की मरम्मत की जाती है;

(ग) क्या सभी केन्द्रों में डिब्बों में पंखे लगाने की सुविधा उपलब्ध है; और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने डिब्बों में गद्दियां लगाई गई ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विभिन्न किस्म के सवारी डिब्बों की ओवरहालिंग की आवर्तिता भिन्न-भिन्न है जो 12 महीने और 24 महीने के बीच होती है।

(ख) केन्द्रों (अर्थात् कारखानों) के नाम जहां सवारी डिब्बों की ओवरहालिंग की जाती है, नीचे दिए गए हैं :

रेलवे	बड़ी लाइन के कारखाने	मीटर लाइन के कारखानें
मध्य	माटुंगा	
	भोपाल	
	झांसी	
पूर्व	लिलुआ	
	कांचरापाड़ा	
उत्तर	आलमबाग	बीकानेर
	जगाधरी	जोधपुर
पूर्वोत्तर	गोरखपुर	गोरखपुर
		इज्जतनगर
पूर्वोत्तर सीमा	न्यू बोंगाईगांव	न्यू बोंगाईगांव
		डिब्रूगढ़
दक्षिण	पेरम्बूर	गोल्डन राक
		मैसूर
दक्षिण मध्य	लालगुडा	हुबली
	तिरूपति	
दक्षिण पूर्व	खड़गपुर	
	मंचेश्वर	
पश्चिम	परेल	अजमेर
	प्रतापनगर	भावनगर

(ग) जी हां।

(घ) 1991-92 के दौरान किसी भी सवारी डिब्बे में गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था करने की कोई योजना नहीं है क्योंकि परिवर्तित करने के लिए जिन सवारी डिब्बों की पहचान की गई है उन सभी 3-टियर शयनयानों में गद्दीदार शायिकाओं की व्यवस्था कर दी गई है।

चीनी मिलों को लाइसेंस मुक्त करना

3451. श्री लाइमन मरांडी : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चीनी मिलों को लाइसेंस-मुक्त करने और कृषि क्षेत्र को कुछ रियायतें देने का है जैसा कि औद्योगिक क्षेत्र को दिया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजसहायता की दोहरी नीति को वापस लेने का भी है;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रभावकारी कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तपन गगोई) : (क) से (ग) चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने या दोहरी मूल्य प्रणाली समाप्त करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) चीनी एक आवश्यक वस्तु है जिसके उत्पादन व विवरण को सुनियोजित ढंग से विनियमित करने की आवश्यकता होती है जिससे कि यह उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर उपलब्ध हो सके ।

विजयवाड़ा के लिए सांचिका कोटा

3452. श्री वी० लोभनाद्रीश्वर राव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाड़ा शहर के लिए कई महत्वपूर्ण गाड़ियों में आरक्षण कोटा पर्याप्त न होने के कारण यात्रियों को बहुत अधिक कठिनाइयां हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार विजयवाड़ा होकर गुजरने वाली सुपरफास्ट गाड़ियों में विजयवाड़ा शहर के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) विजयवाड़ा स्टेशन पर कुछ यात्री प्रतीक्षा सूची में रह जाते हैं ।

(ख) से (घ) : विजयवाडा से गुजरने वाली सुपर फास्ट गाड़ियों में उपलब्ध आरक्षित स्थान विभिन्न स्टेशनों में बांट दिया गया है जहां इसका पूरा उपयोग हो रहा है जिससे विजयवाड़ा के कोटे में फिलहाल कोई वृद्धि करने की गुंजाइश नहीं है ।

नीलाम्बर मैसूर लाइन

3453. श्री के० मुरलीधरन : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नीलाम्बर से मैसूर तक रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और उस पर क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

माध्यमिक शिक्षा का व्यवसायीकरण

3454. श्री जीवन शर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण करने तथा संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कम से कम एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कितने उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं;

(ग) दिल्ली में सभी विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू करने में हो रही देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) यह पाठ्यक्रम सभी विद्यालयों में कब तक शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है ?

मानव संसाधन विकास मन्त्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (घ) जहां तो स्तर पर सैकेण्डरी शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्र प्रयोजित स्कीम फरवरी, 1988 से प्रारम्भ की गई थी। यह कार्यक्रम 23 राज्यों और 4 संघशासित क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्तमान में संघशासित क्षेत्रों के प्रत्येक स्कूल में कम से कम एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में अब तक 148 सीनियर सैकेण्डरी स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं।

दिल्ली में प्राइवेट प्रैक्टिस करने वालों को दिशा निर्देश

3455. श्रीमती विमल कुमारी जण्डारी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के निजी चिकित्सा व्यावसायिकों को पंजीकरण की मंजूरी देने के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश निर्धारित किये गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती डी० के० जरदोशी शिवार्थ) : (क) और (ख) भारत में चिकित्सकों का पंजीकरण भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 की धारा 15 के उपबन्धों के अन्तर्गत किया जाता है।

परिषद के दिल्ली के प्राइवेट चिकित्सकों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए अलग से कोई दिशा-निर्देश निर्धारित नहीं किए हैं।

[हिन्दी]

कैलाशनगर (पूर्वी दिल्ली) में रेलवे स्टेशन

3456 श्री राम नगर : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के कैलाशनगर के निवासियों की सुविधा के लिए वहां एक रेलवे स्टेशन स्थापित करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अखिलानन्द शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली और दिल्ली शाहदरा स्टेशनों के बीच कैलाशनगर के निकट सीलमपुर में हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई थी लेकिन इसे वित्तीय दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

गुजरात की अलाभप्रद रेल परियोजनाएं

3457. श्री काशी राम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में कुछ रेल परियोजनाओं को अलाभप्रद घोषित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं से सम्बद्ध क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) और (ख) सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप गुजरात में निम्नलिखित नयी लाइनें/आमान परिवर्तन के प्रस्ताव अलाभप्रद पाए गए हैं :—

क्रम सं०	परियोजना	सर्वेक्षण का वर्ष	किलोमीटर	लागत (करोड़ रु० में)	प्राप्ति की दर
1.	भावनगर-तारापुर (नई लाइन)	1976-77	150	33.65	ऋणात्मक
2.	हारीज-राधनपुर (नई लाइन)	1970	43	2.86	ऋणात्मक
3.	गांधीधाम-भुज (आमान परिवर्तन)	1969-70	58	3.72	अलाभप्रद (10.09%)
4.	छोटा उदयपुर-प्रतापनगर तथा छूछापुरा-तनखाता (आमान परिवर्तन)	1981-82	137	44.86	अलाभप्रद (5.27%)
5	घांगध्रा-कुडा (अतिरिक्त ब० ला० लिंक)	1968	22	0.50	अलाभप्रद (0.23%)
6.	गोरा तक विस्तार सहित अंकलेश्वर-राजपीपला (आमान परिवर्तन)	1981-82	83	30.41	ऋणात्मक

[अनुवाद]

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के जनरल अस्पताल में चिकित्सा सुविधा

3458. श्री हरिन पाठक : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का जनरल अस्पताल इलाज के लिए पूर्ण रूपेण आधुनिक उपकरणों/सुविधाओं और विशिष्टताओं से सज्जित है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां । तथापि, इस समय बहुत से विशेषज्ञों के पद रिक्त पड़े हैं परन्तु उनमें से ज्यादातर पदों के लिए नियुक्ति की पेशकश की गई है तथा विशेष पदों को भरने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।

(ख) तथा (ग) यह अस्पताल चिकित्सा के विभिन्न क्षेत्र में विशेषज्ञ सेवाओं सहित निदान तथा उपचार सम्बन्धी सुविधाओं से सुरक्षित है ।

[हिन्दी]

मुम्बई में नहूर स्टेशन

3459. श्री यशवन्तराव पाटिल :

श्री गोविन्द राव निकाम : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई में मुलुन्द तथा भान्डुप स्टेशनों के बीच नहूर में रेलवे स्टेशन बनाने की मांग बहुत समय पहले से की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावित स्टेशन कब तक बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मुलुण्ड और भांडुप स्टेशनों के बीच नये हाल्ट स्टेशन खोलने के प्रस्ताव की जांच की गई है । इसे वित्तीय तथा परिचालनिक किसी भी दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया है।

भड़ौंच स्टेशन पर नवजीवन और त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था

3461. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार गुजरात में भड़ौंच स्टेशन पर नवजीवन और त्रिवेन्द्रम एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को रोकने की व्यवस्था करने के लिए लम्बे समय से की जा रही मांग पर विचार करेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता

भड़ौंच स्टेशन पर कोटा

3462. श्री चन्दूभाई देशमुख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल यात्रियों द्वारा गुजरात के भड़ौंच स्टेशन पर रुकने वाली रेलगाड़ियों में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) गाड़ियों में उपलब्ध स्थान सीमित होने और मौजूदा कोटाधारी स्टेशन कोटे का पूर्ण उपयोग होने के कारण फिलहाल इस स्टेशन को अतिरिक्त कोटा आवंटित करना व्यावहारिक नहीं है।

गुजरात के किम स्टेशन पर सुविधायें

3463. **श्री चन्दूभाई देसमुख** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में किम स्टेशन का विस्तार करने और वहां खान-पान सुविधा बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उठाये गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं

3464. **श्री कुम्भो लाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में ग्रामीण सेवाओं के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में इन योजनाओं हेतु पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित जिलेवार लक्ष्यों का वर्षवार ब्यौरा क्या है और इन्हें किस सीमा तक प्राप्त किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

समस्तीपुर में कार्यशाला

3465. **श्री राम विलास पासवान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का समस्तीपुर रेलवे कार्यशाला को बन्द करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उसके परिणामस्वरूप फालतू हुए कर्मचारियों को अन्य क्षेत्रों में खपाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) जी, नहीं। मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिए जाने के कारण कार्य घट जाने से समस्तीपुर स्थित मीटर लाइन के रेल कारखाने का कार्यभार कम हो जाने की सम्भावना है।

(ग) फालतू कर्मचारी, यदि कोई होंगे, रेलों के अन्य विभागों में समाहित कर लिए जायेंगे।

[हिन्दी]

झांसी और भोपाल मण्डल में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

3466. **श्री राजेन्द्री अग्निहोत्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झांसी और भोपाल मण्डल में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने सम्बन्धी कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) इन मामलों को निपटाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे वयस्क बच्चों को अनुकम्पा के आधार पर रोजगार देने की कोई व्यवस्था है जिन्हें अपने माता पिता की मृत्यु के समय अवयस्क होने के कारण अनुकम्पा के आधार पर रोजगार नहीं दिया जा सका था; और

(घ) यदि हां, तो झांसी और भोपाल मण्डल में ऐसे कितने मामले लम्बित पड़े हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) झांसी मण्डल में 103 आवेदन और भोपाल मण्डल में 35 आवेदन ।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियां करने में विलंब सामान्यत: उपयुक्त रिक्तियों की अनुपलब्धता, विशेषकर अशिक्षित विधवाओं के मामले में, आवेदकों के अवयस्क होने, अपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने आदि के कारण हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) झांसी और भोपाल मण्डलों में एक-एक मामला ।

[अनुवाद]

जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में छात्रों का दाखिला

3467. श्री राम विलास पासवान : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में कितने छात्रों को दाखिला दिया गया और उनमें से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस विश्वविद्यालय के प्रत्येक पाठ्यक्रम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा दी गई सूचनानुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठयक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या व उन छात्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या निम्नलिखित अनुसार है :—

वर्ष	विभिन्न पाठयक्रमों में नामांकित छात्रों की संख्या	अनु०जा०/अनु०ज०जा० छात्रों की संख्या	
		अनु०ज०	अनु०ज०जा०
1989-90	4,721	362	54
1990-91	5,239	387	34
1991-92	5,792	403	64

(ख) विश्वविद्यालय ने सूचित किया है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनु० जा० तथा अनु० ज० जा० छात्रों के प्रवेश के लिए निर्धारित कोटा क्रमशः 15% व $7\frac{1}{2}$% है।

कुर्ला टर्मिनल

3468. **श्री राम नाईक :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेलवे के कुर्ला टर्मिनल के कब तक पूरा तथा चालू हो जाने की सम्भावना है; और

(ख) विद्या विहार स्टेशन तथा कुर्ला टर्मिनल के बीच उपरिपुल का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) टर्मिनल का चरण-I स्टेज-I नवम्बर 1991 में चालू कर दिया गया। विवादग्रस्त भूमि के बारे में उच्च न्यायालय/उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय कर दिए जाने के बाद ही चरण-I स्टेज-II पर आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(ख) विद्या विहार और कुर्ला टर्मिनल के बीच फ्लाई ओवर का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात की परियोजनाएं

3469. **श्री हरि सिंह चावड़ा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात की रेल परियोजनाओं के सम्बन्ध में गुजरात के संसद सदस्यों का कोई प्रस्ताव तथा योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

रेल परियोजनाओं के सम्बन्ध में गुजरात से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :

क्रम सं०	प्रस्ताव का नाम	लम्बाई	अनुमानित लागत	टिप्पणी
1.	राजकोट-वेरावल (आमान परिवर्तन)	188 कि० मी	185 करोड़	आठवी योजना में शुरू किये जाने का प्रस्ताव है।
2.	गांधीधाम-भुज (आमान परिवर्तन)	58 कि० मी०	43 "	वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद।
3.	भावनगर-तारापुर (नई लाइन)	150 कि० मी०	150 "	—वही—
4.	नवलाखी-मोरवी-वांकानेर (आमान परिवर्तन)	92 कि० मी०	75 "	कम यातायात प्राप्त होने की संभावनाएं।
5.	वलसाड-धरमपुर-नासिक (नई लाइन)	132 कि० मी०	200 "	कम यातायात प्राप्त होने की संभावनाएं।
6.	प्रतापनगर-छोटा उदयपुर (छोटी लाइन से बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन)	100 कि० मी०	75 "	वित्तीय दृष्टि से अलाभप्रद।

1	2	3	4	5
7.	बाहोद में पहिया और धुरा संयंत्र की स्थापना			वित्तीय संसाधनों की तंगी के कारण रेलवे क्षेत्र में पहियों और धुरों के निर्माण के लिए किसी नई इकाई की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। पहिया और धुरा संयंत्र, बेंगलूरु और दुर्गापुर इस्पात की मौजूदा इकाइयों की क्षमता बढ़ायी जा रही है तथा शेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों से भी संपर्क स्थापित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बस्ती स्टेशन के लिए कोटा

3470. **श्री रामपाल सिंह** : क्या रेल मन्त्री बस्ती स्टेशन के लिए आरक्षण कोटा 17 दिसम्बर 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4164 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण कोटे का कितनी अवधि के भीतर उपयोग कर लिया जाना चाहिए; और

(ख) वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या इस कोटे में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आरक्षण कोटे के उपयोग की विचारार्थ अवधि सितम्बर, 1990 से फरवरी, 1991 तक थी।

(ख) कोटे के उपयोग की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जहां-कहीं औचित्यपूर्ण और व्यावहारिक पाया जाता है, वहां कोटे में वृद्धि कर दी जाती है, बस्ती के कोटे में वृद्धि करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

उत्तरी रेलवे के रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल

3471. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम रेलवे के अलवर तथा उत्तर रेलवे के फफूंद रेलवे स्टेशनों पर बुक स्टाल की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो इन स्टेशनों पर अलग-अलग ऐसे स्टालों की संख्या क्या है तथा ठेकेदारों के साथ हुए समझौतों की शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) अलवर तथा फफूंद स्टेशनों पर एक-एक बुक स्टाल उपलब्ध है। करारों की शर्तें वही हैं जो रेलों पर इसी तरह के बुक स्टालों के मामले में लागू हैं।

लखनऊ और दिल्ली के बीच रेल यातायात

3472. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-लखनऊ रेल मार्ग पर भारी यातायात को देखते हुए इस रेल मार्ग पर अतिरिक्त रेल लाइन बिछाने तथा कुछ और रेलगाडियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आदिवासियों की सहायता

3473. कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन्य जीव अधिनियम, 1991 का वनों में रह रहे आदिवासियों की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें आवश्यक सहायता देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) बढ़ती हुई मानव जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए वनों को उपयोग में लाने और वन उत्पादों का अनियंत्रित दोहन होने के कारण देश में कई वर्षों से वन्यजीव वासस्थलों का गम्भीर ह्रास हुआ है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम में एक उपबंध बनाया गया है कि किसी भी वन्यजीव का दोहन जिसमें वासस्थलों के वनस्पति वाला हिस्सा भी शामिल है, को नष्ट, अतिग्रस्त या दोहन तब तक न किया जाए जब तक कि ऐसा करना अभयारण्य में वन्यजीवों के बेहतर प्रबन्ध के हित में न हो। इससे न केवल विगत में हुए प्राणिजात और वनस्पतिजात के अत्यधिक दोहन के घाव भरने और मृदा एवं जल संरक्षण जैसी पारि-प्रणाली की जीवन सहायक प्रक्रियाओं की बहाली में मदद मिलेगी बल्कि आदिवासियों सहित स्थानीय लोगों को भी दीर्घकालीन लाभ पहुंचेगा।

[अनुवाद]

आयातित कृषि उत्पादों के मूल्य

3474. श्री निर्मल कांति चटर्जी :

श्री हारावन राव : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान गेहूं, कपास आदि जैसे विभिन्न कृषि उत्पादों के आयात के लिए किए गए भुगतान की राशि क्या है;

(ख) देश में थोक और/अथवा खरीद मूल्यों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात से कितनी राशि प्राप्त हुई ?

खाद्य मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री लखन गंगोई) : (क) सरकार ने अब तक वर्तमान कपास वर्ष (सितम्बर 1991—अगस्त 1992) के दौरान न तो कपास का कोई आयात किया है और न ही वर्तमान वित्तीय वर्ष 1991-92 के दौरान गेहूं का कोई आयात किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1991-92 (29-2-92 तक) के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लागत और भाड़ा आधार पर अधिकांशत: लगभग 116 अमरीकी डालर प्रति मीट्री टन की दर पर गेहूं का निर्यात किया गया है, जबकि राज्य व्यापार निगम द्वारा जहाज तक निष्प्रभार आधार पर अधिकांशत: लगभग 95 अमरीकी डालर प्रति मीट्री टन की दर पर गेहूं का निर्यात किया गया है।

गेहूं के बिक्री मूल्य में वृद्धि

3475. **श्री ब्रह्मानन्द मण्डल** : क्या **खाद्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गेहूं आयात करने का निर्णय लिए जाने के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से गेहूं के बिक्री मूल्य में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : न्यूनतम समर्थन मूल्य और हैंडलिंग लागत आदि में वृद्धि हो जाने के कारण लागत में वृद्धि को आंशिक रूप से निष्प्रभावी करने की दृष्टि से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य (भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से) को 28-12-1991 से बढ़ा दिया गया है ।

[हिन्दी]

तेनाली-गुन्टूर परिक्रमा रेलवे

3476. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने विजयवाड़ा डिवीजन में तेनाली-विजयवाड़ा और गुन्टूर के बीच परिक्रमा रेल चलाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र और कर्नाटक में देवदासी प्रथा समाप्त करने के लिए वित्तीय सहायता

3477. **श्री यशवन्तरा वपाटिल** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार ने देवदासी प्रथा को समाप्त करने हेतु कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजनार्थ कितनी सहायता देने का विचार है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने वृद्ध देववासियों को सहायता के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथ महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बैनर्जी) : (क) से (ङ) जी, नहीं । किन्तु पश्चिमी महाराष्ट्र विकास निगम, पुणे और कर्नाटक की राज्य सरकार ने 1987-88 के दौरान देवदासियों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता मांगी थी । सांगली जिले के जाठ क्षेत्र में 20 देवदासियों को और कोल्हापुर जिले

में गांधीग्रामोद्योग में 45 देवदासियों को बुनाई के व्यवसाय में प्रशिक्षण देने के लिए पश्चिमी महाराष्ट्र विकास निगम, पुणे को 11.30 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई थी। 155 देवदासियों को प्रशिक्षित करने के कर्नाटक राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि वह प्रस्ताव अपूर्ण था। वृद्ध देवदासियों के लिए अलग से कोई विशेष योजना नहीं हैं। उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता देने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते कि वे इसकी पात्र हों।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि गत रात्रि को सदस्य 2.00 बजे तक बैठे रहे क्योंकि हम उन्हें अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहते थे। मुझे बताया गया है कि कल यह निर्णय लिया गया था कि प्रश्न-काल के तुरन्त बाद रेल मन्त्री का भाषण प्रारम्भ हो जाएगा। इस तरह का समझौता हुआ था। उनके उत्तर के बाद ही हम नियमित कार्रवाही प्रारम्भ कर सकेंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते कि वे हमारे प्रस्तावों को भी स्वीकार करें।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, इसी सम्बन्ध में मेरा आग्रह है कि श्री गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि प्रश्न-काल के बाद मन्त्री जी रिप्लाई देंगे और आज जितनी देर तक बैठना है तो बैठें। आज सबेरे मैम्बर्स को यह था कि जीरो-आवर के बाद थोड़ी देर के लिए चलेगा और दो बजे वोटिंग होगी। बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें हैं यह हैं कि जो कर्मचारी डिसमिस हुए थे तो उसके सम्बन्ध में कट-मोशन दिया है और हमने अपने मैम्बर्स से दो बजे रहने के लिए कहा है। मैं अपोजिशन की तरफ से कहना चाहता हूं कि आप हर हालत में मन्त्री जी का रिप्लाई दो बजे दीजिए।...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री निर्मल कांति चटर्जी : कल यह घोषणा की गई थी कि उत्तर तथा इसके साथ-साथ मतदान 2.00 बजे होगा।

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : हम इस बारे में दबाव नहीं देना चाहते कि रेल मन्त्री अपना उत्तर अभी दें।

अध्यक्ष महोदय : हम एक काम करते हैं। अब हम 1.00 बजे तक अपना ऐसा कार्य कर लेते हैं जिसे सूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तब मध्याह्न भोजन के लिए ले जाएंगे और फिर 2.00 बजे वे उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने एक नोटिस दिया है कि आज अखबार में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के मिसयूज के सम्बन्ध में आया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री शेषन जी जा रहे थे और रास्ते में एक गाड़ी वाले ने उनको जगह नहीं दी। इस कारण वे गाड़ी के आगे जाकर रुके और रुकने के बाद उन्होंने अपने गार्ड से कहा कि तुम इसके ऊपर गोली चलाओ और जब गोली नहीं चलाई तो

उसको दे गाली देने का काम किया गया। जब उनके सीनियर अफसर मिलने के लिये आये तो उनको दो घंटे तक खड़ा किया गया। वैसे हमने इम्पीचमेंट मोशन दिया है, जो आपके पास लम्बित है।

लेकिन वह अपने पद पर रहें या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन उस पदाधिकारी के पास राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड नहीं रहने चाहिए, वापस लेने चाहिए। नहीं तो किसी दिन हम चुनाव आयुक्त के पास पहुंच गए, हम पर चढ़वा दिया तो हम गये काम से। इसलिए इसको गम्भीरतापूर्वक लीजिये। (व्यवधान)

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : ** । इनके खिलाफ इम्पीचमेंट का केस लाइये। **(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक कांस्टीट्यूशनल अथारिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप एक ऐसी अथारिटी के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसका संविधान में उल्लेख है। आप समाचारपत्र के समाचार के आधार पर यह बात कह रहे हैं। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि क्या आप इसे सत्यापित कर सकते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं? (व्यवधान)

[हिन्दी]

मैंने इस बारे में नोटिस दिया था और कहा था·····

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इसे सत्यापित करने को तैयार हैं?

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : हम इसको एथेंटिकेट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इस चीज की जानकारी मुझे पांच-सात रोज पहले मिली थी। मुझे कई लोगों ने आकर कहा कि इस प्रकार की घटना घटी है, सरकार के पास इसकी रिपोर्ट है, लेकिन वह कुछ नहीं कर रही है।

मैंने अपने ढंग से जानकारी हासिल करने का प्रयास किया तभी यू० एन० आई० ने इस बात को सर्कुलेट करने का काम किया, वह एक जिम्मेदार एजेंसी है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने शब्दों पर जायें।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं यहां कहे गये अपने प्रत्येक शब्द पर अडिग रहूंगा।

[हिन्दी]

लेकिन मैं आपके सामने एक कांस्टीट्यूशनल अथारिटी को इम्पीच करने की बात नहीं छेड़ रहा हूं, यह अलग मामला है। क्या कोई भी सरकार का आदमी कितनी भी कांस्टीटयूशनल गारंटी को लेकर अपने काम को करने वाला है, वह पुलिस को कह सकता है कि मेरी गाड़ी को आगे जाने के लिए रोका इसलिए इस पर गोली चलाओ। मैं गृह मन्त्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि शेखन के खिलाफ पुलिस

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

स्टेशन में एफ० आई० आर० तत्काल दाखिल की जाये। हिन्दुस्तान का जो कानून है उस कानून का अमल उस व्यक्ति पर भी होना चाहिए। क्योंकि हिन्दुस्तान में यह जो सिलसिला चला है आप बड़े आदमी हो गये, बड़े मन्त्री या अधिकारी हो गये आपके लिए कानून लागू नहीं होगा। यह चीज बर्दाश्त करने के लिये नहीं छोड़नी चाहिए। मैं आपके माध्यम से गृह मन्त्री से कहना चाहता हूं कि आप एफ० आई० आर० दाखिल करें, क्योंकि आपके पास रिपोर्ट है, इसकी मुझे जानकारी है। अगर आपने नहीं दाखिल की तो कब करने जा रहे हैं यह बताएं। अध्यक्ष जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हिन्दुस्तान के संविधान और इस संविधान के अन्तर्गत बनाये गये कानून अमीर हो या गरीब या बड़ा अफसर हो, भले ही उसको कांस्टीट्यूशनल प्रोटेक्शन हो, उसको बर्दाश्त न करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब आप बहुत ही दूर जा रहे हैं। मैं तथ्यों को जाने बिना किसी से शिकायतें दर्ज करने के लिए नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : फैक्ट्स हैं उनके पास, वे कहें कि गलत है। मैं आपसे कह रहा हूं.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसके बारे में पता नहीं है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : गृह मन्त्री यह वक्तव्य दे दें कि यह गलत है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग बात है।

[हिन्दी]

मेरे पर बिला वजह जिम्मेदारी न डालें।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इस सदन में कानून पारित हुआ था कि हिन्दुस्तान के प्रधान मन्त्री अपराध करें तो वे अपराधी नहीं माने जायेंगे, लेकिन इसी सदन में उस कानून को खत्म किया गया था और यह कहा था कि भारत के संविधान के अन्तर्गत इस देश का हर व्यक्ति समान है। वह पद पर बैठा हो, अपने की गरिमा रखे, अपने पद की जिम्मेदारी संभाले। लेकिन पद पर बैठा हुआ कानून का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह संविधान की राय नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि गृह मन्त्री को बुलाइये। जो फौजदारी करनी है वह करने का आदेश दें, जो एन० एस० जी० दिया है उसको वापस लेना चाहिए, किसी प्रकार का पिस्तौल या बन्दूक का लाइसेंस वापस लेने का आदेश दें।

[अनुवाद]

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के बहुत से सदस्यों व इसके साथ-साथ स्वयं इस माननीय सदन के सम्मान और मर्यादा से जुड़े एक गम्भीर मामले की ओर आपका कृपाध्यान अवश्य ही आकर्षित किया गया होगा। 15 मार्च को दिल्ली तथा कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले एक प्रख्यात अंग्रेजी दैनिक के एक कालम में 'एल आई सी इट' शीर्षक के अन्तर्गत इसके अंतर्गत इसके लेखक ने 29 फरवरी अर्थात बजट के प्रस्तुत किये जाने वाले दिन सदन में उपस्थित बहुत से सदस्यों के बारे में अत्यन्त अपमानजनक टिप्पणियां की है।

इस माननीय सदन के सदस्यों को 'चीखने-चिल्लाने वाले बुच्चों की भीड़' कहा गया है। उन्होंने

कुछ और टिप्पणियां भी की हैं और यह कहा है "यह साम्यवादियों व उनके सहयोगियों का तथा समाजवाद के नाम पर उनके द्वारा किए जा रहे गैर-कानूनी कार्यों आदि का अनुशासन हीनता तथा आवारगी का अशोभनीय प्रदर्शन था।"

महोदय, मेरे विचार से और जैसाकि बहुत से सदस्यों का विचार है, कि इससे इस सदन के बहुत से सदस्यों और यहां तक कि स्वयं इस सदन के सम्मान और मर्यादा को इससे भारी क्षति पहुंची है।

ऐसा प्रतीत होता है कि सदस्यों को अपमानित करने तथा सदस्यों व इस सदन के प्रति अनादर दर्शाने के उद्देश्य से उपरोक्त टिप्पणियां जानबूझ कर की गई हैं। हमें इस बात से बौहरा आघात पहुंचा है कि लेखक इस सदन के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं और वे स्वतन्त्र पार्टी के नेता भी थे। हम इनके विचारों से व इनकी परिकल्पनाओं से परिचित हैं। इनके साम्यवाद विरोधी तथा जन-विरोधी प्रबल इरादों को हर कोई जानता है। लेकिन महोदय, इस संस्था को तथा इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को अपमानित करने के ऐसे प्रयासों से इस सदन के सदस्यों के अपने कार्यों को स्वतन्त्र रूप से व सचेत हो कर निपटाने के अधिकारों पर प्रहार होता है।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया मुझे विशेषाधिकार प्रस्ताव रखने व इसे विशेषाधिकार समिति को भेजने की अनुमति प्रदान करें। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री हम्माद मोल्लाह (डलूबेरिया) : मैंने एक विशेषाधिकार सूचना दे रखी है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत सी विशेषाधिकार सूचनायें मिली हैं। श्री खण्डूरी।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी.....

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, ऐसा था कि जो श्री जार्ज फर्नान्डीज ने सवाल उठाया था और मैं आपकी बात मानता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांस्टीट्यूशनल पोजीशन में रहते हैं। इसलिए कि एक चीज आगे आये। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में श्री अर्जुन सिंह जी, श्री गुलाम नबी आजाद यहां बैठे हैं, इस पर कम से कम हाउस के उठने के पहले कुछ तो बयान आ जाना चाहिये कि सरकार के बारे में क्या व्यूज हैं? तो इसलिए जो ये गलतफहमियां हुई हैं, हो सकता है कि इसमें स्पष्टीकरण आ जाये देश के सामने। इस चीज से आपको लगता होगा कि यह अच्छी बात नहीं.....

अध्यक्ष महोदय : अन्त में यहां पर कुछ हमारे कांस्टीट्यूशन में कुछ पद निर्माण किये हैं और उसके ऊपर किसी की नियुक्ति हो जाती है और उनके खिलाफ अगर कुछ करना है तो एक विशेष पद्धति से कार्यवाही करने की योजना है अगर उन्होंने एक व्यक्ति के रूप में कुछ किया है तो उसके लिये बाहर का कोर्ट है, उसके लिए बाहर इन्वेस्टीगेटिंग अथारिटी हैं। इसके बावजूद भी अगर किसी सम्माननीय सदस्य ने यहां पर बात उठायी है और उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी इन्होंने न्यूज पेपर्स में पढ़ा है, वह सही है तो उसके लिये रोका-टोकी तो नहीं की है। मगर मेरी हमेशा के लिये यह विनती रहेगी कि ऐसी चीजों के बारे में हम किस हद तक जायें किस हद तक न जायें, वह आपका सवाल है। आप जैसा चाहें, वैसा कर सकते हैं। अगर न्यूज पेपर्स में बात आयी, यह सही तो बात हो जाती है कि मिनिस्टर

के साथ जो सम्माननीय सदस्य बात करना चाहते हैं तो पूछ लेते हैं कि यह सही है या झूठ है और उसके बाद यहां उठाते हैं, वह उन्होंने नहीं करने दिया।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : जब भी हमने सवाल उठाया, सही निकला···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको रोका नहीं है·····

श्री राम विलास पासवान : हमने जब भी सवाल-उठाया है सही निकला है। हम लोग सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि श्री गुलाम नबी आजाद और श्री अर्जुन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं कि अखबार में जो निकला है, क्या इससे सरकार की क्रेडिटेबलिटी नहीं घटती है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको रोका नहीं, आपको बोलने दिया है। आपने सारी बातों का हवाला दिया है·····

श्री राम विलास पासवान : हम यही कहते हैं कि जो अखबार में निकला है, उस पद की मर्यादा खत्म होती है। इसलिए वैसे पद की मर्यादा कायम रखी जाए। आज सरकार को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिए कि क्या सैंगन वर्सेस सैंगन होगा ?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यदि हमें गुण्डा कहा जाता है तो हम किस तरह से कार्य कर सकते हैं ? क्या आपको आघात नहीं पहुंचा है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि अन्य सदस्यों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ? (व्यवधान) मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ? क्या आप यह चाहते हैं कि हमें गुण्डा कहा जाए। यदि इसकी आज्ञा दे दी जाती है तो हर रोज इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री लैफ्टीन चौधरी (कटवा) : यह विशेषाधिकार का हनन है; इसे शीघ्र ही विशेषाधिकार समिति को भेजा जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : माननीय सदस्य ने जिस मुद्दे को उठाया है, वह बहुत ही गम्भीर है। कम से कम आपको इस पर अपनी टिप्पणी तो देनी ही चाहिए क्योंकि यदि कोई भी संसद के सदस्यों को गुण्डा कहता है और कोई भी समाचार-पत्र चाहे वह कितना भी प्रख्यात क्यों न हो, इस बात को प्रकाशित करता है तो क्या इस पर आपकी टिप्पणी अपेक्षित नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं दूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : किसी भी सदस्य द्वारा किसी भी समाचार-पत्र में दिया गया यह एक गैर-जिम्मेदाराना वक्तव्य है; और यदि यह प्रथा जारी रही तो मैं नहीं जानता कि इस सदन की मर्यादा को किस तरह से कायम रखा जा सकता है। यह कोई इस तरह का मामला नहीं है कि जिसका केवल उल्लेख कर दिया जाए। आप यह मामला तत्काल ही विशेषाधिकार समिति को भेज दें अथवा लेखक की निंदा करें, समाचार-पत्र की भर्त्सना करें। कुछ न कुछ तो किया ही जाना चाहिए; इस बात की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती कि समय आएगा और इस मामलों पर विचार किया जाएगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : यह एक लेख था; यह कोई समाचार नहीं है; यह हस्ताक्षरित लेख है और इसलिए आपको कम से कम यह तो करना ही चाहिए कि आप इस सदस्य को लिखें, क्योंकि वे इस सदन के भूतपूर्व सदस्य रहे हैं। कम से कम आपको इस सदस्य को लिखकर इस बात का पता तो लगाना ही चाहिए। कम से कम ऐसा तो आपको करना ही चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कहना चाहता हूं। श्री चन्द्रशेखर ने मुझे कुछ टिप्पणी करने को कहा है। मैं टिप्पणी करूंगा। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : मेरे विचार से यह केवल गम्भीर ही नहीं अपितु बहुत ही चिन्ताजनक मामला है; और मैं समझता हूं कि पूरी गम्भीरता में इस सदन को मामले की गहराई तक जाना चाहिए और यदि इसमें विशेषाधिकार का हनन हुआ है, तब उचित कार्रवाई की जानी चाहिए; और मैं इस मांग का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं समझता हूं कि यह बात स्पष्ट है कि 'द्वी स्टेट्समैन' ने इसे प्रकाशित किया है। इस कालम के लेखक ने स्वेच्छा से, जान बूझकर इस सदन को अपमानित करने के लिए यह टिप्पणी की है। इससे इस सदन का अनादर तथा विशेषाधिकार का हनन हुआ है। इसलिए विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाने के लिए यह एक स्पष्ट मामला है।

श्री सुदर्शन राय चौधरी (सीरमपुर) : यह एक गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री सुदर्शन राय चौधरी : आपको याद होगा कि श्री वी० पी० सिंह, श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य कई नेता आपकी अनुमति से बोले हैं। इससे पूर्व कि वित्त मंत्री अपनी टिप्पणी रखें व अपना भाषण दें, विपक्ष, राष्ट्रीय मोर्चा व वामपंथी दलों के इन गणमान्य नेताओं ने गुण्डा शब्द कहे जाने के बारे में अपने-अपने विचार रखे हैं। मामला बहुत ही गम्भीर है। मुझे इस बात का दुख है कि यह शब्द एक ऐसे सदस्य द्वारा कहे गए हैं जो संसद के भूतपूर्व सदस्य हैं। उन्हें विशेषाधिकार तथा विशेषाधिकार के हनन के बारे में अवश्य ही जानकारी होगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आपने मुझे भारतीय प्रैस परिषद के लिए मनोनीत किया था इस तरह की सभी बातें कही जा रही हैं। वास्तव में हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते क्योंकि कोई दिशा निर्देश ही नहीं है समाचार-पत्रों में कही गई ऐसी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता। अब यदि सांसदों के बारे में इस बात को कहने की अनुमति दे दी जाती है और वह भी कुछ बड़े नेताओं के बारे में तो मैं नहीं जानती कि भारतीय प्रैस परिषद किस तरह से कोई कार्य कर पाएगी। अब तक आप इस मामले की ओर ध्यान नहीं देते और इस सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं करते तो मैं यह कहना चाहूंगी कि तब तक इन समाचारपत्र वालों को यह समझ नहीं आएगा कि उन्हें निष्पक्ष रहने के लिए किसी के आदेशों का पालन करना है।

श्री गुलाम हसन बाबाबादी (श्रीनगर) : दो मुद्दे उठाए गए हैं। अखबार के समाचार से सम्बन्धित पहला मुद्दा, जो कि आज प्रातःकाल के समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है और मुझे यकीन है कि सभी समाचार-पत्रों ने इसे छापा होगा क्योंकि न्यूज एजेन्सियों द्वारा इसे परिचालित किया गया है। मेरे विचार से ऐसी स्थिति में सरकार का यह दायित्व बनता है कि उस रिपोर्ट की सत्यता अथवा असत्यता का पता लगाए, और यदि वह असत्य हो तो तत्काल इस पर अपना स्पष्टीकरण अथवा विरोध प्रकट करे; क्योंकि आखिरकार जैसा कि आपने कहा है, सम्बन्धित व्यक्ति को कुछ संवैधानिक संरक्षण प्राप्त हैं जिसके कारण हम साधारणतः ऐसे मामले को सदन में नहीं उठा सकते।

[अनुवाद]

और, इसलिए, सरकार के लिए तथ्यों का पता लगाना और भी अधिक आवश्यक है क्योंकि यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एन० एस० जी०) से सम्बन्धित है, और यह भारत सरकार, गृह मंत्रालय के

निर्वाचनाधीन आता है। यह प्रश्न मात्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त से ही सम्बन्धित नहीं है, जिनके बारे में निःसंदेह आपने हरेक को यह सही मार्गदर्शन दिया था कि इस मुद्दे को नहीं उठाया जाना चाहिए; परन्तु जहां तक एम० एस० जी० से सम्बन्धित समाचार में, और उस व्यक्ति से सम्बन्धित एक समाचार जो स्वयं का बचाव भी नहीं कर सकता का सम्बन्ध है, यह सरकार का कर्त्तव्य है कि तथ्यों के साथ सभा के सामने आए। अतः, मैं समझता हूं कि अब क्योंकि यह मामला केवल प्रचार-माध्यमों में ही नहीं बल्कि संसद में भी उठ चुका है, अतः सरकार स्पष्टीकरण दे कि तथ्य क्या हैं। इसके बाद आपको निर्णय करना होगा कि इस बारे में क्या करना है।

जहां तक दूसरे मामले का सम्बन्ध है, यह निश्चय ही हैरानी की बात है कि कोई भाषा, जो समूचे तौर पर संसद सदस्यों की ही निंदा करती है, का एक समाचार-पत्र में प्रयोग किया जाए। परन्तु यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में सम्बन्धित सदस्य जिसने इसे पढ़ा है —क्योंकि इसका थोड़ा-सा भाग ही पढ़ा गया था और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, और एक समाचार-पत्र का हवाला दिया गया था, यानि विशेषाधिकार का एक नया नोटिस दिया गया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस पर विचार करेंगे।

मुझे याद आता है कि भारतीय संसद और हाऊस आफ कामन्स दोनों ही में सदस्यों और संसद के बारे में अक्सर ऐसे उग्र विशेषणों का प्रयोग किया जाता है जिन पर संसद ने ध्यान नहीं देना ही आवश्यक समझा है और उन विशेषणों की संसद ने उपेक्षा करना ही बेहतर समझा है यह सब विशेषतः इस बात पर निर्भर करता है कि कोई शब्द किस सन्दर्भ में प्रयोग किया गया है। मैं ऐसे अनेकों विशेषणों की याद करवा सकता हूं जो संसद के बारे में प्रयोग किए गए हैं और जिन पर समूचे संसद ने यह कहा है, "हम इनकी अनदेखी कर देंगे।"

केवल तीन अथवा चार वर्ष पहले जब मैं दूसरे सदन (यानि राज्य सभा) का सदस्य था, मुझे याद है कि सभापति महोदय ने एक व्यवस्था दी थी कि "यद्यपि प्रयुक्त किए गए यह शब्द अत्यधिक आपत्ति जनक हैं, परन्तु अगर हम इनकी बिल्कुल ही उपेक्षा कर दें तो ये शब्द संसद की मर्यादा को बढ़ाएंगे।" यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आपको निर्णय लेना है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह कोई बच्चे नहीं हैं। वह अपने द्वारा प्रयुक्त किए गए शब्दों का महत्त्व समझते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मुझे पता नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्री मीनू मसानी कोई बच्चा थोड़े ही हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : ओह ! श्री मीनू मसानी !

फिर तो मैं यह आप पर ही छोड़ता हूं कि एक उचित निर्णय करें क्योंकि जिस लेख का अभी-अभी जिक्र किया गया है, उसे मैंने पढ़ा नहीं है।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष जी, ध्यान देने की बात है कि जिन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है, इस सदन के सदस्य रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : मीनू मसानी का लेख मैंने भी नहीं पढ़ा है लेकिन मीनू मसानी हमारे साथ इस सदन के सदस्य थे और सदन की परम्पराओं और सदन की नियमावली का

पालन करने में पूरी तरह पारंगत थे। अब वे सदन में नहीं हैं, उनकी उम्र भी बढ़ गई है। वे दूर से बैठ कर जब सदन को देखते हैं तो शायद उन्होंने ऐसी बात लिख दी होगी जो नहीं लिखनी चाहिए। मगर लिखने वाले मीनू मसानी हैं, हमें यह सोचकर उसको नजरअन्दाज कर देना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : मैं एक जानकारी देना चाहता हूं। कई वर्ष पहले बम्बई में एक समाचार-पत्र ने आचार्य कृपलानी विरुद्ध 'लूनी' के नामक शब्द का प्रयोग किया था। लूनी शब्द पर विशेषाधिकार का एक मुद्दा उठाया गया था और उस समाचार-पत्र के संपादक को सभा के समक्ष बुलवाया गया था और उसकी प्रताड़ना की गई थी और मैं समझता हूं कि समस्त सभा को "गुण्डागर्दी करने" कहना एक गम्भीर मामला है और चाहे श्री मीनू मसानी ने ही ये शब्द क्यों नप्रयोग किए हों, मैं समझता हूं कि उन्हें किसी प्रकार की प्रताड़ना दी जानी चाहिए, चाहे वह एक हलकी सी की प्रताड़ना ही क्यों न हो।

डा० कीर्तिकेश्वर पात्र (बालागोर) : अध्यक्ष महोदय, जिस शब्द पर हमने चर्चा की है, वास्तव में यह एक गम्भीर मामला है और हम गम्भीरतापूर्वक यह महसूस कर रहे हैं कि इस मामले को गम्भीरता से लिया जाना चाहिए; और आपको अपना निर्णय देना चाहिए कि क्या इस मामले में विशेषाधिकार का हनन निहित है। यदि यह विशेषाधिकार हनन का मामला है, तो संपादक को यहां बुलाया जाना चाहिए और उसे स्पष्टीकरण देने को कहा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह एक वृद्ध व्यक्ति हैं।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र : इसे समूची सभा के विशेषाधिकार के हनन का मामला समझा जाना चाहिए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मेरे विचार में आपको हमें इस बारे में और अधिक अवगत कराना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष जी, यह लेख श्री मीनू मसानी के द्वारा लिखा गया है, जो स्वतन्त्रता संग्राम के बहुत बड़े योद्धा थे और इस पार्लियामेंट नामक संस्था की उत्पत्ति में भी उनका योगदान रहा है। इसलिए ऐसे अगर किसी बड़े आदमी के द्वारा कोई बात लिख दी गई हो, तो मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात से सहमत हूं कि हमें उसे इगनोर कर देना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि ऐसे शब्द फिर किसी द्वारा बोले जाएं तो क्या तब भी उनकी अपेक्षा कर दी जाएगी ? अतः, यह एक मनोवृत्ति का प्रश्न है, संसद के साथ कैसे व्यवहार किया जाना है, सदस्यों द्वारा बीच में बोले जाने का कैसे वर्णित करना है। यदि किसी को कोई एतराज हो, तो निःसंदेह उसे वह एतराज उठाने का हक है। एक प्रश्न पर, हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर, कोई भी यह कह सकता है कि यह मुद्दे असंबंधित हैं। परन्तु यह कहना कि हम गुण्डागर्दी कर रहे हैं; और यदि, गणमान्य संसद-सदस्य यह कह दे कि ऐसी टिप्पणियों की अनदेखी कर दें क्योंकि कोई यहां पर था तो यह अच्छा नहीं है। मैं इन शब्दों को और भी अधिक महत्त्वपूर्ण और गम्भीर समझता हूं क्योंकि ये शब्द एक ऐसे भद्र पुरुष कहे हैं जो यदि सभा के सदस्य थे और जिनका भाषा पर नियंत्रण है। उन्हें

अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से आती है उन्होंने जान बूझकर अपने राजनैतिक अभिसंसाओं के कारण हमारी भर्त्सना करने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने दें।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। उसने जानबूझ कर यह लिया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से, अध्यक्ष को बोलना नहीं चाहिए। परन्तु किन्हीं मामलों में अध्यक्ष को बोलने पर मजबूर होना पड़ता है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप सभा की प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आक्रोश शांत करने, कभी-कभी अध्यक्ष के लिए बोलना भी चाहिए और यदि कोई गलतफहमी हो, तो उसे दूर किया जाना चाहिए। हां, मुझे विशेषाधिकार का केवल एक नहीं बल्कि अनेकों नोटिस प्राप्त हुए हैं। यदि आप नोटिस को पढ़ें और आपने समाचार-पत्र भी पढ़ा है तो शब्द बहुत स्पस्ट हैं और कोई भी कभी निकल सकता है। ऐसे मामलों में हम आमतौर पर सम्बन्धित व्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात फिर हम एक निर्णय लेते हैं। कई माननीय सदस्य मेरे पास आए थे और उन्होंने इस मुद्दे को सभा-पटल पर उठाने के लिए आग्रह किया था। मैंने कहा था, कि यह अच्छा होगा यदि आप मुझे कुछ समय दें। परन्तु उन्होंने कहा कि वे इस मामले को उठाएंगे और उन्होंने सभा पटल पर इसे उठाया है। मेरे विचार से हर सदस्य आत्मसंयम और जिम्मेदारी से बोला है। किसी को भी सभा-पटल पर इस प्रकार के मामले उठाने के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना है। और मुझे भी इस मामले में कुछ बोलने के लिए ठीक ही कहा गया है।

जैसाकि हम सभी जानते हैं कि इस लेख का लेखक एक बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति हैं। वह सभा के सदस्य रहे हैं और एक प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और भाषण को एक बड़े ही दक्ष तरीके से प्रयुक्त कर सकने वाले व्यक्ति हैं। फिर भी इसमें कुछ ऐसे वैसे शब्दों का उल्लेख है। एक बात जो हमें जाननी चाहिए वह यह है कि क्या वाकई उन्होंने इसे लिखा है अथवा कहीं किसी प्रकार की गलती हुई है। यह भी इसका एक पहलू है।

एक ओर तो हम उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं और दूसरी ओर हम लेखक से यह आशा करते हैं कि वह सभा के अपेक्षाकृत नये सदस्यों के प्रति थोड़ा और उदार हों और शब्दों और तथ्यों का इस प्रकार के प्रयोग करने में सावधानी बरतें। जब सदस्य वरिष्ठ हो जाते हैं, तो कई बार वे समझते हैं कि उन्हें दूसरों के खिलाफ इस प्रकार की कुछेक बातें कहने का अधिकार हो जाता है।

मुझे पता है कि हाऊस आफ कामन्स और यहां यहां भी ऐसे मामले रहे हैं जिनमें अधिक कठोर शब्दों, कठोर मुहावरों और कठोर उक्तियों का प्रयोग किया गया है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या आप चिन्तित महसूस नहीं कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैंने अपनी टिप्पणी पूरी नहीं की है। सम्भवतः आप समझ गए हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। जितनी नहीं भाषा का प्रयोग मैं आज कर रहा हूं शायद उससे नहीं भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत : कृपया साफ-साफ कहें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह हुआ कि आप समझें नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं।

हां, इसके दो पहलू हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसे मामले भी रहे हैं जिन पर संसद और हाऊस आफ कामन्स ने भी निर्णय दिए थे जिनमें अधिक कठोर व्यक्तियों के प्रयोग पर भी ध्यान नहीं दिया गया था मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें ध्यान नहीं देना चाहिए और मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि मैं ध्यान नहीं दूंगा। मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि मुझे नोटिस प्राप्त हुए हैं। मैं तो उनसे सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है और यह सारा मामला क्या है। परन्तु फिर मैं आपसे यह चाहूंगा कि आप इस समूचे नोटिस को सुस्पष्ट भाव में प्रस्तुत करें और इस मामले पर सही मंतव्य बनाएं। इसे किस हद तक महत्व देना है, यह हम सबको निर्णय लेना होगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह गलत है। सदस्यों ने नोटिस लाकर कोई गलती नहीं की है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इसकी आसानी से अनदेखी की जा सकती है। इसके साथ ही मैं यह भी नहीं भूला हूं कि कतिपय कठोर युक्तियों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। यही वह सन्तुलन है इनमें मुद्दे बनाए रखना है और मैं इस सन्तुलन को बनाए रखने का प्रयत्न करूंगा। मुझे चुप रहना चाहिए था·····मुझे चुप ही रहना चाहिए था और···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस मुद्दे को ज्यादा मत खींचिए। अब दूसरे मुद्दे को मैं न तो अस्वीकृत कर रहा हूं और न ही स्वीकार कर रहा हूं। मैं केवल इसकी जांच करने जा रहा हूं। मैं कोई उचित निर्णय लूंगा। मैं सदस्यों से भी परामर्श करूंगा और सदस्यों से पूछताछ भी करूंगा। पहले मुद्दे पर सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिए हैं। सरकारी-पक्ष भी सुन रहा था। यदि उन्हें कुछ कहना है तो कह सकते हैं। यदि उन्हें कुछ नहीं कहना है, तो मैं उन्हें कुछ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ जी, मैं आपकी सलाह पर चलूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम उस मुद्दे पर और आगे कार्रवाई न करने के लिए तैयार हैं यदि अध्यक्षपीठ की ओर से यह व्यवस्था दी जाती है कि ये शब्द दुर्भाग्यपूर्ण है और इनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए था···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि हम अवश्य ही अपने बड़ों का आदर करते है। हम उनके मार्गदर्शन के तहत चलना चाहते है और वे कभी-कभी क्रुद्ध भी होते हैं। लेकिन यदि वे कुछ भी हो जाए और ऐसे वैसे शब्द भी उपयोग करते है जो कि दुर्भाग्यपूर्ण हैं तो यह दुर्भाग्यपूर्ण बात ही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसे शब्द उपयोग नहीं होने चाहिए थे। (व्यवधान)

श्री जसवंत सिंह (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, जबकि हम सुलह सफाई करने की प्रक्रिया में लगे हैं जबकि आपने भी दो विवादास्पद मुद्दों को अत्यन्त सराहनीय तरीके से सुलझाया है, मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि समाचार-पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार थल सेना अध्यक्ष के पद और उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य पर पिछले एक सप्ताह से दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद विवाद उत्पन्न हो गया है और यह मामला दोनों सदनों तथा समाचार-पत्रों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। मैं समझता हूं कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिस पर हमें बहुत गहन विचार करना होगा जैसाकि मेरे वरिष्ठ साथी श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में

हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि जब इस गणतन्त्र के सर्वोच्च पद को सभी तरह के प्रदर्शनों द्वारा निन्दित किया जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया चल रही है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उच्च पद भी विवाद से घिरा हुआ है तब ऐसे में यह वास्तव में दुर्भाग्य पूर्ण है कि थल सेनाध्यक्ष के पद पर भी विवाद उत्पन्न किया जाए। मैं व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं कि थल सेनाध्यक्ष के पद को विवाद से परे रखा जाए। मैं यह समझता हूं और मानता हूं कि गणतंत्र के विभिन्न अधिकारियों के बारे में सभा में हम जो कुछ बोलते हैं उस पर संयम रखा जाए लेकिन इसके साथ ही स्वयं अधिकारियों को भी संयम रखना आवश्यक है। यह तो स्वत: ही स्पष्ट है। इसके लिए कहने की जरूरत ही नहीं है जब कोई पद उच्च दायित्व वाला है तब तो संयम उस दायित्व का अभिन्न अंग होना चाहिए। इस विचार पर मैंने अपने मित्र और साथी श्री जार्ज फर्नान्डीज से चर्चा की थी जिन्होंने पहले यह मुद्दा उठाया था। मैं आपको तथा आपके माध्यम से सभा से अपील करता हूं कि थल सेनाध्यक्ष के पद से सम्बन्धित यह विवाद यहां अब इस सभा में ही समाप्त हो जाना चाहिए और आगे इस बारे में कुछ नहीं बोला जाना चाहिए। मैं आपसे यह अपील करता हूं। मुझे पता लगा है कि···

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, यह एक गम्भीर मामला है। सरकार ने कहा है कि वह एक वक्तव्य देगी। (व्यवधान) सभा ने निर्णय लिया है और सरकार ने वचन दिया है कि रक्षा मंत्री एक वक्तव्य देंगे। जब तक यह नहीं होता हम इस मुद्दे को यहां पर समाप्त नहीं कर सकते। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : श्री कृष्ण कुमार का आज स्टेटमैंट आया है। मंत्री जी को यहां स्टेटमैंट देना चाहिए। मंत्री जी स्टेटमैंट दें तब विचार होगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार इसे स्पष्ट करे। कोई नहीं चाहता कि सरकार के वक्तव्य के बगैर ही इस मामले को समाप्त कर दें। रक्षा मंत्री आएं और वक्तव्य दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ जी, मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे रक्षा मंत्री से पत्र मिला है।

श्री जसवन्त सिंह : मेरा अनुरोध भी यही था। मेरे मित्र तथा साथी थोड़े अधीर थे। मैं यह कहना चाहता था कि मैं अपनी पार्टी के कार्यक्रम के कारण यहां पर नहीं था तब आपने सरकार को निदेश दिया था और सरकार ने कहा था कि वह एक स्पष्टीकरण देगी। यह स्पष्टीकरण दिया जाए और मेरी अपील है कि इसके साथ ही इस मामले को अन्तिम रूप से समाप्त किया जाए। हम इस गणतन्त्र के प्रत्येक पद को ऐसे विवाद में न लाएं जिससे बचा जा सकता हो। मैं यही कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : स्टेटमेंट के बाद जब क्लैरिफिकेशन आएगा तो उसके बाद यह देखा जाएगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव : रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बाद। हम किसी व्यक्ति को विवादग्रस्त नहीं करना चाहते लेकिन यदि एक उत्तरदायी व्यक्ति एक रवैया अपनाता है या सार्वजनिक रूप से ऐसा

वक्तव्य देता है जो किसी महत्त्वपूर्ण नीति से सम्बन्धित है, और जिसमें सुप्रतिष्ठापित नीति से हटा गया है, तो इस देश में नागरिक प्राधिकार सुप्रतिष्ठापित है और इस देश की संसद हमारी सर्वोच्च राष्ट्रीय संस्था है। हम ऐसे कार्यों को अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए रक्षा मंत्री आएं और वक्तव्य दें तभी हम अगले कदम के बारे में निर्णय लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है 'हां'।

श्री इन्द्रजीत : महोदय, सभा के इस पक्ष में हम भी इस बारे में इतने ही चिन्तित हैं और हम भी उतने ही स्पष्ट है कि नागरिक प्राधिकार की सर्वोच्चता बनाई रखी जाए और मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री के वक्तव्य के लिए हम सभी को इन्तजार करना चाहिए। और फिर निर्णय लेना चाहिए कि क्या किया जाए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, कोई भी व्यक्ति हमारी सेना की अतिमहत्त्वपूर्ण तथा देश भक्तिपूर्ण भूमिका पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगा सकता। इस बारे में तो कोई प्रश्न नहीं है। और हमारे देश की सुरक्षा, हमारी अखंडता और हमारी सुरक्षा में सेना द्वारा किए गए योगदान की हम अत्यधिक प्रशंसा करते हैं। हम इन व्यक्तियों को किसी विवाद में नहीं लाना चाहते लेकिन कुछ बातें भी हो रही हैं जिनसे बचा जाना चाहिए। कुछ बातें कही जा रही है और कुछ कार्य किए जा रहे हैं जिन पर, मुझे विश्वास है, कि वे व्यक्ति ही उचित विचार करने पर स्वयं ही महसूस करेंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था।

महोदय, जहां तक थल सेनाध्यक्ष सम्बन्धी मौजूदा मामला है, हम इसे बारी नहीं रखना चाहते हम भी इसे समाप्त करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि यह तो ऐसा मामला है जिस पर वह सज्जन स्वयं ही इस पर स्पस्टीकरण देंगे। मैंने रक्षा मंत्री से भेंट की थी, उन्होंने हमसे मिलने का अनुरोध किया था और आश्वासन दिया था कि इस बारे मे एक वक्तव्य देंगे। इस विश्वास है कि इसके बाद हम इसे समाप्त कर सकते है।

महोदय, मैं एक बार पुनः यह कहना चाहता हूं कि हमें सेना के विरुद्ध कुछ नहीं कहना है और इस दृष्टि से थल सेनाध्यक्ष के खिलाफ भी कुछ नहीं कहना है लेकिन यदि कुछ कहा गया है तो सरकार उसे स्पष्ट करे और मुझे विश्वास है कि फिर यह मामला समाप्त हो जाएगा।

श्री चन्द्रशेखर : मैं माननीय सदस्यो से सहमत हूं कि रक्षा मंत्री वक्तव्य दें। लेकिन मैं अपने मित्र श्री जसवन्त सिंह से सहमत हूं कि रक्षा मंत्री के वक्तव्य के बाद इस मामले को न बढ़ाया जाए क्योंकि रक्षा मंत्री का यह दायित्व है कि नागरिक प्राधिकार की सर्वोच्चता बनाई रखी जाए। मैं इस अधिकारी को जानता हूं, मैं अपने कर्त्तव्य में विफल रहूंगा यदि मैं यह नही कहूं कि वह एक बहुत ही योग्य और कर्त्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, मैं नहीं जानता कि उन्होंने किन परिस्थितियों में यह वक्तव्य दिया है। मेरा यही अनुरोध है कि संसद मे इस प्रकार के संवेदनशील मामलों पर वाद-विवाद नहीं होना चाहिए अन्यथा इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।

मैं अपने मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं कि रक्षा मंत्री उनसे बात करें, यहां एक वक्तव्य हो और वक्तव्य के बाद मामला समाप्त समझा जाए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे माननीय सदस्यों की दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता पर पूरा विश्वास है। उन्होंने एक तरफ तो कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं; दूसरी तरफ वे समझते हैं कि हमें एक निर्धारित

सीमा से आगे नहीं जाना है। मुझे रक्षा मंत्री से पत्र मिला है जिसमें एक वक्तव्य देने की अनुमति मांगी गई है। मैंने उन्हें 3.00 म० प० पर वक्तव्य देने की अनुमति दी है और मुझे विश्वास है कि उसके बाद किसी चर्चा की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए में नियम भी नहीं है। हम जानते है कि हमारे सेनाधिकारी देश के लिए बेहतरीन कार्य करते रहे हैं। हम एक तरफ तो यह मानते हैं और दूसरी तरफ हमने मुद्दों को भी सही दृष्टिकोण से देखा है और मुझे विश्वास है कि इसके साथ ही यह मुद्दा समाप्त हो जाएगा। आज हमने नाजुक मामलों पर इस प्रकार कार्यवाही की है कि यह प्रशंसनीय होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम हमेशा ही तो हुल्लड़ मचाने वाले सिद्ध नहीं होते।

[हिन्दी]

श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं संचार मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया जाए। आज उनकी तीसरी पुण्य तिथि है।

स्वर्गीय हेमवती नन्दन बहुगुणा एक महान स्वतन्त्रता सैनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवक थे। उनका जन्म 25 अप्रैल, 1919 को जिला गढ़वाल में एक कृषक परिवार में हुआ था। अपनी प्रारम्भिक शिक्षा के दौरान ही वह देश के स्वतन्त्रता आन्दोलन में जेल गए थे। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया जिसके कारण तत्कालीन अंग्रेज हुकूमत द्वारा उन्हें जेल में बन्द कर दिया गया था। काफी साल जेल में ही बन्द रहने के कारण और उन्हें विभिन्न बीमारियों का भी सामना करना पड़ा था परन्तु इसके बावजूद भी उन्होंने जेल से ही देश की आजादी के लिए विभिन्न छात्र संगठनों, मजदूर संगठनों एवं संघों का नेतृत्व किया।

एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की केन्द्रीय एवं राज्य समितियों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर संगठन का कार्य किया। केन्द्र सरकार में संचार, पैट्रोलियम, फिल्म जैसे महत्वपूर्ण पदों तथा उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री एवं अन्य कैबिनेट मंत्री पदों पर रहकर उन्होंने अविरल रूप से देश की सेवा की है। उन्होंने विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों आदि का संगठन एवं उनका संचालन किया था। इस प्रकार उनका सम्पूर्ण जीवन देश सेवा एवं देश हित में ही व्यतीत हुआ। आज 17 मार्च को उनकी पुण्य तिथि भी है। अतएव मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि उनके जन्मदिन 25 अप्रैल को उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया जाए। धन्यवाद।

श्री मोहन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कानपुर इस देश की एक प्रमुख औद्योगिक नगरी है। पहले इसको मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज उसकी दुर्भाग्य है कि टैक्सटाइल कारपोरेशन की पांच मिलें और चार ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन की मिलें, यानि कि नौ मिलें, बन्द होने के कगार पर हैं। उनका उत्पादन ठप्प है। सरकार ने उनका वित्तीय समर्थन वापिस ले लिया है और एक तारीख से वेतन भी नहीं मिल पाया है। 24 हजार मजदूर पहली तारीख को सड़क पर आ जाएंगे। कपास नहीं है, सूई नहीं है, सूत नहीं है, कारखानों में उत्पादन बिल्कुल बन्द है। सरकार ने वेतन देने का जो संसाधन है, उसको समाप्त कर दिया है। स्वेच्छित सेवा निवृत्ति योजना के संचालन करने का काम भी इन मिलों में नहीं हो रहा है। 28 हजार मजदूर पहली तारीख से बिल्कुल सड़क पर भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सरकार को इस पर वक्तव्य देना चाहिए और उन मिलों

को फिर से चालू किए जाने के बारे में सरकार की योजना है, इसकी जानकारी सदन को होनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अंकुशराव टोपे (जालना) : अध्यक्ष महोदय, क्योंकि कलकत्ता में पटसन मिल मजदूरों की हड़ताल है इसलिए पटसन की बोरियों की सप्लाई काफी समय से बन्द पड़ी है। पटसन की बोरियां समय पर न मिल पाने के कारण महाराष्ट्र में सरकारी चीनी मिलों को कठिनाई हो रही है। भारत में महाराष्ट्र सबसे ज्यादा चीनी उत्पादक राज्य है। इस वर्ष भी चार लाख टन से अधिक गन्ना खेतों में खड़ा है और सभी मिलें पूर्ण क्षमता से गन्ने की पिराई कर रही हैं। लेकिन अगर कलकत्ता में हड़ताल के कारण पटसन की बोरियों की सप्लाई समय पर नहीं होती है तो इसकी बहुत सम्भावना है कि पटसन की बोरियों की कमी के कारण ही इन मिलों को बन्द करना पड़े। इसलिए सरकार कलकत्ता में चल रही इस हड़ताल को समाप्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए ताकि ये मिलें प्रभावित न हों।

श्री हम्माद मोल्लाह : आप मुझसे इस बात से सहमत होंगे कि दूध विलासिता की वस्तु नहीं है बल्कि एक आवश्यक वस्तु है। लेकिन जल्द ही महानगरों में दूध की कमी होने वाली है। दिल्ली में ही 11 अनधिकृत दुग्ध चूर्ण के संयंत्र दिल्ली के आस-पास के दुग्ध उत्पादकों से पूरा दूध ले लेते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि लगभग 98 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़ी कम्पनियों ने ऐसी इकाइयां स्थापित करने के लिए आवेदन किया है लाइसेंस न देने की नीति के ही यह गम्भीर परिणाम हैं। दूध के ऊंचे दामों और महानगरों में दूध की आपूर्ति में बाधा के कारण दूध की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। (व्यवधान)

250 कम्पनियां अवैध रूप से कार्य कर रही हैं। काफी बड़ी मात्रा में दूध, दुग्धचूर्ण बनाने के लिए दिया जाएगा। यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। सरकार की नीति, लाइसेंस न देने, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अनुमति देने के कारण कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली तथा सभी महानगरों में दूध की इकाइयां सारा दूध ले लेगी और आम जनता को इससे परेशानी होगी। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है। दिल्ली प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है पशु-पालन विभाग और दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा अनुदेश जारी करने के बावजूद कोई भी उनकी बात नहीं सुन रहा है और न गम्भीर रूप से कार्यवाही कर रहा है।

सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए गम्भीरता से कार्यवाही करनी चाहिए कि आम जनता को नियमित रूप से दूध मिलता रहे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : भागामी पीढ़ियों के लिए दूध की आपूर्ति आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया हम इस पर कल चर्चा करें।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासौर) : मैं आपका और माननीय सभा का ध्यान एक अत्यन्त गंभीर मामले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। चमड़ा निगम, उड़ीसा ने उड़ीसा के बालासौर जिले के चंदनेश्वर में एक चमड़े का कारखाना स्थापित किया था जिसके लिए पूरा धन राज्य कोष से लिया गया था। इस कारखाने पर लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय किए गए। कारखाने के पूरे भवन का निर्माण आधार भूत सुविधाएं, मशीनों की खरीद पूरी हो चुकी है। अपेक्षित पद भी भरे जा चुके हैं।

चूंकि यह कारखाना कांग्रेस सरकार के समय में स्थापित किया गया था इसलिए राजनीतिक

मान्यताओं के कारण राज्य की वर्तमान जनता सरकार इस कारखाने की उड़ीसा के बाहर एक गैर-सरकारी पक्ष को बेच रही है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब सभा-पटल पर पत्र रखे जाएं।

12.47 अ० प०

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं और पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेलकूद विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कुमारी ममता बनर्जी) : श्री अर्जुन सिंह की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) राष्ट्रीय इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 29 के अन्तर्गत राष्ट्रीय इन्दिरा मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के 1989-90 वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[संचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1561/92]

भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1991 आदि

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : मैं खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृन्द) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1991 जो 9 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई० पी० 16(2)/86 में प्रकाशित हुए थे।

(2) भारतीय खाद्य निगम (मृत्यु तथा सेवा-निवृत्ति-उपदान) (पहला संशोधन) विनियम, 1991 जो 9 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई० पी० 16(2)/86 में प्रकाशित हुए थे।

(3) भारतीय खाद्य निगम (अंशदायी भविष्य निधि) (पहला संशोधन) विनियम, 1991, जो 9 अगस्त, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ई० पी० 16 (2)/86 में प्रकाशित हुए थे।

[संचालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1562/92]

भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे ।

(2) भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, मद्रास के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 1563/92]

वर्ष 1991-92 के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारादेवी सिद्धार्थ) : मैं वर्ष 1991-92 के लिए हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड और परिवार कल्याण विभाग के बीच समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1564/92]

12.48 म० प०

[अनुवाद]

समिति के लिए निर्वाचन

पशु कल्याण बोर्ड

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में, कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5(1) (झ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में, कार्य करने के लिए अपने में से चार सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे । श्री रमेश चेन्निथला ।

12.49. म० प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केरल के कोट्टायम में भारतीय प्रबन्ध संस्थान खोले जाने की आवश्यकता

श्री रमेश चेन्निथला (कोट्टायम) : महोदय, केरल राज्य अत्यन्त शिक्षित राज्य है। विद्यार्थी और आम जनता राज्य में भारतीय प्रबन्ध संस्थान खोलने की मांग कर रहे हैं। राज्य में उच्च शिक्षा दर तथा विद्यार्थियों द्वारा राज्य के बाहर एम० बी० ए० और अन्य पाठ्यक्रमों में भाग लेने को देखते हुए इसे शीघ्र आरम्भ करने की आवश्यकता है केरल सरकार तथा मेरे सहित संसद सदस्यों ने इस बारे में ज्ञापन दिए हैं। कोट्टायम जो शत-प्रतिशत शिक्षित जिला है, में भारतीय प्रबन्ध संस्थान स्थापित करना सही होगा।

मैं मानव संसाधन विकास मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह चालू वर्ष में इस बारे में आवश्यक कदम उठाएं।

(दो) केरल के पेरम्बूर में कर्मचारी राज्य बीमा (ई० एस० आई०) अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता।

प्रो० सावित्री लक्ष्मणन (मुकुन्दपुरम) : महोदय, मावनकोर रेबम्स लिमिटेड, पेरम्बूर, डावर रेबमपुरम, इरनाकुलम केरल में 1,800 कर्मचारी कार्यरत हैं और इसके अतिरिक्त विभिन्न ठेकेदारों के साथ 200 कर्मचारी है जिनमें से 1000 कर्मचारी राज्य कर्मचारी बीमा निगम के लाभार्थी हैं। कम्पनी से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम का एक अस्पताल स्थित है। क्योंकि अस्पताल बहुत दूर है इसलिए कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के उक्त अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं को पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। आपातकाल में कर्मचारियों को आमतौर पर नजदीक के प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया जाता है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करती हूं कि पेरम्बूर नगर निगम क्षेत्र में कर्मचारी राज्य बीमा निगम का अस्पताल स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।

12.52 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(तीन) यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता कि केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती के लिए हिन्दी को अनिवार्य नहीं बनाया जाए।

श्री के० राममूर्ती डिंडिवनाम (टिंडिवनाम) : महोदय, वर्ष 1986 से केन्द्रीय विद्यालयों में अध्यापकों के पदों के लिए हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य बना दिया गया है। जिसके परिणाम तमिलनाडु के उच्च शिक्षा प्राप्त प्रत्यासी भी पिछले छह वर्षों से इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सके। 1986 तक मूल शैक्षिक योग्यता वाला व्यक्ति उक्त पदों के लिए आवेदन करने का पात्र था। राज्यों से परामर्श किए बिना ही इसमें परिवर्तन कर दिया गया है।

इसके परिणामस्वरूप तमिलनाडु के उम्मीदवारों को आवेदन करने से वंचित कर दिया गया है जिससे उनमें अंदरूनी असंतोष फैल रहा है। इसमें परिवर्तन करने के लिए बार-बार अनुरोध करने के भी

कुछ हासिल नहीं हुआ। कुछ विद्यार्थी और एसोसिएशनें अपना न्यायोचित हक पाने के लिए आन्दोलन चलाने की योजना बना रहे हैं।

यह भी ध्यान देने की बात है कि अखिल भारतीय सेवाओं में भी हिन्दी का ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है लेकिन अध्यापक के पद के लिए इसे अनिवार्य बना दिया गया है। अत्यन्त बेरोजगारी की हालत में भाषा के आधार पर किसी राज्य के लोगों को रोजगार के अवसर की मनाही के गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अध्यापक के पद के लिए हिन्दी के ज्ञान की अनिवार्यता के उपबन्ध को समाप्त किया जाए। केन्द्रीय विद्यालय संगठन को तमिलनाडु के उम्मीदवारों के लिए अध्यापकों के पर्याप्त पद आरक्षित भी करने चाहिए क्योंकि तमिलनाडु से पिछले छह वर्षों में कोई भी इन पदों के लिए आवेदन नहीं कर सका।

[हिन्दी]

(चार) संपर्क जलमार्ग के भाग का निर्माण शीघ्र पूरा करने के लिए सरहिन्द नहर को 15 दिन के लिए बन्द करने हेतु पंजाब सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीरंगम (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्री गंगानगर जिले की गंग कैनाल बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा करीब 65 वर्ष से चल रही है। 2750 क्यूसेक पानी की क्षमता वाली यह कैनाल पंजाब क्षेत्र में पूरी तरह अतिग्रस्त हो चुकी है इसलिए अपने हिस्से का पूरा पानी नहीं ले पाती है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने इस पानी को पूरा करने के लिए इसके हिस्से का पानी इन्दिरा गांधी कैनाल में डाल कर लोहगढ़ के पास आर० डी० नं० 491 पर लिंक चैनल निकाला है जोकि गंग कैनाल के प्रथम हैड साधुवाली से जोड़ा जाएगा। राजस्थान सरकार ने तो अपने हिस्से का काम पूर्ण करवा दिया है। इस लिंक का कुछ हिस्सा हरियाणा की जमीन में आता है। इस हिस्से का काम भी करीब-करीब पूरा हो गया है अगर शीघ्र का काम पंजाब सरकार को करवाना है। इसके लिए सरहिन्द हिड में 15 दिन का क्लोजर दिलाने का पंजाब सरकार को आदेश दें ताकि इस लिंक का काम शीघ्राशिशीघ्र पूरा हो सके और गंग कैनाल के काश्तकारों को पूरा पानी मिल सके। पंजाब में इस नहर का वह भाग जो बिल्कुल चलने लायक नहीं है उनकी दो बार मरम्मत की जाए ताकि वह अपने हिस्से का पानी ले कर चल सके।

उपरोक्त बंदी 10 मार्च से 15 अप्रैल तक की जावे ताकि रबी व खरीफ की फसलों को हानि न हो।

[अनुवाद]

(पांच) महाराष्ट्र में कुर्ला रेलवे टर्मिनस पर पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध किए जाने की आवश्यकता

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, कुर्ला में 25 फरवरी, 1992 से चालू किया गया रेलवे टर्मिनस बहुत खराब स्थिति में है क्योंकि वहां पर यात्रियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की गई है। इस रेलवे टर्मिनस पर आधारभूत नागरिक सुविधाओं का भी अभाव है। यह आवश्यक है कि अपेक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाए और दैनिक यात्रियों की आवागमन आदि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार

किया जाए। कुर्ला रेलवे टर्मिनस पर यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है। इस टर्मिनस का नाम बदल कर तिलक नगर टर्मिनस करने की मांग स्वीकार की जाए।

मैं रेल मन्त्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले पर विचार करें।

[हिन्दी]

(छ:) अन्तर्राज्यिक कॉरिडोर रेल मार्ग पर पड़ने वाले स्टेशनों के नाम उन क्षेत्रों के देशभक्तों के नाम पर रखे जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, कोंकण रेलवे की योजना क्रियान्वित हो रही है और इस क्रियान्वयन से इस रेलवे लाइन पर जो अनेक-अनेक स्टेशन बनेंगे उस संदर्भ में मेरा यह सुझाव है कि उस स्थान से सम्बन्धित देशभक्तों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम से उन रेलवे स्टेशनों का नामकरण किया जाए जैसे :—

रत्नगिरी स्टेशन का नाम लोकमान्य तिलक या स्व० वीरसावरकर के नाम।

आवनी का नाम हुतात्मा राजगुरु।

मंडाड का नाम डा० अम्बेडकर।

अलीबाग के पास का अक्षर कन्हेरी श्री आंग्रे।

इसी प्रकार से आगे भी जो जो स्टेशन इस रेलवे मार्ग के अन्तर्गत आ रहे हों उनके नाम भी इसी संदर्भ में दिये जाएं।

[अनुवाद]

(सात) भोपाल गैस त्रासदी के प्रत्येक प्रभावित दावेदार को मुआवजा देने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री पार्थ पतनायक (मुजफ्फरपुर) : महोदय, 6 मार्च, 1990 को सरकार ने भोपाल गैस कांड के पीड़ितों को अन्तरिम राहत वितरित करने की घोषणा की थी और भारत के उच्चतम न्यायालय ने इस सम्बन्ध में 13 मार्च, 1990 को आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कुल 6,00,000 की आबादी में से 5,00,000 लोगों को अन्तरिम राहत की अदायगी की गई। 31-7-1991 को एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह कहा है कि सरकार बाकी बचे 1,00,000 लोगों को भी अन्तरिम राहत का भुगतान करने पर विचार कर रही है लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। सरकार ने अन्तरिम राहत का भुगतान करने का निर्णय सीधे प्रभावित हुए लोगों के आधार पर लिया "आई० सी० एम० आर० की सिफारिशों के अनुसार" चिकित्सा रिपोर्टों और कोटिकरण के आधार पर नहीं। केन्द्रीय सरकार को मुआवजा देने के दावों या प्रत्येक दावेदार को दावे के निपटान तक अन्तरिम राहत देने के लिए इसकी प्रक्रिया को तेज करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए अन्यथा हजारों पात्र प्रभावित लोग न्याय सम्मत मुआवजे से और जीवनयापन के साधन से वंचित रह जाएंगे। मुआवजे के सभी दावों का पूर्ण और अन्तिम निपटान करने के लिए सरकार को बहुत पहले ही कुछ औचित्यपूर्ण और मानवीय योजना तैयार करनी चाहिए।

(आठ) कर्नाटक में दंगापीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए तमिलनाडु सरकार को केन्द्रीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता।

डा० (श्रीमती) के० एस० सीमन (तिरुचेंगोड़) : महोदय, भारत सरकार ने कर्नाटक में

कावेरी जल विवाद दंगों से प्रभावित हुए लोगों के बीमा के दावों का शीघ्र निपटान करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं।

तब से एक लाख से अधिक लोग तमिलनाडु को पलायन कर चुके हैं। उन लोगों को आवास और भोजन उपलब्ध कराना तमिलनाडु सरकार पर एक भारी है। अतः, मैं भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वह तमिलनाडु सरकार को उस राशि के बराबर वित्तीय सहायता दे जोकि तमिलनाडु सरकार ने खर्च की है।

मैं केन्द्रीय सरकार से कर्नाटक में तमिलों के पुर्नवास के लिए आवश्यक कदम उठाने का भी अनुरोध करती हूं। साथ ही मैं यह भी अनुरोध करती हूं कि हिंसा के दौरान लूटी गई सम्पत्तियां उनके वास्तविक धारकों को लौटाई जाएं। प्रभावित लोगों को पर्याप्त मुआवजा भी दिया जाए।

भूमिहीन मजदूरों और अन्य लौटे हुए कामगारों को काम देने का आश्वासन दिया जाए और उन्हें काम का ऐसा माहौल मिले जिसमें वे निर्भय होकर काम कर सकें।

मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करती हूं कि वे इस मामले में आवश्यक कदम उठाएं।

[हिन्दी]

(नौ) राजस्थान को दिए जाने वाले खाद्यान्नों के कोटे में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : राजस्थान के खाद्यान्न कोटे विशेषतः गेहूं, चावल तथा शक्कर एवम मिट्टी के तेल में केन्द्रीय सरकार द्वारा भारी कटौती कर देने के कारण राजस्थान की सार्वजनिक वितरण व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी है। अकाल पीड़ित एवम सूखा से ग्रस्त राजस्थान के ग्रामों तथा शहरों में राशन की सस्ते अनाज की दुकानों से मात्र प्रति व्यक्ति तीन किलो गेहूं दिया जा रहा है। जो सर्वथा अपर्याप्त है। गरीब एवम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले व्यक्तियों तथा राशन के उपभोक्ताओं के सम्मुख खाद्यान्नों की तथा राशन की शक्कर एवम मिट्टी के तेल की प्राप्ति की भयंकर समस्या हो गयी है। पहले दस किलो प्रति व्यक्ति अनाज मिलता था और अब उसे तीन किलो मात्र प्रति व्यक्ति कर देना ऊंट के मुंह में जीरा है। राजस्थान सरकार, राजस्थान के सांसदों द्वारा अनेक बार केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करने पर अभी तक भी मांग एवं आवश्यकता के अनुसार अनाज के कोटे में वृद्धि नहीं की गयी है। अतः केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि अविलम्ब राजस्थान राज्य को आवंटित खाद्यान्न कोटे में वृद्धि की जाये तथा प्रति व्यक्ति 10 किलो अनाज दिलवाया जावे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजनावकाश के लिए 2.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.01 म० प०

[अनुवाद]

मध्याह्न भोजन के बाद लोक सभा 2.01 म० प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

रेल बजट, 1992-93—सामान्य चर्चा
रेल अभिसमय समिति की सिफारिशों के बारे में संकल्प
अनुदानों की मांगें (रेल), 1992-93
और
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 1991-92

उपाध्यक्ष महोदय : सदन मद सं० 8 से 11 पर एक साथ विचार करेगा।

माननीय रेल मन्त्री उत्तर देंगे।

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने बहस में भाग लिया और बहुमूल्य सुझाव के लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं सभा सदस्यों और साथ-ही-साथ जायदक बनता तथा वाणिज्य और उपयोग व्यापार मण्डल की प्रतिक्रिया से अभिभूत हुआ हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, सबरबन्स में जो किराया वृद्धि हुई है, वह वापस लो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मन्त्री महोदय की बात सुन लेने दें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा न करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीटों पर बैठ जाइए। आपकी ओर से ऐसा किया जाना उचित नहीं है।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चक्रवर्ती (दमदम) : महोदय, उन्हें रेल-किराये कम करने चाहिए और उन्हें छंटनी किए गए कर्मचारियों के बारे आश्वासन देना चाहिए। उन्हें मासिक टिकटों के किरायों को कम करना चाहिये। यह बात उनके उत्तर में होनी चाहिए। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हमें मन्त्री महोदय की बात सुनने दें।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : महोदय, उन्हें पर्याप्त अवसर दिया गया है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाएं। मन्त्री महोदय को उत्तर पूरा कर लेने दें और यदि आप उत्तेजित महसूस करें, तो फिर आपको कोई भी प्रश्न पूछने का पूरा मौका दिया जायेगा। अब मन्त्री महोदय अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मेरा माननीय सदस्यगण से केवल इतना अनुरोध है कि पहले वे मेरी बात सुनें। हमने हमेशा उनकी बात सुनी है और उनके मन्तव्यों का सम्मान किया है। लेकिन, वे मेरी बात क्यों नहीं सुनना चाहते, यह मेरी समझ में नहीं आता। इस प्रकार की सभी** के लिये कोई कारण नहीं है और यह कहना कि हम जनता के लिए हैं मैं भी उसी जनता के लिए कार्य कर रहा हूं।

श्री निर्मल कांति चटर्जी : हम एक इश्तहार के इस प्रकार के प्रदर्शन के विरुद्ध हैं। हम पूर्णतया आपके साथ हैं। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : कृपया ऐसा न सोचें कि सिर्फ आप ही जनता के हितैषी हैं और हम नहीं। हम भी उसी सामान्य जनता में से आये हैं।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : फिर आपने कामगारों की बहाली को अस्वीकार कर दिया ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं चर्चा में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों और उनके द्वारा दिये गये बहुमूल्य सुझावों के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। मैं सभा, सदस्यों और साथ-ही-साथ जागरूक जनता तथा वाणिज्य और उद्योग व्यापार मंडल की प्रतिक्रिया से अभिभूत हुआ हूं समाज के सभी वर्गों से सम्बन्धित प्रसिद्ध लोगों से रेल-बजट के लिए मुझे बधाई देने के अनेक पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं उनके द्वारा व्यक्त इस सद्भावना के लिए अत्यन्त आभारी हूं।

जैसा कि प्रैस ने सूचना दी है इस बजट को जनता ने बहुत अच्छा माना है। उदाहरार्थ, 26 फरवरी, 1992 के फाइनैंनशियल एक्सप्रैस ने रेल बजट को चमत्कारी माना है। इसी प्रकार से इसी दिन के इकनौमिक टाइम्स ने रेल-बजट को सही दिशा में होने की संज्ञा दी है।

श्री वसुदेव आचार्य : आपको किससे प्रमाण-पत्र मिला है ? वह कौन लोग हैं ?

श्री अमल दत्त (डायमन्ड हार्बर) : चूंकि वह पहले ही उन समाचार-पत्रों से उद्धृत कर चुके हैं। अतः सभा पटल पर उन्हें रखने दो।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रैस के प्रति भी अपना आभार प्रकट करता हूं, जिसने रेल-

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

बजट के विभिन्न ठोस और चुनौती भरे पहलुओं का इतनी अच्छी तरह विश्लेषण किया है और उनका समर्थन किया है। मैं श्री पी० वी० नरसिंह राव, हमारे प्रधान मन्त्री महोदय, डा० मनमोहन सिंह, हमारे वित्त मन्त्री महोदय और योजना आयोग के उपाध्यक्ष, श्री प्रणव मुखर्जी तथा अपने मित्रों का आभारी हूं जिन्होंने रेलवे की भूमिका की न केवल प्रशंसा की है बल्कि मुझे आठवीं योजना के बारे में दृष्टिकोण तय करने के लिये भी प्रोत्साहित किया है···(व्यवधान)···यह सही तरीका नहीं है। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

श्री अमल दत्त : जो कुछ आप कर रहे हैं वह भी सही नहीं है। आपको इस तरह से उत्तर देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : हम मन्त्री महोदय की बात सुन लें।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : देश के आर्थिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन बढ़ाने और राष्ट्र में अधिक उत्पादकता और खुशहाली के लिए श्रम का संचालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उपलब्ध संसाधनों के भीतर केवल 5450 करोड़ रुपये के परिव्यय की ही योजना तैयार करना सम्भव हो सका है। मैंने आंतरिक रूप से संसाधनों को जुटाने की कोशिश की है, ताकि 5700 करोड़ रुपये का योजना-आकार निर्धारित किया जा सके। बिना उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के रेलवे भावी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पायेगा। रेलवे के लिए ऐसी उन्नत प्रौद्योगिकी हेतु आंतरिक रूप से संसाधनों को जुटाना सम्भव नहीं हो पायेगा। यदि रेलवे को केवल अपना निष्पादन ही नहीं बनाये रखना है, बल्कि भावी चुनौतियों का भी सामना करना है, तो योजना अवधि हेतु सुझाए गए सुझावित बजट प्रावधान सही ही हैं।

रेलवे के लिए बजट आवंटन जोकि तीसरी योजना की अवधि में कुल योजना परिव्यय का 15.46% था, पांचवीं योजना में घटकर 5.25% रह गया और सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह लगभग 7.46% था। मुझे विश्वास है कि आठवीं योजना में योजना आयोग रेलवे को बजट का और अधिक भाग आवंटित करेगा, ताकि रेलवे अच्छे से अच्छे निष्पादन जारी रख सके और अर्थव्यवस्था का अवलंब आश्रय बन सके।

मुझे आशा है कि 5700 करोड़ रुपये का योजना आकार भी पर्याप्त नहीं है; लेकिन वित्तीय अभाव के होते हुए, श्रेष्ठतम यही किया जाना सम्भव हो सकता था। मैं माननीय सदस्यगणों का आठवीं योजना को तैयार करने के पीछे नीति और सिद्धान्तों का समर्थन करने के लिए आभारी हूं···(व्यवधान) मैं उस पर भी आऊंगा, कृपया इंतजार करें। पिछले महीने की 25 तारीख को मैंने जो रेलवे-बजट प्रस्तुत किया था वह कुछ ठोस धारणाओं पर आधारित है।

2.10 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप कैसे कह सकते हैं कि सभी सदस्यों ने आपकी नीति और सिद्धान्तों का समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री के० सी० जाफर शरीफ : क्या आप पहले मेरी बात सुनेंगे ? (व्यवधान) कृपया मुझे सहयोग दें। (व्यवधान) महोदय, पिछले महीने—25 फरवरी—को मैंने जो रेलवे बजट प्रस्तुत किया था वह कुछ दृढ़ धारणाओं पर आधारित है जोकि न केवल मेरे ही अनुभव से, बल्कि इस सभा के सैकड़ों सदस्यों और हमारे देश के लाखों लोगों के अनुभव का परिणाम है। महोदय, मैं पिछले 22 वर्षों से संसद का सदस्य हूं और लगभग 40 वर्ष से अधिक समय तक सामाजिक जीवन से जुड़ा रहा हूं। मैंने रेलवे-बजट पर लगातार पिछले 20 वर्षों से अनेक रेलवे-बजट भाषण सुने हैं। मुझ से पहले, मैंने गणमान्य उत्तराधिकारियों को लगातार एक जैसे ही जवाब हर वर्ष देते सुना है (व्यवधान) मेरे सहित हमारी प्रिय श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार में जब मैं इससे पहले रेलवे से रेल राज्य मन्त्री के रूप में सम्बद्ध था। मैंने परामर्शदात्री समितियों की बैठकों में चर्चाओं के रुख को देखा है और मैंने संसद के दोनों सदनों में प्रश्न और उत्तर को सुने हैं। मुझे संसद सदस्यों से सैकड़ों में और देश के सभी भागों से हजारों की संख्या में पत्र प्राप्त होते रहे हैं। मैंने देखा है कि जवाब यही रहा है कि हमारे पास नई रेलवे लाइनों अथवा गेज-परिवर्तन के लिए कोई धन नहीं है, और निश्चित रूप से हम और अधिक रोजगार उपलब्ध नहीं कर सकते।

आखिरकार, मैंने महसूस किया कि इस देश के भविष्य के लिए क्या बचा है। इस देश की जनता को कोई अथवा अन्य रेल मन्त्री यदि उसे यह कहने का अनुभव रहा है कि हमारे पास कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है, इसके सिवाय और वे ही क्या सकता है।

महोदय, जब मैं हमारे प्रधानमन्त्री, श्री पी०वी०नरसिंह राव के नेतृत्व में सरकार में शामिल हुआ, तब नई औद्योगिक और आर्थिक नीतियां वास्तव में अद्वितीय थी, नई उदारीकरण नीति ने वास्तव में मुझे प्रोत्साहित किया।

महोदय, इससे पहले कि मैं आगे बोलूं, मैं सभा में उपस्थित अपने मित्रों को यह बता दूं कि न तो मैं किसी विश्व बैंक को जानता हूं और न ही किसी आई० एम० एफ० को (व्यवधान)। इन संस्थानों मे न कोई भी मुझ से मिला है और नहीं मुझ मे बातचीत की है। लेकिन जिसने मुझे ज्यादा चिन्तित किया हुआ है वह है कि हमारे जैसे देश के लिए, लोगों के लिए जो अभी भी गरीबी में हैं, लाखों युवकों के लिए जोकि काम धन्धे की तलाश में लगे हैं, क्या हम कुछ उनके लिए कर सकते है। जब मैं चिंतित था और गहराई मे यह सोच रहा था कि अपने देश, और समाज को कैसे विकसित करें तथा विकास और प्रगति की लड़ाई कैसे लड़ें, मेरा मन एक महान उक्ति की ओर चला गया। जिस उक्ति ने मुझे प्रोत्साहित किया और मेरा मार्गदर्शन किया वह निम्न प्रकार से है :—

"एक विजेता हमेशा एक उत्तर का हिस्सा होता है ;"

"एक अविजेता हमेशा एक समस्या का हिस्सा होता है।"

महोदय, मैं पुनः दोहराना चाहूंगा :—

"एक विजेता हमेशा एक उत्तर का हिस्सा होता है;"

"एक अविजेता हमेशा एक समस्या का हिस्सा होता है।"

"एक विजेता का हमेशा एक कार्यक्रम होता है;"

"एक अविजेता का हमेशा एक बहाना होता है।"

"एक विजेता कहता है, "मुझे यह आपके लिए करने दें;"

"एक अविजेता कहता है, "यह मेरा कार्य नहीं है।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह आपके बजट का दर्शन है।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : "एक विजेता प्रत्येक समस्या के लिए एक उत्तर ढूंढता है;"

"एक अविजेता प्रत्येक उत्तर के लिए एक समस्या ढूंढता है।"

"एक विजेता कहता है, "यह मुश्किल हो सकता है, परन्तु यह संभव है;"

"एक अविजेता कहता है, "यह सम्भव हो सकता है, परन्तु यह कठिन है।"

महादेय, मैंने निश्चय किया है कि हम, एक देश भारत होने के नाते, विजेता होने चाहिए। मेरा विभाग मल्टी-गेज प्रणाली, जोकि हमारे देश में विद्यमान है, की ओर गया और मैंने गहराई से सोचा कि यह मल्टी-गेज प्रणाली हमारे देश की जनता को किस तरीके से लाभान्वित कर रहा था। मैंने छोटी-गेज लाइनों पर ध्यानपूर्वक विचार किया। मैंने पाया है कि इन क्षेत्रों का शायद ही कोई औद्योगिक अथवा आर्थिक विकास हुआ हो। यदि आप कोई विकास देखना चाहते हैं, तो आप केवल यह ब्राड-गेज वाले क्षेत्रों में ही देख सकते हैं। रेलवे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा यह बताते है कि मीटर गेज उतना ही अच्छा है, जितना कि ब्राड-गेज। परन्तु सच तो यह है कि मीटर-गेज निवेशकों में कोई विश्वास पैदा नहीं कर पाया है। (व्यवधान) यहां तक कि सार्वजनिक क्षेत्र ने भी मीटर-गेज क्षेत्रों में नहीं गया है, हम मीजि-क्षेत्र से यह कैसे अपेक्षा कर सकते है कि वे वहां जायें। (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आप कृपया पिछले वर्ष दिया गया। अपना बजट भाषण बाद कीजिए।

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं देख रहा हूं कि बंगलौर में एक बड़ी संख्या में···(व्यवधान)··· श्री सोमनाथ चटर्जी, कृपया उनका ध्यान रखिए।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया इनका भाषण समाप्त होने के पश्चात् हमें कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दीजिए।···(व्यवधान)···

श्री सी० के० जाफर शरीफ : बंगलौर में नागपुर से बड़ी संख्या में ट्रक आते हैं। वही ट्रक बंगलौर से मद्रास और केरल तक जाते हैं। एक दिन में लगभग हजारों ट्रक आ जा रहे हैं। यह बात तो समझ में आती है कि एक ट्रक जम्मू अथवा लुधियाना से दिल्ली तक आता है अथवा राजस्थान में जयपुर तक आता है लेकिन निश्चय ही बम्बई, बंगलौर, मद्रास तथा कोचीन तक नहीं जाता है। जब मैंने पूछताछ की तो मुझे बताया गया कि रेलवे इस माल के आवागमन को सम्भाल नहीं पा रहा है। इससे भी अधिक लोगों में विलम्ब होने का, चोरियों का वाहनान्तरण हानि का खतरा है।

इसके अलावा हमारे देश में बड़ी संख्या में लघु क्षेत्र के उद्योग हैं जिनको अपना तैयार माल अथवा कच्चा माल ले जाने के लिए वाहन की आवश्यकता होती है। सड़क पर चलने वाले वाहनों के माध्यम से माल ले जाना सस्ता नहीं पड़ सकता है। यह बहुत महंगा पड़ेगा। रेलवे की समस्या यह है कि उनकी लाइन क्षमता अपनी अधिकतम सीमा तक पहुंच गयी है। छोटी लाइनों का बड़ी लाइनों में परिवर्तन किए जाने के पश्चात् अनेक वैकल्पिक मार्ग बन जायेंगे। जिससे रेल वाहन क्षमता में भी वृद्धि होगी। इसके परिणामस्वरूप लम्बी दूरी के सड़क यातायात की अपेक्षा रेल यातायात को प्रोत्साहन मिलेगा।

उत्तर-पूर्वी राज्यों से सम्बन्धित मुद्दा मेरे दिमाग में सबसे पहले आया। उत्तर-पूर्वी राज्यों के लोगों के लिए रेलवे सम्बन्धी आधारभूत ढांचा तैयार करना अति आवश्यक है। वे हमेशा यही महसूस करते हैं कि भारत सरकार ने उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रयास नहीं किया और उनके क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दिया गया। मुझे मेरे अधिकारियों द्वारा सूचित किया गया है कि जब भी वे उत्तरी पूर्वी परिषद की बैठकों में गए है वहां हमेशा यही आलोचना हुई है कि रेलवे इन क्षेत्रों पर ध्यान नहीं दे रहा है। अंग्रेजों द्वारा जो कुछ भी निर्माण किया गया है। उसको विकसित करने के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने यह महसूस किया कि क्यों न हम इस क्षेत्र में छोटी लाईन को बड़ी लाईन में परिवर्तित करें और लोगों को उनका हक दें। असम के मुख्यमन्त्री श्री हितेश्वर सैकिया, मेरे साथी श्री संतोष मोहन देव तथा उत्तरी-पूर्वी राज्यों से आए अन्य सदस्यगण यह सुनकर प्रसन्न होंगे कि मैंने गुवाहटी लुम्बर्डिंग—डिब्रूगढ़ सहित सभी सम्बन्धित लाइनों के साथ-साथ मुरकांगसेलेक से ऊपरी असम रंगीया तक जाने वाली उत्तरी बैंक लाइन को भी रेलवे की कार्य योजना में बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है। इनमें से सबसे पहले गुवाहटी से लुम्बर्डिंग तक की लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य को 1992-93 के बजट में शामिल किया गया है। उपरोक्त लाइनों के बड़ी लाइनों में बदल दिए जाने के पश्चात् उत्तरी-पूर्वी फ्रांटियर रेलवे एक प्रमुख बड़ी लाइन वाला रेलवे क्षेत्र बन जाएगी।

मैंने रेलवे को दरभंगा-समस्तीपुर रेलवे लाइन के परिवर्तन के कार्य को पुनः आरम्भ करने के लिए भी आदेश दिया है। इस सम्बन्ध में प्रारम्भिक कार्य तत्काल आरंभ किया जा रहा है। फिर भी

यात्रा करने वाले लोगों को असुविधा न होने देने की दृष्टि से लाइन परिवर्तन का वास्तविक कार्य 1992-93 के लिए बजट में शामिल मुजफ्फरपुर से रामदौल और नरकटीगंज रेलवे लाइन परिवर्तन के कार्य के समाप्त होने के बाद आरम्भ किया जाएगा।

महोदय, उत्तर प्रदेश, बिहार, जल-संसाधन मंत्रालय और रेलवे के संयुक्त योगदान से रेल-व-सड़क पुल बनाये जाने के लिए चितौनी-बागाह खंड में बागमती नदी फिर से शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई थी। जबकि रेलवे ने अपने हिस्से की धनराशि प्रदान कर दी थी, अन्य भागीदारों ने अपने अनुपात हिस्से की धनराशि प्रदान नहीं की है। रेलवे अपना कार्य कर रहा है। मैं उत्तर प्रदेश तथा बिहार के माननीय सदस्यों से यह सुनिश्चित करने की उम्मीद रखता हूं कि उनके राज्य बिना किसी और विलम्ब के अपने हिस्से की धनराशि अदा करेंगे। सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैंने बागाह-चितौनी पुल से होकर जाने वाली मुजफ्फरपुर-गोरखपुर रेलवे लाइन को भी बड़ी रेलवे लाइन में परिवर्तित करने की योजना बनाई है, लेकिन सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि यह कार्य तभी आरम्भ किया जा सकता है जबकि सहभागीदार अपने हिस्से की धनराशि अदा करेंगे।

श्री कल्पनाथ राय तथा श्री चन्द्रजीत यादव उत्तर पूर्वी रेलवे में मऊ-आजमगढ़-शाहगंज मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की मांग कर रहे हैं। वे यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैंने इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए कार्य योजना में सम्मिलित करने के लिए आदेश दे दिया है। पंजाब से मेरे मित्र जो हाल ही में इस सभा में आए हैं, यह जानकर प्रसन्न होंगे कि मैंने इस कार्य योजना के अन्तर्गत उत्तरी रेलवे के क्षेत्र में कोटकापुरा-फाजिल्का सैक्शन तथा फैनाल लूप में बड़ी लाइन में परिवर्तन के लिए भी योजना को सम्मिलित किया है।

महोदय, आपके द्वारा तथा महाराष्ट्र से इस सभा के अन्य सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई इच्छा का आदर करते हुए मैंने लाइन परिवर्तन के लिए निर्धारित कार्य योजना में मिराज लूटर और बदामती-बीड छोटी लाइनों को भी बड़ी लाइनों में बदलने के कार्य को योजना में शामिल करने का निर्णय किया है।

महोदय, मैं 'अपने माननीय मित्र श्री एल० के० आडवानी जोकि अहमदाबाद का प्रतिनिधित्व करते हैं तथा राजस्थान से मेरे अन्य मित्र श्री राजेश पायलट, श्री अशोक गहलोत श्री अय्यूब खान; श्री शिवचरण माथुर तथा विपक्ष में बैठे लोगों को भी यह कहना चाहता हूं कि मेरा विचार दिल्ली-अहमदाबाद छोटी लाइन, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में है, तथा जहां भा०ज०पा० का शासन है, को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का फैसला किया है, उससे क्षेत्र की जनता का औद्योगिक और आर्थिक विकास का सपना पूरा किया जा सके। यह केवल यह दर्शाएगा कि बड़ी लाइन में परिवर्तन के लिए रूटों का चयन करते हुए मैंने क्षेत्रीय अथवा राजनीतिक हित को ध्यान में न रखकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखा है।'...(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : पूरूलिया-कोटशिला परिवर्तन के बारे में क्या हुआ।

श्री वी० के० आचार शरीफ : यदि आप इसी तरह से बीच में टोकते रहे तो यदि यह विचार होगा भी तब भी मैं इसे छोड़ जाऊंगा। कृपया थोड़ा धैर्य रखिए।

इसी तरह, महोदय कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में हैं, जहां कि औद्योगिक या आर्थिक विकास नाममात्र ही है। उस क्षेत्र के पिछड़ेपन को देखते हुए जहां लाखों लोग गरीब रहते हैं और हजारों युवा बेरोजगार है, मैंने सोचा कि इस समस्या के समाधान के लिए उस क्षेत्र के आर्थिक विकास हेतु बड़ी लाइन का बिछाया जाना अपरिहार्य है।

महोदय, जब मेरे दिमाग में लाइन परिवर्तन का विचार आया तो मैंने सभी रेलवे अधिकारियों दोनों जो कि कार्य कर रहे हैं और वे जो कि सेवा मुक्त हो चुके हैं को विचार-विमर्श के लिए बुलाया जिन्होंने बंगलौर में इस बारे में विचार-विमर्श किया। जो समाधान निकला वह यह था कि एक समान लाइनें बनाई जाए अर्थात् सभी लाइनों को बड़ी लाइन में बदला किया जाए। महोदय मेरा मुख्य उद्देश्य निवेशकर्त्ताओं में विश्वास उत्पन्न करना था वे चाहे हमारे नागरिक हो अथवा अनिवासी भारतीय अथवा बहुराष्ट्रीय। मैं उन्हें सुनिश्चित करना चाहता हूं कि रेल यातायात का आधारभूत ढांचा पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम इसमें इतना अधिक निवेश करेंगे कि लोग किसी भी क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। महोदय, स्वतंत्रता से अब तक केवल 3,355 किलोमीटर लाइन को ही परिवर्तित करने का कार्य किया गया है पूरी सातवीं योजना में केवल 327 किलोमीटर लाइन को ही बदला जा सका। महोदय, मुझे विश्वास है कि पूरी सभा प्रसन्न होगी और भारतीय रेलवे पर गर्व महसूस करेगी कि प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पहली बार 6 हजार कि० मी० लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का मजबूत निर्णय किया गया है। मैंने इस कार्य को अत्यन्त मितव्ययतापूर्ण तरीके से कार्यरूप देने का आदेश दिया है ताकि उपलब्ध सीमित स्रोतों से अधिकाधिक दूरी तक बड़ी लाइन बिछाई जा सकें। मुझे विश्वास है कि जब मैं रेलवे लाइनों में यह समानता लाऊंगा तो सदस्य, विशेषकर कि वे जो विपक्ष में बैठे है यह महसूस करेंगे कि यह कोई सपना है या वास्तविकता। मैं उनसे केवल धैर्य रखने और सहयोग देने तथा रेलवे कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने का अनुरोध करूंगा जो कि वर्ष 1992-93 के दौरान कम-से-कम 1200 किलोमीटर लाइन को छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के चुनौतीपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं।

महोदय, वर्ष 1992-93 के बजट में शामिल लाइन परिवर्तन के अतिरिक्त, मेरा पश्चिम बंगाल में पुरूलिया-कोटशिला को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का भी विचार है। यदि आप गौर करेंगे तो मैं इस प्रस्ताव को वापस ले लूंगा ···(व्यवधान)··· इसके बाद, तमिलनाडु के लोगों को बहुत पुराना इच्छा का पूरा करने के लिए मैंने तिरूचि से डिन्डीगुल तक बड़ी लाइन परिवर्तन की अपेक्षा मद्रास से डिन्डीगुल तक करने के बारे में विचार किया है। संसद के पूर्व सदस्य, श्री मूपानार, श्री रामामूर्ति, श्री पालनीस्वी, श्री तिन्डीवनम् रामामूर्ति, श्रीमती जयन्ती नटराजन्, श्री सुन्दराजन् और श्री श्रीधरन् जो कि ए० आई० ए० डी० एम० के० तथा कांग्रेस से सम्बन्ध रखते हैं सहित हमारे अनेक मित्र ऐसा करने के लिए कह रहे थे।

महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने संसद की दोनों सभाओं में गेज परिवर्तन पर बहुत ही गर्व के साथ अपना वक्तव्य दिया। गेज परिवर्तन के प्रति कि० मी० से रोजगार की दृष्टि से 10 हजार श्रम-दिवस उपलब्ध हो पाएंगे। यह रोजगार केवल इसके निर्माण के दौरान उप लब्ध होगा। इसके अतिरिक्त सदस्य यह कल्पना कर सकते हैं कि इसमें परिणामस्वरूप होने वाले औद्यो गिक विकास से कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे। महोदय, रेलवे को भी बहुत लाभ होगा क्योंकि बड़ी लाइन के लिए संचालन दर 80 प्रतिशत है लेकिन छोटी लाइन के लिए यह 170 है। एक बार यह लाइन परिवर्तन का कार्य पूरा हो जाने के पश्चात यह संचालन दर काफी कम हो जाएगी।

महोदय, मेरे मित्र श्री अशोक आनन्दराव देशमुख श्री विलास मुत्तेमवार, श्रीमती केसरबाई और अन्य व्यक्तियों ने मराठावाडा क्षेत्र के मनमाड औरंगाबाद-परभनी-पुरना-मुखेड और परभनी से परली-वैजनाथ लाइन को शीघ्र ही बड़ी लाइन में बदलने की मांग की है। महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि मनमाड से औरंगाबाद खण्ड को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है और इसे 3 फरवरी 1992 को चालू किया गया था। औरंगाबाद से जालना और परली-वैजनाथ से परभनी का कार्य वर्ष 1992-93 तक पूरा कर लिया जाएगा। सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरा इरादा इस समूची परि योजना को वर्ष 1994-95 तक पूरा कर देने का है।

कुछ सदस्यों ने इस बात पर अपनी-अपनी आशंका व्यक्त की है कि आठवीं योजना में 6000 किलोमीटर के गेज परिवर्तन का कार्य इतना विशाल है कि वस्तुतः इस अवधि में इसका पूरा हो पाना संभव के नहीं है मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारतीय रेलवे पहले ही प्रतिवर्ष 3000 किलो मीटर लम्बी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का कार्य कर रही है अतएव 1200 किलोमीटर लम्बी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य उसके लिए बिल्कुल सम्भव है।

महोदय, माननीय सदस्य, श्री अमल दत्ता ने कहा है कि छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य लाइनों के विचार कार्यक्रम सम्बन्धी समिति के रपट के अनुरूप नहीं चल रहा है। मेरा विचार यहां भिन्न है। समिति ने 2902 किलोमीटर नई लाइनों के निर्माण और 2306 किलोमीटर छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश की थी। प्रस्तावित आमान परिवर्तन से ज्यादा भीड़-भाड़ वाले मार्ग के लिए वैकल्पिक मार्ग की सुविधा सम्भव हो सकेगी।

महोदय, हमने वर्ष 1992-93 के लिए बजट में 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया है, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना के 270 करोड़ रुपये के कुल खर्च से दुगने से भी अधिक है। महोदय, मैं व्यापारियों और उद्योग पतियों से निवेदन करता हूं कि वे आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रेलवे की योजना ज्ञात करें और निवेश के लिए स्थलों का चयन तदनुसार करें, ताकि उन्हें रेलवे की संरचना के अभाव में किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े।

हमारी अन्य योजनाएं विद्युतीकरण पुरानी पटरियों को बदलने मानव संसाधन विकास और तक नीकि सुधार से जुड़ी हैं। विद्युतीयकरण के बढ़ने से हम तेल की खपत कम कर सकते हैं और इस प्रकार

तेल का आयात भी कम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि राज्य सरकार और बिजली बोर्ड बिजली की दर में बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे। हमने कोयले की ढुलाई दर में थोड़ी ही वृद्धि की है।

महोदय, मेरे मित्र पं० बंगाल के मुख्यमंत्री श्री ज्योति बसु, योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी कुमारी ममता बनर्जी और अन्य माननीय सांसद, श्री सैफुद्दीन चौधरी, श्री अमल दत्त तथा कई अन्य व्यक्ति 'बंडेल कटवा' क्षेत्र के विद्युतकरण की एक स्वर में मांग करते रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अब आप संतुष्ट होंगे···(व्यवधान)। इन सभी को प्रस्तावों का स्वागत करते हुए मैंने योजना आयोग को यह प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है ···(व्यवधान)···महोदय, 2 × 25 के० वी० प्रौद्योगिकी को बीना-कटनी अनूपपुर खंड पर लागू किया जा रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि जो अनुभव इससे प्राप्त होगा, उससे हम इस प्रौद्योगिकी के विस्तार में सक्षम होंगे और ऊर्जा की बचत में भी इससे मदद मिलेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या रेल मंत्रालय इसे शामिल करने की सिफारिश कर रहा है?

श्री सी०के० जाफर शरीफ : जी, हां। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : प्रधानमंत्री महोदय, आपका क्या विचार है?

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंहराव) : आपने जितना शोर-शराबा किया है, उसके अनुरूप उनका जवाब बिल्कुल ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अतः, हम इसे प्रधानमंत्री जी का आश्वासन मान लेते हैं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : तब आप प्रधान मंत्री जी को आश्वासन दें, कि किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी और आप बजट के समर्थन में मतदान करेंगे।

महोदय, सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक निश्चित प्रौद्योगिकीय सुधार और उच्च हार्स-पावर के इंजनों के आयात की योजना थी। मुझे सभा को यह बताने में हर्ष अनुभव हो रहा है कि 6000 हार्स-पावर ए० सी 3 फेज इंजनों के आयात के लिए निर्णय ले लिया गया है। यह एक विकासोन्मुख कदम है, क्योंकि कि इससे ऊर्जा की बचत में भी सुविधा होगी और भविष्य में इससे ढुलाई की जरूरत भी पूरी हो सकेगी। महोदय समाचारपत्र में कुछ गलत खबरें छपी हैं जो जाहिर है कि स्वार्थी तत्वों के इशारे पर किया गया है। यद्यपि इस परियोजना को एशियन विकास बैंक द्वारा स्वीकृति मिल चुकी थी, परन्तु रेलवे बोर्ड इसकी निविदा को सही समय पर अन्तिम रूप नहीं दे पाया था। इसका परिणाम यह हुआ कि हमें इस पर 4 मिलियन डालर की अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा है। यह तीसरा प्रयास था और इस देरी की वजह से कीमतों में 60 प्रतिशत की हानि भी हुई है। कतिपय वर्ग आधुनिकीकरण से घबराये हुए हैं। फिर भी, हमें खुशी है इस बात की कि स्वार्थी तत्वों की सभी कोशिशों के बावजूद तमाम बाधाओं को दूर कर हम सफल प्रौद्योगिकी के लिए तैयार हो चुके हैं, बजाए इसके कि नई प्रौद्योगिकी का आश्रय लिया जाए, जिसका परीक्षण अभी नहीं हुआ हो। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय सदस्य

प्रौद्योगिकी उन्नयन के बगैर रेलवे को प्रतियोगी नहीं बनाया जा सकता और उचित लागत पर सेवा जारी नहीं रखी जा सकती है चितरंजन के इंजन कारखाने में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और घरेलू उत्पादन का कार्य साथ-साथ चलेगा। प्रौद्योगिकी को घरेलू जरूरत के अनुरूप ढालने के लिए निजी और सार्वजनिक उपक्रमों की भागीदारी के अवसरों का हर संभव पता लगाया जाएगा।

महोदय, मैंने यात्रियों की सुविधा के लिये वर्ष 1992-93 के वास्ते 50 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया है. जबकि पिछले वर्ष यह मात्र 31 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार यह 61 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। मेरी इच्छा यह है कि लम्बी दूरी की गाड़ियों में भोजनयान की सुविधा प्रदान की जाए। स्टेशन पर सफाई रखने की पूरी की पूरी जिम्मेदारी स्टेशन मास्टर और स्टेशन अधीक्षक की होगी और वे सभी एजेंसियों की सेवाओं को समन्वित करेंगे, जो उनके प्रति उत्तरदायी होंगी। जहां तक चलती गाड़ी में सफाई की बात है तो यह कंडक्टर-इन्चार्ज की तथा चल टिकट परीक्षकों के दल की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी। इस प्रकार यात्रियों को यह जानकारी होगी कि किसे सफाई के लिए शिकायत करनी चाहिए। यह सेवा सुधार समूहों के अतिरिक्त होगी जो स्टेशन पर और गाड़ियों में यात्री-सुविधाओं पर निगरानी रखेंगे।

महोदय, उड़ीसा के माननीय सदस्य विशेष रूप से श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही, श्री एस० के० साहू और अन्य मित्र उड़ीसा से राष्ट्रीय राजधानी तक के लिए सुविधाजनक समयों पर एक तेज रफ्तार की गाड़ी चलाने की मांग करते रहे हैं। मुझे सभा को यह बताने में खुशी हो रही है कि उड़ीसा से दिल्ली तक के लिए सप्ताह में तीनों दिनों के लिए एक तेज गाड़ी चलाए जाने को मंजूर कर लिया गया है। इस गाड़ी का मार्ग क्या होगा और इसकी समय-सारणी क्या होगी, इस पर अभी विचार चल रहा है।

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय, वह जान बूझकर उड़ीसा की उपेक्षा कर रहे हैं। वहां एक भी मार्ग पर आंशिक परिवर्तन नहीं किया गया है। और नहीं कोई नई परियोजना है। विद्युतीकरण की कहीं कोई चर्चा तक नहीं देखने को मिलती है। उड़ीसा को पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया है। जबकि लौह-अयस्क का सर्वाधिक हिस्सा उड़ीसा से ही प्राप्त होता है। आपने उड़ीसा को कुछ भी नहीं दिया है। आप अपनी नई गाड़ी वापस ले लीजिए। हम इस नई गाड़ी को नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मुझे यह घोषणा करने में खुशी हो रही है कि नई दिल्ली-हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस को इलाहाबाद जोकि पवित्र और ऐतिहासिक नगर होने के साथ-साथ भारतीय स्वाधीनता संग्राम का केन्द्र-बिन्दू भी रहा है वाले स्टोपेज से उसे आगे भी जारी रखा जा रहा है। (व्यवधान) महोदय, संसाधनों के जुटाने का एक क्षेत्र यह है कि महानगरों में वायु क्षेत्र का उपयोग किया जाए। इस संभावनाओं में परिपूर्ण क्षेत्र का उपयोग अभी बाकी है और मैं इस बारे में सतर्कता से आगे बढ़ रहा हूं। मेरे मन्त्रालय ने कुछ संभावनाओं से परिपूर्ण क्षेत्र की पहचान भूमि प्रबन्ध के लिए तथा महत्वपूर्ण महानगरों में वायुक्षेत्र के उपभोग के लिए कर ली है। मैं इस काम को करने की जिम्मेदारी रेलवे कन्सट्रक्शन कम्पनी को सौंपना चाहता हूं मैं सार्वजनिक उद्यम को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा, जिन्हें महानगरों में क्षेत्र की जरूरत है और निजी क्षेत्र के उपक्रमों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

फिर भी, आई० आर० सी० ओ० एन० को भी ठेके के लिए उत्तम आधार ढूंढने को कहा जाएगा···

(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा की उपेक्षा क्यों की जा रही है ? क्या उड़ीसा भारत का हिस्सा नहीं है ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या इस बारे में मैं बाद में बोल सकता हूं ?

श्री श्रीकांत जेना : मैं आपको अभी बोलने नहीं दूंगा । मैं इसका कड़ा विरोध करता हूं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना, यह कोई तरीका नहीं है । कृपया आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह उचित नहीं है ।

2.35 म० प०

इस समय श्री श्रीकांत जेना और श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी आये और सभा-पटल के निकट खड़े हो गए ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : श्री सुनील दत्त ने मुम्बई में जमीन का वाणिज्यिक दोहन करने के लिए निवेदन किया है । उन्होंने कहा है कि इस कार्य से जो धन प्राप्त होगा, उसे बम्बई के क्षेत्र में उपनगरीय सुविधाओं के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है मैं सुनील दत्त जी से निवेदन करूंगा कि बांद्रा स्टेशन के क्षेत्र में अवैध कब्जों को हटाने में रेलवे को मदद करें, ताकि बांद्रा टर्मिनल को, जिसमें रेलवे ने 10 करोड़ रुपये की लागत लगाई है, चालू किया जा सके ।

2.36 म० प०

इस समय श्री श्रीकांत जेना और श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी अपने-अपने स्थानों पर वापिस चले गए ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, दूसरा क्षेत्र जो संभावनाओं से परिपूर्ण है वह है विज्ञापनों के माध्यम से संसाधनों को जुटाने का इसकी संभावना भी व्यापक है । महत्वपूर्ण गाड़ियों में तथा महत्वपूर्ण महानगरीय स्टेशनों पर तथा कलकत्ता मेट्रो रेलवे में रोचक विज्ञापन दिये जाएंगे । (व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना : महोदय, मैं विरोधस्वरूप सदन से बाहर जा रहा हूं ।

2.37 अ० प०

तत्पश्चात् श्री श्रीकान्त जेना सभा-भवन से बाहर चले गए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मुझे पक्का विश्वास है कि इस क्षेत्र की अपार सम्भावना है लेकिन इसे किसी दक्ष विज्ञापन एजेन्सी द्वारा कराये जाने की आवश्यकता है, जो कुछ नयापन दिखा सके। उन अत्यधिक उपभोक्ताओं के साथ सीधा सम्बन्ध रखना सम्भव नहीं है, जो विज्ञापन में रुचि रखते हैं। इसका नकारात्मक असर हो सकता है। विशेषज्ञ को शामिल करने से फायदा यह होगा कि लाभ को उचित आधार पर बांटा जा सकता है, क्योंकि कीमत भी इसमें शामिल है। मैं मन्त्रालय को निदेश दे रहा हूं कि यह पता किया जाए कि क्या गाड़ियों में उपभोक्ता सम्बन्धी वस्तुओं को विज्ञापित करने से अच्छा धन प्राप्त हो सकता है। इस तरह के विज्ञापन कई देशों में दिए गए हैं और इससे फायदा भी हुआ है।

महोदय, रेलवे में प्रबन्धक-संवर्ग से लेकर एक छोटा सा कर्मचारी भी प्रौद्योगिकी परिवर्तन के दौर से तो गुजर रहा है। साथ ही वह नयी कार्यसंस्कृति को भी महसूस कर रहा है। इसे जारी रखा जाना है और इस संगठन को मजबूत कर उत्पादकता को बढ़ाना है। महोदय, मैं रेलवे कर्मचारियों पर गर्व करता हूं। उनकी क्षमता असाधारण है। महोदय, मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज ने रेलवे कर्मचारियों की छटनी को लेकर अपनी आशंका व्यक्त की है। मैं उन्हें स्पष्ट शब्दों में आश्वस्त करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की कोई छंटनी नहीं की जाएगी। हमारा लक्ष्य यह होगा कि लोगों को प्रशिक्षित करके अच्छी उत्पादकता और उच्च क्षमता के लिए उन्हें पुनः काम पर तैनात किया जाए।

महोदय, मैंने मुद्रास्फीति की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के विचार से मालभाड़े की दरों में मामूली सी वृद्धि की है।

महोदय, वास्तव में मैंने सभी आवश्यक वस्तुओं को मालभाड़ा वृद्धि से पूर्णतया मुक्त रखा है। पश्चिमी-बंगाल के मुख्यमन्त्री महोदय ने अनुरोध किया है कि दूध को भी इससे मुक्त रखा जाए। मेरे अनन्य सहयोगी कृषि मन्त्री श्री बलराम जाखड़ ने भी ऐसा ही सुझाव दिया है। इनके अनुरोध से भिन्न मैं रेल टैंकरों में दूध लाने ले जाने पर भाड़ा वृद्धि नहीं करना चाहता। महोदय, वर्ष 1991 के अगस्त माह में मुद्रास्फीति की दर 16.7 प्रतिशत तक पहुंच गई थी, जो कि अब घटकर फरवरी 1992 में 11.8 प्रतिशत रह गई है। इस बजट में जो भाड़ा वृद्धि की गई है, वह मुद्रा-स्फीति की दर से बहुत ही कम है। महोदय, मुझे यकीन है कि सभी माननीय सदस्य इस बात की सराहना करेंगे। (व्यवधान) महोदय, यात्री किराया भी मामूली ही बढ़ाया गया है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : पुस्तकों के बारे में क्या किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह से नहीं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं जानता हूं कि उपनगरीय यात्री इससे प्रसन्न नहीं हैं।

(व्यवधान)

महोदय, यात्री किराये में मामूली वृद्धि ही की गई है। मैं जानता कि उपनगरीय यात्री इससे अधिक प्रसन्न नहीं हैं। रेल परिवहन व्यवस्था के अर्थशास्त्र की सराहना के लिए मैं इस सदन में मुम्बई के माननीय सदस्यों तथा मुम्बई, कलकत्ता और मद्रास के उपनगरों के दैनिक यात्रियों की ओर से केवल यह इच्छा व्यक्त करना चाहूंगा कि महोदय, उपनगरीय सेवाओं पर वर्ष 1989-90 में जो वास्तविक घाटा 198 करोड़ रुपये था वह वर्ष 1990-91 में बढ़कर 207 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। भारतीय रेलवे सामाजिक दायित्वों पर इतना भारी घाटा वहन करने की स्थिति में नहीं हैं और इससे तो इसकी परिवहन क्षमता पर विपरीत असर पड़ेगा। संचालन सम्बन्धी ऐसे घाटे रेल प्रणाली को पंगू बना देंगे, इससे पटरियों और उपकरणों आदि को बदलना, नये तथा अतिरिक्त कार्यों का किया जाना प्रभावित होगा और अन्ततः इससे स्थिरता और अपकर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी यह वांछनीय नहीं है।

उपनगरीय सेवाओं की एक विशेषता यह भी है कि मासिक सीजन टिकटों पर बहुत भारी रियायत है और अधिकांशतः दैनिक यात्री मासिक सीजन टिकट धारक ही हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। समूचे देश में लोग उपनगरीय सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अब बैठ जाइये।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों ने इस बात की सिफारिश की है कि दूसरे-दर्जे की मासिक सीजन टिकट का मूल्य 24 एक-तरफा किराये के बराबर कर दिया जाए।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : महोदय, मेरा व्यवस्था का एक प्रश्न है। महोदय, हम मंत्री जी की बात सुनना चाहते हैं लेकिन यहां बहुत ही शोर हो रहा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : बिहार के बारे में बताइये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह सदन की गरिमा का प्रश्न है। (व्यवधान)

2.44 म० प०

[तत्पश्चात् श्री नीतिश कुमार, शरद यादव और कुछ अन्य सदस्यगण सभा भवन से बाहर चले गये।]

[अनुवाद]

श्री सी० के० जाफर शरीफ : और इस बात की भी सिफारिश की है कि प्रथम श्रेणी के मासिक

सीजन टिकट का मूल्य दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट के मूल्य का 4-6 गुना कर दिया जाए। इस बजट में हमने मासिक सीजन टिकट का किराया 8-25 एक-तरफा किराये से बढ़ाकर 9-24 एक-तरफा किराया करने का ही प्रयास किया है।

उपनगरीय दैनिक यात्री जोकि विभिन्न वाणिज्यिक औद्योगिक एवं सेवागत प्रतिष्ठानों में सेवारत हैं, उन्हें आने-जाने के खर्च के बदले अपने नियोक्ताओं से पर्याप्त भरपाई हो जाती है और यह तो केवल नाम-मात्र की ही वृद्धि है, जोकि रेल विभाग को अपनी सेवाओं के बदले चुकानी जानी चाहिये। इसके साथ-साथ भूमि सुधार और वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों का विकास तथा पंच-तारा होटलों की संख्या बड़े नगरों में निरंतर बढ़ रही है, जिससे उपनगरीय रेलवे प्रणाली के संसाधनों पर और भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वास्तविक सम्पदा विकास अधिकरण तथा वाणिज्यिक व औद्योगिक प्रतिष्ठानों स्वयं भारी लाभ कमाने के साथ-साथ उपनगरीय रेल-प्रणाली पर भारी बोझ डालती हैं। मैं राज्य सरकारों तथा नगर निगम प्राधिकरणों से इस बारे में सहयोग चाहता हूं कि एक नियत लेवी द्वारा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से संसाधन प्राप्त कर रेलवे विभाग को पहुंचायें, जिसके बिना रेलवे विभाग के लिए रेल व्यवस्था को चलाये रखना वास्तव में असम्भव सा बन पड़ेगा।

आदान लागत में वृद्धि होती जा रही है। मुद्रा स्फीति की दर अगस्त 1991 में 16.7 प्रतिशत के लगभग पहुंच गई थी। विगत छः वर्षों में मुम्बई क्षेत्र को महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड से मिलने वाली बिजली की दरों में 112 प्रतिशत और टाटा से मिलने वाली बिजली की दर में 71 प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

महोदय, मुम्बई क्षेत्र से माननीय श्री नारद विचे, श्री सुनील दत्त, श्री पुरली देवड़ा, श्री राम नाईक, प्रो० राम कापसे और कुछ अन्य सदस्यों ने उपनगरीय किरायों में वृद्धि का बड़ा विरोध किया है। मैं उनकी भावनाओं को समझ सकता हूं और उन्हें महसूस करता हूं।

आदान लागत में वृद्धि के बावजूद भी मैंने दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकटों पर पड़ने वाले भार को कम करने का निर्णय लिया है। परिशोधित वृद्धि निम्नानुसार होगी :—

किलोमीटर :	
1 से 10	कोई वृद्धि नहीं
11 से 15	रुपये 11.00
16 से 70	रुपये 20.00
71 से 150	रुपये 25.00

इस परिशोधन के परिणामस्वरूप दूसरे दर्जे के मासिक सीजन टिकट धारकों को बजट-प्रस्तावों के मुकाबले में 1 किलोमीटर से 70 किलोमीटर रेंज में 2 रुपये से 20 रुपये, 71 किलोमीटर से 150 किलोमीटर रेंज में 17 रुपये से 25 रुपये तक की राहत होगी। प्रथम श्रेणी के मासिक टिकट भी तद्नुसार समायोजित किए जायेंगे।

महोदय, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग के लोगों पर भार कम करने के लिए मैंने 501 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की दूरी पर स्लीपर चार्जिज पर से 5 रुपये की वृद्धि को वापिस लेने का निर्णय किया है। मैंने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित स्लीपर तथा वातानुकूलित चेयरकार के मामले में 20 प्रतिशत की प्रस्तावित वृद्धि को भी 15 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।

महोदय, मध्यम वर्गीय घरानों को जो कठिनाईयां होती हैं, मैं उनके बारे में सजग हूं और इसलिए खाना पकाने की गैस को किसी भी किस्म की भाड़ा वृद्धि से मुक्त रखा है। इन चीजों से लगभग 60 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि होगी तथा अन्य आर्थिक उपायों के माध्यम से मैं इसे पूरा करने का प्रयास करूंगा।

महोदय, पुराने सवारी डिब्बों को बदलने और नये सवारी डिब्बे लगाने के लिए हमें पूंजी की आवश्यकता है। उपनगरीय सेवा में वर्तमान किराया वृद्धि से तो केवल संचालन खर्च की ही पूर्ति हो सकती है। यहां तक कि अधिक पुराने सवारी डिब्बों को बदलने के प्रयास में मैंने मन्त्रालय से कहा है कि डी० डी० ई० एम० यू० सवारी डिब्बों के लिए भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलौर को आर्डर भेजा जाए। ई० एम० यू० सवारी डिब्बों का निर्माण करने वाली जेसोप कम्पनी से सवारी डिब्बे लिए ही जा रहे हैं।

महोदय, वर्ष 1991-92 में औद्योगिक क्षेत्र में मंदी का माहौल होते हुए भी रेलवे ने बहुत अच्छा काम किया है। रेलवे ने अप्रैल-दिसम्बर 1991 की अवधि में, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल ढुलाई 7.64 प्रतिशत अधिक की थी। मैंने वर्ष 1991-92 के संशोधित प्राक्कलनों में 190 लाख टन माल ढुलाई का प्रावधान रखा था जोकि 3350 लाख टन के बजट प्राक्कलनों से 20 लाख टन अधिक है। महोदय, मुझे इस बात का यकीन है कि इस वर्ष के अन्त तक हम कम से कम 10 लाख टन और अधिक माल ढुलाई कर सकेंगे। इससे हमारा वित्तीय आधार और मजबूत होगा।

महोदय, वर्ष 1991-92 में मुद्रास्फीति बढ़ने के बावजूद रेलवे ने 280 करोड़ रुपये तक की लागत को आत्मसात किया है और कड़े मूल्यनियंत्रण, खर्च में कटौती व आर्थिक उपायों को अपनाते हुए अपना खर्च बजट प्रावधानों तक ही नियंत्रित रखा है और केवल 25 करोड़ रुपये की ही सीमान्त वृद्धि हुई है।

महोदय, एक अन्य महत्वपूर्ण सफलता स्क्रैप को बेचने के क्षेत्र में हुई है। वर्ष 1990-91 में स्क्रैप की बिक्री से 410 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि 1991-92 में इससे 500 करोड़ रुपये प्राप्त होने की सम्भावना है। बाजार के व्यापक विश्लेषण के आधार पर चलाए गए एक सुनियोजित अभियान के परिणामस्वरूप यह सफलता मिली है जिससे स्क्रैप की अधिक बिक्री हो सकेगी और उचित व जार मूल्य भी मिल सकेंगे।

महोदय, मुझे यकीन है इस वर्ष के अन्त तक हमारी संरचनागत व वित्तीय क्षमता अधिक अच्छी हो जाएगी और ऐसे पद चिन्ह छोड़ेगी जोकि लम्बे समय तक याद किये जाते रहेंगे।

महोदय, मैंने लागत नियंत्रण से लागत घटाकर तथा अनेक आर्थिक उपायों के माध्यम से संचालन व्यय में कटौती करने की एक कार्य योजना आरम्भ की थी। माननीय सदस्य यह जानकर प्रसन्न होंगे कि इन प्रयासों के परिणामस्वरूप हम संचालनगत व्यय के अनुपात को दो प्रकाशित बिन्दु कम कर पाये हैं। वर्ष 1992-93 में, मैं इन उपायों को और मजबूती से लागू करना और सभी व्यर्थ खर्च को बिल्कुल समाप्त करना चाहता हूं, ताकि इससे रेल व्यवस्था में उत्पादकता और कार्यकुशलता बढ़ सके।

उत्तम प्रबन्धकीय लोकनीति तैयार करने के लिए संगठनात्मक और संरचनात्मक परिवर्तनों संबंधी मेरा तर्क एक मजबूत और जीवन्त रेलवे व्यवस्था की मेरी रणनीति पर आधारित है। महोदय, सातवीं योजना में रेलवे ने बहुत सी सफलतायें प्राप्त की हैं। मेरी यह परिकल्पना है कि आठवीं योजना के दौरान रेल व्यवस्था में पूर्णरूपेण परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि 60 ... किलोमीटर मीटर गेज लाइन को ब्राडगेज में परिवर्तन कर दिया जाएगा और परिवहन सम्बन्धी एक ऐसी मौलिक संरचना तैयार हो जाएगी, जिस पर देश गर्व कर सकेगा। रेलवे को अपनी सार्थक भूमिका के लिए सही प्रकार की प्रौद्योगिकी का चयन करना होगा, सही निर्णय लेने होंगे और सही रणनीति अपनानी होगी, तभी उसे व्यापार सम्बन्धी अवसर प्राप्त होंगे और उच्चतम प्रतियोगी व परिवहन सम्बन्धी एक मौलिक संरचना के रूप में अपनी अग्रणी भूमिका स्थापित करनी होगी। आज के दृष्टिकोण में एक भारी बदलाव की आवश्यकता है।

महोदय, रेलवे ने अपनी आन्तरिक शक्ति प्रदर्शित की है। वर्ष 1991-92 में सेवा प्रदान करने सम्बन्धी निष्पादन और वित्तीय निष्पादन तथा वर्ष 1992-93 के लिए इनकी सम्भावनाओं से पता चलता है कि रेलवे का मतलब व्यवसाय है। महोदय, इन दो वर्षों के दौरान विकास निधि के लिए लिया गया 534 करोड़ रुपए का ऋण और आस्थगित लाभांश की 416 करोड़ रुपए की देयता सहित कुल 950 करोड़ रुपए का पूर्ण रूप से भुगतान करना सम्भव हो सकेगा और ऐसा मुख्य रूप से अच्छे निष्पादन के कारण सम्भव हो सकेगा। इसके परिणामस्वरूप हम 5,700 करोड़ रुपए की एक योजना के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में समर्थ हो सके हैं। महोदय, मुझे आशा है कि माननीय सदस्यगण इसकी सराहना करेंगे, क्योंकि इस युगान्तरकारी उपलब्धि को अभी से मान्यता मिलनी चाहिए। महोदय मुझे विश्वास है माननीय सदस्यगण सशक्त और व्यवहारिक रेल प्रणाली की इस परिकल्पना में मेरा साथ देंगे और किराये में वृद्धि करने सम्बन्धी उपायों का समर्थन करेंगे ताकि हम अधिक से अधिक निवेश कर सकें क्योंकि निवेश के बिना विकास संभव नहीं है।

महोदय, अन्त में, मैं रेलवे कर्मचारियों द्वारा देश की एकता और अखण्डता बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को फिर से उजागर करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही कष्टकर परिस्थितियों में रेलों को चलाया है और इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

महोदय, अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सभी कटौती प्रस्तावों को वापिस ले लें और अनुदान मांगों को सर्वसम्मति से पारित करने में सहयोग प्रदान करें।

2.52 म० प०

इस समय श्रीमती लीला गोपालन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट आकर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : आर० पी० एफ० एसोसियेशन की मान्यता बहाल करने के बारे में आपने कुछ भी नहीं कहा है। (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : आप इस पर गृह मन्त्री और प्रधानमन्त्री से चर्चा करें।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : प्रधानमन्त्री यहां मौजूद हैं। मैं प्रधानमन्त्री से मिल चुका हूं। इस बारे में प्रधानमन्त्री आप से पहले ही कह चुके हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, कृपया अपने स्थान पर जाइए, हद हो गई। मैं आपसे अपने स्थान पर वापिस जाने के लिए कह रहा हूं। हद हो गई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीकान्त जेना, मुझे कुछ कहने दो। आप अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं नेताओं से अपने सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए कह सकता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई सब्जी का नहीं है। आप कृपया अपनी जगह पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इन सब बातों की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाहर नहीं भेज रहा हूं। आप वरिष्ठ सदस्य हैं आपको ठीक से व्यवहार करना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान ग्रहण करें मुझे बोलने दीजिए। श्री जेना और श्री आचार्य आप लोग कृपया अपने स्थान पर जाइए। मुझे बोलने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। इसे संसद के इतिहास में लिखा जाएगा। आप कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से नहीं। यह संसद के इतिहास में लिखा जाएगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। मुझे बोलने दीजिए। मैं आपको निकाल नहीं रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना यह ठीक नहीं है। इसे दर्ज किया जा रहा है। यह संसद और लोकतंत्र के हित में नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं कह रहा हूं, मैं आपको बोलने का अवसर दे सकता हूं। आपको अपनी जगहों पर वापिस जाना होगा। मैं नेताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि वे अपने सदस्यों को अपनी जगहों पर जाने के लिए कहें। यह दल का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस तरह की बातों की अनुमति नहीं दूंगा। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। कृपया अपनी जगहों पर जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा। श्रीमती सुशीला जी मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। कृपया बात समझिए।

3.59 अ० प०

इस समय श्री श्रीकान्त जेना और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना : इस दर पर तो देश विचलित हो जाएगा। मैं आपसे कहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चिन्ता न करें, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं कि उड़ीसा और बिहार को इस मामले में बहुत ही नेगलेक्ट किया गया है। (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, कुछ राज्यों जैसे उड़ीसा, बिहार और केरल के सम्बन्ध में सदस्यों में बहुत रोष है, मैं प्रधानमन्त्री महोदय से जो कि इस समय यहां पर मौजूद हैं, यह कहने का अनुरोध करता हूं कि वह स्वयं यह कहें कि उनके प्रस्तावों और शिकायतों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। मैं माननीय प्रधानमन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे कम से कम यह आश्वासन दें कि सरकार उनकी शिकायतों पर विचार करेगी···(**व्यवधान**)···

3.00 म० प०

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : महोदय, हम न्याय चाहते हैं···(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं प्रधानमन्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे सदस्यों को यह आश्वासन दें कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा···(**व्यवधान**)···

[हिन्दी]

श्री नितीश कुमार (बाढ़) : बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को न्याय चाहिए, दया नहीं चाहिए। (**व्यवधान**) बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा को जिस ढंग से नेग्लेक्ट किया गया है रेलवे के मामले में, हमें न्याय चाहिए।···(**व्यवधान**)···

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : अध्यक्ष जी, मेरी स्मृति में रेल बजट पर इस प्रकार की प्रतिक्रिया पहले कभी उत्तर के समय नहीं हुई और मैं समझता हूं कि रेल मन्त्री जी ने जिस प्रकार से अपना उत्तर रखने की कोशिश की है, उसका बहुत बड़ा योगदान उसमें हुआ। चूंकि एक-एक प्रदेश का नाम ले-लेकर और 4 मेम्बरों का नाम लेकर जब उन्होंने रखा तो स्वाभाविक रूप से जिन-जिन प्रदेशों का नाम नहीं लिया, उन प्रदेशों के सभी सदस्यों के मन में गहरा आघात पहुंचा कि क्या बात है कि वे क्यों इसका नाम ले रहे हैं और हमारे लिए कुछ नहीं है! मैं यह मानता हूं कि साधारणत: कोई भी रेल मन्त्री हो, उनके संसाधनों की जो सीमा है, उसके अनुसार ही वह किसी भी प्रदेश में कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि अचानक ऐसा दिखाई दिया जैसे मानो उड़ीसा है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, केरल है, दिल्ली है, चाहे उन्होंने एक स्थान पर मेरी पार्टी का नाम लेकर यह भी कहा कि मैंने राजनीतिक विरोध के कारण कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इससे लोगों को यह आभास मिला कि जिन-जिन प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। मैं यह आरोप नहीं लगा रहा हूं। रेल मन्त्री जी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं यह आपको बता रहा हूं कि आपने जिस प्रकार उत्तर दिया, उस

उत्तर के कारण मेरे बहुत सारे साथियों को बहुत असन्तोष हुआ और उस असन्तोष की अभिव्यक्ति इस ढंग से हुई जैसी पहले कभी भी नहीं हुई। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो असंतोष हमने प्रकट करना था, वह हमने कर लिया और आगे का असंतोष हम अपने कट मोशन्स द्वारा करेंगे और इस रेल बजट की कार्यवाही को पूरा होने दें। यह मेरा निवेदन है।···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्य अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, ताकि सभी बातों को सही परिप्रेक्ष्य में देखा जा सके और सहायता की जा सके, कृपया इसे समझाइए···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। रेल मंत्री जी ने कुछ आपत्तिजनक बातों को अपने वक्तव्य में रखा है। हम लोगों ने भी अपने ऐसी मांग रखी थी लेकिन कुछ सदस्यों का नाम लेकर जिस प्रकार से मांग को स्वीकार किया है, यह सदन के लिए अपमान की बात है। हम भी चुनकर आए हैं। हमने भी कहा था कि ललितपुर तथा सिंगरौली के बीच नई रेलवे लाइन बनाई जाए, लेकिन मंत्री जी ने··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। मैंने व्यवस्था दे दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप अव्यवस्था मत कीजिए, प्लीज मैं आपको बोलता हूं कि आप इतने उत्तेजित मत हो जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप सुनिए तो सही। यह जो सदन है, यह हमारे देश का सर्वोच्च अधिकार प्राप्त सदन है और इसीलिए आपको सुनना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देखिए, आप पहले मेरी बात को सुन लीजिए पहले। मैं आप की मदद करना चाहता हूं, आप बैठ जाइए। आप वहां पर पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता रहा हूं कि यह सदन इतना बड़ा है कि यह सदन जो चाहता है, वही होती है और जो भी आपकी भावना है, उस भावना की कद्र मेरे ख्याल से यह सदन करता है,

सरकार करती है, सभी करते हैं उसके पास जो साधन हैं, उन साधनों के भीतर, जो कुछ उन्हें करना है, वे करते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप पहले बैठ जाइए। यह क्या चल रहा है। आपकी मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, आप बार-बार उठकर बोल रहे हैं। क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपके बोलने से काम हो जाता है। मैं उनको बता रहा हूं कि आपको बुला बुलाकर के, आपके नाम चल करें और आप उठकर, खड़े होकर बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं ऐसे कि क्या चल रहा है या यहां बात करने से आपका काम होने वाला है। प्लीज अंडर स्टैंड, ऐसा मत सोचिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, आप पहले बैठ जाइए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, जिन राज्यों को साधन दिए गए हैं, हम लोगों को खुशी है कि उन राज्यों को साधन दिए गए हैं, वे कहीं बाहर के नहीं हैं, अपने देश के हैं। पूरा देश एक है। यदि किसी भी हिस्से में देश के साधन लगते हैं, चाहे कर्नाटक हो, आंध्र हो, खुशी की बात है, क्योंकि अपना ही देश है, उसमें साधन लगे, यह अच्छी बात है। उसी के साथ-साथ साधनों की सीमा का भी हम लोगों को अहसास है। लेकिन उन्हीं साधनों के अन्दर, जब इस तरह का कुछ नक्शा उभरने लगता है कि एक सिलसिले में वे राज्य, जहां पर सत्ताधारी दल नहीं है, उनको कोई भी हिस्सा परोसने में न मिले तो वहां जरूर तकलीफ होती है। पत्तल पर बैठकर, परोसते वक्त खाली अपने जान-पहचान वालों को परोसते रहें, बाकी बैठे-बैठे देखते रहें, यहां तकलीफ हो जाती है।

(व्यवधान)

इसलिए माननीय, पूरे देश से जो साधन आते हैं, वे सब साधन यहां आकर एक जगह केन्द्रित होते हैं और वे देश के साधन होते हैं। जब उनका वितरण हो तो उसमें न्याय होना चाहिए और हमें मुख्यतः यह देखना चाहिए कि जहां पर, यदि आप आबादी भी जोड़ें इन राज्यों की, तो देश का बहुत बड़ा हिस्सा एकदम बाहर रहा, रेल मंत्री जी के उत्तर से। इसलिए जो रोष माननीय सदस्यों ने यहां प्रकट किया है, वह जायज है। हम दया की बात नहीं करते हैं, न्याय की बात जो कही गई है, हम आपसे आशा करते हैं कि जैसे आपके निर्देश पर हम लोग यहां वापस आ गए, आपके निर्देश पर ये भी अपना वापस करें कार्यक्रम, कि जिन राज्यों को डिनाई किया गया है, उसको वापस करके, परिवर्तन करें

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, विस्तार में जाए बिना मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि वह कृपया इस सम्माननीय सभा के कतिपय राज्यों के सदस्यों की प्रबल भावनाओं को समझें हम यह नहीं कह सकते हैं कि वे भावनाएं औचित्यपूर्ण नहीं हैं। मैं इसे टालना चाहता था मगर मुझे

उस पर जोर देने के लिए बाध्य किया गया है। विपक्षी दलों के शासन वाले राज्यों के साथ अत्यधिक अनुचित रूप से व्यवहार किया गया। वरिष्ठ सदस्यगण इस बात पर इतने उत्तेजित हैं कि केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश की उपेक्षा क्यों की गई है···(व्यवधान)

श्री मुरली देवरा (मुम्बई दक्षिण) केरल में कांग्रेस का शासन है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभी जानते हैं कि कांग्रेस का शासन बहुत अस्थाई ही है।

पश्चिम बंगाल में भी श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी द्वारा योजनाओं के लिए जो कुछ भी मंजूर और प्रदान किया गया है, उसे कार्यान्वित नहीं किया गया है और उन महत्वपूर्ण रेलवे योजनाओं के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बेलूरघाट योजना इसका एक उदाहरण है। पश्चिम बंगाल में जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन से नहीं जोड़ा गया है। रेल मंत्री के रूप में श्री गनी खान चौधरी द्वारा मंजूर की गई सभी योजनाओं को दबा दिया गया है। वार्षिक खाबंटन के रूप में 1000 या 2000 रुपये आवंटित किए गए हैं। हम इन सब संकीर्ण बातों को इस सदन के ध्यान में नहीं लाना चाहते हैं। यह हमारी मंशा नहीं है।

मैं समझता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जो यहां मौजूद हैं, हमारी बातें सुनेंगे। उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, केरल, पश्चिम बंगाल आदि का प्रतिनिधित्व करने वाले इस सभा के अधिकांश सदस्य बहुत उत्तेजना महसूस कर रहे हैं। ये सदस्यगण कह रहे हैं कि वे धरना देंगे। अब इस स्थिति का सामना कैसे किया जाए ? अत: मैं महसूस करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री से पुन: आग्रह करता हूं कि वह इन माननीय सदस्यों को कम से कम यह आश्वासन दें कि उनके द्वारा दिए जा रहे अभ्यावेदनों पर उचित विचार किया जाएगा, ताकि देश का कोई भी भाग यह महसूस न करे कि वह मुख्यधारा से बाहर है और केन्द्रीय सरकार कई कारणों से उनके बारे में नहीं सोचती है और ये कारण अधिकतर राजनीतिक हैं।

अत: मुझे खेद है कि मुझे फिर से यह अनुरोध करना पड़ रहा है। इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। यह सच है कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम शुरू नहीं किया जा रहा है। रेल मंत्री का सांत्वना देने के लिए स्वविवेक से कतिपय लोगों के नामों का चयन करना ठीक नहीं है। यह भाषण इन सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में परिचालित किया जाएगा और यह कहा किया जाएगा कि उनके अनुरोध पर रेल मंत्री ने ऐसा किया है। क्या रेल मंत्री द्वारा सदस्यों का चयन करने का यही तरीका है ? अत: मैं कहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मामला है। उन्हें कम-से-कम यह कहने दो कि ये मुद्दे हैं जिन पर विचार किया जाएगा।

मुझे पिछले कई वर्षों से इस सभा का सदस्य होने का सौभाग्य प्राप्त है। सभी रेल मंत्री कहते रहे हैं "कि मैं सभी मामलों और अनुरोधों पर कार्रवाई करने में असमर्थ हूं लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हरेक बात पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और जो कुछ किया जा सकता है हम उससे आपको अवगत करा देंगे। माननीय मंत्री जी द्वारा आज कम-से-कम ये शब्द तो नहीं दोहराए गए ···(व्यवधान)···आपको इन अनुरोधों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। यह स्थिति है। अत: मुझे

खेद है कि रेल मंत्री ने अनजाने में यह सब किया है। मैं उनसे इसे ठीक करने और यह आश्वासन देने का अनुरोध करता हूं कि वह कुछ खुले दिमाग से इस मामले पर विचार करें···(व्यवधान)

श्री श्रीकांत जेना (कटक) : महोदय मैं मात्र दो मिनट का समय लूंगा। रेलवे बजट पढ़कर मैं वास्तव में व्यथित हुआ और रेल मंत्री के जवाब को सुनने के पश्चात् मैं प्रसन्न नहीं हूं। आप जानते हैं कि मैं उड़ीसा का हूं। यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है। मैं केवल प्रधानमंत्री और पूरे सत्ता पक्ष का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उड़ीसा भारतीय रेल को होने वाले लाभ को 30 से 40 प्रतिशत लाभ देता है। यह पूरा लाभ दक्षिण पूर्व रेलवे से ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन मुझे खेद है कि उड़ीसा में एक किलोमीटर भी विद्युतीकरण का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वहां नई रेल लाइन बिछाने के लिए एक भी किलोमीटर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसे कि तालचेर-बिमला घाट और जगपुरा-बांसपानी परियोजना यहां तक कि रेलवे बोर्ड ने इसे अतिमहत्त्वपूर्ण रेल लाइन माना है और इसे पूरे देश में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद रेल मंत्री ने इस पर विचार नहीं किया। स्वभाविक ही है कि हम व्यथित होंगे। रेल मंत्री ने जानबूझ कर उड़ीसा की उपेक्षा की हैं। जबकि भारतीय रेल को उड़ीसा इतना कुछ दे रहा है फिर भी मंत्री जी ने इसकी उपेक्षा क्यों की है? (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। यह क्या चल रहा है। पहले मंत्री जी की सुन लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक नहीं है। कृपया आप अपने स्थान पर जाएं। मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि इस तरह अपनी बात मनवाएं। आपको अपने स्थान पर जाना होगा। अब मंत्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा करने नहीं जा रहा हूं। कृपया आप अपने स्थान पर जाएं। यह ठीक नहीं है। यह संसद है। कृपया समझने की कोशिश करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस तरह नहीं। मंत्री जी आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें। आपको उन्हें जवाब नहीं देना है। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं। हां, मंत्री जी आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करें और आपको जो कहना कहें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हां, मंत्री जी आपको उन्हें जवाब नहीं देना है। कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मेरी ओर देखें···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, मैं आपकी सहायता करूंगा। कृपया बैठ जाएं

(व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ : अध्यक्ष महोदय, मैंने विपक्ष के नेता और भूतपूर्व प्रधानमन्त्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो कि हमारे अच्छे मित्र हैं, और श्री सोमनाथ चटर्जी तथा अन्य सभी लोगों के विचार को सुना है। उनके विचारों का मैं पूरा सम्मान करता हूं।

महोदय, मुझे वास्तव में दुःख हुआ है। मैं चाहता हूं कि सदस्यगण दो-तीन मिनट के लिए धैर्य-पूर्वक मेरी बात सुनें। इसके बाद वे जो भी करना चाहें अथवा कहना चाहें उसके वे लिए स्वतन्त्रत है।

महोदय, मेरा विश्वास करें या नहीं पर मैंने किसी क्षेत्र, राज्य अथवा किसी ऐसी अन्य बात पर ध्यान नहीं दिया है। यदि मैंने ऐसा कुछ किया हो—अपने संसदीय जीवन के 22 वर्षों में मुझे ऐसा कुछ भी सुनने को नहीं मिला जो आज सुन रहा हूं। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे अभिन्न रहे चुके हैं, वे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और कई मंत्रालयों में रह चुके हैं। महोदय, कभी भी सभा के इस पक्ष को जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने क्या ऐसा ही पूर्व में भी व्यवहार किया था जो व्यवहार आज वे कर रहे हैं। हमें इसके लिए कष्ट सहना पड़ता है। महोदय, मैं कुछ भी बदले की भावना से नहीं कह रहा हूं। मेरा केवल इतना ही कहना है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह केवल आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बारे में सोच सकते हैं पर राजस्थान और असम के बारे में नहीं। वह उनकी ओर नहीं देखते क्योंकि प्रधानमंत्री जी संयोगवश उस क्षेत्र से हैं और मैं भी उसी क्षेत्र का हूं।

महोदय, विपक्ष के नेता ने बजट प्रस्तुत करने के मेरे तरीके के बारे में प्रश्न किया है। मैं पिछले 20 वर्षों से इस तरह के बजट चर्चा को सुनता रहा हूं। हां उसमें भी राज्यों का जिक्र हुआ है। सदस्य चर्चा के दौरान कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका हमें जवाब देना होता है। कई बार ऐसे भी अवसर आए हैं जब रेल मंत्री ने उन सदस्यों के नामों का उल्लेख किया है जिन्होंने कुछ भी जानकारी मांगी है। कृपया आप रिकार्ड देखें। यदि मेरी कोई गलती है तो मैं इस सभा के समक्ष या आपके निर्णय के समक्ष नत-मस्तक होने के लिए तैयार हूं।

महोदय, यदि हमने कुछ किया है तो यह उस व्यक्ति के प्रति अन्याय और अपरोपकार का भाव होगा कि वह पिछड़े क्षेत्रों, गरीबों और बेरोजगार युवकों के लिए कुछ भी करने को स्वतंत्र नहीं हो। महोदय, यदि मुझसे कोई गलत हुई है तो यह सभा मुझे दण्ड देने के लिए स्वतन्त्र है।

मुझे और कुछ नहीं कहना है, मुझे गहरा दुख हुआ है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक मिनट। सैफुद्दीन जी, कृपया आप बैठ जाएं।

आप स्वयं को, संसद तथा पीठासीन अधिकारी को सहयोग दें। हमने आपकी बात सुन ली और मैं रेल मंत्री जी को यह निर्देश दे रहा हूं कि वह प्रत्येक राज्य के सांसदों को बुलाएं और इसके अलावा भी उनकी क्या शिकायत है इस पर विचार-विमर्श करें। रेल मंत्री जी की भी कुछ कठिनाइयां हैं, आर्थिक कमी है फिर भी वे यथासम्भव उनकी बात सुने और वह कार्य कर सकते हैं। लेकिन कार्य करने का यह निर्देश नहीं है। निर्देश केवल यह है कि वह संबंध सदस्यों को बुलाएं, उनसे मिलें और चर्चा करें इससे आगे कोई निर्देश नहीं है। यदि आप सभी खड़े होकर बातचीत करने लगेंगे, तो आपके विचारों को रिकार्ड नहीं किया जाएगा, आपके विचारों को न तो सुना जाएगा और न ही उस पर कोई कार्यवाही हो सकेगी। इसलिए कृपया हमारा साथ दें और यदि आप केवल आपस में ही बातचीत करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए हम रेल मंत्री जी की कठिनाइयों को समझें और मैं समझता हूं कि वह भी आपकी भावनाओं को महसूस करेंगे। आप दोनों के बीच एक समझौता हो जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय : आप कम से कम एक बार मुझे सहयोग दें।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मुझे कुछ कहना है···

अध्यक्ष महोदय : सुशीला जी, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, कृपया बैठ जाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सी० के० जाफर शरीफ द्वारा प्रस्तुत किए गए रेल अभिसमय समिति 1991 के पहले प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के अनुमोदन सम्बन्धी संकल्प को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर और रेल वित्त तथा सामान्य वित्त से सम्बन्धित अन्य आनुषंगिक मामलों का पुनर्विलोकन करने के लिए नियुक्त की गई रेल अभिसमय समिति, 1991 के पहले प्रतिवेदन, जो 24 फरवरी, 1992 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, में अन्तर्विष्ट पैरा 12, 13, 16, 9 और 22 में की गई सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों द्वारा 1992-93 के लिए अनुदानों की मांगों के कई कटौती प्रस्ताव

प्रस्तुत किए गए हैं। मैं सभी कटौती प्रस्तावों को एक साथ सभा के मतदान के लिए रखूंगा। क्या कोई सदस्य यह चाहता है किसी विशेष कटौती को अलग से मतदान के लिए रखा जाए ?

श्री आर्वे फर्नान्डीज : महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 1299 से 1307 को अलग से प्रस्तुत करवाना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बारी-बारी से नाम पुकार रहा हूं जब मैं आपका नाम पुकारूं तो आप कृपया खड़े हो जाएं और यह बताएं कि आपको अपना कटौती प्रस्ताव सदन के समक्ष रखना है या नहीं। अब कृपया आप बैठ जाएं।

श्री जितेंद्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी) : मैं अपना कटौती प्रस्ताव संख्या-1 (एक) अलग से रखना चाहता हूं।

श्री सुदर्शन राव चौधरी (सीरमपुर) : 16।

श्री पूर्णचन्द्र मल्लिक (दुर्गापुर) : 34।

अध्यक्ष महोदय : कमला सिंह मधुकर—उपस्थित नहीं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलबेरिया) : 681 और 683।

श्री सुधीर गिरि (कोंटाई) : 380 और 382।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कुम्भेन्द्र कौर (दीया) उपस्थित नहीं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : 160 से 162।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुव्रतो मुखर्जी।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : 216 से 218 और 227, 228।

[अनुवाद]

श्री एम० रामन्ना राव (कासर गोड) : सं० 686 और 687।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : 229।

श्री कांतीराम राणा। सं० 234 से 252।

अध्यक्ष महोदय : यह पहले प्रस्तुत किया जा चुका है।

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मंदसौर) : सं० 267।

श्री गिरिलाल वर्मा : सं० 268 से 272।

प्रो० सुशांत चक्रवर्ती : सं० 287।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे कटौती प्रस्तावों को एक साथ मतदान के लिए रखा जाए।

प्रो० रूपचन्द पाल : सं० 512।

श्री अनिल बसु : सं० 294।

श्री भुवन चंद्र खन्डुरी : मेरे क टौती प्रस्तावों को एक साथ रखा जाए।

श्री वसुदेव आचार्य : सं० 582 और 583।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : सं० 343, 344, 345, 366 और 367।

श्री शिवाजी पटनायक : सं० 347 और 348।

श्री हाराधन राय : सं० 504।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए० सी० सेठी उपस्थित नहीं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : एक साथ ही रखा जा सकता है।

श्री अजय मुखोपाध्याय : 495, 566, 505, 506 और 507।

श्री सैयद मसूदल हुसैन : संख्या 1232।

श्री श्रीकांत जेना : संख्या 628 से 632।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : संख्या 993 और 999।

श्री राम कापसे : संख्या 685।

श्री प्रेम चमल : संख्या 730।

श्री रमेश चन्द्र तोमर : संख्या 725।

डा० असीम बाला : संख्या 737 और 747।

श्री उद्धव वर्मन : संख्या 888।

श्री जायनल अबेदिन : संख्या 852 और 858।

श्री राजबीर सिंह : संख्या 874 से 879 और 882 से 885।

प्रो० रासा सिंह रावत : संख्या 1136 और 1138, 1140, 1204।

श्री बाऊ दयाल जोशी : संख्या 1008 से 1036।

श्री मोहन सिंह : संख्या 1068 से 1075।

श्री भगवान शंकर रावत : संख्या 1112 से 1123।

श्री संतोष कुमार गंगवार : संख्या 1238 से 1252।

श्री भोगेन्द्र झा : संख्या 99 और कटौती प्रस्ताव संख्या 99, 1253, 1259, 1268, 1269।

[हिन्दी]

श्री ब्रह्मानन्द मंडल : कटौती प्रस्ताव नं० 1109, 1111।

श्री श्यामलाल कमल : कटौती प्रस्ताव नं० 230 से 233।

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन : कटौती प्रस्ताव संख्या 894 से 916।

श्री आर्थर कर्नाण्डीज : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 1299, 1305 और 1306 पर विशेषरूप से मतदान चाहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : एक साथ।

डा० गुजवंत रामभाऊ सरोदे : कटौती प्रस्ताव संख्या 1321, 1322, 1323, 1324, 1328 और 1335।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जितेन्द्र नाथ दास द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के बारे में इस सरकार ने वचन दिया था और अब वे इससे पीछे हट गए हैं। इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जितेन्द्र नाथ दास द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

दीर्घायें खाली कर दी जाएं।

अब, दीर्घायें खाली हो गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जाएं।"

रेलवे के बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने के सरकारी आश्वासन को लागू किए जाने की आवश्यकता। (1)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

[मत विभाजन संख्या] [समय 3.45 ब० प०

अंजलोल, श्री टी० जे०
अंसारी, श्री मुमताज
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
आचार्य, श्री वसुदेव
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
कटियार, श्री विनय
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
कनोडिया, श्री महेश
कमल, श्री श्याम लाल
कापसे, श्रीराम
कालकादास, श्री
कुजी लाल, श्री
कुमार, श्री नीतीश
केशरी लाल, श्री
कोरी, श्री गया प्रसाद
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री गुलाम मोहम्मद
खां, श्री सुलेमन
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गफूर, श्री अब्दुल
गिरि, श्री सुधीर
गिरिजम्मा, श्री सी० पी० मुदाल
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी
गौतम, श्री शीला

बनगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
चक्रवर्ती, प्रो० सुलान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कांति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चावड़ा, श्री हरिसिंह
चिखलिया, श्रीमती भावना
चौधरी, श्री पंकज
चौधरी, श्री रघुसेन
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
चौहान, श्री शिवराज सिंह
छोटे लाल, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जय प्रकाश, श्री
जसवन्त सिंह, श्री
जायसल अबेदिन, श्री
जेना, श्री श्रीकांत
जैस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरीमल
जोशी, श्री अन्ना
जोशी, श्री डाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
ठाकुर, श्री गाभाजी, मंगाजी
डोम, डा० राम चन्द्र
तीरकी, श्री पायूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तोपदार, श्री तरित बरण
तोमर, श्री रमेश चन्द्र
त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
त्रिवेदी, श्री अरविन्द

दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ
दास, श्री द्वारका नाथ
दास, श्री राम सुन्दर
दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र
दुबे, श्रीमती सरोज
देसमुख, श्री चन्दूभाई
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धुमाल, प्रो० प्रेम
नाईक, श्री राम
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री बृशिज
पटेल, श्री रामपूजन
पटेल, श्री सोमाभाई
पटेल, श्री हरिभाई
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री बलराज
पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र
प्रकाश, श्री शशि
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

प्रेमी, श्री मंगलराम
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फातमी, मोहम्मद अली अशरफ
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बाला, डा० वसीम
बेरवा, श्री राम नारायण
बैठा, श्री महेन्द्र
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मंडल, श्री सनतकुमार
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिका रजुनय्या, श्री एस०
महतो, श्री बीर सिंह
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महेन्द्र कुमारी, श्रीमती
मिश्र, श्री जनार्दन
मिश्र, श्री राम नगीना
मिश्र, श्री श्याम बिहारी
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखर्जी, श्री सुबर्त
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुण्डा, श्री कड़िया
मुरमु, श्री रूप चंद
मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद
मोल्लाह, श्री हन्नान

मौर्य, श्री आनन्द रत्न
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री चंद्रजीत
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री रामलखन सिंह
यादव, श्री रामशरण
यादव, श्री विजय कुमार
यादव, श्री शरद
राजनारायण, श्री
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०
राजेश कुमार, श्री
राठवा, श्री नारायण भाई जमला भाई
राणा, श्री काशीराम
राम अवध, श्री
राम, श्री प्रेमचन्द
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री रवि
राय, श्री रामनिहोर
राय, श्री लाल बाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
रायचौधुरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्री डी० वेंकटेश्वर
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर
रेड्डी, श्री बी० एन०
रोशन लाल, श्री
लालजन बाल श्री एस० एम०,
वघेला, श्री शंकरजी लक्ष्मणजी
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्री रतिलाल
वर्मा, श्री शिवशरण
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
वाड्डे, श्री भोथनाग्रीश्वर राव
वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई
शर्मा, श्री जीवन
शर्मा श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शास्त्री, श्री विश्वनाथ दास
शाह, श्री मानवेन्द्र
शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद
संचानी, श्री दिलीप भाई
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मोहम्मद यूनुस
साखी जी, डा०
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे
सिंह, श्री अभय प्रताप
सिंह, डा० छत्रपाल
सिंह, श्री देवी बक्स
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्रीराम
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री सूर्यनारायण
सिंह, श्री हरि किशोर
सुर, श्री मनोरंजन
सैयद, श्री शाहबुद्दीन
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में*

अडईकलराज, श्री एल०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्वारासु इरा, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री

* इसके अलावा निम्नलिखित सदस्यों ने विपक्ष में मत दिया : श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह; कुमारी फिजा तोपनो, श्रीमती केसरबाई क्षीरसागर और श्री कांशीराम

इस्लाम, श्री नुरुल

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्बे, श्री लाईला

एन्थनी, श्री फ्रैंक

ओडेयर, श्री चनैया

कमल नाथ, श्री

करेदुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कामत, श्री गुरुदास

कामनन, प्रो० एम०

काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कालिया पेरुमल, श्री पी० पी०

काले, श्री शंकर राव

कासु, श्री वेंकट रेड्डी

कुडुमला, श्री पद्मश्री

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्णा स्वामी, श्री एम०

कैनिथी, डा० विश्वानाथम

केवल सिंह, श्री

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोंताला, श्री रामकृष्ण

कौर, श्रीमती सुखवंश

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर
खुर्शीद, श्री सलमान
गोगोई, श्री तरुण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गहलोत, श्री अशोक
गामीत, श्री छीतूभाई
गायकवाड, श्री उदयसिंह राव
मालिन, श्री गुरचरण सिंह
गावीत, श्री माणिकराव होडल्या
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मदाल
गूंडेवार, श्री विलासराव नागनाथ राव
गुडाडिन्नी, श्री बी० के०
गोगोई, श्री तरुण
गांमांगो, श्री गिरिधर
चाटोवार, श्री पवन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगयम
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चाक्को, श्री पी० सी०
चार्ल्स, श्री ए०
चालिहा, श्री किरिप
चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्निथला, श्री रमेश
चौधरी, श्री ए० बी० एन गनी खां
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम प्रकाश

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौरे, श्री बापूहरि

जसमीत सिंह, श्री

जनार्दन, श्री एम० आर०

जवाली, डा० बी० जी०

जयमोहन, श्री ए०

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिडिविवनम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह

डामौर, श्री सोमजीभाई

डेनिस, श्री एम०

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंग्कावालू, श्री के० बी०

तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

घोरत, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
देव, श्री संतोष मोहन
देवशा, श्री मुरली
देवराजन, श्री वी०
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
नंदी, श्री येल्लैया
नवले, श्री विदुरा विथोबा
नायक, श्री ए० वेंकटेश
नायक, श्री सुवासचन्द्र
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री पी० जी०
नारायणन, श्री के० आर०
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पंडियन, श्री डी०
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल्ल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पद्मा, डा० (श्रीमती)

पवार, डा० बसन्त शिवरते

पवार, श्री शरद

पांजा, श्री अजीत कुमार

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल, श्री विजय एन०

पाटिल, श्री शिवराज वी०

पाटिल, कुमारी सूर्यकान्त

पाटिल, श्री प्रकाश बापू वी०

पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू

पेरुमल, डा० पी० बल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु, झांट्वे, श्री हरीश नारायण

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर

फारुक, श्री एम० ओ० एच०

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाग्ये गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोंसले, श्री प्रतापराय बी०
भोई, डा० कृपासिन्धु
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा० आर०
माडे गौडा, श्री जी०
माणे, श्री राजाराम शंकरराव
माथुर, श्री शिवचरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मीणा, श्री भेरूलाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरलीधरन, श्री के०
मुरुगेसन, श्री एन
मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्ता
मैथ्यू, श्री पाला के० एम०
यशपाल, श्री
रथ, श्री रामचन्द्र
राजरवि वर्मा, श्री बी०

राजू, श्री एस० विजयराम

राजुलू, डा० आर० के० जी०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती आसव

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बाबू, श्री ए० जी० एस

राममूर्ति, श्री के०

राम सिंह, राव

रामा स्वामी, श्री आर

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री वीं० कृष्ण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह राव

रावत, श्री प्रभुलाल

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री एम० बागा

रेड्डी, श्री मुहासमुदम गणेन्द्र

रेड्डी, श्री विजय भास्कर

लक्ष्मन, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्री भवानीलाल

वर्मा, कु० विमला

वान्डायार, श्री के० तुलसिसेया

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी० एस०

विलियम्स, श्री आर० जी०
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शिगडा, श्री डामू बरकू
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, श्री आर०
श्री निवासन, श्री चिन्नासामी
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंधिया, श्री माधवराव
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह देव, श्री के० पी०
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोडी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरनुजभा

सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एम०
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हाण्डिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, *मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 186

विपक्ष में : 235

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुदर्शन राय चौधुरी द्वारा प्रस्तुत किये गए कटौती प्रस्ताव संख्या 16 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

श्री सुदर्शन राय चौधुरी (सीरमपुर) : महोदय, यह कटौती प्रस्ताव निजीकरण से सम्बन्धित है । मैं इस पर मत विभाजन चाहता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं मत विभाजन चाहता हूं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुदर्शन राय चौधुरी द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 16 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा । मैं समझता हूं कि दीर्घाएं खाली हो गई हैं :

प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें ।"

रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों के गैर सरकारीकरण को रोकने की आवश्यकता (16)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया ।

पक्ष में :

सर्वश्री नानी भट्टाचार्य, उद्धव बर्मन, राम बदन, चेतन पी० एस० चौहान, ताराचन्द खण्डेलवाल, नरेश कुमार बालियान, सुरेन्द्रपाल पाठक, डा० परशुराम गंगवार, श्री विरेन्द्र सिंह, श्रीमती कुष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती रीता वर्मा, सर्वश्री विश्वनाथ शर्मा, भुवनचन्द्र खन्डूरी, प्रो० के० वेंकटागिरि गौड, सर्वश्री योगानन्द सरस्वती, गंगाराम कोली, डा० फैयाजुल आजम ।

विपक्ष में :

श्रीमती बिभु कुमारी देवी, सर्व श्री प्रवीन डेका, सी० पी० मुदाल गिरियप्पा, बी० अकबर पाशा, संतराम मिंगला, एस० एस० आर० राजेन्द्र कुमार, डा० के० बी० आर० चौधरी, श्री घोटा सुब्बाराव और श्री भूपेन्द्र सिंह हूड्डा ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 8] [समय 3.49 म० प०

अंजलोज, श्री थाइल जान
आचार्य, श्री वसुदेव
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
कुमार, श्री नीतीश
केशरी लाल, श्री
खां, श्री सुधेन्दु
गफेर, श्री अब्दुल
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
घंगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव
चक्रवर्ती, प्रो० सुधान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कांति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जायसल अबेदिन
जेना, श्री श्रीकांत
झा, श्री भोगेन्द्र
डोम, डा० रामचन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
तेजनारायण सिंह, श्री
तपोदार, श्री तरित वरण
त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर
दत्त, श्री अमल
दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री राम सुन्दर

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री बुधिण

पटेल, श्री रामपूजन

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

प्रकाश, श्री शशि

प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फातमी, मोहम्मद अली अशरफ

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बैठा, श्री महेन्द्र

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंडल, श्री सनतकुमार

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मुरुमु, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन-चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री शरद

राम अवध, श्री

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

रामबदन, श्री

राय, श्री रवि

राय, श्री रामनिहोर

राय, श्री लाल बाबू

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री जे० वेंकटेश्वर

रेड्डी, श्री बी० एन०

लालजन बाशा एम० एम०, श्री

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्री शिवशरण

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

सलीम, श्री मोहम्मद युनुस

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामश्रय प्रसाद

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री सूर्यनारायण

सिंह, श्री हरि किशोर

सुरर, श्री मनोरंजन

सैकिया, श्री मुहीराम

सैयद, श्री शाहबुद्दीन

हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अन्बारासु इरा, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अवनाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री ई०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहिरवार, श्री आनन्द

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी

इन्द्रजीत, श्री

इस्लाम, श्री नुरुल

उपाध्याय, श्री स्वरूप

अडईकलराज, श्री एल०

उम्रे, श्री लाईता

एन्थनी, श्री फ्रैंक

ओडेयर, चनैया

कमल नाथ, श्री

करेंडुला, कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कामत, श्री गुरुदास

कामसन, प्रो० एम०

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम

कांसी राम, श्री

कालिया पेरुमल, श्री पी० पी०

काले, श्री शंकरराव

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुमार मंगलम, श्री रंगाराजन

कुडुमुला, श्री पद्मश्री

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केनिथी, डा० विश्वानाथम

केवलसिंह, श्री

केरों, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोनाथाला, श्री रामकृष्ण

कौर, श्रीमती सुरवंस

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीदा, श्री सलमान

गजपति, श्री गोपीनाथ

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गहलोत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुद्दाज

गुंडेवार, श्री विलास राव

गुंडाडिन्नी, श्री बी० के०

गोमांगो, श्री गिरिधर

गोगोई, श्री तरुण

चाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिपं

चावडा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई

चिदम्बरम, श्री पी०

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौधरी, श्री राम प्रकाश

चौधरी, श्री कमल

चौरे श्री बापूहरि

जनार्दनन, श्री एम० आर०

जबाली, डा० वी० जी०

जगजीत, श्री सिंह

जयमोहन, श्री ए०

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिण्डिवणम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजीभाई

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

डेका, श्री प्रबीन

तंगाबालु, श्री के० वी०

तारादेवी, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फिडा

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

चोरट, श्री संदीपन भगवान

दत्त, श्री सुनील

दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

देव, श्री संतोष मोहन

देवड़ा, श्री मुरली

देवराजन, श्री वी०

देवी, महारानी विभु कुमारी

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव

नवले, श्री विदुरा विठोबा

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री सुबासचन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पंडियन, श्री डी०

पटनायक, श्री भरत चन्द्र

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पदमा, डा० (श्रीमती)

पवार, डा० बसंत निबरटी

पवार, श्री शरद

पांजा, श्री अजीत कुमार

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल, श्री विजय एन०

पाटिल, श्री प्रकाशबापू बसंतराव

पाटिल, कुमारी सूर्यकांता

पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री बल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू

पेरुमान, डा० पी० वल्लल

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु झांग्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नान्डीज, श्री आस्कर

फारुक, श्री एम० ओ० एच०

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री जालौर

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भाग्ये गोवर्धन, श्री

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंह राव

भोंसले, श्री प्रतापराव बी०

भाई, डा० कृपासिंधु

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर०

माडे गौडा, श्री जी०

माने, श्री राजा राम शंकरराव

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, नाथूराम

मीणा, श्री भेरु लाल

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मुरुगेसन, श्री एम०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्त

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

यशपाल, श्री

राव, श्री रामचन्द्र

राजू, श्री एस० विजयराम

राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बासव

राजुलु, श्री आर० के० जी०

राजरविवर्मा श्री बी०

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बाबू, श्री ए० जी० एस०

राममूर्ति, श्री के०

राम सिंह, राव

रामास्वामी, श्री आर०

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभुलाल

राही, श्री राम लाल

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट

रेड्डी, आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री एम० वागा

रेड्डी, श्री मुहासमुदम ज्ञानेन्द्र

रेड्डी, विजय भास्कर

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्री भवानीलाल

वर्मा, कु० विमला

वासनिक, श्री मुकुल वालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विलियम्स, मे० ज० आर० जी०
व्यास, डा० गिरिजा
शकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजीलाल
शिगडा, डामू बरकू
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
साही, श्रीमती कृष्णा
श्रीधरण, श्री आर०
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सज्जन कुमार, श्री
सईद श्री पी० एम०
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
सिंधिया, श्री माधवराव
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सिंगला, श्री संत राम
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
सिंह देव, श्री के० पी०
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर

सुखराम, श्री

सुन्दरराज, श्री एन०

सुरेश, श्री कोडीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सोढ़ी, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरजभानु

सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०

स्वामी, श्री जी० वेंकट

हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

हरचन्द सिंह, श्री

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 088

विपक्ष में : 238

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री पूर्णचन्द्र मलिक द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 34 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 34 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया ।

पक्ष में

सर्वश्री एम० रमन्ना राय, अजय मुखोपाध्याय, भुवनेश्वर प्रसाद मेहता, गुलाम मोहम्मद खां, हरिकेवल प्रसाद, मंजय लाल, रामशरण यादव, श्रीमती सरोज दुबे, सर्वश्री रोशन लाल, शिवशरण सिंह, अंसारी, अभय प्रताप सिंह ।

विपक्ष में : सर्वश्री चेल्लैया नन्दी, सतीश कुमार शर्मा, सी० के कुप्पुस्वामी, भू० विजयकुमार राजू, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हन्नान मोल्लाह द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 681 683 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 681 और 683 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुधीर गिरि द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 380, 382 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव संख्या 380 और 382 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हरिन पाठक द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 161, 172 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

कटौती प्रस्ताव 161 और 172 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 216, 217, 218, 227 और 228 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : महोदय, हम इस पर मतविभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 1 —4) में 100 रुपए कम किए जाए।"

(खिलाड़ियों तथा विकलांगों के लिए नौकरियों में 5 प्रतिशत कोटा दिए जाने की आवश्यकता।)
(216)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 1 —4) में 100 रुपए कम किए जाए।"

(ललितपुर तथा सिंगरौली के बीच नयी रेलवे लाइन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता।)
(217)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 1 — 4) में 100 रुपए कम किए जाए।"

(मध्य रेलवे में झांसी से कानपुर तथा मानिकपुर तक रेलवे का विद्युतीकरण करने तथा दोहरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता।)

"कि परिचालन व्यय-यातायात शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 57 —64) में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(रेलवे सीजन टिकटों के किराए में हुई असमानुपातिक, असहनीय तथा अनुचित वृद्धि को वापिस लिए जाने की आवश्यकता।) (227)

"कि कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 71 —77) में 100 रुपए कम किए जाएं।"

(सभी रेल कर्मचारियों के लिए आवास सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता।)
(228)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 9] [समय 15.53 म० प०

अंजलोज, श्री टी० जे०
अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
आचार्य, श्री वसुदेव
आजम, डा० फैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
कटियार, श्री विनय
कठेरिया, श्री प्रभु दयाल
कनोडिया, श्री महेश कुमार
कमल, श्री श्याम लाल
कापसे, श्री राम
कल्पनाथ, श्री
कुमार, श्री नितिश
कुम्भीलाल, श्री
कृष्णेन्द्र कौर (दीपा), श्रीमती
केशरी लाल, श्री
कोरी, श्री गया प्रसाद
कोली, श्री गंगाराम
खण्डेलवाल, श्री हरिशंकर
खनोरिया, श्री डी० डी०
खन्दूरी, श्री भुवन चन्द्र
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, डा० परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार

गफूर, श्री अब्दुल

गिरि, श्री सुधीर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी

गौड, श्री के० वेंकटगिरि

गौतम, श्रीमती शीला

घगारे, श्री रामचन्द्र मरोतराव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चिखलिया, श्रीमती भावना

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री शिवराज सिंह

छोटेलाल, श्री

जाटिया, श्री सत्यनारायण

जय प्रकाश, श्री

जसवंत सिंह, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरीमल

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

ठाकुर, श्री गाभाजी, मंगाजी

डोम, डा० राम चन्द्र

तीरकी, श्री पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तोपदार, श्री तरित बरण

तोमर, श्री रमेश चन्द्र

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

त्रिवेदी, श्री अरविन्द

दत्त, श्री अमल

दास, श्री द्वारकानाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

दुबे, श्रीमती सरोज

देशमुख, श्री चन्दूभाई

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह

धूमाल, प्रो० प्रेम

नाईक, श्री राम

पटनायक, श्री शिबाजी

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पटेल श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री रामपूजन

पटेल, श्री सोमाभाई

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रुपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पासी, श्री बलराज

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र

प्रकाश, श्री शशि

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

प्रेमी, श्री मंगलाराम

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फुंडकर, पांडुरंग पुंडलिक

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बाला, डा० असीम

बेरवा, श्री रामनारायण

बैठा, श्री महेन्द्र

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भार्गव, श्री गिरधारी लाल

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनतकुमार

मलिक, पूर्णचन्द्र

मल्लिकार्जुय्या, श्री एस०

महाजन, श्री सुमित्रा

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

मिश्र, श्री जनार्दन

मिश्र, राम नगीना

मिश्र, श्री श्याम बिहारी

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुण्डा, श्री कडिया

मुरुमु, श्री रुपचन्द

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

मोल्लाह, श्री हन्नान

मौर्य, श्री आनन्द रत्न

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री रामशरण

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री शरद

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेश कुमार, श्री

राणा, श्री काशीराम

राम अवध, श्री

राम, श्री प्रेम

रामबदन, श्री

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री रवि राय

राय, श्री रामनिहोर

राय, डा सुधीर

राय, श्री हाराधन

राय चौधरी, श्री सुदर्शन

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री डा० वेंकटेश्वर

रावत, श्री भगवान शंकर

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावत, डा० लाल बहादुर

रेड्डी, श्री बी० एन०

रोशन लाल, श्री

लालजन, बाशा एस एम, श्री

बघेला, श्री शंकर सिंह

वर्मा, श्री उपेन्द नाथ

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, श्रीमती रीता

वर्मा, श्री शिवशरण

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाड्डे, श्री सोमनाद्रीश्वर राव

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई

शर्मा, श्री जीवा

शर्मा, श्री राजेन्द कुमार

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शाह, श्री मानवेन्द्र

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद

सरस्वती, श्री योगानन्द

सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ

सलीम, श्री महम्मद युनुस

साक्षी जी, डा०

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे

सिंह, डा० छत्रपाल

सिंह, श्री देवी बक्स

सिंह, श्री प्रताप

सिंह श्री मोहन

सिंह, श्री राजवीर

सिंह, श्री रामपाल

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री शिवशरण

सिंह, श्री सूर्यनारायण

सिंह, श्री हरि किशोर

सुर, श्री मनोरंजन

सेकिया, श्री मुहीराम

सैयद, श्री शाहाबुद्दीन

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में*

अकबर पाशा, श्री बी०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अन्वारासु इरा, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अरूणाचलम, श्री एम०

अशोक राज, श्री ए०

अहमद, श्री ई०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहिरवार, श्री आनन्द

अडईकलराज, श्री एल०

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी

इन्द्रजीत, श्री

इस्लाम; श्री नुरुल

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्ब्रे, श्री लाईता

एन्थनी, श्री फ्रैंक

ओडेयर, श्री चनैया

कमल नाथ, श्री

करेंदुला, श्रीमती कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कामत, श्री गुरुदास

कामसन, प्रो० एम०

* इनके अतिरिक्त निम्न सदस्यों ने भी विपक्ष में अपना मत दिया :—

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह, कुमारी फिडा तोपनो, श्रीमती केसरबाई, सोना जी क्षीरसागर, श्री कांशी राम ।

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम

कालियापेरुमल, श्री पी० पी०

काले, श्री शंकर राव

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुली, श्री बालिन

कुडुमुला, श्री पदमश्री

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केनिथी, डा० विश्वानाथम

केवल सिंह, श्री

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

कौर, श्रीमती सुखबंस

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीद, श्री सलमान

गगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपी नाथ

गहलोत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतू भाई

गायकवाड़, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गूंडेवार, श्री विलास राव नागनाथराव

गोमांगो, श्री गिरिधर

चाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई

चिदम्बरम, श्री पी०

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्निथला, श्री रमेश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम प्रकाश

चौधरी, श्रीमती संतोष

चोरे, श्री बापूहरि

जगजीत सिंह, श्री

जनार्दनन, श्री एम० आर० कादम्बूर

जावाली, डा० बी० जी०

जयमोहन, श्री ए०

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

झिकराम, श्री मोहन लाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिडिवनाम, श्री के० राममूर्ती

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, मलेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजी भाई

डेका, श्री प्रवीन

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंग्कावालू, श्री के० वी०

तारा देवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरात, श्री संदीपान भगवान

दत्त, श्री सुनील

दाहाहूर, श्री गुरचरण सिंह

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

देवराजन, श्री वी०

देशमुख, श्री अंतराव

देशमुख, श्री अशोक राव आनन्द राव

नन्दी, श्री येल्लैया

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री सुबासचन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पंडियन, श्री डी०

पटनायक, श्री शरत् चन्द्र

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिलाल मनजी

पवार, श्री शरद

पवार, डा० बसंत

पांजा, श्री अजीत कुमार

पाटिल, कुमारी सूर्यकांता

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल, श्री विजय एन०

पाटील, श्री प्रकाश वी०

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री बल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू

पेरुमान, डा० पी० वल्लल

पोटदुखे, श्री शांता राम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर

फाल्क, श्री एम० ओ० एच०

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री जालौर

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाग्ये गोवर्धन, श्री

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेज सिंह राव

भोंसले, श्री प्रतापराव बी०

भोई, डा० कृपा सिन्धु

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर

माणे, श्री राजाराम शंकरराव

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भेरु लाल

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मुरुगेसन, श्री एन०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्त

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

यशपाल, श्री

रथ, श्री रामचन्द्र

राजरवि वर्मा, श्री वी०

राजू, श्री एस विजय कुमार

राजू, श्री भू० विजय राम

राजुलु, डा० आर० के० जी०

राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती वासवा

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बाबू, श्री ए० जी० एस०

राममूर्ति, श्री के०

राम सिंह, राव

रामास्वामी, श्री राजगोपाल नायडू

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
रावत, श्री प्रभुलाल
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री एम० वागा
रेड्डी, श्री मुहासमुदम गणेन्द्र
रेड्डी, श्री विजय भास्कर
लक्ष्मन, प्रो० सावित्री
वर्मा, श्री भवानी लाल
वर्मा, कु० विमला
वान्डायार, श्री के० तुलसिऐया
वासनिक, श्री मुकुल वाल कृष्णा
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विलियम्स, श्री आर० जी०
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री सतीश कुमार
शिगडा, श्री डामू वरकू
शुक्ल, श्री विद्याचरण
शैलजा, कुमारी
श्रीधरण, डा० राजगोपालन
श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सज्जन कुमार, श्री
साही, श्रीमती कृष्ण
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप

सिंगला, श्री संभरात
सिंधिया, श्री माधव राव
सिद्दनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोती लाल
सिंह, देव, श्री के० पी०
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश, श्री कोड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 180
विपक्ष में : 236

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ :

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया ।

पक्ष में : सर्वश्री चितब्रत नानी भट्टाचार्य, सुखेन्दु खां, गुलाम मोहम्मद खां, लाल बाबू राय, हरिकेवल प्रसाद, चेतन पी० एस० चौहान, मंजय लाल, दृशिण पटेल, नरेश कुमार बालियान, राज नारायण, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, वीरेन्द्र सिंह, दिलीप भाई संघानी, विश्वनाथ शर्मा, पंकज चौधरी और श्री हरिभाई पटेल ।

विपक्ष में : सर्वश्री वी० के० गुडाडिन्नी, जी० मोड गौडा, श्रीमती बिधू कुमारी देवी, डा० (श्रीमती) पदमा डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम, श्री बिदुरा विठोबा नवले, श्री के० वी० आर० चौधरी, श्री थोय सुब्बाराव, श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा और श्री बीर सिंह महतो ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा) : अध्यक्ष जी, इस मशीन में साफ तीन एब्सेंनटेशन है और वहां एक भी नहीं दिखलाया है । यहां तीन एब्सेंन्टेशन है और वहां एक भी नहीं दिखाया गया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको अनुपस्थिति के लिए बटन दबाना होगा ।

श्री राम विलास पासवान : लाल 'नही' के लिए, हरा 'हां' के लिए और अन्य बटन अनुपस्थित के लिए है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हां, वह ठीक कह रहे हैं । बोर्ड पर अनुपस्थित नहीं दर्शाए गए हैं जबकि प्रधानमन्त्री की तरफ तीन अनुपस्थित हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री एम० रमन्ना राय द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 680, 686, 68 ' को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव 680, 686 और 687 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राम नाईक द्वारा प्रस्तुत किए गए कटौती प्रस्ताव संख्या 229 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

कटौती प्रस्ताव 229 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रतिलाल वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 268 और 272 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 268 और 172 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सुशांत चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 287 सभा में मतदान के लिए रखता हूं । मेरे विचार से दीर्घाएं खाली हैं ।

प्रश्न यह है :

"कि परिसम्पत्तियां अधिग्रहण निर्माण तथा बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 10 रुपए कम किए जाएं ।"

["द्वितीय श्रेणी के यात्री किराए और मासिक टिकटों में वृद्धि को कम किए जाने की आवश्यकता ।]"

(287)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 10] [समय 3.57 म० प०

अंजलोज, श्री टी० जे०
आजम, डा० फैयाजुल
आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
कटियार, श्री विनय
कठेरिया, श्री प्रभू दयाल
कापसे, श्री राम
कालकादास, श्री
कुन्जी लाल, श्री
कुमार, श्री नीतीश
कृष्णेन्द्र कौर
केशरी लाल, श्री
कोरी, श्री गया प्रसाद
कोली, श्री गंगा राम
खनोरिया, श्री डी० डी
खां, श्री सुखेन्दु
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, डा० परशुराम
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गफूर, श्री अब्दुल
गिरि, श्री सुधीर
गोपालन, श्रीमती सुशीला
गौड, श्री के० वेंकटगिरि
गौतम, श्री शीला
चनगौरे, श्री आर० एम०

चक्रवर्ती, प्रो० सुशांत

चटर्जी, श्री निर्मल कांति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चिखलिया, श्रीमती भावना

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

चौहान, श्री शिवराज सिंह

छोटे लाल, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जयप्रकाश, श्री

जसवंत सिंह, श्री

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकांत

जेस्वाणी, डा० खुशीराम डुंगरीमल

जोशी, श्री अन्ना

झा, श्री भोगेन्द्र

ठाकुर, श्री गाभाजी

डोम, डा० रामचन्द्र

तीरकी, श्री पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तोपदार, श्री तरित वरण

तोमर, श्री रमेशचन्द्र

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

त्रिवेदी श्री अरविन्द

दत्त, श्री अमल

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारका नाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दीक्षित, श्री श्रीशचन्द्र

देशमुख, श्री चन्दूभाई

धूमल, प्रो० प्रेम

नाईक, श्री राम

नायक, श्री ए० वेंकटेश

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री भूषण

पटेल, श्री रामपूजन

पटेल, श्री सोमाभाई

पटेल, श्री हरिभाई

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री हरिन

पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र

प्रकाश, श्री शशि

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रेमी, श्री मंगलराम

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बैरवा, श्री राम नारायण

बैठा, श्री महेन्द्र

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनतकुमार

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

मल्लिकारजुनय्या, श्री एस०

महतो, श्री बीर सिंह

महाजन, श्री सुमित्र

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुबर्त

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुण्डा, श्री कड़िया

मुरुमु, श्री रूपचन्द

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

मोल्लाह, श्री हन्नान

मौर्य, श्री आनन्द रत्न

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री रामशरण

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री शरद

राजनारायण, श्री

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेश कुमार, श्री

राणा, श्री काशीराम

राम अवध, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

रामबदन, श्री

राय, श्री रवि

राय, श्री लाल बाबू

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधुरी, श्री सुदर्शन

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर

रावत, श्री भगवान शंकर

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

रेड्डी, श्री बी० एन०

रोशन लाल, श्री

लालजन बाशा श्री एस० एम०

बघेला, श्री शंकर जी लक्ष्मणजी

वर्मा, श्री उपेन्द्रनाथ

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, श्रीमती रीता

वर्मा, श्री शिवशरण

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वेकारिया, श्री शिवलाल नागजीभाई

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

शास्त्री, आचार्य विश्वनाथ दास

शाह, श्री मानवेन्द्र

संघानी, श्री दिलीप भाई

सरस्वती, श्री योगानन्द

सलीम, श्री मोहम्मद युनुस

साक्षी जी, डा०

सिंधिया, श्रीमती विजयराजे

सिंह, श्री अभय प्रताप

सिंह, डा० छत्रपाल

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्री राजबीर

सिंह, श्रीराम

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री सूर्यनारायण

सिंह, श्री हरि किशोर

सुर, श्री मनोरंजन

सैकिया, श्री मुही राम

सैयद, श्री शाहबुद्दीन

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में,

अडईकलराज, श्री एल०

अन्तुल, श्री ए० आर०

अम्बारासु इरा, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री ई०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

*इसके अलावा निम्नलिखित सदस्यों ने भी विपक्ष में मत दिया :

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह, कुमारी फिडा तोपनो, श्रीमती केसरबाई सोनाजी क्षीर सागर और श्री काशीराम

अहिरवार, श्री आनन्द
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्ब्रे, श्री लाईता
एन्थनी, श्री फ्रैंक
ओइयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
करेदुला, श्रीमती कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० एम०
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालियापेरुमल, श्री पी०पी०
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुदुमुला, श्री पदमश्री
कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०
कुमारमंगलम, श्री रंगराजन
कुरियन, प्रो० पी० जे०
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
कैनिथी, डा० विश्वानाथम

कैरों, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोताला, श्री रामकृष्ण

कौर, श्रीमती सुखवंस

कौल, श्रीमती शीला

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

खुर्शीद, श्री सलमान

गोगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपीनाथ

गहलोत, श्री अशोक

गामीत, श्री छीतूभाई

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गुंडेवार, श्री विलासराव नागनाथराव

गुडाडिन्नी, श्री बी० के०

गोमांगो, श्री गिरिधर

चाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई

चिदम्बरम, श्री पी०

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्निसला, श्री रमेश

चौधरी, श्री ए० वी० ए० गनी खां

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री रामप्रकाश

चौधरी, श्रीमती संतोष

चौरे, श्री बापूहरि

जनार्दन, श्री एम० आर०

जवाली, डा० बी० जी०

जय प्रकाश, श्री

जयमोहन, श्री ए०

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिंडिवनम, श्री के० राममूर्ती

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजी भाई

डेका, श्री प्रबीन

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंग्काबालू, श्री के० वी०

तारादेवी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

थामस, प्रो० के० वी

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोराव, श्री संदीपन भगवान

दत्त, श्री सुनील

दादाहूर श्री गुरचरण सिंह

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

देव, संतोष मोहन

देवश, श्री मुरली

देवराजन, श्री वी०

देवी, महारानी बिभु कुमारी

देशमुख, श्री अनन्तराव

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

नन्दी, श्री येल्लैया

नवले, श्री विदुरा विथोबा

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री सुबाशचन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पंडियन, श्री डी०

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिभाई नानजी

पद्मा डा० श्रीमती

पवार, डा० बसन्त

पवार, श्री शरद

पांजा, श्री अजीत कुमार

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल, श्री विजय नवल

पाटिल, कुमारी सूर्यकान्ता

पाटिल, श्री प्रकाश बापू बी०

पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री श्रीबल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडु

पेरुमल, डा० पी० बल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नान्डीज, श्री ओस्कर

फारुक, श्री एम० ओ० एच०

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाग्ये गोवर्धन, श्री

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंह राव

भोंसले, श्री प्रतापराव बी०

भोई, डा० कृपा सिन्धु

मरबनिआंग, श्री पीटर जी

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर०

माडे गौडा, श्री जी

माणे, श्री राजाराम शंकरराव

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, श्री नाथूराम

मीणा, श्री भैरु लाल

मुल्लेमवार, श्री विलास

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मुरुगेसन, श्री एन०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्ता

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

रथ, श्री रामचन्द्र

राजरवि वर्मा, श्री वी०

राजू, श्री एस० विजयराम

राजू, श्री बी० विजयकुमार

राजुलू, डा० आर० के० जी०

राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती वासव

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राममूर्ति, श्री के०

राम सिंह, राव

रामा स्वामी, श्री आर०

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री वी० कृष्ण

राव, श्री पी० नरसिंह राव

रावत, श्री प्रभुलाल

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री एम० वागा

रेड्डी, श्री मुहाससमुदम ज्ञानेन्द्र

लक्ष्मन, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्री भवानी लाल

वर्मा, कु० विमला

वासनिक, श्री मुकुल वालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी० एस०

विलियम्स, श्री आर० जी०

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री सतीश कुमार

शिगडा, श्री डामू बरकू

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

श्रीधरण, श्री राजगोपालन

श्री निवासन, श्री चिन्नासामी

संगमा, श्री पूर्णो ए०

सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय, श्री ए० प्रताप

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगला, श्री सतराम

सिंधिया, श्री माधवराव

सिद्धनाल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री दलबीर

सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह देव, श्री के० पी०
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुरेश श्री कोड्डीकुनील
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोडी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०
स्वामी, श्री जी वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन,* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	:	169
विपक्ष में	:	233

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया ।

पक्ष में : सर्वश्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे, एम० रमन्ना राय, वसुदेव आचार्य, गुलाम मोहम्मद खां, जगत वीर सिंह द्रोण, नरेश कुमार बालियान, श्रीमती सरोज दुबे, सर्वश्री रामनिहोर राय, शिवशरण सिंह, सुरेन्द्रपाल पाठक, मुमताज अंसारी, मोहम्मद अली अशरफ फातमी, बीरेन्द्र सिंह, जनार्दन मिश्र, देवी बक्स सिंह, राजेन्द्र अग्निहोत्री, दिलीप भाई संघानी, विश्वनाथ शर्मा, मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी, सर्वश्री दाऊ दयाल जोशी, गिरधारी लाल भार्गव, प्रो० के० वेंकटगिरि गौड, डा० गुणवन्त समभाऊ सरोदे, सर्वश्री श्याम बिहारी मिश्र, अष्टभुजा प्रसा शुक्ला, जीवन शर्मा, डा० महावीर सिंह, हरिसिंह जी गोहिल और श्री महेश कनोडिया ।

विपक्ष में : सर्वश्री पांताराम पोतदुखे, ए० पी० एस० राम बाबू, के विजय भास्कर रेड्डी, प्रफुल पटेल, केवल सिंह, बी० अकबर पाशा, यश, शंकरराव दे० काले, गुरचरण सिंह गालिब, जगमीत सिंह बरार, डा० के० बी०आर० चौधरी, श्री थोटा सुब्बाराव और श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रूपचन्द पाल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 512 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 512 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अनिल बसु द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 294 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

मेरे विचार में दीर्घाएं खाली हैं।

4.00 म० प०

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग (पृष्ठ 1-4) को कम करके 1 रुपया किया जाए।

"(सभी वस्तुओं की भाड़ा दरों में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव।)

(294)"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 11] [समय 4.01 म० प०

अंजलोज, श्री टी० जे०

असारी, श्री मुमताज

आचार्य, श्री बसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

कटियार, विनय

कठेरिया, श्री प्रभु दयाल

कनोडिया, श्री महेश कुमार

कापसे, श्रीराम

कालकादास, श्री

कुम्भी लाल, श्री

कुमार, श्री नीतीश

कृष्णजेन्द्र कौर, (दीपा) श्रीमती

केशरी लाल, श्री

कोरी, श्री गया प्रसाद

कोली, श्री गंगा राम

खनोरिया, श्री डी० डी०

खन्दूरी, श्री भुवनचन्द्र

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

खां, श्री सुलेन्दु

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गफेर, श्री अब्दुल

गिरि, श्री सुधीर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

गोहिल, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी

गौड, श्री के० वेंकटगिरि

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, प्रो० सुशांत

चटर्जी, श्री निर्मल कांति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चावड़ा, श्री हरिसिंह

चिखलिया, श्रीमती भावना

चौधरी, श्री पंकज

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

छोटे लाल, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

चौहान, श्री शिवराज सिंह

जसवंत सिंह, श्री

जायनल आबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकांत

जेस्वाणी, डा० खुशीराम दुंगरीमल

जोशी, श्री अन्ना

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

ठाकुर, श्री गाभाजी, मंगाजी

डोम, डा० रामचन्द्र

तीरकी, श्री पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तोपदार, श्री तरित बरण

त्रिपाठी, श्री प्रकाश नारायण

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

त्रिवेदी, श्री अरविन्द

दत्त, श्री अमल

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री द्वारकानाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दीक्षित, श्री श्रीशचन्द्र

दुबे, श्रीमती सरोज

देशमुख, श्री चन्दूभाई

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह

धूमाल, प्रो० प्रेम

नाईक, श्रीराम

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पटेल, श्री वृशिण

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री रामपूजन

पटेल, श्री सोमाभाई

पटेल, श्री हरिभाई

पाटीदार, श्री रामेश्वर

पाठक, श्री सुरेन्द्र पाल

पाठक, श्री हरिन

पांडेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासएान, श्री सुकदेव

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रेमी, श्री मंगलराम

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फातमी, मोहम्मद अली अशरफ

फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बैठा, श्री महेन्द्र

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भार्गव, गिरधारी लाल

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनतकुमार

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

मल्लिकारजुनय्या, श्री

महाजन, श्री सुमित्रा

महेन्द्र कुमारी, श्रीमती

महतो, श्री बीर सिंह

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुंडा, श्री कडिया

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुरुमु, श्री रूपचन्द

मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद

मोल्लाह, श्री हन्नान

मौर्य, श्री आनन्द रत्न

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री रामलखन सिंह

यादव, श्री रामशरण

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री श्रीपाल सिंह

यादव, श्री शरद

राजनारायण, श्री

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राणा, श्री काशीराम

राम अवध, श्री

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

राय, श्री एम० रमन्ना

राय, श्री रवि

राय, श्री इराधन

राय, श्री लाल बाबू

राय, डा० सुधीर

राय चौधरी, श्री सुदर्शन

राय प्रधान, श्री अमर

रावत, श्री भागवान शंकर

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावल, डा० लाल बहादुर

राव, श्री डी० वेंकटेश्वर

रेड्डी, श्री बी० एन०

रोशन लाल, श्री

लालजन बाश एस० एम० श्री

वर्मा, उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्री रतिलाल

वर्मा, श्री शिवशरण

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव

वेकारिया, श्री एस० एन०

शर्मा, श्री जीवन

शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शास्त्री, श्री राजनाथ सोनकर

शास्त्री, श्री विश्वनाथ

शास्त्र, श्री विश्वनाथ दास

शाह, श्री मानवेन्द्र

शुक्ल, श्री अष्टभुजा प्रसाद

संघानी, श्री दिलीप भाई

सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ

सलीम, श्री मोहम्मद युनुस

साक्षी जी, डा०

सिंधिया, श्रीमती

सिंह, श्री अभय प्रताप

सिंह, डा० छत्रपाल

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मोहन

सिंह, श्रीराम

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री शिवशरण

सिंह, श्री सूर्यनारायण

सिंह, श्री हरि किशोर

सुर, श्री मनोरंजन

सैकिया, श्री मुहीराम

सैयद, श्री शाहबुद्दीन

स्वामी, श्री चिन्मयानन्द

हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अम्बारासु इरा, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अरुणाचलम, श्री एम०

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री ई०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहिरवार, श्री आनन्द

आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी

इन्द्रजीत, श्री

इस्लाम, श्री नुरुल

उपाध्याय, श्री स्वरूप

अडईकलराज, श्री एल०

उम्ब्रे, श्री लाईता

एन्थनी, श्री फ्रैंक

ओडेयर, श्री चनैया

कमल नाथ, श्री

कमल, श्री श्याम लाल

करेंडुला, कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कामत, श्री गुरुदास

कामसन, प्रो० एम०

काम्बले, अरविन्द तुलशीराम

कालियापेरुमल, श्री पी० पी०

काले, श्री शंकरराव

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, श्री मी० के०

कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन

कुदुमुला, श्री पदम श्री

केवलसिंह, श्री

कुरियन, प्रो० पी० जी

कुली श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, एम०

केनिथी, डा० विश्वानाथम

कैरो, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोनाथाला, रामकृष्ण

कौर, श्रीमती सुखबस

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीदा, श्री सलमान

गंगोई, श्री तरुण

गजपति, श्री गोपीनाथ

गहलोत, श्री अशोक

गामीत, श्री छोटूभाई

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गुंडेवार, श्री विलास राव

गुडाडिन्नी, श्री बी० के

गोमांगो, श्री गिरिधर

चाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावडा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई

चिदम्बरम, श्री पी०

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां

चौधरी, श्री के० बी० आर०

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम प्रकाश

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्रीमती संतोष

चोरे, श्री बापूहरि

जनार्दनन, श्री एम० आर०

जवाली, डा० बी० जी०

जगजीत सिंह, श्री

जयमोहन, श्री ए०

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

टाईटलर, श्री जगदीश

टिण्डिवणम, श्री के० राममूर्ती

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजीभाई

डोनस, श्री एम०

डेका, श्री प्रबीन

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंगाबालू, श्री के० वी०

ताराचंदी सिद्धार्थ, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फिडा

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री संदीपन भगवान

दत्त, श्री सुनील

दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह

दिग्विजय सिंह, श्री

दिघे, श्री शरद

देव, श्री संतोष मोहन

देवड़ा, श्री मुरली

देवराजन, श्री बी०

देवी, महारानी बिभु कुमारी

देशमुख, श्री अततराव

देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव

नंदी, श्री येलेया

नवले, श्री विदुरा विथोबा

नायक, श्री ए० वेंकटेश

नायक, श्री सुबासचन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आर०

नारायण, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा

पंडितन, श्री डी०

पवार, श्री हरपाल

पवार, श्री शरद

पटनायक, श्री शरत् चन्द्र

पवार, डा० बसंत

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिभाई

डा० (श्रीमती) पद्मा

पांजा, श्री अजीत कुमार

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल, श्री विजय एन०

पाटील, श्री प्रकाशबापू बसन्तराव

पाटिल, कुमारी सूर्यकांता

पाटील, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह

पाणिग्रही, श्री बल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया

पेरुमान, डा० पी० बल्लल

पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रभु झांत्ये, श्री हरीश नारायण

फर्नान्डीज, श्री आस्कर

फारुक, श्री एम० ओ० एच०

बंसल, श्री पवन कुमार

बनर्जी, कुमारी ममता

बीरबल, श्री

बूटासिंह, श्री जालौर
भक्त, श्री मनोरंजन
भडाना, श्री अवतार सिंह
भगत, श्री विश्वेश्वर
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भाग्ये गोवर्धन, श्री
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपासिन्ध
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मलिक, डा० आर०
मल्लिकार्जुन, श्री
माडे गौडा, श्री जी०
माणे, श्री राजाराम शंकरराव
माथुर, श्री शिवचरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मिश्रा, श्री जनार्दन
मीणा, श्री भेरूलाल
मुत्तेमवार, श्री विलास
मुनियप्पा, श्री के० एच०
मुरलीधरन, श्री के०
मुरुगेसन, श्री एन०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
मेघे, श्री दत्त

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

यशपाल, श्री

रथ, श्री रामचन्द्र

राजू, श्री एस० विजयराम

राजू, श्री बी० विजयकुमार

राजेन्द्रकुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बासव

राजुलु, डा० आर० के० जी०

राजरविवर्मा, श्री बी०

रामचन्द्रन, मुल्लापल्ली

रामबाबू, श्री ए० जी० एस०

राममूर्ति, श्री के०

राम सिंह, राव

रामास्वामी, श्री आर०

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री वी० कृष्ण

रावत, श्री प्रभुलाल

राव, श्री० पी० वी० नरसिंह

राव, श्री जे० चोक्का

राही, श्री राम लाल,

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री एम० बागा

रेड्डी, श्री सुहासमुदम ज्ञानेन्द्र

रेड्डी, श्री विजय भास्कर

लक्ष्मण, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्री भवानीलाल

वर्मा, कुमारी विमला

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विलियम्स, मे० ज० आर० जी०

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री सतीश कुमार

शिगडा, श्री डामू वरकू

शिवप्पा, श्री के० जी०

शुक्ल, श्री विद्याचरण

श्रीधरण, श्री आर०

श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी

संगमा, श्री पूर्णो ए०

सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय, श्री ए० प्रताप

साही श्रीमती कृष्णा

सिंगलां, श्री संतराम

सिंधिया, माधवराव

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री दलबीर

सिंह, कुमारी पुष्पा देवी
शैलजा, कुमारी
सिंह देव, श्री के० पी०
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सुखराम, श्री
सुब्बाराव, श्री थोटा
सुरेश (श्री कोड्डीकुनील)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोढ़ी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सोन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण
हरचन्द सिंह, श्री (रोपड़)

अध्यक्ष महोदय : घुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 177

विपक्ष में : 243

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में :

सर्वश्री रामचन्द्र मरोतराव घंगारे, राम बदन, नाराचन्द खण्डेलवाल, बी० एन० शर्मा 'प्रेम', नरेश कुमार बालियान, रामनिहोर राय, शशि प्रकाश, रमेश चन्द तोमर, सर्वश्री वीरेन्द्र सिंह, जनार्दन मिश्र, रामलाल सिंह, देवी बक्श सिंह, शंकरसिंह बाघेला, प्रो० रीता वर्मा, सर्वश्री राजवीर सिंह, राजेन्द्र अग्निहोत्री, विश्वनाथ शर्मा, योगानन्द सरस्वती, रामनारायण नैरवा, श्याम बिहारी मिश्र ।

विपक्ष में :

प्रो० पी० जे० कुरियन, श्री मोहनलाल झिकराम और के० तुलसिएगा बान्डायार ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 582 और 583 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 582 और 583 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 343, 344, 345, 366 और 367 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 343, 344, 345, 366 और 367 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री शिवाजी पटनायक द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 347 और 348 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 347 और 348 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री हाराधन राय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 504 सभा में मतदान के लिए रखता हूं

कटौती प्रस्ताव संख्या 504 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अजय मुखोपाध्याय द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 495, 566, 505, 506 और 507 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 495, 566, 505, 506 और 507 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री सैयद मसूदल हुसैन द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1232 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1232 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्रीकांत जेना द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 628 और 632 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 628 और 632 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 993 और 999 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 993 और 999 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० प्रेम धूमल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 730 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 730 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० रमेश चन्द तोमर द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 725 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 725 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० असीम बाला द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 737 और 747 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 737 और 747 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री उद्धव बर्मन द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 828 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 828 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जायनल अबेदिन द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 858 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 858 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राजवीर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 874 से 879 और 882 से 885 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 874 से 879 और 882 से 785 के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० रासा सिंह रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1136, 1138, 1140 और 1204 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1136, 1148, 1140 और 1204 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1068 से 1075 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1068 से 1075 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भगवान शंकर रावत द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1112 से 1123, 1197 से 1200, 1206 और 1207 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1112 से 1123, 1197 से 1200, 1206 और 1207 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री संतोष कुमार गंगवार द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1238 से 1252 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1238 से 1252 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री भोगेन्द्र झा द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 99, 1253, 1259, 1268 और 1269 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 99, 1253, 1259, 1268 और 1269 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री ब्रह्मानन्द मंडल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 133, 156, 881, 1109 से 1111 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 133, 156, 881, 1109 1111 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री श्याम लाल कमल द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 230 से 233 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 230 से 233 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्रीमती सुशीला गोपालन द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 894 से 916 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

श्रीमती सुशीला गोपालन : महोदय, मैं इस पर मत-विभाजन चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय : दीर्घाएं खालीकर दी जाएं। दीर्घायें खालीकर दी गई हैं।

प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

हजारों कर्मचारियो को उनके रोजगार से हटाकर खान पान सेवा का निजीकरण करने तथा यात्रियों की यात्रा को कठिन करना। **(894)**

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

कर्मचारियों की संख्या में 40 प्रतिशत की छंटनी जिसके फलस्वरूप युवकों के लिए रोजगार के अवसरों में कमी आयेगी तथा उन्हें उनके रोजगार से हटाया जाना। **(895)**

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

अनेक वर्षों से सामयिक तथा अस्थायी कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में असफलता। **(896)**

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का निर्माण करने में असफलता। (897)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

त्रिपुरा जैसे राज्य की उपेक्षा जहां अगरतला से देश के अन्य भागों के लिए कोई रेल सम्पर्क नहीं है। (898)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

केरल में रेल के डिब्बे बनाने की एक फैक्टरी अथवा कम से कम एक बड़ी रेल कार्यशाला खोले जाने में असफलता। (899)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग को कम करके 1 रुपया किया जाए।"

केरल के रेलवे स्टेशनों पर प्रतीक्षालय गृहों, प्लेटफार्मों के ऊपर छत तथा नये भवन जैसी पर्याप्त सुविधाएं प्रदान कराने में असफलता। (900)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

दक्षिण को विशेषकर केरल की ओर, जाने वाली रेल गाडियों में माल डिब्बों तथा यात्री डिब्बों की दशा में सुधार करने की आवश्यकता। (901)

कि रेलवे बोर्ड शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

दुर्घटनाओं से बचने के लिए रेल लाइनों तथा डिब्बों का निरीक्षण करने वाले कर्मचारियों को मिट्टी के तेल के लैम्प के बजाए बैटरी दिये जाने की आवश्यकता। (902)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

केरल में निलम्बार से फिरोक तक रेल लाइन का निर्माण करने की आवश्यकता। (903)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

क्यूलोन, त्रिवेन्द्रम बड़ी लाइन के अन्तर्गत चिराइन्कल (शरकारा) पर एक ऊपरी पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (904)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

जयन्ती जनता रेल गाड़ी में मुम्बई से कोचीन तक यात्रियों को अच्छी सुविधाएं प्रदान करने तथा आरक्षित डिब्बों में भीड़भाड़ को रोकने की आवश्यकता। (905)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।"

जयन्ती जनता में मुम्बई से कोचीन तक गुण्डागर्दी रोकने तथा यात्रियो को ऐसे हमलो एवम् उनकी सामान की क्षति से बचाये जाने की आवश्यकता। (906)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

यात्री संघों की मांग को ध्यान में रखते हुए कडक्कावूर रेलवे स्टेशन पर और अच्छी सुविधायें प्रदान कराये जाने की आवश्यकता। (907)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

वरकला स्टेशन पर जोकि एक पर्यटन केन्द्र है, एक्जीक्यूटिव एक्सप्रेस गाड़ी को रोकने की आवश्यकता। (908)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

दिल्ली से त्रिवेन्द्रम तक एक नई रेल गाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता। (909)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

इरणाकुलम जंक्शन पर नवीकरण सम्बन्धी कार्य को तेज किये जाने की आवश्यकता। (910)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

उत्तरी केरल में रेल स्टेशनों का पुर्ननिर्माण किए जाने की आवश्यकता। (911)

कि विविध संचालन व्यय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

कालीकट-मंगलौर बड़ी रेल लाइन के अन्तर्गत नीलेश्वरम पर रेलवे प्लेटफार्म में छत सहित अन्य अच्छी सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता। (912)

कि परिसम्पत्तियां -खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

कायरकुलम अलैप्पी रेल लाइन में अम्बापुरम पर एक रेल पुल का निर्माण करने की आवश्यकता। (913)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किये जायें।

कोंकड़ रेलवे के शीघ्र निर्माण के लिए और अधिक धनराशि दिये जाने की आवश्यकता। (914)

कि परिसम्पत्तियां —खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।

रेलवे लाइनों के निरीक्षकों और अधिक अच्छी सुविधाएं दिये जाने की आवश्यकता। (915)

कि परिसम्पत्तियां -खरीद निर्माण और बदलाव शीर्ष अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाए।

क्यूलोन से मदुरई तक मीटर गेज लाइन बिछाने की आवश्यकता। (916)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या 12] [समय 4.17 म० प

अंजलोज, श्री थाइल जान

आचार्य, श्री बसुदेव

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

कुमार, श्री नितिश

केशरी लाल, श्री

खां, श्री सुखेन्दु

गफेर, श्री अब्दुल

गिरि, श्री सुधीर

गोपालन, श्रीमती सुशीला

चगारे, श्री रामचन्द्र मरोतगंव

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

जायनल अबेदिन, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

झा, श्री भोगेन्द्र

डोम, डा० रामचन्द्र

तीरकी, श्री पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तपोदार, श्री तरित वरण

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

दत्त, श्री अमल

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दुबे, श्रीमती सरोज

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, श्री रामपूजन

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

प्रकाश, श्री शशि

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रामाणिक, श्री राधिका रंजन

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फातमी, मोहम्मद अली अशरफ

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बैठा, श्री महेन्द्र

भट्टाचार्य. श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनतकुमार

मंडल, श्री सूरज

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुव्रत

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुरमु, श्री रूपचन्द

मोल्लाह, श्री हुम्मान

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन-चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, डा० एस० पी०

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

रामबदन, श्री

राव, श्री रवि

राय, श्री रामनिहोर

राव, श्री लाल बाबू

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

राय प्रधान, श्री अमर

राव, श्री जे० वेंकटेश्वर

रेड्डी, श्री बी० एन०

रोशन लाल, श्री

लालजन बाशा एम० एम०, श्री

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्री शिवशरण

वाड्डे, श्री शोभनाद्रीश्वर राव
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामश्रय प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री सूर्यनारायण
सिंह, श्री हरि किशोर
सुर, श्री मनोरंजन
सैयद, श्री शाहाबुद्दीन
हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में

अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अडणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
अहिरवार, श्री आनन्द
आजम, डा० फैयाजुल
अडईकलराज, श्री एल०
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
ओडेयर, श्री चनैया

इन्द्रजीत, श्री

इस्लाम, श्री नुरुल

उपाध्याय, श्री स्वरूप

उम्रे, श्री लाईता

एन्थनी, श्री फ्रैंक

कमल नाथ, श्री

करेंडुला, कमला कुमारी

कहांडोले, श्री जेड० एम०

कामत, श्री गुरुदास

कामसन, प्रो० एम०

काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम

काले, श्री शंकरराव

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुप्पुस्वामी, सी० के०

कुमार मंगलम, श्री रंगाराजन

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुडुमुला, श्री पदमश्री

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एस०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केनिथी, डा० विश्वानाथम

केवल सिंह, श्री

केरों, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोनाथाला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

कौर, श्रीमती सुरजीत

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीद, श्री सलमान

गजपति, श्री गोपीनाथ

गहलोत, श्री अशोक

गालिब, श्री गुरचरण सिंह

गायकवाड, श्री उदयसिंह राव

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल

गुंडेवार, श्री विलास राव

गुंडाडिग्गी, श्री बी० के०

गोगोई, श्री तरुण

गोमांगो, श्री गिरिधर

चाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चिन्ता मोहन, डा०

चेन्निथला, श्री रमेश

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खां

चौधरी, श्री के० बी० आर०

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री राम प्रकाश

चौधरी, श्रीमती संतोष

जनार्दनन, श्री एम० आर०

जवाली, डा० बी० जी०

जयमोहन, श्री ए०

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जीवरत्नम, श्री आर०

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिण्डिवनम, श्री के० राममूर्ति

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह

डामोर, श्री सोमजीभाई

डेका, श्री प्रबीन

डेनिस, श्री एल०

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंग्कावाल्, श्री के० बी०

तारादेवी, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फिडा

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

चुंगन, श्री पी० के०
चोरट, श्री संदीपन भगवान
दत्त, श्री सुनील
दादाहूर, श्री गुरचरण सिंह
दिग्विजय सिंह, श्री
दिघे, श्री शरद
देब, श्री संतोष मोहन
देवराजन, श्री वी०
देवी, महारानी विभु कुमारी
देशमुख, श्री अनन्तराव
देशमुख, श्री अशोकराव आनन्दराव
नन्दी, श्री येलैया
नवले, श्री विदुरा विथोबा
नायक, श्री सुबासचन्द्र
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
नेताम, श्री अरविन्द
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पंडियन, श्री डी०
पटनायक, श्री शरत चन्द्र
पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई
पटेल, श्री प्रफुल
पटेल, श्री श्रवण कुमार
पटेल, श्री हरिलाल ननजी
पदमा, डा० (श्रीमती)

पवार, श्री शरद

पवार, डा० बसंत

पांजा, श्री अजीत कुमार

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल, श्री विजय एन०

पाटिल, कुमारी सूर्यकांता

पाटिल, श्री प्रकाशबापू

पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री बल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू

पेरुमान, डा० पी० बल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु झांरये, श्री हरीश नारायण

फर्नान्डीज, श्री आस्कर

फारुक, श्री एम० ओ० एच०

फैलीरो, श्री एडुआर्डो

बंसल, श्री पवन कुमार

बीरबल, श्री

बनर्जी, कुमारी ममता

बूटासिंह, श्री जालौर

भक्त, श्री मनोरंजन

भगत, श्री विश्वेश्वर

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री सतीश कुमार

शिगडा, श्री डामू बरकू

शिवप्पा, श्री कोडाकनी गौडाना

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

श्रीधरन, श्री आर०

श्री निवासन, श्री चिन्नासामी

संगमा, श्री पूर्णो ए०

सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री

साय, श्री ए० प्रताप

साही, श्रीमती कृष्णा

सानीपल्ली, श्री गंगाधरा

सिंधिया, श्री माधवराव

सिदनाल, श्री एस० बी०

सिलवेरा, डा० सी०

सिंगला, श्री संतराम

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री दलबीर

सिंह, कु० पुष्पा देवी

सिंह, श्री मनफूल

सिंह, श्री मोतीलाल

सिंह श्री सिवेन्द्र बहादर

राजू, श्री एस० विजयराम

राज़, श्री घू० विजय कुमारी

राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती बासव

रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली

राम बाबू, श्री ए० जी० एस०

राममूर्ति, श्री के०

रामा स्वामी, श्री आर०

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री वी० कृष्ण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह राव

रावत, श्री प्रभुलाल

राही, श्री राम लाल

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट

रेड्डी, आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री एम० बागा

रेड्डी, श्री मुहासमुदम ज्ञानेन्द्र

रेड्डी, श्री विजय भास्कर

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्री भवानीलाल

वर्मा, कु० विमला

वान्द्रायार, श्री के० तुलसिसेया

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी० एस०

विलियम्स, श्री आर० जी०

भडाना, श्री अवतार सिंह

भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल

भाग्ये गोवर्धन, श्री

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

भोंसले, श्री तेजसिंह राव

भोसले, श्री प्रतापराव बी०

भाई, डा० कृपासिंधु

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री धर्मपाल सिंह

मल्लिकार्जुन, श्री

मल्लू, डा० आर०

माडे गौडा, श्री जी०

माथुर, श्री शिव चरण

मिर्धा, नाथूराम

मीणा, श्री भेरु लाल

मुत्तेमवार, श्री विलास

मुरलीधर, श्री एन०

मुरुगेसन, श्री एन०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्त

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

यशपाल, श्री

रथ, श्री रामचन्द्र

राजुलु, श्री आर० के० जी०

सिंह देव, श्री के० पी०

सुखराम, श्री

सुन्दरराज, श्री एन०

सुब्बाराव, श्री थोटा

सुरेश, श्री कोड्डीकुनील

सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सोडी, श्री मनकूराम

सोलंकी, श्री सूरज भानु

सौन्दम, डा० (श्रीमती) के० एस०

स्वामी, श्री जी० वेंकट

हरचन्द सिंह, श्री

हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह

हान्दिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : घुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 0x9

विपक्ष में : 235

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दत्तात्रेय बंडारू द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1149-1174 सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1149-1174 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया :

पक्ष में :

सर्व श्री एम० रमन्ना राय, शरद यादव, मुहम्मद यूनुस सलीम, श्रीमती गिरिजा देवी

विपक्ष में :

सर्व श्री आर० प्रभु, ईश्वरभाई खोडाभाई चावड़ा, बी० अकबर पाशा, जगमीत सिंह बरार, के० एच० मुनियप्पा, बापू हरि चौरे, एच० डी० देवगौड़ा

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न छिलौनी-बगह रेल लाइन का है। हमें अफसोस है कि इस लाइन के लिए जितना पैसा मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है···(**व्यवधान**)···

[अनुवाद]

दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

छितौनी-बगह रेल तथा सड़क पुल को शीघ्र पूरा किये जाने तथा रेल लाइन को तीन साल के निर्धारित समय में पूरा किये जाने की आवश्यकता। (1299)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

अक्तूबर, 1994 तक कोंकण रेलवे को पूरा किये जाने की आवश्यकता। (1300)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

नियम 14 (दो) के अधीन बर्खास्त किये गये रेलवे कर्मचारियों को बहाल किये जाने की आवश्यकता। (1301)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

श्रमिक संघ को मान्यता देने के लिए नये मान्यता—नियमों को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता। (1302)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

प्रत्येक वर्ष 1000 किलोमीटर तक नई रेलवे लाइन बिछाये जाने के लिए कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता। (1303)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

ऐसी नीतियों का अनुसरण करने की आवश्यकता जिससे कि रेलवे कर्मचारियों में बेरोजगारी न फैले। (1304)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

कुम्हारों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उसे संरक्षण प्रदान करने की दृष्टि से, ठेकेदारों द्वारा स्टेशन प्लेटफार्मों पर चलायी जा रही चाय की दुकानों, जलपान गृहों सहित सभी रेलवे सेवाओं में कुल्लहड़ों का प्रयोग शुरू करने की आवश्यकता। (1305)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलवे कर्मचारियों के लिए हथकरघा वस्त्र यूनीफार्म उपलब्ध कराये जाने तथा बुनकरों के लिए रोजगार पैदा करने तथा उसे संरक्षण प्रदान करने के लिए अतिथि गृहों, रेलगाड़ियों आदि में हथकरघा वस्त्रों का प्रयोग करने की आवश्यकता। (1306)

"कि रेलवे बोर्ड शीर्ष के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किये जायें।"

रेलवे में फैले कदाचारों को नियंत्रण करने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने की आवश्यकता। (1307)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 13] [समय 4.21 म०प०

अंजलोज, श्री टी० जे०

आचार्य, वसुदेव

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

कालकादास, श्री

कुमार, श्री नितिश

केशरी लाल, श्री

खण्डेलवाल, श्री ताराचन्द

खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र

खां, श्री सुखेन्दु

खुराना, श्री मदन लाल

गंगवार, डा० परशुराम

गंगवार, श्री संतोष कुमार

गफूर श्री अब्दुल

गिरिजा देवी, श्रीमती

गोपालम, श्रीमती सुशीला

गौतम, श्री शीला

चंगारे, श्री आर० एम०

चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौधरी, दुष्यंत

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री चेतन पी० एस०

जसवंत सिंह, श्री

जेना, श्री श्रीकान्त

जोशी, श्री अन्ना

झा, श्री भोगेन्द्र

डोम, डा० राम चन्द्र

तीरकी, पी पीयूष

तेजनारायण सिंह, श्री

तोपदार, श्री तरित वरण

तोपर, श्री रमेश चन्द्र

त्रिपाठी, श्री ब्रज किशोर

दत्त, श्री अमल

दास, श्री जितेन्द्र नाथ

दास, श्री राम सुन्दर

दीक्षित, श्री श्रीश चन्द्र

दुबे, श्रीमती सरोज

द्रोण, श्री जगत वीर सिंह

धूमल, प्रो० प्रेम

नाईक, श्री राम

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० अमृतलाल कालिदास

पटेल, श्री रामपूजन

पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण

पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पुरकायस्थ, श्री कवीन्द्र

प्रकाश, श्री शशि

प्रसाद, श्री हरि केवल

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रेम, श्री बी० एल० शर्मा

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फातमी, मोहम्मद अली अशरफ

बर्मन, श्री उद्धव

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बाला, डा० असीम

बैठा, श्री महेन्द्र (बगहा)

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री ब्रह्मानन्द

मंडल, श्री सनत कुमार

मंडल, श्री सूरज

मलिक, श्री पूर्णचन्द्र

मल्लिकारजुनय्या, श्री

महतो, श्री बीर सिंह

मिश्र, श्री राम नगीना

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखर्जी, श्री सुबर्त

मुण्डा, श्री कड़िया

मुरमु, श्री रुप चन्द

मोल्लाह, श्री हन्नान

यादव, श्री चन्द्रजीत

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री राम लखन सिंह

यादव, श्री विजय कुमार

यादव, श्री शरद

राजेश कुमार, श्री

राम, श्री प्रेमचन्द

रामदेव राम, श्री

रामलखन, श्री

राय, श्री रवि

राय, श्री रामनिहोर

राय, श्री लाल बाबू

राय, डा० सुधीर

राय, श्री हाराधन

रायचौधुरी, श्री सुदर्शन

राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्री डी वेंकटेश्वर
रावत, श्री भगवान शंकर
रावत, प्रो० रासा सिंह
रेड्डी, श्री बी० एम०
रोशन लाल, श्री
लाजजन बाशा एस एम, श्री
वर्मा, श्री शिवशरण
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी
शर्मा, श्री राजेन्द्र कुमार
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शास्त्री, श्री विश्वनाथ
शाह, श्री मानवेन्द्र
सरोदे, डा० गुणवन्त रामभाऊ
सलीम, श्री मोहम्मद युनुस
सिंधिया, श्रीमती विजयराजे
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री शिवशरण
सिंह, श्री हरि किशोर (शिवहर)
सुर, श्री मनोरंजन
सैकिया, श्री मुहीराम
सैयद, श्री शाहबुद्दीन
हुसैन, सैयद मसूदल

विपक्ष में

अकबर पाशा, श्री बी०
अडईकलराज, श्री वसुदेव
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा, श्री
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अशोकराज, श्री ए०
अहमद, श्री ई०
अहिवार, श्री आनन्द
आदित्यन, श्री आर० धनुषकोडी
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरुल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्बे, श्री लाईता
एन्थनी, फ्रैंक
ओडेयर, श्री चनैया
कमल नाथ, श्री
करेंडुला, कमला कुमारी
कहांडोले, श्री जेड० एम०
कामत, श्री गुरुदास
कामसन, प्रो० एम०
काम्बले, श्री अरविन्द तुलशीराम
कालियापेरुमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव दे
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुडमुला, श्री पलश्री

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री रंगराजन

कुरियन, प्रो० पी० जे०

कुली, श्री बालिन

कृष्ण कुमार, श्री एम०

कृष्ण स्वामी, श्री एम०

केवलसिंह, श्री

कैनिथी, डा० विश्वानाथन

केरो, श्री सुरेन्द्र सिंह

कोताला, श्री रामकृष्ण

कौल, श्रीमती शीला

क्षीरसागर, श्रीमती केसरबाई सोनाजी

खां, श्री अय्यूब

खां, श्री असलम शेर

खुर्शीद, श्री सलमान

गजपति, श्री गोपीनाथ

गहलोत, श्री अशोक

गायकवाड, श्री उदयराम

गावीत, श्री माणिकराव होडल्या

गालिब, गुरचरण सिंह

गिरियप्पा, श्री सी० पी० मदाल

गुंडेवार, श्री विलास राव नांगनाथराव

गुडाडिन्नी, श्री बी० के०

गोगोई, श्री तरुण

गोमांगो, श्री गिरिधर

चाटोवार, श्री पवन सिंह

चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम

चम्बाकर, श्री चन्दूलाल

चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०

चाक्को, श्री पी० सी०

चार्ल्स, श्री ए०

चालिहा, श्री किरिप

चावड़ा, श्री ईश्वर भाई खोडाभाई

चेन्निथला, श्री रमेश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, डा० के० बी० आर०

चौधरी, श्री नारायण सिंह

चौधरी, श्री रामप्रकाश

चौधरी, श्रीमती संतोष

जनार्दनम, श्री एम० आर०

जयमोहन, श्री ए०

जांगडे, श्री खेलन राम

जाखड़, श्री बलराम

जाटव, श्री बारे लाल

जाफर शरीफ, श्री सी० के०

जावाली, डा० बी० जी०

जीवरत्नम, श्री आर०

झिकराम, श्री मोहनलाल

टाईटलर, श्री जगदीश

टिडिबाम, श्री के० राममूर्ती

टोपे, श्री अंकुशराव

ठाकुर श्री महेन्द्र कुमार सिंह

डेका, श्री प्रवीन

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहन एस०

तंग्कावालू, श्री के० वी०

तारादेवी, श्रीमती डी० के०

तारा सिंह, श्री

तोपनो, कुमारी फिडा

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोराव, श्री संदीपन भगवान

दत्त, श्री सुनील

दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह

दिघे, श्री शरद

देब, श्री संतोष मोहन

देवगौड़ा, श्री एच० डी०

देवराजन, श्री वी०

देवी, महारानी बिभु कुमारी

देशमुख, श्री अन्नतराव

देशमुख, श्री अशोकराव आनंदराव

नंदी, श्री बेल्लेया

नवले, श्री विदुरा विठोबा

नायक, श्री सुबासचन्द्र

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री के० आर०

नारायणन, श्री पी० जी०

नेताम, श्री अरविन्द

पंडियन, श्री डी०

पटनायक, श्री शरत् चन्द्र

पटेल, श्री उत्तमभाई हारजीभाई

पटेल, श्री प्रफुल

पटेल, श्री श्रवण कुमार

पटेल, श्री हरिलाल ननजी

पद्मा डा० (श्रीमति)

पवार, डा० बसंत

पवार, श्री शरद

पांजा, श्री अजीत

पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव

पाटिल श्री विजय एन०

पाटिल, कुमारी सूर्यकांता

पाटिल, श्री प्रकाश

पाटिल, श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह

पाणिग्रही, श्री बल्लभ

पात्र, डा० कार्तिकेश्वर

पायलट, श्री राजेश

पाल, डा० देवी प्रसाद

पालाचोला, श्री वेंकट रंगया नायडू

पेरुमान, डा० पी० बल्लल

पोतदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०

प्रभु झांट्ये, श्री हरीश नारायण
फर्नान्डीज, श्री आस्कर
फरुक, श्री एम० ओ० एच०
फैलीरो, श्री एडुआडो
बंसल, पवन कुमार
बनर्जी, कुमारी ममता
बीरबल, श्री
बूटासिंह, श्री जालौर
भक्त, श्री मनोरंजन
भगत, श्री वि वेश्वर
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाग्ये गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री रघुनन्दन लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोंसले, श्री तेजसिंह राव
भोंसले, श्री प्रतापराव बी०
भोई, डा० कृपा सिन्धु
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्ल, डा० आर०
माडे गौडा, श्री जी०
माथुर, श्री शिवचरण
मिर्धा, श्री नाथूराम
मीणा, श्री भेरूलाल
मुत्तेमवार, श्री बिलास

मुनियप्पा, श्री के० एच०

मुरलीधरन, श्री के०

मुदगेसन डा० एन०

मूर्ति, श्री एम० बी० चन्द्रशेखर

मेघे, श्री दत्त

मैथ्यू, श्री पाला के० एम०

यशपाल, श्री

रथ, श्री रामचन्द्र

राजरवि वर्मा, श्री वी०

राजू, श्री एस० विजयकुमार

राज, श्री भू० विजयकुमार

राजलू डा० आर० के० जी०

राजेन्द्र कुमार, श्री एस० एस० आर०

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती वासवा

राम बाबू, श्री ए० जी० एस०

राम सिंह, राव

रामास्वामी, श्री आर०

राय, श्री कल्पनाथ

राव, श्री जे० चोक्का

राव, श्री वी० कृष्णा

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

रावत, श्री प्रभुलाल

राही, श्री रामलाल

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट

रेड्डी श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री मुहासमुदम गवेन्द्र

रेड्डी, श्री विजय भास्कर

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

वर्मा, श्री भवानीलाल

वर्मा, कु० विमला

वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण

विजयराघवन, श्री वी० एस०

विलियम्स, मे० ज० आर० जी०

व्यास, डा० गिरिजा

शंकरानन्द, श्री बी०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री सतीश कुमार

शिगडा, श्री डामू बरकू

शुक्ल, श्री विद्याचरण

शैलजा, कुमारी

श्रीधरण, डा० राजागोपालन

श्रीनिवासन, श्री चिन्नासामी

सईद, श्री पी० एम०

सज्जन कुमार, श्री

सामीपल्ली, श्री गंगाधरा

साय, श्री ए० प्रताप

साही, श्रीमती कृष्णा

सिंगला, श्री संतराम

सिदनाल, श्री एस० बी०

सियवेरा, डा० सी०

सिंह, श्री अर्जुन

सिंह, श्री दलबीर
सिंह, कु० पुष्पा देवी
सिंह, श्री मनफूल
सिंह, श्री मोतीलाल
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह देवी, श्री के० पी०
सुखराम, श्री
सुन्दरराज, श्री एन०
सुब्बाराव, श्री थोटा
सुरेश (श्री कोड्डीकुनील)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान
सोडी, श्री मनकूराम
सोलंकी, श्री सूरजभानु
सौन्द्रम, डा० (श्रीमति) के० ए०
स्वामी, श्री० वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हूड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार हैं :

पक्ष में—121
विपक्ष में—227

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान में भाग लिया।

पक्ष में सर्वश्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे, सूर्य नारायण सिंह, एम० रमन्ना राय, सत्य नारायण जटिया नरेश कुमार, बालिघान, राजेन्द्र अग्निहोत्री, विश्वनाथ शर्मा, रतिलाल वर्मा, दाऊ दयाल जोशी, गिरधारी लाल भार्गव, द्वारका नाथ दास, मेजर डी० डी० खनोरिया, सर्वश्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर, योगानन्द सरस्वती, डा० छत्रपाल सिंह, सर्वश्री गंगा राम कोली, श्याम बिहारी मिश्र, अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, जीवन शर्मा, डा० महावीर सिंह हरिसिंह जी गोहिल ओरे श्री मोहब सिंह।

विपक्ष में : सर्वश्री कमालुद्दीन अहमद, चिन्ता मोहन, मुल्लापल्ली, रामचन्द्रन तिट्टप्पा भीमप्पा न्यामगौड, एम० वागा रेड्डी, दिग्विजय सिंह, सोमजीभाई, डामोर, श्रीमती सुखबंस कौर, श्री के० तुलसिऐया वान्डायार और बापू हरि चौरे।

अध्यक्ष महोदय : एक और कटौती प्रस्ताव अलग से मतदान के लिए रखना है तत्पश्चात हम सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में मतदान के लिए रख देंगे ।

अब मैं डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदे द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव संख्या 1321 से 1324 और 1328 से 1335 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

कटौती प्रस्ताव संख्या 1321 से 1324 और 1328 से 1335 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए

शेष कटौती प्रस्ताव संख्या 2-15, 17-42, 60-93, 97-156, 160-172, 196-215, 219-226, 229-252, 255-262, 265-272, 277-286, 288-293, 295-315, 318-322 335-392, 398-406, 431-457, 460-479, 493 499, 503-566-67, 570-632, 657-770, 782-793, 805-808, 823-829, 831-879, 881-893, 917-944, 961-972, 99-1002, 1008-1036, 1068-1075, 1109-1123, 1136-1174, 1192-1207, 1219-1222, 1225-1277, 1279-1294, 1308-24, 1328-35, 1370, 1371, 1377-1381, 1413-1425, 1428-1442, 1415 और 1452 **मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए**

अध्यक्ष महोदय : अब मैं वर्ष 1992-93 के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) को मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 1 से 16 के सामने दिखाए गए मांग शीर्षों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में भुगतान के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बन्धित राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1992-93 के लिए अनुदान की मांगों (रेलवे)

क्रम संख्या	मांग का नाम	लोक सभा द्वारा स्वीकृत अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
		रुपए
1.	रेलवे बोर्ड	12,76,00,000
2.	विविध व्यय (सामान्य)	72,39,00,000

1	2		3
3.	रेलों पर सामान्य अधीक्षण और सेवाएं		566,99,62,000
4.	रेलपथ और निर्माण कार्यों की मरम्मत और अनुरक्षण		1150,13,03,000
5.	रेल इंजनों की मरम्मत और अनुरक्षण		924,17,27,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण		1240,30,99, 00
7.	संयंत्र और उपस्करों की मरम्मत और अनुरक्षण		596,02,19,000
8.	परिचालन व्यय —चल स्टाक और उपस्कर		961,44,84,000
9.	परिचालन व्यय—यातायात		2018,71,25,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन		2231,67, 66,000
11.	कर्मचारी कल्याण और सुविधाएं		421,09,63,000
12.	विविध संचालन व्यय		595,62,83,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ		1152,27,77,000
14.	निधियों में विनियोग		4147,54,19,000
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन		1848,27,43,000
16.	परिसम्पतियां—खरीद, निर्माण और बदलाव		
		राजस्व	45,00,00,000
		अन्य व्यय	
		पूंजी	6816,77,80,000
		रेलवे निधियां	2905,45,09,000

प्रधानमंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : कटौती प्रस्ताव पूरे हो चुके हैं। मतदान भी पूरा हो चुका है। अब मैं सभा से यह निवेदन करता हूं कि सम्पूर्ण बड़ी लाइनों को देखते हुए हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनमें सही क्षेत्रीय संतुलन हो।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद

अध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), 1991-92 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई निम्नलिखित मांगों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1992 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान होने वाले खर्चों को अदा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राशियों से अनधिक सम्बंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से भारत के राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग संख्या : 1, 6, 10, 13, 14, 15 और 16

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत वर्ष 1991-92 के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेलवे)

क्रम संख्या	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदान की मांग की राशि
1	2	3
		रुपए
1.	रेलवे बोर्ड	44,74,000
6.	सवारी और माल डिब्बों की मरम्मत और अनुरक्षण	10,20,65,000
10.	परिचालन व्यय—ईंधन	116,30,96,000
13.	भविष्य निधि, पेंशन और अन्य सेवा-निवृत्ति लाभ	42,93,86,000
14.	निधियों में विनियोग	245,00,00,000

1	2	3
15.	सामान्य राजस्व को लाभांश, सामान्य राजस्व से लिए गए ऋण की अदायगी और अति-पूंजीकरण का परिशोधन	202,00,00,000
16.	परिसंपत्तियां—खरीद, निर्माण और बदलाव	
	अन्य व्यय	
	पूंजी	114,66,12,000
	रेलवे निधियां	25,31,28,000

4.26. म० प०

विनियोग (रेल) विधेयक*, 1992

रेल मंत्री (श्री सी० के० जाफर शरीफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थिपित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1992-93 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 17 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित/प्रस्तुत

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में में जोड़ दिए गए।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.17 म० प०

विनियोग (रेल) संख्यांक-2 विधेयक* 1992

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

*दिनांक 17 मार्च, 1992 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग-2, खण्ड-2 में प्रकाशित।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, मैं विधेयक पुरस्थापित करता हूं* ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और में से कतिपय कुछ और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1991-92 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि से और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी ।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का भाग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए जाएं ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सूची 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अब यह प्रस्ताव कर सकते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए ।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, हमने बोलने के लिए नोटिस दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने बजट पर 15 घंटे तक बहस की है ।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, हमें बोलने का अधिकार है ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित । प्रस्तुत

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? माननीय रेल मन्त्री यहां उपस्थित हैं । हमें पता चला है कि कुछ संसद सदस्यों को 'पैलेस आन व्हील्ज' में दौरे पर ले जाने का प्रस्ताव है । क्या ऐसा कोई प्रस्ताव है महोदय सरकार खर्च में कमी करने की बातें कर रही है और वह संसद सदस्यों को 'पैलेस आन व्हील्ज' में, जो कि बहुत ही मंहगी रेलगाड़ी है, ले जाना चाहते हैं । हमारा प्रस्ताव है कि यह विचार शीघ्र ही त्याग देना चाहिए । हम इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय के विचार जानना चाहेंगे ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय, जब कभी नागर विमानन मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति अथवा अन्य मन्त्रालयों की परामर्शदात्री समितियां संसद सदस्यों को दौरे पर ले जाना चाहती है, तो वे जाते हैं । इसी प्रकार से जब रेलवे मन्त्रालय की परामर्शदात्री समिति के संसद सदस्यों ने दौरे पर जाने की इच्छा व्यक्त की, तो हमने उनको भी भेजा ।

श्री वसुदेव आचार्य : मैंने तो इसकी मांग नहीं की ।

श्री सी० के० जाफर शरीफ : महोदय निजी तौर पर सदैव ये इसी तरह से कहते है किन्तु सार्वजनिक तौर पर मुकर जाते हैं । जो सदस्य जाने के इच्छुक हैं, वे भी जा सकते हैं और इस बारे में पता लगा सकते हैं कि पर्यटन को किस तरह से विकसित किया जाना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, इसके लिए अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया मन्त्री जी को बोलने दें । अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मन्त्री जी को वक्तव्य देने के लिये कहा था ।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर 5 कर्मचारी इसलिए हड़ताल कर रहे हैं कि रेलवे विभाग ने अपना विभागीय कार्य रोक दिया है और इन कर्मचारियों को ठेकेदारों के यहां जाने को कहा है । मैं माननीय मन्त्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या वह इन रेलवे कर्मचारियों के साथ न्याय करेंगे ?

श्री सी० के० जाफर शरीफ : विगत बजट अभिभाषण में हमने यह स्पष्ट तौर पर कहा था कि ऐसे कर्मचारी जो सफाई कार्य में लगे हैं, उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जाएगा । यदि हमारी जानकारी से परे कोई ऐसी वैसी गलती हो गई है तो हम इस मामले पर विचार करेंगे और कोई भी कर्मचारी निकाला नहीं जाएगा । (**व्यवधान**)

[**हिन्दी**]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, हम लोग बिहार के सम्बन्ध में मिले थे । बिहार में समस्तीपुर में रेलवे का कारखाना है···(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : यह भी महत्वपूर्ण बात है । मैं मन्त्री जी के वक्तव्य की समाप्ति पर आपको समय दूंगा ।

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) थल सेनाध्यक्ष की प्रेस के साथ भेंटवार्ता

[अनुवाद]

रक्षा मन्त्री (श्री शरद पावर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने सेनाध्यक्ष द्वारा एक समाचार पत्र के संवाद दाता को दिए गये साक्षात्कार के सम्बन्ध में दो भागों में छपी रिपोर्ट देखी है।

2. इस सम्बन्ध में सेनाध्यक्ष से मैंने बात की है और यह महसूस किया है कि उनके साक्षात्कार को कुछ अन्यथा समझ लिया गया है, उन्होंने मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि साक्षात्कार के दौरान उठाए गये विभिन्नों मुद्दों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में वे सरकार की नीति और निर्देशों का पालन करने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं इस सम्बन्ध में सेनाध्यक्ष द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति से मैं संतुष्ट हूं। तथापि मैं समझता हूं कि जहां तक हो सके सेवारत अधिकारियों को इस प्रकार के साक्षात्कार से बचना चाहिए। अच्छा होता अगर वे साक्षात्कार में इस प्रकार के विचार व्यक्त न करते।

3. मैं आपको पुनः बताना चाहूंगा कि हमारी सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह अनुशासित हैं और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद से इन्हें जो भी जिम्मेदारी सौंपी गई इन्होंने उन सभी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया है। मैं इस अवसर पर इस सम्मान्य सदन को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह मेरे मंत्रालय के नियन्त्रण में काम करती हैं।

4. यह हमारी परम्परा रही है कि सशस्त्र सेनाओं को इस प्रकार के विवादों से अलग रखा जाए। इसलिये मैं इस सम्मान्य सदन से अपील करता हूं कि इस मुद्दे पर और आगे बहस न की जाए।

4.33 अ० प०

(दो) 1992-93 के मौसम के दौरान विपणन की जाने वाली वर्ष 1991-92 की रबी फसलों की मूल्य-नीति

कृषि मन्त्री (श्री बलराम जाखड़) : महोदय, सरकार ने वर्ष 1992-93 मौसम में बेची जाने वाली वर्ष 1991-92 की रबी फसल की अच्छी किस्म के गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 250 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिए है। इसकी विशेषता यह है कि ये मूल्य वर्ष 1990-91 की फसल के लिए निर्धारित किए गए 225 रु० प्रति क्विंटल के मूल्य से 25 रु० प्रति क्विंटल ज्यादा हैं।

2. अच्छी औसत किस्म के जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य 210 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं जो वर्ष 1990-91 की फसल के लिए निर्धारित किए मूल्य से 10 रु० प्रति क्विंटल ज्यादा हैं।

3. अच्छी औसत किस्म के चने का न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रु०प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो पिछले मूल्य से 50 रु० प्रति क्विंटल ज्यादा है।

4. रेपसीड/सरसों का न्यूनतम समर्थक मूल्य 670 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया जो पिछले वर्ष से 70 रु० प्रति क्विंटल ज्यादा है।

5. अच्छी औसत किस्म के कुसुभ का न्यूनतम समर्थक मूल्य 640 रु० प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है जो पिछले वर्ष से 65 रु० प्रति क्विंटल ज्यादा है।

6. विपणन वर्ष 1992-93 के लिए अच्छी औसत किस्म के तोरिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा रेपसीड/सरसों के साथ उनके सामान्य बाजार भाव अन्तरों को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाएगा।

मुझे विश्वास है कि वर्तमान विपणन मौसम के लिए विभिन्न फसलों के लिए इस समय निर्धारित किए गए मूल्यों से किसानों को इन फसलों के अच्छा उत्पादन और उत्पादकता को और अधिक बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

[अनुवाद]

4.34 म० प०

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय: अब सभा मद 16 व 17 पर एक साथ विचार करेगी। श्री लोकनाथ चौधरी वह यहां नहीं हैं। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा 28 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक आग्रह है कि बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में हम लोगों ने इस बात को रखा था। सब लोगों की राय थी 20 तारीख की छुट्टी के सम्बन्ध में। राज्य सभा ने, दूसरे सदन ने छुट्टी कर दी है। यहां भी, बी० जे० पी०, सी० पी० आई० सी० पी० आई० (एम०) और हम लोगों की राय है कि यदि हाउस की राय हो तो 20 तारीख की छुट्टी कर दी जाए। क्योंकि बिहार में 18 तारीख की होली है, वे लोग तो चले जायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मैं कल 10 बजे बुला कर डिसाइड कर लूंगा। गिरधारी लाल भार्गव जी आप कुछ बोलना चाहेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी जो अध्यादेश लाए हैं कापी राइटस के बारे में वह एक प्रकार का पुराना आदेश था। उसमें संशोधन कर के जो रवीन्द्र नाथ टैगोर जी की पुस्तकें और प्रकाशन हैं उनका समय बढ़ाने वाली वास्तव में बात थी। यह अध्यादेश के मार्फत उसको लाए। उस समय को यहां पर 40 की बजाए 50 और 50 की बजाए 60 करने के सम्बन्ध में

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

अमेंडमेंट मन्त्री जी इसमें लाए हैं। जब इन्होंने देखा, मांग थी कि जो शान्ति निकेतन, जो उनकी संस्था है रवीन्द्र नाथ टैगोर जी की। उनकी मांग थी समिति की कि हम डा० रवीन्द्र जी के साहित्य को बराबर छाप सकें, उनके बारे में संशोधन लाये, लेकिन और भी लोगों की मांग थी कि और बिलों पर काफी राइट का अधिकार मिल जाये इसलिए सरकार संशोधन को लाई है। मामूली सी बात तो यह नहीं है, क्योंकि दिसम्बर महीने 1991 में समय समाप्त हो रहा था इसलिए अध्यादेश लाये। बार बार आप इस तरह से अध्यादेश लायें मैं समझता हूं इस प्रकार से यह उचित बात नहीं है। मन्त्री जी की भावना सही है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन मेरी मान्यता है कि ऐसी बातों के लिए.....

अध्यक्ष महोदय : ठीक है सबके लिए लागू करेंगे।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ऐसे अध्यादेश लाना उचित नहीं है। आपने सभी को इस प्रकार का अधिकार दिया है 1991 के पहले जिनको अधिकार मिला है उनको नहीं दिया है, आशा है आप अपने उत्तर में इस पर विस्तार पूर्वक बतायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि यह सभा 28 दिसम्बर, 1991 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 1991 (1991 का अध्यादेश संख्या 9) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जहां तक मैं माननीय सदस्य को ठीक तरह से समझ सका हूं, वे विधेयक के सार के विरुद्ध नहीं है, किन्तु उनका विचार यह है कि हमें शायद इस कार्य को एक आम तरीके से करना चाहिए था और इसे एक अध्यादेश के रूप में नहीं लाना था।

इस बारे में हमें बहुत से सुझाव मिले और हमें भी बहुत से लोगों से परामर्श करना पड़ा है। राज्य सरकारों से तथा कुछ माननीय सदस्यों से भी अभ्यावेदन मिले थे और इसलिए इस सारी प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है, और चूंकि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 31 दिसम्बर 1991 को समाप्त हो गया था, एक अध्यादेश के द्वारा ऐसा करना आवश्यक था।

हमने दस वर्ष का समय बढ़ाया है, उसका अपना ही अर्थ है; हमने इसे कम करने का प्रयास किया है। कुछ सुझाव तो 17 वर्ष तक बढ़ाने के लिए थे, और कुछ सुझाव इससे भी अधिक समय तक बढ़ाये जाने के बारे में थे, किन्तु हमने सोचा कि दस वर्ष तक का समय दिया जाना चाहिये; और यह

प्रत्येक के लिये एक समान है। यह केवल गुरुवर टैगोर जी के रचना कार्यों के लिये ही नहीं हैं; निसंदेह गुरु जी का रचना कार्य तो अपने आपमें ही कोटिकृत है। समय को दस वर्ष तक ही बढ़ाना उचित समझ गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 25 जून 1992 तक राय जानने के लिए उसे परिचालित किया जाये।" (1)

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर 30 जून 1992 तक राय जानने के लिये उसे परिचालित किया जाये।" (2)

अध्यक्ष महोदय श्री विजय कृष्ण हान्डिक।

4.43 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री विजय कृष्ण हान्डिक (जोरहाट) : मैं प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम 1957 द्वारा संरक्षा प्राप्त सभी प्रकार के रचना कार्यों के मामले में प्रतिलिप्यधिकार की अवधि सामान्यत: बढ़ाने का यह एक अच्छा निर्णय है। यद्यपि मूलत: गुरुदेव रविन्द्रनाथ जी के रचना कार्यों को उनके राष्ट्रीय महत्व की दृष्टि से अधिक संरक्षा प्रदान करने का इरादा था, लेकिन विधित: यह भी अनिवार्य बन जाता है कि गुरुदेव रबिन्द्रनाथ जी के रचना कार्यों के साथ-साथ प्रतिप्यिधिकार की अवधि को सामान्यत: भी बढ़ाया जाए। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

आगामी दस वर्षों में हम यह देखेंगे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय कविवर रविन्द्रनाथ जी के रचनाकार्यों को केवल संरक्षित ही नहीं रखता बल्कि उनका व्यापक प्रचार-प्रसार किस ढंग से करता है और इसके साथ-साथ व्यावसायीकरण व प्रकाशन के प्रमाणाधिकारों से उभार कर कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर के रचना कार्यों को किस तरह से कम मूल्यों पर उपलब्ध कराता है।

विश्व भारती के विरुद्ध शिकायतें मिली है। यद्यपि विश्वभारती को प्रतिलिप्यधिकार की अनुमति देने के बारे एक सुविचारित निर्णय हुआ है, तथापि प्रख्यात शिक्षाविदों, लेखकों और बुद्धि-जीवियों की शिकायतों पर अवश्य ही विचार किया जाना चाहिये और इनकी राय को इतनी सहजता से नकारा नहीं जा सकता। हमें यह मानना होगा कि जैसाकि प्रख्यात बुद्धिजीवी मानते हैं कि विश्वभारती में प्रत्येक बात सही नहीं है और जिस ढंग से हाल ही में उसने प्रतिलिप्यधिकार का उपयोग किया है, वह कोई प्रेरणादायक बात नही है।

और

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक

[श्री विजय कृष्ण हान्डिक]

महोदय, इससे पूर्व कि मुझे कोई गलत समझे, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब मैं यह कहता हूं कि विश्वभारती के पास प्रतिलिप्यधिकार रहने की अनुमति देने का व इसकी संरक्षावधि को बढ़ाने का सरकार का निर्णय सही है तो यह इसलिए नहीं है कि कविवर ऐसा चाहते थे कि उनके निधन के उपरान्त विश्वभारती को ही प्रकाशनार्थ प्रतिलिप्यधिकार दिया जाए। यदि प्रतिलिप्यधिकार की संरक्षा नहीं की जाती तो उनके रचना कार्यों का प्रयोग वाणिज्यिक रूप में किया जा सकता है, और आखिरकार केवल कुछ एक रचना कार्यों को जोकि शीघ्रता से बिकते हैं, विकसित किया जाएगा और उनके रचनाकार्यों के शेष खंड अछूते रह जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप उनको रचनाकार्यों का एक बहुत बड़ा भाग प्रकाशित अथवा पुनः प्रकाशित नहीं हो सकेगा। कवि गुरु जी के रचना कार्यों को हल्के व्यवसायवाद से बचाने के लिए, विश्व भारती—एकमात्र उत्तर है। विश्वभारती व्यवसायवाद से ऊपर उठकर गुरु जी के रचनाकार्यों को शोध की दृष्टि से, सौन्दर्य तथा ऐतिहासिक मूल्यांकन की दृष्टि से विकसित कर सकती है। लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि विश्वभारती विभिन्न संगठनों व लेखकों की समालोचना की भी परवाह न करे।

जो लोग ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि विश्वभारती कविवर के रचना कार्यों के विकास के साथ पूर्णतया न्याय नहीं कर पायेगा। वे भारत की संस्कृति, साहित्य व कला की महान विभूतियां हैं। विश्व भारती पर अधूरे तथा गलत पाठ, घटिया स्तर का अनुवाद, प्रस्तुतिकरण के अजीब तरीके और प्रतिलिप्यधिकार को एक आदर्श रूप में उपभोग में लाने की अक्षमता स्वयं भी इसकी रक्षा न कर पाना जैसे आरोप लगाये गये हैं लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि विश्वभारती के अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी।

इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि इन बुद्धिजीवियों की इस सुनियोजित प्रतिक्रिया का किसी की व्यक्तिगत नाराजगी अथवा ईर्ष्या आदि से कोई सरोकार नहीं है अथवा इनकी प्रतिक्रिया अच्छाई के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से प्रेरित है। इसके विपरीत विश्वभारती की भूलों का यह एक विचारनीय विश्लेषण है कि इससे यह आशा की गई थी कि। प्रस्तुतिकरण, संपादन व विपणन कार्यों में यह उत्कृष्ण कीर्तिमान स्थापित करेगी।

विश्वभारती के खिलाफ उनका एक विशिष्ट आरोप यह है कि यह कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की अनेकों गद्य रचनाओं, विभिन्न सामयिक प्रकाशनों में प्रकाशित उनकी बहुत सी लघु-कथाओं व उनके बहुत से महत्वपूर्ण पत्रों को उजागर करने में असफल रही है और आम राय यह है कि इसके प्रकाशनों का पूर्ण व सही होना संदेहजनक है। यह एक अन्य शिकायत है। वे यह कह रहे हैं कि गुरुवर रविन्द्रनाथ जी के संचयित रचना कार्यों पर अन्तिम खंड 1965 में प्रकाशित हुआ था और इसके बाद के 26 वर्षों में उनके बारे में अध्ययन करने वालों व उन पर शोध करने वाले विद्वानों को पर्याप्त कठिनाईयों व दुविधाओं का सामना करना पड़ा है।

[अनुवाद]

सरकार को यह देखने दो कि विश्वभारती अगले दस वर्षों के दौरान टैगोर का प्रमाणिक और

पूर्ण साहित्य कम खर्च पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाती है। यदि विश्वभारती अगले दस वर्षों में अपनी बचनबद्धता पूरी करने में असफल रहती है तो इसे अपने मामले का पक्ष प्रस्तुत करने के लिए फिर से सरकार के पास आने का अधिकार नहीं होगा। तथापि, मुझे विश्वास है कि विश्वभारती, जोकि स्वयं कवि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संस्थापित संस्था है, उनकी यह इच्छा थी कि इसके प्रकाशन का अधिकार विश्वभारती को होगा। उनकी रचनाओं को सुरक्षित रखने और उनके अनुवाद और उनकी शुद्धता को संरक्षित रखने में सक्षम होगी और साथ ही उनके साहित्य का भारतीय भाषाओं और यहां तक कि विदेशी भाषाओं में अनुवाद और पुन अनुवाद करने के लिए अभियान चलाने में सक्षम होगी। यह विश्वभारती की सेवा में निहित एक महान जिम्मेदारी और विश्वास है। दूसरा विकल्प टैगोर की रचनाओं को बड़े प्रकाशकों, जिनकी प्रेरणा सर्वोत्तम विक्रेताओं के मनोविश्लेषण से संचालित होती है, कि अनर्गल वाणिज्यीकरण के लिए छोड़ देना है। वे यह तर्क दे सकते हैं कि उनकी कृतियों की अधिक बिक्री का मतलब उनके पाठक वर्ग की संख्या लाखों में होना है। लेकिन उनके बारे में क्या है जो कि अधिक नहीं बिकती हैं? अत्यधिक बिक्री संवेदनशीलता की ऊंचाइयों और उत्तमता का माप-दण्ड नहीं है। वह दिन बुरा होगा जब टैगोर के पाठकों की संख्या को फलफूल रहे प्रकाशन घरानों की लाभ-हानि के भौतिकवादी विचार से बन्द और सीमित किया जाएगा।

महोदय, कवि को संरक्षण देने के बारे में हमारी सभी बातें तब तक असंगत ढंग से ही समाप्त होंगी जब तक कि हमारे पास सशक्त प्रत्यलिपि अधिकार न हो। सब जगह प्रत्यलिप्यधिकार का उल्लंघन हो रहा है। लेकिन तीसरी दुनिया के देशों में यह समस्या गंभीर है क्योंकि वहां पर पुस्तकें खरीदना लोगों के वश से बाहर हो गया है। यहां तक कि अमेरिका और इंग्लैण्ड जैसे विकसित देशों में भी यह समस्या है। किसी को भी यह भ्रांति नहीं होनी चाहिए कि यदि अधिक पुनमुद्रित प्रतियां उपलब्ध होंगी तो इससे पुस्तकों की फोटो प्रतियां बननी समाप्त हो जाएंगी भले ही इसे थोड़ा नियंत्रित किया जाए।

यह चोरी पश्चिम और तीसरी दुनियां के देशों तक ही सीमित नहीं हैं। यहां तक कि भारत में प्रकाशित हुई पुस्तकें तीसरी दुनियां के देशों में चुराकर ले जायी जाती है। दुखद बात तो यह है कि पुस्तक का मूल्य अधिक होने के कारण भारतीय लेखक की पुस्तक की भारत में ही चोरी होती है। अत: पुस्तकों की चोरी का दक्षिण और उत्तर से कुछ लेना-देना नहीं है। यदि पुस्तक बाजार में खूब बिकती है तो इस पुस्तक के चोरी हो जाने की कोई गारन्टी नहीं है।

1985-86 प्रत्यलिपिकिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था, जिसका कारण पुस्तक उद्योग को बचाने की चिन्ता नहीं थी बल्कि इसकी वीडियो चोरी थी। मैं सरकार से 1984 के संशोधनों के अधिकार क्षेत्र में पर्याप्त कदम उठाने का आग्रह करता हूं, जिससे विदेशी पुस्तकें अनिवार्य अनुज्ञप्ति प्रणाली के माध्यम से उचित दरों पर उपलब्ध कराई जा सकें ताकि विदेशों में प्रकाशित वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों की पुस्तकों की देश की जरूरतों को तुरन्त पूरा किया जा सके और साथ ही ऐसी पुस्तकों का अध्यापन, अनुसधान और अन्य नियमित अनुदेशात्मक गतिविधियों के लिए पुनउत्पादन किया जा सके।

इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया है हमने दुनिया के महान लेखकों में से एक महान साहित्यकार को

[श्री विजय कृष्ण हालिक]

संरक्षण देने के लिए प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम को संशोधित कर दिया है। लेकिन यदि प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अत्यधिक होता है तो हम इस महान व्यक्ति के महान कृत्य को कैसे बचा सकते हैं ?

एक समाचार पत्र में एक समाचार छपा था। कुछ समाचार पत्रों में यह कहा गया था कि एक सज्जन हमारे देश के किसी राज्य में किसी रेलवे स्टेशन पर एक बुक स्टाल पर गये। मैं उस राज्य का नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि इससे उस राज्य की बदनामी होगी। उन्हें उस बुक स्टाल पर एक पुस्तक मिली जो रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक गोरा का अनुवाद था। उसके साथ ही वहां पर अश्लील साहित्य के कुछ मुद्रित पृष्ठ भी थे। ऐसे कृत्यों को संरक्षित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है ?

अत: दण्डात्मक उपायों को कड़ा किया जाना चाहिए तथा उन्हें उचित रूप से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन दण्डात्मक उपायों को सिर्फ कड़ा बनाना ही पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह देखने के लिए कुछ करना चाहिए कि लोगों को पुस्तकें उचित दामों पर मिल सकें।

मैंने यह बात चर्चा के दौरान उठानी चाही थी। तथापि, प्रतिलिप्यधिकार मुख्य चर्चा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शब्दों की व्याप्ति है। विश्वभारती को टैगोर का प्रमाणिक साहित्य, पूर्ण साहित्य, और सस्ते दामों पर उपलब्ध करवाना चाहिए जिसे लोग आसानी से प्राप्त कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार भी उपाय करेगी ताकि प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन न होने पाए।

5.00 म०प०

***श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य** (जादवपुर) : माननीय उपाध्याय महोदय, इस प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक 1992 में प्रभावी मूल प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम के अध्याय 5 में है जिसमें प्रतिलिप्यधिकार की अवधि 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। कला, फिल्म इत्यादि जैसे अन्य रचनात्मक कृत्यों को भी इसमें संरक्षण दिया गया है। इसमें समय सीमा 10 वर्ष बढ़ाने के लिए कहा गया है। समय सीमा बढ़ाने के लिए क्यों कहा गया है ? इसके लिए सरकार द्वारा बताए उद्देश्यों के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का उल्लेख किया गया है। रविन्द्रनाथ की मृत्यु के बाद उनकी कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार विश्वभारती को दिया गया था। नियमों के अनुसार प्रतिलिप्यधिकार दिसम्बर, 1991 में समाप्त हो जाना चाहिए था। इसलिए टैगोर की कृतियां किसी प्रकाशक को प्रकाशन के लिए उपलब्ध हो गई होतीं।

इस नए अधिनियम के द्वारा 10 वर्ष का समय बढ़ाया गया है। इसके उद्देश्य बताते समय यह कहा गया था कि क्योंकि किसी विशेष लेखक के लिए प्रतिलिप्यधिकार की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है इसलिए सभी लेखकों के लिए यह अवधि बढ़ाई गई है।

* मूल तन्त्र बंगला में दिए गए भाषण को अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इस सम्बन्ध में तीन प्रश्न उठे। पहला प्रश्न यह था कि क्या अधिनियम में परिवर्तन हो सकता है या नहीं। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या आम पाठक जो रविन्द्रनाथ को पढ़ने के लिए उत्सुक है या अन्य प्रसिद्ध भारतीय लेखकों से अवगत होना चाहता है, लाभान्वित होगा और तीसरा प्रश्न यह है कि केवल 10 वर्ष ही क्यों बढ़ाए जाएं। इससे कम या अधिक क्यों नहीं ?

मैं न्यायिक पक्ष को अधिक महत्व नहीं देना चाहती हूं। क्योंकि मैं महसूस करती हूं कि यदि अधिनियम में कमी हो तो उसमें हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए।

भारत ने प्रतिलिप्यधिकार पर दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया जो (1) बर्नी और (2) यूनेस्कों में हुए थे। बर्नी सम्मेलन में भाग ले रहे देशों ने आमतौर पर प्रतिलिप्यधिकार को 50 वर्षों के लिए मान्यता दी। लेकिन इसके अपवाद हैं। लेकिन जर्मनी संघीय गण राज्य और आस्ट्रिया ने 50 वर्ष की उक्त अवधि 1965 में संसदीय अधिनियम के द्वारा बढ़ाकर 70 वर्ष कर दिया गया। भारत में भी उक्त अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 50 वर्ष किया गया। द्वितीय सम्मेलन अर्थात यूनेस्को सम्मेलन में जिसमें भारत ने भी भाग लिया था, अंतरिक विधान सभा ने प्रतिलिप्यधिकार को संरक्षित करने की मान्यता दी। राष्ट्रीय विधान के द्वारा प्रतिलिप्यधिकार को संरक्षण देने के लिए किसी कठोर अंतर्राष्ट्रीय मानदण्ड की मान्यता नहीं दी गई। अतः इन दो अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेने के बाद यदि कोई देश किसी साहित्यक कृति के लिए समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता महसूस करता है तो उस पर कोई कानूनी प्रतिबन्ध नहीं है। सरकार प्रतिलिप्यधिकार को मूलतः इसलिए संशोधित करना चाहती है क्योंकि रविन्द्रनाथ का प्रतिलिप्यधिकार अवधि समाप्त होने वाली है। अतः रविन्द्रनाथ पर एक दो शब्द कहना आवश्यक है। मेरे पूर्व वक्ता ने बिलकुल ठीक ही कहा है कि यह दावा नहीं किया जा सकता है कि विश्व-भारती रविन्द्रनाथ टैगोर के लेखन को पूरी तरह से प्रकाशित करने में सफल रही है। इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि सफलता के साथ असफलता भी जुड़ी होती है। मैं इस सम्बन्ध में अपने पूर्व वक्ता से सहमत हूं।

रविन्द्रनाथ के मामले में दस वर्ष की अवधि बढ़ाने का मतलब यह होगा कि उनकी कृतियों का प्रतिलिप्यधिकार दस वर्ष तक और विश्वभारती के पास रहेगा जबकि अन्य लेखकों के लिए समय सीमा बढ़ाने का मतलब होगा कि प्रतिलिप्यधिकार उनके सम्बन्धियों या वंशजों का होगा। कुछ लोगों के अनुसार प्रकाशन की स्वतन्त्रता के बिना प्रतिलिप्यधिकार और समय सीमा बढ़ाने से देश के महान लेखकों की कृतियां आसानी से आम पाठकों को उपलब्ध कराने में अड़चनें आएंगी। अतः वे महसूस करते हैं कि रविन्द्रनाथ के साहित्य को विश्वभारती के एकाधिकार से मुक्त किया जाए और कोई समय सीमा न बढ़ाई जाए। यह विचार कई लेखकों; बुद्धिजीवियों और कलाकारों ने व्यक्त किए हैं। हम कुछ हद तक उनसे सहमत हैं। हम भी महसूस करते हैं कि रविन्द्रनाथ का यथासंभव अधिक से अधिक साहित्य, पूर्ण साहित्य और प्रमाणिक साहित्य आसानी से आम पाठकों को उपलब्ध कराना हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रेमचन्द और सुब्रह्मण्यम भारती जैसे सभी महान लेखकों के लिए भी यही उद्देश्य है। उनका रचनात्मक लेखन हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। अतः सबको इनका लाभ मिलना चाहिए।

अब यदि हम यह महसूस करते हैं कि प्रतिलिप्यधिकार की समय सीमा समाप्त होने के बाद

[श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य]

साहित्य प्रकाशन के लिए उन्मुक्त हो जाता है तो ऐसे में समय सीमा में बढ़ोतरी का मतलब प्रकाशन की इस उन्मुक्ति में अनावश्यक विलम्ब होगा। लेकिन क्या वस्तुस्थिति ऐसी है? यह विश्वास करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है कि 3 दिसम्बर, 1991 को रविन्द्रनाथ कृतियों के लिए प्रतिलिप्यधिकार समाप्त होने के बाद भी आप पाठकों को रविन्द्रनाथ का प्रमाणिक और पूरा साहित्य आसानी से उपलब्ध हो सकेगा। इस मामले में हमारा अनुभव भिन्न रहा है। बंगला भाषा के अन्य महान लेखकों, जैसे अवनिंद्रानाथ या सुकुमार राय के मामले में उनकी कृतियों के प्रतिलिप्यधिकार की समाप्ति के बाद घटिया तस्वीरों सहित उनकी पुस्तकों की घटिया संस्करणों की बाजार में बाढ़ सी आ गई थी। साथ ही प्रकाशक अपने लाभ को ध्यान में रखते हुए रविन्द्रनाथ की कुछ ही पुस्तकों को प्रकाशित करेंगे। रविन्द्रनाथ का पूरा साहित्य हम प्रकाशित नहीं कर सकते।

यदि हम रविन्द्रनाथ या किसी अन्य महान लेखक के साहित्य के प्रकाशन की पूर्ण आजादी देना चाहते हैं या हम उनके पूर्ण, प्रमाणिक और अविच्छिन्न साहित्य को आसानी से उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हम उसे बड़े व्यवसायियों के हाथों में या बाजार के बेतुके उतार-चढ़ाव पर नहीं छोड़ सकते हैं।

हकसर समिति ने अपनी सिफारिशों में यह मत व्यक्त किया है कि यदि लोगों के हित के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पत्ति उपयोग किया जाना है तो आप इसे बाजार के भरोसे नहीं छोड़ सकते। यहां तक कि इस सम्बन्ध में सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी है।

अब इन अतिरिक्त दस वर्षों का उपयोग रवीन्द्र नाथ के बारे में सही और पूर्ण जानकारी प्रकाशित करने और आम पाठक के लिए उनकी रचनाओं को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए होना है। हम समझते हैं कि इस सम्बन्ध में 10 वर्ष की वृद्धि पर्याप्त नहीं है। विश्व भारती प्रकाशन के पूर्ण विकास और इसमें सुधार के लिए सरकार एक पर्यवेक्षक समिति गठित करने पर विचार कर सकती है जिसमें विभिन्न सरकारी प्रकाशकों के प्रतिनिधि हों ताकि हम एक निश्चित अवधि में रवीन्द्र नाथ की सम्पूर्ण रचनाओं का प्रकाशन कर सकें। यह उद्देश्य रवीन्द्र नाथ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। यह उद्देश्य हमारे देश के सभी महान लेखकों के लिए होना चाहिए। इस उद्देश्य के बगैर अवधि-सीमा को बढ़ाने से कोई प्रयोजन पूर्ण नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं कुछ शब्द कहूंगा। अनेक लोगों के मतानुसार हम डन्कल प्रारूप सुझाए गए पेटेन्ट अधिनियम सम्बन्धी संशोधनों पर अनावश्यक ही आपत्ति रहे हैं। वे कहते हैं कि आप लोगों को देश में प्रतिलिप्याधिकार की अवधि बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप डन्कल प्रारूप में पेटेन्ट अधिनियम की समयावधि 20 वर्ष तक बढ़ाने पर क्यों आपत्ति कर रहे हैं। उन्हें हमारा जवाब यह है कि रवीन्द्र नाथ अथवा किसी अन्य महान लेखक की रचना को व्यापारिक शक्तियों से सुरक्षित रखने का उद्देश्य ही यहां पर भी है। हम अपनी बौद्धिक सम्पदा पर बड़े व्यापारिक गुटों या अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों का एकाधिकार नहीं चाहते। पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन के माध्यम से बड़े व्यापारिक पक्ष या बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सुविधा देने पर हमें आपत्ति है।

विकासशील देशों की स्थिति को समझते हुए, यूनेस्को सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार अधिनियमम को कुछ हद तक अप्रतिबंधित कर दिया है ताकि ये देश अन्य देशों की बौद्धिक सम्पदा का उपयोग कर सकें और अपनी बौद्धिक सम्पदा को विकसित कर सकें। स्टाकहोम सन्धि में इस बारे में इससे भी अधिक चाहा गया था। लेकिन विकसित देश इससे सहमत नहीं हुए। आज बहुराष्ट्रीय कम्पनियों डन्कल प्रारूप के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा पर एकाधिकार जमाना चाहती हैं। किसी देश की सांस्कृतिक, नैतिक तथा सामाजिक प्रभुसत्ता पेटेन्ट अधिनियम के अन्तगत नहीं आ सकती। लेकिन ये बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियां इन्हें भी पेटेन्ट अधिनियम के तहत लाना चाहती हैं। एक राष्ट्रीय लेखक को व्यापारिक शक्तियों के अधीन न रखने देना और डन्कल प्रारूप में पेटेन्ट अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव के प्रति आपत्ति को एक ही दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। इन संशोधनों का समर्थन करने के बाद मैं यह कहना चाहूंगा कि दस वर्ष की इस बढ़ी हुई अवधि का इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि रवीन्द्र नाथ तथा अन्य महान लेखकों की रचनाएं हम सबको आसानी से उपलब्ध हो सकें।

प्रो० के० वी० थामस (एरणाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम हो मैं प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं। आठवें धर्मादेश में कहा गया है :

"तुम चोरी नहीं करोगे।"

प्रतिलिप्याधिकार विधेयक का उद्देश्य विख्यात व्यक्तियों की बौद्धिक सम्पदा की चोरी होने से रोकना है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम पहले इंग्लैंड में 1709 में बनाया गया था। भारत में यह पहले 1914 में बनाया गया और बाद में इसमें अनेक संशोधन हुए और मौजूदा संशोधन भी प्रतिलिप्याधिकार कानून में निहित अनेक खामियों को दूर नहीं करता। इसलिए हमें एक अत्यन्त व्यापक प्रतिलिप्याधिकार कानून बनाना चाहिए ताकि इस समय इसमें जो खामिया हैं उन्हें कारगर रूप से दूर किया जा सके। जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में विशेष रूप से कहा गया है, इस संशोधन का एक मुख्य उद्देश्य गुरुदेव टैगोर जी की रचनाओं के प्रतिलिप्याधिकार को और 10 वर्षों तक सुरक्षित रखना है। इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहूंगा कि यह अवधि 60 वर्ष क्यों है? जर्मनी में 1975 में एक कानून बनाया गया था और उसकी अवधि 70 वर्ष है। स्पेन में भी एक कानून बनाया गया जिसकी अवधि 80 वर्ष है। आपने निर्णय लिया है कि 50 वर्ष की अवधि को बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया जाए, मैं जानना चाहता हूं कि 60 वर्ष क्यों इससे थोड़ा अधिक क्यों नहीं? मैं इसका कारण जानना चाहता हूं।

महोदय मैं विधेयक में अभी भी मौजूद कुछ खामियों की ओर माननीय मन्त्री का ध्यान दिला लाना चाहता हूं। फोटोग्राफ से अन्य साहित्यिक, नाट्य संगीत और कलात्मक कृतियों के मामले में प्रतिलिप्याधिकार की अवधि लेखक की जीवन अवधि और फिर उसकी मृत्यु के बाद आगे 60 वर्ष तक है। फोटोग्राफ के छायाकार को यह विशेषाधिकार क्यों नहीं दिया गया? आजकल के विश्व फोटोग्राफी भी एक कला है। इसलिए मैं समझता हूं फोटोग्राफ के छायाकारों को भी यह विशेषाधिकार मिलना चाहिए

[प्रो० के० वी० थामस]

इसी प्रकार वैज्ञानिक विश्व में कम्प्यूटर प्रोग्राम और साफ्टवेयर की भी उचित सुरक्षा दी जाए। मौजूदा कानून में यह सुरक्षा नहीं दी गई है। 1977 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने फिल्मों और साउंड ट्रैक का प्रतिलिप्याधिकार निर्माताओं को दे दिया। फिल्म के जो कलाकार स्वयं संगठित नहीं हैं, वे पूर्णतया निर्माताओं की मनमानी पर निर्भर है। मेरा अनुरोध है कि कलाकारों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त संशोधन होना चाहिए। चोरी (नकल) की गई पुस्तकें, आडियो, वीडियो कैसेटें, चित्रकारी, कम्प्यूटर प्रोग्राम और फिल्में अब हर जगह उपलब्ध हैं। पर्याप्त और कारगर कानून के अभाव के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है। प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का उल्लंघन तो सम्पदा के दुरुपयोग अथवा चोरी के समान है। इसलिए इसके लिए तो संक्षत दण्डात्मक कार्यवाही करने की जरूरत है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि हमें इस बारे में कानून बनाना चाहिए ताकि कानून का उल्लंघन करने वालों को कैद और भारी सजा दी जा सके। इन मामलों में जांच करने के लिए विशेष पुलिस कक्ष होना चाहिए। निर्णय कोल में विशेष न्यायालय होने चाहिएं। उन्हें कानून के तहत पर्याप्त शक्तियां होनी चाहिए।

मैं सुझाव देता हूं कि वीडियो पार्लर तथा दुकानें लाइसेंस एजेंसी व्यवस्था के तहत हों, ताकि उनकी अकसर जांच की जा सके। जब्त की गई चोरी की सम्पदा राज्य की सम्पदा हो जाना चाहिए। मौजूदा कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार प्रतिलिप्याधिकार कानून के तहत जनता को जानकारी देने की योजना होनी चाहिए क्योंकि लोग जानते ही नहीं कि मौजूदा कानून के तहत क्या उपलब्ध है।

जहां तक साक्ष्य का सम्बन्ध है, इनके लिए प्रतिलिप्याधिकार रखने वाले के पक्ष में ढील दी जाए न कि कथित अपराधी के पक्ष मे।

विकासशील देश और तृतीय विश्व के देश बहुत ही अलाभकारी स्थिति में है। इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देश 1967 की स्टाकहोम सन्धि को लागू करने के लिए तैयार नहीं है जिसके फलस्वरूप पश्चिमी देशों में प्रकाशित अनेक आधुनिक पुस्तकें बहुत पुरानी तथा कालातीत होने के बाद ही विकासशील और तृतीय विश्व के देशों में पहुंचती हैं। अब तो पश्चिमी देशों में बहुत पुराने पड़ चुकी रचनाओं को तृतीय विश्व के देशों और विकासशील देशों में भेजा जाता है हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित स्टाकहोम सन्धि को ईमानदारी से लागू किया जाए।

मैं इन शब्दों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के जरिए कापी राइट्स में जो संशोधन का प्रस्ताव आया है, उसके खिलाफ कहने को बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि यह एक ऐसे परिप्रेक्ष्य और ऐसी भूमिका के साथ आया है कि उसमें उसके खिलाफ बहुत कुछ कहने की बात मेरे पास नहीं है। लेकिन इसी बहाने कुछ सुझाव माननीय मन्त्री जी को और सरकार को देना चाहता हूं।

यह हमारे देश की दुश्वारी रही है कि लेखक निर्धन रहे हैं, बुद्धिजीवी आर्थिक दृष्टि से कमजोर

रहे हैं। पुस्तकों के प्रकाशक धनी और सम्मन्न होते चले जा रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस तरह के जो बौद्धिक क्षमता के लोग, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रभावित किया अपनी बौद्धित क्षमता से, अपनी बौद्धिक बातों से, उनकी पुस्तकों और विचारों का प्रसार व प्रचार के दायित्व की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए। नेशनल बुक ट्रस्ट ने जब गांधी जी की शताब्दी वर्ष मनाया तो उस वर्ष उनका सम्पूर्ण वांगमय 80-82 खंडों में दस रुपए का आता था। यदि आज वह किसी प्रकाशक को दिया जाए तो वह 500-600 रुपए का खण्ड हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी भी पाठक के लिए उसको खरीदना मुश्किल होगा। मुंशी प्रेमचन्द इस देश में आर्थिक अभाव में ही दुनिया से चले गए। उन्हीं के कापीराइट के जो प्रकाशक लोग हैं उन्होंने सरकार से ही सस्ती कीमत पर कागज लिया, पैसा लिया और जो पुस्तकें प्रकाशित की वह बाजार में महंगी बेची, उसकी शिकायत हुई कि उन्होंने बाजार में बेच दीं, जो सस्ता कागज सरकार ने दिया था उस पर मुकदमा चला। एक महान लेखकों के वारिसों के बारे में और उनके प्रकाशकों के बारे में तमाम तरह की अनावश्यक चीजें समाज के सामने आई जिससे परिस्थितियां खराब हो गई। अभी जो जवाहर लाल नेहरू का सलेक्टेड वर्क है उसके सारे खंड, कापीराइट आपने दे दिया, ओक्सफोर्ड प्रेस को और ओक्सफोर्ड प्रेस उसको इतना महंगा कर रहे हैं कि यदि आप समझें कि जवाहर लाल जी के विचारों को ही हमें सुनना समझना और पढ़ना चाहिए तो एक साधारण पाठक की हैसियत से उनको खरीद कर पढ़ने का काम मुश्किल हो जाएगा।

इसलिए मैं सुझाव के तौर पर कहना चाहता हूं कि नेशनल बुक ट्रस्ट, जिसकी यह जिम्मेदारी होनी चाहिए और सरकार को यह जिम्मा लेना चाहिए कि इस तरह से जो इसके विशेषज्ञ हैं, ज्ञाता और विज्ञान हैं, जैसे सुब्रह्मण्यम भारती का शताब्दी वर्ष मनाया गया, 6,7-8 वर्ष पहले, उनकी पुस्तकों का प्रकाशन यदि हिन्दी में भी हुआ होता, जिनके पास कापीराइट हैं, मैं समझता हूं कि उनके पास हिन्दी अनुवादकों का अभाव होगा, लेकिन हिन्दी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, इतने महान युग-पुरुष की कविताओं और उनके विचारों से हिन्दी के पाठक आज इसलिए वंचित हो रहे हैं कि जिस व्यापक पैमाने पर उनकी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करके प्रकाशन किया जाना चाहिए, विस्तार से किया जाना चाहिए था वह नहीं हो पाया, यही स्थिति रवीन्द्र साहित्य के साथ थी। हम हिन्दी पाठकों की या हिन्दी जानने वालों की, हिन्दी भाषा-भाषियों की यह एक दुश्वारी है कि हम हिन्दी के लिए हल्ला तो बहुत करते हैं लेकिन भारत की ही जो दूसरी भाषाएं हैं, यदि उनको सीखना और समझने का अवसर आता है तो हम सबसे पीछे हिन्दी भाषी ही हैं। इसलिए उनकी मजबूरी और निकम्मेपन को ध्यान में रखते हुए, जो दीगर हिन्दी भाषी, इस तरह के महान विद्वान विचारक और बुद्धिजीवी हुए हैं उनकी कविताओं का, उनके विचारों का, उनके ग्रन्थों का हिन्दी में अनुवाद करके नेशनल बुक ट्रस्ट के जरिए सस्ती कीमत पर यदि आप उपलब्ध कराने का इन्तजाम कर सकें तो मैं समझता हूं कि यह उचित बात होगी और इसी दृष्टि से यह जो कापीराइट एक्ट है इसमें कुछ संशोधन की भी आवश्यकता है क्योंकि आप देखिए इस एक्ट के चलते एक दुश्वारी इस देश में आई कि एक अपनी इच्छा प्रकट करके मौलाना आजाद साहब इस दुनिया से चले गए और उनकी किताब, जो बाद में अभी 40 वर्षों के बाद, उन्हीं की इच्छा के अनुसार प्रकाशित हुई, इंडिया विंस फ्रीडम, 40 वर्षों तक इस देश में तमाम बातें फैलती रहीं कि मौलाना आजाद कौन से रहस्य का उद्घाटन अपने उस प्रकाशन के जरिए करना चाहते हैं, भारत के बंटवारे के लिए कौन लोग

[श्री मोहन सिंह]

जिम्मेदार थे और कौन सी परिस्थितियां थीं, 40 वर्ष तक इस देश का पाठक इस असमंजस में पड़ा रहा कि उसमें क्या है और उसके प्रकाशन के बाद उस कापीराइट का झगड़ा भी खड़ा हो गया और सुप्रीम कोर्ट तक यह मुकदमा गया कि इसके प्रकाशन के बाद उसकी जो रायल्टी मिले उसका हकदार कौन होगा, तो ऐसी सारी बातों में जो सम्पूर्ण देश की समूची पीढ़ी को प्रभावित करने वाले युगांतरकारी लेखक, विचारक, नेता, कवि और साहित्यकार रहे हैं उनके ग्रन्थों के प्रकाशन के बारे में कापीराइट एक्ट में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए और यह सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नेशनल बुक ट्रस्ट के जरिए या अपनी एजेंसी के जरिए इस तरह के युगांतरकारी विचारों के प्रचार के लिए सस्ती कीमत पर पुस्तकों को मुहैया किया जाए। इन चन्द सुझावों के साथ में न इसका स्वागत कर पा रहा हूं और न इसका विरोध कर पा रहा हूं। मैं सिर्फ माननीय मन्त्री जी से इतना आग्रह करना चाहता हूं पुस्तकों के प्रकाशन के बारे में एक समन्वित नीति के बारे में, क्योंकि अभी आपने एक वर्ल्ड फेयर यहां लगाया, बड़ा भारी मेला लगा, पुस्तक खरीदने वाले वहां जाते थे, लेकिन खरीदार कम जाते थे उसको देखने और निहारने वाले ज्यादा जाते थे, वहां विचरण करने वाले ज्यादा जाते थे क्योंकि पुस्तकों की कीमत आज बाजार में इतनी महंगी हो गई है कि कोई खरीद नहीं पाता तो प्रलोभनवश में स्वयं की वहां गया।

आज से 40-45 साल पहले जिनकी कीमत 25-50 रु० से कम थी, यह चाहते हुए कि जो आज की किताबें हैं उनको भी मैं खरीद सकूं लेकिन इसके लिए मेरी क्षमता नहीं थी कि मैं उन किताबों को खरीद सकूं। तो पुस्तक प्रकाशन के बारे में सरकार को एक समन्वित नीति बनानी चाहिए। जो पुस्तकें समाज सेवा का काम कर सकती हैं, विचार-प्रवाह को आगे बढ़ा सकती हैं, उनकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। इस बारे में एक ठोस सुझाव सरकार की तरफ से अखबारों में पढ़ने को मिला कि भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तकों में सम्मिलित किया जा रहा है: मैं आग्रह करना चाहता हूं कि केवल पाठ्यपुस्तकों में ही नहीं, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के इतिहास को सस्ती पुस्तक के रूप में सरकार की ओर से प्रकाशित किया जाना चाहिए, ताकि जिज्ञासु लोगों तक इसको मुहैया किया जा सके।

इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रो० रासा सिंह रावत बोलेंगे। हर सदस्य को पांच मिनट मिलेंगे क्योंकि हमें आज तीन और विधेयक पारित करने हैं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मानव संसाधन विकास मन्त्री द्वारा यह जो विधेयक लाया गया है और राष्ट्रपति महोदय के अध्यादेश का स्थान यह विधेयक लेने जा रहा है, इसका मैं स्वागत करता हूं। इसके पीछे जो भावना है, वह रवीन्द्र नाथ टैगोर से जुड़ी हुई है। विश्व कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर को कौन नहीं जानता। हिन्दुस्तान के बारे में कहा जाता है कि आसमान के

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक

सितारे कौन व्यक्ति गिनने में समर्थ हो सकता है, रेगिस्तान की बालू के कणों को गिनने में कौन समर्थ हो सकता है, मूसलाधार वर्षा की बूंदों को गिनने में कौन व्यक्ति समर्थ हो सकता है, इसी तरह से भारत माता की कोख से पैदा होने वाले ऐसे महान सपूतों की कथा का बखान कौन कर सकता है। ऐसे ही महान सपूत मां भारती के रवीन्द्र नाथ ठाकुर थे, जिन्होंने गीतांजलि जैसी प्रसिद्ध रचना लिख कर समस्त विश्व के अन्दर नाम अर्जित किया और नोबल प्राइस जैसे महान पुरस्कार को प्राप्त किया।

रवीन्द्र नाथ ठाकुर की रचनाएं, उनके अन्दर जो आशावादिता का स्वर है, मानवतावादी स्वर है, वह मुखर हुआ है, उससे मानवतावादी मूल्यों की प्रतिष्ठापना हुई है और इसके साथ-साथ राष्ट्रीय मूल्य भी उसमें अवतरित हुए हैं, ये सब अनुकरणीय है। देश की वर्तमान परिस्थितियों में गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर का साहित्य हमारे लिए मार्गदर्शक का काम करता है। आज देश में जो निराशा का वातावरण पनप रहा है, युवा पीढ़ी में असन्तोष पनप रहा है और युवा पीढ़ी के पास जैसा साहित्य पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुंच पा रहा है। परिणामस्वरूप बाजार में कासलेटी साहित्य मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसे शरीर के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक है इसी तरह से मस्तिष्क के लिए साहित्य ही खाद्य है। जब तक सत साहित्य का निर्माण नहीं होगा, सृजन नहीं होगा, संरक्षण नहीं होगा, सत-साहित्य का उत्पादन नहीं होगा, प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तब तक स्वाध्यायशीलता की प्रवृत्ति नहीं बढ़ेगी, सद्विचारों का प्रादुर्भाव नहीं होगा। आज की परिस्थितियों के बारे में उर्दू के एक शायर ने कहा है—

हम उन कुल किताबों को काबिले जब्ती समझते हैं,
जिनको पढ़ कर बेटे बाप को खब्ती समझते हैं।

ऐसा कासलेटी साहित्य के वातावरण में हमारे महान कवि, साहित्यकार हुए हैं, विश्व कवि रवीन्द्र नाथ ठाकुर हैं, मुंशी प्रेम चन्द हैं, बंकिम बाबू हैं, जय शंकर प्रसाद हैं, हिन्दी के हिमालय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या अन्य भाषाओं के कवि, जैसे सुब्रमण्यम भारती हैं, उन सब के साहित्य को अधिकाधिक सस्ता, सुलभ, प्रामाणिक और सुन्दर प्रकाशन करके उसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि हमारी नई पीढ़ी हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को, संस्कृति को, सांस्कृतिक धरोहर को, संगीत, कला और साहित्य को जान सकें। हमारे यहां कहा जाता है—

"साहित्य, संगीत, कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन।"

जिस साहित्य, संगीत और कला को इतना महत्व दिया गया था, उसके वर्तमान प्रणेता श्री रविन्द्र नाथ ठाकुर थे, उन्होंने यह आदर्श स्थापित किया, यदि मैं यह कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

माननीय, जैसा अभी मन्त्री महोदय, ने बिल प्रस्तुत करते समय बताया कि 1991 में उनके साहित्य के कापीराइट की अवधि समाप्त हो रही थी, उनकी मृत्यु को 50 वर्ष हो गए हैं, वैसे कई जगह प्रकाशन काल से 50 साल गिने जाते हैं, जैसे कोई साहित्य, संगीत या कलात्मक चीज होती है तो उसके निर्माण के बाद से 50 साल का समय गिना जाता है। तो इसमें 10 साल की अवधि बढ़ायी गयी। विद्वानों का एक शिष्टमण्डल आया था, जब सांची जो विश्व भारती के उप-कुलपति हैं उनके नेतृत्व में

[प्रो० राशा सिंह रावत]

हमारे प्रधान मन्त्री से मिलने के लिए और शायद मानव संसाधन मन्त्री जी से भी मिला होगा। उन्होंने 20 साल बढ़ाने के लिए कहा था।

लेकिन सरकार ने केवल 10 साल ही बढ़ाए हैं। मैं इसमें प्रार्थना करना चाहूंगा कि 10 वर्ष की अवधि और बढ़ाई जाए। क्योंकि रवीन्द्र नाथ टैगोर का साहित्य किसी व्यावसायिक संस्था के हाथों में न पड़ जाए, केवल रुपया-पैसा कमाने का लक्ष्य न रह जाए, सामान्य पाठक की पहुंच से वंचित न रह जाए। अत: आवश्यक है कि विश्व भारती के पास जो इसके सर्वाधिकार सुरक्षित हैं वे 20 साल के लिए बढ़ा दिए जाएं। क्या कारण है इस बारे में सोचना पड़ेगा हमें। हमारे अधिकांश वक्ताओं ने इसका समर्थन किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूं बंगाल से प्रसिद्ध बौद्धिक विद्वान और साहित्य, कला और सिनेमा जगत के प्रसिद्ध सिनेमाकार सत्यजीत रे और मृगणाल सेन, उन लोगों ने इस कापी राईट को विश्व भारती के नाम पर 10 साल बढ़ाने का विरोध किया। उन्होंने कहा यह नहीं मिलना चाहिए। एक ही संस्था को क्या अधिकार है कि एक ही संस्था अपनी मोनोपोली स्थापित करे। लेकिन दूसरी ओर बंगाल के मुख्य मन्त्री जी हैं, वे और उनके साथ में जो वहां के और भी लोग हैं, उनका कहना है कि विश्व भारती के नाम पर 10 वर्ष तक और बढ़ा देना चाहिए। इस बारे में जो भिन्न-भिन्न हैं, इस राय का जो भी कारण हो, उन कारणों को दूर किया जाए।

विश्व भारती में वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है और रवीन्द्र नाथ टैगोर की पुस्तकों के विभिन्न संस्करण, भारतीय भाषाओं में अनुवाद भली प्रकार से प्रमाणित हो, स्तरीय हो, प्रेरणादाई हो, उनका गैट-अप और मैट-अप ठीक हो। रवीन्द्र नाथ जी के हाथों से बनाए हुए जो कलात्मक चित्र थे उनका चित्रण इस प्रकार से हो कि वास्तव में सारे राष्ट्र और मानव जगत को प्रेरणा देने वाला हो। मान्यवर, हिन्दुस्तान में यह लागू हो जाएगा, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि विदेशों के अन्दर भी वहां की सरकारों से या वहां के प्रकाशन संस्थान, जो इसके अधिकृत हैं, उनके माध्यम से यह प्रयास करना चाहिए कि कापी राईट का जो नियम है, एग्रीमेंट उनसे किया जाए, ताकि वहां भी लागू हो सके और रवीन्द्र नाथ टैगोर की रचनाएं किस ढंग से आम जनता, सामान्य पाठक तक पहुंच सकती हैं, बड़े-बड़े विश्वविद्यालयों में, विश्व के पुस्तकालयों में पहुंच सकती हैं, वे पहुंच सकें।···(घंटी)···

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घण्टी खतरे का संकेत दे रही है। मैं कहना चाहता हूं, हमारे शास्त्रों में लिखा है, कहा गया है :—स्वाध्यायान्मः प्रमदः स्वास्थ्य से कभी लापरवाही न करो। आज चाहे वे बौद्धिक हैं, क्या विश्वविद्यालत के बड़े-बड़े प्राध्यापक हैं, चिंतनशील वर्ग है उनमें आज स्वाध्याय की प्रवृत्ति कम होती जा रही है। जब से टी० वी० आया और दूसरे मीडिया के साधन हैं, इलैक्ट्रानिक्स साधन आए हैं, व्यक्ति किताबें कम पढ़ने लगे हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, गीता प्रैस गोरखपुर में छपता है और वे पुस्तकें सामान्य आदमी तक पहुंचती हैं, सस्ती सुन्दर और भली प्रकार से रवीन्द्र नाथ टैगोर जो विश्व कवि हैं, जिन्होंने हमारे देश के अन्दर स्वाधीनता की चेतना पैदा करने के लिए, सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए, कलात्मक, साहित्यिक और सांस्कृतिक चेतना पैदा करने के

लिए जो घोर प्रयत्न किए थे और सारे देश के अन्दर तथा विश्व में हमारी आन बान और शान को बढ़ाया था, उनके विचार आज सामान्य जन तक, आम जनता तक पहुंचे। उसके प्रचार-प्रसार की व्यवस्था होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रतिलिप्यधिकार विधेयक का समर्थन करता हूं।

लेकिन मैं यह मांग करता हूं कि इसकी अवधि 20 साल की जाए ताकि आगे आने वाले समय में इसका दुरुपयोग न हो सके, केवल रुपया कमाने की दृष्टि से उसका दुरुपयोग न हो सके।

प्रेम चन्द जी को भूखों रहना पड़ा, रोटी-रोजी के लिए तरसना पड़ा, आज उनके बाद उनके नाम से बड़े-बड़े प्रकाशन संस्थान करोड़ों रुपयों में खेल रहे हैं। यह नहीं होना चाहिए। साहित्यकार की रचना का लाभ, जिसके हाथ में कापी राईट है, सर्वाधिकार जिसको है, उसको मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बंगाली में बोलने के बारे में सोचा था। फिर मैंने सोचा कि मैं तो रवीन्द्र नाथ के बारे में बोल रही हूं इसलिए मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए ताकि हर व्यक्ति स्पष्ट रूप से समझ सके।

सर्वप्रथम तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस संवैधानिक संकल्प को प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में मैं क्यों शामिल थी। ऐसा अध्यादेश के कारण हुआ। मैं समझती हूं कि इस समस्या का सबको पता था। ऐसा होना था। इस पर पहले से ही विचार किया जाना चाहिए था। मैं अधिनियम का अब विरोध नहीं कर रही हूं। लेकिन विश्व भारती के प्रकाशन पर हो रही आलोचन पर भी मैं स्पष्ट हूं। मैं समझती हूं कि इन पर गौर किया जाए। इसके साथ ही यह भी सच है कि बंगाल में विभिन्न विद्वानों में यह भावना है कि इस बारे में एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मैं समझती हूं कि सरकार को इस बारे में और अधिक गम्भीर पूर्वक विचार करना होगा।

रवीन्द्र नाथ केवल विश्व भारती के वित्त पोषण का एक तरीका नहीं है। रवीन्द्र नाथ इससे अधिक हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस चुनाव के दौरान मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में घोषणा की थी कि रवीन्द्र नाथ के जन्म दिन 25 बैशाख से लेकर 27 बैशाख तक मैं अपनी भाषा में नहीं बोलूंगी। सब कुछ रवीन्द्रनाथ की भाषा में होगा। चाहे सांप्रदायिक सद्भावना की बात हो, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष की बात हो, किसी प्रकार के उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष हो मैंने ये सब कार्य रवीन्द्र नाथ के माध्यम से करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए हमारे देश में हर व्यक्ति को रवीन्द्र नाथ विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होना चाहिये। यह केवल रवीन्द्र नाथ तक ही सीमित नहीं है। उनके अलावा भी कई महत्वपूर्ण लेखक और कवि हैं। मुझे उनके नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय अधिक नहीं है। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यदि प्रतिलिप्याधिकार की पुनरीक्षा इस वर्ष के बाद कभी भी की जाए तो सरकार का कुछ यह दायित्व होगा कि वह रवीन्द्र नाथ की रचनाओं का आगे प्रचार करे।

[श्री कोडीकुन्नील सुरेश]

यदि आप यह कहें कि आपके पास साधन नहीं है तो मैं रवीन्द्र नाथ की एक छोटी-सी कविता उद्धृत करता हूं और आपको बताता हूं कि वह क्या है :*

अस्त होता सूरज अपनी अन्तिम किरणें बिखेर रहा था। उसने पूछा, "अब मेरा काम कौन करेगा ?" तब पूरा विश्व स्तब्ध और अवाक रह गया। कोई नहीं जानता था कि क्या किया जाए। वहीं एक छोटी सी दीपक था। उस दीपक ने कहा, "ठीक है मेरे ईश्वर, मैं यथाशक्ति आपकी जिम्मेदारी को निभाने का प्रयत्न करूंगा।"

इसलिये, आपके सामने चाहे जितनी भी आर्थिक कठिनाईयां हो आपको इसी 'माटी प्रदीप' के तरह कार्य करना जिस तरह मिट्टी के छोटे से दीपक ने डूबते सूर्य के दायित्व को वहन करने का साहस दिखाया।

इसलिये सरकार से हमारा यह निवेदन है कि इस तरह की कविताओं का प्रसार सभी भाषाओं में करने के लिए सरकार अपना सहयोग दे। इन्हीं शब्दों के साथ, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने जो कुछ कहा उसे दुहराए बिना उनकी बातों का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : महोदय, मैं इस प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यह कानून हमारे देश के लेखकों के लिये अत्यधिक सहायक हैं। भारत में, कई लेखकों और अन्य लोगों ने बेशकीमती पुस्तकों का सृजन किया है। लेकिन ये पुस्तकें देश में पर्याप्त रूप से उपलब्धता नहीं हैं। अधिसंख्या लोग प्रसिद्ध लेखकों द्वारा लिखित पुस्तकों को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन समस्या यह है कि उन पुस्तकों का मूल्य बहुत अधिक है। सरकार से हमारा दूसरा निवेदन विदेशी पुस्तकों की खरीद पर विचार करने का है। महत्वपूर्ण कीमती पुस्तकें विद्यालयों और महाविद्यालयों के पुस्तकालयों में उपलब्ध नहीं है। भारत सरकार द्वारा अधिक से अधिक पुस्तकों की खरीद के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना चाहिये तथा उन्हें विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के पुस्तकालयों को भेजा जाना चाहिये। हमें छात्रों और विशेषकर युवाओं का उन पुस्तकों को पढ़ने और उसे उद्धृत करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये। मुझे पूरा विश्वास है कि वे इससे अत्यधिक लाभान्वित होंगे। सरकार को भी लेखकों को अच्छी पुस्तकें लिखने के लिए सहायता करनी चाहिये। लेखकों के सामने सबसे बड़ी समस्या मुद्रण का खर्च वहन करने की है। भारत सरकार को उन्हें अपनी पुस्तकों का प्रकाशन कराने में सहायता करनी चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारासात) : मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मानव संसाधन मन्त्री को बधाई देता हूं, यद्यपि मेरी साथी श्रीमती गीता मुखर्जी ने अध्यादेश जारी करने अथवा विधेयक लाने का विरोध किया है। मैं समझता हूं कि यह आलोचना गलत है। जैसाकि मैं जानना हूं इसलिए कि मैं उस शिष्ट मण्डल से जुड़ा हूं जिसने उनकी प्रतीक्षा की और रवीन्द्र नाथ टैगोर की प्रतिलिप्याधिकार के संबंध

* मूलतः बंगला में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में समय बढ़ाने की आवश्यकता के बारे में आश्वासन दिया था। मैं नहीं जानता कि भारत सरकार ऐसा पहले कर सकती थी या नहीं। यह अलग बात है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि माननीय मन्त्री और प्रधानमन्त्री ने टैगोर की कृतियों के प्रतिलिप्यधिकार के सम्बन्ध में समय बढ़ाने की बात को समर्थन दिया है।

महोदय, मैं इस विधेयक का पूरे दिल से समर्थन करता हूं। दार्शनिक, लेखक, कवि, शिक्षा विद्, कलाकार, मानवतावादी और विश्व बंधुत्व तथा सद्भावना के प्रवक्ता टैगोर ने हमारे राष्ट्र के लिए अनेकों महान और महत्वपूर्ण गौरव प्रदान किए। हमारी विश्व में पहचान बन पाई और राष्ट्रों के समुदाय में हमारा सम्मान बढ़ा। उनकी कृतियों ने हमारी सभ्यता संस्कृति और शिक्षा को अत्यधिक सम्मानता प्रदान की। हम सभी को उन पर गर्व है और कि इस अतुल भंडार का संरक्षण करने की उत्कट इच्छा होना हमारे लिए स्वभाविक ही है जिस टैगोर ने हमारे लिए छोड़ा है। हमारा यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम किसी को भी उनकी कृतियों को तोड़ने-मरोड़ने, उनकी अवमानना या अपमान करने की अनुमति नहीं दे। हमें यह भी शपथ लेनी चाहिए कि जिन मूल्यों को हमने उनसे ग्रहण किया है, उसे बनाए रखें। महोदय, ऐसा करने के लिए हमें इसकी पूरी आवश्यकता दिखाई देती है कि हम सभी तीन उद्देश्यों के साथ उनके निर्देश पर कार्य करें, जिसके अन्तर्गत हम टैगोर के कृतियों का प्रामाणिक प्रकाशन करें और उसका प्रसार करें तथा टैगोर की संपूर्ण कृतियों को प्रकाशित करें। हम यह भी प्रयास करें कि टैगोर की कृतियां सस्ते मूल्य पर अधिक से अधिक लोगों को उपलब्ध कराई जाए। केवल बंगला भाषा में ही नहीं। मैं निस्संदेह यह कह सकता हूं कि हमारी आज के कई राष्ट्रीय समस्याओं को टैगोर ने पूर्व दृष्टा की तरह पहले ही जान लिया था। उन्होंने उन राष्ट्रीय समस्याओं का हल भी बता दिया था जिसका हम आज सामना कर रहे हैं। इसलिये यह प्रश्न केवल एक भाषा का ही नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि टैगोर की कृतियों का अनुवाद सभी भारतीय भाषाओं में किया जाए और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इसे देश के लोगों को उपलब्ध कराया जाए जिसका उल्लेख हमने किया है।

महोदय, निस्संदेह टैगोर की कृतियों को व्यावसायिक बनाया जा रहा है। इसने हमें और बंगाल सरकार को प्रतिलिप्याधिकार कुछ और वर्षों तक बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है। यह अधिकार कुछ और वर्षों के लिए विश्व भारती के पास है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी कृतियों को व्यावसायिक न बनाया जाए और तोड़ मरोड़ा नहीं जाए, उनकी कृतियों को उसकी संपूर्णता में प्रस्तुत किया जाए। कई व्यावसयिक प्रकाशन कम्पनियां है जो यह दबाव डाल रही हैं कि विश्व भारती का टैगोर की कृतियों पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। मुझे विश्व भारती के बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने पहले ही विश्व भारती के प्रकाशन की उपलब्धियों के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को उजागर कर दिया है। मैं टैगोर की कृतियों के व्यावसायिकरण के विरुद्ध हूं। किसी भी प्रकाशन केन्द्र द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए उनका व्यावसायिकरण नहीं किया जाना चाहिये।

हम रवीन्द्र नाथ को उनकी पूर्णता में देखना चाहते हैं। यदि उनकी कृतियों को किसी व्यावसायिक कम्पनी को दे दिया जाता है तो वह केवल उन्हीं पुस्तकों को प्रकाशित करेंगे जो अधिक बिकती हैं, जैसे कि : संचयिता, गीतो विताल, गोरा, शेषेर कविता, गीतांजलि, बालक इत्यादि लेकिन पल्ली

[श्री चित्त बसु]

प्रकृति, मानुसेर धर्म, स्वदेशी समाज, अरूप रतन, नटराज ऋतु, रंग शाला, मिथिका, परिशेष आदि जैसी अनेकों पुस्तकों का प्रकाशन नहीं करेगी और न ही उन्हें लोकप्रिय बनाएंगी जबकि ये अच्छी कृतियां मानी जाती हैं, परन्तु अधिक बिक्री वाली नहीं हैं। इसी स्थिति में एक संपूर्ण रवीन्द्रनाथ और रवीन्द्र नाथ की कृतियों को बिना तोड़े मरोड़े सामने रखने की आवश्यकता हो जाती है।

महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं जब तक विश्व भारती का सम्बन्ध है, मेरा यह सुझाव है कि प्रतिलिप्याधिकार केवल विश्व भारती के जिम्मे ही रहना चाहिए। एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए जो विश्व भारती को अगले दस वर्षों तक सहायता और परामर्श देने का कार्य करेगा और इस राष्ट्रीय बोर्ड के गठन विश्व भारती, नेशनल बुक ट्रस्ट, साहित्य अकादमी, बंगला अकादमी एव ऐसे ही अन्य उन संगठनों के प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जा सकता है, जिन्हें सरकार उपयुक्त मानती है। एक ओर तो यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि रवीन्द्रनाथ की कृतियों को व्यावसायिक बनने नहीं दिया जाए। दूसरी ओर उक्त बोर्ड विश्व भारती को टैगोर की सारी कृतियों को सम्पूर्ण और यथावत रूप में प्रकाशित करने में विश्व भारती की सहायता करे और इस प्रकार एक राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करे। मैं इस विधेयक का हार्दिक स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी यह जो बिल लाए हैं, इसकी भावना में कहीं पर भी कोई दोष नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि टैगोर जी की कापीराइट की अवधि बढ़ाई जाए, इसका भी विरोध सत्यजित राय के द्वारा, मृणाल सेन के द्वारा किया गया और यों किया गया कि वर्तमान जो अपने प्रधानमंत्री जी हैं, नरसिंहाराव जी हैं, वह इस विश्व भारती के कुलाधिपति हैं। पर ज्योति बसु जी ने, अजीत पांजा जी ने और माननीय अर्जुन सिंह जी ने कहा कि इसका समय बढ़ना चाहिए, समय बढ़ना आवश्यक है। मेरा यहां पर निवेदन करना है कि विश्व भारती की दलील थी कि अगर कापीराइट की अवधि खत्म हो जाती है तो हर ऐरा-गैरा प्रकाशक टैगोर की रचनाओं को छापने लगेगा और जिस टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गीत "जन-गन-मन अधिनायक" की रचना की, उनकी भी रचनाओं का इस देश में ठीक से प्रकाशन नहीं हो सका, तो नुकसान होगा। यही बात है कि अगर रवीन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु 1941 में हो गई, उनकी कृतियों का प्रकाशन 1957 के कापीराइट कानूनों के अन्तर्गत 31 दिसम्बर को खत्म हो रहा था। गुरुदेव की कृतियों के प्रकाशन का राइट विश्व भारती के पास है और विश्व भारती वह संस्था है, शांति निकेतन में जिसकी स्थापना गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर ने की थी। फिर सरकार ने विचार किया कि यदि एक लेखक को ही या विश्व भारती को प्रकाशन का अधिकार दे दिया गया तो इसका नुकसान होगा, इसलिए उन्होंने एक लेखक के मामले में उसके समय की सीमा बढ़ा दी और अवधि 50 से 60 वर्ष कर दी और यहां माननीय मंत्री जी एक अमेंडमेंट लाए कि 60 नहीं, 70 होनी चाहिए, यह अमेंडमेंट आपके द्वारा मूव किया गया है। इसमें आपका कहना है कि जिसका प्रकाशन अधिकार 31 दिसम्बर, 1991 से पहले खत्म हो चुका है, यह राइट उस पर लागू नहीं होगा। कापीराइट अधिनियम, 1970 के तहत किसी रचना का अधिकार ठीक पचास साल बाद खत्म हो जाएगा। मेरा निवेदन यह है कि साहित्यकारों, नाटककारों, चित्रकारों

आदि के मामले में यह उनके निधन के समय से शुरू होता है, बाकी सब मामलों में यह रचना के प्रकाशन के वर्ष से ही शुरू होता है।

मेरा निवेदन यह है कि माननीय मंत्री जी ठीक बिल लाए हैं इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन इसमें और क्या-क्या सुझाव लोगों ने दिए हैं, उन सबका भी वह इसमें समावेश कर लें तो मैं समझता हूं कि मुनासिब होगा। बाकी जो समय 10 वर्ष का अध्यादेश तो समाप्त हो गया, आपने पहले 60 रखा था, अब 70 कर दिया तो अध्यादेश वाली बात तो यहीं समाप्त हो गई। दस साल का समय जो बढ़ाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन सारे रचनात्मक सुझावों का माननीय मंत्री जी समावेश करेंगे, वह स्वयं भी विद्वान हैं, हिन्दी के भी अच्छे ज्ञाता हैं और हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं इसलिए मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री होने के नाते, मानव संसाधन मंत्री होने के नाते वे इन सब बातों का इसमें समावेश करेंगे।

[अनुवाद]

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक (मथुरापुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं प्रतिलिप्याधिकार (संशोधन) विधेयक, 1992 का समर्थन करता हूं, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरे कुछ अपने विचार हैं और मुझे कुछ जानकारी भी लेनी हैं साथ ही एक निवेदन भी है।

इस विधेयक के बारे में और रवीन्द्र नाथ टैगोर के सम्बन्ध में, जिनकी कृतियों के लिए इस विधेयक को लाया गया बहुत कुछ कहा गया है। मैं उन बातों को दुहराने नहीं जा रहा, जो पहले कही जा चुकी है। अपनी टिप्पणी कुछ नए मुद्दों पर थोड़े शब्दों में ही करूंगा।

उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि: "उनकी कृतियां के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए कई बार मांग की गई। यहां 'उनका' तात्पर्य रवीन्द्रनाथ टैगोर से है। इसलिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की कृतियां हैं और ऐसे लेखक हैं जिनकी कृतियां खतरे में है तथा पाठक, प्रकाशक और कई अन्य लोग हैं, जो साहित्यक कृतियों से जुड़े हैं। सरकार के लिए किसका हित प्रथम है? कृतियों या लेखक या प्रतिलिप्याधिकार धारी या प्रकाशक या पाठक किसका हित है मेरे अनुसार पाठकों का हित सरकार के लिए प्राथमिक रूप से चिंत का विषय होना चाहिए और शायद सरकार हम सभी पाठकों के हितों की चिंता करती हैं। पाठकों को प्रामाणिक कृति सही मूल्य पर प्राप्त होगी और उसकी गुणवत्ता के आधार पर मूल्य निर्धारण नहीं होगा।

इसलिए यह निवेदन है कि पूरे मामले को पुनरीक्षा करें। प्रतिलिप्याधिकार के लिए उपयुक्त शर्तें क्या होनी चाहिए? उपयुक्त शर्तें का हमारा मापदण्ड क्या होगा? यदि समय का बढ़ाया जाना एक मात्र शर्त है तो समय बढ़ाना उपयुक्त शर्त है या मियाद में कमी लाना उपयुक्त है?

यह तो केवल एक उपाय है कि अवधि को बढ़ाया जाना ही उपयुक्त बात है। स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि संरक्षण का मतलब अवधि का बढ़ाया जाना ही है तो अधिक संरक्षण के लिए अवधि को और बढ़ाया जाना तथा अधिक से अधिक संरक्षण देने का मतलब है कि अवधि को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए और यदि इसी तरह चलता रहा तो कोई अन्त ही नहीं होगा। पचास वर्ष ही क्यों साठ वर्ष क्यों नहीं और इस तरह और अधिक समय क्यों नहीं? इसका क्या कारण है? इस तरह आप यह तदर्थ रूप से

[श्री राधिका रंजन प्रमाणिक]

कर रहे है। इसका तार्किक दृष्टिकोण क्या है ? मैं यह माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं। वह विद्वान व्यक्ति हैं। यह सुनिश्चित करने का आधार क्या है? जब कि इसे संरक्षण देने का हमारा उद्देश्य पचास वर्षों में प्राप्त नहीं किया जा सका, तो आप कैसे यह आश्वासन दे सकते हैं कि इसे संरक्षण देने का उद्देश्य दस वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए यदि यह कार्य पचास वर्षों में पूरा नहीं किया जा सका तो दस वर्षों में भी पूरा नहीं होगा। और तब फिर अवधि को बढ़ाए जाने का प्रश्न उठेगा।

मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सभा को यह आश्वासन देंगे कि बढ़ाई गई अवधि में संरक्षण प्रदान कर दिया जाएगा।

अब मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह एक व्यापक विधेयक लाएं और इस तरह अलग अलग खंडों में संशोधन न लाएं। इससे उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि कई मुद्दे हैं। कम्प्यूटर सापटवेयर प्रौद्योगिकी चोरी हो रही है। वर्तमान में भारत कम्प्यूटर सापटवेयर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दुनिया के गिने चुने विकसित देशों के बराबर हैं। हम तीसरी दुनिया के देशों को कम्प्यूटर सापटवेयर प्रौद्योगिकी का निर्यात करके अरबों डालर कमा सकते हैं सामान्यतः सापटवेयर प्रौद्योगिकी चोरी की जा रही हैं और इस तरह की चोरी आडियो एवं विडियो कैसेट के क्षेत्र में भी चल रही है।

इसलिए मैं माननीय मन्त्री से निवेदन करता हूं कि वह एक व्यापक विधेयक लाए और यदि सभा हो तो इसी सत्र के दौरान प्रस्तुत करें ताकि उस पर गम्भीर रूप से विचार विमर्श किया जा सके और विभिन्न संशोधनों को लाया जा सके।

अन्त में, मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि क्योंकि वह रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों के सम्बन्ध में यह विधेयक लाए हैं।

6.00 म० प०

इसलिए पहली बात तो यह है कि चूंकि यह विधेयक रवीन्द्र नाथ टैगोर की कृतियों के सम्बन्ध में लाया गया है, अतः इस कारण मुझे इस विधेयक का समर्थन करना है, मैं इसका विरोध नहीं कर सकता। दूसरी बात यह है कि मन्त्री जी के इरादे नेक हैं।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) कई सदस्यों को ऐसा लगा रहा था कि 20 मार्च छुट्टी का दिन होना चाहिये। हमें सात अध्यादेशों को पारित करवाने के वास्ते हमारे पास समय की कमी थी जिसे निर्धारित समय के अन्दर पारित करवाना था।

आज यदि हम दो घंटे और बैठ जाएं तो शायद तीन अध्यादेश जो सूची में हैं उसे पूरा कर सकते और कल के कार्यों को पूरा करने सुविधा होगी और तब शुक्रवार को छुट्टी मना सकते है। इस दृष्टि से मैं यह निवेदन करता हूं कि हम आज दो घंटे बैठ लें। यदि सभा इससे सहमत हो जाए तो मैं आभारी होऊंगा।

श्री चित्त बसु (बारासाट) : हम दूसरे विधेयक पर विचार कर सकते हैं परन्तु तीन पर नहीं।

श्री इन्द्र जीत यादव (आजमगढ़) : चूंकि मन्त्री जी ने यह प्रस्ताव रखा है तो हमें इस पर निर्णय लेना चाहिए। यह सच है कि ऐसी सहमति थी। यह है कि सदस्यों की आम धारणा यह है कि यदि 20 तारीख को भी सभा कार्य करती है तो उन्हें लौट कर आना होगा और फिर शनिवार और रविवार के कारण उन्हें फिर जाना पड़ेगा। इसलिये यह सोचा गया कि 20 तारीख छुट्टी का दिन होगा। हम इस बात से भी सहमत है कि 27 मार्च से पूर्व उन सभी अध्यादेशों के पारित होने में हमें सहयोग देंगे। ऐसी सहमति थी। पिछले दिन आप यह कह रहे थे और हम लोगों ने भी कहा था कि हम विधेयक पारित कर देंगे और यदि आवश्यकता हुई तो सभा की समयावधि बढ़ा दी जाएगी।

मैं समझता हूं कि यदि सभी सदस्य सहमत हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम ऐसा कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि मन्त्री जी द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर सभा सहमत है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : हम आपको अपने विचार से पांच-दस मिनट के अन्दर अवगत करावेंगे।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : इस समय मैं सभा के समय दो घंटे बढ़ाने के लिए कह रहा है। आप इससे सहमत हैं। हम विधेयकों पर निर्णय ले सकते और अन्य सभी मुद्दों पर बाद में निर्णय लेंगे।

श्री राम कापसे : दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में हमें कुछ कहना है। कृपया पांच मिनट इंतजार करें।

श्री राधिका रंजन प्रमाणिक : मैं इस विधेयक का इसलिये समर्थन करता हूं क्योंकि यह रवीन्द्र नाथ टैगोर के नाम पर लाया गया है। यह पहला कारण है। दूसरा यह है कि माननीय मन्त्री के नेक इरादों के कारण यह विधेयक लाया गया जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

तीसरे, मैं आशा करता हूं कि निकट भविष्य में, और संभव हुआ तो इसी सत्र में ही वह कम्प्यूटर प्रोद्योगिकी, वीडियो कैसेट तथा आडियो कैसेट सहित सभी मदों को शामिल करके एक व्यापक विधेयक लाएंगे। और अन्त में तथा उतना ही महत्व देते हुए मैं कहूंगा मैं 23 वर्षों तक विधायक रहा हूं और अब तीन वर्षों से संसद सदस्य भी हूं; परन्तु मैंने अपने जीवन में ऐसा सीधा सरल विधेयक कभी नहीं देखा यह सबसे सरल है : मैंने अपने जीवन में यह सबसे सरल विधेयक देखा है। मैं इस अत्यन्त सरल, सीधे और आसान विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मन्त्री का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा-रवीन्द्र नाथ ठाकुर के नाम से जुड़ा यदि कोई प्रस्ताव आएगा, तो उसका स्वागत ही होगा। रवीन्द्रनाथ ठाकुर समय

[प्रो० प्रेम कुमल]

प्रदेश और देश की सीमाओं से आगे निकला हुआ व्यक्तित्व है। उनके ऊपर आए प्रस्ताव का तो हर व्यक्ति स्वागत करेगा। मैं भी इसका स्वागत करता हूं।

माननीय, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के साथ मुझे दक्षिणी अमेरिका जाने का मौका मिला था अर्जेन्टीना की राजधानी बोनस आयरिस में रवीन्द्र नाथ ठाकुर की एक मित्र थीं, हम वहां गए। जिस घर में रवीन्द्रनाथ ठहरे थे, वहां तीमार हो गए थे, तो उस घर को ही वहां रवीन्द्रनाथ ठाकुर के स्मारक के रूप में रखा गया है। आज उनकी कृतियों को सुरक्षित रखने के लिए, उनका स्टेंडर्ड और मानदण्ड बना रहे, इसके लिए जो बिल आया है, उसका हम सभी स्वागत करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है कि आपने इस प्रतिलिप्यधिकार को 50 वर्ष से दस वर्ष बढ़ाकर 60 वर्ष किया है और अपनी ओर से इसमें संशोधन दिया गया है कि इसे 10 वर्ष नहीं 20 वर्ष बढ़ाया जाए और 70 वर्ष कर दिया जाए, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जो काम 50 वर्षों में नहीं हो सका वह अगले 20 वर्ष में कैसे किया जा सकता है और कैसे इस अधिकार को सुरक्षित रखा जा सकता है? मैं इस बात से तो बिल्कुल सहमत हूं कि ऐसी अच्छी कलाकृतियों को संरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन केवल मात्र कानून बनाने से यह सम्भव हो पाता है? माननीय मंत्री महोदय, जब अपना उत्तर दें, तब इसको स्पष्ट करें।

माननीय मंत्री महोदय के विभाग के साथ जुड़ी हुई जो एन० सी० ई० आर० टी० संस्था है, जो किताबें छापती है, वे किताबें सरकारी डिपुओं से मिलनी चाहिए, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वे वहां से नहीं मिलती हैं और उसकी नकल बाजार में धड़ल्ले से खूब बिकती हैं। मैं यहां यह चेतावनी देना चाहता हूं कि जब सरकार द्वारा छापी जाने वाली किताबों की भी नकल हो जाती है और खुले बाजार में वे बिकती हैं, तो जो यह बिल सरकार लाई है, उस पर कहां तक कार्यान्वयन हो पाएगा उसको कहां तक आप लागू कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। जब आपके मंत्रालय की अधिकृत पुस्तकें तक आपके डिपुओं पर नहीं मिलती हैं और वे चोरी-छिपे छपकर बाजार में मिलती हैं, तो इस प्रावधान को आप कैसे और कहां तक लागू कर पाएंगे, इसको भी जरा मंत्री महोदय अपने उत्तर में स्पष्ट करें।

चूंकि समय कम है और काम ज्यादा है, इसलिए मैं ज्यादा न कहते हुए सिर्फ ये ही दो चीजें फिर दोहराना चाहता हूं कि जो चीज सरकार 50 वर्षों में नहीं कर पाई वह 60 या 70 वर्षों की अवधि कर देने पर क्या कर पाएगी और आप किस तरह से कापी-राइट को लागू कर सकेंगे और इसकी चोरी नहीं होने देंगे, मेरे इन दोनों प्रश्नों का मंत्री महोदय अपने उत्तर में अवश्य खुलासा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल यहां लाया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर हमारे देश की विभूति थे और विश्व में उन्होंने हमारे देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। उनकी जो कृतियां हैं, उनकी

रक्षा हो, उनको कायम रखने के लिए, देश के हित के लिए, यह हमारी सम्पदा है, इसमें जो कुछ बढ़-बढ़िया हो रही हैं, उनको दूर करने का सरकार का काम है।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्वभारती के सम्बन्ध में बहुत सी आलोचना होती रही है, उस पर भी इस सरकार को गम्भीरता से देखना चाहिए और इसके प्रकाशन को एकाधिकार से निकालना चाहिए। वे किसी एक ही भाषा के विद्वान नहीं थे, वे बहुत सी भाषाओं के विद्वान थे। इसलिए हर जगह, हर भाषा में उनकी कविता को जाना चाहिए और इसलिए जो आपने टाइम बढ़ाया है, उससे यह लगता है कि आपने 50 साल में जिन चीजों को नहीं रोका, तो अब उनको 10 साल में कैसे रोक सकेंगे? इसके ऊपर आपको अच्छी तरह से जवाब देना चाहिए और साथ ही साथ इसकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हर भाषा में इसका अनुवाद होना चाहिए। इसको हर व्यक्ति के नजदीक उसकी भाषा में पहुंचाने का काम होना चाहिए।

अन्त में, मेरा यही कहना है कि वे हमारे देश के बहुत बड़े विद्वान थे, हमारे देश की विभूति थे, उनके द्वारा जो सम्पदा दी गई है, उसे कायम रखना, हमारा धर्म है। इतना कहकर ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री आर्ल कर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को क्यों इस तरह से समर्थन मिल रहा है यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यदि रविन्द्र नाथ ठाकुर का जो काम है, उस काम को या उनकी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाने की बात हो तो फिर काफी राइट आदि की बातों को छोड़ देना चाहिए और सबको कहना चाहिए कि इसे छापो और जितना बांट सकते हो बांटो। किसी भी ऐसे व्यक्ति की समाज के लिए और विश्व के लिए इतनी भारी उपलब्धि है, उसे काफी राइट कानून के जेलखाने में कैद रखना कौन सा उनके विचारों को बनाए रखने की कल्पना में बैठता है यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं।

महात्मा गांधी, की किताबें हैं, उनका हर भाषण, हर चीज, डेढ़-पौने दो सौ वौल्यूम्स हैं। ऐसे महापुरुष के जो दस्तावेज होते हैं, प्रयास यह होना चाहिए वह विचार सस्ते में न केवल अपने देश में बल्कि समूचे विश्व में फैल जाए। रविन्द्र नाथ ठाकुर की रचनाएं मेरी राय में ऐसे क्षेत्र में आती है जिनको विश्व के लोगों तक पहुंचाने का प्रयास होना चाहिए और उन्हे कैद करके रखने की बात नहीं होनी चाहिए। 50 साल से 60 साल कर रहे हैं, 10 साल का क्या औत्य है यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझ सकता था कि यदि कोई एक तर्क के लिए संसद में कोई विधेयक लाते कि हम हिन्दुस्तान में काफी राइट हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं जब तक वह व्यक्ति या संस्था जिन्दा है जिसके नाम से वह काफी राइट है। लेकिन 50 साल से 60 साल यानि 10 सालों में विश्व में क्या होना है कि 10 साल के बाद रचनाओं पर काफी राइट नहीं रहेगा और अगर हम उसे छापकर अपने क्षेत्र में बांटना चाहें तो बांटने का अधिकार होगा।

31 दिसम्बर 1991 को काफी राइट की अवधि खत्म हो गई है इसलिए अब केवल दस साल तक इसे बढ़ाना है, इसका अर्थ मुझे समझ में नहीं आता है। इस विधेयक को लाकर यह कहा गया कि बढ़िया चीज है, रविन्द्र नाथ के विचारों को सुरक्षित रखने का प्रयास है या गैर इस्तेमाल न हो, मैं मन्त्री

[श्री जार्ज फर्नान्डीज]

जी से इस पर जरूर सफाई चाहूंगा। कापी राइट को लेकर मैं कुछ मौलिक बातें आपके सामने उठाना चाहता हूं क्योंकि हिन्दुस्तान में अनेक प्रकार की कलैक्टेड वर्क्स किताबों की दुकान में देखने को मिलती हैं विशेषकर सरकार की लाइब्रेरी में देखने को मिलती हैं। इसमें ऐसी भी रचनाएं होती हैं जो किसी मंत्री, प्रधानमन्त्री के भाषण होते हैं। मंत्री, प्रधानमंत्री बनने से पहले यदि उन्होंने बहुत अध्ययन करके अनेक बातों पर लिखा हो, जैसे जवाहर लाल नेहरू का लिखान है, वह ऐतिहासिक चीज है, उसके बारे में दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन मंत्री बनने के बाद नौकरशाही द्वारा लिखकर दिए हुए भाषण को जब हम पढ़ते हैं, यदि उस भाषण को और मेरे दो साल के मंत्रालय काल में पढ़े हुए भाषण को, जिसे किसी आई० ए० एस० अधिकारी ने या और किसी स्पीच राईटर ने लिखकर दिया है, मंत्री रहते या मियाद समाप्त होने के बाद कलैक्टेड वर्क्स आफ दी स्पीचेज आफ जार्ज फर्नान्डीज करके यदि छापकर सरकार के हर मंत्रालय का इस्तेमाल करके, विशेषकर विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय का इस्तेमाल करके उस पर रायल्टी लेने की बात करेंगे तो इसमें जो बेईमानी है उसे यहां पर बताने की जरूरत नहीं है। मुझे अफसोस है कि हिन्दुस्तान में ये चीजें बड़ी मात्रा में चल रही हैं। जब कापीराइट का सवाल आ ही गया है तो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, भूतपूर्व मंत्री किसी भी विभाग के, उनके मंत्री काल में सरकार की तरफ से जो भाषण इन लोगों की तरफ से दिये गए हैं, ऐसे भाषणों के कितने कलैक्टिड वर्कस भारत सरकार ने अथवा किसी भी अन्य एजेंसी के माध्यम से तैयार करने का काम हुआ, उनको कितने दाम से विदेश मंत्रालय या अन्य मंत्रालय खरीद कर, उसकी रायल्टी को उनके परिवार के लोगों को देने का काम कर रहे हैं, हम चाहेंगे इस पर एक बार इस सदन को विश्वास में लेकर वह बतावें। हमारे देश में यह जो एक सिलसिला चल पड़ा है कि जहां जैसे मौका मिले हाथ मारने का, सार्वजनिक पैसे के ऊपर, इस पर रोक लगाने के लिए इस कानून के चलते क्यों नहीं कुछ किया जा रहा है। आप इस पर विचार कर और ध्यान देकर इस मसले को हल करने में हमारी मदद करें। हम एक जमाने से इस मुद्दे पर बोलते आये हैं। जैसे आज हमारे रेल मंत्री का यहां भाषण हुआ, किसी अधिकारी ने लिख कर दे दिया, उसे उन्होंने यहां पढ़ कर सुनाया। उनको पढ़ने में भी तकलीफ हुई। पिछले वर्ष भी रेल बजट पर उन्होंने भाषण दिया था। इससे पहले भी वह रेल मंत्री रहे। अब अगर अगले साल या दो सालों में उनके रहते या न रहते रेल मंत्रालय या भारत सरकार "कलैक्टिड स्पीचिज आफ जाफर शरीफ" करके छापे, फिर हिन्दुस्तान भर की सब लाइब्रेरियों में, सारे स्कूलों में, सभी राज्य सरकारों की लाइब्रेरियों में बेचने का काम करे और फिर आप सम्बंधियों के द्वारा दुनिया भर की अम्बेसियों में इसे रखने का काम करें तो इसमें कौन सी ईमानदारी है, कौन सी नैतिकता है। क्या जानबूझकर हिन्दुस्तान की तिजोरी के ऊपर हाथ मारने का बात नहीं होगा। फिर भारत सरकार उसको छापे लेकिन कापीराइट रहे जाफर शरीफ के लड़के के पास और उसके पोते व पोतियों के पास, यह कहां तक नैतिक है, यह कहां तक कबूल किया जा सकता है ? इसलिए मैं मंत्री महोदय से आज यह आश्वासन चाहता हूं कि वे तमाम इस प्रकार की किताबों का ब्यौरा बनायें कि कितनी किताबें इस प्रकार की बनायी गई हैं, खरीदी जा रही हैं, बेची जा रही है और फिर उन्हें सदन के सामने पेश करने का काम करें। चूंकि आप मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। आप उन तमाम मूल्यों की रक्षा करने का वचन बार-बार इस सदन के भीतर और बाहर देते आए हैं। मूल्यों का जो इस प्रकार हनन हो रहा है, इन्हें आप रुकें। नौकरशाहों

इसरा लिखे गए भाषणों को देखकर, उनके खानदान के लोगों को पैसा बनाने का मौका देने का जो सिलसिला चल पड़ा है, उसे खत्म करने का आप काम करें। यही मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में कहना था।

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, जार्ज साहब ने जो बात कही, उसको मैं पहले लेता हूं क्यों मैं समझता हूं कि उन्होंने जो बात यही उठायी है, उसका सीधे आज के विधेयक से सम्बन्ध भले ही न हो लेकिन उन्होंने एक व्यावहारिक और सार्वजनिक विषय उठाया है। मैं चूंकि पूरी जानकारी नहीं दे पाऊंगा जो कि उन्होंने मुझसे मांगी है लेकिन कापीराइट ऐक्ट किस हद तक ऐसी पुस्तकों को प्रोटैक्शन देता है या नहीं देता है, या उससे किस प्रकार लोग लाभ उठाते हैं या नहीं, यह विषय केवल उनकी उत्सुकता का नहीं है, इसमें सही जानकारी मिलनी चाहिए और मैं प्रयास करूंगा कि इसकी सही वस्तुस्थिति को मैं जानूं।

जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि इस विधेयक में केवल एक ही विषय को रखा गया है और वह है पचास वर्ष से साठ वर्ष करना। इस पर यह सवाल उठा है, एक—अध्यादेश लाया गया तो क्यों लाया गया और दूसरा—यह पचास से साठ वर्ष करने का औचित्य क्या है? मैं स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले चार-पांच महीने से इंडियन कापी राइट एक्ट को व्यापक रूप से संशोधित करने के लिए हमारे प्रयास हो रहे थे। सारे भारत के जितने भी लोग, संस्थायें जो इससे सम्बन्धित हो सकती हैं, हमने सब को आमंत्रित किया और सब के विचार सुनने लिए। फिल्म इन्डस्ट्रीज के लिए, आथर गिल्ड के लिए और इंडिविज्युअल आथर से हमारे पास और जो संस्थायें इस मामले में दखल रखती हैं, उनकी ओर से नोट आए। हम उस प्रक्रिया को आगे चला रहे थे, यह हमारा अंदाज था कि सदन का जो पहले सत्र हुआ था, उसमें हम व्यापक कापी राइट एक्ट को संशोधन कर सदन के सामने ला सकेंगे तथा उसी में इस सीमा को बढ़ाने का प्रावधान भी कर सकेंगे। संयोग से वह कार्य पूरा नहीं हो सका, चर्चा पूरी नहीं हो सकी। बंगाल के हमारे कई सम्मानित सदस्यों ने और बंगाल सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी ने व अन्य विद्वजनों ने बहुत जोरदार तरीके से राय रखी है कि इसे बढ़ाना चाहिए और बीस वर्ष के लिए बढ़ाना चाहिए। वहीं एक दूसरी विचारधारा थी, जिसका कि कुछ हद तक यहां भी उल्लेख किया है कि बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं इसमें कोई निश्चित मापदण्ड नहीं बता सकता हूं, लेकिन सभी पक्षों की बात सुनने के बाद बैलेंस आफ कंसीडरेशन में यह उपयुक्त समझा गया कि हमें कम से कम दस वर्ष के लिए इसको जरूर बढ़ाना चाहिए और यही कारण है कि इसको दस वर्ष के लिए बढ़ाने की बात कही गई।

हमारे देश के महान व्यक्ति, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपने कृतत्व से और अपनी भावनाओं को वाणी देकर सारी दुनिया में अपनी ख्याति बनाई, पूज्य गुरुदेव टैगोर, हम उनकी कृतियों का मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं, वह मूल्यांकन तो सारा विश्व कर रहा है और इतिहास सदियों तक करता रहेगा। इस बात से मैं जरूर सहमत हूं कि जो उनकी कृतियां हैं, वे सम्पूर्ण रूप से, जैसा कि उनकी आथैंटिसिटी के बारे में कहा गया है, उसको पूरी तरह से कायम रखते हुए उनका प्रकाशन जरूरी है। उस दिशा में विश्व भारती जो कुछ कर रहा है, वह निश्चित रूप से स्वागत के योग्य है। जैसा कि माननीय सदस्यों

ने कहा, उस दिशा में जितना कुछ होना चाहिए, वह किन्हीं कारणों से नहीं हो रहा है। हमें उसे पूरा करने के लिए, भी बाहर से आवश्यकता पड़े सहायता करने की, तो वह सहायता करनी चाहिए।

एक माननीय सदस्य ने नेशनल बोर्ड की बात कही है। मैं बोर्ड की बात तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहां पर सदन के द्वारा इस विषय पर जो विश्व भारती के कार्यकलापों के बारे में कहा गया है और विशेष कर इस के बारे जो उल्लेख किया गया है, मैं निश्चित रूप से विश्व भारती के उपकुलपति और हमारे माननीय प्रधान मंत्री जी ही कुलाधिपति हैं, उनके समक्ष ये बात रखूंगा। मुझे विश्वास है है कि विश्व भारती इस विषय पर सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जो समुचित कदम होंगे, वे कदम उठाए जायेंगे।

यहां पर कुछ विश्वभारती के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें की गई, मैं समझता हूं कि यह उपयुक्त समय नहीं होगा कि मैं उसमें जाऊं, कोई दूसरा जो अवसर इससे सम्बन्धित आएगा तो मैं उस समय इस पर जरूर बात कर सकता हूं। कापीराइट एक्ट के बारे में बहुत से सुझाव दिए गए हैं मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जो कापीराइट एक्ट को रिवाइज करने का कार्यक्रम शुरू किया गया था वह पूरा हो गया है और मुझे पूरा विश्वास है और हमारा यह प्रयास रहेगा कि सदन के इसी सत्र में हम एक विस्तृत कापीराई एक्ट अमेंडमेंट बिल लाएं और फिर माननीय सदस्यगण उस पर जो भी सुझाव देना चाहेंगे या जो भी उस पर आगे कार्रवाही करना चाहेंगे हम उस दिशा में आपको सहायता करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यह विधेयक एक बहुत ही छोटा और सिम्पल विधेयक है लेकिन इसकी भावनाएं बहुत विशाल हैं और उन भावनाओं का ही सम्मान करते हुए सभी माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया है मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं और सदन से निवेदन करूंगा कि वे इसे पारित करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी ने कांप्रीहेंसिल बिल लाने वाली बात कही हैं वे इसको शीघ्र लाएं और इसका समय बढ़ा दें, यह मेरा विनम्र निवेदन है, बाकी अच्छी भावनाओं से वह इस बिल को लाए हैं इसलिए मैंने जो दो बातें निवेदन की हैं, अब यह निवेदन करते हुए इस अध्यादेश को वापस लेने का प्रस्ताव करता हूं। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने अनुमति देती है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं विधेयक पर विचार का प्रस्ताव लेता हूं।

दो संशोधन हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपने संशोधन को माननीय मन्त्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 1, सभा की अनुमति ले, वापस लिया गया।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मैं अपने संशोधन को माननीय मन्त्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा माननीय सदस्य को अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति ले, वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब विधेयक पर विचार के प्रस्ताव को सभा में मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि प्रतिलिप्याधिकार अधिकार अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे। पहले खंड 2 को लेते हैं। रासा सिंह रावत जी, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

[हिन्दी]

श्री रासा सिंह रावत : मान्यवर, अवधि बढ़ाने के सम्बन्ध में मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस बारे में थोड़ा व्यापक विचार-विमर्श करके इसकी अवधि को बढ़ायें पर मैं अपना अमेंडमेंट मूव नहीं करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जायें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

[हिन्दी]

श्री आरुण सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पारित किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6.31 म०व०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक
(राज्य सभा द्वारा यथापारित)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 18 और 19 पर एक साथ विचार करेंगे। श्री गिरधारी लाल भार्गव।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं—

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

"कि यह सभा 4 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षरों द्वारा लाया गया है और मैंने इसका निरनुमोदन करने का प्रस्ताव रखा है।

चुनाव सुधारों के बारे में सुझाव देने के लिए गठित उच्च-अधिकार प्राप्त समिति ने प्रस्ताव किया कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव तभी रद्द किया जाना चाहिए, जब सम्बद्ध निर्वाचन क्षेत्र से मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए, निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होना चाहिए। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार मरे तो चुनाव रद्द माना जाए। समिति ने दूसरे भी कई सुझाव दिए हैं जैसे निश्चित समय तक उप चुनाव करवा दिया जाए। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु सीमा कम करना और चुनाव निष्पक्ष सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग को सशक्त बनाने के लिए भी समिति ने सिफारिश की है। सर्वदलीय समिति के सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 52 को इस प्रकार संशोधित किया जाए कि किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव सिर्फ मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु होने पर रद्द किया जाए, अन्यथा नहीं। समिति ने यह भी कहा था कि चुनाव रद्द करने का आदेश मतदान शुरू होने से पहले किया जाना चाहिए, न कि परिणाम की घोषणा होने के बाद, यह भी उन्होंने सिफारिश की थी। समिति ने लोकसभा और विधान सभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष और राज्य सभा और विधान परिषदों के उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष करने का सुझाव भी दिया है। समिति का कहना है कि किसी भी सीट का जो रिक्त हो, उप-चुनाव 6 महीने के अन्दर कराया जाना चाहिए, यदि एक वर्ष के अन्दर आम चुनाव होने वाले हों तो उप-चुनाव नहीं कराया जाना चाहिए। समिति ने बहुसदस्यीय चुनाव आयोग का सुझाव दिया है और उनका विचार है कि चुनाव आयोग में 3 सदस्य हों और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाए। यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग के सदस्य किसी भी दशा में 65 साल तक की आयु के हों और अधिकतम 10 साल की कार्यावधि तक के लिए पद बने रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से यह जो विधेयक लाया गया है और चुनाव सुधारों की बात की गई है, लेकिन चुनाव सुधारों के बारे में तो कई प्रकार की बातें कही गई हैं। एक व्यक्ति कितना धन व्यय करेगा, यह बात भी कही गई है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय सीमित है और बहुत से सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। इसलिए कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं वही बात कह रहा हूं। (व्यवधान)

[श्री बिरधारी लाल भार्गव]

उपाध्यक्ष महोदय, समिति ने कई सुझाव दिए हैं, लेकिन इसमें केवल मात्र एक ही सुझाव माना गया है।

कितना खर्चा करेगा कैंडीडेट, क्योंकि आप जानते हैं खर्चा ज्यादा होता है और कम बताया जाता है। इस प्रकार से चुनाव निरस्त किस प्रकार से होगा, इलैक्ट्रोनिक मशीन लगायी जाएगी, बोगस वोटिंग नहीं होगी, इलैक्शन पैटीशन भी है, नियम बने हुए हैं, 6 महीने में फैसला हो जाएगा, लेकिन फैसला 5 साल के भीतर भी नहीं होता। दूसरा चुनाव आ जाता है, उसके बाद फैसला हो जाता है। इस अध्यादेश को निरस्त करने वाली बात मैंने रखी थी। समिति ने जो कुछ सिफारिशें की थी, केवल एक बात मान कर राष्ट्रपति महोदय से अध्यादेश निकलवा दिया, यह बात गलत है। सरकार को अध्यादेश नहीं निकलवाना चाहिए। इसके लिए पूरा कम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए।

चुनाव सुधार की बात बार बार की जाती है, सदन में बात की जाती है, कमेटी बनी थी। मेरा निवेदन है पूरे चुनाव में समिति ने जो कुछ भी सुझाव दिए उन सारी बातों को जोड़ते हुए और देश में सारी पालिटीकल पार्टियों से विचार करके, समिति बना कर, सीधे लोगों से विचार सुनें, पूरे चुनाव सुधार के नाते यदि बिल के रूप में आप लाते तो अच्छा होता।

मेरा निवेदन मामूली बात के लिए है। पंजाब में चुनाव होने को थे। पंजाब में निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा नहीं हो, उनको मार न दिया जाए, पीट न दिया जाए, उनकी हत्या न हो, इस भावना से यह संशोधन लाया गया है। पंजाब के चुनाव हो तो हो गया, अब विधान सभा कब तक चलेगी, यह बात अलग है। कांग्रेस पार्टी को अपने पार्लियामेंट के मैम्बर्स की संख्या बढ़ानी थी, वह बढ़ गयी, जयजयकार हो गयी विधान सभा काम कहीं करेगी, कल ही विधान सभा ने सौगंध ली, हो सकता है महीने, दो महीने में विधान सभा को ये डिजाल्व कर दें। इनको तो लोकसभा के मैम्बर्स बढ़ाने से मतलब था। विधान सभा से इनको कोई मतलब नहीं। इसलिए मेरा निवेदन है कि पंजाब के मामले में लाए, परन्तु पूरा जो कम्प्रीहैंसिव बिल है, जो चुनाव सुधारों से सम्बन्धित है, उस बिल को लाएं तो अच्छा रहेगा। इसलिए केवल मात्र एक बात के लिए बिल जो लाए हैं राष्ट्रपति महोदय को कष्ट देकर, इस अध्यादेश को निरनुमोदन किया जाए, यह मैंने प्रस्ताव रखा है। मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री जी सारे चुनाव सुधारों के बारे में काम्प्रीहैंसिव बिल इस सदन में लाएं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पारित हुआ।

"कि यह सभा 4 जनवरी, 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1992 (1992 का अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजयभास्कर रेड्डी) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, राज्यसभा द्वारा यथापरित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

27 फाल्गुन, 1913 (शक)

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 52 में ऐसा प्रावधान है कि यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाये तो चुनाव रद्द कर दिया जायेगा। देश के कुछ भागों में आतंकवाद और हिंसा की बढ़ती हुई घटनाओं व इसके साथ-साथ आजाद उम्मीदवारों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होने जाने के कारण, किसी उम्मीदवार की मृत्यु की वजह से चुनाव होने की आशंकायें बढ़ गई हैं। चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान को कम करने और निर्दलीय उम्मीदवारों जो कि बड़ी आसानी से आतंकवाद का शिकार बन सकते हैं, इनके जीवन पर होने वाले संकट को कम करने हेतु सुझाये गये अनेक उपायों में से एक उपाय यह भी है कि पूर्वोक्त प्रावधान में संशोधन किया जाए ताकि चुनावों के रद्द करने की घटनायें केवल उस अवस्था में ही हों जबकि मृतक उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा समर्थित हो। किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव को रद्द करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इससे तत्सम्बन्धी मान्यता प्राप्त दल को अपने मृतक उम्मीदवार के स्थान पर किसी अन्य उम्मीदवार को नामित करने का अवसर मिल जाये। किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु के मामले में ऐसा प्रावधान नहीं होगा।

वर्ष 1990 में तत्कालीन विधि, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री स्वर्गीय श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में गठित एक निर्वाचन सुधार समिति द्वारा भी इस मुद्दे पर विचार किया गया था। इस समिति ने उक्त धारा 52 के प्रतिस्थापन की सिफारिश की थी और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1990 जिस पर इस समय राज्य सभा में विचार-विमर्श हो रहा है, मैं इस आशय का प्रावधान शामिल किया गया है।

इसी बीच, पंजाब में लोक सभा तथा विधान-सभा के लिए आम चुनाव आयोजित कराने का निर्णय किया गया था। पंजाब में विद्यमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए और इसके साथ-साथ वहां पर चुनाव प्रक्रिया में व्यवधान के खतरे को रोकने के लिए यह आवश्यक हो गया था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 में संशोधन किया जाये ताकि चुनाव केवल उस अवस्था में ही रद्द किया जाए जबकि मृतक उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा समर्थित हो।

चूंकि उस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था, इसलिए 4 जनवरी 1992 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित एक अध्यादेश के द्वारा उक्त धारा में संशोधन किया गया था।

प्रस्तुत विधेयक का आशय इस अध्यादेश के स्थान पर संसद द्वारा पारित अधिनियम लागू करना है।

इसीलिए यह विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 राज्यसभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक जो कि हाल ही में पंजाब में सम्पन्न हुए चुनावों के अवसर पर प्रख्यापित अध्यादेश के स्थान पर एक अधिनियम लागू किये जाने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है, का समर्थन करता हूं।

आप देखेंगे कि इस विधेयक पर कोई मतभेद नहीं है। यह एक हानिरहित विधेयक है और निश्चय ही हमें सदन के सभी वर्गों से समर्थन मिलेगा।

एक माननीय सदस्य : जी नहीं।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही : अगर नहीं तो दुर्भाग्य की बात है। यहां तक कि इसे विपक्ष से भी इसे समर्थन मिलेगा।

चुनावों में अत्याधिक संख्या में उम्मीदवार के भाग लेने से क्या-क्या कठिनाइयां और कुप्रभाव पड़ते हैं हम सभी इससे अवगत हैं। कभी-कभी तो मत पत्र ही दो पृष्ठों तक का होता है। मतदाता उलझन में पड़ जाते हैं। कुछ लोग तो चुनाव लड़ने के बारे में अधिक गंभीर नहीं होते, और मात्र सस्ते प्रचार के लिए ही नामांकन पत्र भर डालते हैं, और इसलिए स्वाभाविक है, कि हमें भी ऐसी स्थिति तैयार करनी चाहिए कि चुनाव के बारे में गंभीर न रहने वाले ऐसे उम्मीदवारों को तथा निर्दलीय उम्मीदवारों को चुनावों में 3 दिन से दूर रखा जाए। ऐसे उम्मीदवार तो वस्तुतः यूं ही चुनावों में शामिल होते हैं और चुनाव प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं।

हमारे वर्तमान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत इस आशय का प्रावधान है कि यदि किसी उम्मीदवार जिसमें निर्दलीय उम्मीदवार भी शामिल हैं, की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है।

अब हम इस प्रावधान में एक परिवर्तन लाने जा रहे हैं जिसके अन्तर्गत किसी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल द्वारा समर्थित उम्मीदवार और अपने ही बलबूते पर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार दोनों में भेद रखा जायेगा।

इसके प्रयोजन के पीछे और विशेषतः इस समय पंजाब में व्याप्त स्थिति थी के परिप्रेक्ष्य में होने वाले पर्याप्त औचित्य था इस बात की स्पष्टतः व अनन्यत आवश्यकता अनुभव की गई थी कि ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित किया जाए और इस तरह का प्रावधान किया जाए कि किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द नहीं होंगे।

मई-जून के चुनाव आयोजित नहीं हो सके। मैं सोचता हूं कि बहुत से उम्मीदवार मारे गये थे। सूचि के अध्यधीन, मैं यह कह सकता हूं कि पहले तो समूचे देश में कुल मिलाकर 13 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव रद्द हुए थे।

जहां तक विधान सभाओं का सम्बन्ध है, यह संख्या बढ़कर लगभग 22 हो गई। उनमें से अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार थे। देश में हिंसात्मक घटनाओं, आतंकवाद और आतंकवादी गतिविधियों में अपसामान्य वृद्धि होने से उन निर्दलीय उम्मीदवारों के जीवन को खतरा पैदा हो गया जिन्हें किसी राजनैतिक दल का समर्थन प्राप्त नहीं था। जब समाज विरोधी तत्वों का कोई विशेष ग्रुप या आतंकवादी अव्यवस्था उत्पन्न करने की ठान लेते हैं और चुनावों को अस्तव्यस्त करने के लिए कृत संकल्प हों तो निर्दलीय उम्मीदवार उनके लक्ष्य बन जाते हैं। यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है।

अत: निर्दलीय उम्मीदवारों को धारा 52 के इस प्रावधान से मुक्त रखने के लिए सरकार द्वारा उठाया गया यह एक उचित कदम है। अत: मैं दिल से यह विधेयक का समर्थन करता हूं। अत्यधिक विपरीत और विषय परिस्थितियों में चुनाव कराने के सरकार के दृढ़ निश्चय के लिए भी उसे बधाई देना चाहता हूं। विषय परिस्थितियों में सरकार ने चुनाव करवाए हैं। सरकार ने पंजाब में चुनाव करवाए। हम जम्मू और काश्मीर में चुनाव कराने के लिए उसी दृढ़ निश्चय की अपेक्षा करते हैं।

हमारा लोकतंत्र विश्व के विशालतम लोकतंत्रों में से एक है। हमारा देश लोकतंत्रात्मक देश है। अत हम यह देखना चाहते हैं कि चुनाव कराने की दृष्टि में भी हमारे देश को श्रेष्ठ लोकतन्त्र बनाया जाए। मैं समझता हूं कि स्थिति ऐसी है कि आज हम उस विशिष्टता का दावा नहीं कर सकते हैं। यह सभी जानते हैं कि इस सम्बन्ध में देश के कुछ भागों में हर जगह हेरा-फेरी की जाती है। कुछ लोग कुछ क्षेत्रों में धन और ताकत का भी इस्तेमाल करते हैं। उन शक्तियों को सिर उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और चुनावों में सक्रिय होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमारे पास इस सम्बन्ध में कुछ प्रावधान हैं। हमारे पास इस सम्बन्ध में कुछ अधिनियम इत्यादि है। परन्तु उसके बाद भी हमारे पास समझ-बूझ है, आचार संहिता है जो कि अनिवार्य नहीं हैं। यदि आप सहमत नहीं होते है या यदि आप सहमत होते हैं और इसका पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। अत: यही समय है जब पूरे सदन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को और सदन से बाहर बुद्धिजीवियों को इस समस्या पर विचार करना चाहिए कि कैसे हम अपनी चुनाव प्रक्रिया को सुधार सकते हैं। हम इसे स्पष्ट रूप से चुनाव सुधार कहते हैं और जहां तक हम समझते हैं सरकार इन पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस सम्बन्ध में पहले भी एक समिति बनी थी जिसने गहराई से इसकी अध्ययन किया था, दूसरे सदन में एक विधेयक इस सम्बन्ध में लम्बित पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी और बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है, उस पर गहराई से सोचने की आवश्यकता है और यह काम शीघ्र किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय हमें यह देखना होगा कि भारत में सभी स्तरों पर जैसे संसदीय चुनाव, विधान सभाई चुनाव और पंचायत स्तर से निचली संस्थाओं के चुनाव स्वतन्त्र और ईमानदारी से तथा कम खर्चीले होने चाहिए। जहां तक खर्च का सम्बन्ध है हरेक व्यक्ति जानता है कि इस पर कुछ प्रतिबन्ध हैं। हमें चुनावों में होने वाले खर्च का भी अनुभव होना चाहिए। विभिन्न चुनावों जैसे लोक सभा चुनाव, विधान सभाओं इत्यादि चुनावों में किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित है और यह खर्च कुछ हद तक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। लेकिन हम इस सम्बन्ध में अधिक उल्लंघन देखने में आया है।

राष्ट्रपति से लेकर एक ग्रामीण चौकीदार तक हरेक जानता है कि उस विशेष प्रावधान का कैसे अनुपालन किया जा रहा है। अत: जिन प्रावधानों का पालन नहीं किया जाता है ऐसे प्रावधानों को निकाल दिया जाना चाहिए या यदि ऐसे प्रावधानों को बनाए रखा जाता है तो उन्हें कड़ाई से लागू किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित और व्यवहारिक प्रावधानों को रखा जाना चाहिए जिनकी प्रासंगिकता समाप्त न होने पाए और जो उपहास का विषय न बन जाएं। फिलहाल वे उपहास के विषय बने हुए हैं। इन प्रावधानों के बावजूद भी अधिकांश लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं। कुछ नियमों में कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि वे व्यवहारिक नहीं हैं और जो कार्यान्वित करने

[श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही]

योग्य नहीं हैं। लेकिन वे चल रहे हैं और जानबूझ कर गलत विवरणी भरकर धोखाधड़ी करने में हम भी शामिल हैं। वस्तुस्थिति यह नहीं है।

मैं इसकी गहराई में नहीं जाऊंगा। पहचान पत्र जारी करने, इलैक्ट्रानिक मशीनें लगाने जैसे अनेक सुझाव हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य का व्यवहार नहीं बदलता है, यदि राजनीतिक दल पर्याप्त सख्त नहीं होते हैं, यदि हम दृढ़ संकल्प नहीं हैं, यदि हम चुनावों में अवांछित व्यक्तियों को प्रत्याशी बनाते हैं तो स्थिति नहीं सुधर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ मतदान केन्द्रों पर आप केवल इलैक्ट्रानिक मशीनें लगा सकते हैं। लोग आप से पीछे नहीं हैं। ऐसे भी लोग हैं जो मतदान केन्द्रों से इन इलैक्ट्रानिक मशीनों को छीनकर भाग सकते हैं। तब क्या होगा? क्या यह नहीं हो रहा है? असामाजिक तत्व हथियारों और अग्नेयास्त्रों सहित मतदान केन्द्रों पर धावा बोल रहे हैं। इतनी सारी बातें हो रही हैं। हमें इन सब बातों का गंभीरता से अध्ययन करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों और नेताओं को एक साथ बैठकर विचार विमर्श करना चाहिए और खुद इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे इन हानिकारक प्रभावों से छुटकारा पाया जाए। यह हमारे लोकतंत्र जो कि विश्व के विशालतम लोकतंत्रों में से एक है, नाम पर एक धब्बा है। साथ ही आत्म विश्लेषण भी होना चाहिए। ऐसा करते समय सभी राजनीतिक दलों को तत्काल लाभ प्राप्ति के बारे में नहीं सोचना चाहिए और उन्हें आत्म-विश्लेषण करना चाहिए।

यह चुनाव सुधार प्रणाली एक सतत प्रक्रिया है अलग-अलग समय पर अनेक अच्छे उपाय किए गए हैं। मुझे इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान दल बदल विरोधी कानून बनाया गया था। इस बात का भी प्रावधान किया गया था कि औद्योगिक घरानों द्वारा राजनीतिक दलों को दान दिया जा सके। मतदान करने की आयु सीमा भी घटाई गई थी।

बहुत सी बातें हैं चुनाव सुधार के लिए जिन पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में एक व्यापक विधेयक आना चाहिए। उम्मीदवारों और राजनीतिक गतिविधियां चलाने वालों को नामांकन अवधि शुरू होने से पहले अपने राजनीतिक दलों को आवेदन करना चाहिए। बहुत उम्मीदवार ऐसे हैं जो उनकी पार्टी द्वारा अस्वीकार कर दिए जाने के बाद दूसरी पार्टी में नामांकन के लिए कोशिश करते हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सत्ता पक्ष के लोगों की अपना कार्य पूरा करने की अधिक जिम्मेदारी होती है। आपको हमारे साथ सहयोग करना चाहिए।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही: ठीक है महोदय, दल बदल विरोधी कानून है। यदि नामांकन को स्पष्ट नहीं करते हैं, यदि हम अपनी नाक के नीचे नहीं देखते हैं, यदि हम आदर्श चुनाव नहीं करवाना चाहते हैं, यदि हम अपनी लोकतांत्रिक प्रणाली को मजबूत नहीं करना चाहते हैं तो हालात कैसे सुधर सकते हैं जब कोई राजनीतिक दल किसी व्यक्ति को अस्वीकार कर देता है तो वह दौड़कर दूसरे राजनीतिक दल में चला जाता है। ऐसे मामले में अन्य राजनीतिक दलों को उसे अनुगृहीत नहीं करना चाहिए।

यह एक अहानिकर तथा अधिकारस्पद विधेयक है। मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं।

हमें ऐसे एक व्यापक विधेयक की प्रतीक्षा है जो कि सभी राजनैतिक दलों के साथ विचारविमर्श के पश्चात् सर्वसम्मति से सभा में प्रस्तुत किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय बहुत कम है तथा हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि दूसरे सदस्यों को भी समय मिल सके। श्री भगवान शंकर रावत।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (अलवर) : मान्यवर, मेरे मित्र पाण्डेजी ने सभी कुछ बातें कही हैं। मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है, यह "पीस मील" है और इस विधेयक को लाने की इस समय कोई आवश्यकता नहीं थी चूंकि अभी कोई चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। सामान्य निर्वाचन के समय इसे लाए होते तब तो इसकी बात समझ में आई होती। मेरा सुझाव है कि इसके लिए सर्वांगीण विधेयक लाना चाहिए था और सर्वांगीण विधेयक में चुनाव के मतदाताओं के एनरोलमेंट से पहले चुनाव होने तक उसकी जो खामियां हैं, जिन पर बहुत दिनों से राष्ट्रीय चर्चा चल रही है, चुनाव आयोग ने सुझाव दिए हैं, राज्य सभा के अन्दर भी कुछ मामला पिछली सरकार का विचाराधीन है, उन सबको देखते हुए को सरकार को एक नीति बनानी चाहिए थी। सरकार बार बार सदन में आश्वासन दे रही है लेकिन उसके बावजूद भी राजनैतिक उद्देश्यों और स्वार्थों की पूर्ति के लिए कोडिफिकेशन नहीं कर रही है, जो रिफार्म्स लाने की आवश्यकता है वह नहीं ला रही है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि सबसे पहले मतदाता सूचियों के जो निर्माण की प्रक्रिया है उसके अन्तर्गत जन प्रतिनिधित्व कानून में यह प्रावधान है कि डोर टु डोर सर्वे करके मतदाता सूचियों में नाम दर्ज करें। उसके बाद ड्राफ्ट रोल पब्लिश होता था, उसके बाद फाइनल रोल पब्लिकेशन के लिए आवेदन आमंत्रित करते थे और उसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम एडीशन, डिलीशन के लिए देते थे। आज वह सारी प्रक्रिया उलट दी गई है और इसके उलट किए जाने के कारण मतदाताओं के नाम पंजीकृत नहीं हो पाते हैं। बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे नाम मतदाता सूची में इसलिए नहीं आ पाते हैं कि वह ड्राफ्ट रोल के अन्दर अपना नाम शामिल कराने के लिए फार्म नहीं भर पाते और अगर वह एप्लाई भी करते हैं तो जिस मशीनरी के माध्यम से उनके नाम के एन्यूमरेशन की जांच कराई जाती है, वह पटवारी, लेखपाल लेवल के लोग होते हैं और मैं आपको निश्चित रूप से इस बात का सबूत दे सकता हूं कि अनेक मामलों में सैकड़ों की संख्या में उन फार्मों को उठाकर फेंक देते हैं। उसमें भ्रष्टाचार होता है। जो प्रत्याशी या मतदाता पैसा खर्च करते हैं, उनके नाम एन्यूमरेट हो जाते हैं, अन्य के नहीं होते हैं और मैं यह पूरी जिम्मेदारी के साथ इस सदन में यह आरोप लगा रहा हूं। इस भ्रष्टाचार की शुरुआत वहीं से होती है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि सरकार को डोर टु डोर एन्यूमरेशन पर ध्यान देना चाहिए। मतदाताओं के पहचान पत्र बनाए जाने चाहिए, उससे फर्जी मतदान रुक जाएगा। इस समय तथ्य है कि एक मतदाता तीन जगह अपना नाम एप्लाई करके रिजर्व देकर या और तरीके से मैनिपुलेट कर लेता है और तीन जगह वोट डालकर आता है। इससे चुनाव का परिणाम प्रभावित होता है। फर्जी मतदान तब रुकेगा जब मतदाताओं के पहचान पत्र बनाए जाएंगे।

दूसरी बात मैं परिसीमन के बारे में कहना चाहूंगा। अनेक बार श्रीमती इंदिरा गांधी तथा

[श्री भगवान शंकर रावत]

जीवित थीं, मैं तो वकील हूं, मैं यह सुनता था कि श्रीमती गांधी एक बिल ला रही हैं जिसमें यह होगा कि जो परिसीमन है उसमें चेन्ज का रोटटे किया जाएगा। परिसीमन विधेयक भी बना हुआ है और संविधान में यह प्रावधान हुआ कि परिसीमन हुआ करे जनगणना के आधार पर। तब तक पंडित जवाहर लाल नेहरू जीवित थे और उस प्रक्रिया का पूरा पालन हुआ। उसके बाद एक कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर यह कर दिया गया कि सन् 2001 तक कोई परिसीमन नहीं होगा और जितनी लोक सभा और विधान सभा की सीटें हैं उनको स्टैटिक रखा जाएगा और उसके बारे में जब श्रीमती गांधी को कहा गया तो उन्होंने उस बात को स्वीकार नहीं किया तथा देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर और जो प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, इतनी निश्चित संख्या के आधार पर लोक सभा और विधान सभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए सीटों का निर्धारण होगा, उस प्रावधान को पुनर्जीवित नहीं किया गया। मेरा कहना है कि पापुलेशन की वृद्धि के हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ाई जाए।

7.00 म० प०

परिसीमन के बारे में, दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि जो सीटें स्थायी रूप से रिजर्व कर दी गयी हैं, उनको रोटेशन से हर 10 साल के पीछे चेंज कर देना चाहिए क्योंकि जो रिजर्व्ड सीटें हैं, वहां के जनरल मतदाताओं में, और जो जनरल सीटें हैं, वहां के रिजर्व्ड मतदाताओं में, एक स्टेगनेशन का भाव आ गया है। ऐसा करने से वह दूर होगा।

तीसरी बात कहना चाहूंगा कि कुछ समय पूर्व एक प्रस्ताव यह लाया गया था कि हम टोटल नम्बर आफ सीटस तो उतनी ही रखेंगे लेकिन जनगणना के आधार पर फ्लक्चुएशन होती है, जैसे नई दिल्ली के अन्दर कुछ सीटें, बम्बई में कुछ सीटें हैं, महानगरों की सीटें हैं, जहां मतदाताओं की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गयी है जबकि कुछ क्षेत्रों की सीटें ऐसी हैं जहां मतदाताओं की संख्या घट गयी है या उतनी की उतनी है। इसलिए जो सीटें अनरीजनेबल हो गयी हैं, अगर सरकार इस बात पर दृढ़प्रतिज्ञ है कि हम पौपुलेशन के हिसाब से सीटों की नम्बर नहीं बढ़ायेंगे तो कम से कम इतना अगर वह कर दे कि जितनी टोटल सीटस हैं, उन्हें टोटल जनसंख्या से भाग देकर, इस हिसाब से सीटों का डिवीजन कर दिया जाये तो वह अच्छी बात हो सकती है। वैसे न्याय का तकाजा यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ सीटों की संख्या बढ़ायी जाये क्योंकि मतदाताओं की संख्या कहीं इतनी ज्यादा हो जाती है, जैसे भारतीय परिस्थितियों में हर मतदाता यह चाहता है कि हमारा प्रत्याशी जनसम्पर्क भी करे और उनकी समस्याओं को भी सुने, जो उसके लिए सम्भव नहीं हो पाता। यही कारण है कि प्रत्याशी अनपौपुलर हो जाता है और लोगों का रोष बढ़ता जाता है।

इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग को रोकने के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि बूथ कैप्चरिंग को रोकने की हर सम्भव व्यवस्था की जानी चाहिये। बूथ कैप्चरिंग आज ऐसी बीमारी हो गयी है जिसने सारे देश के चुनाव माहौल को और चुनाव का जो मैन्डेट है, वह ऐसे लोगों के हाथ में आ जाता है जो जनता की भावनाओं के अनुरूप उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। इसलिए बूथ कैप्चरिंग को रोकने की व्यवस्था

होना अति आवश्यक बात है। एक ऐसा सर्वांगीण विधेयक सदन में लाया जाना चाहिए जिससे बूथ कैप्चरिंग को रोकने के लिए आवश्यक व्यवस्था हो।

इलैक्ट्रोनिक मशीन्स के माध्यम से, मतगणना में जो देरी होती है, उसे रोका जा सकता था लेकिन हिन्दुस्तान के अन्दर इलैक्ट्रानिक मशीन्स आयी हुई पड़ी हैं जिन का रही हैं। हमारी सरकार अभी तक इस बात की इच्छा शक्ति पैदा नहीं कर पायी है कि उन मशीन्स का उपयोग किया जा सके। मैं कहना चाहूंगा कि उन मशीन्स का उपयोग किया जाये और तत्काल उपयोग किया जाना चाहिए। मतगणना हर चुनाव में उन मशीनों से ही करायी जाये।

इसके अतिरिक्त चुनाव का खर्चा कम करने के लिए, सरकार की ओर से, जो रिकग्नाइज्ड पोलिटिकल पार्टीज के कैन्डीडेटस हैं, उनका चुनावी खर्च वहन करने की व्यवस्था होना भी अत्यन्त आवश्यक है। आप स्पेसिफिक आईटम्स तय कर दीजिये कि इस प्रकार के आईटम्स पर जितना खर्च एक कैन्डीडेटस का आयेगा, उसे सरकार वहन करेगी। इसके अलावा नान-सीरियस कैन्डीडेटस पर रोक लगाए जाने की भी बहुत आवश्यकता है। यह बात सही है कि जो इंडीपैंडेंट कैन्डीडेटस हैं, उनके लिए जमानत की राशि बढ़ायी जाये। इसके अतिरिक्त कुछ दूसरे उपाय भी सोचने होंगे। इस मामले पर राष्ट्रीय बहस के बाद सरकार को कुछ निर्णय लेकर, इसे रोका जाना चाहिए। मेरा एक सुझाव हो सकता है कि कोई इंडीपैंडेंट कैन्डीडेट अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक अर्हता निर्धारित कर दी जाये कि वह किसी लोकल बाडी या विधान सभा का मेम्बर अवश्य हो। यदि ऐसी व्यवस्था कर दी जाती है तो यह भी एक तरीका हो सकता है जिससे आप रोक लगा सकते हैं।

आजकल चुनावों में काले धन का उपयोग बहुत होता है। वैसे सब लोग रिटर्न भरते हैं, मगर रिटर्न फर्जी भरी जाती हैं। इसे रोकने की दिशा में भी, राष्ट्रीय बहस के बाद, कोई नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

एक बात और कहना चाहूंगा लेकिन मेरी मंशा गलत नहीं है परन्तु कुछ दुखद परिस्थितियों के कारण मुझे कहना पड़ रहा है कि चुनावों में राजनीतिकरण के आधार पर निर्णय नहीं लेने चाहिए। यदि कुछ विशेष परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं तभी चुनावों को स्थगित किया जाये, अन्यथा चुनावों को स्थगित न किया जाये। हिन्दुस्तान के इतिहास में एक अजीब परिस्थिति बनी...

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : एक निर्वलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अब संशोधन यह किया जा रहा है कि अगर किसी निर्वलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव स्थगित नहीं होंगे। विधेयक में इसी बात पर बल दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत : माननीय, मैं उसे समझ रहा हूं, आपने मेरा मार्गदर्शन किया है, लेकिन यह सरकार अपने मतलब की चीज तो ले आती है लेकिन जो हमारी चुनाव संहिता है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। वह भी आनी चाहिए। इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा कि जब राजीव गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद चुनावों को इस देश में स्थगित कर दिया गया। हिन्दुस्तान के कानून में कोई

ऐसा प्रावधान नहीं था। इसलिए मेरा कहना है कि चुनाव किन परिस्थितियों में स्थगित होने चाहिए, उसका भी एक कोडिफिकेशन होना चाहिए जिससे कि कहीं कोई भ्रांति न रहे।

इसके साथ ही मैं इसमें यह भी जोड़ना चाहूंगा कि चुनाव आयोग जब चुनाव रद्द करता है, शिकायतों के आधार पर, बूथ कैपचरिंग या अन्य शिकायत के आधार पर उसकी भी कोई गाइड-लाइन होनी चाहिए जिसके आधार पर चुनाव रद्द किया जाए। पिछले चुनावों के बारे में यह शिकायत रही है कि चुनाव आयुक्त ने आर्बिट्रेरिली चुनावों को रद्द किया है। उसमें कंट्रोवरसी हो सकती है। इस बात को किसी के विवेक के आधार पर निर्णय लेने के लिए नहीं छोड़ा जाना चाहिए, वह कोडिफिकेशन के आधार पर हो, तो ठीक रहेगा।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं निर्वाचन के लिए जनप्रतिनिधि बनने के लिए कुछ अर्हताएं निर्धारित की जानी चाहिए। कुछ तो पहले से ही हैं, लेकिन आज के वर्तमान लोकतंत्र के ढांचे में, यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि कुछ एडीशनल क्वालिफिकेशन भी जनप्रतिनिधि होने के लिए प्रेस्क्राइब की जानी चाहिए।

चुनाव-याचिकाओं का त्वरित गति से निर्णय होना चाहिए। 5-5 साल लग जाते हैं, चुनाव-याचिकाएं चलती रहती हैं, यह उचित नहीं है और अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि दल-बदल कानून में भी संशोधन होना चाहिए और इस आधार पर होना चाहिए कि जनप्रतिनिधित्व कानून के अन्तर्गत यह व्यवस्था बना दी जाए कि जो व्यक्ति जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है, अगर वह दल-बदल करना चाहता है, वे उस कानून के माध्यम से, तो वह इस पद से भी डिबार कर दिया जाए और उसको सदस्यता से भी वंचित कर दिया जाए और दुबारा जनता का मैंडेट लेकर वह आए। चाहे वह निर्दलीय उम्मीदवार हो, चाहे वह पालिटिकल पार्टी का उम्मीदवार हो। इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार समाप्त होगा। हम देख रहे हैं कि दलों को तोड़ने की साजिशें चलती हैं। कोई भी रूलिंग पार्टी हो, जो ऐसा करने की कोशिश करती है, उससे राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है, राजनीति में लोगों की आस्था गिरती है, आस्था गिर रही है। इसलिए यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं और अन्त में केवल यही कहना चाहूंगा कि चुनाव आयोग का गठन भी ठीक इस प्रकार से किया जाए जिससे लोगों में विश्वास बना रहे और सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि जहां तक सिद्धांत की बात है, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं कि निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु के कारण चुनाव का स्थगन नहीं होना चाहिए। इसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है और आतंकवाद के जमाने में तो और ज्यादा दुरुपयोग हो रही है, लेकिन इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जब सरकार की इच्छा शक्ति है और सरकार सिंसियर है चुनाव रिफार्म लाने में, तो इन रिफार्यस को, जो मैंने सुझाव दिए हैं, या मेरे अन्य सहयोगियों ने बहुत से सुझाव दिए हैं। इनके लिए भी सरकार कैटेगोरीकली इस बात का एशोरेंस सरकार दे कि इसी सत्र के अन्दर उन सुझावों को, रिफार्म्स को लिपिबद्ध करके, कोडिफिकेशन करके सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो अमेंडमेंट बिल आया है, इसमें चर्चा का स्कोप बहुत सीमित है। मैं अपने पूर्व वक्ता साथियों की तरह आपका समय जाया नहीं करूंगा। क्योंकि यह सम्पूर्ण चुनाव सुधार के लिए कोई विधेयक नहीं है, बल्कि एक खास मकसद के लिए इसको लाया गया है कि अगर चुनाव में, चुनाव के दौरान, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के बाद, कोई निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है, तो उस हालत में चुनाव स्थगित नहीं होगा, काउंटरमाण्ड नहीं होगा, सिर्फ राष्ट्रीय दल, अधिकृत राजनीतिक दल के प्रत्याशी का निधन होगा, तो ही चुनाव रद्द किया जाएगा, काउंटरमांड किया जाएगा, मैं इस विधेयक का विरोध करता चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दसवीं लोक सभा के लिए जो आम चुनाव हो रहे थे, उस दौरान, मेरे चुनाव क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु के कारण, चुनाव रद्द हो गया था, स्थगित हो गया था, काउंटरमांड हो गया था। मैं भुक्तभोगी हूं। उस समय मेरे मन में भी यह बात उठी थी कि अच्छा होता कि निर्दलीय प्रत्याशी की मृत्यु के कारण, चुनाव, काउंटरमांड होने का नियम न रहा होता। मेरे मन में भी यह बात उठी थी, लेकिन बाद में मुझे इस बात का अहसास हुआ कि ये सब बातें मन के अन्दर इसलिए उठती हैं कि मनुष्य के अन्दर स्वार्थ होता है और इसी प्रकार के स्वार्थ से वशीभूत होकर के यह आर्डिनेंस लाया गया है।

पंजाब में चुनाव था, चुनाव तो पिछली ही बार हो रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसमें शामिल नहीं थी। कांग्रेस पार्टी चोर-दरवाजे से शामिल होना चाहती थी, इसलिए चुनाव रद्द कराया गया। उनको यहां सांसदों की जरूरत थी। इसलिए चुनाव हर हालत में हो ही जाए, इसलिए ऐसा आर्डिनेंस लाया गया और यह कहा कि टैररिज्म के चलते उम्मीदवारों की जान पर खतरा है और उपाध्यक्ष महोदय इस बिल के बाद, इसका एक्ट बन जाने के बाद, दो तरह के खबरे उत्पन्न हो गए। अभी तक तो यह था कि इंडिपेंडेंट कैंडीडेट मरता था या कोई कैंडीडेट मरा, तो चुनाव टल जाता था, नेचुरल जस्टिस का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, इसमें दो बातें हैं एक तो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत कि इस देश में कानून के सामने सबको बराबरी का स्थान दिया गया है, दरजा दिया गया है, चाहे वह राजनीतिक दल के उम्मीदवार हों, चाहे किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार न हों। आज भी लोक सभा में कतिपय इंडिपेंडेंट लोग जीतकर आए हैं और विधानसभाओं में तो लगभग 10 फीसदी लोग इंडिपेंडेंट जीतकर आते हैं।

मान लीजिए इनडीपेंडेंट कैनडीडेट के मरने के कारण चुनाव नहीं टलेगा तो अब निर्दलीय उम्मीदवारों की रक्षा राज्य सरकारें नहीं करेंगी। मान लीजिए कोई पार्टी किसी मजबूत आदमी को, लोकप्रिय आदमी को टिकट नहीं देती और वह इनडीपेंडेंट खड़ा हो जाता है, क्षेत्र में उसकी लोकप्रियता है और जो पार्टी के टिकट लेकर वहां गया है उसे सबसे ज्यादा खतरा उस इनडीपेंडेंट से दिखेगा तो सम्भव है कि साजिश करके उसकी हत्या करवा दी जाए और उसके बाद चुनाव नहीं टलेगा। यह बहुत बड़ा खतरा होगा।

हम यहां पर बैठे हैं, अपने आइने से समूचे देश को देखना चाहते । यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। दूसरी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किसी अधिकृत प्रत्यासी को उसका सिम्बल फार्म "बी" समय पर नहीं मिल पाता है। इसके चलते वह टैक्नीकल रूप से इनडीपेंडेंट कैनडीडेट होता

है। इस तरफ मानी जो इनडीपेंडेंट इस सदन में बैठकर आए हैं। जे० बी० कृपलानी, वी० पी० सिंह आए हैं। किसी को न्याय पर विश्वास नहीं मिलेगा, नहीं पहुंच पाया या किसी कारण से रोक दिया गया हो नहीं पहुंच पाया तो वह इनडीपेंडेंट कैनडीडेट के रूप में लड़ेगा। उसका कोई विरोधी उसकी हत्या करवा दे और चुनाव जीत जाए। यह नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है और संविधान का जो मूलभूत ढांचा है उससे चुनौती देने वाला विधेयक है। इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं।

दूसरी तरफ खतरा है कि आप कहते हैं कि बड़े पैमाने पर इनडीपेंडेंट खड़े हो जाते हैं। कोई उनकी हत्या कर देता है, चुनाव टल जाता है। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि बड़े पैमाने पर इस तरह चुनाव टले हैं। आपका खतरा तब इनडीपेंडेंट कैनडीडेट के मरने पर चुनाव नहीं टलेगा, राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के मरने पर टलेगा तो राजनीतिक दल के उम्मीदवारों के जीवन पर ज्यादा खतरा मुंह बाए हो गया है। दोनों तरफ से खतरा है। एक तरफ नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। जो इनडीपेंडेंट सचमुच लोकप्रिय है, उसे बराबरी का स्थान नहीं मिलता है। ऐसे ही राजनीतिक दल और एक इनडीपेंडेंट को चुनाव लड़ने में बहुत कुंठित का सामना करना पड़ता है। राजनीतिक दल का उम्मीदवार होने के कारण उसे खर्चे में कोई प्रकार की छूट मिलती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार के बहुत सारे खर्चे वहन करते हैं। इनडीपेंडेंट कैनडीडेट को अपने खर्चे पर सब कुछ करना पड़ता है राजनीतिक दल के उम्मीदवार को वोटर लिस्ट में दोहरी कापी दिए जाते हैं, इनडीपेंडेंट को नहीं मिलती है। फिर भी वह जीतकर आते हैं। कहने का मतलब है कि इस देश में पहले बना हुआ जो कानून है वह सक्षम है, शक्तिशाली है और उसमें पूरे देश के नागरिकों को चुनाव लड़ने में सक्षम हैं, के साथ न्याय हो पाता है और जनता अपना वास्तविक प्रतिनिधि चुन पाती है। इसलिए दोनों तरफ से, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के हिसाब से जनता को अपनेमुताबिक प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिले इसके हिसाब से और राजनीतिक दल के अधिकृत उम्मीदवारों के जीवन पर ज्यादा खतरा पैदा न हो जाए, इन तीनों दृष्टि से यह विधेयक सुविचारित नहीं है। यह आर्डिनेंस और स्वार्थ में लाया गया था। पंजाब के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको 1-2-13 संसद चाहिए थे वे मिल गए। अब इस आर्डिनेंस को लैप्स करने दीजिए। इस पर पूरे देश में बड़े पैमाने पर बहस होनी चाहिए।

हम हर चीज को जल्दबाजी में पास करते जा रहे हैं। पंजाब में एक बार और इस प्रकार का आर्डिनेंस आया था, उसको लैप्स करने दिया गया। हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इस आर्डिनेंस को भी लैप्स करने दीजिए। सारे लोगों की राय लेने का अवसर प्रदान कीजिए और जो कम्प्रीहैंसिव बिल चुनाव सुधार के लिए लाने की इच्छा रखते हैं उसके साथ जोड़कर इस पर व्यापक बहस चलाकर इसे लाने का काम किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सरकार से पुनः अपील करता हूं कि इसे वापिस ले लें और आर्डिनेंस को लैप्स करने दीजिए।

श्री एस० जैपालरेड्डी (कोल्हापुरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी श्री नीतीश कुमार का भाषण सुन रहा था और उसमें जो पाइंट थे उसके बारे में विचार कर रहा था। यह आर्डिनेंस पंजाब चुनाव के दौरान लाया गया था। यदि निर्वाचित कैनडीडेट मर जाए तो इलेक्शन स्थगित नहीं होगा।

अगर कोई पार्टी कैंडिडेट मर जायेगा तो इलेक्शन स्थगित हो जायेगा। अगर पार्टी कैंडिडेट मर जाता है तो उसकी पार्टी दूसरे कैंडिडेट को नामिनेट करती है। पार्टी का जो कैंडिडेट होता है, उसको पार्टी का सिम्बल मिलता है और पार्टी के चुनाव पत्र के ऊपर वह वोट मांगता है। हम यह चाहते हैं कि चुनाव किसी भी कारणवश स्थगित नहीं होने चाहिये। अगर निश्चित रूप से चुनाव करवाना चाहते हैं तो किसी पार्टी के कैंडिडेट के मर जाने पर उसकी पार्टी दूसरे कैंडिडेट को खड़ा करके नियमित रूप से चुनाव करवा सकती है। इस पर गहराई से सोचने की जरूरत है।

चुनाव प्रणाली के बारे में अन्य हमारे साथियों ने बहुत सी बातें की। पंजाब इलेक्शन के दौरान सरकार ने चुनाव प्रसार का समय घटाने के बारे में एक आर्डिनेन्स निकाला था। लेकिन मेरे ख्याल में वह आर्डिनेन्स भी लैप्स होने वाला है, इसके बारे में सरकार का क्या विचार है? आप इन सब चीजों के बारे में एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाइये और जो भी चुनाव प्रणाली में गलतियां हों, उनको उसमें सुधारें।

चुनाव में होने वाले खर्चे के बारे में भी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। आज कोई भी आम आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता है। वह बहुत खर्चीला हो गया है। इसमें करोड़ों रुपये का खर्चा आ जाता है। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। आज के जमाने में चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। इसके अलावा खर्चे के बारे में गलत एकाउन्टस दिये जाते हैं। अगर पांच लाख का खर्चा आता है तो 45 हजार का ही बिल दाखिल किया जाता है। यहां पार्लियामेंट में आने के बाद कुछ हमारे साथी गलत बात कहते हैं जबकि हम यहां ईश्वर की शपथ लेकर आते हैं।

मतदाता सूचियों के बारे में हमारे साथियों ने अभी बताया कि वह गलत होती हैं। बहुत से प्रदेशों से इस बारे में शिकायतें भी प्राप्त होती हैं। इसके बारे में विचार करना बहुत जरूरी है। मतदाता सूचियां अप्टूडेट करने के लिए जो कदम आप उठा रहे हैं, इसमें परफैक्शन करने की जरूरत है।

प्रजातन्त्र को सफल बनाने के लिए हर नागरिक को चुनाव लड़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। सरकार इसके बारे में विचार करे और चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पैसा दे। चुनाव प्रचार के लिए आज से कम 13 दिन का समय देने वाला बिल लेकर वह अब से जल्द आये।

डिपाजिट्स के बारे में इलैक्शन कमीशन ने सुझाव दिए हैं और उनको सरकार के पास भी भेजा है। डिपाजिट्स को बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने बूथ-कैप्चरिंग के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। बूथ-कैप्चरिंग के लिए जो पैनल्टी है, उसको भी इन्क्रीज करना पड़ेगा हमें हर चुनाव में ज्यादा से ज्यादा प्रोटैक्शन नहीं मिलता है। एक बूथ पर दो पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और वहां बहुत हल्ला होता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आम मतदाता जो वोट डालने के लिए आता है, उसको भी बूथ पर प्रोटैक्शन देना बहुत जरूरी है।

मैं एक बात सिम्बल के बारे में कहना चाहता हूं। मैंने चार चुनाव दो एसेम्बली के और दो पार्लियामेंट के—लड़े हैं। मैंने देखा है कि बहुत से सिम्बल एक जैसे होते हैं और इस वजह से मतदाता कन्फ्यूज हो जाते हैं। मोटरसाइकिल हाथ व साइकिल—सिम्बल एक रूप के होने की वजह से कन्फ्यूज मतदाता हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य : साइकिल और मोटर साइकिल की वजह से हमारी पांच सीटें गई।

श्री रमेश चेन्निथला : इलैक्ट्रोनिक मीडिया का भी कैंडीडेट पर असर पड़ता है, इसलिए इसको यूज करने का मौका कैंडीडेट्स को भी देना चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें हमारे पास हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पिछले सदन में दिनेश गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने कुछ सुझाव सरकार को भी दिए हैं। उन सुझावों के बारे में आपको विचार करना चाहिए। इस सदन में भी गम्भीरता से इसके बारे में विचार करना चाहिए।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन आपसे कहना चाहता हूं कि आपको एक काम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए यह मामला केवल पंजाब के लिए ही नहीं है, आपको पूरे रूप में इस पर विचार करना है। ...(व्यवधान)...आपको राजनीतिक रूप देने की कोशिश न करिए। हम लोगों को इसके ऊपर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए और विचार करके चुनाव प्रणाली में सुधार करने के लिए काम करना चाहिए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री सुदर्शन राव चौधरी** (सीरमपुर) : मेरी सहयोगी श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य ने एक विधेयक के सम्बन्ध में अपने विचार बंगला भाषा में व्यक्त किए हैं। मैं भी इस विधेयक पर बंगला भाषा में कुछ कहना चाहता हूं।

सबसे पहले मैं अपनी पार्टी सी० पी० आई० (एम) की ओर से एक विधेयक का विरोध करता हूं।

अब तक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में यह प्रावधान था कि चुनाव प्रक्रिया आरम्भ होने के पश्चात् किसी भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर चुनाव स्थगित कर दिया जाता था।

अब इस विधेयक के द्वारा यह संशोधन किया जा रहा है कि अब किसी मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार की मृत्यु होने की स्थिति में चुनाव स्थगित किए जायेंगे। किसी निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने पर चुनाव स्थगित नहीं किए जायेंगे तथा चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। कांग्रेस (इ) के हमारे मित्र श्री श्रीवल्लभ पाणिग्राही ने ठीक कहा कि अधिकतर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव के प्रति गंभीर नहीं होते। वे चुनावों को इतनी गंभीरता से नहीं लेते। उनके अनुसार ये उम्मीदवार आसानी से आतंकवादियों का निशाना बन जाते हैं। परन्तु मुश्किल यह है कि इस विधेयक के पारित होने के पश्चात् ये उम्मीदवार और भी आसानी से उनका निशाना बन जायेंगे। मूलतः रूप से इसी कारण से मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

कल्पना कीजिए कि कोई आतंकवादी गिरोह चुनाव में बाधा डालना चाहता है। चुनाव स्थगित करने का अर्थ चुनावों को सांविधिक तौर पर स्थगित करवाना ही नहीं है; अपितु एक या इससे अधिक निर्दलीय उम्मीदवारों की हत्या करके एक हिंसा का वातावरण भी बनाया जा सकता है।

*मूलतः बंगला में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी में रूपांतर।

इसके अतिरिक्त एक और समस्या है। मान लीजिए किसी निर्वाचन क्षेत्र में दो उम्मीदवार, एक मान्यता प्राप्त दल की ओर से तथा दूसरा निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में क्या समस्या पैदा हो सकती है, आप समझ सकते हैं अगर निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो मान्यता प्राप्त पार्टी का उम्मीदवार स्वत: ही जीत जायेगा। देश में व्याप्त स्थिति तथा अधिकतर मान्याप्राप्त दलों की स्थिति को देखते हुए, इस प्रकार चुनाव स्थगित करवाना मुश्किल नहीं है। इसलिए इस विधेयक के द्वारा आतंकवाद पर काबू पाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त संविधान में समानता का अधिकार दिया है। क्योंकि सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है, इसलिए हम किसी निर्दलीय उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोक नहीं सकते। वे किसी तरह भी चुनाव लड़ेंगे। हमें यह स्मरण रखना होगा कि आतंकवादियों को देश के बाहर की शक्तियों का भी समर्थन प्राप्त है। क्या यह संभव नहीं कि निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या इसलिए बढ़ रही है ताकि चुनाव एक अशांत वातावरण में हों? इस विधेयक में चुनाव प्रक्रिया की कामियां वैसी ही हैं। अब तक हम धन तथा ताकत के प्रयोग को देखते रहे हैं। विशेषतौर पर हम बंगाल में 1972 में हुए चुनावों को नहीं भूल सकते। हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के चुनाव क्षेत्र रायबरेली अथवा अमेठी में तथा हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री के चुनाव क्षेत्र नन्दयाल में चुनाव धांधलियों के आरोपों को हम भुला नहीं सकते। यह आरोप सत्य है अथवा झूठ, मैं इसकी चर्चा नहीं करना चाहता। प्रश्न यह है कि चुनाव प्रक्रिया की इन खामियों को कैसे पूरा किया जाये। इसके लिए एक व्यापक विधेयक लाने की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि समस्या को आंशिक रूप से सुलझाने के नाम पर ऐसा अन्याय पूर्ण विधेयक पारित किया जाये। सबसे हास्यास्पद पहलू यह है कि इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है।

पहले आप अपने कृत्यों तथा अकर्मण्यता के द्वारा आतंकवाद पैदा करते हैं तथा फिर उसे समाप्त करने के नाम पर बहुत से विधेयक प्रस्तुत करते हैं। यह बड़ा ही हास्यास्पद है।

इसी कारण हम इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते।

श्री डी० वेंकटेश्वर राव (बापतला) : उपाध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 52 में अपेक्षित संशोधन में कहा गया है कि :

> "यदि एक निर्दलीय उम्मीदवार की मृत्यु होती है, तो चुनाव स्थगित नहीं किया जाएगा।"

महोदय, सिद्धांतत: मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि, मेरी जानकारी के अनुसार, यह मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। संविधान के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी इच्छा से वोट देने का अधिकार है और किसी भी विधायका हेतु चुने जा सकने का अधिकार है। यहां इस संशोधन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है इसलिए यह संशोधन करना उचित नहीं है। हो सकता है कि सरकार ने यह विधेयक पंजाब की स्थिति को देखते हुए तथा वहां शीघ्र से शीघ्र अपने उम्मीदवारों को निर्वाचित कराने के लिए पास किया हो। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इस संशोधन से उत्पन्न होने वाले परिणामों पर ध्यान नहीं दिया।

महोदय, मेरे मित्र, श्री नीतीश कुमार और अन्य सदस्यों ने अनेक लोगों का उदाहरण दिया है ये निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में इस सभा में चुन कर आये हैं। अनेक श्रेष्ठ व्यक्ति इस सभा के लिए निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में चुने गए हैं। इस संशोधन को लागू करके इस तरह की सुविधा का हनन किया जा रहा है। वे सूदी सही तरीके से संशोधन करने की बजाए किसी अन्य तरीके से संशोधन कर रहे हैं। मैं अध्यादेश के दूसरे भाग के विषय में अधिक नहीं जानता। जहां तक मुझे जानकारी है इससे समय-सीमा 21 दिन से कम होकर 15 दिन हो जाएगी। यह एक बेहतर प्रस्ताव होता, यदि उन्होंने इसे यहां इस विधेयक में प्रस्तुत किया होता।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि 21 दिन के प्रचार के लिए कितना धन चाहिए तथा उसमें कितना समय बर्बाद होता है। यदि आप इस तरह का विधेयक प्रस्तुत करते तो इस आप व्यय से बचा जा सकता था। दूसरी ओर, जैसाकि हम सब जानते हैं, आप इस माननीय सभा में चुनाव सुधार से सम्बन्धित एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सभा में अनेक बार यह बताया गया है कि इस सभा में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए अनेक बैठकें हुई हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 1990 में श्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। उस समय वह विधि मंत्री थे। उन्होंने अनेक बातों की सिफारिश की थी जिसमें निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों को बदलते रहना, इत्यादि शामिल हैं। यह सब मामले हमारे सामने लंबित पड़े हैं।

इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए, हमने जल्दबाजी में एक निर्णय लिया है जिसमें हम मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं; हम संविधान द्वारा इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए इस अवसर से वंचित कर रहे हैं, जिसमें वह भी विधान सभा, संसद तथा ऐसे ही अन्य किसी निकाय में चुने जाने का अधिकार रखता है।

मैं माननीय मन्त्री जी तथा सरकार को यह सलाह देना चाहूंगा कि इस तरह का विधेयक पेश करते समय एक ऐसा व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जाए जिससे सभी सम्बन्धित समस्याएं हल हो सकें जैसे मतदान-केन्द्र पर कब्जा किया जाना, जाली मत-पत्र डाल जाना धन शक्ति का उपयोग चुनाव आयुक्त की नियुक्ति तथा निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमा निर्धारित करना इत्यादि। एक व्यापक विधेयक में ये सब मुद्दे पेश किये जा सकते हैं। इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 52 की जगह नयी धारा लाने जा रहे हैं। चुनाव के पहले यदि कैंडीडेट की मृत्यु हो जाती हो तो चुनाव रोक दिया जाता था। यह बिल ला कर स्वतन्त्र उम्मीदवार जो होंगे उनकी मृत्यु होने पर या उनको मार दिए जाने पर चुनाव नहीं रोका जाएगा। इससे तो संविधान की मर्यादा पर आघात पहुंचता है। अधिकार सबको संविधान से मिला है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है, उस अधिकार पर आप चोट कर रहे हैं। सबसे बड़ी चोज यह है कि जो स्वतन्त्र उम्मीदवार अच्छे उम्मीदवार होते हैं, लोकप्रिय होते हैं उनकी लोकप्रियता के डर से धन और बल से पहले मरवा देंगे तो इनकी जीत निश्चित हो

जाती है और चुनाव भी रुकेगा नहीं। ऐसा इनको खतरा भी था। दूसरा खतरा आपने और पैदा कर दिया है कि जो राष्ट्रीय पार्टी है उसका जो उम्मीदवार होगा उसके लिए भी खतरा हो जाएगा यदि कोई चाहेगा कि चुनाव रुक जाए. सबको बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर है। किसी राष्ट्रीय पार्टी को बचाना आपकी जिम्मेदारी है, स्वतन्त्र पार्टी के उम्मीदवार को बचाना क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? ऐसी बात संविधान में नहीं है। संविधान के अन्दर सबको बचाना सरकार का कर्तव्य है। आपने स्पष्ट कर दिया है कि हम उसको नहीं बचा सकते।

दूसरी चीज हमें यह देखने को मिली है कि कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया वही लोग इसके खिलाफ खड़े हो कर जीत गए और इनका उम्मीदवार हार गया। ऐसे एक नहीं दर्जनों केस हुए हैं। ऐसी स्थिति में यह बिल बना है। खासकर पंजाब जैसी विशेष परिस्थितियों के लिए। पंजाब में तो चुनाव हो गए। इस बिल को लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। काश्मीर का जब सवाल आएगा तो अध्यादेश जारी कर के फिर चुनाव करवा लेते। ऐसा बिल आना नहीं चाहिए था।

लोकतन्त्र को यदि कायम रखना चाहते हैं तो पूरी चुनाव संहिता के लिए संशोधन लाते। सब पार्टियां इसके लिए शुरू से मांग कर रही हैं। लेकिन इनकी नीयत ऐसा करने की नहीं है। आज लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इसको यह बिल इस सदन में लाना चाहिए था।

चुनाव के अन्दर जो गड़बड़ी पैदा की है तो इसी से आतंकवाद तेजी से बढ़ा है। उपाध्यक्ष महोदय आप भी चुनाव जीतकर आ रहे हैं और मैं भी आ रहा हूं। हृदय पर हाथ रख कर देखा जाए कि क्या सचमुच में गरीब, कमजोर वर्ग और दलित वर्ग के लोग चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। उनको धन और बल के द्वारा रोक दिया जाता है। गांव के मुठ्ठीभर लोग समूचे गांव का वोट डाल देते हैं इसी कारण आतंकवाद और उग्रवाद फैल रहा है। हमारी चुनाव पद्धति ऐसी है जिसकी वजह से सही प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं मिलता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बिल को वापिस ले लिया जाए। पंजाब और काश्मीर तक इसको सीमित रखा जाए और पूरे देश में इसको लागू नहीं किया जाए। यह बिल मूलभूत संविधान पर खतरा पैदा करता है और इससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है।

[अनुवाद]

श्री ओस्कार फर्नान्डीज (उडीपी) : इस विधेयक पर मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं। यह संशोधन बहुत पहले लाया जाना था तथा मुझे विश्वास है कि यह संशोधन वर्तमान प्रणाली को मजबूत बनाएगा।

एक प्रश्न उठाया गया है कि यह एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों के विरुद्ध होगा। किसी भी व्यक्ति को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से रोका नहीं गया है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : यह पक्षपातपूर्ण हो सकता है।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : उसे किसी भी दल का समर्थन प्राप्त नहीं होता है। यदि वह चुनाव लड़ रहा है लेकिन इसी चुनाव प्रक्रिया के बीच यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो कोई अन्य व्यक्ति भी यदि वह चुनाव लड़ना चाहता रहा होगा, तो वह भी एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़

नहीं रहा होगा यदि नहीं तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति चुनाव लड़ने का इच्छुक ही नहीं रहा होगा। चुनाव करवाए जाने का उद्देश्य समाप्त नहीं हो जाना चाहिए तथा इसे दलीय प्रणाली बनाने को सुदृढ़ रहने में भी मदद करनी चाहिए।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : यदि निर्दलीय उम्मीदवार भी एक ही हो और दलीय उम्मीदवार भी एक ही हो, तो क्या होगा ?

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : ठीक है, तब भी चुनाव होंगे। मूल बात यह है कि हमें एक स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली का निर्माण करने के लिए मदद करनी है। दलीय प्रणाली को विकसित करना है।

इसी कारण से हम महसूस करते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में स्थायित्व होना चाहिए और चुनाव चाहे राज्य स्तर के हों या राष्ट्रीय स्तर के घोषणा-पत्र, कार्यक्रम, और प्रतिबद्धता के आधार पर ही लड़े जाने चाहिएं। चुनाव के समय लोगों को यह महसूस करना चाहिए कि सत्ता में आने वाला दल अपने पुरे कार्यकाल तक उन पर शासन करेगा।

श्री श्रीकांत जेना : सिर्फ चुनाव चिन्ह हो, दल नहीं।

श्री ओस्कार फर्नान्डीज : ऐसा नहीं है। दल और व्यक्ति दोनों पर ही विचार करना है।

विधेयक में कहा गया है कि केवल किसी पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु पर ही चुनाव रद्द स्थगित किया जाना चाहिए। चुनाव लड़ रहे किसी निर्दलीय प्रत्याशी के निधन पर चुनाव स्थगित नहीं होना चाहिए। इस विधेयक का एकमात्र उद्देश्य यही है। कई चुनावों में हमने देखा है कि चुनाव में बाधा डालने के उद्देश्य से आक्सीजन पर जी रहे व्यक्ति से नामांकन पत्र भरवाया जाता है और उसके मर जाने पर पूरे चुनाव को ही रद्द करना पड़ता है और इस प्रकार चुनाव का समाप्त हो जाता है। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वे प्रत्याशी जो गम्भीर नहीं है, उन्हें देश के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए या उसे मजाक के रूप में नहीं लेना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कोई दलीय उम्मीदवार जीतने वाले उम्मीदवार की सम्भावनाओं को समाप्त करने के विचार से किसी मरणासन्न दिखावटी उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करवा दे। यह सब करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अत: मैं मानता हूं कि यह विधेयक सही भावना के साथ लाया गया है। बहुत सारी अन्य बातें हैं जो राष्ट्रीय जीवन को प्रभावित करती हैं। एक व्यापक चुनाव सुधार विधेयक के बारे में विचार करना होगा और उसे संसद से पारित करवाना होगा। अत: वर्तमान विधेयक उस दिशा में एक कदम हो सकता है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करते समय वह देखें कि एक विस्तृत विधेयक भी लाया जाए।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो० रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक 1992 लाया गया है यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधिनियम की धारा 52 के स्थान पर बदलने से सम्बन्धित है। जो यह विधेयक है मैं समझता हूं कि नैसर्गिक न्याय के सर्वथा

विपरीत है। यह जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत क्या यह प्रावधान रखा है कि किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति या उनके द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, निर्दलीय खड़ा नहीं हो सकता है। अगर निर्दलीय खड़ा होता है तो उसके मरने पर चुनाव स्थगित न हो यह तो कोई बात नहीं हुई। औरों की तो सुरक्षा की व्यवस्था है, लेकिन उनकी नहीं जबकि वह भी भारत का नागरिक है, वह भी उसी संविधान और नियमों के अन्तर्गत खड़ा हो रहा है। इसके बारे में गम्भीरता से सोचने की आवश्यकता है, व्यापक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति बड़ा योग्य है, विद्वान है, लेकिन वह अपने ऊपर किसी राजनीतिक दल का लेबल नहीं लगाना चाहता, निर्दलीय ही चुनाव लड़कर जीतना चाहता है और सारे राजनीतिक दल उसका समर्थन करते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति खड़ा हो तो उसका सभी राजनीतिक दल समर्थन करेंगे। यदि वह चुनाव में मर जाता है फिर क्या स्थिति होगी। लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 1992 बड़ी हड़बड़ाहट में लाया गया है। क्योंकि पंजाब में जैसी स्थिति थी उस स्थिति में येन-केन-प्रकारेण चुनाव कराने थे। मैं एक बात सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जो हमारे संवैधानिक संस्थान हैं उनकी अवमानना न की जाए, उनको कठपुतली की तरह बचाया न जाए। जिसकी सरकार होती है, जो सत्ता में दल होता है, वह सत्ता में आते ही चुनाव आयोग हो, राज्यपाल हो या अन्य कोई संस्थान हो उनका दुरुपयोग करता है। उन दिनों निर्दलीयों के बारे में राष्ट्रपति का अध्यादेश लाकर यह कहा गया कि निर्दलीय चुनाव में खड़े हो सकते हैं।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : घंटी बजाई जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब गणपूर्ति पूरी से गयी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री **जार्ज फर्नान्डीज** (मुजफ्फरपुर) : उपाध्यक्ष जी, हम इस बात से इंकार नहीं कर रहे हैं कि हम लोग बाहर गए। हम आज दोपहर से इस विधेयक को लेकर सरकार को समझाने की कोशिश में है। मंत्री जी से हमारे अनेक सदस्यों ने बात की। सदन के उस तरफ से भी अनेक सदस्यों ने इस विधेयक पर बोलते हुए अपना विरोध प्रकट किया और उसके लिए ऐसे तर्क रखे जिनसे इंकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी ने इसको सियासी ढंग से नहीं देखा।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : महोदय, किसी ने भी इस विधेयक का विरोध नहीं किया है। सभी ने कहा है कि सरकार को एक विस्तृत विधेयक पेश करना चाहिए, जिसके लिए हम तत्पर हैं। यह सब जानते हैं कि हमने किन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करना पड़ा है। राज्य सभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। राज्य सभा में दलों ने इस पर सहमति व्यक्त की है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सदन में जब कोई सवाल आ जाता है, मंत्री जी आप जानते हैं, बहुत पुराने साथी हैं। सदन में कोई भी मामला उठता है तो उसकी आप कभी तो कद्र कीजिए। जब सदन की एक राय आ गई। (व्यवधान)

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : हमारे पास समय सिर्फ आठ बजे तक है। हम इस विषय को यहीं छोड़ दें, इस पर बाद में तब बहस कर सकते हैं और हम सदन को कल तक के लिए स्थगित कर सकते हैं और कल बैठक होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रासा सिंह रावत जी, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरिधारीलाल भार्गव (जयपुर) : कल मैं क्या आऊंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अब तो 8.00 बजे गए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

8.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार 18 मार्च 1992/28 फाल्गुन, 1913 (शक) के 11 म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : सनशाइन प्रिंटिंग प्रैस, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6

पी.एल.एस. 48/9/17/92 (एन.)
250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और
प्रबंधक, सनसाईड प्रिंटर्स, 2265, डा० सेन मार्ग, दिल्ली-6 द्वारा मुद्रित